

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

**KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

# धर्मनिरपेक्षवाद और आरतीय प्रणालीं

एम. पी. दुबे

नेशनल पब्लिशिंग हाउस  
23 दरियागंज नयी दिल्ली 110 002

शान्तारं

चौड़ा रास्ता, जयपुर  
34, नेताजी मुमाय मार्ग, इलाहाबाद-3

ISBN 81-214-2432-0

C

मूल्य 120.00

नेशनल पब्लिशिंग हाउस 23 दरियागंज नयी दिल्ली 110002 द्वारा प्रकाशित/अखण्ड सम्पादन  
1991 अर्द्धांशार थी एथ०पी० दुड़े/फोटो कोलिय बम्बा टाइपरेशन बयी दि०नी। सामनी  
प्रिंटिंग ऐम ए०७५ मकान ५ नोम्डा 201301 मे मुद्रित।

## प्रस्तावना

डॉ० एम० पी० दुबे हारा धर्मनिरपेक्षवाद और भारतीय प्रजातं शीर्षक पर पुस्तक की रचना बहुत ही सभीचीन एव सामयिक कदम है।

भारत की प्राचीन मस्तृति एव उसका इतिहास इम बात का साक्षी है कि भारत द्वारा विभिन्न भाषाओं एव धर्मों के मानने वालों को पूर्ण थद्धा प्रेम और सौहार्द के साथ गले लगाया गया तथा उन्हे अपने रीति रिवाज एव आचार विचार एव धर्म के अनुपासन मे पूरी स्वतत्त्वता प्राप्त रही है। हमारे ऋषि-मुनियों ने न केवल हमें बल्कि विश्व की एकता, सद्भाव, शांति सहअस्तित्व नशा वसुधैवकुटुम्बम् का उपदेश दिया। इसका अनुमरण करने या मानने की बात कौन कहे हैं दूसरे देशवासियों को यह उपदेश देने वाले थे। समय बदलना गया — सदियों हम दासता की बेड़ियों मे रहे हैं। स्वतत्त्वता प्राप्त की। इसके बाद हमने अपने प्राचीन धर्मनिरपेक्षवाद एव प्रजातं को अपनाया और अपनी प्राचीन सस्तृति की महत्ता को समझने का प्रयास किया।

सारे धर्म मानव-जाति के उत्थान के लिए अवतरित हुए हैं न कि मानव जाति के पतन के लिए एव मानव जाति से घृणा करने के लिए। किमी भी मानव जाति को ठेस पहुँचाना ही 'अधर्म' है। सभी धर्मों मे अच्छी बाते पापी जाती हैं। हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए क्योंकि उनके मूल मिद्दान एक ही हैं। धर्मनिरपेक्षता देश की एकता अमर्डता एव राष्ट्रोन्नति के लिए एक अमूल्य धरोहर व बरदान है। यदि किमी प्रकार भत्तेद इतने बड़े समाज मे उत्पन्न होते भी हैं तो उन्हे बौर देय और दैमनस्य के सद्भाव एव शांतिपूर्ण ढंग से मुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए।

धर्मनिरपेक्षता के बिना प्रजातं जीवित नहीं रह सकता। भारतीय प्रजातं विश्वविरूपत है। जिनते ही देशो ने भारतीय प्रजातं के आदर्श से प्रभावित होकर इसे अगीकार दिया है। विडालो ने प्रजातं की परिभाषा 'जनता की सरकार जनता के लिए तथा जनता के द्वारा' की है जिसमे प्रजातं का पूरा भाव स्पष्ट हो जाता है। प्रजातं भे जनता की आवश्यक ही सर कुछ है और प्रत्येक नागरिक को अपने विवारों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतत्त्वता है। प्रत्येक को अपने-अपने रीति रिवाज, आचार विचार

एवं धर्म अनुपालन की पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। जनता को अपन प्रतिनिधि चुनने एवं उनके द्वारा—अपनी मरकार बनवाने का पूर्ण अधिकार होता है। इस स्वच्छ शासन प्रणाली एवं निष्पक्ष मनाधिकार का नाम 'प्रजानश' है। प्रजानश में जन-प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हे अपने ही जन-मेंदक ममझना चाहिए चाहे व मना में हो या दाहर यहां तक कि कोई भी बड़ा-मैं-बड़ा पद धारण करते हो। भारतीय प्रजानश को आदर्श रूप देना हर नागरिक का मर्वधेष्ठ वर्तव्य होना चाहिए।

स्पष्ट है कि धर्म-निरपेक्षवाद एवं प्रजानश दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इनको आधार बनाकर ही मारे भारतवासियों में आपसी प्रेम संदूधाव भाई जारे की भावना सदैव कायम रहेगी तथा गट्टीय एकता एवं अखड़ा अशुण्डा बनी रहेगी।

धर्मनिरपेक्षवाद और भारतीय प्रजानश शीर्षक पर पुस्तक की आज समाज के लिए बहुत आवश्यकता है। मुझे आशा है कि यह पुस्तक समाज के हर वर्ग के लिए बहुत लाभदायक निष्ठ होगी। लेखक का यह कार्य प्रशमनीय है एवं वह बघाई के पात्र है।

—बी सत्यनारायण रेहड़ी  
भृत्यगान उनर प्रदेश

## दो शब्द

धर्मनिरपेक्षता एक बहुचर्चित विषय होने के साथ-साथ विवादास्पद भी रहा है। मेरी दृष्टि में इसका अध्ययन इसके व्यक्तिगत एवं सामाजिक पहलुओं के परिप्रेक्ष में किया जाना आवश्यक है। व्यक्तिगत स्पष्ट मध्यम धर्म विवादास्पद नहीं समझा जा सकता क्योंकि मनुष्य मात्र का स्वयं कोई धर्म अवश्य होता है और उसके लिए उसे मीमिन रहना श्रेयस्कर भी है स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मों भयावह। लेकिन स्वधर्म स्वयं वो ही पवित्र कर दैवी क्रिया-बलाओं के महत्व व रहस्य का जान अर्जित करने के लिए है। हर धर्म के व्यक्तिके लिए इस सत्य की प्राप्ति के स्वयं विभिन्न प्रकार और विधियाँ हैं। यह पूर्णतया व्यक्तिगत है इस प्रकार के धर्म-गालन में निरपेक्षता का कोई प्रयत्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार के व्यक्ति की दृष्टि में वाह्य जगत् के लिए भी एक ही 'स्वोच्च धर्म दृष्टिगोचर होता है वह है—'मानव धर्म। लेकिन समाज के परिप्रेक्ष में व्यक्तिगत अथवा मानव धर्म भी बहुधा द्रूपित हो जाता है और यही पर धर्मनिरपेक्षता की समस्या उत्पन्न होती है। विश्व का इनिहास माली है कि बहुधा धर्म के महारे शोषण और भ्रष्टाचार अधिक पैला है। इस प्रकार का धर्म अधिविश्वाम व राहिवादिता का प्रेरक होता है जो मानव धर्म का विरोधी है। जिन राष्ट्रों में एक ही धर्म प्रचलित है उसमें धर्म के लाग पर विभेद की समस्या अधिक होती है लेकिन ऐसे राष्ट्र जिनमें विभिन्न धर्मावलंबी निहित हैं धार्मिक पश्चात् की सभावना बढ़ जाती है जिसके परिणाम कभी-कभी भयानक हो सकते हैं अतः जानि और सद्भावना की दृष्टि में धर्मनिरपेक्षता की अन्यधिक आवश्यकता प्रतीत होती है ताकि राष्ट्र राज्य का विकास हो और जानि बनी रह।

धर्मनिरपेक्षता का भाव भी सभ्य वे साथ परिवर्तित होता रहता है। पूर्व में इसका लाभ्यता वे वेद धर्म जैसे — मदिर मन्त्रिद गिरजा आदि वी स्त्रिवादी परपरा के विरोध में जुड़ा था लेकिन अब इसका लाभ्यता विविध प्रकार की भेदभाव की भावना को दूर करने में अधिक है। वह भेदभाव जो समाज में आर्थिक राजनीतिक रहन-महन आचार विचार आदि के काम में दृष्टिगोचर होता है। इन तत्त्वों का धर्म में पूर्णतया अन्यगत सभी धर्मनिरपेक्षता है जब धर्म परमानन्दा और मनुष्य के बीच वेदन व्यक्तिगत सामना ही रह जाये और यही धर्म का स्वरूप हो जाये।

डॉ० एम० पी० दुवे द्वारा लिखित इस पुस्तक धर्मनिरपेक्षकाद और भारतीय प्रजातत्रे में विषय का विवेचन विविध पहलुओं में किया गया है—ऐनिहासिक सबैधार्णिक, जानीय आदि जो विगेयक भारत में सबैधित हैं। ममाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र के पाठको अध्यापको विद्यार्थियों तथा इस विषय में स्वच रूपते बाले विद्वानों के लिए यह पुस्तक निश्चित ही उपयोगी सिद्ध होगी। आशा है डॉ० दुवे का परिश्रम सफल होगा।

—एम० डी० उपाध्याय

कृचपति

दुसापु विवरकिदास्य मैत्रीतात्

## प्रावक्यन

धर्मनिरपेक्षता (यथ निरपेक्षता) और धर्मवद्वादी शब्द पिछली शताब्दी से ही समाज वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ बीचते रहे हैं। लेकिन वीसवीं मंटी में इहने आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण ने वैज्ञानिक तथा धर्मनिरपेक्ष भावना को काफी बल प्रदान किया है। उदारवादी प्रणाली के विकास ने भी धर्मनिरपेक्षीकरण (लौकिकीकरण) में अपूर्व योगदान दिया। इस प्रक्रिया में धार्मिक चितन आचरण और सत्याएँ-धीरे-धीरे सामाजिक महसूस लोनी हो रही है। यह प्रक्रिया विभिन्न देशों में भिन्न गति से चलती रही है। डेविड मार्टिन ने अपनी पुस्तक ए जनरल थ्योरी ऑफ मैक्स्यूलनदाइजेशन (1978) में इसमें सबधित चार प्रतिलिपो (पैटर्न) का वर्णन किया है। इन चार लक्षणों को उन्होंने मध्येष में बड़े सुदृढ़ ढंग से व्यक्त किया है।

1. एक्लो-सैक्षण सम्यात्मक अपरदन, धार्मिक लोकाचार (ईयांस) का अपरदन अव्यवस्थित धार्मिक विश्वासों का अनुरक्षण इसके लक्षण है।
2. अमरीकी इसमें सम्यात्मक विस्तारण धार्मिक लोकाचार का अपरदन अव्यवस्थित धार्मिक विश्वासों का अनुरक्षण होता है।
3. कासीसी अद्वा लैटिन प्रभावशानी धार्मिक विश्वास लोकाचार तथा सत्याएँ—सामना करते हुए प्रभावशानी धर्मनिरपेक्षवादी विश्वास लोकाचार और सत्याएँ इसके लक्षण हैं।
4. इसमें धार्मिक विश्वासों, प्रकृति और सत्याओं का प्रभावशानी अपरदन, कितू बच्ची हुई धार्मिक सम्प्राप्ति के विश्वासों और लोकाचारों का अनुरक्षण होता है ऐसे अन्य प्रतिलिपि इन्होंने बष्प खेद हैं।

भारतीय संविधान में उपबधित धार्मिक स्वतंत्रता की अवधारणा काफी कुछ पश्चिमी विचारों पर आधारित है। किर भी ये भारत की दार्शनिक, सामूहिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि ही थी जिसने इस अवधारणा को स्वीकार करने के योग्य अनुकूल बानावरण प्रदान किया। अगर हम इतिहास की कूरबीन उठाकर अनीत के निगमण चार

हजार वर्षीय लबी पगड़ियों पर विहगम दृष्टिपात कर तो हम पाने हैं कि सभी धर्मों और मत मनानारों के प्रति उदार महिष्णुता भारत की भहान पर्यग रही है। सभी धर्मों के अनुयायियों को आपने भिंडानों का महन और प्रचार करने तथा अपनी पूजा-प्रार्थना और शीनि-गिवाजों को निभाने की स्वतंत्रता रही है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अदर व्याप्त धार्मिक जातीय प्रजानीय भाषीय क्षेत्रीय तथा जनजातीय आदि भिन्नताओं का जमकर फायदा उठाया और फूट डालकर शासन किया उसने सप्रदाय को सप्रदाय में जाति को जाति से क्षेत्र को क्षेत्र से और भाई को भाई से आपस में लड़ाया। अधेज अधिकारी गण्डुवादियों के चिनाह इमन का कुचक्क चलाते रहे। आर्थिक व्यवस्था प्रगतिरोध के दौर में गुजर रही थी। सामतवादी परपराएं तथा आर्थिक शोषण किसानों की कमर नोडे जा रहे थे। जहा एक नरफ प्रेम मदभावना आपसी महयोग का भाव छलकना या बही पर दूसरी तरफ अधिविद्वाम धार्मिक कट्टरना भुम्भरी बीमारी तथा अगिद्वा का अधिकार द्याया हुआ था छुआछूत का कोड समाज के पूरे शरीर में फैला हुआ था। न्तियों की स्थिति बड़ी दयनीय थी धर्म के लेकेदारों ने उन्हें जीवनमगिनी नहीं गृहदामी मान लिया था गृहम्वामिनो नहीं पौरो की जूती रमझते थे बामाग नहीं बासना-नृप्ति का माध्यन बना रखा था। विवाह विच्छेद उत्तराधिकार दक्त यहण विगमन तथा वसीयत आदि में वे किसी दशा में पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती थी। धर्म और राजनीति का गठजोड़ बना हुआ था। साप्रदायिक हिमा लूटपाट तथा जागजनी समाज में विद्वेष और पृणा कैलाकर उसे सोचना बनाने जा रहे थे। अभाव ही अधिकार का जीवन था दरिद्रता ही कुटुब था आह भरकर सिमक सिमककर प्राण दे देना ही जीवन का एकभाव उद्देश्य था। वे जीने थे इमनिए रि मौत नहीं आनी थी और मरते थे इमनिए हि जीने का कोई महारा नहीं होता था। अत भारतीय राष्ट्रीय आदोलन के कर्णधारों के निए व्यक्ति की गरिमा और उसका आत्मसम्मान मदमें अधिक महत्वपूर्ण था। उनका अपरदन बदीम्न करना उनके लिए सभक नहीं था। वे मानवाच की पूर्णीयता में विश्वास रखते थे। उनकी आस्था मनुष्य जाति की असीमित उन्नति में थी। पूरी मूल्य के स्वरूप में नागरिक स्वतंत्रता में उन लोगों का अदृष्ट विद्वाम था। वे मानते थे कि लगभग ढेढ़ सौ बर्दों से गुलामी की जजीरों में बधे चले आ रहे आर्थिक स्वरूप से शोषित नथा सामाजिक स्वरूप से कुठित झैकिक स्वरूप में उपेक्षित और मानवृत्तिक स्वरूप में अवसानिन भारतीयों की गरिमा और आत्मसम्मान को धर्मनिरपेक्ष प्रजातत्र के द्वारा ही प्रतिष्ठित किया जा सकता है और भारत को एक मजबूत आधुनिक राष्ट्र-राज्य के स्वरूप में विकसित किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष प्रजातत्र नेहरू आदि नेताओं के निए एक धर्म मिदात बन गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रेम की स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक बयानक मनाधिकार विधि का शामन और स्वतंत्र व्यायामिका में उन लोगों की गहरी आस्था थी।

सभी धर्मों जानियो वर्षों, जनजानियों, भाषा भाषियों और होतों को राष्ट्रीय एकता के मूल में पिरोने के निए, लोगों को सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक स्वायदिनाने तथा स्वतंत्रता, समानता तथा भावृत्व की भावना का विकास करने के निए हम

भारत देश से मार्गो मध्यमन्त्री भगवन्न ममाज्जवादी धार्मिक निरपेक्ष प्रजानव स्थापित करने वा सकल्प दिया। इनिहाय माधी है कि धर्म का नाम पर अनेक जगत्य और ममाज्जवों का भोग देने का प्रयत्न किया गया है। अनेक दृष्टान् मिलते हैं जब एक धर्म के अनुयायियों ने दूसरे धर्म के अनुयायियों पर घोर अन्याचार किये हैं। धर्म के नाम पर ही अनेक प्रवार की कुरीतियों और तृज्ञमनाएँ प्रवासी रही हैं; भारत मनवनि बास विवाह जिशु बानिकाओं को नदियों में पैक देना मनी प्रथा देवदासी प्रथा वह विवाह अन्यूदयका आदि कुरीतिया किसी व्रतार धर्म में तुड़ी थी। यही कारण है कि हमारे सविधान में धर्म की स्वतंत्रता के माध्यमात्र कई परिस्थितियों में अनुष्ठान को धर्म स्वतंत्रता दिलाने के लिए अनुच्छेद 25 म 28 में व्यवस्था की गयी है। धर्म मूलवश जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्थन तथा सुधार की भावना वा विकास करने पर वल दिया गया है। धर्म मूलवश जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन-नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिए अपावृत न होने और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन-नामावली में सम्मिलित दिये जाने वा दावा न किये जाने का उपवध किया गया है। अनुमूलिक जातियों अनुमूलिक जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपवध किय गय है। अत्यस्तव्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए भौतिक अधिकारों की व्यवस्था की गयी है। जिज्ञा सम्याओं की स्थापना और प्रशासन वरने का अत्यस्तव्यक-वर्गों को अधिकार दिया गया है। हमारे सविधान मधर्मनिरपेक्षता का मूल्य मन धर्मों के प्रति समानसम्मान-मर्दधर्म मद्भाव में अभिव्यक्त होता है। भारतीय राज्य किसी विशेष धर्म को मानने के लिए न तो प्रोत्साहन देता है और न हो हतोत्काहित करता है। किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के भानने के परिणामस्वरूप राज्य की ओर में न कोई हानि होनी है और न ही कोई खाम।

सविधान नाम होने के बाद आरभ के वर्षों में प० जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगियों ने धर्मनिरपेक्ष प्रजानव की अनेक स्वास्थ्य परपराओं को विकसित किया। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को साकार बनाने के लिए अनेक कदम उठाये गये। अद्युतों और स्त्रियों की दशा मुझारने के लिए अनेक व्यवस्थाएँ बी गयी। अन्यूदयना निवाहन पर विशेष वल दिया गया। हिन्दू बोड विल पारित किया गया। अत्यस्तव्यकों में आत्मविश्वास किर से वापस लाने के लिए अनेक उच्च पदों पर उन्हे प्रतिनिधित्व दिया गया। किन्तु सन् 50 का दशक ममाज्ज होते-होते यह लगने लगा कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के महन म जग और नुनहार का प्रक्रीय हो रहा है। धीरे धीरे देश का नेतृत्व एवं लोगों के हाथों में आता गया जो न तो नेहरू के ममाज्जवाद और धर्मनिरपेक्षता के गिराव वो भूमि भरति समझते थे और न उम व्यवहार म अमन करने को तत्पर थे। धीरे धीरे साविधानिक नीतिका म गिरावट आने लगी। विधर्मनवारी तथा विमाज्ज प्रवृत्तिया देश की एकता और अनादता और राजनीतिक स्थापित वो धर्मनी देन लगी। जानिवाद सप्रशास्यवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद अपने मूली एवं सामाजिक ज्ञानि मुरक्का, मद्भाव और प्रवृत्ति की तरफ बढ़ाने लग। धार्मिक बट्टरवाद और उम राष्ट्रवाद अपनी तनावारे

पैनी करने लगा।

आज आजादी के चार से भी ज्यादा दशकों के बाद भारत का नागरिक क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा। किससे मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा। क्या एहनेगा क्या नहीं पढ़नेगा। यह बौहुगांधी के लिए दाईं बनायेगा। एक तलाव जुड़ा पन्नी भूसो मरे था अपने जीवन की रक्षा करने के लिए शरीर को देचने के लिए मजबूर हो जाये लेकिन सप्तल पनि भरण पोषण देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि धर्म एमा करने की अनुमति नहीं देना है। स्वीय विधिया चाहे कितनी ही अमरण क्यों न हो गयी हो राज्य उनमें मशीधन नहीं कर सकता क्योंकि वे ईश्वरीय हैं। आज भी ओमकुवर जैसी विधिवाएं चिना भें भूत दी जानी हैं। विधिवाओं वो कौन वहे शादी गुदा स्त्रियों के भान-भम्मान को दहेज प्रथा ने रौद डाला है। स्त्रियों की मासना-सीटना तथा दहेज प्रथा वी अग्नि में आहुति दे देना आम दात होनी जा रही है। सर्वांगी और अवरों के बीच वी स्त्रेमण रेखा मिटा दी गयी हो एमा तो विनकुल नहीं लगता जानिवाद का कोड मामाजिव दाचे को विनृप बनाने में कोई क्षमर नहीं छोड़ रहा है। पड़ो पुजारियों भहतो तथा प्रदधनों द्वारा तैयार किया गया हरिजन मदिर प्रवेश नियेध का दुर्ग ठहर चुका होता तो हरिजनों को मदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए पुनिस बल वी आवश्यकता क्यों पड़ती? जगह-जगह पर माप्रदायिक हिसा लूट-पाट नया आगजनी ने अहिसा रहम, शाति और सद्भावना का गला धोट दिया है नहरन द्वेष हिसा और पाप अपनी सफलता पर अट्टहाय कर रहे हैं। जुन्म शोण अन्वराचार और झाटाचार आपसी भाई-चारे की बद्द पर धी के दीये जला रहे हैं। छोटी से छोटी घटनाएं माप्रदायिक दगों में बदल जाती हैं। (इसानियत) मानवना गायब हो जाती है रह जानी है हैवानियत, विधिवाओं का रुदन बज्जो का करण उदन मुहब्बत के स्थान पर नफरत कुरान के रहम और ग़हनरामे नफ्म को निलाजित दी जाती है। हिंदू कृष्णियों मुनियों और महात्मा बुद्ध के बड़ा के पाठ की भुला दिया जाता है प्रभु धीमु के प्रेम के उपदेश से मुह़ फेर लिया जाता है। अन टी० एन० मदान जैमे नेत्रक यह कहने को मजबूर हो गये हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में दक्षिणी एशिया में धर्मनिरपेक्षना जीवन के ऐमे मिह्दान के रूप में जिममे सामान्यत भागी हुआ जा सके अमरवत है। राज्य कार्य के आधार के रूप में अव्यावृहारिक है। आगे आने वाले भविष्य वी अपरेसा के रूप में क्षमजोर है। क्योंकि अधिकाश लोग अनेक धार्मिक विधवामों के मक्किय समर्थक हैं। राज्यों के लिए मधी धर्मों के साथ समान दूरी बनाये रखना बड़ा कठिन है नया धर्मनिरपेक्षना धार्मिक कृद्टरवाद वा मुकाबला करने में अमर्य हरी है।

प्रदन उठना है कि क्या भारत जैसे देश में धर्मनिरपेक्षना सभव नहीं है? क्या धर्मनिरपेक्षन प्रजातत्र वा कोई विकल्प ही सकता था या है? क्या सविधान बनाते समय हमने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मही अर्थों में अपनाने की भूल की है? क्या हम धर्मनिरपेक्षवाद के मिह्दानों को अनहार में नहीं बदल पाये? अगर नहीं तो क्यों? धर्म के नाम पर या तो मदिर मस्जिद गुम्बारा और चर्च हमारी स्मृति में आने हैं या फिर गीता, रामायण,

कुरान, गुरुग्रन्थ साहित्य और वाइबिल क्या यही धर्म है? क्या राजनीति वही है जिस हम नसी आलों से देखने महसूसने हैं?

ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर देश की अमरदला राजनीतिक स्थायित्व और राष्ट्रीय पहचान को मब्दल बनाने के लिए आवश्यक है। अत वैज्ञानिक विचार पद्धति का अबलबन करने के उपरान्ती और युक्ति के सहित समझन के लिए विषय के इतिहास और विचारभौम के साथ-साथ इसकी वर्तमान आवेदित परिस्थिति को ठीक ठीक जानने का इस पुस्तक में प्रयास किया गया है। अगर इस पुस्तक में विभिन्न मत्रायों में सक्रिय शक्तियाँ की समझदारी बढ़ती हैं तो निश्चय ही इसमें उनके बीच आपसी सद्भाव की उम्मीदें और मजबूत होंगी।

मैं प्रो० एम० डी० उपाध्याय कुलपति कुमारू विश्वविद्यालय का बहुत आभारी हूँ जिनकी प्रेरणा और प्रोल्याहन का मैं धनी हूँ। विचार विषय और प्रोल्याहन के लिए मैं डॉ० ए० डी० पत निदेशक गोविन्द बल्लभ पत ममाजविज्ञान सम्मान इनाहावाद का अन्ति आभारी हूँ। प्रो० वी० के० पत तथा प्रो० पी० मी० पादे कुमारू विश्वविद्यालय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस विषय का अध्ययन करने के लिए मुझे लगानार प्रेरित किया। मैं प्रकाशकों का समय में पुस्तक प्रकाशित करने के लिए बहुत आभारी हूँ उन्हें मैं धन्यवाद ही दे सकता हूँ।

अत मैं मैं अपने सभी मित्रों एवं शुभचितको के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने पुस्तक को पूरा करने में समय-समय पर भाहयोग दिया है। मैं मध्यमय और तनमय को धन्यवाद देना हूँ जो मुझे परेशान करने के बजाय बॉनिज होमवर्क से अवैले जूझते रहे।

—एम० पी० दुर्वे

वैज्ञानिक

। भार्व । १९९१

# अनुक्रम

प्रस्तावना

[ V ]

दो शब्द

[ VII ]

प्राचीकरण

[ IX ]

1

धर्मनिरपेक्षना वा एतिहासिक महर्ष

[ 1 ]

2

भाग्यीय प्रहृति म धर्मनिरपेक्षवाद

[ 21 ]

3

मौद्यधानिक उपवास और न्यायिक पुनरीधारण

[ 76 ]

4

स्त्रीय विधि—ग्रन्थ चतुर्भूत

[ 108 ]

5

जाति और धर्मनिरपेक्षवाद

[ 145 ]

6

अल्पमस्त्यको की समस्या

[ 183 ]

उपलब्धार

[ 223 ]

शब्द सूची

[ 230 ]

## धर्मनिरपेक्षता का ऐतिहासिक सदर्भ

### धर्मनिरपेक्षवाद की अवधारणा

राजनीतिशास्त्र में अनेक शब्द होमे हैं जो मुमाण्टता की पवड में इन्हीं प्रकार नहीं आते। राजनीतिशास्त्रियों द्वारा परिभाषाओं के बधान भ बाधने के प्रयाम के बावजूद उनके दामन की ढोर ढीनी ही नहर आती है। धर्मनिरपेक्षता शब्द उनमें से एक है। अनेक विचारकों ने इस शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है किन्तु उनमें मौक्य का अभाव आज की सच्चाई है। कुछ ने झगड़ इसकी व्यापक अर्थों में व्याख्या की है तो कुछ ने विलक्षण सतुचित अर्थों में परिभासित करके इस ईश्वर विरोध और नाम्निकता से जोड़ दिया। अभी तक धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई सार्वभौमिक मान्य मांडल अथवा मिदान विकसित नहीं हो सका है। आज जिनकी तरह की धर्मनिरपेक्ष सरचना का दावा करने वाली राजनीतिक व्यवस्थाएँ हैं उनमें प्रकार के धर्मनिरपेक्षवाद की चर्चा की जाती है तथा तदनुसार धर्मनिरपेक्षीतरण की भी विद्वानों एवं बुद्धिमोक्षियों ने अनग-अनग दग से व्याख्या की है।

'सेव्यूनर' शब्द की व्युत्तति लैटिन भाषा के 'सेव्यूनम्' शब्द में हुई है जिसका मौलिक अर्थ 'युग्म' अथवा 'पीड़ी' या किन्तु इतिहास लैटिन में इमवा अर्थ 'नीकिक जगत्' हो गया। एक अपेक्षी शब्दकोश में इमवा अशय धर्म के साथ इसी भी प्रकार वे सघधो वा अभाव है।<sup>1</sup> एनसाइक्लोपीडिया इटानिका मध्यनिःपेक्षवाद को भानवज्ञति के भौतिक सामाजिक और नैतिक उद्देश्यों वे निए प्रतिलिपि उपयोगितावादी नैतिकता को एक भाग्य के रूप में परिभासित किया गया है। इस शब्द का अर्थ उमस है जो अध्यात्म से दिनग हो, धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों से असबढ़ हो या कोई भी ऐसी वस्तु हो जो धार्मिक वस्तुओं से पृथक् हो या आध्यात्मिक या धर्म सबधी मामनों के विपरीत सामारित हो।<sup>2</sup> कुछ विद्वानों ने धर्मनिरपेक्षवाद को कुछ भोग्यों द्वारा घटन प्रतिवाद के आदोनन अथवा अस्यायी असनोष और प्रतिहिया के रूप में देखने का प्रयाम किया है, ऐसा-

सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक अपहृत्यों के विश्व था, जिसे धर्मानुगामी दैवीय विद्यान के स्थ में देखते थे। ऐरिक एम० बाटरहाउम के अनुमार 'धर्मनिरपेक्षवाद धर्म हारा प्रस्तुत धारणाओं के विपरीत जीवन व आचरण की धारणा का दर्शन है।' बाटरहाउम ने धर्मनिरपेक्षवाद का अन्यथिक वैज्ञानिक दृष्टि से वर्णन किया है। उन्होंने एक व्यापक आदोलन के रूप में इसके दार्शनिक इतिहास का आरभ मूरोपीय पुनर्जागरण काल के राजनीतिक और सामाजिक दर्शन में देखा गया है।<sup>3</sup> कुछ विद्वानों ने इस शब्द का इतने व्यापक अर्थों में प्रयोग किया है कि इसमें वैज्ञानिक मानववाद प्रहृतिवाद, भौतिकवाद अज्ञेयवाद प्रत्यक्षवाद उपरोगितावाद आदि वो सम्मिलित कर लिया है।

धर्मनिरपेक्षवाद (सेक्यूलरिज्म) शब्द को यहने और उसे प्रचलन में लाने का शेष उत्तीर्णवी जनादी के उप मुधारबादी अप्रेज विचारक जार्ड जैकब होलोव द्वारा जाना है। धर्मनिरपेक्षता की दार्शनिक जड़े उपरोगितावादी विचारको—जेम्स मिन और बेन्यम के चितन में प्रारंभ होती है। किंतु आधुनिक रूप में धर्मनिरपेक्षवाद की अवधारणा की स्पष्टता होन्योर हारा दी गयी। गन् 1850 में उग्रवी मुनाकान ब्रैडलाफ में हुई और उसके दूसरे बर्फ उसने सेक्यूलरिज्म शब्द की बत्यना दी तथा 1859 में उसने प्रिमपुल्म अरक सेक्यूलरिज्म नाम की पुस्तक प्रकाशित किया। यद्यपि होल्योक ब्रैडलाफ का गहरोगी था किन्तु दोनों ने धर्मनिरपेक्षता के बारे में अनुग्र-अनुग्र रूप अपनाया—आस्तिकतावादी और अनास्तिकतावादी ये दोनों प्रकार के धर्मनिरपेक्षवाद मवधी विचार आज विश्व के अनेक भागों में व्यवहार में लाये जा रहे हैं। आस्तिकतावादी अधिकार होन्योर के धर्मनिरपेक्षता ने दृष्टिकोण भ धर्म को स्थान दिया गया है उसमें इस बात पर बहुत दिया गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद का धर्म में मवध शक्तिपूर्ण होने के बजाय परस्पर अवज्ञा होता है। होल्योक ने ऐसे नैतिक मिहातो का विकास किया जो विना किसी देवता के अधिक अग्ने जन्म का उत्तेजन किये जीवन और आचरण का एक निश्चिन मिहात प्रदान करता है और इस प्रकार धार्मिक भघों से पृथक् धर्म के कार्य को पूरा करने का प्रयास करना है। उनका मानना था कि शुद्ध धर्मनिरपेक्ष विचारों के द्वारा नैतिकता वो प्राप्त विया जा सकता है तथा उस पर ही सदाचार को आशारित किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षवाद महाचार को एक आधार प्रदान करता है जो सभी तरह के धार्मिक विश्वासों में स्वतंत्र होता है। दूसरी तरफ ब्रैडलाफ न धर्म विरोधी रूप अपनाया। उसका मानना था कि जब तक धर्म अधिकारित और इनका भीमासा से सब्दित भावनाएँ मिहातवाद समाज में व्याप्त रहेंगे तब तक भौतिक उप्रति असभव है। उसके इसका धर्मनिरपेक्षवाद पूर्णरूप मधर्म का अस्वीकार करता है तथा विज्ञान को अपना देवता मानता है। इस प्रकार होन्योर का माइन धर्म और राज्य के मामलों को पृथक् रखता है। सभी धर्मों से दरावर दूरी बनाय रखता है। सभी धर्मों के माध्य तटस्थिता रखता है तथा धर्म को व्यक्ति के नित्री जीवन तक भीमित रखता है। लोक-जीवन में विवेच का मापदण्ड मार्ग निर्देशन मिहात होता है। दूसरी तरफ ब्रैडलाफ का मांडल धर्म का विरोध करता है और धर्मनिरपेक्ष गण्ड अपने मामलों मधर्म को बहिष्कृत तो करता ही है माध्य ही अपने

नागरिकों के व्यक्तिगत निजी जीवन में नियेष्ट करता है। ब्रैडलाफ के मॉडल अर्थात् मानसि के साम्यवादी परपराओं के धर्मनिरपेक्षवाद को साम्यवादी देशों में अपनाया गया है, जबकि होल्योक के मॉडल अर्थात् पश्चिम के उदारवादी प्रजातात्त्विक परपराओं के धर्मनिरपेक्षवाद को पश्चिमी देशों तथा भारत में अनेक विभिन्नताओं के साथ अपनाया गया है। साम्यवादी धर्मनिरपेक्षवाद का दृष्टिकोण आत्यतिक है। इसके विपरीत पश्चिम के उदारवादी परपराओं में धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ ईश्वर विरोधी अथवा नास्तिकतावादी नहीं है बल्कि इसे एक ऐसे सक्रिय माध्यम के रूप में देखा जाता है जो कि मनुष्य को अपनी प्रकृति के पूर्ण विकास के लिए उत्साहित करता है यह मनुष्य के व्यक्तित्व का भौतिक और शारीरिक के अतिरिक्त जीवन के अन्य पहलुओं के विकास का साधन है अर्थात् धर्मनिरपेक्षवाद में वे सभी मानव विचार एवं क्रियाएँ आ जाती हैं जिनका दिना दैदी अथवा अदृश्य जटियों का सहारा निये मानव कल्याण प्राप्त करना लक्ष्य होता है।

धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य धर्म से पृथक् तथा असद्गत होता है। राज्य और धर्म—दोनों का अपना अलग-अलग देश होता है, व्यक्ति की नागरिकता धर्म पर आधारित नहीं होती है। इन उक्त जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए डी० ई० स्मिथ<sup>4</sup> ने अपने प्रश्नमनीय तथा अनुबोधक अध्ययन में धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवहार्य परिभाषा दी है। उनके अनुसार, "धर्मनिरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य है जो व्यक्तिगत व सामूहिक रूप में धार्मिक स्वतंत्रता की मुरदा करता है, व्यक्ति को किसी धार्मिक भेदभाव के बिना एक नागरिक के रूप में देखता है, सबैधानिक दृष्टि में किसी धर्म विशेष से असंयुक्त रहता है। यह किसी धर्म के प्रसार में महायक या बाधक नहीं होता। गूढ़ परीक्षण में यह देखा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा में तीन विभिन्न परतु अत सवधिन सवधों के स्नार—राज्य, धर्म और व्यक्ति—निहित हैं। सबधों के तीन गमूह हैं

1 धर्म और व्यक्ति (धर्म की स्वतन्त्रता)

2 राज्य और व्यक्ति (नागरिकता)

3 राज्य और धर्म (राज्य और धर्म का पृथक्करण)

धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में देखता है न कि किसी विशेष धार्मिक समूह के सदस्य के रूप में। नागरिकता वो शर्तों को निर्धारित करते समय धर्म अप्राप्तिगत होता है। अधिकार और कर्तव्य व्यक्ति के धार्मिक विवासों से प्रभावित नहीं होते। स्मिथ के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य की मूलभूत मान्यता यह होती है कि उसका धार्मिक मामलों से कोई लेना-देना नहीं होता है। इससे किसी भी प्रकार का विचलन युतियुक्त धर्मनिरपेक्ष आधारों पर अवश्य उचित होना चाहिए। स्मिथ भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा पूर्णतया आदर्श कही जा सकती है। जो सही अधों में अभी तक किसी भी देश में प्राप्त नहीं की जा सकती है। फिर भी इस परिभाषा को भी अपर्याप्तता की जानोचना का शिकार होना पड़ा है। अगर हम तीन मिट्ठातो, जो स्मिथ भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवहार्य परिभाषा में समाविष्ट होने हैं, पर विचार दरै—धर्म की स्वतंत्रता (व्यक्तिगत तथा सामूहिक), सवधों में समानता (राज्य की तटस्थिता) — तो हम पाते

है कि वे परस्पर सबल प्रदान करने वाले मिद्दातों के एक मुख्यवस्थित ममूह नहीं हैं, जिनके द्वारा कोई भी राजनीतिक व्यवस्था किस मात्रा तक बास्तविक रूप से धर्मनिरपेक्ष है हम निर्धारित कर सकते हैं। बल्कि वे सभवता अमरगत मिद्दातों के ममूह हैं जो निश्चित मिद्दियों में पश्चात्-विरोधी हो सकते हैं।<sup>३</sup> धर्मनिरपेक्षवाद के विद्वेषण में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का ज्ञान बहुत महत्व रखता है। धर्मनिरपेक्षीकरण का अभिप्राय धार्मिक मस्त्याओं में धर्मनिरपेक्ष निवायों में सत्ता के हस्तातरण से है। इसके व्यतिरिक्त और बन्नुनिष्ठ दो पहलू होते हैं। व्यतिरिक्त एहलू में सामारिक चीजों की समझ से धार्मिक जिन्न अनुभव और कल्पना का धीरे-धीरे गायब हो जाना शामिल होता है। जिनमें धर्म या तो एक स्वतंत्र जटिल के रूप में नहीं रह जाता है अथवा नोकोतर की सामान्य उपासना तक सीमित हो जाता है। परिणामतः नोग दैनिक जीवन के दायित्वों कायों और मस्त्याओं का अनुभव इस प्रकार बरते हैं कि उसका ईश्वर में कोई सबूप नहीं रह जाता है। धर्मनिरपेक्षीकरण के बन्नुनिष्ठ पहलू में वे प्रक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं जिनके द्वारा लोक जीवन से धार्मिक उपासनाओं मस्त्याओं और अनुष्ठानों को बाहर बर दिया जाता है—शिक्षा में विधि निर्माण में प्रशासन और सरकार में, अर्थात् सामान्य जन-जीवन के प्रमुख क्षेत्रों से धर्म को पृथक् बरने की प्रक्रिया बन्नुनिष्ठ पक्ष प्रस्तुत करती है। एम॰ एन॰ शीनिवास के अनुमार

धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द में अभिप्राय है कि जो पहले धार्मिक ममज्ञा जाना या अब दैवा नहीं है। इसका अभिप्राय विशिष्टीकरण की प्रक्रिया से भी है, जिसका यह भी परिणाम होता है कि समाज की विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, वैधिक और नैतिक पक्ष एक-दूसरे से मबद्दों में अधिक-मे-अधिक पृथक् होते जाते हैं। राज्य और भर्त के मध्य बनते तभा धर्मनिरपेक्ष राज्य की भारतीय अवधारणा—दोनों विशिष्टीकरण के अस्तित्व को अपनाते हैं। \*

बास्तव में धर्मनिरपेक्षीकरण आधुनिकीकरण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण महायक है। सज्जान वर बल वैज्ञानिक भावना वैयक्तिकता और व्यतिरिक्त सर्वमुनिकावाद विशिष्ट निष्ठा, जैसे—ज्ञाति, इन्ह—सबूप सेवा धर्म आदि से स्वतंत्रता दिखि वा ज्ञान, सफलता प्राप्त करने तथा उपभोग करने की मानसिकता आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षवाद की मूलभूत विशेषताएँ हैं। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समृद्धि राज्य, अर्थव्यवस्था विधि और समाज के अधिक-मे-अधिक क्षेत्र धर्म से तब तक पृथक् होते जाते हैं, जब तक कि धर्म प्रत्येक व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच गुदन निवारना नहीं बन जाता है। इसकी अवधारणा को भानी प्रकार ममज्ञने के लिए इसके राजनीतिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक है।

### राजनीतिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि

धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की आधुनिक उन्नति पश्चिमी यूरोप के मध्ययुग के बाद में नयों में मानी जा रही नी है। इमाई सम्प्रता में पूर्व धर्म और राज्य में कोई आर नहीं

किया जाता था। भर्दोच्च धार्मिक कार्यों के सम्बन्ध करने का दायित्व धर्मनिरपेक्ष शासकों पर होता था। भारत को छोड़कर लगभग सभी प्राचीन मध्यतांत्रों में पुजारी और शासक की महति सबत विशेषता रही है। ईसाई धर्म के उदय ने ऐसे नये प्रकार के सबधों को विकसित किया, जिसमें आदिकालीन विश्व अनभिज्ञ था तथा धर्म और राज्य की समस्या जिसका परिणाम थी।

यूनान रोम और फिलिस्तीन पश्चिमी स्ट्रॉन्ग के मूल्यों और सिद्धान्तों के उदयम स्थान हैं। यूनान और रोम ने जहा भूमीकालात्मक दृष्टिकोण, पर्यावरण विधियों राजनीतिक विद्वात, कानून और व्यवस्था-स्वाधीन नियम दिये हैं, वहीं पर फिलिस्तीन ने एकेश्वरवाद और ईश्वर के निर्देशनानुसार आचरण करने वाले नैतिक मानव के विचार प्रदान किये। इस प्रकार पश्चिमी परपरा वे तीन अवयव तत्त्व—विवार, अनुपालन और आस्था—से यूनान, रोम और फिलिस्तीन क्रमशः जुड़े हुए हैं। मानव विवेक की शक्ति में आस्था यूनानियों की प्रमुख विशेषता थी। उन्होंने हमेशा अपने नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोणों का युक्तियुक्त आधार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उनके मस्तिष्क तर्क प्रधान थे। मत्ता और ऐश्वर्य प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने मानसिक गतियों के विवास और उपभोग को अधिक महत्व दिया। प्रकृति के प्रति वे तर्कसंगत और सृजनात्मक दृष्टिकोण रखने थे। प्राचीन यूनान में तर्कशास्त्र, जटुविज्ञान वनस्पतिविज्ञान भौतिकी, ज्यामिति, सागोल, काव्यशास्त्र मनोविज्ञान भूगोल नीतिशास्त्र और राजनीति पर काफी कुछ लिखा गया। पश्चिम को बैदिक और नैतिक अनुशासन प्रदान करने का थेय यूनानियों को जाता है। उनकी व्यतिंगत प्रेरणा को स्वतंत्र रूप से कार्यशील होने देने में गहरी जास्ता थी। होमर, एसाइमन एरिस्टोफेन्स पेरीकलीज घूसीडाइडम लेटो और अरस्टू, पिडार, माइमोनाइडस ने विदेशीलता, पानवाद और नागरिक गुणों पर बल दिया। वे मानववाद के प्रतिनिधि हैं। वितु वे आदिवालीन ममाज वी कुरीनियों को दूर न कर सके। जहा वे अपनी स्वाधीनता के प्रति जागरूक थे वहीं वे भारी सम्ब्या में गुलाम बना रहे थे।

यूनान में एन्यूशीनियाई, डायनीमियाई और आर्कियाई मतों के बनिरिक्त होमरी धर्म प्रचलित था। समय यूनानी समाज ने कभी रहस्यात्मक धर्मों को स्वीकार नहीं किया। ये धर्म सदैव नगर्य और विदेशी माने जाते रहे। धर्मसचानन राज्य द्वारा अपने हितार्थ होता था। नागरिक वी हैमियन से प्रत्येक व्यक्ति को राज्य ने प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना एहता था। गार्हमूर्ति जीवन में उसे हमेज या अपोनों की पूजा करने वी स्वतन्त्रता थी। रहस्यात्मक धर्म चूकि अनिवार्यत व्यक्तिगत थे और राज्य की सत्ता की उपेक्षा करते थे, इसलिए उन्हे धर्म नहीं अधिविश्वास माना जाता था।<sup>7</sup> निश्चय ही यूनानी धर्म राजनीतिक और अरहस्यात्मक था।

यूनान के नगर-राज्यों वी उत्तरति धार्मिक थी। प्रत्येक राज्य ईश्वर का नगर था। सरकार वी गढ़ी को ईश्वर का मदिर समझा जाता था तथा उस ईश्वर की उपासना राज्य वी नागरिकता प्राप्त करने की पूर्व शर्त थी। लेटो के अनुमार “नगर राज्य राजनीतिक व्यवस्था से कुछ ज्यादा था यह धार्मिक सप्रदाय और नैतिक

समाज भी था।” प्लेटो की दृष्टि में आत्मा व्यक्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण अग है, उसका सबध्य शास्त्रवत् जगत से है, नश्वर जगत से नहीं। मृत्यु कोई चुराई नहीं है, शरीर-कारणागार से मुक्ति है, जिसके बाद आत्मा विचार-समार में पुनः पहुच जाती है, जिसके साथ पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले उसका नाता था। मानव का उद्देश्य परमात्मा के साथ यथासभव पूर्ण ऐक्य-स्थापना ही होना चाहिए। मुकरात ने प्लेटो की ‘रिप्लिक’ में आदर्श राष्ट्रमठल का वर्णन किया है हालांकि उस आदर्श के अनुरूप राज्य पृथ्वी पर कही नहीं है। किंतु जायद स्वर्ग में ऐसा कुछ है जो केवल उसे दीत सकता है जो देखना चाहे और देखने के बाद अपनी आत्मा में भी वैसा ही नगर बसाने का यत्न करे। ‘रिप्लिक’ में प्लेटो ने ईश्वर वी धारणा और नैतिक आचरण के नियमों को विश्लेषित किया है। प्लेटो ज्ञान को एक गुण मानता है किंतु ज्ञान चेतन जगत का ज्ञान नहीं, वरन् इसमें परे के अत्यत श्रेष्ठ जगत और परम यथार्थ का ज्ञान है। अरस्तु राजनीतिक सगठन को सर्वोन्नत मानता है जिसमें सभी तरह के सगठन मिलित हैं, जो नैतिक और सामाजिक सभी पहनुओं को नियमित करता है।

यूनान के नगर-राज्य के समान रोमक ‘सिविटाज’ भी धर्म और राज्य में कोई अतर नहीं करता था। रोम का साम्राज्य अपनी प्रजा की नियाह में ईश्वर का अवतार माना जाता था। राज्य की सदस्यता के लिए उसकी पूजा करने की परपरा थी। नैतिकता और धर्म का कार्य राज्य में निहित था। सभ्राट् में राजनीतिक और धार्मिक—दोनों शक्तिया निहित थीं। रोम के देवताओं की पूजा करना नापरिकों के नागरिक वर्तव्यों का आवश्यक भाग था।

जूडावादी परपरा में भी नैतिक मूल्यों का महत्त्व सर्वोपरि था। हिंदू समाज एक प्रकार का धार्मिक सगठन था। वे एक ईश्वर वी पूजा करते थे जिसे वे सभ्राट्, विद्यालय, न्यायाधीश और मुद्र में अपना नायक मानते थे। इत्तराइली राज्य वी धारणा में राज्य तथा उसके सरथानों का स्वरूप धर्मतत्त्वी था। वहा जब राजनीत्य ज्ञान स्थापित होना चाहतो राजाओं वो प्राचीन धर्मतत्त्वी परपराओं से जकड़ा हुआ दिखाया जाता था और उनकी शक्ति का मूल तथा प्रयोग दोनों ही पादरियों तथा पैगवरों द्वारा निर्धारित होता था, जिनके द्वारा ईश्वर की इच्छा अभिव्यक्त होती थी।

### ईसाई धर्म का उदय

यदि यूनान ने स्वतंत्र विचार-क्षमता को प्रोत्साहित किया और रोम ने काम करने का महत्व पैदा किया, तो इनिमीन ने सबेंगों को काम में लगाने वाला ईसाई धर्म यूरोप को प्रदान किया। ईसाई धर्म ने रहस्यात्मकता को प्रोत्साहित किया, आशा का मिदात प्रचारित किया। उसकी पूजा विधि आदर्श थी। उसकी शिक्षा थी कि ईश्वर वी दृष्टि में दास और सभ्राट् समान हैं। उसने भानृन्त्र प्रेष, वापा जानि, दया, अहिंसा और माहृनर्य वो महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। इस धर्म ने शोध ही यूनानी दर्शन को भी अपना लिया। आरभ से ही ईसाई धर्म ने आधारभूत दृष्टात्मकता की मान्यता और शिक्षा दी। मेट मार्क

के गांधीवल्मीमे तिथा हुआ है कि ईमा ने उपदेश देने हुए बहा था 'नौकिक वानों में गजा का और पारनीकिक वानों में परमान्मा की आज्ञा का पालन करा । वाम्बव में इस वाक्य में प्रश्वमह के निहित था । इसका अभिप्राय राज्य के क्षेत्र में समाज के क्षेत्र को पृथक् करना था । इसमें दो साप्तयों का मिदान अनर्निहित था—नौकिक जो वर्वन राज्य में निहित है आश्चर्यान्मिक जिम पर चर्च का प्राप्तिकार है ।' राज्य की मना वैधिक मना के रूप में समझी गयी तिमम आनुषगिर्ह नैनिक और धार्मिक कार्य मम्भनित थे जबकि चर्च की मना मुख्यतः धार्मिक के माथ-माथ जैशिक और सामृतिक भी थी ।

आरभ में ईमार्ड धर्म के दिन बड़े महारूपी बीत । नगभग नीन शताब्दिया तक उन्हे अपराधी आगजनी करन वाले विधि विद्वानों भावित्यिह चोरी करन वाले तुटे और मानवता के दुर्मन समझा जाना रहा । उन्ह नामित अगजनतावादी और यहा तक कि देशद्वारी माना जाना रहा । कई को तो भूष गेगा के ममन दाख दिया गया अनक तरह की यातनाएँ दी गयी तुछ को भौत वे घाट उनार दिया गया । नीरा के ममय में चर्चों को अवैध पोषित कर दिया गया उनकी मपनि को जब्ल कर निया गया उनकी बैठकों पर मनाही भगा दी गयी तथा अनक प्रकार म उन्हींनित किया गया ।

उन्हींनित के बाबजूद ईमार्ड धर्म का विकास नहीं रखा बल्कि शैशवावस्था का ईमार्ड जगत मजबूत होता चला गया । मन 311 म काल्पेटाइन न महित्युता की गजाज्ञा इस शर्त के माथ जारी किया कि अनुशासन के विश्व ईमार्डपा द्वारा कुछ नहीं किया जायगा । एक वर्ष बाद काल्पेटाइन और रिमिवियम में युगुणतरकारी मिलान की गजाज्ञा जारी करके बहुत बड़ा कदम उठाया जा शायद परिम एवं धार्मिक स्वतंत्रता का प्रथम चार्टर था । इसम व्यवस्था थी कि इसी के उपासना की स्वतंत्रता की मनाही नहीं होगी बल्कि अपनी इच्छानुसार धार्मिक मामला का प्रवध करन के लिए प्रयत्न चयनि स्वतंत्र होगा । ईमार्ड धर्म पर लग सभी प्रतिवध द्वारा दिय गय । जो ईमार्ड धर्म अपनान की इच्छा रखता था विना किसी वाप्त के अपना सरना था । काल्पेटाइन के ममय में ही ईमार्ड धर्म का राज्य की मान्यता प्राप्त हो गयी और वियोडामियम (379-95) के जामनशाल में वह साक्षात्क्य का मर्वमान्य धर्म हो गया । नवाभान् वह धर्म जो कभी उन्हींनित रहा किर महन किया गया तमाभ्रत वगवर्णी का दर्जा दिया गया अनन विजयी होकर अपन विग्रही पथा के उन्हींनित करन लगा । काउमिन मध्यपर्मिया को धर्मच्युत होन के अपराध में दहित करन लगी । वधुमम प्रम की गिधा के स्थान पर अगनी भीन शताब्दिया में मुगलठिन प्रभुता के बधन की स्थानता हो गयी तिमम शारीरिक दह दन का विधान भी जामिन था । यह प्रभुता धार्मिक विद्वाम के अन्य श्या के प्रति असहित्य थी । मन 346 म राज्य न गैर ईमार्ड मदिरों को बद करन का आदेश दिया तथा अन्य दवलाओं को बलि चढ़ाने पर भूत्युद्ध की व्यवस्था कर दी । शाश्वत शर्त के धार्मिक मामलों में भी इम्पेंट रखना था । ईमार्ड धर्म की आदिराजीन मरनता और पवित्रता नहीं हो सकी और उमम जटिलता और बहुतां आ गयी । यह अब एह विगुद धार्मिक आदोनन नहीं रहा बल्कि एह धार्मिक गजनीतिह शक्ति बन गया । भाग चरकर पोपजाही को जन्म दिया तथा चर्च न एह अवन रहीहून और गिमराम्पमी

मगठन का विश्वास दिया। यह प्राच्यान्मिक क्षेत्र को नीतिक्षेत्र में बदल देकर यूनानी दर्शन के इस मिदान—मनुष्य जीवन ममता मूल्यों की प्राप्ति राज्य की मदस्यता द्वारा ही कर सकता है—को अड़ पर आधार बनता है। वह व्यक्ति को नगर अथवा धर्म राज्य की नीतिक एकता भूमिका लेता है और उस एक एक ममात्र के सबूत में रख देता है जो कि उसम उपर है। यह अधिक प्रारम्भिक और वस्त्र व्यक्तिगत ममात्र के द्वारे और उस मनोवैज्ञानिक एकता का द्वारा है जिसक द्वारा प्रारम्भिक ममात्र दृढ़ और स्थिर बने रहे थे भले ही वे भावव न हो।<sup>9</sup>

धीर धीर हमार्ड धर्मानुयायी भद्रवादी विवादों में उलझन नह। ब्रिटिश व अभिनाशम मार्गेनिम न लिखा है—

ममात्र बाल्मीरियम द्वितीय के शामन के प्रारम्भ में हमार्ड धर्म विशुद्ध एवं भरतव्य किन्तु उसने अधिकारामा में उस गड़मटु कर दिया। धर्म सबूतों तक पिनर्व में उमड़ी रचि अधिक थी और अनुरूपता बनाय रखने के उल्लङ्घायित्व की भावना वस्त्र फलन अनकानक भिनताएँ पैदा हुई। विभिन्न रूपे शास्त्रार्थ आयोजित करके वह आग में थी जानता रहता था।<sup>10</sup>

गज आगम्टीन र अनुसार मानव ममात्र गृह्णी पर स्वर्ग का सर्वांत राज्य है जिसम जा दिए शाश्वत विधि में मन नहीं भानी वह मही मान में विधि नहीं है। इसी म वाद म मार्वभीमिकतावाद तथा हमार्ड राजन वीं एकता का मिदान विकसित हुआ। हमार्ड धर्म क गत्य का प्रमेणिति ता जानक वाद भी जर्न के पादर जैम आगम्टीन और पोते गैलाशियम प्रथम नागरिक और धार्मिक मनों की दूपान्मवता पर जोर देत रहे। गैलाशियम न दा मनवाग का मिदान दिया। जिसने उसने ममात्र का दाहरा मगठन प्रतिपादित दिया—गज धर्म पर आधारित जिसका नियत्रण धार्मिक अधिकारियों के हाथ म हो नया दूसरा नीतिक वाद पर आधारित जा नीतिक अथवा नागरिक शक्तियों के खेत्र के अनर्थन है। इन्तु यह मिदान पूर्णत ममानना पर आधारित नहीं था।

पाप गैलाशियम प्रथम न मध्राट आगम्टीशियम वो लिखा था ‘महान मध्राद इस ममात्र पर दा शक्तिया—विशेषण तथा राजाओ—का शामन है। इन दोनों में पादरियों का उल्लङ्घायित्व अधिक भागी है क्योंकि उन्ह स्वयं राजाओं के बायों के लिए भी ईदवर को हिमाव दना है।

मध्राटारीन चिनन का कड़ बिंदु या कि दोनों शक्तियों वो राज्य के अद्वार जैम सनुनिन दिया जाय। राजा और पोते अधिकारों के बीच विरोध वापी लवे समय तक जनना रहा और कासी व्यापक था। बस्तुत यह दो नगर के उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हुए दो नगर व पदों की मना के बीच पारम्परिक मामजस्य न्यायित करने का प्रयत्न था। यह मूल्यन गज राज्य बनाय जाने की ममता नहीं थी जैसा कि आपुनिक भाषा म बटी महजना म कह दिया जाता है बल्कि यह अनवन गज रेस्पब्लिका क्रिस्चियना (Respublica Christiana) क अद्वार थी। निश्चय ही आरम्भ में इस रेग्नम (Regnum) और सेवरडोटम (Sacerdotium) के मध्य विरोध बहा गया यद्यपि आगे चलवर रेग्नम

को राज्य और मैसरडोटम को चर्चे कहा जाने लगा किंतु मध्यवालीन चिनत म इन्हे कभी दो पूर्णतया अलग ममाज के रूप मे नहीं देखा गया अथवा आस्तिकों के उम कौमनवेल्प के माचे मे जिमहे भिन्न-भिन्न उद्देश्यों को ये अलग-अलग पूरा करने थे कभी अलग करके नहीं देखा गया ।<sup>11</sup> इम प्रकार मास्त्राज्य और चर्चे विभिन्न मदम्यता रमन बाले दो अलग-अलग ममाज नहीं थे । यह एक ही रेस्प्रिन्टका क्रितिक्याना था जिसम चर्चे का सदस्य होना और नागरिक होना एवं ही बात थी ।

शति के लिए पोष के समर्थकों और मास्त्राज्यवादियों द्वारा परम्पर विरोधी दावे किये जा रहे थे । दो शतिया (तलबारा) के मौलिक विचार को मणोधित बरने हुए पोष के समर्थकों ने उम बात पर बल दिया कि आरभ म सभी तरह की मना ईश्वर ने चर्चे का दिया था आध्यात्मिक शति को अपने पाम रखन हुआ चर्चे न लौकिक शति को राज्य को निष्पादित करने के लिए दे दिया । किंतु मूलत और अनलोगत्वा सभी प्रवार की लौकिक शतियों वा स्वामिन्व चर्चे के पास है । दूसरी तरफ मास्त्राज्यवादी उम बात पर बल दे रहे थे कि दोनों प्रकार वी शतिया—धार्मिक और लौकिक—ईश्वर ने सीधे राज्य और चर्चे को प्रदान किया । राजनीतिक महत्वावादी रमन बाले शासकों ने राष्ट्रीय स्वायत्तता का दावा विद्या तथा पोष की मत्ता को सभी देशों म नहीं स्वीकार किया । लौकिक और पारलौकिक सत्ताओं का समर्थ धीरे-धीरे व्यापक होने लगा । सन 800 मे पोष ने शार्लमेन को पवित्र रोमन मास्त्राज्य का राजा बनाया । इम अधीनता के भाव को दूर करने के लिए उगने अपने पुत्र की स्वयं उत्तराधिकारी नियुक्त किया ।

लौकिक और पारलौकिक सत्ताओं की मुठभइ नवी शताब्दी म हुई जब पोष निकोनम प्रथम ने लौरेन व राजा को अपनी एग्नित्ता स्त्री का फिर म स्वीकार बरन पर विवर किया । यद्यम ज्यादा नाटकीय स्थान पर थे गरी मणम और मस्त्रान चतुर्थ व बीच, धर्म सप्त के पढ़ो पर अभियेक को लेकर हुआ था । धर्म इतिहासित के परिणामस्वरूप मिहासन भो वैठन के भय के कारण हेनरी चतुर्थ को पोष के मामने झुकना पड़ा मस्त्राट को पोष ने अपने द्वार पर तीन दिन तक बढ़ावे की बर्द म पड़ा रहने और नाव रगड़ने के लिए विवश कर दिया । इम प्रकार पोष ईसाई मत के मानव बाली दुनिया वा सर्वप्रभु बन गया था । आगे चलकर धर्म युद्धों तथा वाजिन्य की बृद्धि के द्वारा उत्पन्न हुई परिमितियों मे एक नवीन राजनीतिक तथा बैद्धिक ममार वा निषण हुआ । विभिन्न राज्यों की अधिकाश जनता मे आमनिर्भरता तथा दशभति वी एवं नवीन और मज्दी भावना उभरने लगी । माधववादी राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य स्थापित होने लग । राजाओं ने मामनो की शक्ति को बुचनकर प्रबा पर भीषण आरना आधिगण्य जमा किया जिसमे उनके विस्तृद इमेमाल विद्या जाने वाला विद्वेषी मामनो का अम्ब पोष के हाथ म निकल गया । इम नवीन ममार म पोषमाही व प्रति दृष्टिकोण मे एक भारी परिवर्तन हुआ । पोष चोरीपेम और मवे लुई मे जब मध्य की भूमि को बर से मुक्त करने के प्रश्न पर झागड़ा चना तो पोष को हार माननी गई । इसके बाद पोष की शति घटनी गयी और राज्य का प्रभुन्व बड़ना गया । नि खदह मध्यवाल मे कुछ लेखहो न जैम भारमिनिया आदि ने धर्म के पालन म दबाव न प्रयाग करने के पक्ष मे तर्क दिया । उक्से राज्य की

लौकिक शक्तियों को मुक्तियुक्तता प्रदान करने का प्रयास किया। अपनी पुस्तक 'डिफेन्सर पारिस में धर्मनिरपेक्ष मरकार का मिडाल प्रतिपादित किया तथा पोष विशेष आदि के बल प्रयोग के अधिकार अथवा नियेधादेश अथवा बहिष्कृति के अधिकार को अस्वीकार किया। उमका मानना था कि कानून अपनी सत्ता गट्टे में प्राप्त करती है तथा विना उमकी स्वीकृति के अवैध होगी। उमने कहा कि नागरिकों के अधिकार उमके धर्म से स्वतंत्र होने हैं तथा विनी भी व्यक्ति को उमके धर्म के लिए उम सज्जा नहीं दी जानी चाहिए। किन्तु उसकी बातों की तरफ उम समय बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया। मध्ययुग में धर्मशास्त्र का बोलबाला था। ईमाई धर्म में आनंदिक एकता थी।

## पुनर्जागरण और धार्मिक सुधार

रोमन वैथोनिक चर्च की सत्ता को सबसे बड़ा आशात् पुनर्जागरण और धार्मिक सुधार से पहुंचा। यूरोप में पुनर्जागरण के परिणाम थे—मानववाद प्राकृतिक विज्ञानों का उदय नयी दुनिया की ओज़ और धर्म-मुपार। अनेक विचारक मानवदारी दृष्टिकोण के हाथी थे। किन्तु उसकी स्त्रियों और माझदायिकना के बठोर आलोचक थे। वे व्यक्ति के अधिकारों तथा स्वतंत्र निर्भय तर्कपद्धति पर जोर देते थे। यूनानी बला के प्रति नयी सच चाही। इस युग के अनेक महान् चित्रकारों की दुनिया अमर हो गयी। मुद्रणपत्र के आविष्कार से ज्ञान के प्रमाण से निश्चित योग मिला। जिसने एक नवीन तार्किक प्रवृत्ति को जन्म दिया जो भोलहवी शताब्दी के प्रोटेस्टेंट धार्मिक सुधार के लिए उत्तरदायी थी। पोष की दर नकारने की नीति समान के प्रति चर्च की जानकारी पाइरियों की भ्रुता और अनुग्रह के कारण लोगों में अमतोष पैलने लगा। चर्च के उपदेश विधियों और नीतियों के प्रति भी धार्मिक अशानि और अमतोष के लालच औलहवी शताब्दी में प्रकट हीने लगे थे। जिनेष्ट करने वालों का दिल्ली किया गया चुल्हे वो तो जला दिया गया। मुद्रणपत्र के आविष्कार के पश्चात् बाइबिल हवारों पाठकों के हाथ तक पहुंची जिसमें लोग उसके विभिन्न विषयों में अलग अलग निष्कर्ष निकालने लगे। लूथर के नेतृत्व में एक आदोनन जला जिसकी दोषणा थी—मानव अपने बाईरों से नहीं अपिनु धर्म से ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है मझी धर्मात्मा पुजारी है पुजारियों को विवाह की आज्ञा मिलनी चाहिए निजी प्रार्थना मध्यांत्रों का अन होना चाहिए पोष वस्तुत ईमाई धर्म विरोधी है। लूथर के आदोनन ने राष्ट्रीय भाइना करे बदाया। यूरोप के अनेक भागों में राष्ट्रीय चर्च स्थापित हुआ। जान बैल्विन मध्ययुग को अंगान का युग मानना था, पोरों के मिडाल मन्जे धर्म के दूषित परिवर्श थे। साथ ही बैल्विन और उसके शिष्यों ने यह शिखा दी कि चर्च को राज्य पर अधिकार और उनके मदमयों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यद्यपि तूपर, बैल्विन जिवनी आदि मुग्धरवादियों ने चर्च राज्य के लिए कोई धर्मनिरपेक्ष मिडाल प्रतिपादित नहीं किय तिर भी इनके विचारों का परिणाम यह हुआ कि मध्यवालीन रिपब्लिका क्रिश्चियाना छवन्न हो गयी और अनेक स्वतंत्र राज्य मत्ता में आये। साथ ही मूपार में अमिश्युना का एक नया युग भी आरभ हुआ। वैथोनिक और प्रोटेस्टेंट एक-दूसरे से

टकराये। प्रोटेस्टेंट और वैयोलिक दोनों प्रकार के शामक अपनी धार्मिक निष्ठा का प्रज्ञा में पूर्ण अनुपालन पर बन देने लगे। स्वैदिनेविद्या अवार्त्ता डेनमार्क नार्वे और स्वीडन के जामकों ने लूथर के धर्म को रोमन वैयोलिक धर्म के समवद्ध स्वीकार किया। इस पर रोमन वैयोलिकों ने विद्रोह किया। अत मे स्वैदिनेविद्या के देशों की सम्भागों ने लूथर के प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना राजधर्म मान लिया। मन् 1558 मे रानी इनिजावय (प्रथम) ने इस्लैम के चर्च की स्थापना की और उसे राजकीय चर्च घोषित किया। यह चर्च भी प्रोटेस्टेंट था जिन्होंने रोमन वैयोलिक धर्म के मिदानों से इतना भिन्न नहीं था जिनने विअन्य देशों के प्रोटेस्टेंट धर्म।

पढ़हवी शताब्दी के मध्य मे योलहवी शताब्दी के अन्तिम भाग तक यूरोप मे जिनने विशाल परिवर्तन हुए। उनने रिएने हजार वर्षों मे नहीं हुआ थे। यूरोपीय समाज की गण्डीयता, आर्थिक जाति, विदेशी व्यापार जौज आदि अनेक दिशाओं म विशाल वृद्धि हुई और माय-मध्य धार्मिक सत्ता—जिमका वार्य था मामाजिक जीवन की अनगढ शक्तियों को एक व्यवस्थित समूहति वा रूप देना—अन्यथिक कीण होकर विमरण लगी।

### आधुनिक धर्मनिरपेक्ष चितन

धार्मिक भुग्गार आदोनन के बाद भी अन्याचार करना जनाना मनाना और बहिष्करन करना चलता रहा। यद्यपि प्रत्येक भगत के प्रोटेस्टेंट पोप की महत्वाकांक्षाओं का बदलन बरने के लिए मनुक हो गये थे तथापि के इस विषय मे कि किस व्यक्ति अथवा मगठन की धार्मिक विश्वास और व्यवहारों पर प्राप्तिकार प्राप्त होना चाहिए अमहमन थ। अल्पमस्त्यकों के प्रति सहिष्णुना को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। सहिष्णुना के स्वर को अधिकाशन दुष्टनापूर्ण महिलाओं माना जाता रहा। मध्य-मध्य पर अनक नम्रता एवं विचारकों ने असहिष्णुना के दुर्ग को ढहाने म बहुत बड़ी भूमिका निभायी। मालहवी शताब्दी मे रार्ट व्हाउन और विलियम मार्टिनेट न मनुष्य के विश्वास की उपाय करने उसे प्रताडित बरने की प्रवृत्ति की पोर निर्दा वी थी। पहल वैटिस्ट्स म म बुझा और रिवर्म ने भी धर्म के नाम पर प्रताडनाएँ देने की वास्तविकता को सहित किया था। अमरीका मे राजग विलियम और इग्नैट भे मिन्टन न भी इस प्रताडना क वैनिक औचित्य और राजनीतिक उपादेशों का धोर मार्डन और विरोध किया था। यही नहीं पादिरियों मे मे हेन्च और टेलर ने एक मध्यान जनों मे म विलिनवर्य न जहा पृणा और विरम्भार पर आपत्तिर धर्म को ईगामसीह की शिखा के विपरीत कहा था। उम्ही भूली भर्मना वी, वही मार्वेन ने इसे राज्य की जाकिं और एकता के लिए घानक बहवर निर्दित किया। हानैट की धार्मिक स्वतन्त्रता बहुत ही मरीजी थी फिर भी वह निष्वार ही पूर्ण स्वतन्त्र था। रहोह छीर, पेन्मिल्वेनिया, माउथ ऐरोबिना और मेस्मे बुग्दम ने नव प्रयोग प्रारंभ कर दिये थे। महिष्णुना का एक अपेक्षाकृत अधिक भग्नान और प्रभावशानी भर्मर्थक विलियम पैन था। उमने वहा कि कोई भी मनुष्य धार्यना करने के लिए इसी भी छोटे गिरज म जा सकता है, उमने लिए लड़े ये जाता अनिकार्य भट्टी है। इस इस प्रवार भी कुछ व्यापारियम

रहकर धर्म का निर्वाह कर सकता है।

सबहवी शताब्दी के दौरान सप्रभुना के मिद्दान ने बाह्य धार्मिक सत्ता में गाढ़-राज्यों की स्वतंत्रता को निवित कर दिया। यांमस हाल्म वह विचारक था, जिसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेकियान (1651) में धर्मनिरपेक्ष सप्रभु राज्य में मवधिन बहुत ही मौलिक और सुमण्णत मिद्दान प्रतिपादित किया। चर्च और राज्य से मवधिन रचनाओं में लेकियन आगम्टीन के और मध्यवासीन परपरगाओं से एकदम भिन्न है। हाल्म दो तत्त्वदारों के मिद्दान को न बेचते दिल्लीन नवार देता है बल्कि उसके स्थान पर वह शतिजाली लेकियन धर्मनिरपेक्ष शासक को स्थापित कर देता है जो एक हाथ में तो सप्रभु राज्य की शक्ति रखता है और दूसरे हाथ में राष्ट्रीय चर्च की पुणोहिती छड़ी धारण किये रहता है। हाल्म न धर्म को राज्य के विभाग का एक अंग मानता है और उसने स्टुअर्ट राजाओं और इंग्लैंड के उसी दृष्टि के माय प्रतिष्ठित बरने का प्रयत्न किया है। जहा नह राज्य में मवधिन धर्म के स्थान का गवाह था इन सबै ये अधिकार लेनक चर्च को राजधर्म के स्थान के स्थापित करने के पश्च भवे जिसका वार्ष था—सार्वजनिक धर्मसभा पर एक भमान धर्मानुष्ठान सप्तत बरना और भनायदी अधुक्तिक अथवा अद्यविश्वास पर आधारित मिद्दानों के बजाय विवेक के प्रयोग की शिक्षा देना दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो चर्च को राज्य में अलग बरने के पश्च में थे। वे भानते थे कि ईमाई धर्म का सबै मर्वप्रथम मुख्यत मनुष्य की आत्मिक पवित्रता में है। इन दो अनिष्ट यस्थितियों में मामजन्म्य स्थापित बरने का प्रयत्न ज्ञान लाक ने किया। जो लोग यहाँ तक कि इंस्लैम की उदारत्यों चर्च के माय भेल में नहीं रह सकते थे तामे अमहमति व्यक्त करने वालों के लिए लाल ने पिपिर महिल्लाना का समर्थन किया। यह इस बात को नहीं भागता कि जिसी भी धर्म-जारक सरकार की भता का काई गजनीतिक भट्टख भी हो सकता है। उसके अनुमार चर्च उम मध्य वे विचारों के विरोध में प्रमुक होती है। इमीनिए वह चर्च को एमी मध्या के स्थान दिल्लीकरण करता है। जिसकी मदस्यता स्वेच्छा पर आधारित होनी चाहिए क्याकि विना उसके मदमध्य उसके कुशभादों में नहीं बचाये जा सकेंगे। चर्च स्वतंत्र रूप में अपने न्यौहारों को भनान के लिए स्वतंत्र तो ही मक्ती है किन्तु वह अपने मदस्यों में से जिसी पर उन न्यौहारों को आरोपित नहीं कर सकती। यही नहीं चूकि स्वयं इंडियन के विचारों के अनुमार प्रनाडना दना अन्याय और अमण्णत है इसलिए चर्च की नियतिन जगति बेचते धार्मिक भीनाओं तक ही सीमित रहती चाहिए। हम महिल्लाना के लाभों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। महिल्लाना का प्रथम शिख वह उदारता है, जिसके लिए जिसी भी प्रवार मवधी ईमानदारी मध्य नहीं हो सकती।<sup>12</sup>

अठारहवी शताब्दी में प्रदोधन ने स्पष्ट में पुणोहित विरोधी अशोलन ने यूरोप के धर्म निरपेक्षराज्य की प्रतिक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बदा थी। भोलहवी और मध्यवी शताब्दी में वैज्ञानिक आदोलन ने मानव-मस्तिष्क को उजागर कर दिया था तथा दर्शन और धर्म को अन्यत्र प्राप्तावित किया था। धीरे-धीरे दृष्टिशीण का देव ईश्वर एवं बजाय भानव हो गया। आपुनिक दर्शन अधिकाधिक धर्मनिरपेक्ष होता गया। अन्यत

मिदात प्रतिपादित किया। उसके विचारों ने दार्शनिक उपर्युक्त मुधारवाद का आधार तैयार किया और विकटोरिया कानून के महत्त्वपूर्ण मुधारी बोकासी हद तक प्रभावित किया। उसने विधिक प्रत्यक्षवाद के सिद्धात का समर्थन किया। उसने कहा कि अधिकार और कर्तव्य अभिमयों द्वारा निर्मित होते हैं तथा विधियों और नियमों द्वारा गुणों को निर्धारित करने का मूल मापदण्ड उपयोगिता होनी चाहिए— अधिकाधिक मनुष्यों की अधिकतम प्रभवनता।

उनीमवी शताब्दी के दौरान धर्म को सबसे बड़ी चुनौती उदारवाद द्वारा दी गयी। धर्म पर आरोप लगाया जा रहा था कि वह निरकृश मरकारों को मजबूती प्रदान कर रहा है और वैज्ञानिक नितन को पुष्टि प्रदान कर रहा है। इस युग में तीव्र औद्योगिकरण अत्यधिक तर्जी से नगरीवर्षण द्वारा बढ़ावा दे रहा था जिसने धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को अत्यधिक सहायता पहुंचायी। वैज्ञानिक बोओ द्वारा उत्पन्न वीर गयी गभीर वौद्धिक समस्याओं में धर्म को मुकाबला करना पड़ रहा था। आधुनिक उदारवाद ने धर्मनिरपेक्षीकरण में अत्यधिक सहायता पहुंचायी। इसके मुख्य मिदात थे— प्रकृति के सबध में प्रन्यात नैतिक निर्देशन का अभाव मना के ऊपर स्वतंत्रता को बरीचता, राजनीति का धर्म निरपेक्षीकरण मरकारों के सविधानों और विधि के सिद्धातों वा विकास जा कि मरकार की सीमाओं और साकार के विरुद्ध नायरिकों के अधिकारों को स्थापित करते हैं। उदारवाद वैज्ञानिक और गैर व्यार्थिक भावना के काफी नजदीक रहा है। इसका मानना है कि मनुष्य अपने जीवन और वातावरण को नियंत्रित कर सकता है। उदारवादी ज्ञान को पूर्णत धर्मनिरपेक्ष मानत है। उनका मानना है कि मनुष्य को महिष्यु होना चाहिए और अपने विद्वामों तथा कार्यों के प्रति महिष्युता को उन्नीद करना चाहिए। वश्वर्ते जि य दूसरों के अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। प्रभिद्व उदारवादी वाल्टेयर न कहा था श्रीमान जी आप जो कह रहे हैं उसमें मैं महसून नहीं हूँ जितु इस वहन के आपके अधिकार की मैं मरते दम तक सुरक्षा करूँगा। प्रभिद्व उदारवादी राजनीतिक दार्शनिक जे एम मिन जिसने होल्योक के मिदानों को स्वीकृति प्रदान की इस सिद्धात का समर्थन किया कि वेवल आत्मरक्षा को छोड़कर समाज अनिच्छुक व्यनिया के विरुद्ध वर का प्रयाग नहीं कर सकता। विधि स्वतंत्रता और अधिकारों के सबध में उनकी कृतियों में उदारवादी चितन के उत्कृष्ट वर्णन मिलते हैं।

उद्धीमवी शताब्दी में मानववाद का धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। इटनी के पुनर्जागरण— जो बाद में मारे पूरोप में व्याप्त हुआ— की महत्त्वपूर्ण विशेषता मानववाद रही है। इस बात पर बल दिया गया कि मानव ही महत्त्वपूर्ण है मद्गुणों की सान है, जिन्हि लक्ष्यों और बोओ का स्रोत है और कमात्मक, नैतिक तथा राजनीतिक अभिव्यक्ति वा मूलनत्त्व व्यक्ति के स्वयं के द्वारे में तथा ईश्वर और प्रकृति की वृत्तियाँ ज्ञान में मानवीय अनुभव ही प्रयम तत्त्व है। मिथक और धर्म द्वारा दी गयी अधूरी और भास्त्र व्याख्या के स्थान पर वह माना गया कि ज्ञान वा एक मात्र स्रोत वैज्ञानिक पद्धति है तथा वेवल प्राकृतिक और मानव विज्ञान ही बहुआठ तथा मानव-जीवन वी व्यापक विवर्पूर्ण व्याख्या द मान है। (और आगे चलकर देये)।

जर्मनी म डार्विनवाद वा पश्चात्र हुआ। प्रहृतिवादी पूर्व निश्चयवाद पर विद्वास किया जाने लगा और यह माना जाने लगा कि मस्तिष्क विचार और मूल्य एक बद भौतिक प्रणाली के, जो पूर्वनिश्चय मुद्रुड़ नियमों के अनुमार परिचालित है उत्पादन है। मार्क्स के द्वात्मक भौतिकवाद के विकास मे यह गारिक भौतिकवाद महायक रहा। मार्क्स ने मामानिक विद्वन्यपथ मे वैज्ञानिक विधि वा प्रयोग किया। उसने इतिहास को एक भौतिक प्रक्रिया माना। उसके अनुमार मानव भौतिक आवश्यकताओ वर्ग-स्वार्थी और अपरिं-अधिकारी का प्रतिफल है। मार्क्स का मानवा या वि-व्यक्ति धर्म वा निर्माण वरता है न कि धर्म आदमी का। दूसरे जब्दो म धर्म उस आदमी की आत्म बेननना और आत्मानुभव है, जिसे या तो अभी अपने वारे म जान नही है या पहले ही परने को भल गया है। धार्मिक व्यष्टि एक ही साथ वास्तविक व्यष्टि वी जनित्यनि है और वास्तविक व्यष्टि के चिनाक विरोध भी है। धर्म उन्मीठित मनुष्य की आह है एक हृदयविहीन जगत का हृदय है जैसेकि यह मानवाविहीन अवस्था की भावना है। यह लोगो की अपील है। लोगो की वास्तविक शुश्री क लिए एक भासक शुश्री के रूप मे व्याप्त धर्म को समाप्त किया जाना आपेक्षित है।<sup>13</sup>

अठारहवीं शताब्दी के अतिथ दो दशकों के दौरान धर्म और राज्य की पृथक्का के मिहात पो अमेरिका मे काफी व्यापक स्वीकृति मिली। डानियारियो के लिए लाक वी हनिया बाइबिल हा गयी थी। इन काल म इति वी प्रगति पर विवेकवाद और (प्रबोधन) बुद्धिवाद का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जम्म मैडीसन और थाम्म जफर्नन राज्य तथा धर्म के गृथकरण के चैपियन रहे। उन लोगो ने धार्मिक समुदायो के मनाघह और धर्मोन्माद वी कठु आनोखना की। बिल आफ राइट्स (1791) पहला एस्या अधिनियम या जिसन यह माना कि धार्मिक बहुलवाद अपन आप म प्रलयक रूप म उचित है।

सयुक्त राज्य अमेरिका के मविधान के प्रथम मजोधन म दी गयी धर्म की स्वतन्त्रता के दो अस हैं—(1) राज्य धर्म के स्वतन्त्र आचरण म बाधा नही डालेगा (2) राज्य किमी धर्म को किमी भी प्रकार वी महायना या अबलव नही दिगा। पहले अग म दो अवधारणाए मस्तिष्कित हैं—विद्वास वरने को स्वतन्त्रता और काय करन वी स्वतन्त्रता दरम अधिकार है किन्तु व्यवहार की स्वतन्त्रता का विभागिता और न्यायपालिका न समाज व सरकार क लिए समय-समय पर विनियमन किया है। इस प्रवार उच्चतम न्यायपालिय न बहुपालोत्व प्रणा क चिरदृ भयोपय विधि को वैध घासित किया और इन चीजों का वि-यह धार्मिक स्वतन्त्रता का हनन करता है नकार दिया।<sup>14</sup> धार्मिक स्वतन्त्रता म गिरजाधार म जहरील साप का प्रदर्शन मस्तिष्कित है कि दाव वा भी न्यायालय न तुकरा दिया।<sup>15</sup> राज्य किमी मार्वेनिस पद के लिए ईश्वर म विद्वास की प्राप्ति की जर्न नही नया गठन।<sup>16</sup> गरज़ दो अपन दलों को पञ्चक मूल म भजन ह विद्वा बाध्य नही किया जा सकता। और न ही बच्चा का आदम दर्ते म ऊपर पढ़न क लिए बाध्य किया जा सकता है। अगर उनकी अनिवार्य उपस्थिति उनक धार्मिक विद्वासों की अवहनना रखना है।<sup>17</sup> यह तक कि न्यायालय न धार्मिक स्वतन्त्रता क नाम पर एम विद्वासों वा मरण प्रदान किया है विद्वा राजनीतिक व्यवस्था क बहुमत्वक लाग शुशिर मानन है। जहावाह विट्टनमज़ क द्वारा

आपत्ति उठाने पर राज्य की इस अपेक्षा को कि सभी सार्वजनिक विद्वालयों के बच्चों द्वारा झड़े वा अभिवादन किया जाना आवश्यक है अवैधानिक धारित कर दिया।<sup>20</sup> इस प्रकार अमेरिका भे विशेषकर गह मुद्र के बाद मध्यमिक महिलाएँ वा पालन द्वारे देशों के लिए स्पृहणीय रहा है।

राज्य किसी धर्म को किसी भी प्रकार वी महायता नहीं देता अर्थात् धर्म और राज्य के पृथक्करण के मवधि में न्यायालय के मध्ये दो लग्ज़ के मत आते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सविधान सरकार द्वारा धर्म को किसी प्रकार वी महायता अथवा मान्यता देने से नियन्त्रित करता है दूसरी तरफ कुछ लोग यह मानते हैं कि सरकार द्वारा कुछ किया जाना न करने सवैधानिक है अपिनु विशिष्ट स्वप्न में वाढ़नीय है सरकार का कर्तव्य है। परिणामतः अमरीका वी न्यायालय के लिए इन दोनों दृष्टिकोणों के मध्य समन्वय स्वापित करना टही भीर रहा है। न्यायालय न जफर्मन भड़ीमन द्वारा प्रतिपादित मिहात पृथक्करण की दीवार को आधार बनाया है नज़ अपन निर्णयों में उम्र बरगदर दोहराया है। इफर्मन बनाये वाई ग्राफ इन्डिपेन्डेंट के मामले में अमरीका के उच्चतम न्यायालय ने राज्य और चर्च के पृथक्करण के नियन्त्रण को इन शब्दों में व्यक्त किया है।

न तो राज्य और न ही सधीय सरकार गिरजाघर बनवा सकता है। दोनों में से कोई भी एसी विधि नहीं बना सकता है जो किसी एवं धर्म वा महायता पहुँचाय जा सभी धर्मों को सहायता पहुँचाय अथवा एवं ऐसे भड़ीमन दूर को नहीं है। दोनों में से कोई भी विसी भी व्यक्ति को उसकी उच्चाक विशिष्ट गिरजाघर में जान के लिए अथवा दूर रहने वे लिए न तो विवश कर सकता है और न ही प्रभावित कर सकता है और विसी भी धर्म में विश्वास करन या अविश्वास करन के लिए न ही विवश कर सकता है। काई भी कर विसी भी भावा में कम या ज्यादा विसी भी धार्मिक हिंदा में अथवा सम्मान को महायता के लिए नहीं लगाया जा सकता भले ही वे विद्योऽ अथवा भस्याऽ विसी भी नाम में पुँहारे जाये अथवा धर्म को शिखा दिया या पालन करन के लिए वे कोई भी स्वरूप धारण करें। न तो कोई राज्य और न ही सधीय सरकार विसी भी धार्मिक सगठन अथवा समूह वे मामले में सुन रूप में अथवा गुण स्वप्न में हिम्मा न सकती है तथा काई धार्मिक सगठन या समूह सरकार में हिम्मा नहीं ले सकते। जफर्मन वे शब्दों में, सविधान के इस व्यापक का उद्देश्य चर्च और राज्य के मध्य पृथक्करण की दीवार छड़ी रखना है।

न्यायाधिपति फैजफर्टर न उक्त मत में महमति व्यक्त करने हुए रहा है चर्च और राज्य के पृथक्करण में करन यह अभिप्राय नहीं है कि राज्य राजनीतिक निकाय के अन्तर्गत विभिन्न धर्मों के माथ समान न्यूनता वे दरनाव करगा। वास्तव में इसका अभिप्राय यह है कि दोनों वा दोनों अन्य और स्वतंत्र है।

उच्चतम न्यायालय न उपरोक्त मिहित को उनापन गमन के लिए अनक मिहाता का प्रतिपादित किया है। 1947 में इवमन वे मामले में बहुमत न लिया दिया कि स्वूकी वच्चा के लिए मुफ्त वस यातायात सवधी न्यूज़ीलैंड के उपवधा के द्वारा पृथक्करण की दीवार बन नहीं हुई है क्योंकि इन मुकियाओं में वच्चा वा नाभि पहुँचना है न कि चर्चे वाँ। इस वाले लिए मिहाता के आधार पर न्यायालय न अनह कियाना वा वैष्ण धारित

विया, यहां यह तर्क दिया गया कि धर्म को नाममात्र की महायता से दीवार भग नहीं होती है। परंतु साठवे दशक के आरभ में न्यायालय ने पृथक्करण घट के निर्वचन में कठा रुख अपनाया और एक नये मार्ग का अनुसरण किया। न्यूयार्क प्रेयर का मामला<sup>22</sup> और एचिंगटन टाउनशिप बाइबिल रीडिंग एंड बाल्टीमोर सिटी लाइसेंस प्रेयर के मामले<sup>23</sup> इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इन मामलों ने अमेरिका के राजनीतिक जगत में बहुत बड़ा आर्तनाद मचा दिया। पहला मामला 22 शब्दों वी प्रार्थना से सबधित या जिसे प्रत्येक दिन के प्रारभ में प्रत्येक न्यू यार्क राज्य के सार्वजनिक विद्यालयों में कक्षा में जिद्याको एवं विद्यार्थियों द्वारा जोर से पढ़े जाने के लिए मिशारिंग वी गवी थी यद्यपि यह अपेक्षित नहीं था। लाग आइलैंड के अभिभावकों के एक समूह ने यह दावा दिया कि यह उक्त प्रार्थना का पदा जाना चर्च और राज्य के पृथक्करण के मिदात का अतिक्रमण है तथा इस सबध में न्यू हाइट पार्क बोर्ड ऑफ एजुकेशन के विशद बाद उठाया। इस मामले में न्यायाधिपति ब्रेक ने अभिभावकों के माथ महमनि व्यक्त वी तथा पृथक्करण के मिदात वी पुष्टि की। इस मामले के मुश्किल से एक साल बाद स्वेच्छा मामले में 4 । के बहुमत से न्यायाधिपति क्लार्क ने एजेन मामले के मिदात को लागू करते हुए विद्यालयों में बाइबिल के पाठ को असर्वेधानिक घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, 'व्यक्ति और धर्म के सबध के मामले में राज्य तटस्थिता की स्थिति के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है।

उपरोक्त निर्णयों के प्रभावों वो कम करने के लिए जानबूझकर, उनका अतिक्रमण अनेक बार किया गया। बिना किसी सफलता के अनेक सशोधन बाधेम में प्रस्तावित विय गये। सन् 1971 में उच्चतम न्यायालय को पुनः इस सर्वेधानिक प्रश्न पर दिचार व्यक्त करना पटा। न्यायालय ने माप्रदायिक विद्यालयों नो, उनकी धर्मातिशय यवाओं को बम करने के लिए, दिये जाने वाली महायता सबधी अधिनियमों वो अवैध घोषित किया। मुख्य न्यायाधिपति बर्बर ने कहा कि 'अधिनियम मरवार और धर्म में मध्य अननुबोध अत्यधिक उलझाव' वे कारण असर्वेधानिक हैं। इसके पश्चात् भी महायता के पक्षपानी राज्य शात नहीं बैठे, अनक अधिनियमों को पारित किये विनु उच्चतम न्यायालय न उन्ह किना किसी भक्तों के असर्वेधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय न अपन निर्णया म तीन बातों वो ध्यान में रखा कि अधिनियम वा उद्देश्य धार्मिक न हो उसका प्रभाव पार्मिक न हो और वह धर्म के खाल अत्यधिक उलझाव वा परिहार करता हो।<sup>24</sup>

विनु 1976 में उच्चतम न्यायालय ने 5 । 4 के बहुमत में मैरीलैंड के चर्च में सबधिन कलिजों को आर्थिक महामता में सर्वित अधिनियम को वैध घोषित किया। इस प्रवार न्यायालय चर्च और राज्य के मध्य दीवार में एक पतमी दगर पैदा करता हुआ दिखता है।

इसके प्रतिरिक्त और भी अनेक तथ्य हैं जो दीवार की सीमाओं को प्रतिविवित दरते हैं— सैनिक यवाओं में ग्रोटेस्टेट, कैथोलिक और यहूदी पादरियों की नियुक्ति, गिरजाघरा और यहूदी धूम-ध्वनों वो कर विभुक्ति, राज्यों और संघों विधायिकाओं के अधिनियमों वा प्रार्थनाओं के माथ प्रारभ—ये इस बात के दातक हैं कि पृथक्करण पूर्णरूप नहीं लागू किया गया है। इसके प्रतिरिक्त हुए चर्चों वो गतिविधियों वा

अध्ययन करने पर पता चलता है कि वे पर्याप्त मात्रा में राजनीति में अतर्फ़स्त हैं। किन्तु इन सीमाओं के बावजूद अमरीका का लगभग 185 वर्षों का इतिहास बताता है कि कुल मिलाकर पृथक्करण के सिद्धात का मूलत पालन किया गया है।

इम प्रकार अमरीका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वी लगभग सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है किन्तु दूसरी तरफ़ ड्रिटेन में राज्य की एक स्थापित चर्च है? तथा इमेड के चर्च को अन्य धर्मों वी तुलना में अद्वितीय और अति प्रभावशाली स्थान प्राप्त है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त विशेष और आर्किविशेष लाई मभा में मत देने वाले सदस्य के रूप में बैठते हैं। किन्तु इसके बावजूद ड्रिटेन में प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म अथवा विश्वास का हो व्यवहार में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता का उपभोग करता है तथा राज्य कुछ अपवादों को छोड़कर नागरिकता के सबध में विचार करते समय धर्म में सबधित सभी विचारों को अलग रखता है। ड्रिटेन में धर्मनिरपेक्षता वी भावना लोगों के जीवन में भली प्रवाह व्याप्त है। राज्य और चर्च के घनिष्ठ सबधों के बावजूद धर्मनिरपेक्षता ड्रिटेन में राजनीतिक जीवन वा पथ प्रदर्शक सिद्धात है।

आस्ट्रेलिया के मविधान अधिनियम की धारा 116 म उपचित है कि राष्ट्र धर्म की स्थापना के लिए अथवा किमी धर्म के स्वतंत्र आचरण के नियेध के लिए कोई कानून नही बनायेगा और राष्ट्र के अतर्गत किमी पद अथवा सार्वजनिक ट्रस्ट के लिए योग्यता के रूप म दोई धार्मिक भापदड अपेक्षित नही होगा। आयरलैंड वा मविधान

(अ) लोक व्यवस्था और मदाचार के अधीन रहकर प्रत्येक व्यक्ति दो अत करण की स्वतंत्रता और विमी धर्म दो स्वतंत्र रूप से मानने तथा आचरण करने की प्रत्याभूति देता है,

(ब) किसी धर्म को धन न प्रदान करने वी गारटी देता है।

(स) धार्मिक व्रतधारण विश्वास अथवा पद के आधार पर राज्य कोई नियोग्यता नही लगायेगा अथवा भेदभाव करेगा।

पश्चिमी जर्मनी का सविधान यह व्यवस्था करता है कि धार्मिक विश्वास और अत करण और धर्म और विचारधारा को मानने की स्वतंत्रता अनतिकम्य होगी। धर्म के स्वतंत्र आचरण वी गारटी होगी। जापान का भी मविधान धर्म दो स्वतंत्रता वी गारटी देता है।

मोवियत रूस म सभी नागरिकों को धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता और धर्म विरोधी प्रवाह की स्वतंत्रता दो मान्यता दी गयी है। दमन के अभियान मे मोवियत साम्यवादी दमन ने बनक चर्चों दो नष्ट कर दिया अथवा दूमरे प्रयोग म लाने लगी और असम्भव पादरियों का मपाया वर दिया गया और ईद कर लिया गया। नाथ-ही-साथ धार्मिक जिक्षाओं के प्रभाव दो कम करने के लिए दमन ने उपहास के द्वारा, निरीश्वरतादात्मक मप्रहान्तयों की स्थापना जैमे इमबद अभियान शुरू लिया गया। तत्प्रभान् धार्मिक आस्था रखने वालों के उपहास और तिरस्वार के कहर को जारी रखते हुए, बम नुकसानदायक बनाने के प्रयास मे सत्ता के शेष पादरियों दो निर्देशित तथा नियंत्रित करना जारी रखा। अभी हाल के वर्षों मे राष्ट्रपति मोर्चाचीफ के नेतृत्व मे

मामनाम और पेरेस्ट्राइका (मुलायन तथा पुनर्जीवन) का अभियान छेड़ा गया है। स्वर्म में धर्म विरोधी अभियान सगभग बढ़ रहा गया है। तुच्छ हद तक राजनीतिक स्वतंत्रताएँ भी नागरिकों को वास्तविक रूप में दी गयी हैं जिनका प्रभाव सभूते साम्यवादी जगत पर पड़ रहा है। अनेक साम्यवादी दण्ड प्रजातात्त्विक प्रामन प्रतियोगी को अपनाकर आर्थिक विकास की राह पर चलाकर सुष्ठु प्राप्ति पाप्ति करने का प्रयत्न चल रहे हैं। विचारधारा अपना आकर्षण खोती जा रही है। पचास तथा माठ के दशक में विचारधारा के अत पर विचार के मबद्दल में रमेश शर्मा इडवार्ड गिल्स डैनियल बल और एम एम लिमेट जैसे समाजशास्त्रियों ने विचारधारा की अवधारणा को एक धर्मनिरपेक्ष धर्म के स्वरूप में प्रयोग किया। उन्होंने प्रतिनिष्ठात्मक प्रजातत्व को विचारधारात्मक मानन के बजाय विवेक पर आधारित तथा व्यावहारिक माना। साम्यवाद एवं आनंदिक स्वरूप में भवद्व विचार ज्ञास्त्र माना जाता था किन्तु इसके दावों और परिणामों के मध्य की द्वार्द्दी ने इसे बेनवाव कर दिया है। पश्चिमी पूजीवादी दण्डों में धनाद्यना का युग आ गया है इसलिए विचारधारा आज आधिकार नहीं रह गयी है। अब वर्ग मनोभाव और इच्छाएँ व्यक्ति का नहीं प्रेरित करेंगी। किन्तु पिछले तुछ वर्षों में नृतीय विकास के अनेक दण्डों भी आर्थिक विप्रमता गरीबी भुमिका गण्डुवाद और गजनीनिक तथा मामाजिक वारणों में सुट्टिवाद का विकास हो रहा है।

इस प्रकार परिचय में धर्मनिरपेक्ष गत्य वा विकास विभिन्न गतिहासिक मामानों में होकर गुजरा है तथा इसके विकास में विभिन्न और परस्पर विवादी उद्देश्य रहे हैं। प्राम में तथा अनेक दण्डों में इसका विकास धर्म और गत्य के मध्य भातात्तिका के मध्य का परिणाम रहा। अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता धर्म के विवोध द्वारा नहीं प्राप्त हुई बल्कि इसका विकास धर्म और गत्य के बीच पारस्परिक सहभाव व भाथ होना रहा है। जहाँ साम्यवादी दण्डों में धर्म-विवोधी प्रचार का बोनवाला रहा तरवी (तुरकी) में कमान अतातुर्क ने पश्चिमी मूल्यों को बन प्रयोग द्वारा अपनाया। भारत में अमेरिका के नगोंवा में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों भारतीय परपराओं और परिस्थितियों में समन्वय स्थापित किया गया है।

## संदर्भ

1. ग निव इग्निज दिवसनंती
2. एनमाइक्लोपीडिया विटालिका अन् ४५ १९६७ दृ० २६४
3. डेम हास्टिङ्स द्वारा भवालिन।। एनमाइक्लोपीडिया ब्रॉक गिलिकन एवं इपिस्ल ए इरिन् एम वाटरहाउस वा नेव एस्ट्रॉनर एटेंड १९६३ दृ० ३४७ ५०
4. ही ई लिव इटिवा एवं ए सचूनर एटेंड १९६३ दृ० ४-५
5. शार्क बैटर, मेस्ट्रॉलिस्ट ईस्ट एस्ट एस्ट एसैरोटिक्स स्टील इन सोसाइटी ए इम्पी ७२ (ब्रिटेन, १९६५)

6. एवं एवं शान्तिकाम सामने चब इन इटिया बाब 1966
7. डॉ गणेशकुमार पूरब और परिचय—कुछ विचार गणेशकुमार एह सत्र पृ० 5-7
8. बाईर इ. नामन एह पानिटिकल अधारो 1956 पृ० 7
9. बाडन बस्टर्न पानिटिकल थोट पृ० 107
10. बानन्द ब. टाजनदी हृत ग. स्टटो आर किस्टो बह 7 (1954), पृ० 96
11. इवार्ट लिंग बडोबन एन्टिकल आर्टिकल 1954 पृ० 506-7
12. हरान्द ब. नाम्बो इमैट का ग्राहन्त 1961 पृ० 41-43
13. यदवन्नी डॉ गणेशकुमार पूरब और परिचय—कुछ विचार गणेशकुमार एह सत्र पृ० 116
14. बाम्बो इमैट का ग्राहन्त 1961 पृ० 219
15. बाम्ब एह पश्चन्न द ब्राह्मण्डन द इंस्टिक्युट बाम्ब हाम्न फिलांक्या आर ग्राहन्त (पश्चन्न) पृ० 41-42
16. ग्राहन्डम बनाम युनाइटेड स्टेट्स 98 पू.एम 145 (1878)
17. याम्बन बनाम नाम्ब 319 पू.एम 759 (1943)
18. नाम्बनामा बनाम बाटिक्स्म 367 पू.एम 438 (1961)
19. विम्ब-निम्ब बनाम याहर 406 पू.एम 205 (1972)
20. बम्ब बर्डिनिया बाई आर ग्राहन्त बनाम बानन्द 319 पू.एम 624 (1943)
21. 330 पू.एम पृ० 1416
22. एब्ल बनाम विनाम 370 पू.एम 421 (1962)
23. एविस्टन टाइलिय बनाम न्यूयर्क बैर पू.एम बनाम एवेंट 374 पू.एम 203 (1963)
24. इवरी ब. ए बाहम द जुर्नियर चनूर्ध मस्करण 1977 पृ० 99

## भारतीय प्रकृति में धर्मनिरपेक्षवाद

### प्राचीन भारत में धर्मनिरपेक्षता के मौलिक तत्त्व

महान् देश भारत धर्मों, जातियों सप्रदायों, भाषाओं और समूहियों वा एक सम्प्रहालय है। यह वह देश है जहा, चालीस विभिन्न जातियों के लोग एक सौ इकमठ भाषाएं बोलते हैं, जहा पढ़ भाषाओं के उन्नत साहित्य विश्व के किमी भो माहित्यकार के मन को लुभाने की समता रखते हैं, जहा हिंदू और मुमलमान के अतिरिक्त ईसाई बौद्ध, पारसी आदि धर्मों के अनुयायी स्वतन्त्रापूर्वक अपने धर्मों का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं क्या वह देश सास्कृतिक रूप से समर्थित और एकमध्यीय जनसमुदाय नहीं है? क्या यहा के लोगों को अपने आध्यात्मिक जीवन की एकता और अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है? हमारा इतिहास भाली है कि भारतीयों में एक ऐसी एकता की अनुभूति हमेशा विद्यमान रही है। यह सत्य है भारत में विभिन्न जातियों के लोग अपनी विशिष्टताओं के साथ आये पर इन जातियों का कापौ मिथ्य हुआ इनकी भाषा देश भूपा लान-यान और रहन-सहन एक-दूसरे को प्रभावित किये बिना नहीं रह सके और आज वे राष्ट्रीय मुख्य धारा में किसी भी प्रकार अलग नहीं हैं। चाहे हिंदू हो या मुमलमान ईसाई हो या पारसी मधी भारतीय मस्कृति के रम में रग हुए हैं और उनसे आचार-विचार पूर्णतया भारतीय हैं। भारतीय समूहति, वैदिक, बौद्ध हिंदू मुस्लिम और आधुनिक मस्कृतियों वा मस्मिथण है। यह ऐसी उदार और अनन्य समूहति है जिसने विश्व समूहति के सभी खोनों दो अपने प्राण में आश्रय और स्थान दिया है और जिसने दर्भन धर्म विचार और मतभतानर की निस्तीम विविधता का उनके समर्थनों की सम्मान या उनके उद्गम क स्थान और समय को भहत्व दिये बिना ममान रूप से मुनी और सरक्षित अभिव्यक्ति का वरदान दिया है।

इसमें कोई सदेह नहीं है कि पश्चिमी बिनन और सम्बाओं ने भारत को प्रभावित किया है, जिनु अबर भारा आज एक राष्ट्र है तो इनका ये यहा के बिनन भारा धर्म जासन, इतिहास, परपरा, रहन-सहन और रीति-चित्तों को जाना है। इसमें अहम् भूमिका

‘बननी जन्म-नूनित स्वर्गादिवि चरीमनी रो छारका है यहाँ के तीर्थ स्थनों की है शाचीन हिंदुओं वी देन म यद्योगरि राजनीतिक मता के आशंके और अस्तित्व के बोध वी है बिसके द्यानक महत्वपूर्ण वैदिक ग्रन्थ और वैदिक यज्ञ हैं इन्हें—एक राष्ट्र मन्त्रालय राजभिराज, मार्कंडैय राजनूप वाज्यव्य अवलम्ब आदि। यदि हम इनिहाम वी दुर्दीन उदाकर इनीन की प्रयोगियों पर दृष्टिपात करें तो हम पात हैं कि इनम नवम बहा योगदान दहा वी उभ मन्त्रिति का है जो विश्वास न पन्नदित और पूर्णित हो रही है। अबर भारत न पाइचनी राजनीतिक मस्ताओं प्रजातात्त्विक गणनाव व्याप स्वतंत्रता समानता तथा भारत वी द्यावा दिना किनी विशेष के अन्योकार किया तो इनका क्षेय भारत के नामों के जीवन के उन परपरागत तथा वा जाना है जो नदिया न विद्धनान है। इसर आज भारत न धर्मनिरपेक्षता को गले नगापा है तो इनम बहुत बहा योगदान भारत म जीवन के प्रति जातिशिवता परपरागत धार्तिक मनवता नहिंना उदारता और मनवत दी भावना वा है बिनको जह भारतीय ममाड न शाचीन कान न ही गहराई तक फैली है जो उचकी मास्त्रिति परवग दी यानी है। इन्हा और भारतजगदारों को पुरातात्त्विक व्यादों न निष्ठ कर दिया है कि शाज न ५००० वर्ष न भी पहन निखु धाटी म एक अन्यठ उल्लं भन्नता विहित थी। बाद के भारतीय मास्त्रिति कीदन पर इन मन्त्राना का विषिट प्रभाव पड़ा या। प्राचमर चाटन्ह न लिता है निव और वैवितोनिया कननान भारत मे भी इन्हा मे नीन हुआर दर पूर्वे जमी एक सर्वथा स्वतंत्र व्यक्तिव्यजानिनी मन्त्राना थी, जो अन्य मन्त्रानाओं वी निरभीर थी और स्पष्टत उसकी जह भारतीय प्ररती मे गहराई तक चनी यदो है। यह अमी भी जीवित है यह निष्ठदेह भारतीय है और आधुनिक भारतीय मन्त्रिनी वी आधारशिला है।<sup>1</sup>

प्राचीदिक और वैदिक मन्त्रियों व मनवत भी भारतीय मन्त्रिति के मौनिक आधार विद्धमान हैं। अध्यात्मवाद और नित्यवदाद आनविषयक दृष्टिकोण और इनुवादों विचारशारण की जह इसो मनवत भी विहित हूई है। भारत म प्राचीनवरात म दग्न और इन्हें बना और नाहित्य लपित और विद्धन तथा समाजविज्ञान के इन महान मक्कनाना प्राप्त कर ली थी। चानक्य और चट्टगुप्त अग्राक और समुद्रगुप्त चरक और मुशुन आर्यभट्ट और दाराहिनिहिन नामाकुन और पालवाय के नाम इनिहाम मे उल्लं ही प्रमिद्द है दिनन कि लमिठ और विद्धवानित वास्तीकि और व्याप इविन और कलाद दुद और महादीर पातिनि और कानिदाम क। इसक कोई नदह नहीं कि प्राचीन वान म बहुतर भारत वी आधारशिला नत्कानीन भारतीय पोतीय समना थो। औपशिया मन्त्रिविन्ना व्यावहारिक रमायन और देववानव, वास्तुकमा, मूर्तिकना चित्रकना धातुकना गराई और हनुमित्य के बार म भारत की प्राचीन कानीन उपनिषद्या आज पूरे विद्व दो पना चन चुको हैं। प्राचीन कानीन त्रिने, मुख, पदन, मदिर गुराए और दूर्निया प्राज भी अनक धक्को न प्राप्त बौद्धन की कहानी मुना रही है। महान आधुनिक भारतीय विचारक थो अरविद थार्ड न भारतीय निया की विषयनाओं प्रवृत्तिया और प्रभावा वा बहुत बच्ची तरह स वर्णन किया है। उनके बनुमार भारत वी शारीन भावना और विनिष्ट तेज वी तीन विषयताएँ है— दृष्टन,

उसकी आध्यात्मिकता जो कि भारतीय मस्तिष्क की सर्वोत्तम चाही है। द्वितीय, उसकी अद्भुत भ्राणमूलता, उसकी अक्षय जीवन शक्ति और जीवन-आनंद और उसकी कल्पनातीत अत्यधिक सृजनशीलता और तृतीय समक्त बौद्धिकता, जो कि साध-ही-साध आत्मसम्पर्मी और समृद्ध है, पुष्ट और भूम्भ है, जक्तिशालिनी और शिष्ट है, सिद्धातत विश्वास और विस्तृत विलक्षण है।

### यूरोपीय विचारकों द्वारा विद्वेषपूर्ण मूल्याकन

अनेक यूरोपीय विचारकों का दृष्टिकोण भारतीय प्राचीन उपनिषद्यों के प्रति निष्पक्ष नहीं रहा है। वह पूर्वभ्रहो में आप्लावित रहा है। उनका मूल्याकन उपनिवेशवादी विचारधारा पर आधारित था। भारतीयों द्वारा स्पशासन की मान न की जाये राष्ट्रीयता की भावना उनमें बढ़न जाये, राष्ट्रीय आदोलन तेज न हो जाये, इम कारण से अनेक डिटिश विचारकों ने भारतीय प्राचीन इतिहास और राजनीतिक व्यवस्था का दोषपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया तथा अपेक्षा शासकों ने वह सब कुछ किया, जो उन्हे सत्ता में बनाये रखने में सहायक था, 'राजनीतिक मूर्त्तो' (भोस्का) का सहारा लिया, जिनका उपयोग एक अभिजन वर्ष अपने को नष्ट होने से बचाने के लिए करता है।

उपनिवेशवादी विचारधारा के प्रतीक लाई ऐकाले ने मन् 1935 में भारतीय विधिगास्त्र को 'ब्राह्मणों के अधिविश्वास का प्रेमातिशय'<sup>3</sup> बताया। प्रोफेसर मैकम्पमूलर मदुश भारत विद्या के विद्वान जिन्होने हिंदुओं के दर्शन एव साहित्य की भूरि भूरि प्रशंसा की है, उन्होने सन् 1859 में लिखा कि भारतीयों के राष्ट्रीय चरित्र में कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं, जो राज्य की पूर्णस्पेषण कल्पना की अनुभूति करने में उनके मार्ग में रुकावट ढालती हैं उनके मस्तिष्क पर धर्म का प्रभाव होने के कारण भारत में राज्य सबधो विचार नहीं पुनर्प सका। उनके अनुसार, 'हिंदू दार्शनिकों की कैम थी, उनके सपर्य विचारों के मार्ग थे, उनका अतीत सर्वं वी समस्या थी तथा भविष्य अस्तित्व वी समस्या थी।'

यह कहना उचित होगा कि विश्व के राजनीतिक इतिहास में भारत का कोई स्थान नहीं है।<sup>4</sup> इसी अलोचना पर आधारित एक अन्य आलोचना ज्ञामधीत्त ने बी है। उनका यह मानना है कि प्राचीन काल में भारतीय धार्मिक सम्पादों का असाधारण प्रभुत्व था, जिनका प्रतीक जीवन के चार आशमो—धार्मिक शिष्य (ब्रह्मचर्य), धार्मिक एव यज्ञ करने वाला गृहस्थ, ध्यानशील वानप्रस्थ और सप्ताह परित्यागी सन्धासी के रूप में परिलक्षित है।<sup>5</sup> इसी धार्मिक प्रभुत्व के कारण भारत में राज्य के हितों और जातियों के विकास की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे यह भी मानते हैं कि भारतीयों को राष्ट्रीयता वी भावना का ज्ञान नहीं था।

अनेक राजनीतिशास्त्रियों ने भी भारतीयों के बारे में एष पर्याय दृष्टिकोण अपनाया है। जानेट ने यह रहकर उपहास किया है कि भारतीय मनीषियों के लिए एकमात्र नगर है, देवतोंका। प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री दिसोवी ने तो पूर्व के समस्त लोगों के बारे में आलोचना की है कि वे दैवी मृष्टि और सप्ताह वी व्यवस्था में मतापही विश्वासो से सामाजिक और राजनीतिक सम्पादों के तर्काधार का ज्ञान प्राप्त करने की

तरफ़ आकर्षित ही नहीं हुए।<sup>4</sup>

इसी प्रकार एक कल्याणोचक वा मानना है कि पूरब के ज्ञातीन सोमों के विचार विष्णु और धर्म के बीच धर्म के बारब इतने दूषित थे कि वे राजनीतिज्ञास्त्र को एक स्वतंत्र ज्ञान की जात्या के स्वरूप में विकासित करने में असक्त रहे।<sup>5</sup> पूर्वो ज्ञायं वरने राजनीति विषयक ज्ञान को ईश्वरग्राहक और तात्त्विक वातावरण से कभी मुक्त नहीं रखे और इसनिए वे युरोपीय ज्ञायों के मुक्त तक विकास करने वे असक्त रहे।

युरोपीय ज्ञायं ही ऐसे नाम हैं, जिनका नाम इतिहास ने राजनीतिक ज्ञायों के स्वरूप में जाना जाता है।<sup>6</sup> नर हनरी मेन ने तो भारतीय विष्णिकास्त्र को निरेंद्रनुकानन का एक विज्ञान उपकरण कह दाना। स्मिति तो यह है कि कुछ भारतीय ज्ञाये ऐसे हैं, जो विदेशी समानोचकों से किसी प्रकार भी जानोचना करने में पीछे नहीं है। ऐसा कि मुर्बपल्ली डॉ० राधाकृष्णन न बहा है “ये नाम भारत के सास्कृतिक विज्ञान को एक विषादमय पारस्परिक फूट व विराघ बद्धानना और मिथ्याविज्ञान के स्वरूप में दसते हैं। इसमें से एक न यहाँ तक धोयना की है कि यदि भारत को फनना-फूलना तथा समृद्धज्ञानी होना है तो इमेंड को अपनी ‘आध्यात्मिक मात्रा’ तथा इसी को ‘आध्यात्मिक नामी’ बनाना होया।”<sup>7</sup> बनेंक युरोपीय विज्ञानों के इस तरह के विद्वप्युषं विचारों के निए कई कारण उत्तरदायी हैं। प्रथम, इन विज्ञानों का अध्ययन भारतीय धर्म के बारे में बहुत नहीं था। इन विज्ञानों ने सत्त्वत के स्वरूप जन्म का पहले ‘हिंदू रिलिजन’ के नाम तादात्म्य स्थापित किया और धीरे-धीरे रिलिजन के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया। यूरोप में जिन अशों में ‘रिलिजन’ जन्म का प्रयोग होता है उसी वर्ष में ‘प्रम’ को नमस्करण नये, जबकि धर्म जन्म व्यापक बढ़ो वाला जन्म है।

द्वितीय, कोई भी भजहृद हो, समय के साथ उन्हें बनक खटिया तथा अप्रविज्ञान वा जुटते हैं, जैदिक हिंदू धर्म में भी आय चनकर कई परम्पराएं अप्रविज्ञान और पार्श्व ज्ञाकर उसी प्रकार तुड़ धर्म हैं जैसे यदा की धारा में ज्ञाकर अनक दद नामे दिन जाते हैं। परिषामत धर्मियों विज्ञानों ने अवर्द्धिटि मूल मिद्दांतों और मूल विचारादारा, जो वेदान्त में निहित हैं, का बहुत अध्ययन करने के बाद अनुच्छेदों के बाने से पहने के हिंदू धर्म की उन्हीं बातों की तरफ़ ध्यान दिया जिन उन्होंने मुमला कि युरोपियनों के निए सचिकर सिद्ध होयी, उन्होंने सबी प्रदा नरवति, ठीकी जनि पर चनना, मावना ‘ठपस्या’ की हास्यास्पद अमिल्कति देवदासी, अनक पकुओं की दनि देकर दान की रक्षासामी देवियों की पूजा हक्कि उपासना के निष्पत्त, विचार तथा पुरोहितों के पालहो ज्ञायि के बारे में अपना ध्यान कट्टित किया। तृतीय, भारतीय और धर्मियों विष्णिकास्त्र में मूलजूड़ बत्तर यह है कि पहला कर्तव्य तो बवधारणा पर आधारित है जबकि दूसरा व्यतिष्ठत विचिकारों की बवधारणा पर आधारित है। अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबद्ध होते हैं, किन्तु भारत में कर्तव्य को प्रमुखता दी जाती है, और अधिकार उभे परिषामन्वस्य माने जाते हैं। महाभारत के ज्ञातिपर्व बदवा बनुकासन पर्व बदवा अर्यास्त्र में कहीं एक स्थान पर भी अधिकार जन्म का प्रयोग नहीं किया जाया है।<sup>8</sup> इस कारण से भी बनक विचारकों के दृष्टिकोण में बवधित वस्त्रुनिष्ठ्या नहीं वा सभी। चतुर्थ, यह धारणा कि

प्रकृति की अप्त शक्ति को छोड़कर ससार में कोई बस्तु नहीं है जिसकी उत्पत्ति यूनान से नहीं हुई हो, सर हेनरीमेन का यह कहना है कि अपेक्षा ने हमें सिवाय कि भासक का उद्देश्य जनता का कल्याण है, लेनको की उपनिवेशवादी मानसिकता का प्रतीक है। पश्चिम यूरोपीय परपरागत राजनीतिक विचारक सकीर्णता के शिकार थे राजनीतिविज्ञान को समाज वी ही राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन नानते थे। वे राजनीतिशास्त्र की एक सीमित वैचारिक सरचना में बधे हुए थे जबकि प्राचीन भारत में राजनीति को परिधि में राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था नागरिक और अतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था, पृथक व्यवस्था, धार्मिक समग्र व्यापारिक मस्तान और कर्मचारियों के समग्र आदि सभी को सम्मिलित किया गया था।<sup>11</sup>

अतः पर्याप्त शोष के अभाव के कारण, प्राचीन भारतीय सम्यता और मस्कृति का ज्ञान पश्चिमी विद्वानों को नहीं हो पाया था किन्तु मोहनजोड़ों और हृष्ण की मुदाई में अनेक पुरातात्त्विक अवशेष मिले। सन् 1905 में चाणक्य अर्थशास्त्र की खोज हुई। साथ ही अनेक पश्चिमी तथा भारतीय विद्वानों ने हमारी प्राचीनकालीन महान उपलब्धियों को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। परिणामतः आज वे आनोखनाएँ हास्यास्पद लगती हैं।

### धर्म का व्यापक अर्थ

धर्म परम मूल्यों में विश्वास और उन मूल्यों को उपलब्ध करने के लिए जीवन की एक पद्धति का प्रतीक होता है। चिरबाल से भारत के ऋषियां-मुनियों तथा मत- महात्माओं ने मानव जीवन के मूल्यमन पहलुओं का अध्ययन किया है और उसके बारे में एक आदर्श दृष्टिकोण का निर्माण किया है। इस दृष्टिकोण को हम 'धर्म' की गला देते हैं। धर्म जन्म ब्रह्मेभी में प्रयुक्त होने वाले रिलीजन' या फारसी के मदहब' शब्द का पर्याय नहीं है। जिस प्रकार जर्मन भाषा का रेश् फेच भाषा का ड्राइट अथवा इटालियन का दिग्नो कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं अपेक्षा भाषा में कोई एक जन्म ऐसा नहीं है जो इन शब्दों के भाव का बोध करा सके। क्योंकि इनका अभिप्राय अधिकारों से नहीं बन्कि विधि अथवा न्याय से भी है। इसी प्रकार धर्म शब्द एक ऐसा भाव है जो अपूर्व है जिसका अन्य किसी भाषा में बनुवाद नहीं किया जा सकता है। इसका मवध किसी व्यक्ति जाति व ममाज विशेष में नहीं, बल्कि मानवमात्र की जीवन व्यवस्था में है। यह एक सामान्य पानबीय भाव है। जो अपेक्षी के रिलीजन शब्द में दुर्लभ है, वहा रिलीजन ईश्वर उपासना आदि के मवध में एक विशेष मान्यता को परिलेखित करने के कारण अपौर्किक ईश्वरीय, सीमित तथा सकुचित है, वही पर धर्म लौकिक, सामाजिक सामान्य और मानबीय है इसका मूल सत्त नियमों के पालन में है।

धर्म 'धृ' धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, बनावे रखना, पुष्ट करना। जो धारणा करता है, वही धर्म है। इससे उन गुणों अथवा नियमों का बाध होता है, जो किसी वस्तु के स्वरूप को धारण करते हैं। यह जिसी वस्तु का वह मूल तत्त्व है, जिसके कारण वह वस्तु वह है। इस शब्द की दो प्रकार से व्याख्या की जाती है। (अ) धारणीनि धर्म,

जिसका अभिप्राय होता है जो धारण करता है वह धर्म है। यहां यह कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है। (ब) धियते इति धर्म, अर्थात् जो धारण किया जाता है वह धर्म है। यहां यह कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में धर्म शब्द का प्रयोग 56 बार हुआ है। किन्तु ऐसा नहीं लगता कि धर्म उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिस अर्थ में बाद में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में कई स्थानों पर धर्म शब्द धार्मिक विधियों या धार्मिक सम्प्रकारों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद में धर्म शब्द का प्रयोग धार्मिक इमां-सम्प्रकार करने से अर्जित गुण के अर्थ में हुआ है। ऐतरेय द्वाहृण में धर्म शब्द सहन धार्मिक कर्तव्यों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।<sup>12</sup> छादोप्य उपनिषद् में धर्म की तीन शास्त्रों का उल्लेख किया गया है।

(1) यृहस्य धर्म जो यज्ञ अध्ययन एवं दान से सबधित है, (2) तापस धर्म जो तपस्या से सबधित है और (3) ब्रह्मचारित्व अर्थात् ब्रह्मचारी के कर्तव्यों से सबधित है।<sup>13</sup> तीतिरीय उपनिषद् में 'धर्म का आचरण' करने से अभिप्राय जीवन के उस सोपान के कर्तव्यों एवं आचार विधियों के पालन से होता है जिसमें व्यक्ति विद्यमान है।<sup>14</sup> मनु ने धर्म के दस लक्षण गिनाये हैं-

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रिय निप्रह ।  
धीर्विद्या सत्यमङ्गोधो दशक धर्म लक्षणम् ॥<sup>15</sup>

(1) धृति (2) क्षमा (3) दम (4) अस्तेय (5) शौच (6) इद्रिय निप्रह (7) तुष्टि (8) विद्या (9) सत्य (10) अङ्गोधो मनु ने सदाचार के नियम माने हैं।

पूर्व मीमांसा के अनुमार धर्म एक बाल्हनीय वस्तु है, जिसकी विशेषता है, जीवन में गति एवं निर्माण की प्रेरणा प्रदान करना।<sup>16</sup> वैभेदिक मूर्त्रों में कहा गया है कि जिससे आनंद (अभ्युदय) और परमानंद (निष्ठेयस) वी प्राप्ति हो, वह धर्म है।<sup>17</sup> बौद्ध धर्म मार्हित्य में प्रत्येक धर्म अप्यवान बुद्ध की सपूर्ण शिक्षा का चोतक माना गया है।

याज्ञवल्क्य ने धर्म के लक्षणों नो साधन के रूप में वर्णित किया है, उनके अनुसार यज्ञ आचार दम, अहिंसा, दान, स्वाध्याय, स्वकर्म तथा योगाभ्यास से आत्म-दर्शन सभी धर्म के साधन हैं।<sup>18</sup> उन्होंने आत्मदर्शन को परमधर्म कहा है। इस आत्मदर्शन के अनुरूप ही अन्य धर्मशास्त्रों में भी आत्मभाव को ही धर्म के सामान्य सिद्धातों का आधार माना गया है। देवल ने इस आत्मभाव का निष्पत्त व्यवहार की प्रतिकूलता और अनुकूलता के द्वारा किया है। "समझ लो कि धर्म का सार यही है और फिर उसके अनुसार आचरण करो। दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार मत करो, जैसा तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे साथ करे।"<sup>19</sup> "हमें दूसरों के प्रति ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जो यदि हमारे प्रति किया जाये तो हमें अप्रिय सगे। यही धर्म का सार है, जो उस सारा बतावि तो स्वार्थपूर्ण इन्डियाओं से प्रेरित होता है।"<sup>20</sup>

महाभारत में मनु को उद्धृत करते हुए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि सद्गुणों को धर्म के लक्षण के रूप में बताया गया है।<sup>21</sup> 'परमात्मा प्रत्येक जीवित प्राणी के इदंय में निवास करता है।' इस तथ्य का ज्ञान ही धर्म का सर्वस्वीकृति भूल सिद्धात है। आतिपर्वं में बताया गया है। "जो अपने मन, वचन और कर्म में निरतर दूसरों के कल्पण

मेरे लगा रहता है, और जो सदा दूसरों का मित्र रहता है, ओ जाजलि वह धर्म को ठीक-ठीक समझता है।" महाभारत के उद्योग पर्व में उस कर्म-नियम और आचार को धर्म माना गया है, जिससे लोक का समन्वय बना रहे और व्यक्ति तथा समाज एक-दूसरे के पुरक बनकर उप्रति की ओर बढ़ते रहे।

अशोक ने पाप से दूर रहने, अच्छे काम करने, दया दान, सत्य और पवित्रता का व्रत लेने को ही धर्म माना है<sup>22</sup> अध्यात्म विद्या के अर्थ में धर्म का अभिप्राय किमी वस्तु की मूल प्रकृति से है। उदाहरणार्थ अग्नि का धर्म है जलना इसके अतिरिक्त धर्म का अभिप्राय चारों दर्शनों (ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) और चारों जातियों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास) के सदस्यों द्वारा जीवन के चार प्रयोजनों (धर्म अर्थ काम घोष) के सबधूमि में पालन करने योग्य मनुष्य के सपूर्ण कर्तव्य से है। यूं सी सरकार के अनुसार धर्म शब्द का चार अर्थों में प्रयोग किया गया है

1. ईश्वर भीमास्त्र में इसका अभिप्राय 'रिलीजन' है।

2. नीतिज्ञास्त्र में इसका अर्थ सदगुणों से है।

3. कानून की धर्मों में इसका अर्थ विधि से है।

4. व्यवहार की दृष्टि से इसका अभिप्राय 'न्याय' और 'कर्तव्य' है।

प्राचीन काल में मनु वृहस्पति तथा याज्वल्य आदि की सहिताओं को धर्मशास्त्र कहा जाता था। न्यायालयों में न्यायाधीश के आसन को 'धर्मस्तनम्' कहा जाता था। किसी कुल अथवा जाति के सदस्यों को एक मूँत्र में बाधने वाली परपराओं वाध्यताओं और प्रथाओं के समूह को 'कुलधर्म' सनातन कहा जाता था। इस प्रकार धर्म शब्द अत्यधिक व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होता था—। सदाचार वी सहिता 2 दायित्व 3 विधि और 4 न्याय के अर्थों में धर्म का प्रयोग किया जाता था।

## धार्मिक स्वतंत्रता तथा सहिष्णुता की हिंदू परपरा

विश्व के प्रमुख आठ धर्मों में से चार की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई। आधा विश्व भारत में पैदा हुए धर्म का पालन करता है। हिंदू संस्कृति धर्म और दर्शन का विश्व म प्राचीनतम इतिहास है। भारत वी संस्कृति का याच हृजार स भी अधिक वर्षों का इतिहास है, आयों ने भारत पर लगभग चार हृजार से दो हृजार याच सौ (4,000 से 2,500) ईसा पूर्व मे आक्रमण किया था आयों के आक्रमण मे आयों नया यहा के मूल निवासी द्विवो के द्वीच एक नवा जबरदस्त मर्यादा आरभ हुआ। दोनों के दृष्टिकोण एव सम्बन्धियों और सम्बन्धियों मे सर्वर्थ रहा। किन्तु धीरे-धीरे आक्रमणकारियों वी मूल निवासियों पर विजय हुई तथा कुछ समय पश्यान् आयों ने पूरे देश पर विजय प्राप्त कर ली। किन्तु आयों ने पराजित प्रतिद्विद्यों के अपेक्षा हुत हीन धर्मों को धृणा वी दृष्टि से नहीं देखा। प्राकृतिक शक्तियों तथा परिवर्तनशील प्राकृतिक दृश्यों के रूप मे प्रचलित अनेक देवी-देवताओं तथा भूत-प्रेतों को आयों ने अपनाकर अपने देवी-देवताओं के माय बैठाया और अनेक कबीलों तथा आतिथों के पूज्य जानवरों को देवताओं के वाट्न तथा सगों-मायों के रूप म ल्वीकार कर लिया। धीरे-धीरे निगम-आयम धर्मों के समन्वित रूप मे हिंदू धर्म ने प्रगति ली। वेद

आर्य और आर्य पूर्व दर्जन के सम्मिलन के प्रतीक हैं। डॉ० राधाकृष्णन् के अनुमार, वैदिक परपरा पर आगम परपरा का प्रभाव जम गया और आज हिन्दू मस्कृति में आगमों का भी इतना ही प्रभाव है जितना बेदों का। हिन्दू धर्म में आर्य और द्विविड—दोनों अलग-अलग महायोगी नहीं हैं वल्कि दोनों ने एक विजेष सस्कृति का निर्माण किया है जो कि एक अभ्युदय है न कि परिणाम। २३ हिन्दू शब्द देशज नहीं है, यह आदिकाल में हिमालय के पश्चिमोत्तर दर्रों से आने वाले विदेशियों द्वारा गढ़ा गया था। प्राचीन भारतीय अपने उपमहाद्वीप को जम्बूद्वीप अथवा भारतवर्ष के नाम से पुकारते थे। पुराने समय में विदेशी लोग इसके उत्तर पश्चिम में बहने वाली महानदी सिंधु के नाम से पुकारते थे जिसे फारस लोगों ने में के उच्चारण में कठिनाई होने के कारण इन्हें हिन्दू कहकर पुकारा। फारस ने यह शब्द यूनान देश में पहुंचा जहां सारा भारत देश पश्चिमी नदी के नाम से विस्थापित हुआ। मुस्लिम आक्रमण के साथ फारसी नाम हिन्दुस्तान के हप में आया तथा प्राचीन धर्म को मानने वाले निवासी हिन्दू कहलाये। मूलत हिन्दू शब्द प्रादेशिक महत्व रखता था मैदानिक नहीं। यह एक मूलिक भौगोलिक ध्येय में बसे होने का छोलक है। बर्बर तथा अर्द्ध-मध्य आदिम लोगों और सभ्य द्विविड तथा वैदिक आर्य सब के भवित्व हिन्दू थे क्योंकि वे एक ही भाषा की सताने थे। डॉ० राधाकृष्णन् के शब्दों में, हिन्दू वह है, जो अपने जीवन और आचरण में बेदों के आधार पर भारत में विस्तित हुई किन्हीं भी धार्मिक परपराओं को अपनाता है। केवल वे लोग हिन्दू नहीं हैं जो हिन्दू माता-पिता की मतान हैं। अपितु वे सब लोग भी हिन्दू हैं जिनके मानृपक्ष या पिनृपक्ष के पूर्वजों में कोई हिन्दू था और जो स्वयं इस समय मुमनमान या ईमाई नहीं है।<sup>24</sup> हिन्दू धर्म ने कुछ बौद्धिक विश्वासों तक अपने को सीमाबद्ध नहीं किया। इसमें दुर्दिक अवृद्धिटि के, भत्तावाद अनुभूति के तथा बात्याचार आत्मिक उपलब्धि के अधीन हैं। यह विसंजातियों के भी सपर्क में आया उनके रीति-रिवाजों और विचारों को धीरे धीरे अनुप्रक्षेपन भरनना में अपन मिलाता गया। डॉ० राधाकृष्णन के कथनानुमार भारत में धर्म सबधी हठधर्मिता नहीं है यहा धर्म एक युक्तियुक्त सदैनपर्ण है जो दर्जन की प्रगति के साथ-साथ अपने अदर नय-नय विचारों का संयह करता रहता है। अपने आप में इसकी प्रकृति परीक्षणात्मक और अतिम है और यह वैचारिक प्रगति के साथ-साथ कदम मिलाकर चलने का प्रयास करता है। यह मामान्य आनन्दचनना कि भारतीय विचार दुष्टि पर बन देने के कारण दर्जनगास्त्र को धर्म वा स्थान दता है भारत में धर्म के युक्तियुक्त स्वरूप का समर्थन करती है। इस देश में जोई भी धार्मिक जातोंलन एगा नहीं हुआ जिसन अपने समर्थन में दार्शनिक विषय का विकास भी साय-साय न किया हो। श्री हैवल का बहना है, “भारत में धर्म वो रुढ़ि या हठधर्मिता वा स्वरूप प्राप्त नहीं है वरन् यह मानवीय व्यवहार की ऐसी विद्यात्मक परिकल्पना है जो आध्यात्मिक विकास की शिभित्र स्थितियों में और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अपने आपको अनुकूल बना लेती है।”<sup>25</sup>

हिन्दू धर्म में जगत् वी स्वस्थ नैतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास एव श्रद्धा वा भाव वर्तमान है हिन्दुओं के सबमें प्राचीनतम् धार्मिक प्रथ कृत्येद—जो कृत्यों के साक्षात् अनुभवा वा मध्य है—म इस अनध्य नैतिक व्यवस्था को ‘कृत’ बताते हैं। बाद के मस्तूत

माहित्य यह दर्शाते हैं कि प्राचीन हिंदू मनोविदों ने मत्य और 'अन' की स्रोत एवं अपने को समर्पित किया। सत्य वा अधिग्राय विशिष्ट रूप में सामाजिक मत्य सदाचार महिना तथा उन सिद्धांतों में विश्वास करने में है जो पूरं समाज के स्थायित्व तथा उन्नति की तरफ ने जरूर हैं। महाभारत के अनुसार सत्य की जबूद्धारणा है— यद्भूतहितपत्त्यम् तनत्त्यम् यत् मत् मत्। हिंदू दार्शनिकों तथा सामाजिक चिनियों ने इस जात्यवदन और अपरिवर्तनीय हमारे अस्तित्व को नियन्त्रित करने वाले हमारी मत्ता के विभिन्न स्रोतों को बनाये रखने वाले मत्य की स्रोत में हमेशा अपने को तल्लीन रखा। इस स्रोत के द्वारा हिंदू चिनन मर्वत स्वीकृत सिद्धांत पर पहुँचता है कि एक महिंप्रा बहुधा बदन्ति। कृष्णेद के द्वारा एक सत्य में विश्वास करते हैं। मत्य एक है किन्तु विद्वान् नांग इत्यका भिन्न-भिन्न प्रकार या वर्णन करते हैं। मनुष्य की बुद्धि मीमित है यह मत्य को उपकी पूर्णता या नहीं समझ सकता है। मानव भस्तिष्ठक केवल आशिक मत्य वौ समझने में समर्थ होता है जिसके कारण मत्य के विभिन्न पहलुओं का विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न रूपा म वर्णन किया जाता है। यह जान, कि मत्य को पूर्णरूपण समझना मनुष्य की बुद्धि के परे है यहां तक कि प्रलोद्वारा भी केवल इसके विभिन्न पहलुओं को समझा तथा वर्णन किया जा सकता है निश्चित रूप में हिंदू धर्म वी महिष्युता विनश्चता तथा मताघङ्ग में तुलनात्मक स्वतन्त्रता की भावना को दर्शित करता है। हिंदू धर्म म विसम्मति को अपश्यें नहीं माना जाता है। दार्शनिक मामलों पर बहुत तथा वार्ताओं म विना भय के विचारों की व्यक्ति किया जान को महत्व दिया जाता है। हिंदू चिनन म 'अभय' को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

अभय तथा विभिन्न मनों के प्रति महिष्युता ना बहुत ही अच्छा उदाहरण हम कृष्णेद के महत्वपूर्ण स्रोत म मिलता है, 'अमिन्तत्व या अनमिन्तत्व कुछ नहीं था। वायु या ऊपर आवाज भी नहीं था। पिर वह क्या है जो गतिशील है? किम दिजा म गतिशील है और किमके निर्देशन मे? कौन जानता है? कौन हमें बता सकता है कि मृष्टि कहा हुई दैमें हुई और देवता इसके बाद पैदा हुए? कौन जानता है मृष्टि कहा म आयो? और वही से आयी भी तो इसका निर्माण भी हुआ या नहीं? केवल वह अकेना जानता है जो स्वर्ग म दैठा सपूर्ण मृष्टि को दम रहा है और पिर क्या वह भी जानता है? ' इस प्रकार ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के सबध म नमक अनेक वैकल्पिक परिचयनामा मुझाता है तथा अत में इस सिद्धांत की कि मृष्टि ना निर्माण स्फटा न किया मत्यता के बारे म भी उमे मदह होता है तथा इस सदेह को अत भ बड़ी स्पष्टता के माथ व्यक्त किया गया है। यह आत्मिक स्रोत, आत्मात्मिक अस्तित्वता और दौदिक स्टेहवाट की अभिव्यक्ति है जो प्राचीन भारत में धार्मिक स्वतन्त्रता तथा महिष्युता के निए उत्तरदायी थी। हिंदू चिनक विना हिंदविचाहट के दूसरों की बात स्वीकार करते हैं और अपनी बातों की तरफ उन्ह भी ध्यान देने योग्य ममझत हैं। हिंदू धर्म ने कभी भी दौदिक ज्ञान के एकाधिकार का दावा नहीं किया तथा दूसरे धर्मों के अनुयायियों को अपने दर्शन में परिवर्तित करन म विद्याम नहीं किया। हमारे आर्य पूर्वजा की अज्ञान तथा अदृश्य को जानन-समझन के सबध में निर्भीक भावना तथा उनकी विचार, की स्वतन्त्रता की मैसूर दबर ने निम्न-निमित शब्दा म ब्रग्नाता की है, 'इसम वाई गढ़ नहीं है कि भाग्न म धार्मिक तथा

दार्शनिक विचारक बहुत नव ममण तक पूर्ण स्वतंत्रता, जो नगभग अबाध थी, का उपयोग करने म समर्थ रह। ग्राहीन भारत म विचारों की स्वतंत्रता इननी खादा थी कि अर्द्धाचीन वाल मे पहले पदित्रम ये तुलना ही मिलती।<sup>27</sup>

हिंदू धर्म वोई निश्चिन्द्र धर्मशत नही है बल्कि आध्यात्मिक विचारों और मानवों का विज्ञान और विविध तत्त्व समन्वित कर मूलभूत पृज्ञ है। इस धर्म मे मानव आत्मा को ईश्वर म सीन करने की परमग युगा म निरतर चली आ रही है। उपनिषदों के द्रष्टा वेदन एक वद्वीय मता म विद्वाम करते हैं जिसके भीतर मव कुछ व्याप्त है। मपूर्ण मता का अनिन्तन परमात्मा का वारण है और परमात्मा का कारण ही इस तसार का कुछ अर्थ है। लघुतम म अधिक लघु और महतम से अधिक महत् यह अनिन्तन का मार तत्त्व प्रत्येक प्राणी के भीतर उपस्थित है। वह आदि मता इदिय प्राह्य नही है, अधिकार मे धिगी अज्ञान की गहराइयों म स्थित है धार्टियों म अवस्थित है प्राणियों के हृदय मे निवाम करती है यह असीम है। उस परवान्पुर्योत्तम को पहचानना और उसके माय एकाकार हो जाना मानव मात्र का लक्ष्य है। इस ईश्वर को अपना बना लेना और स्वयं ईश्वर का बन जाना बहत है। मानव विवेक की इस क्षेत्र मे वोई पहुच नही है। मनुष्य के दु ओं का मूल वारण अज्ञान है। अन दुओं को दूर करन के लिए ज्ञान की प्राप्ति परमाद्वयक है। ज्ञान से ईश्वर को समझना अनिवार्यत मभव है और माय ही मानव की समझने की सीमित शक्तियों म परे भी है। अतर्दृष्टि वह मपूर्ण ज्ञान है, जिसे हम अपनी तमाम शक्तियों के उपयोग म प्राप्त कर मवत है। उच्चतम ज्ञान प्राप्त करन के लिए दो तरह के अभ्यासों वी आवश्यकता है—(1) निदिघ्यामन अर्थात् स्वीकृत मिद्दातो का अनवरत चिनन तथा (2) पूर्ण भारत्याम का जीवनवापन। ईश्वर मे माझात्कार ही धर्म का लक्ष्य है। मपूर्ण मत्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान की समस्त अवस्थाओं को ध्यान मे रखना आवश्यक है। भारतीय विचारधारा जागृतावस्था और भुजुप्तावस्था (स्वप्न रहित निद्रा) पर ध्यान दती है।

हिंदू धर्म का एक अभिन्न अप वर्मवाद का मिद्दान है। वर्मवाद को प्राय भारत के मध्यो दशन मानत है। इसके अनुमार उत्कर्ष अद्यान् कमों के धर्म तथा अधर्म मर्वया मुरक्षित रहते हैं। किये हुए कर्म का फल नष्ट नही होता और बिना हिय हुए कर्म का फल नही मिन्नना तथा हमारे जीवन की घटनाएँ हमारे जनीत कमों के अनुमार ही होती हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले अपन को ही अपना भाग्य निर्माता समझत है। मनुष्य के जीवन मे इच्छा की स्वतंत्रता तथा पुरम्बार दोना ही मभव है। इसनिए कर्मवाद वो हम भाग्यवाद नही मान मकने है। इस मिद्दात के अनुमार कमों का फल तो अवश्य मिनेगा वह अनिवार्य है। किनु फल वा मध्य अनिवार्य नही वहा जा मकता क्याकि अपने प्रपत्तो मे मनुष्य उसमे परिवर्तन ना मकता है। मन्त्रमों के द्वारा पूर्व कमों के प्रभाव वो रोका या कम विद्या जा मकता है। मानव-जीवन वो उमर उठन के लिए अवमर प्रदान करता है।

हिंदू धर्म पुनर्जन्म मे विद्वाम करता है। नवीन जन्म का निदिघ्य पूर्वकृत सन् अथवा अमन् कमों के द्वारा होता है। पुनर्जन्म मे मुक्ति का भाव लगभग सभी भारतीय विचारधारा मे व्याप्त है। मुक्ति की व्यवस्था की कल्पनाएँ अथवा मुक्ति और उस प्राप्ति

करने के साधनों के सबै में विस्तृत भिन्नता है। मुक्ति की छ सविधाएँ बतायी गयी हैं वे हैं—न्याय, वैशेषिक, साध्य, योग मीमांसा और वेदात् ।

हिंदू दर्शन की महत्त्वपूर्ण विशेषता है, अद्वैतपरक बाह्य शून्यवाद । वैदिक विचार का सपूर्ण विकाम इसी ओर निर्देश करता है। डॉ० राधाकृष्णन् के अनुमार यदि हम धिन्न-धिन्न मतों का सारतत्त्व निकालकर सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो प्रतीत होगा कि भारतीय रूप में भारतीय विचारधारा की स्वाभाविक प्रवृत्ति जीवन एव प्रकृति की अद्वैतपरक बाह्य शून्यवादी व्याख्या की ओर ही है। यद्यपि यह शुकाव इतना लचीला मजीब और भिन्न प्रकार का है कि इसके कई विविध रूप हो गये हैं और यहाँ तक कि यह परस्पर विरोधी उपदेशों के रूप में परिणत हो गया है।<sup>28</sup> अद्वैतपरक बाह्य शून्यवाद को नार रूपों में वर्णित किया गया है—(1) अद्वैतवाद (अर्थात् मिवाय ब्रह्म के दूसरी मत्ता नहीं) (2) विशुद्धाद्वैत (3) विशिष्टाद्वैत और (4) अव्यक्त (उपलक्षित) अद्वैतवाद । यद्यपि विभिन्न हिंदू विचारकों तथा दार्शनिकों की अवधारणाओं तथा मिद्दातों में कई प्रकार की भिन्नता है और कुछ विशिष्ट दातों के मवध में परस्पर विरोध है किन्तु अनीत के प्रति सभी बराबर सम्मान रखते हैं और नेत्र को सभी भूल आधार मानते हैं वे सभी उपनिषद वहाँसूत्र तथा भगवद् गीता के सम्मेयण को अपनाते हैं ।

ग्राम से ही हिंदुओं न मत्य के अनक पथ को स्वीकार किया है तथा यह माना है कि विभिन्न मत सत्य के धिन्न-धिन्न पहलू वो लेकर प्रवट हुए हैं। इसीलिए उनमें अन्य मतों के प्रति सहनशीलता कूट-कूटकर भरी है। उन्होंने निर्भयता के माय ऐसे विषम मिद्दातों को भी उस सीधा तक स्वीकृति प्रदान की जहा तक उन मिद्दातों को तर्क का ममर्यन प्राप्त हो सकता था। “इसी प्रकार भारत में समय-समय पर जिन भिन्न मतों का प्रचार हुआ व सब उसी एक मुम्ब्य कृत वी जायाएँ मात्र हैं। मत्य की भोज के मुम्ब्य भारी के माय छाटी-छाटी पगड़ियों और अधी यलियों का भी सामज्य विया जा सकता है।”<sup>29</sup>

प्रमिद्व विद्वान् भैक्षमूलर ने मुक्ति की छ मविधाओं की भौतिक मिद्दाता में परस्पर महमति की निम्ननिमित छब्दों में प्रश्नमा की है। ऐने प्राचीन दर्शनों का जिनना ही अधिक अध्ययन किया उतना ही मैं विज्ञान भिन्न आदि के इस मत का अनुयायी होना चाहा कि पह्दर्घन की परस्पर भिन्नता की पृष्ठभूमि भ एक ऐसे दार्शनिक ज्ञान का भडार है जिसे हम राष्ट्रीय अध्यात्मा सर्वमान्य दर्शन कह मकते हैं, जिमवी तुनना हम उम विज्ञान मानसरोवर से कर मकते हैं जो यद्यपि मुद्रूर प्राचीन वात्स भ्यो दिशा में अवस्थित था तो भी जिममें से प्रत्येक विचारक को अपने उपयोग के लिए सामझी प्राप्त करने वी अनुज्ञा मिली हुई थी।”<sup>30</sup>

हिंदू धर्म का भारतीय नैतिक दृष्टिकोन सहिष्णुता एव दया का पदार्थी है। भारतीय दर्शन के अनुमार समार भानो एक रथभज है जिसमें मनुष्य वो कर्म करने वा अवसर भिन्नता है। वर्तमान जीवन में मनुष्य जैसा आचरण करता है जीवन मत्ता के क्रम में वैसी ही उमकी भावी स्थिति होनी। जन्म-मरण के बीच में युक्ति व्यक्ति का अतिम भय है। समस्त नियमों में छुटकारा पा जाने पर ही उसे पूर्ण मुक्ति भिन्न मरनी है। यह तभी हो सकता है, जब व्यक्ति निरत आवेदित करने वाले कर्म मिद्दात में परे हो जाय।

यह दो प्रकार से सभव है—(1) निवृति-कर्मों का परित्याग करके समस्त बाधाओं से परे होकर, (2) प्रवृत्ति-कर्म करने के मिथात को अपनाकर कर्म के क्षेत्र से स्वयं को मुक्त करना। हिंदू नीतिशास्त्र द्वितीय दृष्टिकोण को अपनाता है। व्यक्ति अपने को सद्कार्यों में लगाकर धीरे-धीरे मुक्ति की ओर अप्रसर होता है और अतत जन्म-मरण के साथ से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसके लिए हिंदू प्रथों में व्यक्ति को कुछ आचारसंहिताओं के अनुसरण करने तथा सामाजिक सुव्यवस्था को बनाये रखने के लिए कुछ कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वाह करने पर बल दिया गया है। हिंदू धर्म की गया इसी उद्देश्य को लेकर आगे प्रवाहित होती रही है।

हिंदू नीतिशास्त्र में दो प्रकार के धर्मों का वर्णन किया गया है—प्रथम माध्यारण धर्म, जिसके अतर्गत वे कर्तव्य एवं दायित्व आते हैं जो सर्व सामान्य हैं तथा द्वितीयत वर्णार्थम धर्म अर्थात् वे कर्तव्य एवं दायित्व जो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पर आधित होते हैं। (वर्ण धर्म) विभिन्न हिंदू धर्म-प्रथों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि उनमें अनेक साधारण धर्मों पर बल दिया गया है। गौतम स्मृति में बाल्मी के आठ गुण बताये गये हैं—सर्व प्राणियों पर दया महतशीलता स्तोष पवित्रता, सद्प्रथल, सद्विचार, खोभीनीता एवं ईर्ष्या से मुक्ति। सभी हिंदू प्रथ अहिंसा, सत्य, कृपा, दया, पैशीभाव, प्रेम एवं धर्म आदि सद्गुणों की शिक्षा देते हैं जो मनुष्यों में मन्त्री दयालुता एवं सहिष्णुता को प्रोत्साहित करते हैं। किंतु दूसरों की भलाई के मबद्द में इन सद्गुणों के अपवादों को भी स्वीकार किया गया है।

भारत में प्रारम्भ में केवल एक ही वर्ण था। सबके सब ब्राह्मण थे या शूद्र थे। एक स्मृति के मूलपाठ में कहा गया है “जन्मना जायते शूद्र, सस्कारैर्द्विज उच्यते”। वर्ण का जागिद्विक अर्थ है—रग विमका मूलरूप में प्रयोग आयों और दासों के बीच अतर स्पष्ट करने के लिए होता था। प्रांकेमर धूमें लिखते हैं,<sup>31</sup> ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग किसी वर्ण (ब्राह्मण धर्मिय आदि) के लिए कभी नहीं हुआ। वहा केवल आर्य वर्ण या आर्यजन का दास वर्ण से अतर स्पष्ट किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में चार वर्णों को चार वर्णों में बताया गया है। वर्ण अर्थात् रग ऐसा लगता है कि इसी अर्थ में आर्य तथा दास का अतर बताया गया है, जो उनके गोरे और बाले रग से अर्थ रखता है। यह शब्द रग के अर्थ को इतना यहरा अविनित करता था कि बाद में जब नियमित रूप से वर्णों को वर्णों के रूप में बताया जाने लगा तब विभिन्नता दर्शाने के लिए चार भिन्न रंगों वी कल्पना कर ली गयी। ऋग्वेद में जो आर्य और दास के बीच अतर है, वही अतर बाद में आर्य और शूद्र में भाना जाने लगा।<sup>32</sup> ऋग्वेद स्तोत्र के प्रसिद्ध पुरुष मूक्त में आदि पुरुष के बलिदान से सभाज के चार क्रमों के उद्भव का सदर्भ मिलता है। उन चार क्रमों के नाम दिये गये हैं—ब्राह्मण राजन्य (धर्मिय) वैश्य और शूद्र जो जगत में स्फटा के मुख, भुजा, जपा और पौरों से उत्पन्न पाते गये हैं। धीरे धीरे चारों वर्ण जन्म पर ब्राह्मणित अनन्त ममूहों में विभक्त हो गये। वास्तव में देखा जाये तो वर्णों में विभाजन के पीछे एक निश्चित उद्देश्य था। इसके द्वारा लोगों को एक-सी आर्थिक, सामाजिक, मास्तृतिक और आध्यात्मिक गृहना में बाधने का प्रयास किया गया था। प्रत्येक वर्ण के लिए मुनिशिवत कृत्य और

कर्तव्य नियत करके और उन्हे अधिकार और विशेषाधिकार देकर विभिन्न बगों में परस्पर महायोग और जातीय समन्वय स्थापित किया गया था। साथ ही विभिन्न बगों में यथायोग्य भावना और परपरा के विकास को लक्षित किया गया था। बगों में विभाजन आज जैसा नहीं था बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं और वैयक्तिक कर्मों के अनुमार लोगों को चार बगों में बाटा गया था, परन्तु इस विभाजन को मुकड़ोंर नहीं समझा जाता था। ब्राह्मण लोग पुजारी एवं अध्येता होते थे। उनके पास न सपत्नि होती थी और न कार्यवारी (शामन की) शक्ति। वे समाज के द्रष्टा होते थे। वे लोग वर्ग विभेद के स्वार्थ और आप्रह में परे थे तथा उनकी दृष्टि व्यापक और पक्षपातहीन थी। वे राज्य के परामर्शदाता के रूप में होते थे। क्षत्रिय लोग जामक एवं मैनिक होते थे जिनका मिदात था, जीवन के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा। वैश्य लोग व्यापारी और कारोगर होते थे जिनका उद्देश्य था, कार्यपटुता। शूषक, थायिक तथा नेंवक शूद्र वर्ण में माने जाते थे। जो निर्दोष मनोवेगों का जीवन बिताते थे और परपरागत गैतियों को अपनाते थे। जिनका मार्ग आनंद, विवाह और पितृत्व की पारिवारिक तथा अन्य सामाजिक मवधों की डिम्बेदारियों को पूरा करने में ही होता था। प्रथम तीन जातियां द्विज हैं क्योंकि इन जातियों के पुरुष उपनाम के वैदिक सम्बार द्वारा जनेऊ धारण करने के अधिकारी हैं जबकि शूद्र नहीं हैं। जितना ही उच्च वर्ण होता था उतना ही ज्यादा उसके कर्तव्य एवं दायित्व होते थे। सामाजिक उन्नति के लिए मुख्यों की पवित्रता योद्धाओं की दीरता व्यापारियों की ईमानदारी और कर्मकारों वा धैर्य सत्या शक्ति आवश्यक है। यहा कम-से-कम उच्चतम वर्ण से यह आत्मा की जाती थी कि वह वर्णार्थम धर्मों वा पालन करेगा, जिन्हे आरभ में ही इसी असमितिया विद्यमान थी। वैदिक प्रथों में अनक प्रसिद्ध ऋषियों के दासीपुत्र होने का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के रचयिता वेदव्याम हे। जन्म के सबै में भी वैद्य प्रचलित है कि महूँआरे की कन्या में उनका अन्य हुआ था। क्षत्रिय दर्ढे वा दावा करने वाले कई ग्रन्थपरिवार भी ब्राह्मण और यहा तक की शूद्र भी उत्पन्न हुए थे।

द्विजा के जीवन को चार आथमों में विभक्त किया गया था। प्रथम, ब्रह्मचर्य आथम— जो शरीर और मन को बिनीत एवं समय बनाता है में यज्ञोपवीत सम्बार के उपरान्त तस्जो को विद्यार्थी के रूप में गुह के आप्रम म निवास वर ब्रह्मचर्य तथा बटोर जीवन व्यतीत करना पड़ता था। द्वितीय मृहम्य-आथम, विवाह-सम्बार के उपरान्त आरभ होना था। यह सभी आथमों का आधम है। जिसम बनिदान करना पड़ता था वर्तियि सम्बार करना पड़ता था और मनाने प्राप्त करनी होती थी। तदुपरान्त पौत्र प्राप्ति के आनंदोपभाग के पश्चात् अपने वग रों मुद्रू बनाकर गृहत्याग के द्वाद बानग्रन्थ आथम आरभ होता था। इस आथम म मनुष्य बोनाहनमय जीवन म अलग हाउर जगत के एकान बातावरण में मननशील होकर तप द्वारा अपनी आत्मा वो सामारिक बन्धुओं म मुक्त करता था। अतिम जवस्ता भन्याम वो थी। इसम सम्मत मामारिक बघनां को ताहकर, व्यक्ति परमात्मा के सर्वक म रहने के लिए तथा स्वानुभूत मन्यो वा उपदेश दन के लिए सन्याम भेजता था। वह ऐसी अवस्था वो प्राप्त हो जाना था जिसम न उम धन अपवा सम्बान नृभा

सकता है और न सफलता आनंदित कर सकती है, न ही बसफलता हतोत्साहित, न कोई व्यक्तिगत आसक्ति होती है और न ही व्यक्तिगत आकाशा। वह अपने मे समता की भावना का विकास करता था तथा समूर्ख पृष्ठी को अपना समझता था।

हिंदू नीतिशास्त्र मे व्यक्ति के समूर्ख और सतुलित विकास के लिए जीवन के चार उद्देश्यों मे समुचित सतुलन पर बल दिया गया है। मानव को उन पुरुषार्थों (नक्षयों) को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये पुरुषार्थ हैं— धर्म, अर्थात् उचित व्यवहार के विद्यान का पालन करके नाभान्वित होना अर्थ अर्थात् सत्यमार्ग के अनुसरण द्वारा धन प्राप्त करना, काम अर्थात् मद प्रकार के मानवार्थिक मुख्यों का उपभोग और 'मोक्ष' अर्थात् आध्यात्मिक रूप से मुक्त जीवन व्यतीत करना। प्रथम तीन लक्ष्य व्यक्ति के अनुभवात्मित जीवन से सबृद्धि हैं जबकि चतुर्थ का सबृद्ध आध्यात्मिक जीवन से है। दूसरे तथा तीसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किये गये प्रयत्न धर्म प्रेरित होने चाहिए। अतः हिंदू नीतिशास्त्र मे व्यक्ति के महज वृत्तिक नैतिक तथा आध्यात्मिक—इन सभी पक्षों को धर्मसम्मत तथा अभिव्यक्ति के योग्य माना गया है।

सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आचरण ग्रन्थ 'भगवद्गीता' मे नैतिक कर्म के द्वेष मे नवीन तत्त्वों का विकास किया गया है। इसम कर्म सिद्धात की नवीन दिशा दी गयी है, परपरगत वर्गीकरणों मे अत्यधिक सामजस्य स्पापित करते हुए उसके आश्रय को विस्तृत बिया गया है। गीता के निष्काम कर्म की अवधारणा मे निवृत्ति धर्म प्रवृत्ति के सिद्धातों को सम्मिलित कर लिया गया है। कुरुक्षेत्र मे स्वधर्म से च्युत होते हुए अर्जुन को श्रीकृष्ण ने स्पष्ट किया कि शरीर के अवभान का अर्थ आत्मा को मृत्यु नहीं है। आत्मा बच्छेद, अदाह्य, अक्लेष अशोच्य, नित्य सर्वव्यापक अचन स्थिर और सनातन है। मनुष्य को यथासभव दिना किमो मोह, नित्रो कामना अथवा महत्त्वाकांशों के कर्म करना चाहिए। उमे समस्त कार्य परमात्मा के ऐश्वर्य हेतु करते हुए जिस समाज का वह मदस्य है उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवद्गीता का यार है कि 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा क्लेषु कदाचन्।'

निष्काम कर्म के द्वारा मनुष्य समत्व के आदर्श दो प्राप्त करता है। यह समत्व तीन चरणों मे प्राप्त किया जा सकता है— (1) आत्मनिष्ठ सम्बन्धितता, (2) वस्तुनिष्ठ सम्बन्धितता (3) सम्बन्धितता की परिपूर्णता। गीता मे आत्मनिष्ठ पहलू की विवेचना करते हुए कहा गया है कि वही व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है जो सुष्ठुपु से प्रभावित नहीं होता। द्वितीय चरण वस्तुनिष्ठ सम्बन्धितता का होता है। जब वह सभी प्राणियों के वल्याण वी कामना करता है, वह सभी वो अपने समान समझने लगता है। इसका चरमबिंदु तब होता है, जब व्यक्ति तीना प्रकार के गुणों की दैहिक और ऐहिक विशेषताओं के परे हो जाता है और यह अनुभव करता है कि ये गुण उसके अपने आध्यात्मिक स्वभाव के असंगत हैं। तब वह सामारिक गुणों से परे हो जाह्यन्त्र को प्राप्त होता है।

गीता मे विभिन्न हिंदू विचारधाराओं का तर्कनापरक विव्लेषण प्रस्तुत किया गया है, इममे सभी हिंदू दर्शनों का निष्पोड विद्यमान है। इममे ज्ञानमूलक भक्ति प्रधान वर्मयोग वी

शिक्षा दी गयी है। इसमें स्वधर्म को स्वभाव और युगधर्म पर आधारित माना गया है। इस प्रकार गीता में व्यक्ति को अनोमित स्वतन्त्रता दी गयी है। गीता का मरेण है कि अपनी पूर्ण योग्यता के माथ अपने जातीय वर्म के पालन द्वारा बिना किसी निजी आकाश्च के ईश्वर की भक्ति द्वारा, व्यक्ति मुक्ति वा नाभ करेगा वह चाहे किसी जाति का हो। गीता में व्यक्ति को न तो पूर्णाङ्ग पारलैंडिक जगत में पहुचा दिया गया है और न ही उसे पूर्णतया भौतिक युग में बाध दिया गया है। गीता की प्रेरणा वा समस्त भारत मध्यापक अनुभव किया जाना रहा है, यहाँ तक कि ईमाइयों तथा मुसलमानों ने भी इसकी मराहना की है। इस प्रकार हिंदू दर्शन के सिद्धातों में मामात्यत स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के विधान को पूर्ण करने वा यत्न करना चाहिए। अपने नमूने के अनुकूल ही अपने जीवन को अनुशासित करना चाहिए। किन्तु वर्णाश्रम धर्म का समय-नमय पर अनेक महापुण्यों द्वारा विरोध दिया गया है। जगदगृह जकराचार्य ने—जिसने अद्वैत का स्पष्ट अनुभव कर लिया है माना है—वह चाराधार हो या चाराल गुरु रामानुजाचार्य मंदिर को चोटी पर चढ़कर भगवा का उन्नाशन गमी को भनाई के लिए करने थे। मध्यकालीन भक्ति आदीन के अनेक विद्यों एवं मनों ने वर्ण (जाति) व्यवस्था वा घोर विराम किया। आधुनिक वालीन समाज-मुधारबो—रामपोहन राय दयानन्द सरस्वती स्वामी विवेकानन्द रामहरण, बालगलाघर तिलक श्री अरविंद महाल्मा गाथी आदि—ने तुनरुज्जीवित भारतीय समाज की स्थापना के लिए देवो उत्तिष्ठदो और भगवद्गीता वी प्रमुख शिक्षाओं का सहारा (आध्यय) लिया तथा वर्ण-व्यवस्था वी चुराइयों को दूर करने का प्रयास किया।

हिंदू धर्म एक निश्चिन मरचनाविहीन धर्म है। इसका कोई एक केंद्र नहीं यह बहुविकास विभाग है। न तो कोई एक धर्म विद्वाम है और न ही कोई एक धर्मपत्र है न तो कोई एक पैमार है और न ही कोई एक सत्यापक। अपिन्तु यह ता एक निरतर नवीन होते हुए, अनुभव के आधार सत्य वी निरतर और अप्रहृणी चौड़ है। इसमें पुरोहित-व्यक्ति साधु-मन्त्रामी ऋषि मुनि वी बड़ी सोमित भूमिका है। वे न तो पथ हैं और न ही पथ के एकमात्र निर्देशक हैं, बल्कि महापाप हैं। हिंदूत्व परमात्मा के विषय में निरतर विकासमान मानवीय विचार है। इसके पैमारबो और ऋषियों का कोई अन नहीं है और न ही इसके सिद्धात यथो वी ही कोई सीमा है, यह अनगिनत देवी-देवताओं वी पूजा म सम्बंधित है। प्राय ऐसा होता है कि जब जिस देवता वी आराधना की जाती रहती है तब उस देवता को अन्य सारे देवताओं में थेठ बताकर उसकी स्मृति वी जाती है। किमी-न-किमी धर्मपथ से एक कथा नेकर इस प्रकार की थेठता सिद्ध वी जाती है। शैव लोग शिव को अन्य भगवानों में थेठ मानते हैं और इसमें उल्टी स्थिति वैष्णवों वी है जो विष्णु को थेठ भगवान मानते हैं। हिंदू धर्म सिद्धातों और विश्वामी वी तह म एक प्रकार का एकेश्वरवाद विद्यमान है। हिंदूत्व एक ही सर्वोच्च वाम्नविकास तक पहुचने और उसे प्राप्त करने के प्रयत्नों वी विविधता को स्वीकारता है। महाभारत म वर्णित है, जिस तरह आदाश में होने वाली वर्षा वा बारा जल अन म ममुद म पहुच जाना है, उसी तरह चाहे जिस भगवान के प्रति वहाँ व्यक्त वी जाय, अन में वह वंगव तक पहुच जानी है।'

किन्तु हिंदू धर्म के सभी देवता अतिम विस्तेन्द्रण में सर्वोच्च, निराकार, निर्युण बहु की अभिव्यक्ति मात्र हैं। हिंदू लोग इन विभिन्न विश्वासों को परस्पर विरोधी नहीं मानते हैं और धर्मशास्त्रीण ईश्वर के सबध में प्रत्येक दिनार को लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं के उनकी जाति और इतिहास के, उनके लिंग और स्वभाव के सापेक्ष मानकर समाधान करते हैं। यह हिंदुत्व के समझौते और महायोग की प्रवृत्ति का अद्भुत उदाहरण है। धर्म के चार ओर माने गये हैं—(1) धूति या वेद, (2) स्मृति और स्मृति के जानने वालों वा व्यवहार, (3) धर्मात्मा लोगों का आचरण और (4) व्यक्ति का अपना अत करण।<sup>33</sup> हिंदुत्व में अत्यावश्यक परिवर्तनों के लिए स्थान रखा गया है। जब भी इसमें एक जड़ मतवाद के विकास की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी तो अनेक आध्यात्मिक पुनरुत्थान और दार्शनिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुईं और उपलब्ध विश्वास कसौटी पर करे गये, असत्य का मुड़न कर मत्य की स्थापना की गयी। जब-जब परपरागत विश्वास, काल-परिवर्तन के कारण अपर्याप्त ही नहीं छूठे मिठ हुए और युग उनमें ऊन गया, तो बुद्ध या महाबीर, व्याम या शकर जैसे युगपुरुष की चेतना आध्यात्मिक जीवन की गहराइयों में हलचल उत्पन्न करती हुई जनभानम पर छा गयी। भारतीय विचारधारा के इतिहास में निस्सदेह ये बड़े महत्त्वपूर्ण क्षण रहे। आतंरिक कसौटी और अतर्दृष्टि के क्षण, जबकि आत्मा की पुकार पर मनुष्य के मन ने एक नये युग में पग रखा और एक नये साहिमिक कार्य पर चल पड़ा।<sup>34</sup>

यद्यपि कुछ पथों के प्रति अत्याचार के उदाहरण अपवाद स्वरूप अवश्य मिलते हैं, किन्तु सामान्यत प्राचीन भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता को महत्व दिया था। सप्तांश अशोक ने अपने माध्याज्य के समस्त धर्मों को पात्र जीर्यकों में वर्गीकृत किया था—सध (बौद्धानुयायी) ब्राह्मण, आजीवक, निर्धय (जैनी) एवं अन्य सप्रदाय। यद्यपि उसने अपना प्रधान मरणण बौद्ध धर्म को प्रदान किया था, वह सभी धर्मों का समान आदर करता था और अपनी प्रजा में वैसा ही करने की आशा रखता था। उसके उत्तराधिकारी ने भी नास्तिक आजीवकों को अपने यहा प्रथय दिया था। मनु एवं याजवल्क्य भिन्न विश्वासियों की प्रवाओं को मान्यता देते हैं। हिंदू शासकों वा यह कर्तव्य बन गया था कि वे सभी धर्मों के अनुयायियों या नास्तिकों, सभी की रक्षा करे। यही कारण है कि हिंदुओं बौद्धों और जैनों के साथ-साथ चार्वाक और लोकायत जैसे भौतिकवादी भी भारत में आदिकाल से ही पत्तलवित और पुण्यित होते रहे हैं। भारत में धार्मिक महिष्णुता की भावना का प्रमाण यह तथ्य है कि भारत में बहुत पहले से अत्यस्तर्यक यहूदी, सीरियाई, इसाई और पारमी मौजूद हैं। भारत के मुहुमुदी टटों पर इनकी बस्तियों के प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। मुहम्मद के मरमय से बहुत पूर्व अरबवासी भारत में आये और यही बम गये। ए एल वाश्व निभते हैं— भारत में अभारतीय सप्रदायों के उत्पीड़न का कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उनके सदस्य जाति से अपनी उपासना पढ़ति का अनुसरण करते रहे, जो तटीय नगरों के धार्मिक जीवन में अमत्य परतु महत्त्वपूर्ण तत्त्व थे जबकि हिंदुओं का विशाल ममूह इन विदेशी आस्थाओं के प्रति विशेष जागरूक नहीं था और उनका उप विगोंगों नों विस्तीर्ण प्रवार नहीं था। सहिष्णुना वी इस धारिता ने हिंदू धर्म की अपनी

विशिष्ट नमनीयता की सबृद्धि की और उसके अति जीवन की मुख्या को सहयोग प्रदान किया।<sup>15</sup> यहाँ यह स्पष्ट है कि यह सहिष्णुता और सर्वधार्हिता हिंदू धर्म समझना का परिणाम है। वह साध्य है, माध्यन नहीं।

## राज्य और धर्म

प्राचीनकाल में भारत में राजाधिकार के उदय के मवाह में कई दौराणिक अत्मरात्न मिलते हैं। यह भानवीय आवश्यकताओं और सैनिक मागों पर आश्रित माना गया था। राजा मुख्यत युद्ध का एक नेता माना जाता था वह युद्ध में प्रजा का नेतृत्व करता था। उमे दैवी शक्ति से सपन्न समझा जाता था। किन्तु राजाधिकार को चुनौती न दी गयी हो यह बात नहीं थी। समय-समय पर उमे चुनौतिया दी जाती रही तथा दैविकना ने राजा के धर्मनिरपेक्ष आचरण में कोई अनर नहीं आने दिया।

प्रजा के दिलों में राजा के लिए बड़ा आदर होता था तथा राजा प्रजा को अपनी सतान मानता था। यद्यपि राजा वैधानिक नियत्रणों में मुक्त हुआ करता था तथापि वह पूर्ण स्वेच्छाचारी नहीं होता था, वह उतना ही धर्म के अधीन होता था जिनका कि प्रदा होती थी। वह धर्म को प्रोलमाहन देने और प्रवर्तित करने के लिए बाध्य होता था। आङ्गमणों से प्रजा की मुख्या करने के माय-माय धार्मिक धर्यों के अनुरूप मामाजिक व्यवस्था, ममस्तु वर्गों तथा अवस्थाओं की उचित जीवन प्रणाली को लागू करना राजा का कर्तव्य होता था। पवित्र परपराओं का राजा द्वारा आदर किया जाना अवश्यक था। यद्यपि ब्राह्मण-पात्रों के अध्ययन से पना चलता है कि राज्य में सामान्यत ब्राह्मणों अधबा पुरोहितों को उच्च स्थान प्राप्त था। राज्य के कल्याण के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का नियादन राजकीय पुरोहित द्वारा किया जाता था। निमिति करने वाला तथा उनकी व्यास्था करने वाला ब्राह्मण होता था। वह राज्य में ऊपर होता था। वे कर से मुक्त होते थे, उन्हे मृत्यु दड नहीं दिया जा सकता था तथा अन्य वर्गों की तुलना में उनके लिए दड की व्यवस्था नरप थी, किन्तु इसका कदापि यह अभिप्राय नहीं है कि प्राचीन काल में भारत में धर्मत्र वी व्यवस्था थी क्योंकि ब्राह्मण वर्ष राजा अथवा राज्य पर अपने नियत्रण का दावा व्यावहारिक रूप में कभी नहीं कर सका। जो दावा धर्यों में ब्राह्मणों अधबा पुरोहितों द्वारा किया गया, वह क्या होना चाहिए था' का बर्णन है, न कि क्या बास्तविक रूप में उन्हे प्राप्त था। राजा तर्बदा रावोंपरि था, वह ब्राह्मणों के हाथ पर नहीं खेलता था। ब्राह्मणों के अधिकार विशेषाधिकार के बहुत धार्मिक पुस्तकों तक ही सीमित थे। ऐतरेय ब्राह्मण तो यहा तक स्वीकार करता है कि राजा अपनी इच्छा अनुभार ब्राह्मणों को राज्य में बाहर निकाल सकता है— (ब्राह्मण) आदायी आप्यायी अवसायी यथाशोम प्रायाप्य (7.29)।

राजा को भासुन सबृद्धि कार्यों में सलाह देने के लिए मत्रियों वी व्यवस्था होती थी जो प्राय ब्राह्मण होते थे। राजा से यह अपेक्षा होनी थी कि वह अपने मत्रियों की मत्रजा मुने, मत्रियों को बाद-विवाद में निर्भय रहने की परामर्श न्यग्रभग मध्ये शामन प्रबध

सबधी ग्रंथों ने दी है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण नियत्रण जनमत था। प्रत्येक राजा अपनी लोकप्रियता का विशेष ध्यान देना था जो जनमत का गभोरतापूर्वक अपमान करता था। वह अपने लिए सकट को मुला आमत्रण देता था। चरम स्थितियों में यहाँ तक कि राजवध तक लोगों को महा था। अनेक राजा जैसे बेण नहुए, मुदाम, मुमुख और निमि आदि को या तो पदच्युत कर दिया गया था या उनकी प्रजा द्वारा हत्या कर दी गयी थी। अत प्रत्येक दशा में जनसमूह को मनुष्ट रखना राजा का मुख्य उद्देश्य होता था। स्वर्गीय डॉ० वाजीप्रमाद जायमवाल ने राजाओं के राज्याभियोक के समय जो विधि प्रचलित थी उसमें वह निष्कर्ष निकाला है कि राजत्व मनुष्ट निर्भित मस्था थी। राजन्यद को स्वीकार करन समय उसे कई प्रतिज्ञाएँ करनी पड़ती थीं जिनके अनुसार प्रजा का हिल और उसकी ममृद्धि राजा का सर्वथेष्ठ कर्तव्य होता था। वह नियमों के अधीन होता था।

राजा को धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक दोनों तरह के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था। राज्य के आध्यात्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष कार्य दोनों परम्पर मबद्द थे। राजा राजधर्म का पालन करता था किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं था कि वह किसी विशेष पथ अथवा विश्वास को लोगों में सागृ करता था। धर्म सर्वोच्च नियम था उसका अर्थ अन्यधिक व्यापक था तथा सभी के लिए बाध्यकारी होता था। यद्यपि राज्य और धर्म के बीच मस्थालिक पृथक्करण नहीं था। धार्मिक मस्थाओं का प्रशासन एवं रब-रसाव राजधर्म समझा जाता था तथापि राजा और राजवीय पुरोहित के कर्मों के मध्य स्पष्ट सीमा रेखा नथा। धार्मिक सहिष्णुता के कारण निश्चय ही वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का अत्यधिक विकास हुआ साथ ही हिन्दू धर्म में एवं मगठित चर्च का अभाव तथा विश्वामो एवं मतों वी भिन्नता का अस्तित्व भी धर्मनिरपेक्ष भावना के लिए महायक रहा।

भारत में हमेशा राजतंत्र ही नहीं रहा है। यदि हम इतिहास की दुर्बीन उठाकर अतीत वी पयड़ियों पर विहगम दृष्टिपात करे तो हम पाते हैं कि यहाँ वर्षों तक ऐसे सेव थे, जहा जनता के प्रत्येक मदस्य को शासन के भाषण में अपनी मम्मति देने का अधिकार था। पौराणिक साहित्य भी इस बात के साक्षी हैं। सभा और समिति नाम की मस्था ए होती थी। सभा का सदस्य ही मध्य कहनाता था जिसमें मम्मता की कल्पना प्रारम्भ हुई। ये लोग अमध्य कहताते थे जो विसी सभा के शासन में नहीं होते थे, जिनका कोई मम्मति नहीं होता था। अर्थात् सभा द्वारा शामित होना मम्मता का प्रतीक माना जाता था। यदुविश्यों के बारे में महाभारत और श्रीमद्भागवत पुराण ये मिछ करते हैं कि यदुविश्यों वी मुधर्मा नामक एक मस्था थी। जिसके दो अध्यक्ष थे—बलराम और श्रीकृष्ण। बलराम या नो अपने शारीरिक परामर्श को बढ़ाने और लोगों को गदा आदि की युद्ध-विद्या भें शिखित करने भें लगे रहते थे या नग भ खुल रहते थे। शासन का अधिकार भार श्रीकृष्ण को ही उठाना पड़ता था। मुधर्मा भ श्रीकृष्ण को कृतवर्मा तैय विरोधी आलोचक की बदूतिया सहन करनी पड़ती थी। जब दुर्योधन और अर्जुन श्रीकृष्ण से युद्ध भें महायता के लिए अनुरोध करने येते तो यादवों को सेना दुर्योधन के

साथ यमी और श्रीकृष्ण को नि शस्त्र होकर, अर्जुन का साथ देने का अधिकार मिला। इससे यह बात सिद्ध होती है कि यदुवशियों में बहुमत की मान्यता थी। क्योंकि अर्जुन यदुवशियों की सम्मति के बिना उनकी राजकुमारी सुभद्रा को विवाह के लिए भगाकर ले गये थे। इसमें श्रीकृष्ण की मिनीभगत थी। उनके काफी समझाने-नुजाने पर भी यदुवशियों ने अर्जुन को खासा नहीं किया। अर्जुन इस बात को भली प्रकार जानते थे। यही कारण था कि उन्होंने सेना बोने भागकर श्रीकृष्ण को मारा तथा यदुवशियों ने युद्ध में अर्जुन को सहायता देने के बजाय उनका विरोध करना उचित ममझा। बलराम भी इसमें नटरूप हो गये। इस प्रकार महाभारत का जातिपर्व यह बदाता है कि दो स्वायत्त प्रदेशों जो गणत्रात्मक मरकार रखते थे अधक और वृश्णि का सघ विद्यमान था जिसके प्रभुम श्रीकृष्ण थे तथा बहुमत की मान्यता थी।

गौतम बुद्ध के समय दैशास्त्री और उसके आमपाल की लिङ्गविद्यो की जनतत्रात्मक मरकार की कहानी काफी प्रसिद्ध है। लिङ्गविद्यो के लिए भगवान बुद्ध ने यह भविष्यवाणी की थी कि जब तक वे एक रहेंगे उन्हें कोई हरा नहीं सकेगा। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध भी एक ऐसा कुल में पैदा हुए थे जो जनतत्र था—शाक्य कुल। जिसके प्रधान उनके पिता शुद्धोधन थे। शुद्धोधन 'राजा' रहे हों यह निश्चित नहीं है। यद्यपि उन्होंने राजा वर्णित किया जाता है। किंतु इतिहासकारों का मानना है कि शब्द 'राजा' या 'राजन्' उनीं अद्यों में नहीं प्रयुक्त होता था जिस अर्थ में राजा (नरेश) शब्द प्रयोग होता है। उन समय भारत में विशेषतया उस क्षेत्र में नहीं, जहाँ भगवान बुद्ध उत्पन्न हुए, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और जहाँ प्रथम धर्मोपदेश दिया अर्थात् कपिलवस्तु लुम्बनी भग्नध और भारताय में भिसुओं के मध्य थे। जो लोकतात्त्विक प्रशास्त्री पर चलते थे। भगवान बुद्ध ने भी सध को सबसे ऊचा दर्जा दिया था। ईसा में पूर्व भारत के पठिचमोत्तर भाग में शिवि तथा मत्स्य जातियों के गणतत्र विद्यमान थे जिनके प्रबल विरोध का सामना मिकदर को प्रजात्र में सहना पड़ा था, जिसके कारण उसकी सेना बोआरे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। इस प्रकार गणतत्र की अवधारणा भारतीयों के लिए विदेशी नहीं है। जिस समय द्वीस में गणतत्र या प्रजातत्र की मरकारे थीं उस समय या उसमें पहले से भारत में गणतत्रात्मक मरकारे थीं। हम जानते ही हैं कि प्रजातत्र के लिए अभिव्यक्ति और जानकारी प्राप्त करने की स्वतत्रता आवश्यक होती है। निर्णयों पर आने के लिए भूली बहुग भी के अनुभवों और विचारों बो बिना वर्ग अध्या धर्मसत के आधार पर भेदभाव किये, ब्रावर महस्त तथा व्यक्ति की गतिमां को महत्व देना प्रजातत्र का गुण है तथा प्रजातत्र और धर्मनिरपेक्षना एक-दूसरे के पूरक होते हैं।

भारतीय राजनीतिक विचारों के इतिहास के आरभिक काल में ही यथनारो ने विद्या की एक ऐसी स्वतत्र शास्त्र का निर्माण किया था, जिसमें राज्यों की प्राप्ति और उनके सरकार का अध्ययन कामन-कला का विभिन्न विवेचन है तथा धीरे-धीरे इसमें मनूद्ध और सञ्जक्त साहित्य आकर तुदाता गया। परपरागत भारतीय विद्याओं को मूँची में कभी तो चार विद्याओं को सम्मिलित किया गया था, कभी जठारह, तो कभी बतीस विद्ययों को। किंतु प्रत्येक मूँची में तुम्ह धर्मनिरपेक्ष विषयों को हमेंगा सम्मिलित किया गया था।

प्रथम सूची के अतर्गत राजनीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र समाविष्ट थे द्वितीय सूची में चिकित्साशास्त्र, सैन्यविज्ञान समीतशास्त्र और राजनीतिशास्त्र मिलित किये गये थे और अतिम सूची में राजनीतिशास्त्र, कामशास्त्र, ललित कलाएं तथा अन्य विद्याएं शामिल की गयी थी। प्राचीन कालीन भारतीय विद्वविद्यालयों में चौमठ ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। यहां तक कि अश्वशास्त्र तथा राजशास्त्र आदि विषयों पर भी साहित्य लिखा जा चुका था। इस प्रकार राजनीतिशास्त्र को विद्याओं की सूची में न केवल वेदों के समकाल दर्जा दिया गया था बल्कि आरभिक अर्थशास्त्र विचारधाराओं में से दो ने वेदों की सूची से बाहर रखने की बात इस आधार पर बही कि ये सामारिक व्यक्तियों के लिए निरर्थक हैं तथा भारद्वाज ऋषि जैसे विद्वानों ने तो राजनीति के लिए सदाचार की हत्या उस सीमा तक कर दी जितना मैकियावेली ने भी नहीं किया तथा प्राचीन अर्थशास्त्र में कूटनीति की पराकारपाठ कर दी है।

अर्थशास्त्र में आचार्यों ने अतिम तथा महानतम आचार्य कौटिल्य ने विद्याओं में वेदों को उचित स्थान प्रदान किया तथा राज्य प्रशासन में धर्मविद्याओं को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया, किन्तु उसने पुरोहिती शक्ति को राजकीय शक्ति के अधीन रखा।

**अर्थशास्त्र कहता है**

धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम् ।

विवादार्थश्चतुष्पादं पश्चिमं पूर्वबाधकं ॥

अर्थात् वैदिक व्यवस्था के चार स्तर होते हैं। आचार सहिता (व्यवहार) न्यायालयों द्वारा मुस्थापित— धर्मशास्त्र, चरित्र (इतिहास अथवा, विवल्यन मुस्थापित दीवानी विधि), राजशासन (राजा की आज्ञापिया) तथा प्रत्येक अपने से पूर्व पर मर्वोपरिता रम्ता है। इस प्रकार पवित्र ग्रंथों के नियमों पर धर्मनिरपेक्ष सत्ता की आज्ञापिया अधिभावी होनी थी। राजनीतिक और वैधिक समस्याओं के प्रति अर्थशास्त्र के पूर्णत धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का वी वी गजेन्द्रगढ़कर ने बड़ी अच्छी तरह से वर्णन किया है।

'अर्थशास्त्र के 'धर्मायियाम्' भाग में की गयी विवेचना विधिक इतिहास में एकदम अद्वितीय है। यह विश्व में एक आरभिक धर्मनिरपेक्ष सहिता होने का विधिममत दावा कर सकता है और जिम उच्चस्तर पर वैधिक और न्यायिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है, जिस परिशुद्धि के साथ विवरण दिये गये हैं तथा जिम पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष यातावरण वो यह मर्व अभिव्यक्ति प्रदान करता है, वे इसे विधिक साहित्यिक के इतिहास में एक गर्व का स्थान प्रदान करते हैं। यह उस समय वी देश वी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों पर पूर्ण प्रकाश ढालता है। -इसमें कोई गदेह नहीं है कि यह एक ऐसे महान लेखक वा प्रथ है, जिसने पूर्णत धर्मनिरपेक्ष, वैधानिक और वस्तुनिष्ठ दण समस्याओं वा अध्ययन किया है।'<sup>36</sup>

अर्थशास्त्र के अध्ययन में यह ज्ञात होता है कि शासन बना के सबध में मैकियावेनी वे और सोलहवीं शताब्दी ये लिखा, कौटिल्य ने उमे कई अलगियों पूर्व लिख दाना था।

किन्तु जहा ऐक्यावेली इटली को स्वतंत्र कराने की भावना न प्रेरित था वही पर कौटिल्य की शिक्षाओं में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। बल्कि उनमें उसकी विलक्षण बुद्धि का परिचय अवश्य मिलता है। जहा 'राज्य' के लिए ऐक्यावेली ने पद-पद पर नीति की हत्या की है, वही पर कौटिल्य ने नीति के विशद्द कार्य करने के अवसरों को क्रमन्त्र-क्रम कर दिया है। उमन अपने नियमों में बड़े-बड़े भूमि प्रदेशों को प्राप्त करन में इन बात पर और दिया है कि प्रजा के भाष्य मुद्रण तथा देया का बर्ताव करना चाहिए। अत यह बिना कह नहीं रहा जा सकता कि कौटिल्य वीर राजनीति उसके युगोपीय ममकश्च मैक्यावेली की तुलना में मानवीय मनोविज्ञान की इन गहराई तक पहुच गयी है, जहा तक ऐक्यावेली नहीं पहुच सका।<sup>27</sup>

बाद के लेखकों में 'वृहस्पति सूत्र' का लेखक प्रारम्भिक अर्थजात्मक की तरह में केवल राजनीति को ही विद्या मानने को तैयार या जबकि नीतिवाक्यामूलम्' के जैन लेखक न कौटिल्य की ही तरह वेदों को उचित महत्व दिया है।

द्वाहृणीय स्मृतियों में वर्णित राजधारणा भी आरभ से ही इननी लक्षीनी थी कि इधरमें अनेक धर्मनिरपेक्ष तत्त्वों को सम्मिलित किया जाता रहा। जैसा कि यामाजिक व्यवस्था के नियमों तथा राज्य के बानूनों के अनेक स्रोतों और उनकी व्याख्या में तर्कनापरक सिद्धान्तों के प्रयोग राजा की मत्ता तथा दायित्वों के विभिन्न आधारों वीर अवधारणा तथा राज्य और समाज के हृत में भरकार के मिद्दानों एव नीतियों के व्यवस्थापन से स्पष्ट है। सूनियों के राजनीतिक विचारों के विकास वा चरभोत्तर्य हम मनु और 'महाभारत' में भी इस के विचारों में मिलता है। इन सिद्धान्तों ने महापति के सिद्धात तथा अराजक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए राजा की मत्ता के मिद्दान वा अत्यधिक तर्कनापरक ढंग से वर्णित किया है। इनके बनुभार राजा राज्य का एक कर्मचारी है, जिसे रक्षा करने के लिए प्रजा कर देती है। जो जामक प्रजा-रक्षा में अपोग्य मिलता है, वह भारस्वरूप है और प्रजा को चाहिए कि ऐसे जामक को अलग करके दूसरे योग्य शामक को स्वीकार करे। इन प्रथकारों ने राजनीति को साधारणत धर्मनीति के बनुभार व्यवहार करने का निर्देश किया है, किन्तु राज्य के हृत में वे इन सिद्धान्तों के व्यतिक्रम वीर भी क्षम्य मानते हैं। भीम ने जामन के मामलों में जहा एक तरफ नीति परायेता के मिद्दात पर बल दिया है वही दूसरी तरफ हिमा के प्रयोग के मिद्दान वा भी तर्कनापरक वर्णन किया है। दाहुरी मनु के विशद्द मवोचरहित कूटनीति और प्रकल्पित विद्यासप्तान सहित पूर्ण युद्ध वा ममर्थन करता है। जहा भीम ने जामन-कला के चार गुणों को गणना की है, मुप्रतिष्ठित धर्मनियम, प्रथा, तर्कबुद्धि वालाचितता वही दूसरी तरफ धर्मनियमों का अत्यधिक कठाई के भाष्य प्रयोग के विशद्द चेतावनी दी है, यकट के ममय इनकी अवहेनना वो उचित ढहराया है।

अत धर्मनिरपेक्ष राज्य वीर अवधारणा वर्तमान ममय में अधीरीका आदि परिचयी देनों में विकसित हुई है, उसकी तुलना प्राचीन भारत वीर राजनीतिक व्यवस्था से करना अन्याय होगा। किन्तु जिस प्रकार बौद्ध जैन तथा इस्लाम आदि धर्म हिन्दू धर्म के भाष्य अभिन्नत्व में रहे उनके अनुयायी अपने उपदेशों का स्वतंत्रतापूर्वक प्रचार करते रहे,

धर्म-स्वलो का निर्माण किये तथा अपने हम का जीवन स्वतंत्र करते रहे। इससे स्पष्ट है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए जो एक अत्यधिक आवश्यक तत्व धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता है, वह प्राचीन बाल में कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में मर्वत्र विद्यमान थी। हिंदू धर्म में व्यावहारिक धरातल पर विद्यमान कुछ असर्गतियों को हम नकार नहीं सकते, विनु ये उसकी सामान्य प्रवृत्ति कभी नहीं रही। यद्यपि वर्ण-व्यवस्था के आदर्शों को तिलाद्वानि सामादिक वास्तविकता बन चुकी थी। इसमें अनेक हृदिया और अधिविद्याम विकसित हो गये थे। सुआद्यूत का विदेला जहर ममाज के बारीर में फैल चुका था। बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रति अत्याचारों के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। छठी शताब्दी में एक हृष्ण राजा मिहिरकुल ने मठों वा ध्वम तथा भिसुओं का वध किया था। बगाल के एक कट्टूर शैव राजा शशाक ने मातवी शताब्दी के प्रारंभ में बाल्यकुब्ज पर अपने आङ्गमण के समय गया के वोधिवृक्ष को लगभग मपूर्ण नष्ट कर दिया। कई जैन मदिरों को भी कुछ राजाओं के द्वारा शैव मदिरों में बदला गया था। इसके बावजूद हिंदू धर्म की सामान्य प्रवृत्ति आङ्गमण की नहीं, बल्कि निरातर आत्ममात् करने की रही। प्राचीन कालीन धर्म की अवधारणा दर्शन नैतिक दृष्टिकोण तथा धर्मनिरपेक्ष और अध्यात्मिक कार्यों का राज्य और पुरोहित के हाथों अलग-अलग निष्पादन होना आदि तत्व भारत को धर्मनिरपेक्ष बातावरण देने में मफल रहे।

### मध्यकाल

पीछे हम देख चुके हैं कि आदिकाल में भारत में धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाता था। सामान्यत धर्म के मानन और आचरण करने की स्वतंत्रता थी। इस भारतीय स्वभाव के कारण ही भारत में आने वाले दूसरी तरह के धार्मिक विचारों का स्वायत्त किया गया। ईमाई धर्म भारत में 52 ईमवी में आया। ऐसा माना जाता है कि बैंगोसेल सत धामस ने उत्तीर्ण से भी ल्यादा शताव्दियों पूर्व केरल में आकर उपदेश दिया था। इस्नाम भी अरब में उदय होने के बाद तुरंत भारत में पहुंचा था। अरब लेखक अल-इशतकरी ने राष्ट्रकूट राज्य के नगरों के मुसलमानों और मस्तिहों का वर्णन दसवी शताब्दी में किया था। तमितनाहु के कुछ मुस्लिम ममुदाय जैम रवृत्तन और मब्दे भारत में इस्लाम के आरभिक आगमन की दर्शते हैं। तिरचिरापल्ली में नाथड बनी का मकबरा 417 ए एव दर्शाता है। आठवीं शताब्दी में परिवर्मी टट पर पारमियों ने भरण मार्गी थी और उन्हे दी गयी थी। जबकि यहूदी धर्म को भारतीय धरती पर उसमें पहने स्थान मिल चुका था। ध्यान देने योग्य बात है कि इन धर्मों को चाहे वे ईमाई हो या इस्लाम पारसी हो या यहूदी, यहा स्थान मैनिक विजय के कारण नहीं मिला था, बल्कि स्थानीय अधिकारियों, यहा तक कि प्रमुख धार्मिक अधिकारियों की महब्बतिल्लत और उत्तरता वी भावना के कारण मिला था। नोंग यहा आकर स्वतंत्रतापूर्वक अपने धर्म का प्रचार प्रसार किये।

छठी में जाठवीं शताब्दी के बीच हृष्ण तुर्क, मुगदी, ईरानी और अफगान आदि विदेशी लोग बाहर में आवर भारत के नांगों में घुल-मिल गये। यहा के अनेक मूल

निवासी भी इसी भयंकर साधारण स्थिति से उठकर नये राजवंशों के प्रबर्तक बन गये। अनेक अपने बौद्ध राजपूत कहने लगे। राजपूत काल में प्रभामन व्यवस्था भास्ती ढाढ़ा अपनाती जा रही थी। इस दौरान वर्णाश्रम व्यवस्था के ढाढ़े में मूली आनी गयी। राजपूत काल में वर्ण व्यवस्था का जो आदर्श प्राचीन काल में था वह नुस्खा होने लगा अनेकता में एवंता के आदर्श को विभेद और अस्मृत्यता का बोड़ लग गया। विभिन्न जातियां अपने-अपने दापरों में सीमित हो एक-दूसरे से अलग हो गयी जातियों में दहूल-भी उपजातियों बन गयी। जानीयता को भावना तीव्र होने लगी। हिंदू समाज कई जातियों और उपजातियों का समूह मात्र रह गया। हिंदू धर्म में अनुदारना पनपने लगी। स्त्रियों की हालत भयंकर शूद्रों का दर्जा दिन प्रति-दिन गिरने लगा। जाति पाति और शुभाशून में वृद्धि होने लगी। कर्मकाड़ और मूर्तिपूजा का प्रचलन धुमाधार बढ़ने लगा। तात्क्रियों भेरवो, गाणपत्यों कापालिकों और पाण्पुत्रों के पाषड़ बामाचार और व्यभिचार आदि अपनी सफलता की दुकुभी बजाने लगे। ऐसे समय में दक्षिणी भारत में ऊंचे विचारों और आदर्शों की लहर उमड़ी। दक्षिणी भारत के जीव आडियार और वैष्णव आलवार और वेदानी विचारकों ने भक्ति और ज्ञान की बहु अवस्था धारा प्रवाहित की जिसका व्यावहार अमृत वा जितनी मिठाल रभी सुख नहीं होगी जिसके हिंदू नमाज आने वाले अस्तु दर्यों तक अवगाहन करता रहेगा भावनम् की विज्ञानता असाति और पीड़ा को ज्ञान करता रहेगा। शकराचार्य (688-720) आदि मनोपियों ने हिंदू धर्म में एक नयी वैचारिक द्वाति वा उद्घोष विद्या अनेक धूर्तिताओं बौद्ध समाज में भूमूल उमड़ा फैज़ा हिंदुत्व वौ प्राणवान बनान के लिए शुद्ध बानावरण दन वा प्रथाम विद्या। शकराचार्य ने वेदाना को बाह्यज्ञों के साथ-साथ शूद्रों तथा नियों के लिए भी उपादय बनाया। उन्हाँने अपनी विचारधारा में रुद्धिवादिता और अर्थविद्वामों का कोई स्थान न देने मामात्रिक विषमताओं बौद्ध दूर कर एक समतावादी समाज की स्थापना का भयर्हन किया नथा धार्मिक सर्वोर्जिताओं पर धोर प्रहार विद्या। वे एक ऐसे स्थितिज्ञ थे जहाँ ज्ञान और भक्ति वा अद्भुत समन्वय हुआ। वितु जब मुहम्मद गौरी के महायज्ञों न गगा वी पाटी पर विजय प्राप्त की तथा 1206ई० में दिल्ली में मुस्लिम सम्ननन की स्थापना की तो उस समय हिंदू धर्म और सम्वृति के अनेक मूल्यों को धोर चुनौतिया वा भावना बरना पड़ा। इस दौरान हिंदू समाज में बद्रता वौ और अधिक बढ़ावा मिला। अपने धर्म तथा सम्बृति की वर्षों से रक्षा करने के लिए हिंदुओं ने अपने जीवन के जटिल नियमों वौ और भी अधिक दृढ़ता एवं कठोरता से लगू करना भारभ बर दिया। मुस्लिम आडमणवर्तीओं ने अनेक अत्याचार किये अनेक मदिरों वौ धराजायी बर दिया यहा तक कि बुछ मदिरों में मूर्तियों पर गाय के भिरो की मानाए चड़ायी गयी। अनेक हिंदुओं वौ धर्म परिवर्तन के लिए बाल्य विद्या गया, जोर उबरदम्भी से राज्याध्यक्ष के स्तोष में तथा इस्नाम के प्रवारहों के प्रचार में भारत में इस्नाम का बड़ी तजी म विस्तार हुआ। हिंदू समाज में निहित भामात्रिक उत्पोहन, इस्नाम के आध्यात्मिक आडमण वै अत्यधिक महायक रहा।

इस्नाम धर्म भाववौ गताब्दी में उद्भूत हुआ। यह मौनिक एवं वरवाद, विद्य

भ्रातृत्व, सार्वजनिक समानता और नामाजिक वर्गहीनता के आदर्शों पर आधारित है। इसमें पैगवरो की एक लबी शृङ्खला है जिनके द्वारा अल्लाह की बाणी मनुष्यों तक पहुँची है। इसके अतिम और महानतम् पैगवर मुहम्मद माने जाते हैं। 'कुरान' इसकी धार्मिक पुस्तक है, जिसमें अल्लाह की मूर्तियों और उपदेशों का मकलन है। अल्लाह की आराधना के निमित्त प्रतिदिन नमाज पढ़ी जाती है। इसमें एक 'परम व्यक्तिगत मत्य' का दर्शन विद्यमान है तथा यह ईश्वर को मनुष्य से अलग मानता है। कुरान के अनुमार इस्लाम के तीन अग हैं—

- 1 ईमान अर्थात् अल्लाह, उसके परिष्टों पैगवरों और निर्णय दिवस में शद्दा करना।
- 2 इबादत—इसके पांच अरकान (स्तंभ) हैं— शहादा सलाह जक्मत, रोजा और हज्ज। खारिजी नामक मुस्लिम दल के अनुमार 'ज़िहाद' इबादत का छठा स्तंभ है।
- 3 इहमान—कुरान के अनुमार अच्छे काम करना और बुरे कामों से बचना। सबसे शेष्ठ काम इल्म और अमल द्वारा भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करना है।

यह मत्य दोनों वायदों को पूरा करने, अमानत में पूरे उत्तरने बदलनी से बचने, किसी पर चुरी दृष्टि न ढालने और अत्याचार न करने की शिक्षा देता है। इसमें ईमा के नलीव पर चढ़ाये जाने के समनुल्य अली हसन और हुमेन की शहादत मनाते हैं जो सियाओं द्वारा देवत्व के अवतार माने जाते हैं। सबसे बड़ा कर्तव्य है, अल्लाह की मरजी मानना और उमर्जी मरजी के बाये झुक जान वाले मुमलमान हैं जिसको इस्लाम का प्रचार करना और दूसरों को मुमलमान बनाना चाहिए। यही 'ज़िहाद' का औचित्य है। कलमा न पढ़ने वाले हर आदमी को मुमलमान अपना दुष्मन समझते हैं। यद्यपि आरभ में इस्लाम बहाइयों नहीं था। उसने स्वीकार विद्या था कि यहौंदियों और ईसाइयों को देवताणी का कुछ अंश प्राप्त हुआ था जिन्होंने ग्राहकी गताव्दी के अत में आरभ हुए धर्मयुद्धों के दौरान ईसाई धर्म योद्धाओं की कूर असहिष्णुता के उत्तर में मुमलमानों भी असहिष्णुता बढ़ने लगी।<sup>34</sup>

मध्यकाल में जहा हिंदू धर्म जन्म को सामाजिक स्तर विन्यास की कमौटी मानता था जहा उसका कोई एक बेड़ नहीं था कोई एक चर्च नहीं थी और न ही कोई एक धर्मशूल या तथा जहा यह महाब्रह्मित्व और धर्म न परिवर्तन बरने में विद्यमान करना था वही पर इस्लाम भासुदायिक एवना और भ्रातृत्व की नीव पर भड़ा था, जो एक प्रयत्नमान तथा धर्म प्रचार करने वाला धर्म था। इस्लाम के धार्मिक नथा तात्त्विक मिदात हिंदुत्व के मिदातों के बिलकुल विपरीत थे। परिणामत हिंदुत्व ने महान चुनौतियों का मामना करना पड़ा। यद्यपि इससे पहले हिंदुत्व ने दूष, शक आदि बर्दर जातियों के शुद्धों को, जिनके पास अपनी कोई विकसित समृद्धि नहीं थी, अपने में समाहित कर लिया। इन जातियों का सामृद्धीकरण हुआ। किन्तु इस्लाम के मवध में समस्या अब उन लोगों को समिलित करने वीं थी, जो अपनी पृथक् पहचान वा बनिधान

करने को तैयार नहीं थे, साथ ही इस्लाम मुस्लिम दिजेताजो का धर्म था, उन कारण से समृद्धीकरण के भाव्यम से ममन्वय नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ मुस्लिम शामको के समझ यह समस्या थी कि उनकी जो बहुस्वर्यक प्रजा इस्लाम धर्म का पालन नहीं करती तथा जिसे वे अपनी मुस्लिम विधि के अनुसार नागरिक के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते थे, उनके माध्य वे किम प्रकार का व्यवहार करे। इसके लिए हिंदू धर्म के प्रति मुस्लिम शामको ने दमनकारी दृष्टिकोण अपनाया, अनेक हिंदुओं को इस्लाम में बलपूर्वक परिवर्तित किया गया, अनेक भटिरों को अपवित्र किया गया अनेक को तोड़ डाला गया जिया, यात्री कर आदि विशिष्ट करों को हिंदुओं पर योगा गया तथा उनके साथ दूसरे दर्जे का नागरिक जैसा व्यवहार किया गया।

दिल्ली सल्तनत के पूरे काल में इस्लाम को राजधर्म का स्थान दिया गया था। मुल्लान तथा उसकी सरकार का कर्तव्य उसके सिद्धातों की रक्षा करना तथा जनता भे उसका प्रचार करना समझा जाता था। फिरोज तुगलक तथा सिकदर लोदी जैसे मुलतानों ने अपने इस कर्तव्य को बढ़ावी निभाया। इन शासकों ने राज्य की मज़ीनती और धन का धुआधार प्रयोग किया। मुलतानों द्वारा हिंदू धर्म के प्रति किये गये अत्याचारों से इतिहास के पत्रे भरे पड़े हैं। मुगल शासक बाबर, वद्यपि अत्यधिक दयानु दानी करण-हृदय, सहानुभूति रखने वाला, भरन योद्धा, चुदिमान तथा विद्वान् का फिर भी इस्लाम के सिद्धातों में उमकाँ दृढ़ विद्वास था। वह हिंदुओं को काफिर भानता था। विभिन्न वर्गों के मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने दो बार जैहाद की घोषणा लगायी तथा एक अबमर पर उसने मुसलमानों को बाज-ओ-नमामा अदा करने से मुक्त किया था। उसने मरकारी नौकरियों में गैर-मुसलमानों के लिए द्वारा खोल दिया ही इसका कोई श्रमाण नहीं मिला। बाद के शासकों ने भी सरकार इसी प्रकार वी नीति अपनायी थी किंतु समाज-बसबूर ने भारत के अधिकांश भागों को जीतने के बाद यहां के लोगों का दिन-दिमान जीतना अपना लक्ष्य बनाया। उसकी नीति चिलकुल अलग थी। अकबर ने पूर्ण सहनशीलता तथा धार्मिक और भाव्यात्मिक आदोलनों के प्रति चास्तविक सहानुभूति वी नीति अपनायी थी। वह सब धर्मों के आचारों से बात करते और उनके मिद्दातों में सचि रखते थे। उसने एक 'इबादत खाना' का निर्माण गन्त 1575 में करवाया, जिसमें इस्लाम के अतिरिक्त ईशाई, पारसी हिंदू, जैन आदि धर्मों के धर्मशास्त्रियों विधिज्ञाताओं तथा रहस्यवादियों और धर्म में न आस्था रखने वाले विद्वानों को भी आमंत्रित करता था। हालांकि यह बसफल रहा अतत 1582 में इसे बद करना पड़ा। उसने समस्त धार्मिक परीक्षाएं तथा अकमताएं समाप्त कर दी थीं तथा दमनकारी तरीकों पर रोक लगा दी, इस्लाम धर्म न मानने वालों पर लगाया जाने वाला धृष्टिं जिया कर तीर्थ यात्री कर तथा अन्य विशेष करों को ममाप्त कर दिया। उसने मुसलमान बनाय नये हिंदुओं दो किर में शुद्ध होने की स्पतनता दी कई भस्तूत प्रश्नों का पारसी भाषा में अनुवाद करवाया। हिंदू मेंतों और उत्तरवार्ष में भाग लेता था तथा उसके शामनकाल में रकाबधन राष्ट्रीय उत्तम के रूप में मनाया जाना था। हिंदुओं के अनोभावों दा अत्यधिक गम्भान करता था। राष्ट्र दी भरवारी नौररियों न द्वारा नभी

के लिए सोलकर अपने साम्राज्य में विजेता और विजेत को समान राजनीतिक धरातल पर ला लड़ा किया। विभिन्न धार्मिक समुदायों के मध्य निकट सामाजिक संबंधों तथा पारस्परिक महानुभूतिपूर्ण समझ को अनेक प्रकार से बढ़ाने का प्रयास किया। स्वयं मस्जिद ने अपने उदाहरण द्वारा अत्याधिक विवाहों को प्रोत्साहन दिया।

अधानुयायियों और दुराप्रहियों के लिए उसके हृदय में कोई स्थान नहीं था। उसने किसी विशेष विचारधारा के साथ तादात्म्य नहीं स्थापित किया। कई सामाजिक मुद्धारों को अपनाया 16 वर्ष से कम के लड़कों और 14 वर्ष से कम की लड़कियों के विवाहों को अवैध घोषित किया यदि पल्ली वध्या न हो तो उसके जीवित रहने अन्य पल्ली न रखने का बानून बनाया विधवा विवाह की इजाजत दी और स्त्री की इच्छा के विपरीत उसे सती होने पर विवश करने की रोकथाम की। राजकान्त्र में हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेद नहीं समझा। किन्तु वह व्यक्ति के धार्मिक जीवन को धर्मनिरपेक्षता में अनग करके देखने को उचित नहीं मानता था। उसके अनुसार व्यक्ति प्रत्येक कार्य के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। वह सर्वदा ईश्वर की इच्छा को जानने और उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास करता था। प्रत्येक कार्य को अनत वह धार्मिक मानता था। वह यह विश्वास करता था कि परमसत्य जिभी एक धर्म का एकाधिकार नहीं है सभी धर्म सद्गुणों पर बल देते हैं तथा सबका उद्देश्य एक है—परम भूत्य। वह हर धर्म की अच्छी बातों को धृण करने और बुरी बातों को छोड़ने में विश्वास बरते थे। अकबर ने अपने आध्यात्मिक निर्देशनों को मानने के इच्छुक लोगों को प्रवास लाने के लिए उनमें धार्मिक सहिष्णुता की भावना और कार्य करने के सिद्धात की प्रेरणा देने के लिए दीन-ए-इनाही सप्रदाय व्यवस्था या समाज की स्थापना की। जो एक विशिष्ट विचार-पद्धति और आचार-सहिता पर चलने वाले लोगों का दल बन गया था। यह कोई नया धर्म नहीं था, जिसका झोर-झोर से प्रचार किया गया हो अथवा बलभूर्वक लोगों को मानने पर मजबूर किया गया हो। यद्यपि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता तथा स्वतंत्रता की नीति अपनायी लेकिन हम उसकी व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष कदापि नहीं कह सकते। उसने जो कुछ किया, एक विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति होने के नाते किया तथा राजनीतिक लाभों के लिए किया। वास्तविक रूप से उसकी इन नीतियों का नकारात्मक परिणाम ही रहा, सभी धर्मों के सहश्रित्य को और कठिन बना दिया। विभिन्न धर्मों के विद्वानों की आपस की बहुमे आपस में एक-दूसरे को करीब लाने के बजाय एक-दूसरे के धर्मों के सिद्धातों को समझने और उसका भूल्याकान करने के बजाय एक-दूसरे के दृष्टिकोणों की सराहना करने के बजाय, उनवीं बहुम एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने धर्म को दूसरों से ऊचा दिखाने के लिए दूसरे धर्मों ने दुराइयों को उछाला गया, छिद्रान्वेषण किया गया। इसके कारण धर्मनिरपेक्ष बानावरण के विरास के बजाय धार्मिक कटूरवादिता का विकास हुआ।

अकबर की यह उदार नीति उसके मृत्यु के बाद नहीं चल सकी। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर के राजत्वकाल में ही सहनशीलता की इमारत ढहने लगी थी। यद्यपि उसने हिंदुओं पर उक्तिया त्रैये कर, किर में लाएँ नहीं किये, ऐकिन दूसरोंमें

कटूरपणियों को जात करने के लिए उसने अनेक ऐसे कदम उठाये, जो अकबर के उदारवादी भिदानों के बिलकुल विपरीत थे। उसके राज्यकाल में अनेक प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न किये गये। सिव गुरु अर्जन सिंह तथा जैनों के माथ उसका शृंगण व्यवहार, इन पथों के प्रति उसके वीभत्स दृष्टिकोण का परिणाम था। उसने अपनी कागड़ा विजय का उत्सव मार्वजनिक रूप से विधिवत गाय की बलि देकर मनाया था। उसी के आदेश पर अजमेर में पुष्कर के समीप कई मंदिरों को अपवित्र किया गया तथा तोड़ा गया। उसके पुत्र शाहजहां के राज्यकाल के आरम्भ में फिर कटूरता ने ढोर पकड़ा। अनेक मंदिरों को छवस्त किया गया, केवल बनारस में ही 76 मंदिरों को धराकायी कर दिया गया था। किन्तु बाद में चलकर उसके धर्माधिता में कभी आयी तथा उसने मंदिरों एवं धर्म-परिवर्तन के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनायी। हिंदू धार्मिक भाव की वीथिकाओं भे विकसित प्रेरणा ली—पुण्यावधियों का दमन सहिष्णुता के अनुरूप का उन्मूलन, समन्वय एवं महाअस्तित्व के बृक्षों की जड़ों का उन्मूलन, जिनना अकबर के प्रपोत्र औरगजेब के काल में हुआ उतना किसी भी मुगल जासक के काल में नहीं हुआ। उसके काल में इस्नाम की नूती बोलने लगी उसकी कूर बर्बरशाही में हिंदू सम्भारों के स्वच्छद आचरण पर प्रतिवध लगा दिया गया और उसके दरवार में कटूर भुमलभानों का बोलबाला हो गया। उसने शरीयत के सिद्धान्तों को अपने ग्रासन का आधार घोषित किया। उसने धार्मिक स्वतंत्रता को अपनी धर्माधिता की बेदी पर बनि चढ़ा दी। अमुस्लिमों पर जजिया लगा दिया अनेक हिंदू मंदिरों को छवस करा दिया तथा बनात् धर्म परिवर्तन करवाया। अनेक हिंदू उत्सवों पर रोक लगा दी। औरगजेब के इन अल्पावारों के लिए जितनी उसकी हिंदू विरोधी धर्माधिता उत्तरदायी थी उतनी ही उत्तरदायी उसकी विकृत राजनीतिक महत्वाकाधाए थी। भराठों जाटों और राजपूतों के बढ़ते प्रभावों में उसकी नीद हराम हो गयी थी फिराजी के नेतृत्व में भराठों द्वारा मुगल भेना को चार-द्वार अपमानजनक पराजय का मुह देखना पड़ा तथा उत्तरी भारत में अनेक हिंदू विद्रोहों से भी उसे जूझना पड़ा। भरकारी अफसरों जायीरदारों अजारादारों, सूबेदारों और उनके कर्तिरों और पिछाड़ों की सम्पत्ति जुन्म सितम्ब और देवस्तानों के चारण किसानों का जोधपुण बढ़ता जा रहा था चारों ओर धुसरमरी दरिद्रता का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। ऐसे अवमर पर औरगजेब ने धर्म का सहारा लिया युद्धों को मुकिधा के लिए जेहाद की भजा दी गयी हिंदुओं के राजनीतिक विजयों को इस्नाम का अपमान घोषित किया गया हिंदू जातहों के माथ झमडो हो इस्लाम और कुफ के बीच सघर्ष का रूप प्रदान किया गया। तथा हिंदू जनता को उनकी पराजय वा अहसास और गहरा कराने के लिए और उनकी धार्मिक भावनाओं को डेस पटवाने के लिए योहत्या आदि परपणाओं का निर्वाह करने में बोहु बमर नहीं छोड़ी। औरगजेब की धार्मिक नीतियों का हिंदुओं में काफी विरोध हुआ। मुस्ल विरोध शिवाजी के नेतृत्व में हुआ। भराठ सरदार जिवाजी एक देवीप्यभान नेता योद्धा न्यायप्रिय तुगल प्रशासक तथा एक पूर्ण दक्ष राजनीतिज होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष राज्य नी स्थापना नहीं कर सके। यद्यपि उनका राज्य एक हिंदू मास्त्राज्य था तथापि वे विरोधियों के धर्मों ना आदर करते थे।

मधुर्ग मध्यकाल में राज्य के धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष कार्यों में कोई पृथक्करण नहीं था। दोनों कार्य शासक के हाथों में केंद्रित होते थे, नयी मस्जिदों और मदरसों का निर्माण, पुराना रस्ता-रस्ताव, धर्माभिकारियों को सरकार देना और धार्मिक पदों पर नियुक्ति आदि भ्रामकों के मधुचित कार्य समझे जाते थे। एक अच्छे शासक का कर्तव्य समझा जाता था कि वह ऐसी व्यवस्था बनायेगा जिसमें मनुष्य मुविधापूर्वक उन सब कर्तव्यों का पालन कर सकेगा जो कुरान में निर्दित हैं। प्रत्येक शासक से यह उम्मीद की जाती थी कि वह दारुल इस्लाम (मुसलमानों की दुनिया) को बढ़ायेगा और दारुल हर्ब को पटायेगा, इस्लाम-धर्म वा प्रचार उसका मुख्य कर्तव्य माना जाता था। भावधारकता पड़ने पर धक्का वा प्रयोग किया जा सकता था। शासकों की सफलता और असफलता के मापदंड इस्लाम के नैतिक नियम थे। तुकों के साथ भारत के इस्लाम का जो सामाजिक द्राचा आया था, उसमें भी काफी परिवर्तन आता था। मुस्लिम ममाज के उच्च स्तरों को निश्चिवरों की घुसपैठ से मुरक्खित कर दिया गया था। नस्ल व जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा और नत्ता का वितरण किया जाता। पूरे मध्यकाल में ऊंचे राजकीय पदों पर उन मुसलमानों के निए पहुंचना मुश्किल था जिनमें विदेशी रक्त नहीं था और हिन्दुओं के निए तो अत्यधिक मुश्किल होती थी। दूसरी तरफ उलमा और मौलवी भी यह मुसलमों के विहृद मुसलमानों को मरणित करने में लगे थे। उनका उपदेश होता था कि कुक और काफिरों को बिलकुल नष्ट किया जाये और अगर ऐसा न किया जा सके तो उन्हें बदनाम, बेइज्जत और भयभीत किया जाये। जिसमें वे जैन में न रह सके, मुसलमानों की शरीयत के अनुसार चलने पर मजबूर किया जाये।

पूरे मध्यकाल का शिक्षा-परिवेश धार्मिक था। ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं, जैन मुनियों, मुल्लाओं और मौलवियों वा शिक्षा पर एकाधिकार था। पाठशालाओं और मदरसों में मूलत धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था थी। वे पाठशालाएं तथा मदरसे मदिरों और मस्जिदों में स्थानी जाती थीं। सामान्यत मध्यकालीन परिवेश ऐसी धरती नहीं दे सका, जिसमें धर्मनिरपेक्ष मूल्यों वा विकाम ही महत्वा किन्तु कुछ शास्त्रों वे धार्मिक सहिष्णुता तथा आपसी सद्भाव को विवित करने का सराहनीय प्रयास किया।

यद्यपि मध्यकाल में भारत में मैदातिक रूप से धर्मतंत्र था, किन्तु वास्तविकता यह थी कि वे शामन निरतुश्तव थे। उलेमाओं को राज्य में नियुक्त किया जाता था उन्हें बेन दिया जाता था किन्तु उनका प्राय कोई महत्वपूर्ण नियन्त्रण मुस्लिम राजाओं पर नहीं होता था। अलाउद्दीन खिलजी तथा मुहम्मद बिन तुगलक पर उलेमा का प्रभाव नहीं के बराबर था। विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी, जहाँ राज्य वा मामला हो या उनके निजी जीवन का मामला हो मुस्लिम विधि को चहूत ही कम महत्व देता था। वह उलेमाओं को बिना महत्व दिये हुए जो राज्य या प्रजा के हित भ होता था या जो विजय परिस्थितियों के बनुरूल होता था, वही करता था। बिन तुकों ने भारतीय स्थापित किया, वे लगभग 1200 शिवाहियों को अपने साथ लाये थे जिनके लिए सम्रव नहीं था कि मध्दी स्तर पर प्रगासनिक पदों को मध्याल ले। इस कारण ऊंचे के स्तर पर मध्दी प्रगासनिक पद हिन्दुओं के हाथ में रहे। तथा

धीरे-धीरे हिंदू प्रशासक शासक वर्ग के अधिन्द्र आग बन गये ।

मुस्लिम शासकों ने प्राय हिंदुओं की निजी पूजा-पाठ में दस्तल नहीं किया और न ही हर स्तर पर दस्तल करना उनके लिए सम्भव था । यहाँ तक कि कई राजाओं ने दूसरे धर्मों के अनुयायियों के धार्मिक स्थलों को बनाने में मदद की तथा उन्हें अनुदान देते रहे । अनेक ने अतर्जतीय विवाह भी किया । फिरोज़गाह, तुगलक, भयानुदीन तुगलक और जहांगीर हिंदू मां की सतान थे । अकबर और जहांगीर के पास हिंदू बौद्ध थीं । इस प्रकार जहांगीर का असहिष्णुता का माहौल था, वहीं पर कुछ शासकों ने विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सद्भाव को स्थापित करने के अनेक कदम उठाये ।

हिंदुओं ने चुआळूत का नैतर बढ़ता चल्पूलूलूस और यह वर्ग का दिनों के बीच में रहना चार्जित था, यहाँ तक कि वे जात्यों-वैदितियों की सदकों को नहीं पार कर सकते थे । कुएं से पानी भरने पर खूत लग जाता । साथ में बैठना, बैरुन्नूनूना तो दूर रहा, परछाई तक पढ़ जाने पर उच्च वर्ग के लोग अपचित्त हो जाते थे । संदिरो में प्रवेश की बिलकुल भनाही होती थी । उन्हें दासी तरह देखा जाता था और उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता था । दूसरी तरफ़ संभाज में ही रहे इन अल्पस्थारों और अन्यायों के विशद सिद्ध परपरा के सतों द्वारा आवार्द्ध भी छेन्हायी गयी जांच के भेद का सहन किया गया । इन परपराओं में देश के सभी भागों, सभी बगों और सभी जातियों के लोग शामिल हुए । दक्षिणी भारत में रामानुजाचार्य ने शकराचार्य के अद्वैत को लोक सहज बनाकर, पारत्परिक प्रीति एवं मैत्री पर आधारित विशिष्टाद्वैत के प्रचार द्वारा सामाजिक विषमताओं और धार्मिक सकीर्णताओं को दूर करने के लिए देशव्यापी आदोलन का मिहनाद किया ।

७५।१२।

रामानन्द, कबीर, रामदास, दादू, तुकाराम, तुलसीदास, नानक और वैतन्य आदि सतों ने सर्वभौम मानवता और प्रेम के आधार पर लोक धर्म और सकृति के समस्त सूत्रों को एक कड़ी में पिरोने का प्रयत्न किया । इन लोगों ने सामाजिक लृदियों का सहन किया, लौकिक विषमताओं का विरोध किया, भौतिक भेदभाव की निदा की और सदाचार, मन का संयम और हृदय में भक्ति तथा प्रेम जाग्रत करने का रास्ता दिखाया । आचार्य रामानन्द (1299-1410 ई) ने सर्वधर्म समन्वय का ऐमा अभियान चलाया, जिसमें भभी जातियों, मतों, धर्मों, वर्णों, वयों के भोग शामिल हुए । उन्होंने एक तरफ़ हिंदुओं के कर्म-काढ़वाद तथा पुजारीवाद का सहन किया । तो दूसरी तरफ़ इस्लाम की सकीर्णताओं तथा ब्रह्मींधाताओं पर तीक्ष्ण प्रहार किया, उन्होंने एक तरफ़ हिंदुओं और मुसलमानों को करीब लाने का प्रयास किया, तो दूसरी तरफ़ दिनों, शूद्रों और रित्यों को धार्मिक समानता के धरातल पर साने का प्रयास किया ।

गुरु नानक ने समस्त पृथ्वी को एक पवित्र स्थान माना और उसके सब निवासियों को समान भाना । उनके अनुभार जो कोई सत्य में प्रेम करता है, वही पवित्र है । भनवान सत्यस्प है । अतः सत्य के आग्रह और अच्छे बाचरण से मनुष्य उस तक पहुँच सकता है । धर्मों के बाहरी आदबर और उपचार बेकार हैं । उन्होंने कहा

बब्बल अल्ला नूर उपाया, कुदरत के सब बन्दे ।  
एक नूर ते सब जग उपन्या कौन भले को मदे ॥

उन्होंने मनुष्य को सब भेदभाव भूलकर ईमानदारी और नेक नीति से अपना काम करने की सलाह दी। आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के धर्मनिरपेक्ष आदर्श को और स्पष्ट किया है-

देहुरा मसीत सोई, पूजा ओ नमाज ओई,  
मानस सभै ऐक है अनेक को प्रभाव है ।  
अलह अभेद सोई, पुरान जो कुरान ओई,  
ए ऐक ही सरूप सभै, एक ही बकाब है ।

इसी भक्ति आदोलन से प्रभावित होकर सम्मान अकबर ने हिंदू और मुसलमान विश्वासो में भमझौता कराने की कोशिश की। इस दिना में दाराशिकोह का प्रयास भी अत्यधिक सराहनीय रहा। उसने एक प्रथ में यह सिद्ध किया कि हिंदू और मुसलमान मतों में अतर केवल भाषा और शैली का है। किसी भी समुदाय की धार्मिक सहिष्णुता का पता तो तब चलता है जब राजनीतिक सत्ता उसके हाथ में हो। सिख धर्म महाराजा रणजीत सिंह के समय में शासक वा धर्म था किंतु महाराजा रणजीत सिंह ने एजाद राज्य की स्थापना की थी, न कि सिख राज्य की। हिंदुओं और मुसलमानों वो उन्होंने भमान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। उन्होंने सरकारी नियुक्तियों में किसी प्रकार का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। विदेश भवी पाकोर अबीजुहीन उनके विश्वस्त सलाहकारों में से एक थे। उनकी प्रिय रानियों में से दो मुस्लिम थीं, जो विवाहोपरात अपने धार्मिक विश्वास को अपनाये रहीं। उनके मृत्यु उपरात उनके दाह स्तकार के समय हिंदू, मुसलमान और सिखों ने प्रार्थनाएं की थीं। इस प्रवार महाराजा रणजीत सिंह ने सर्वधर्म समझाव का एक आदर्श रखा था। निश्चय ही इससे भारत में सांस्कृतिक समन्वय बड़ी तीव्र रूप से दूआ। हिंदू और मुसलमान दोनों के बस्त्र, आचार-व्यवहार और विचारों में काफी समानता आयी। सगीत और स्थापत्य, चित्रकला और नृत्य में दोनों के विचारों का उत्कृष्ट समन्वय हुआ।

भारत ने भद्रसे बड़ी विजिप्तता यह रही है कि शामक जाये और चले गये लेविन गाबों वा सामग्रिक तथा सांस्कृतिक ढाढ़ा हर तरह के राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के प्रभावों को चुनौती देता रहा। भारत के गाबों ने नेबल नमक को छोड़कर कोई भी सामान बाहर से नहीं मिलाना पड़ता था। वहां प्रत्येक व्यक्ति अन्योन्याधित तथा अतः सबधित था। इस कारण से गाबों ने प्रेम, सद्भावना, सहयोग की आदिकाल से चली आ रही परपरा को अपने दामन में सजोये रखा। भारत में इस आत्मनिर्भर यात्र समाज व्यवस्था वा रूप क्या था, इसका एक वर्णन सर चार्ल्स मेटकार्फ, जो 1835 में गवर्नर-जनरल बने थे, ने दिया है-

यात्र-समाज लोटे-क्लोटे दृश्यतः है। अपनी ज़म्मत की सारी चीजें इन्हे अपने यहां प्राप्त हैं और विदेशी संस्थाओं से ये मुक्त हैं। जहां कुछ भी स्थायी नहीं, वहां ये जैसे

अकेले अमर है। राजकुल नुक़त रहे, क्रातिवा होती रही हिंदू पठान भुगल मराठा, मिस्थ, अद्येत्र इमंग मालिक बनते रहे, लेकिन प्राम-समाज यथापूर्व बने रहे।<sup>19</sup>

### अपेजी शासन

भारत में सोलहवीं शताब्दी के आरभ में शूरापीय व्यापारिक कट्टतभा उपनिवेश स्थापित किये गये। पुर्तगाली व्यापारी इसमें प्रथम थे। डच विट्टिंग डेन्स और फ्रेंच ने उनका अनुगमन किया। 18वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक पतन प्रशामनिक जर्जरता का अनुमान इसमें लगाया जा सकता है कि अपेजो ने कितनी मरलता में इस विश्वालंदेश पर अपना द्रभुत्व स्थापित कर लिया। दक्षिण के असल-फार्मीसी युद्ध (1740-1761) ज्वासी की लडाई (1757), दक्षिण का युद्ध (1764) और शाह अलम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारों का दिया जाना (1765) अपेजो शासन को स्थापना के इनिहाय के महत्त्वपूर्ण अध्याय बन चुके हैं। उप्रीमवी जनाब्दी के प्रारंभ में इस्ट इंडिया कंपनी ने वस्तुत अपने गमस्त प्रतिद्विद्या को भगा दिया। भया भत्ताब्दी के मध्य तक मपूर्ण भारत या तो इस्टैंड द्वारा प्रत्येक भूमि ने ज्यादा जप्तवात्या रूप में नामान्य राजाजा द्वारा दिनहें स्थानीय अधिकार प्राप्त किया था। अपेज एक एक नवीन विजेता थे जिनके पास कूटनीति और जासूसानात्मक पटुता बजाए थी। जिमरी मनुष्यि प्रगतिशील नवा जिमरी प्राविधिक अधिकार महान थी, जो इस महाद्वीप में भिज धर्म में बास्त्या रमन थे ईमाई धर्म।

ईमाई धर्म के मानव याके प्रभु योशु भे विज्ञान रमा है। यह मानव मात्र का नहीं समझता है, प्रेम, सहिष्णुता, मदाचार और परापरार का सद्गत दिना है। बिना विर्यो भेदभाव के सभी वा भला चाहना और बरना दूसरों के दुख के लिए स्वयं कर्त्तव्य महना दूसरों के कल्याण के लिए यातना भूयना और दूसरों के जाम के लिए अपना बलिदान करना इस धर्म का मूल मिदान है। इस धर्म की मान्यता है कि ईश्वर एक भना है। उसके लीन रूप है योशु पुरुष और परिवार्ता; ईश्वर ने मनुष्य को पूर्ण बनाया किन्तु ईश्वर की आज्ञा न मानने के अपराध के दारण भमस्त मानव जानि ईश्वर में दूर हो गयी और उसका पतन हो गया। मनुष्य और ईश्वर के सापुत्र वो फिर से स्पार्शन करने के लिए ईश्वर योशु के रूप में मनुष्य रना। ईश्वर न योशु के रूप में चर्चाकारारूपूर्वक कुमारी ऐरी वी कोष में जन्म लिया। योशु एक ही समय ईश्वर भी था और मनुष्य भी। ईश्वर न योशु के रूप में बर्च भहा और मनुष्य बनकर अपना बलिदान दिया जिसमें सभस्त मानव जाति के पापों का प्रायजित हो भक। ईश्वर न योशु के रूप में कब भे उठवर अपने में विद्वान् करने याना का अभरता का आद्वानन दिया। ईश्वर न योशु के रूप में मनुष्य और ईश्वर के सापुत्र वो स्थापित बरन की पद्धति के रूप में सम (चर्च) निर्माण किया। ईश्वर अपने प्रेम द्वारा मनुष्य को पाप में बचने के लिए सहायता दिना है। ईश्वर-योशु के रूप में पृथ्वी पर फिर आयगा मृत प्राणी रहा में उठ भड़े हाग, पुण्यात्माओं वी मुक्ति

होगी और पापात्मा सदा के लिए नरक में जायेगे ।

हिंदू धर्म का पुनः एक ऐसे धर्म से सामना हुआ जो शासकों का धर्म या साथ ही इस्लाम की तरह धर्म में विश्वास करता था । उस समय हिंदू धर्म की स्थिति यह थी कि यह पूर्ण बहु की सौज का महन दर्शन होने के बजाय, केवल बाह्य रूप तथा क्रियाकलाप तक केंद्रित होने लगा था । यद्यपि अनेक व्यापारियों और दस्तकारों की मदद अपेक्षों को अपने राज्य को स्थापना में मिली तथा अपेक्षी राज्य की स्थापना में व्यापारी, दलाल, सराफ़, गुमाईते, पैकार आदि का एक नया वर्ग उभरकर सामने आया । किंतु हिंदू समाज की सामान्य प्रतिक्रिया उसी प्रकार की थी जिस प्रकार वी प्रतिक्रिया मुसलमानों के आगमन पर हुई थी उसने अपनी प्राचीन परपराओं के घेरे में अपने आपको अत्यधिक सीमित कर लिया । परिणामतः हिंदू धर्म में वेहद सकीर्ता उत्पन्न हो गयी । लोगों के लिए धर्म का मतलब हो गया कड़े नियम और प्रतिबध यानी क्या साझों, वैसे साझों, कहा साझों, किसे छुओं किसे न छुओं, कब यात्रा करो कहा तक करो, कहा नहाओं, मदिरों में कौन जाये, कहा तक जाये अर्थात् स्थर्म को मूर्तिपूजा तथा रुदिवादिता का प्रतिष्ठ्य बना दिया गया, जातीय कटूरता छुआचून बहुपल्ली विवाह आदि मानव-समानता, आपसी सौहार्द तथा औरतों के सम्मान का यता घोट रहे थे । अपेक्षों की भारतीय समाज के प्रति कोई एक रूप नीति नहीं रही । भिन्न-भिन्न गवर्नर जनरलों के द्वारा भिन्न-भिन्न नीतिया अपनायी गयी । यह बहुत कुछ उनके व्यक्तिगत पूर्वशहो तथा उनके द्वारा स्थितियों के मूल्याकान पर निर्भर करता था । अपेक्षों शासक, जो एक नया भारतीय मध्यम वर्ग उभर रहा था, उसकी महानुभूति को बनाये रखने के लिए काफी सतर्क रहे । इनकी भावनाओं का भी सम्मान करते थे । उनका सह्य सिर्फ व्यापार और शासन था और उनकी नीतिया इन्हीं लक्ष्यों तक सीमित रहीं । अपेक्षों जो धार्मिक नीति एक प्रकार से जहसुझेष की नीति थी, उन्होंने भारतीयों के साथ न तो घुनने-मिलने की नीति अपनायी, न ही ईसाई धर्म प्रचार के साथ अपना नाता जोड़ा और न ही भारतीय समाज के सुधार में अभिश्चि दिखायी । यद्यपि अठारहवीं शताब्दी में भारत में आये हुए यूरोपियन लोगों ने भारतीयों की तरह रहना-महना प्रारंभ कर दिया था । किंतु इसके बावजूद सामाजिक सफर्क के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया, बल्कि अपेक्ष प्रशासकों को भारतीय समाज से अलग रखने का ही प्रयास किया गया । अपेक्ष शासक सामाजिक ढाँचे में हस्ताखेष करने के पथ में नहीं थे । कुछ विद्वानों के अनुसार उनकी समाज-मुद्धार के लिए कानून बनाने के क्षेत्र में अहस्ताखेष वी नीति के पीछे उनका यह भय था कि उनकी राजनीतिक आधिपत्य की नीति कमजोर हो जायेगी क्योंकि मामाजिक मुक्ति से अपेक्षी आधिपत्य का विरोध करने को बढ़ावा पिलेगा, दूसरा दृष्टिकोण यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपेक्षों वी अभिश्चि मुख्यतः व्यापार और शासन में थी, इसलिए वे कोई भी ऐसी नीति अपनाने के पश्च में नहीं थे, जिससे उनके हिंसों को घस्ता पहुचता । दूसरा दृष्टिकोण हो स्यादा तर्कमयत लगता है ।

अपेक्षी शासन की नीति दो भूत्य ममुदायों, हिंदुओं—और मुसलमानों—की स्वीक विधियों में हस्ताखेष न करना था । परिणामतः विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के सबध में दोनों समुदायों में अलग-अलग कानून लाया थे । दोनों के द्वारा स्वाधीर्य लाया

दड़नीय था। यद्यपि आरभ में मुस्यत अहस्तथेप को नीति थी जिनु व्याख्यातिक विचारो, ऐतिहासिक मजबूरियों तथा विरासत में मिले अधिकारो एवं दायित्वों के कारण अपेक्षी शासन ने हिन्दू धर्म से इच्छिता और ईमाई धर्म प्रचार से अपना हाय भीच लिया। कपनी उन गमरत कामों का सपादन करने लगी जो कि उसके पूर्वकर्ता हिन्दू और मुस्लिम शासक सपादित करते रहे। मदिर, मस्जिद दोनों समुदायों के धार्मिक उत्तर और उनकी सत्याएं सरकारी राजस्व से अधिदान प्राप्त करते रहे।

उन दिनों हिन्दुओं और मुमलमानों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए कपनी के दफ्तर रविवार को मूलते और हिन्दुओं और मुमलमानों के त्यौहारों पर बद रहते थे। देवताओं (हिन्दुओं के) के सम्मान में पौज की परेड हुआ करती थी। अपेक्ष अधिकारी धार्मिक सम्बन्धों के प्रबन्ध में हिस्सा लेते थे। पठितों और विद्वानों का बड़ा आदर था। मदिरों के प्रशासन के बर्च का आशिक भार बहन करने के लिए अधिकारी-गण यात्री कर आदि बमूल करते थे। प्रोटेस्टेंटों को ईयोलिक चर्च की गतिविधियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। इसलिए मिशनरी प्रचार को बढ़ावा नहीं दिया गया। यहा तक कि अपेक्षी शासन अपने देश में ईसाई प्रचारकों को बसने तक वे इवाजत नहीं देता था।

कपनी वी ईसाई धर्म-प्रचार के प्रति दृष्टिकोण ने ईसाई मिशनरियों तथा बिटेन के उनके समर्थकों में बाफी खलबली मचा दी। कपनी के हायरेक्टरों पर उनका दबाव बढ़ने लगा। परिणामतः 1813 में भारत के अपेक्षी प्रदेश में ईसाई प्रचारकों के आने पर से पाददी उठा ली गयी और बनकता में एक पाददी-मस्था (विश्वरिक) बोल दी गयी। सन् 1833 में कपनी ने अपने अधिकारियों को स्पष्ट बादेश दे दिया कि धार्मिक सम्बन्धों के अल्टरिक प्रशासन में किसी विस्म का हस्तथेप न दिया जावे तथा यात्री कर और इस तरह को अन्य बमूलियों को बद कर दिया जाये। पूर्ण पृथक्ता सन् 1863 में एक अधिनियम पारित करके किया गया, जिसके द्वारा इन सम्बन्धों की विधिया जो सरकार के नियन्त्रण में थी, व्यापारियों और स्थानीय मणितियों को भौप दी गयी।

यद्यपि कपनी की नीति मुस्यत धार्मिक अहस्तथेप की थी, जेकिन इमान यह अभिन्नाय नहीं है कि यह नेबन धर्मनिरपेक्ष कामों के सपादन तक ही सीमित थी, इन्हें वी चर्च कपनी वा ही अनुभाग थी। इसके अधिकारियों को भारतीय सरकार के राजस्व से भुगतान किया जाता था, जबकि वे भारत में प्रत्यक्ष रूप से मिशनरी कामों में ज्यै हुए थे। इस प्रवार प्रशासन पाददी-सम्बन्धों (विश्वरिको) की स्थापना करता तथा विश्वों वी नियुक्त और उनको भुगतान करता था। बास्तविकता तो यह है कि अपेक्षी की कोई एक निर्धारित नीति नहीं रही। सभ्य और परिस्थितियों के अनुमार उनकी नीति में सम्बन्ध होता रहा।

अपेक्षी शासन के आरभिक बाल में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के तरफ कई महत्वपूर्ण ढंग उठाये गये। जहा हिन्दू व्यवराधकाहृत म अपराधी वी जाति और वर्ग के अनुमार दद दिये जाने वी व्यवस्था थी तथा दूसरी तरफ मुस्लिम दिविधि और मुस्लिमों के प्रति भेदभाव बरतती, वहीं पर भारतीय दद सहिता और अपराध प्रहिया सहिता वो सागू करके, विधि के शासन झी स्थापना थी गयी, जो कि स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राज्य की

अति आवश्यक आधारशिला है। अनेक सुधारों द्वारा सामाजिक गतिहीनता तथा मास्कृतिक मडाध को दूर करने का प्रयास किया गया। कुछ तो इमैड के उदारवादी विचारों जैसे— वर्क आदि के दबाव के कारण तथा कुछ कपनी के अधिकारियों के, जैसे— शाखम सुनरो जान ऐनबोम चाल्स बेट्काफ और हल्फस्टोन आदि के मानवतावादी जोग के कारण अपेक्षी प्रशासन परपरागत सुधारों अधिविश्वासों एवं कुप्रथाओं में सुधार लाने के निम्न इस्तेष्ठ करना रहा। राजा रामसोहन राय तथा कई हिन्दुस्तानियों की पहल पर 4 दिसंबर 1829 ई० को नाई विलियम वैटिंग ने रेग्लेशन न० 17 के द्वारा मती वो फौजदारी का अपराध घोषित किया। यह माहामिक वार्ष उसके नैनिक दृढ़ विश्वास और सुधारवादियों वो प्रेरणा के प्रभाव का परिचायक था। उस समय की उदारता वो भावना के अनुकूल 1833 के अधिनियम वो एक धारा भ घोषित किया गया। यह नियम बनाया जाता है कि उपरोक्त छेत्रों का कोई भी निवासी केवल अपने धर्म जन्मस्थान बग रख या इनमें से विसी एक के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने या उपरोक्त वो लोकों पासे म वर्चित नहीं किया जायेगा। 1843 मे एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार दासता वो अवैध पोषित कर दिया गया। जानि नियोग्यना निवारण अधिनियम 1850 के द्वारा विसी भी व्यक्ति द्वारा अपना धर्म स्थाने पर उनराधिकार मबधी अधिकारों को छोड़ने जाने अथवा जाति भ बहिष्कृत किय जाने का प्रभाव रखने वाले वानूओं वो नियुक्त कर दिया गया। 1854 मे मरकार ने महायक अनुदान व्यवस्था नियुक्त की जो उन मधी विद्यालयों के लिए लागू वी जो अपने यहां धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा प्रदान करते थे। मरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत वाले वानू शैक्षिक मस्ताओं भ ईसाई धर्म वी शिक्षा दिये जाने पर रोक थी। 1856 म ईस्वी चढ़ विद्यामाधर के प्रबन्धों के फलस्वरूप एक अधिनियम पारित किया गया जिसने हिन्दू विधिवादी के पुनर्विवाह वो वैधता प्रदान कर दी।

1858 के अधिनियम के बाद जल्दी ही महारानी वा अध्यादेश निकला। अध्यादेश मे भारतीय जनना भ वह रखा गया और हमारी यह इच्छा है कि जहा तक हो सक हमारी प्रजा चाह वह विसी भी जानि या धर्म वी हो हमारी मवाड़ा भ पदों पर विना पक्षपात के मुक्त रूप म नियुक्त वी जाय। उन मधी लोगों वो इम तरह के पदों म लिया जाय जो अपनी शिक्षा योग्यता ईमानदारी के आधार पर इनके योग्य हो और अच्छी तरह से अपना वर्तन्य पूरा कर सकते हो।' किन्तु 1857 वी इनि के बाद मामाजिक सुधारों के बाय परकार के दिमाग मे नुस्खा लो भावनाए पर कर गयी। जनना के प्रति उम्रवा दूष्टिकोण बठोर होना गया तथा धार्मिक अद्वितीय वी नीति वा दृढ़ता से पालन किया जाने लगा। अपेक्षी शासन द्वारा किये जाने वाले न नेबल धार्मिक वरन् धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रों मे परिवर्तनी पर रोक लगा दी गयी। भारत भ राष्ट्रवाद के विकास के मायन्य मरकार वी नीतियों म नया भाड आया। किन्तु इनना तो निश्चित है कि अपेक्षी नीति धर्म वी वैष्टिक (व्यतिगत) स्वतन्त्रता वो स्थापित करने नया गत्य के धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष कायों म वृष्टरारण करने म कारी हूद तक बासयाब रही। साथ ही व्यनिगत वानूओं वो छोड़वर अन्य क्षेत्रों म विधि वा शासन लागू करके एसी मामान्य नायरिकना स्थापित करने म मफन्न रही, जिसका

धर्म अथवा पथ से बोई मबद्दल नहीं था। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की तरफ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम थे।

### आपुनिक भारतीय राज्यवाद का उदय

अपेक्षी शासन का भारत में ज्यो-ज्यो विस्तार होने लगा, सबसे ज्यादा विलुप्यता मुस्लिम अधिकात वर्ग में बढ़ने लगी। क्योंकि यह वर्ग सरकार और असली बमूली करने वालों के बीच एक कठीं का कार्य करता था, जो 1793 की स्पायो भू-व्यवस्था से बद निरर्पक मालित हो चला था। दूसरे, बमूली के अतिरिक्त जो कुछ अवैध रूप से यह वर्ग प्राप्त करने में सफल हो जाता था, वह जाता रहा। तीसरे, वर्षनी ने धीरे धीरे इस वर्ग के लिए सेना के द्वारा भी बद कर दिये। मैन्य क्षमता वा निर्धारण निपुणता या उपलब्धि पर आधारित न होकर बाहारी पर निर्भर हो या, जिसके कारण सिल राज्यपूत और ढोपर जाति के लोगों को भर्ती और विश्वास के लिहाज से सबसे ज्यादा बरीकता दी गयी। जौये बयान में वर्षनी वा पूर्ण शासन स्थापित हो जाने के पचास वर्षों तक राजभाषा के पद पर प्रारसी चली आ रही थी, जो न तो जनभाषा थी और न ही शासक वर्ग की भाषा थी। इस्लाम का दबदबा बना हुआ था, सभी न्यायिक अधिकारी मुसलमान ही होते थे तथा गैर सैनिक सेवाओं में मुगलमानों का एकाधिकार बना हुआ था। धीरे धीरे प्रारसी का स्थान बगला ने प्रहृण वर लिया। 1937 में फ़ारसी भाषा सरकारी भाषा के रूप में नहीं रही। इसके स्थान पर प्रशासन के उच्च स्तरों पर अपेक्षी ही सरकारी भाषा बन गयी जिससे सरकारी नौकरियों के द्वार हिंदुओं के लिए भी मुल गये। यह परिवर्तन मुस्लिम अधिकात वर्ग को चुरा लगा, उन्होंने इस धर्म की मर्यादा के विषद तथा वर्षने अधिकारों के लिए धारक समझा। जिन्होंने इस वर्ग को सबसे ज्यादा नाराजगी अपेक्षी भाषा के व्यापक प्रसार और बगला के स्थान पर अपेक्षी को शासकीय भाषा बनाये जाने से हुई।

19वीं सदी के भारत में ही नई अपेक्षी लेखकों ने तथा अनेक भारतवासियों ने भारत के लिए अपेक्षी के महत्व को समझा और इसमें गहरी रुचि दिमायी। मैकाने ने एक बार इटिश ससद में नहा था, “यसा भारतवासियों वो अपने अधीन रखने के लिए हम उनको जानशून्य रखे? अथवा हम उन्हे आन तो दे, परन्तु वह ऐसा हो जिससे उनकी महत्वाकांशाएं जापूत न हो? अथवा हम उनकी महत्वाकांशाएं तो जागृत करना चाहते हैं, परन्तु उनके विकास वा वैद्य मार्ग बद रखना चाहते हैं? सभज है कि हमारे उत्तर में भारतवासी व्यापक रूप से सौखने लगे और वे फिर एक दिन उस तत्त्व से ही बाहर निकल जायें। परन्तु हम अपने मुसलमान से अपनी प्रजा को इस प्रकार जिक्रित कर सकते हैं कि उनमें जामन करने की धमता उत्पन्न हो। यह ठीक है कि यूरोपीय ज्ञान विज्ञानों की शिक्षा मिलने पर वे भी स्वतंत्रता की मान करेंगे। वह दिन कब आयेगा, यह मुझे मानूम नहीं, परन्तु जब भी आयेगा, वह दिन इटिश इतिहास में सबसे अधिक वर्ग का होगा। अनेही राजसत्ता हमारे हाथों से चली जायेगी, जस्तों से हमें विषय भी प्राप्त न हो, फिर भी यह बात हमारे लिए गई और बानद वी होगी, दुख वी नहीं”।

अपेक्षी के शिक्षण-प्रशिक्षण की मांग उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। चौथं दण्डक में शिक्षा के माध्यम को सेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। सन् 1935 में इस सभष में कपनी सरकार के तत्कालीन विधि सम्बन्ध भैकाने ने जो एक कार्य-विवरण प्रस्तुत किया, उसमें अपेक्षी शिक्षा के पक्ष में निर्णय लिया। उसके कार्य-विवरण को यद्वन्नर जनरल विलियम बैटिक ने स्वीकृति प्रदान की। किंतु हिंदू नेताओं ने जहा इस ऐतिहासिक दस्तावेज का हार्दिक स्वागत किया, वही पर मुसलमानों को इसमें काफी पीड़ा हुई। सरकार द्वारा शुद्ध भावना से की हुई घोषणा को कि सरकारी शिक्षण सम्बन्धी में निष्पक्षता की नीति बरती जायेगी। मुस्लिम नेता कपट-जाल समझने लगे और उन्हे इस्लाम से विरत करने की चाल मानने लगे। इस कारण से वे नपी शिक्षण प्रगती से दूर ही रहे। इसके विपरीत हिंदुओं में सकृत के प्रति वैसी आमतिक की भावना नहीं थी, जैसी मुसलमानों में अरबी-फारसी भाषा के प्रति थी। हिंदुओं के दैनिक जीवन में मुसलमानों जैसी धार्मिक निष्ठा की तीव्रता नहीं थी। हिंदुओं के नये उपरे हुए वर्ग—जिसमें व्यापारी, व्यवसायी, ठेकेदार आदि—ये, मेरे कोई सामाजिक या धार्मिक पूर्वप्रह नहीं था और वे स्वच्छदत्तापूर्वक अपने बच्चों को अपेक्षी शिक्षा दिलाने लगे। हिंदुओं ने छा सौ वर्षों के मुस्लिम शासन में अपने को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया था। उस दौरान उन्होंने शासकों की भाषा उर्दू और पारमी न केवल मोर्की बरन् कई लोगों ने उन्हकोटि की बिछुता हासिल की तथा साहित्य भी लिये। शासकों की भाषा सीखते समय कभी भी हिंदुओं को यह एहसास नहीं हुआ कि वे धर्म विहृद कोई वार्य कर रहे हैं और न हिंदू पुरोहितों की तरफ से ही कोई रुकावट उत्पन्न की गयी।

मुसलमानों ने अपेक्षी शिक्षा में अपने को विचित किया। परिणामत सरकारी नौकरियों—जिसमें अपेक्षी भाषा तथा परिनियंत्रित विज्ञानों के ज्ञानकारों को वरीयता दी जाने लगी थी—मेरे हिंदुओं से पीछे रह गये। कानूनातर मेरी सरकारी पदों पर हिंदुओं का एकाधिकार-सा हो गया। यूरोपीय शिक्षा पद्धति से विमुख रहने के कारण मुसलमान चिकित्सा आदि जैसे नये धर्मों से भी विमुख रहे। इससे जहा एक तरफ ऊची जाति के मुसलमानों के हृदय में सरकार के प्रति दैय-भाव बढ़ रहा था, वही उनके मन में हिंदुओं के प्रति भी धृणा उत्पन्न होने लगी।

परिचमी शिक्षा, उदारवाद तथा शौश्योगीकरण का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि भारत में बौद्धिक पुनर्जीवन आया, जो कि आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। लोगों मेरे यह भावना जड़ पकड़ने लगी थी कि अनेक प्रकार की विभिन्नताओं के बावजूद सारा भारत एक है और इसके निवासियों को अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करना चाहिए। बिटेन जी राजनीतिक जटिल तथा सास्कृतिक सांख्यान्यवाद के विहृद प्रतिक्रिया के रूप में भारत के मुधारकों तथा धार्मिक नेताओं ने देशवासियों को नयी दिशा दिलायी, नये जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, उनमें भयकर विषयावस्था से उठने की हिम्मत बधायी तथा देश को सास्कृतिक निर्दा से झकझोर दिया। भारतीय नवीत्यान आदीलन के नेताओं ने वेद, उपनिषद, गीता आदि धर्म भास्त्रों का मानवतावादी तथा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से विवेचन किया तथा अनेक

वैज्ञानिक सिद्धातों का मूल उन ग्रंथों में दूढ़ निकालने का प्रयत्न किया। परिणामत अपेक्षी सम्भाता एव स्सूति की चुनौतियों का मामना करने के लिए बहु समाज प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण आदोलन, गुप्त समाज परमहस सभा सर्वेष्य आण इटिया सोसाइटी आदि का उदय हुआ।

सामाजिक समानता बघुत्व, नारी उद्धार में प्राण फूककर मास्कृतिक परपराओं को पत्तनवित एव पुण्यित करके नव भारत के निर्माण में 'बहु समाज' अग्रगत्य शक्ति रहा है। इसके सम्यापक राजा राममोहन राय एक महान् त्यागी, राष्ट्र-भक्त और एक मानवतावादी विचारक थे। वे सत्य के नये महादीप की खोज करने वाले भारतीय कोलबस थे। बास्तव में उन्होंने मुगल शासन का स्वान विटिश शासन द्वारा निये जाने का स्वागत किया, क्योंकि यह अधिविदाओं पर आधारित समाज को चुनौती देने तथा उसका पुनर्निर्माण करके एक विवेक पर आधारित समाज की रचना का मुअबमर दगा। उन्होंने भाषा-मुद्धार, विधि-मुद्धार, बर्नाकुलर प्रेस की स्थापना प्रेम की स्वतंत्रता की रक्षा, औरतों विशेषकर विद्वाओं के अधिकारों के अभिकरण की दिशा में मजबूत बदम बढ़ाया। वे भारतीय आध्यात्मिक परपराओं के समर्थक किंतु सामाजिक गणितीनता तथा धर्मभेद और वर्णभेद पर आधारित सामाजिक सकीर्णताओं के बहुत विरोधी थे। जहा उपनिषद् और अद्वैतवाद के दार्शनिक आधारों में उनका अटूट विश्वास था वही उनकी धर्म सास्था में पूर्ण तथा पश्चिम की विचारधाराओं का समन्वय था। इसमें परपराओं को ढुकराने के बजाय उनके आदर्शों को सम्मान दिया गया धार्मिक बहुरता के बजाय सर्वधर्म-समन्वय की भावना को गले लगाया गया, किसी जाति या वर्ण के हितों के बजाय विद्व बघुत्व का सदेश गुजित विद्या गया। इसकी विद्याओं से प्रभावित केशवचद्द सेन, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, विक्रमकृष्ण गोस्वामी, जगदीशचन्द्र बोस आदि ने देश के सामाजिक तथा मास्कृतिक कायाकल्प में जो योगदान दिया उसे भूताया नहीं जा सकता।

नूतन भक्ति दर्शक, पवप्रदर्शक यहि अद्वितीय विद्वान् और महान् उपदेश स्वामी दयानन्द ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना के द्वारा धार्मिक पुनर्जीगरण की ऐसी अत्रमध्यारा प्रवाहित वर्ती, जो युगो-युगो तक भारत की धार्मिक तथा मास्कृतिक धरती को हुरी-भरी बनाती रहेगी, ऐसा दीप प्रज्वलित किया जिसका प्रबाल सामाजिक नुरीतियों, पास्डों तथा ब्राह्मणारों के अध्वार को दूर भगाना रहेगा। जातीय समानता, स्त्री-शिक्षा, पुनर्विवाह और अतर्जीतीय विकाह की ऐसी आदोलनात्मक आधी चमायी, जिसने जाति, वर्ण और लिङ् की सर्वीर्णताओं की जड़े हिना दी। आर्य समाज ने समूचे देश में वैदिक आर्य सस्कृति के प्रचार और प्रसार का इतिवारी कदम उठाया। इसके अनुसार वेद पढ़ने का अधिकार छूट आदि ममस्त मानवों वो है। दु सी दरिद्रों की सहायता, स्वदेशी बस्तुओं का प्रयोग, हिंदी भावा और गोरक्षा वा प्रसार, मूर्तिपूजा वा भूषण, पढ़ो, पुरोहितों और महतों वी सोडालेदर, अन्य घर्मों वो मानने वालों वी शुद्धि और शिक्षा वी उप्रति आदि वार्षिकों को अपनावर आर्य समाज ने देश के सर्वतोमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

रामकृष्ण परमहन्‌म के प्रधान शिष्य विदेशनद ने एक अन्य ऐसा आदोलन चलाया, जिसने हिंदुत्व के शिथिल शरीर में नयी सूर्ति और नयी शक्ति फूक दी। उन्होंने वेदात को आधुनिक रूप दिया। वे वेदात को पड़ियों के ग्रास्तार्य या सन्यासियों की साधना का विषय ही नहीं मानते थे बल्कि इसे दैनिक जीवन के कार्यकलाप में अनूदित किये जाने योग्य मानते थे। वेदान व्यक्ति की आत्मिक उन्नति, समाज के पुनर्गठन और राष्ट्रों के समन्वय का शास्त्र है। उनकी दृष्टि में वेदात का मार्ग कर्मण्यता है। उन्होंने दूसरों से प्रेम करना दुभी दरिद्र असहाय लोगों की सेवा करना व्यक्ति का परम कर्तव्य माना है। जान भक्ति और वर्म का जो अपूर्व मगम रामकृष्ण आदोलन में है वह असम्भव दीन-हीन दुभी, दरिद्रों तथा असहायों को अलौकिक आनंद देता रहा है और देता रहेगा।

धार्मिक अध्यविश्वासों एवं सामाजिक ऋद्धिवादिता को अनेक छोटे-छोटे सप्रदायों द्वारा भी चुनौती दी गयी। उत्तर प्रदेश में मतनामो अन्यापथी और शिव नारायण सप्रदाय दग्गल में कर्यवाज और चलरामी सप्रदाय आदि ने बहुदेववाद मूर्तिपूजा और जाति भेद की भर्त्तना की। इनके द्वारा अध्यविश्वासों और पुरोहितों के अत्याचारों से मुक्त जनता के धार्मिक जीवन को मुधारने के अनेक प्रयाम किये गये। जिन दिनों पूर्वी और उन्हीं भाग में पुनर्जागरण की दुरुभी बज रही थी पश्चिमी भारत भी पीछे नहीं रहा। पश्चिमी भारत के गुण समाज परमहन्‌म सभा और प्रार्थना समाज के नेताओं ने गामाजिव सक्तिर्णनाओं जानिगल तथा धर्मगत ऋद्धियों अध्यविश्वासों एवं कुप्रवाओं को ममूल उचाड़ फेरने का प्रयाम किया। राजस्वान में चरनदासी सप्रदाय ने मूर्ति पूजा विरोध और जातिवाद विरोध के लिए वेदों वा हृवाला दिया तो भ्राद्ध प्रदेश में वहाँ सप्रदाय भी अनेक धार्मिक तथा सामाजिक बुराइयों का विरोध करने में लगा रहा। दूसरी तरफ पजाव में बाबा रामसिंह ने नामधारी आदोलन चलाया अनेक समाज मुधारबों का धीरोग्य किया तथा अद्वेज, अपेजी और अपेजिप्त का विरोध किया, माधी जी के आदोलन से बहुत पहले पजाव के कोने-कोने में स्वदेशी आदोलन का बिगुल बनाया।

भारत का इतिहास । ४वीं शताब्दी में वैमे तो आधुनिक इतिहासकारों वे निए आकर्षक नहीं रहा बिना इस बाल में भी सामाजिक धरातल पर परिवर्तन कापी हो रहे थे। उस समय के विमडन, पेशागत गतिशीलता और सस्तृतीकरण समाज में हो रहे परिवर्तनों को दर्शति हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र में उच्चकोटि की रचनात्मकता को अधिक्यात्मि मिली। इन सबके चाहबूद प्रतिवधि, अध्यविश्वास, सामाजिक ओहदा प्राधिकार धर्माधिता और अधि नियतिवाद इस समय अपनी जड़ें जमाये हुए थे। उन्नीसवीं शताब्दी के बौद्धिकों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जिन साधनों और उपायों को सबसे अधिक महत्व दिया, वह था—शिक्षा नीति को सर्वाधिक उपयोगी बनाना। अनेक समाज मुधारबों ने अनुभव दिया कि दश वी प्रगति और आधुनिक विचारधारा तथा सस्तृति के विवाद के लिए जिजान की जानकारी अत्यत आवश्यक है। वे दशी भाषाओं के माध्यम से विजान और सामूहिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर बल दे रहे थे। जैसाकि राजा राममोहन राय की भाषणित में स्पष्ट होता है, “युवाबर्य के दिमाग पर व्याकरण गवधी महीन जातों

और आध्यात्मिक विशिष्टताओं को लादना हृनिकारक है, जिनका समाज को और उस व्यक्ति को, जो इन्हे आवत करता है, कोई लाभ नहीं।<sup>10</sup> अजयकुमार दत्त ने जो शिक्षा की राष्ट्रीय योजना के प्रथम भारतीय प्रवर्तक थे पारपरिक शिक्षा पद्धति को पूरी तौर पर नामजूर कर दिया था। उनकी योजना (जिज्ञा) में विद्यार्थियों के लिए प्रायमिक स्तर पर ही विज्ञान के प्रायमिक शिक्षण की व्यवस्था थी। विद्यामागर मैयद ब्रह्मद रानाडे और चीरमालिंगम् ने विज्ञान के महत्व को समझा तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। वे लोग प्रशिक्षण का एक उदार और प्रबुद्ध तरीका अपनाये जिसमें गणित, प्रकृतिदर्शन रसायन, शरीर विज्ञान आदि उपयोगी विज्ञानों को ज्ञामिल किया गया हो। इस प्रकार भारतीय बौद्धिकों एवं समाज-सुधारकों ने प्रकृति के तथ्यों का गोष्ठ करके उनके मिदातों का पता लगाने और धौतिक तथा नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और विज्ञान मानवता की प्रकृति के लिए उनका उपयोग करने पर बल दिया। विज्ञान के प्रचार-प्रमार के लिए अनेक कदम उठाय गये तथा इम जलाल्दी के बौद्धिकों ने जन-साधारण में शिक्षा के प्रचार-प्रमार के माध्यम के रूप में देशी भाषाओं को अपनाने पर बल दिया जिसकी शैली सरल हो। उनका मानना था कि इसमें पत्र-पत्रिकाओं की बड़ी बहुमूल्यिका है। इसलिए इस दिना में नवगहनीय प्रगति किये गये बगाल में राममोहन गाय वी सवाद कीमुदी 'थग बगाल' का 'ज्ञानान्वेषण' देवेन्द्रनाथ और अक्षय कुमार की तत्त्वज्ञानी पत्रिका और केशवचट्ट सेन की 'मुलभ समाचार' बबई में बाल शास्त्री जम्बेकर को 'दिव्यदर्शन' और 'बबई दर्पण' (द्विभाषिक) भाऊ महाजन की 'प्रभाकर' और दादाभाई नौरोजी की 'रास्तमोक्तार आधि में चीरसालिंगम की 'विदेववर्णनी' और बुचाइया पातुल की हिंदू जन सम्बागिणी आदि के प्रकाशन बौद्धिकों की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

उप्रीमध्ये जलाल्दी भी चितनधारा की एक प्रमुख विशेषता थी बौद्धिकता। यह बगाल के मदस्यों को दृष्टि में, वह आदमी जो तर्क नहीं करता धर्माधि होता है जो कर नहीं सकता, वह भूर्ख होता है और जो करना नहीं चाहता वह गुलाम होता है।<sup>11</sup> अजय कुमार का शुद्ध बौद्धिकता में गहरा विश्वास था। उनका मानना था कि अन्तौकिता में पहुंचना शुद्ध धार्त्रिक तर्क पद्धति में इम विश्व को समझा जा सकता है और उसका विश्लेषण विद्या जा सकता है। हालांकि जो नवगहनीय मुलभ की बारनविक प्रक्रिया में लगे हुए थे उनमें बौद्धिकता की शुद्धता धीरे धीरे बढ़ होनी चाही फिर भी उनके प्रयासों वा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के विचास में नापो यागदान रहा। 19वीं शताल्दी की विचारधारा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता धार्त्रिक विश्वजनीनता थी। राजा राममोहन गाय तथा बैद्यवचट्ट सेन आदि का धार्त्रिक एकता में विश्वास था। वे एवं बैद्यवचट्ट और ईश्वरत्व की एकता पर आधारित एक विश्व दृष्टिकोण रहत थे। राजा राममोहन राय ने धौतिक धार्त्रिक विदातों का समर्थन किया चाहे वे हिंदू धर्म के हों ईस्माई धर्म के हों या इस्लाम के। केशवचट्ट सेन ने 'ईश्वर सबका अन्मदाता है' वी विश्वभावना के अनुस्प मभी मनुष्य भाई भाई हैं' की प्रणिष्ठा भी। मैयद ब्रह्मद वा विश्वास था कि मानन मभी सर्व एक हैं और मभी धर्म गुरुआ का 'दीन' एवं ही है। प्रार्थना समाज का भी पहला

मिद्दात था कि भगवान् एक है और उसने इस विश्व को बनाया है। इसलिए सबको एक-दूभरे के साथ बिना भेदभाव के भाइयों की तरह रहना चाहिए।

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में सार्वजनिक महनशीलता तथा स्वीकृति पर बल दिया गया, धार्मिक विश्वजनीनता काफी जोर पकड़ रही थी किंतु आगे चलकर इसका स्थान हिंदू धर्म के द्वितीय ईश्वरवाद ने ले लिया। इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी की विश्व विचारधारा का समय से पहले अत ही गया और इसके अदर से धर्मनिरपेक्षता के मिद्दात के सावधानिक विकास की सभावना समाप्त ही गयी। इसके बजाय, इसके स्थान पर धार्मिक विशिष्टता की स्थापना हुई जो भारत जैसे बहुधार्मिक देश के लिए अत्यत दुर्भाग्यपूर्ण थी। बीमवीं शताब्दी में यह लक्षण और प्रवर्त दूआ।<sup>142</sup> हालांकि महात्मा गांधी ने इन धार्मिक विशिष्टताओं से ऊपर उठकर सर्व मुक्तिवाद को अपनाया। उनका मानना था कि सभी धर्म सत्य हैं, सभी धर्मों में कुछ बुराइया हैं तथा सभी धर्म उन्हे लगभग उतने ही प्रिय हैं जिनका अपना हिंदू धर्म।

### राष्ट्रीय राजनीतिक मत्त की स्थापना

सन् 1885 में भारतीय इतिहास में एक अतिशय महत्वपूर्ण घटना घटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यद्यपि सार्वजनिक जीवन का विकास इससे काफी पहले भारत हो चुका था। सन् 1837 में जमीदारी एसोसिएशन की स्थापना के साथ वैधानिक राजनीति का सिलसिला शुरू हुआ। 1843 में बगात ब्रिटिश इंडिया मोमाइटो तथा 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आदि अस्तित्व में आ चुके थे। सन् 1857 में जगभग चार सौ से अधिक समाचार पत्र अधिकाज भारतीय भाषाओं में निकलते थे। इसमें स्पष्ट होता है कि एक सार्वजनिक जीवन देश में विकसित हो रहा था तथा राजनीतिक सत्ता के द्विकरण के बारण एक राष्ट्रीय राजनीतिक मत्त की आवश्यकता महसूम की थी, जो क्षेत्रीय मत्तों के समुक्त मोर्चे के रूप में कार्य कर सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय जनता को अपनी वास्तविक इच्छाओं को अधिकृत रूप से व्यक्त करने के अवसर देने के उद्देश्य से हुई। इसका एक प्रमुख मस्तापक भारत मरकार का एक भूतपूर्व सचिव ए०ओ० शूभ था। इसकी स्थापना में तत्कालीन वामसराय लार्ड डफरिन ने भी महिला महोर दिया था। उन्होंने रोचा था कि यह एक 'मुरदा कपाट' का कार्य करेगी। इस प्रकार कांग्रेस की स्थापना के पीछे भलाई की भावना में कहीं अधिक शासक और शासितों की परस्पर आवश्यकता का हाथ था। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष थी और सभी संग्रामों के लोग उनके मदस्य बन सकते थे।

राष्ट्रीय नेताओं वा मूलभूत उद्देश्य हिनों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मत्त की स्थापना करना था। वे देश की मानविक, क्षेत्रीय तथा धार्मिक विभिन्नताओं में भली प्रकार अवगत थे उन्होंने कांग्रेस के संगठन को संप्रेरण तथा समन्वय के माध्यम के रूप में देखा। दादाभाई नौरोजी, रानाहं, गोवर्ण और बार०मी० दत्त ने भारत के आर्थिक पिछड़ेपन वा मूलम अप्ययन किया। राष्ट्र की गुरीबी और

पिछड़ेपन का बनेक प्रकार से विस्तैरण किया गया। अगर दादाभाई नौरोजी ने पिछड़ेपन के लिए पराधीनता को दोष दिया, तो दूसरे सेखबो ने अत्यधिक शुरीबी की आतंकिक जड़ों का विस्तैरण किया। इन शोधों तथा विस्तैरणों का यथार्थ परिणाम यह हुआ कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के आरभिक बाल के दौरान प्रजातात्त्विक विकास की सहमतिजन्य रणनीति विकसित हुई। राजनीतिक नेता कृषि उद्योग और शिक्षा के समन्वित विवाद के लिए प्रजातात्त्विक, राज्य के महिला दृस्तान्त की आवश्यकता में महमत थे। अत वायेस के माध्यम से प्रजातात्त्विक राजनीतिक विकास के महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का प्रधान किया गया। किंतु अभिजातवर्गीय मुसलमानों में दर्दियानूमी प्रवृत्तिया घर बरती चली जा रही थी। 19वीं शती के पांचवें दशक के बाद बहाबो आदोलन भी जोर पकड़ रहा था। मुसलमानों के अप्रेज़ी शिक्षा के सहित्कार में नरमी नहीं आ सकी थी। हिंदुओं के ईश्विक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टियों में हिंदुओं के उच्च वर्ग के उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के कारण मुसलमान हिंदुओं से भी पूछा करने लगे थे। वे इन ममठनों को हिंदुओं का सागड़न मान देते। विदेशी सरकार के जिन उदार नीतियों वा या फायदा स्वयं उठा सकते थे तथा अपने ममुदाय का भी हित कर सकते थे, उम भी अपने आड़ों का निशाना बना लिया। मुस्लिम अभिजात वर्ग अतीत को याद कर दिया था। उनमा तो यहा तक कि हिंदू और अप्रेज़ी से हाथ मिलाने पर उम धोता था।

मुसलमानों भे जागरूकता लाने के लिए, सर सैयद अहमद ने बीड़ा उठाया। वे मुसलमानों भी पुराणपरिता और सूफिवादिता के एकदम छिलाक थे। वे अप्रेज़ी शामन का विरोध करने के पक्ष में नहीं थे। वे मुसलमानों के रहनमहन वा ढाचा बदनने के पक्ष में थे। उन्होंने ममाज-मुधार, आधुनिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक और तकनीकी विवाद पर अत्यधिक जोर दिया। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में विद्यालय नियम किया जो शोध ही कलिज बन गया और आज मुस्लिम विद्यविद्यालय के रूप में विद्यमान है। उनके विचारों से मुस्लिम ममाज में जब नयी जागृति आयी, उनकी तड़ा टूटी और पाइचात्य शिक्षा और राजनीतिक विकास भी तरफ अग्रसर हुआ, तड़ वापों दर हो चुके थे। हिंदुओं में लोकतात्त्विक विचार जड़ लगाने लगे थे। शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमान हिंदुओं से बासी पीछे रह गये थे। परिणामतः मुसलमानों वा हिंदुओं के प्रति आड़ों बढ़ता ही गया। भारतीय राष्ट्रीय काप्रेस ने एक अच्छा अवसर प्रदान किया था जब वे उम्मे शामिल होकर अपना राजनीतिक, वायाकिक और आर्थिक मर्याद प्रस्तुत कर सकते थे तथा अपनी शिक्षायांत्रों को दूर कर सकते थे। इन्होंने अधिकार अधिकार ने अपने को काप्रेस से अलग रखा। काप्रेस के 1885 के अधिकार विभिन्निधियों से स बेवन दो मुसलमान थे। जहा काप्रेस किमानों भी दरिद्रता और अवनति नौकरशाही द्वारा गरीबों के उत्पीड़न तथा डिटिभ शामको द्वारा जनता के शोषण भी जात करती थी, वही मुस्लिम नेतृत्व मुस्तर अभिजातवर्गीय भावनाओं की परिप्रे कथा दृष्टा था। जहा काप्रेस के नेता जनतात्र, धर्मनिरपेक्षता और राजनीति पर भाषण करते थे, वही

मुसलमान नेता, 'इस्लाम' पर व्यास्थान देते थे। अप्रेजो के प्रति उनके मन में उत्कृष्ट निष्ठा भरी हुई थी। इसी निष्ठा की भावना के कारण भर मैयद अहमद ने काप्रेस का उप्र विरोध किया। उन्होंने तय कर लिया था कि मुसलमानों का काप्रेस से बस्तुत किसी भी राजनीतिक दल ने कोई सबध नहीं रहेगा। उनके नया उनके अनुयायियों द्वारा काप्रेस की पूर्ण अपेक्षा भी गयी। काप्रेस के द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधित्व और राजकीय सेवाओं के लिए प्रतियोगिताओं पर बल दिया जाना, उच्चबर्गीय मुसलमान अपनी स्थिति के लिए सुतरा मानते थे। काप्रेस के विरोध में उन्होंने एम०ए०ओ० कॉलेज के प्रिसिपल श्री यिदोडोर बेक के मह्योग से एक और सगठन बनाया जिसका नाम रमा—यूनाइटेड इंडियन पैट्रिआर्टिक एसोसिएशन। बाद में मुहम्मदन ऐनो-ऑरियटल डिफेंस एसोसिएशन बनाया। अनीगढ़ के नेताओं के उप्र विरोध के बावजूद काप्रेस में मुसलमानों की सम्मा उत्तरोत्तर बढ़नी गयी शिखित मुसलमानों में काप्रेस की नोकप्रियता बढ़ रही थी। 1897 की नवनऊ काप्रेस में तो मुसलमान प्रतिनिधियों की सम्मा काफी थी।

उनीमवी शताब्दी के अन म राष्ट्रवाद के स्वभावी कुछ परिवर्तन आया। 1900 तक ब्रिटिश शासक काफी मुश्किल महसूस करने लगे थे क्योंकि नौकरशाही तथा सैन्य शक्ति उनक अधिक हिलों को भरचिन करने म अत्यधिक महादक थे तथा साम्राज्य के विस्तार के लिए भारत को बतौर स्प्रिंग बोर्ड इस्तेमाल किया जा मकता था। किन्तु याथ ही राष्ट्रवाद को एक धक्का नहा। 1905 तक उप्र राष्ट्रवादी झोर पकड़ने गये तथा पुराना उदारवादी नेतृत्व ढीला पड़ता गया क्योंकि भवद्वार के दमन ने उप्रवादियों को अपनी शक्ति बढ़ाने वा मुनहरा अवसर प्रदान किया। 1905 की सोवियत रूस पर जापान की विजय ने एशिया में राष्ट्रवाद की नयी लहर ला दी। परिणामत अप्रेजों के दमन के स्थानक मध्ये भारतीयों की भावनाओं वो जगाने का प्रयाम किया गया। माहिन्य धर्म तथा इतिहास के महारे एकता को मजबूत बनाने का प्रयाम किया गया। हिंदू प्रतीकों का प्रयोग किया गया तथा हिंदू महामुल्यों के गुणगान किये गये।

बविमचड चट्टर्जी ने शक्ति माना को भारतमाना के रूप में प्रस्तुत कर यह मिद्द किया कि उनकी पूजा राष्ट्रभक्ति में सन्निहित है। 1882 में स्वामी दयानन्द ने गोरक्षा संघ की स्थापना की थी तथा तिनक ने गोहत्या नियोग आदोलन को जारी रखा। उन्होंने गणराजि पर्व और गिरावंती पर्व पर मैनिक शिक्षण कानिकारी सगठन और उप्र प्रदर्शनों वा आयोजन किया। बगान म अरविद घोष और विपिनचंद्र पाल ने धर्म को राष्ट्रीय ब्राति और स्वतंत्रता के जादोलन के रूप म प्रस्तुत किया। अरविद घोष न कहा 'राष्ट्रीय मुक्ति का वार्य एक भान और पवित्र यज्ञ है और विदेशी बस्तुओं का बहिकार स्वदेशी बस्तुओं का प्रयोग, राष्ट्रीय शिक्षा और दूसरे कार्य उसके छोटे बड़े अग है। इस यज्ञ का फल स्वतंत्रता है और उस हम मानृभूमि देवी को अर्पित करत है। बेदात वो उन्होंने राजनीतिक बताया, क्योंकि हम अधिभाज्य स्वतंत्र भारत के दैवी सालाल्कार की ओर अप्रसर हैं। राष्ट्रीय मुक्ति हमारा लक्ष्य है।'<sup>13</sup> उन्होंने राष्ट्रीयता वो धर्म में जोड़ने हुए कहा 'राष्ट्रीयता निया राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है गण्डीयता ईश्वरीय धर्म है।

राष्ट्रीयता वह पर्म है जिसके अनुसार हम जीवित रहना है। ऐसे किसी व्यक्ति को अरने वो राष्ट्रवादी नहीं वा साहम नहीं करना चाहिए जो बौद्धिक अहकार से ऐसा बनता है और सोचता है कि इस नाम के धारण करने से वह उन लोगों से ऊचा हो गया है जो इसे अपने नाम के साथ नहीं जोड़ते। अगर तुम राष्ट्रवादी हो, यदि तुम राष्ट्रीयता के धर्म को अग्रीकार करते हो, तो इस धार्मिक भावना से करां और अपने भाग्य को दूर बाहर का उपकरण समझो<sup>44</sup> इस प्रकार धर्म और राष्ट्रीयता के गठजोड़ से लोगों को इसका लहड़ा मुस्लिम-विरोधी होने के बारण आह्वान में अपूर्व सफलता अवश्य मिली। किंतु इसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार भी पैदा की। अनेक मुसलमानों ने धार्मिक राष्ट्रवाद के लिए दूसरा रास्ता अपनाने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल किया। वे धर्मनिरपेक्ष आह्वान तथा प्रजातात्प्रिय राजनीति के मिलानों वी आलाचना करने वाले काशेस के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद को चुनौती दी जाने लगी। यह कहा जाने लगा कि प्रजातत्र का भवित्व है— हिंदू भर्वोच्चता और दमन। इस प्रकार हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा अतीत वा फौरवगान माहित्य धर्म आदि के स्वर्णिम काल का स्मरण तथा विटिंग शासन के विहंदू भवर्ष वो तेज़ करने के लिए हिंदू प्रतीकों के प्रयोग ने मुस्लिम भगवान्यवाद को बढ़ावा दिया। हिंदुओं और मुसलमानों में मौहार्द बढ़ाने के अनेक नेताओं के प्रयासों के बावजूद अपेक्ष शासकों द्वारा इस नियनि में पोषदा उठाने को नहीं रोका जा सका।

हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ती साई ने काशेस के नताओं को बापी चिटा थी। दोनों समुदायों के बीच एकता नाने के प्रयास अपेक्ष अधिकारियों की कृतनीतिक चालों के आग बेकार मारित हो रहे थे। यद्यपि तिसक त्रैमासी नेता हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए प्रयत्नतारीन थे। दोनों समुदायों को स्वदेशी अपनाने पर जोर दे रहे थे। उनकी उत्कट राष्ट्रीयता से प्रभावित होकर मुसलमान लोग जिवाजी के उल्मों में सम्मिलित होने लगे थे। यान्त्रित उत्ताप और राजनीतिक प्रबाहर वा माझ्यम बन चुना या अनेक नगरों में मुसलमान भी भारी सख्ता में इसमें सम्मिलित होने लगे थे। लेकिन अपेक्ष अधिकारी और अनीण्ड के नता काशेस को छवि एक हिंदू मण्डन के स्पष्ट भगवान्यवादियों के चिनाफ एक बहुत बड़ी सामूहिकता वी थी। विटिंग साम्राज्यवादियों और मुस्लिम भगवान्यवादियों के द्वारा समर्थित होकर, भयकर चरारत की थी। मुसलमानों के लिए साप्रदाविक आधार पर राजनीतिक मण्डन बनाया गया।

### प्रजातीय आधार पर साविधानिक मुरक्का

बीमरी मरी के आरभ में भारत में राष्ट्रीयता वी बहर तीव्र होन लगी थी। वह राजिकारी मार्ग की तरफ बढ़ रही थी। भारत की आर्थिक धार्मिक और मामार्दिक

परिस्थितिया तथा अतर्गतीय घटनाएँ अपेक्षो के खिलाफ सघर्ष करने के लिए नवीन प्रेरणाएँ दे रही थीं। लार्ड कर्जेन द्वारा सन् 1905 में बगान विभाजन किया गया, इसके कारण असतोष की लहर झेपाओं को लोड, बाहर आने लगी। विशेष को ज्ञात करने तथा उप्रवाद पर नियन्त्रण पाने के लिए विटिंश मरकार प्रजातात्त्विक मूल्यों के अनुसार दुष्क सविधानिक परिवर्तन करने को थी। इनी बीच। अक्टूबर सन् 1906 को पैतीस मुसलमानों का एक शिष्टमठन आगा जा के नेतृत्व में दायसराय लार्ड मिटो से शिमला में मिला। शिष्टमठन ने 'अपने समुदाय के राजनीतिक महत्व' और अतीत में उसके अद्वितीय स्थान के जाधार पर अपने समुदाय के विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए निश्चित भविधानिक मुरक्खाओं की मांग की इसमें सबमें अधिक महत्वपूर्ण थी, सभी प्रतिनिधि सम्पादों द्वारा विधान परिषद् तक मुसलमानों का पृथक् प्रतिनिधित्व। निश्चय ही यह मुसलमानों द्वारा उठाया गया लोकतात्त्विक प्रक्रियाओं और भारत के वृहत्तर हितों के खिलाफ एक शरारतपूर्ण कदम था। लार्ड मिटो ने अवसर के महत्व को भाषने में देर नहीं की। दोनों समुदायों के बीच राजनीतिक भेदों को बढ़ावा देकर राष्ट्रवादियों की आलोचनात्मक कार्यवाहियों पर अकुश लगाने के लिए ऐसे मुअबसर को उन्होंने हाथ में जाने नहीं दिया तथा साप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रति सकारात्मक उत्तर देकर कई दशकों में बली आ रही अलगाववाद की नीति को भविधानिक आधार प्रदान कर दिया।

अपनी पृथक् निर्वाचन के भवध में सफलता के बाद मुस्लिम नेता तुरत एक पृथक् मुस्लिम राजनीतिक समठन के निर्माण में सनमन हो गये, 30 दिसंबर, सन् 1906 में अस्तित्व भारतीय मुस्लिम लीग की नीद शिमला शिष्टमठन के नेताओं ने रखी।

दूसरी तरफ हिंदुओं के एक वर्ग द्वारा कायेस नेताओं पर आरोप लगाया जाने लगा कि वे अत्यस्थिकों को प्रमन्न करने के लिए बहुस्थिकों के हितों का बलिदान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग के नेताओं की साप्रदायिक समरनीति ने कितनी आमानी में सफलता हासिल कर ली। इन हिंदुओं ने भी 1907 में पाजाब में हिंदू मध्य गठित किया। जिनका उद्देश्य था— 'समस्त हिंदू समुदाय के हितों की रक्षा के लिए उन्माही और सतर्क रहना'।

भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 में मुसलमानों की मायो का भनी प्रकार व्यान रखा गया। इस अधिनियम में मुसलमानों को पृथक् निर्वाचन पद्धति द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला और साथ ही उनका आम चुनाव में भत देने का अधिकार भी बना रहा। साप्रदायिक निर्वाचन की इम योजना ने दोनों समुदायों के बीच की साई और गहरी कर दी तथा उनके हितों वा भेल अमर्भव बना दिया। "गह भारत के भविष्य पर प्रभाव डालने वाला अधिनियम था। भविष्य में मुसलमान केवल पृथक् निर्वाचन लेते से छड़े हो सकते थे। इस प्रकार उनके चारों ओर एक राजनीतिक दीवार सड़ी कर दी गयी तथा उन्हें जेंय भारत में पृथक् कर दिया गया। यह दीवार प्रारम्भ में छोटी-भी थी, क्योंकि निर्वाचन लेते मकुर्चित थे। परतु जैसे-जैसे मताधिकार में वृद्धि होती गयी, यह दीवार बढ़ती गयी और उसका मार्वर्जनिक तथा सामाजिक जीवन के

दाचे पर इस प्रकार प्रभाव पड़ा, मानो सारे दाचे में घुन लग गया हो। इससे हर प्रकार की पृथक्कावादी प्रवृत्तिया उत्पन्न हुई तथा अत में भारत के विभाजन की मांग की गयी।<sup>41</sup> इस प्रकार अधेशी शासक राष्ट्रवाद के विरोध में साप्रदायिक भाषणाओं को पूर्णरूप से उभारने में सफल रहे। बास्तव में देखा जाये तो इन दोनों समुदायों के मध्य संदियोग में चले आ रहे धार्मिक तथा सामाजिक विरोधों का इन शासकों ने फायदा उठाया तथा इन विरोधों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग किया।

सन् 1916 में 'लशनऊ समझौते' में दोनों समुदायों को दो विभिन्न समुदायों के रूप में मान्यता दे दी गयी। इस समझौते में काशेस ने मुमलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन पद्धति स्वीकार करने के साथ प्रत्येक प्रांत के विद्वानमण्डलों में उनका अनुपात भी निर्धारित कर दिया। इस प्रकार काशेस ने मुमलमानों के पृथक् राजनीतिक अस्तित्व को मान्यता दे दी और अपनी इस वोशना को कि 'भारत एक राष्ट्र है' निर्वर्ख नाविल कर दिया। साथ ही उसकी धर्मनिरपेक्ष छावि भी कुछ धूमिन हुई। व्यावहारिक रूप से इस समझौते के द्वारा कुछ अश तक काशेस को हिंदुओं वी एक साप्रदायिक मत्या वा रूप मिल गया।

माटफोर्ड रिपोर्ट में साप्रदायिक चुनावों के प्रतिकूल इच्छा व्यक्त की गयी। इसे जबाढ़नीय बतलाते हुए कहा गया कि वह राष्ट्रविरोधी, भुतरनाक और उत्तरदायी सरकार के विरुद्ध तथा सामान्य नाशकिता की भावना की उत्पत्ति में बाधक है। ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया कि वह अपने पहले दिये गये बचनों से बाध्य थी जिससे केवल मुमलमान ही छुटकारा दिला सकते थे। उसकी साप छलूदर भी-भी गति हुई थी, न तो उसे समाप्त कर सकती थी और न ही आगे बढ़ने से ही रोक सकती थी। परिणामत साप्रदायिक प्रतिनिधित्व को न केवल मुमलमानों के लिए कायम रखा गया बरन् सिंघों, ईसाइयों, यूरोपियनों और आम्ल भारतीय समुदाय के लिए भी इसे अपना पिया गया। इसके अतिरिक्त बवई मराठों तथा मद्रास में गैर ब्राह्मणों के लिए भी स्थान रखित कर दिये गये।

इस शताब्दी के दूसरे दशक में काशेस राष्ट्रवाद और सुस्तित्र सप्रदायवाद के अतिरिक्तों वो ममाप्त करने के असफल प्रयास चलते रहे। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी राष्ट्रीय विषमताओं से भनी भावि परिचित थे। वे ऐसे धर्मनिरपेक्ष आदानपन में विश्वास रखते थे, जिसमें जातीय भीमाओं को लापकर नोग हिस्मेदारी ने, ज्योकि वे जानते थे कि भारत में नोग केवल जाति के आधार पर ही एक-दूसरे से अलग है। ये जाति की भीभाएँ कही भाषा द्वारा तो कही अन्य कारणों से टूट जाती है। प्रभुष धार्मिक समुदाय अनेक भाषाओं समुदायों में विभक्त है तथा उनमें भी जाति तथा वर्ष की वेणिया बनी हुई है। इस प्रकार हिंदू अनेक भाषाओं के आधार पर अपनी अलग-अलग पहचान बनाये हुए हैं तथा भुस्तमानों में उर्फ ने शपादा प जावी तथा बगवा बोलने वाले हैं। यही कारण है कि किसी एक कारक से धनियल मबध वो जन समर्थन के लिए आधार बनाया जाये तो दूसरे कारकों से धनियल सबध रखने वाले लोग दूर होते जाने हैं, जिससे दूसरे लोग जन-समर्थन हासिल कर सकते हैं। जैसे हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए हिंदी को प्रार्थीक बनाया जाये तो, अहिंदी भाषी हिंदू दूर भागेगे। इसी प्रकार अमर मुमलमानों के समर्थन के लिए

उद्दू को प्रतीक माना जाये तो बगला तथा पजाबी बोलने वाले विरोध करने लगेंगे तथा परेशानी महमूस करने लगेंगे। पुन धर्म, भाषा, जाति तथा अन्य धनिष्ठ मबद्दों के अतिरिक्त आर्थिक सबध भी काफी महत्व रखते हैं। आर्थिक सफलता अथवा विप्रता भी धनिष्ठता में महायक होती है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी नेताओं ने अधिकतम लोगों की सामान्य बातों को राष्ट्रीय आदोलन का आधार बनाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद याधी ने विषमताओं में समन्वय स्थापित करके एक जन आदोलन चलाने का प्रयास किया। उन्होंने धर्मों, सभी भाषाओं सभी जातियों समझ लोग तथा गरीब, दलित और शोषित मध्ये को राष्ट्रीय आदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रकार वे राष्ट्रीय आदोलन, खिलाफत आदोलन में मुसलमान समुदाय की धार्मिक नागों, मिथ मंदिर सुधारों और हिन्दू निम्न जातियों के मंदिर-प्रवेश आदोलनों को एक मात्र जोड़ने में कुछ हद तक सफल रहे। खिलाफत आदोलन में हिन्दू और मुसलमान दोनों कदम से कदम मिलाकर चले। हिन्दू-मुसलमान की जय 'भाई-भाई' के नामे लगाये गये। लेकिन यह मब मात्र एक सतही सधि थी, इसमें स्थायित्व के बजाय दिलावा ल्यावा था। मुसलमानों ने विचारधारा से किसी प्रकार का माझेघन नहीं हुआ। खिलाफत आदोलन राष्ट्रीय चेतना के विकास के बजाय मुसलमानों में उनके धर्म के प्रति उनकी मस्कृति के प्रति तथा उनकी अस्मिता के प्रति नयी जागरूकता भर दी। साथ ही साप्रदायिक विचारधारा, दो मुस्लिम भीग के नेताओं तक सीमित थी को जन साधारण तक पहुंचाने में महायक हुआ। जैसा कि दोनों समुदायों के मध्य साप्रदायिक दोनों ने साचित कर दिया। 1923 अमृतसर, मुल्तान पजाब, मुरादाबाद, मेरठ, इलाहाबाद अबमेर पानीपत, जबलपुर, गोडा, आगरा रायबरेली, दिल्ली, नामपुर, नहाऊर बग्नाऊ काशीनाडा आदि स्थानों में दगे फूट पडे। मितवर, 1924 में कोहाट में भयानक दगा हुआ। हिन्दू जनता को नगर साली कर देना था। मोरफनों द्वी धर्माधारा के बारण दिया गया हिन्दुओं के प्रति अत्यन्तर महारनपुर और मुल्तान में की गयी मुस्लिम कूरता ने हिन्दू मुसलमान सधि के आकर्षक महन्य को ढहा दिया। साप्रदायिक शक्तिया पिटारे में बद विषय था की तरह से भयानक रूप से उफन पड़ी। सपेरा भी उन पर नियश्वर भो चुका था। महात्मा याधी इन दोनों को देखकर आशर्यवकिन रह गये। उन्होंने अनेक एवता सम्पेलन बुलाये, अनजन किये पर मब बेकार रहा। वे साप्रदायिक रक्तपात की जड धार्मिक भन्नुता को धानते थे। दूसरी तरफ धर्म को मुसलमानों के लिए राजनीति से अवग करना सभद नहीं था। इसलिए उन्होंने धर्म को राजनीति में अलन करने के बजाय सभी धर्मों की मूलभूत एकता पर बन दिया, दोनों समुदायों को धार्मिक महिष्णुता का उपदेश दिया। किन्तु फिर भी साप्रदायिक लनाव ममान नहीं हो सका, दोनों समुदायों के बीच एवता की भावना, जिसका कि 1857 के दिलोह के बाद से अभाव था, जब नहीं पढ़ा सकते। मंदिरों में गाय का मास और मस्तिष्ठों में मूलर वा भास देखकर कई बार साप्रदायिक दोनों की आग उठी थी। कभी-कभी पुलिस द्वारा दिसी एक दर्द वा पत्ता लेने के बारण दर्दे भड़क उठे, कभी-कभी इनके पीछे कुछ अप्रेज अधिकारियों के हाथ हुआ करते थे। लेकिन इम साप्रदायिकता और उससे जनित दोनों के लिए धार्मिक दैय में कहीं ज्यादा मता के सर्व

उत्तरदायी थे। गोवमेज मालवनो (1930-32) ने भारतीय नेताओं द्वारा कियी समझौते पर न पहुच पाना इस सत्ता के सर्वप का जीता जागता सबूत है।

1928 की नेहरू रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि पृथक् निर्वाचन प्रणाली को पूरी तरह से भगाने कर दिया जाना चाहिए। सारे भारत के लिए संयुक्त निर्वाचन पदानि का सुझाव दिया गया। पजाव और बगान के मुसलमानों के भारतक जो नेहरू रिपोर्ट न अधिनियम कर दिया था। इस प्रकार 1919 के अधिनियम के द्वारा जहाँ शिर्फ़ ५०० लाख को भनाधिकार मिला था वही इस रिपोर्ट में एक ही छात्रक भवयम् मनाप्रियार प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। इस रिपोर्ट के मुद्रादाते ही मुसलमान नेताओं ने पोर निर्दा दी। उनके मम्मेलनों में इस प्रतिक्रियावादी और मुक्तियों विरोधी बहकर अधीक्षित बोला गया था। १९०९ में पहले बाना रखे प्रश्नाने पर जोर दिया। इस प्रश्न मुक्तियों समेत के हितों और उन इत्यादियों के हितों में कई दमनों में बदल ला दिया गया था। में जोड़ नरमी नहीं दिखाई दी। गोवमेज मम्मेलन में मुसलमान माप्रदायवादियों में ऐसा लोकर अन्य अल्पसंख्यक भगुदायक भी अपने हितों की राजा की नाम बदल लगा। इसी निश्चिन निर्णय पर पहुचने में भारतीय नेतृत्व प्रसरण रहा। जिसके बारे इसके प्रयोगमयी रैमजे खेडोनन्द को 'माप्रदायिक लैटर' देना या भ्रवमर प्राप्त हुआ उन्हें अपना फैसला मुनान दुःख लगा। यह कानून जिस प्राप्तदायिक एक्स्ट्रा ला निश्चरण रखने में असमर्थ रही है उसका यदि भारत व ममुदाय स्वयं निराकार नहीं बरने अर्थात् उसमा हर प्रभुता नहीं करते जो सब पक्षों को अद्विकार हो नो मरकार स्वयं अस्थायी योजना बनायी और उम लागू करेगो। यही माप्रदायिक फैसला भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का आधार बना। इसमें कबल मुसलमानों के लिए ही माप्रदायिक निर्वाचन पदानि से कठव्यमया नहीं थी बल्कि विवों भारतीय इसाइयों और अन्य गूगागियों के लिए भाप्रदायिक निवाचन की व्यवस्था थी। इसमें मुसलमानों के लिए हर प्रात मध्याना का जारीकरण था और जिन द्वानों में वे अल्पसंख्यक थे उनमें उन्हे प्रधिमान भी दिया गया था। दिनुओं को भी उत्तर-पश्चिमी भीमा प्राप्त लक्ष्य में प्रधिमान मिला था। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा माप्रदायिक खुनाव प्रणाली का विस्तार कर दिया जाने के राइ भारत विभिन्न भद्रदायों का भ्राताद्वयर लगने लगा। माप्रदायिक प्रतिनिधित्व में विभिन्न ममुदायों के बीच ही भाई पाठन के बजाय उम और चौड़ा बनाया गया तथा आपमी तानमन वो अमरन बना दिया।

1909 के अधिनियम को नेकर उत्तरानार माप्रदायिक प्रतिनिधित्व बढ़ावा दिया परिणामत विभिन्न ममुदायों में समन्वय स्थापित होने की जगह पर उत्तरानार माप्रदायिकता बढ़ती गयी। विभिन्न ममुदायों के मध्य मामार्जिक मामूलिक और राजनीतिक अलगाव व्याप्त होना गया। अल्पसंख्यक अपनी दैधिक और आर्थिक स्थिति को मुहारने और अन्य ममुदायों की बराबरी में अपने के अलाय पृथक् निर्वाचन पर ही पूर्णत आधित हो गय। अल्पसंख्यक हमेशा के निया अल्पसंख्यक बन रहे और गांधी की मुख्य धारा में शामिल होने के अवसर में वर्षित हुए। अन्त मुसलमान नजाहा न दो राज्य के सिद्धात की विभिन्न किया, विसम वे मममन लगा कि उनके ममुदाय के हिना और

सस्कृति की अस्मिता की रक्षा हो सकेगी। यह धर्मनिरपेक्ष ताकतों की असफलता थी। यह बिना धर्म जाति वर्ग और लिंग पर आधारित नागरिकता को बहुत बड़ा धक्का था, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का परमावश्यक तत्व है।

यद्यपि भारतीय ममाज में अनेक तरह की सास्कृतिक और धार्मिक विभिन्नताएँ थीं, हिंदू अनेक प्रकार की जातियों उपजातियों और चर्तों में बटे हुए थे और मुस्लिम ख्रीष्ण आदि में अन तक धर्मजनक की शिरफ़त में था, फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम एक ऐसा प्लैटफार्म था जहा लोग धर्म जाति कुल और वर्ग की सदीर्घताओं में ऊपर उठकर डकड़ा हुए और जन आदोलन चलाते रहे। यह एक ऐसा वृक्ष था जिसकी छाया चाहे हिंदू या मुसलमान सित्त हो या ईसाई— सबके लिए सुखदायी थी। इसने ऐसी राष्ट्रवाद की किरणें विभिन्न जिसने भारतीयों को निद्रा त्याग कर्तव्य-स्थ पर चलने के लिए आहूत किया। लेकिन विडवना यह थी कि कार्यक्रम को स्पष्ट धर्मनिरपेक्ष नीतियों के बावजूद मुस्लिम लीय के नेताओं ने इसे हिंदू मप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला मगाठन भाना। जबकि कई मुस्लिम नेता इसके अध्यक्ष पद को मुश्योभित किये। दूसरी तरफ हिंदुओं में भी एक वर्ग ऐसा था जो ममझता या कि कार्यक्रम मुस्लिम वर्ग को भुज रखने के लिए हिंदू हितों का हमेशा बन्दिश करती रही। लेकिन इसके बावजूद कार्यक्रम धार्मिक स्वतंत्रता, ममी धर्मों को समान भवन्त्व देने और धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर चलती रही। जिसके कारण रानाडे गोमते तिलक और अरविन्द घोष आदि के नेतृत्व में कार्यक्रम ने ममी मप्रदायों के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इन नेताओं ने राष्ट्रवाद को जन-जन तक पढ़ूचाने का प्रयास किया।

### साप्रदायिक सद्भाव का प्रयास

मन् 1920 से कार्यक्रम के नेतृत्व वी बागडोर महात्मा याधी ने भानी। उन्होंने राजनीति में नीतिका का भावावण किया। याधी जी के लिए धर्म और राजनीति एक ही मिक्के के दो पहलू थे आत्मा और शरीर की तरह दोनों एक-दूसरे में जुड़े हुए थे। उनके लिए धर्म से अतग कोई राजनीति नहीं थी। “धर्म स रहित राजनीति मौत का फदा है, क्योंकि वह आत्मा का गला घोट देती है।”

याधी जी ना भानना था कि धर्म हमारे ममी काव्यों में व्याप्त होना चाहिए। धर्म ही मनुष्य को ईश्वर से और भनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। उनके लिए धर्म का अभिप्राय किसी पथ विशेष में नहीं था, वे एक लौकिक व्यवस्था के अन्तित्व में विद्वाम करते थे। धर्म का अर्थ— यह विद्वाम है कि विश्व व्यवस्थित रूप में नैतिक नियमों के अनुमार शामिल हो रहा है। वे मर्वव्यापी ईश्वर में विद्वाम करते थे। जो भपूर्ण विश्व में व्याप्त एक जीवन न्योति है और उसे वे मन्य करते थे। उस ही सचिवदानद, बत्ता, राम वहा आ सकता है। “बहु स्वतं विद्यमान, मर्व ज्ञान मप्रत्र जीवत गति है, जो विश्व वी अन्य मर्व गतिया म अतर्निहित है।” बिना अहिमा के मन्य वो पाना सभव नहीं है। अहिमा मर्वोन्नद नैतिक तरफ आध्यात्मिक गति का प्रकीर्ति है। याधी जी बहते थे, “अहिमा भरे

धर्म का मिदात है और वही मेरे कर्म का अतिम मिदात भी है।'

वे अपने बो 'हिन्दुओं का हिंदू' मानते थे, एक सनातन हिंदू मानते थे। लेकिन माय ही अपने को उतना ही ईसाई अथवा मुमलमान कहते थे। वे स्वीकृत साप्रदायिकतावादी नहीं थे। उन्होंने हिंदू धर्म के नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल को अपनाया। वे हिंदू धर्म की अनेक लड़ियों एवं तुष्टियों में अवगत थे तथा उन्हें दूर करने का अधक प्रयास किया रुआझूरा को जड़ से उमाद केन्द्रे के लिए उन्होंने बमर बम ली थी। हिंदू धर्म की सहिण्युना के बारण वे इसके प्रति विशेष आदर रखते थे। साथ ही वे मानते थे कि यहूदी ईसाई, इस्लाम फारमो आदि धर्म का सार भी वही है जो हिंदुत्व का है। उन्होंने विभिन्न धर्मों को प्रत्यन्नताओं तथा धर्मशयों का बिना मकोच प्रयोग किया। 'मद धर्म भमान नैतिक नियमों पर आधारित है। मेरा नैतिक धर्म उन नियमों में बना है, जो विश्व भर के मनुष्यों को एकता के भूत्र में बाधते हैं।' वे मानते थे, "धर्म सो अलग-अलग थार्ग है जो एक बिन्दु पर जाकर मिलते हैं क्या (फर्क) अनर पड़ता है, अगर हम अलग-अलग मायों में चलते हैं और एक नदय पर पहुंचते हैं। वास्तव में किन्तु व्यक्ति हैं उतने ही धर्म माने जा सकते हैं।"<sup>46</sup> उनके लिए धर्म का अभिप्राय परोपकार सहनशीलता न्याय, भाईचारा, शांति तथा सर्वव्यापी प्रेम था और इसी के द्वारा व्यक्ति तथा सभाज जो नैतिक बनाया जा भवना है।

भारतीय सभाज म समन्वयात्मक एकता स्वापित करने के उद्देश्य में गांधी जो न हिंदू और इस्लाम के समर्थकों के मध्य एकता स्थापित करने वा प्रयास किया। उन्होंने लिखा, 'इस एकता की आवश्यकता के बारे म प्रत्यक्ष व्यक्ति महमत है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यह नहीं जानता कि एकता का अभिप्राय वेबन राजनीतिक एकता नहीं है जो थोड़ी जा सकती है इसका अभिप्राय है वही न टूटन पाली दिनों की एकता। प्रत्येक काश्चित्ती के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो इस एकता को प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक धृति है कि वह अपने आपम हिंदू मुमलमान ईसाई पारमो यहूदी आदि अयोन् प्रत्येक हिंदू और अहिंदू का प्रतिनिधित्व करे। हिंदुस्तान के बरोड़ी निवासियों में प्रत्यह के माय वह अपने तादात्म्य का अनुभव करे। इस प्राप्त करने के लिए प्रत्येक काश्चित्ती अपने मे पिछर पथ के अनुवायियों के याय व्यक्तिगत ऐसी विवरिति करेगा। तथा वह विस तरह वा आदर अपन पथ के प्रति रखता है उमी तरह वा आदर दूसरे पथों के प्रति उम रखता चाहिए।'<sup>47</sup> गांधी जी के इन्होंने मिदाता ने वह आधार स्थापित किया जिन पर हमारी धर्मनिरपेक्षता का भवन तैयार किया गया।

गांधी जी के महयोगी और अनुयायी मौलाना अबुलहसन आजाद ने इस्लाम म भी नयी दिशाओं का द्वारा नोड तथा नयी विचारों का प्राप्तिन लिया। इसार्वि उनमा लोग तथा साप्रदायिक मुस्लिम नहीं इस्लाम का बढ़िवादी जामा पहलान म बोई कभी नहीं छोड़ रहे थे। बिन्दु इस्लाम ने इस्लाम की नयी दार्शनिक व्याप्ति कर उसे विश्व जैसा विश्वाल और मानव जैसा महान रूप दिया। (इस्लामिक उनक विचारों को नेहर पाकिस्तान बना, बिन्दु के विस प्रकार वा इस्लामी सभाज चाहत थ वह पाकिस्तान के अधर्मक मुमलमानों वा दिल दहनान बना था)।

प्रारम्भ म आजाद वा मानना था कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद = जाधार पर हिंदुओं

के लिए राष्ट्रीय सहचान बनाना सभव है किन्तु मुसलमान के लिए इस्लाम से परे कुछ सभव नहीं है। किन्तु गांधी जी के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम एकता, तुर्की तथा मिस्र मध्यनिरपेक्ष राष्ट्रवाद और मोरिया में देश को स्वतंत्र कराने के लिए मुसलमानों तथा ईमाइया आदि का एकड़ुट होना आदि ने आजाद को काफी प्रभावित किया। उन्होंने धर्म के गबर्ग मौनिक दृष्टिकोण रखा। उन्हान धर्म (दीन) को शास्त्र (शरीबन) में अलग माना। उनका बहना या कि धर्म नार्वभौम है अत एक है जबकि शास्त्र सकीर्ण और माप्रदायिक है इसलिए अनेक है। जूँक मुसलमान धर्म (दीन) को अपने कानून (फ़िक्र) के साथ जोड़ते हैं इसलिए उनके बान बद हो गये हैं उनकी आखो पर पर्दा पढ़ गया है वे जड़ और बठर हो गय है। अत धर्म को शास्त्र से अलग किया जाना चाहिए<sup>43</sup> उन्होंने जिहाद वी नयी व्याख्या की। उनका कहना या कि इस्लाम दौद्धिक सकीर्णता जानोय जभिनिवश और शार्मिक पश्चात से कोसो दूर है। इसका आशय भलाई को बढ़ाना और दुराई को दूर करना है। सत्य और न्याय के अवनवन में भलाई बढ़ती और दुराई घटती है। इसी का नाम 'जिहाद' अर्थात् 'धर्मगुद' है।<sup>44</sup> उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दो महयोग और भ्रातृत्व में एकरीकृत होने पर बल दिया।

धर्मनिरपेक्ष भूत्यों के विवास में प० जवाहर नाल नेहरू वा योगदान अभूतपूर्व रहा। नेहरू गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे किन्तु उनका राष्ट्रवाद पूर्णत धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित था। ब्रिटिश मानवादी उदारवादी उनके परपराओं में उनकी गहरी आस्था थी। अयोगी शिक्षा ने उनमें राष्ट्रवाद, अतराष्ट्रीय समझ, असामाजिक उत्तरदायित्व तथा देश के अच्छे भविष्य में अटूट विश्वास की भावना को विकसित किया था। यूरोपीय शिक्षा में उनमें वैज्ञानिक प्रहृति और सृजनात्मक चितन का काफी विकास हुआ। विद्यार्थी जीवन से ही मानवाद उन्हे आकर्षित कर रहा था। गांधी जी के उत्कृष्ट गुणों में नेहरू काफी प्रभावित थे। उन्होंने उनके दर्शन को काफी हद तक अपनाया, हालांकि गांधी जी के कुछ विचार उन्हे मध्यगुणीत मानते थे। मानव विवक वी अत जक्ति और मानव वी उनरजीविता की क्षमता में नेहरू का अटूट विश्वास था। उनका मानव भात्र वी पूर्णता में विश्वास था। व्यक्ति वी गरिमा और उसका आत्मसम्मान उनके लिए सबमें ज्यादा महत्वपूर्ण था और इसका अपरदन वे कभी भी बदायित नहीं कर सके। ऐनिहामिक उन्नति, मनुष्य जाति की असीमित उन्नति में उनकी गहरी आस्था थी। पूर्ण भूत्य के रूप में नागरिक स्वतंत्रता में उनका अटूट विश्वास या तथा वे मानते थे कि मनुष्य नी गरिमा और आत्मसम्मान को धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक प्रजातत्र के द्वारा भी उत्तिष्ठित किया जा सकता है।

नहरू वी अजेयवादी कहा जाता है। उन्हे पास इतिहास वी अच्छी पकड़ थी, वे जानते थे कि धर्म कभी-वभी अधिविदवास और अविवकपूर्ण चिनन तथा वार्य के प्रतीक के रूप में माना जाता रहा है। वे मकुचित विचारी और अमहिष्णुता, आगु विद्वाभिता और अधिविदवास भावुकना और अविवक के घोर विरोधी थे। उमे स्वार्यपरकता वा नगन पालड मानते थे। इसके कोई सदेह नहीं है कि धर्मों के सम्बन्धक महापुरुष थे, किन्तु उनके बाद आने वाले लोग तथा उनके जिय प्राय महुनता में दूर रहे। इतिहास गवाह है

कि जिस धर्म को लोगों को सदाचारी बनाना चाहिए या उसने लोगों को जानवर बना दिया तथा जिसे लोगों को प्रशुद्ध बनाना चाहिए या उसने उन्हे अधेरे में रखा, सकीर्ण तथा असहिष्णु बना दिया। धर्म के नाम पर अनेक मद्दकर्म किये गये हैं, धर्म के नाम पर ही हजारों को बलि चढ़ा दिया गया है, हर सबव अपराध धर्म के नाम पर किये गये। धर्म से उनका अधिप्राय जीवन के अतरतम् सद्गुणों, चरित्र का मूल तत्त्व, सच्चाई, प्रेम और मन की शुद्धता से था। उनकी विज्ञान में गहरी आम्ला थी, जो उन्हे रहस्यात्मकता से दूर रखती थी। धर्म का सबध अज्ञात से है जबकि विज्ञान का सबध ज्ञात से है। वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बन देते थे। विज्ञान की आनेचनात्मक प्रकृति सत्य तथा नये ज्ञान वी खोज बिना परीक्षण के किसी चीज़ को स्वीकार न करना, नये प्रभाण के समझ पूर्व के निष्कर्षों को बदलने की समता, पर्यालित तथ्यों पर विश्वास, मन का कठिन अनुशासन आदि सब विज्ञान के प्रयोग में ही आवश्यक नहीं है, बल्कि जीवन तथा उसकी अनेक समस्याओं के हल के लिए अति आवश्यक है।<sup>50</sup>

गांधी जी का मानना है कि अत्यस्त्वको के मन को सद्भावना नया उदारता के द्वारा जीता जा सकता है। वे उन्हे कुछ देने को तैयार थे जो भी दे मागते। नेहरू धार्मिक सहिष्णुता, सत्कृति तथा भाषा के सरकार को अत्यस्त्वको की समस्या वा निदान मानते थे। साप्रदायिकता को वे आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में देखते थे। उनके अनुमार साप्रदायिक मामला उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए कि स्वतंत्रता, बेहतर आर्थिक परिस्थितिया बिन्हे वे ज्यादा महत्व देते थे। विदेशी शासकों पूर्जीपतियों और उभीदारों को विशेष रूप से उन्होंने अपनार्निनाना बनाया।

1927 में नेहरू ने सोवियत रूस से भ्रमण किया तथा जिस प्रवार से इसने अपनी धार्मिक समस्या को हल किया था, उससे वे काफ़ी कुछ सहमत थे। सोवियत रूस की व्यापति के बल विवेकवादी और धर्मनिरपेक्ष नहीं थीं, बल्कि घोर वैज्ञानिक और धर्म-विरोधी थीं। कृषि लेन्ड में तीव्र प्रगति, कारोबार मुद्दाएँ, भौतिक उन्मूलन, औरतों के प्रति बर्ताव, अत्यस्त्वको की समस्या वा समाधान, अवहार तथा वेगभूया में वर्ग विभेद का विष्वगत आदि ने उन पर ऐसी छाप ढाली कि वे यहां से तो यहे गांधी के समर्पित शिष्य के रूप में, किन्तु लौटे एक सकोचगोल उष्म मुश्किलवादी द्वातिकारी के रूप में।<sup>51</sup>

नेहरू ने अतीत के बारे में मार्क्सवादी विज्ञेयण को हमेशा बहुत ही वैज्ञानिक और प्रबोधक माना। किन्तु वे नागरिक स्वतंत्रता वी आवश्यकता में विश्वास और गांधी जी द्वारा प्रतिष्ठित अद्वितीय द्वारा मतुनित मार्क्सवाद को स्वीकार करते थे। वे ऐसे मार्क्सवादी थे, जो मार्क्सवाद के तर्क से विश्वास नहीं रखते थे तथा ऐसे गांधीवादी थे, जो नैतिकता के लिए अतावकता को स्वीकार नहीं करते थे।<sup>52</sup> धर्मनिरपेक्षीकरण को बापी लड़े समय तक चलने वाली प्रविष्टि के अब थे देखते थे, जिसका बौद्धिगीकरण तथा आम लोगों की मिथ्या (धर्मनिरपेक्ष) से बनिष्ठ सबध है। इसके लिए एक लड़े समय की योजना की आवश्यकता है, जो आजादी के बाद ही मध्य है। उनका विश्वास कि आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ ही सप्रदायवाद गायब हो जायेगा। नेहरू विश्वस्त थे कि दुनिया की समस्याओं और भारत की समस्याओं के समाधान की एक

मात्र कुंजी समाजवाद मे है। मुमाय चढ़ दोस प० जबाहर लाल नेहरू से पूर्णतया सहमत नहीं थे, क्योंकि वे साम्यवाद के अलावा फासीवाद पर भी आस्था रखते थे। वे भारत मे इन दोनों का साम्बन्ध स्पष्ट चाहते थे। उनके अनुसार, “हर बात को सोचते हुए कोई भी व्यक्ति यह मानने की ओर सुकृता है कि विश्व-इतिहास का अगला दौर साम्यवाद और फासीवाद के समन्वय को पैदा करेगा और क्या यह आश्वर्य की बात होगी कि यह समन्वय भारत मे ही तैयार हो।”<sup>53</sup> दूसरी तरफ कुछ विचारकों का मानना या कि एक धार्मिक समाज मे धर्मनिरपेक्ष राज्य समव नहीं है। धर्मनिरपेक्षता के लिए विवेकादी तथा भौतिकवादी आधार अवश्यक है। इस तरह के विचार भावर्स के भौतिकवादी के देन थे। इस तरह के विचारकों मे मानवेन्द्रनाथ राय प्रमुख थे। उनका मानना या कि भारत मे जो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार किया जाना है, वह है समाज से धार्मिक दृष्टिकोण को समाप्त करना। आरभ मे वे मासीवाद तथा साम्यवाद के अत्यधिक प्रशस्त के थे। गांधी जी की विचारधारा की उन्होंने ‘दर्शन रहित,’ ‘कटूर धर्म’ ‘सास्कृतिक पिछड़ापन’ ‘अध विड्वास’ आदि शब्दों द्वारा की। किंतु योडे समय बाद वे साम्यवादी विचारों मे अलग हो गये तथा नये विचारों को अपनाया जिसे ‘ैडीकल ह्यूमेनिज्म’ की संज्ञा दी। जीवन के बारे मे उनका दृष्टिकोण या—एक धर्मनिरपेक्ष मानववादी भद्रवार और एक क्रान्तिकारी सामाजिक दर्शन। इनके लिए आध्यात्मिक आधार पुनर्निर्दित भौतिकवाद प्रश्न कर भक्ता है। अनौकिक को समाप्त करके ही मानव को आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा सकता है। उन्होंने अपने ग्रंथों मे मनुष्य की सहजात बौद्धिकता की चर्चा दी। उन्होंने व्यक्ति के गौरव का प्रतिपादन किया तथा अतर्कार्योपता पर चल दिया। उनके इन विचारों को ‘नया मानववाद’ कहा गया। राष्ट्र का प्रभाव एक सीमित चुदिजीवियों के बर्द तक ही सीमित रहा। आम जनता का जहा तक सवाल है, उनमे गांधी जैसी पकड़ किसी की नहीं थी। यही कारण है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद पर सबसे ज्यादा प्रभाव गांधी जी का ही है।

### नागरिक अधिकारों पर बत

वैसे तो भारत मे नागरिक अधिकारों की कहानी भारतीय राष्ट्रीय बांग्रेम के गठन से ही शुरू हो जाती है। भारतीय भी उमी तरह के अधिकारी तथा विशेषाधिकारी की कामना कर रहे थे, जिस तरह के अधिकारों का उपभोग अपेक्षी जासक भारत मे कर रहे थे या ब्रिटेन के नागरिकों को प्राप्त थे। वे अपेक्षी जासन के अदर व्यवहार मे लाये जा रहे भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। भौतिक अधिकारों के लिए पहली बार स्पष्ट मान भारतीय संविधान विधेयक 1895 मे दिखाई पड़ती है जिसमे विभिन्न अधिकारों की व्यवस्था की गयी थी। सन् 1917 से 1919 के बीच कांग्रेस द्वारा स्वीकार किये गये विभिन्न प्रस्तावों मे नागरिक अधिकारों तथा अपेक्षी के समान प्रतिष्ठा की समानता की मान दुहरायी गयी। किंतु दीसवी भताव्दी के तीसरे दशक मे कांग्रेस तथा भारतीय नेताओं मे काफी जक्कि और सूर्ति आयी, अस्तिता की रुदा मे नयी जागरूकता आयी,

भारतीयों की आवश्यकताओं तथा उनके अधिकारों को काफ़ी महत्व और तरजीह दी गयी। इसके निम्नलिखित कारण हैं—(1) प्रथम विश्व महायुद्ध के अनुभव, (2) मास्टेंग मुधारों के निराकाजनक परिणाम, (3) राष्ट्रपति बिल्मन का अत्यनिर्णय के लिए समर्थन, (4) गांधी जी का नेतृत्व, (5) धार्मिक भाषाएँ तथा जातीय अल्पसंख्यकों को राष्ट्र की मुस्य धारा के साथ ले जाने के लिए उनके अद्व निष्ठा और विज्ञास वी भावना को भरने की इच्छा। तीमरे दशक के मध्य तक कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों की माल जोर पकड़ने लगी। 1925 में श्रीमती बेस्ट ने कांग्रेस विज्ञापन में सात मौलिक अधिकारों के उपबोधों का प्रारूप तैयार किया और उसके समर्थन में आदोलन किया। इसमें अत करण की स्वतंत्रता तथा कानून के समझ समानता आदि को काफ़ी महत्व दिया गया था।

इसके तीन साल बाद मद्रास कांग्रेस (1927) के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप मन् 1928 में एक मणिति गठित हुई। जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नहरू बने। नेहरू ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें अल्पसंख्यकों को सरकार देने पर विशेष जल दिया गया था। एक सप्रदाय दूसरे सप्रदाय पर प्रभुत्व स्वापित कर सके, इसके लिए अत करण की स्वतंत्रता तथा अबाध रूप से धर्म वो मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता की स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गयी थी। अल्पसंख्यकों के भय को दूर करके उनके अद्व मुरदादा दी भावना पैदा करने का प्रयास किया गया था। मन् 1931 में कांग्रेस का अधिवक्षण कराची में मपन्न हुआ। वहां पर एक प्रस्ताव मौलिक अधिकारों तथा भार्दिक और भाषाविक परिवर्तन पर स्वीकार किया गया था जो कि स्वतंत्र भारत के संविधान में शामिल किय जाने थे। पुनः इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मन् 1945 सप्त्रू रिपोर्ट के रूप में उठाया गया। इसमें तत्कालीन उपन्य अल्पसंख्यकों में भय को दूर करने वा प्रयास किया गया था। राजनीतिक और नागरिक अधिकारों धर्म और पूजा दी स्वतंत्रता उपभोग की स्वतंत्रता और मुरदादा दी ममानता के महान् में एक समुदाय से दूसरे समुदाय को पूर्ण ममानता दी मान पर ढोर किया गया था। इन प्रकार कांग्रेस राष्ट्रीय धर्मों के प्रति समान अवहार के सिद्धांत के प्रति बचनबद्ध थी।

अत जब हम इतिहास दी दूरबीन उठाकर अनोत दो पगड़ियों पर दृष्टिरूप करते हैं तो पाते हैं कि भारत मध्ये दी स्वतंत्रता धर्मों के प्रति राज्य की निष्ठानता और महिष्युता अथवा अनेकता में एकता दी बहुत शाचीन परपरा है। इस धरोहर का भारतीय जनमानस ने अनेक विष्वव, विपदाओं और आपदाओं के कानून भजाये रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस परपरा को बनाय रखा, निनव गांधी जी नहरू तथा मुमाय आदि नेताओं ने इस मञ्चाने और सवारने महान् दृष्टिरूप भूमिका निभायी तथा आजादी के बाद अपनायी जाने वाली धर्मनिरपेक्षता व लिए आधार भूमि तैयार किया। ऐसी आधार भूमि जिसके अधाव म अनक तृनीय विश्व के देश उत्तन-पुश्यन के दौर म गुजरते रहे। इसके विपरीत भारत ने 15 अक्टूबर, मन् 1947 को मध्य रात्रि के दिल्ली के नाम दिले पर शब्द ध्वनि के माध्य तिरया छाड़ा पहराया। इसने इतिहास के बालं पृष्ठ

पलटकर आधारवाद के उज्ज्वल पृष्ठ सोले प्रजातंत्र और स्वतंत्रता तथा समानता के भिन्नात को मले लगाया, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम था—भारतीय धर्मनिरपेक्षता।

### संदर्भ

- 1 न्यू नाइट ऑफ द मोस्ट एनेशन ईस्ट (1934) पृ० 220
- 2 द रेनार्स इन इंडिया पृ० 7-29
- 3 चिनिंग आन इनिलिन एक्स्प्रेसन इन इंडिया (1935)
- 4 हिन्दू ओक एनजट सम्बून निटरेचर पृ० 31
- 5 रिनिंग आफ द वेट पृ० 4-5
- 6 पासिटिक्स घोरीज आफ द एनेशन वर्ड पृ० 114
- 7 डिवोके नचर ओक स्टेट पृ० 42
- 8 इन्हें पै इनिंग ए हिन्दूरी आफ पासिटिक्स घोरीज एनेशन एड मेडीकल पृ० xxix-xx
- 9 भारतीय दमन भाग 2, पृ० 682
- 10 एम एम छबत जो एम शर्मा (मणिक) मेस्यूलरिस्म इटम इन्विवेंशन फार ला नाइक इन इंडिया 1966 पृ० 116
- 11 महाभारत न इमरी व्याख्या इन प्रकार वरे गयी है  
प्रारणाद धर्मनिष्ठानु धर्मेण विष्णुना प्रवा  
य स्वाद धारण समुक्त मध्य इति निदय ॥ कानि पर्व 109, 11
- 12 धर्मस्य गोप्याजातीय तदस्युत्पृष्ठमेव विदमिष्य यप्रेतयाचेष्वि मतयेत् । ऐनरेय शास्त्र 7/17
- 13 छादोप्योपनिषद् 2/23
- 14 तैतिरीयोपनिषद् 1/11
- 15 मनुस्मृति अध्याय 6 इनाक 66
- 16 चोदनानश्चात्यो धर्म ।
- 17 यतोम्युदयनिषेषमस्तिद्धि मध्यम ।
- 18 याज्ञवल्क्य स्मृति अध्याय 1, इनोक 8 और 12।
- 19 शूष्टता धर्म मर्वम्ब शून्ता चैवावधार्यताम् आत्मन इनिकूलानि परेषा न मधावरेत् ॥ देवन
- 20 न तदृ परस्य समादध्यात् प्रतिकूल यशात्मन  
एष सामायिको धर्म वायादन्यं प्रवर्तते ॥
- 21 शानि पर्व 36/10
- 22 अजोक वा द्वितीय स्तम्भ-लेन ।
- 23 धर्म और समाज 1963 पृ० 160
- 24 भारतीय दर्शन भाग 1, पृ० 20-21
- 25 हिन्दू ओक नाइक 1949, पृ० 41
- 26 अखेद मठन 1, न 129
- 27 ही ही रिमर, इंडिया ऐड ए सम्बूनर स्टेट पृ० 61-62
- 28 इंडियन फिलामेटी वड 1, पृ० 32
- 29 वही पृ० 48
- 30 रिमर रिस्टर्म ओक इंडियन फिलामेटी पृ० 17
- 31 बास्ट एड स्नाम इन इंडिया, वर्ष 1950, पृ० 47-52

32. वेद सूति संबोधन स्वस्य च प्रियमात्मनः ।  
एतच्छतुर्विध प्राहुं साक्षात्पूर्वस्य नेत्रणम् ॥ (मनुसूति 11.12)
33. राधाकृष्णन् भारतीय दर्शन भाग । 1986 पृ० 2।
34. अद्भुत भारत 1984, पृ० 290
35. पू. एन. चोयन ए हिन्दू आफ इहियन पानिटिकल आइडियोज 1959 पृ० 9-12
36. ए.आई.आर (अनन्तन) 184(1963)
37. डॉ. द्वृ. एन. घाठन (अनुशासन) रामचandra सधी हिन्दुओं के राजनीतिक विद्वान् 1950 पृ० 86
38. स्टीवेन हसीमान ए. हिन्दू आफ द हूमेंट्स नंद 8 (1954) पृ० 474
39. जी. एन. पुर्वे काल एड रेन इन इडिया (1938) पृ० 24 पर उद्धृत
40. राममोहन राय ए. लेटर भान एनुशासन वै सी. चोय (सपाटक) दि इग्लिश बर्म आफ गजा राममोहन राय, 1906 पृ० 447
41. मुख्योभव भरतार बेगाल रेनामो एड अदर ऐम्ब 1970, पृ० 11।
42. विपिनचन्द्र (सपाटक) आपुनिक भारत (मैक्रमिलन) के एन. पनिकर पृ० 65
43. दि इग्लिश बर्म वेमिट रेमिस्टेन्स पृ० 73-79
44. जराविन्द योष स्पीच, पृ० 79
45. जवाहरलाल नेहरू इग्लिश आफ इडिया पृ० 295-96
46. हिंद स्वराज पृ० 24
47. बस्टर्किट श्रीप्राप 1941 पृ० 4
48. अन. बनाम भाग 1, भक 1, 12 नवबर 1915
49. अन. हिन्दान । नवबरी 1913
50. गिनेसटिक राइटिम आफ जवाहरलाल नेहरू 1916-1950 (सपाटक) ज. एन. बाल
51. नईपत्नी योशाल जवाहरलाल नेहरू 1975 पृ० 108-109
52. चोरित जोन इहियन गवर्नेंट एड पानिटिक्स 1971
53. द इहियन स्ट्रेपल पृ० 346-47

## 3

## सर्वेधानिक उपवध और न्यायिक पुनरीक्षण

---

अप्रेज़ी शासन ने जहां हमे अप्रेज़ी जिज्ञा दी, सरकार तथा प्रशासन की अनेक अच्छी बातों की जानकारी दी और भौगोलिक एवता दी, वही पर फूट डालकर देश को विभाजित भी किया, मात्र ही देश की एकता के भविष्य को भी आधारमय बना दिया। जाति, सप्रदाय, भाषा और धर्म पर आधारित विभेदों को भर्ता ऐं बने रहने के लिए सरकार ने भरभूर इस्तेमाल किया। एक ऐसी अर्थव्यावस्था दी जो कुनीनतत्रीय थी, पिछड़ी हुई थी, जिसका विकास अवरुद्ध था जो कुछ लोगों के शोषण पर आधारित थी। एक तरफ सामती जीवन ऐजोप्राराम में भरा जीवन था तो दूसरी तरफ ऐसे लोग थे, अभाव ही जिनका जीवन या निर्झनना हो जिनका नुटक था, सिसकिया और आह भर-भरकर प्राण दे देना ही जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। भूम अंजिया बीमारी और मुमीबते जिनकी निवाति थी। धार्मिकता दैवी अधिकार कुनीनता, जातीयता आदि पारपरिक रूप से भारतीय ममात्र के ढावे के मूल भाग थे। उत्पादन की शक्तियों में गतिहीनता और एक ऐसे सामाजिक तथा आर्थिक ढावे का उदय— जो न तो परपरात्मक था और न ही आधुनिक— दोनों सामाजिक रूढ़िवाद और धर्मनिरपेक्षता की विरोधी शक्तियों के विकास को धरातल प्रदान कर रही थी।

राजनीतिक पराधीनना ने भारत में मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान का गला दबोच रखा था। भारत के लोग बौद्धिक रूप में अप्रेज़ी शासनों के समान थे, बुँध तो उनमें रखाया थे, किर भी अप्रेज़ी शासक उन्हें घटिया स्तर का समझने रहे। अभिष्यक्ति नी स्वतन्त्रता, समानता आदि भौगोलिक मानव अधिकारों के लिए भारतीय मानस तरम रहा था। आजादी से पहले भारत में ऐसे सुगठन थे जिन्हे प्रतिनिधिमूलक सम्प्राण बहा जाता था, किन्तु उस प्रजातंत्र नहीं बहा जा सकता था, अधिक-से-अधिक प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षण माना जा सकता था। योहे में लोगों को ही मतदान के सीमित अधिकार थे। मतदान का अधिकार आर्थिक या गैरांगिक स्तर के आधार पर दिया गया था। आजादी से पूर्व और बाद के वर्षों में जो मून बी होली बनी गयी, उसकी छीटे देश के सामाजिक परिवान पर आब भी दिखाई पड़ती हैं और न ही जल्दी फिटेगी। अनेक प्रामूख दस्तों के

सिर से पिता का साया छिन गया, वे अनाथ हो गये। माताओं की गोद मूर्ती हो गयी, मुहागिनियों के भाये से मिठूर पोछ उठे। असत्य मा-बहनों की इबड़न लूटी गयी बच्चों के घड़ से तलवार की धार तेज की गयी। इतनी मरति वा नुकसान हुआ कि उमका अनुभान ही नहीं लगाया जा सकता। जिदी की आओ मेरीत का मुमार लाया हुआ गा। हिसा, ईमनस्तर, पृष्ठा और अशाति प्रेम, अहिमा जाति और मद्भावना की बढ़ पर धी के दीये जला रहे थे।

मविधान निर्माताओं को अनेक प्रकार की भिन्नताओं वाले देश भारत में राजनीतिक एकत्रा मजबूत करनी थी राष्ट्रीय एकीकरण को बल प्रदान करना था दल-दल में पसी आर्थिक व्यवस्था की गाड़ी को माफ-मुर्ये गस्ते पर भाना था। ममाज के जातिवाद, सप्रवायवाद, पार्थिक अधिविश्वास के कोद वा डलाज करना था। शिक्षा प्रणाली के दूषण तथा भास्कृतिक मजाह को दूर करना या ताकि राष्ट्र की फुलबगिया वा भविष्य उन्नत हो, विशोर कलियो और नूतन पुष्प अपनी अतिम सारे जिनने के बजाय चमन की बाहो मेरमुमास के भीने आचल मेरुशनू बिलर सके। प्रजातत्र के विचारको का मानना है कि प्रजातत्र की सफलता के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। परिचम के विकसित देशों का इतिहास इस बात का साथी है कि आर्थिक विकास और राजनीतिक एकीकरण प्रजातत्र को पूर्व शर्त है तथा प्रजातत्र और धर्मनिरपेक्षता एक-दूसरे के पूरक हैं और एक-दूसरे को मजबूत बनाने हैं। एक के अभाव मे दूसरा अधूरा रह जाता है। प्रजातत्र के अभाव में धर्मनिरपेक्षता मताप्रह की जिकार हो जाती है और इसी प्रकार धर्मनिरपेक्षता के अभाव में प्रजातत्र हृदिवाद, अलगाववाद तानाशाही अथवा फासीवाद का जिकार हो जाता है। एक निर्धनता, जातीय भिन्नता और विकास की समस्याओं की अत्यधिक जटिलता वा परिवेश होने के बावजूद सविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष प्रजातत्र को अपनाया। वे गाढ़ी जी के माध्यन और भाष्य की शुद्धता ने प्रभावित है। इसलिए भारत मे सामाजिक और आर्थिक ज्ञाति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धर्मनिरपेक्षता पर आधारित प्रजातत्र को अपनाया, साथ ही जैसाकि हमने पिछले अध्याय मे देखा कि भारत की सामाजिक बाह्यादिकी (मोसल कास्मोलाजी) ऐसी है जो कि धर्मनिरपेक्षता पर आधारित प्रजातत्र के विकास के अनुकूल है। बास्तव मे देखा जाये तो परिचमी देशों ने धर्मनिरपेक्षता दो जातियों को देन है, प्रयमत जैजानिक काति और द्वितीयत औद्योगिक ज्ञाति, जिसके बारण लोगों ने रोजमर्रा की दिवंगी के उत्तरदायित्वों, व्यवहारों और सम्भालों को बिना ईश्वरी सत्ता का उल्लेख निये समझना और अनुभव करना प्रारंभ किया। भारत मे धर्मनिरपेक्षता का विकास एक निश्चित सीमा तक परिचमी चित्तन के साथ भारत के लगभग 300 वर्षों के मर्क से प्रभावित हुआ है। किन्तु धर्मनिरपेक्षता के नीज को अद्वित करने, उपजाऊ धरती प्रदान करने तथा इसके विकास को प्रशस्त बनाने मेर भारत वो सामाजिक बाह्यादिकी का ही योगदान है।

नेहरू जी और हाँ 'अम्बेडकर आदि नेता इस बात को भलीभांति जानत थे कि पृष्ठरु धर्म तथा धेना, सप्रदाय तथा जातियों को राजनीति का धर्मनिरपेक्षीकरण करके

तथा अस्यमस्यकों मे सुरक्षा तथा लगाव का भाव पैदा करके ही एक माय रखा जा सकता है। यह बात नेहरू के 13 दिसंबर 1946 के महान उद्देश्य पत्र मे स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। इसमे कहा गया-

1. सविधान-भाभा यह घोषित करती है कि इसका ध्येय व सकल्प भारत को एक सर्वोच्च प्रजातात्त्विक गणराज्य बनाना है तथा इसके भावी शासन के लिए एक सविधान का निर्माण करना है।
2. स्वतंत्र व प्रभुत्व मण्डल भारतीय मध्य और उसकी इकाइया व मरकार के अगे वी समझन सत्ता का मूल स्रोत जवना है।
3. भारत मे सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा वानून के समान व अवधरों वी समानता न्याय व मार्वजनिक सदाचार वी सीमा ने विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना विश्वास और कार्य वी स्वतंत्रता की प्रत्याभूति होगी।
4. सविधान द्वारा भारत के अस्यमस्यका ऐलडी जातियों और अन्य जातियों व अनुमूलित जातियों के लिए पर्याप्त मरक्षण वी व्यवस्था होगी।
5. भारतीय गणतंत्र वी क्षेत्रीय अवइता व उसके जल धन व वायु क्षेत्र वी सप्रभुता की न्याय व मध्य गट्टों के बानूनों के अनुसार रक्षा की जायगी।
6. इम प्राचीन देश ने विश्व मे अपना समुचित व मम्मानिन म्यान प्राप्त किया है और हम सभी भारतवासी विश्व मे शांति बनाए रखने व भानव जाति के बल्यान-कोयों मे अपना पूर्ण महयाग प्रदान करेग।

नेहरू ने इसे एक भुदृढ़ निष्पत्य एक प्रतिज्ञा व एक मकल्प बहा है यह उद्देश्य-पत्र एक महान आधारशिला थी तिस पर भारतीय सविधान के भव्य महल का निर्माण किया गया।

**सविधान सभा द्वारा 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का सविधान मे उल्लेख नहीं है**

आरभ मे सविधान मे वही भी 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का विकल नहीं किया गया था, इसका उल्लेख न लो भारतीय गणनाय के चरित्र के मदध मे उद्देशिका थी और न ही सविधान के अदर कही किया गया।<sup>1</sup> नेहरू जी अपने उद्देश्य-पत्र मे तथा डॉ॰ अद्वेदकर ने अपने सविधान-भाभा मे विदाई के भाषण मे भी इस शब्द का उल्लेख नहीं किया। यह भी सत्य है कि यह कोई भूलवश नहीं किया गया बल्कि नोगो ने जानबूझकर इसका उल्लेख न करने को उचित ममझा। सविधान मधा की कार्यवाही मे यह जात होता है कि प्रो॰ के॰टी॰ शाह ने मक्कूलर (धर्मनिरपत्त) अयवा मक्कूलरितम (धर्मनिरपत्तता) शब्द को सविधान मे मन्मिलित करवाने के दो प्रयास किये— प्रथम, सविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 1 मे इन्होने यह मशोधन प्रमाणादित तिश्र कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, सघात्मक समाजवादी राज्य मध्य होगा। द्वितीय सविधान मे एक नया अनुच्छेद

जोड़ने के लिए समोधन प्रस्तावित किये, जिसमें यह व्यवस्था की कि भारत राज्य धर्मनिरपेक्ष होने के बारण किसी धर्म, पथ अथवा धार्मिक आचरण अथवा विश्वास में कोई सबध नहीं रखेगा ।

“भारत राज्य धर्मनिरपेक्ष होने के कारण निसी भी धर्म पथ, व्रतदीक्षा अथवा विश्वास से कोई सबध नहीं रखेगा और अपने नागरिकों के दिसी वर्ग अथवा समृद्धि के किसी अन्य व्यक्ति के धर्म से सबधित नभी मामला म पूर्णतटस्थता वी धारणा रखेगा । उन्होंने आगे वहा “यह किसी भी दशा में विवादासाद विषय नहीं होना चाहिए । हमन बार-बार समय-भमय पर यह घोषणा की है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसलिए यह किसी धर्म के मामले से, किसी विशेष विश्वास पथ अथवा मन को मानने से सबधित मामलों में कोई सबध नहीं रखेगा । मैं मैं बार-बार धर्म के इस पहनू पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि वह मूलतः अतौरिक विश्वासों से सबधित होता है जबकि राज्य-विना विसी अनादर भाव के वहा जा सकता है—मूलतः एक सासारिक मगठन है ।

तजामुल हमन ने भी सर्विधान में ऐसे उपबधों को मन्मिनित करन का जागदार अनुरोध किया जो कि धर्मनिरपेक्षता के विसाम में सहायक हो । उन्होंने दो समाधान पेश किये—प्रथम गणोधन उन्होंने देख किया कि (सर्विधान प्रालृप के) अनुच्छेद 19 के मउ (1) स्पष्टीकरण को हटा दिया जाये और उसके स्थान पर यह जोड़ दिया जाय कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई स्पष्ट निशान अथवा प्रतीक या नाम नहीं रखेगा और कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी पोशाक नहीं पहनेगा जिसके द्वारा उसका धर्म पहचाना जा सके । दूसरा समोधन उन्होंने पेश किया कि अनुच्छेद 19 मउ (1) मधर्म का आचरण करन और प्रचार करने शब्दों के स्थान पर धर्म का आचरण व्यतियत रूप में करने शब्दों का इस्तेमाल किया जाये ।’ उन्होंने तर्क दिया कि धर्म व्यक्ति का और उसके विधाता के बीच वा निजी मामला है । दूसरों स इसको कुछ नहीं बना-देना है । यह बात अन्योक्तार कर मेने के बाद धर्म के प्रनाल नी कोई आवश्यकता नहीं रहती । जब धर्म पथ व्यक्ति उभन विधाता से सबधित है तो ईमानदारी के साथ घर पर ही रहकर धर्म को माना जाना चाहिए और आचरण किया जाना चाहिए । प्रचार के लिए इसका प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए, केवल दिसावें के लिए धर्म का प्रचार जननाम नहीं किया जाना चाहिए । यदि इन देश मधर्म का प्रचार शुरू हो जायेगा तो धर्म प्रचारक दूसरों के लिए न्यूमन बन जायेंगे जबकि यह पहने मही न्यूमन बन जुका है । इसलिए मरा विनाप्र विवेदन है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्ष राज्य को धर्म से कोई सबध नहीं रखना चाहिए । इसलिए मेरी आपम प्रार्थना है कि अपन धर्म को निजी रूप में मानने और आचरण करने के लिए मूल अवलो स्टार दिया जाय ।

लिनु इस समाधान वा अन्वीक्तार कर दिया गया । अनेक मदम्यों न निर्दित व्याख्यों के बारण धर्मनिरपेक्ष आदलों से अपनाय जान वा विरोध किया । इसलिए गविधान में जो स्थान धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को भिनना चाहिए था वह न मिल सका । नारनाय मिथ्या न विरोध अत्क बरत हुए वहा, ‘मैं ममप्रना हूँ कि ब्राह्म मविधान प्राप्ति का अनुच्छेद 13 स्वततना वा चार्टर (पापणा पत्र) है तो अनुच्छेद 19 हिन्दू दामना वा चार्टर है । न्याय

कहता है कि इस धरती के प्राचीन धार्मिक विवास और सम्पूर्णता को बगर हड्डारों वर्षों के दमन के बाद उचित स्थान पर पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है तो कम-भै-कम उसके नाथ उचित व्यवहार किया जाये।'

दूसरी तरफ अपने पिछेड़ेपन और रुद्धिवादिता के दमन में उलझे हुए मुहम्मद इस्माइल साहिब यह मुनिश्चित करना चाह रह थे कि जब राज्य धर्म के धर्मनिरपेक्ष पहलू के मवध में कुछ करता है तो उसे स्वीय विधि को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि स्वीय विधि का पालन लोग युगों से करते चले आ रहे हैं।

डॉ० अम्बेडकर ने मशोधनों को स्वीकार नहीं किया। मविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता को मविधान का आधारभूत मिट्ठान माना किन्तु सविधान में कही भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ऐसा उन्नताने में नहीं बल्कि जानवृज्ञवर किया गया था। क्योंकि मविधान निर्माताओं को यह आशका थी कि अगर धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया तो भारत में भी ईसाई देशों की भाँति धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्मविरोध में ले लिया जायगा। अमरीका वी तरह अनावश्यक विवाद उठ जड़ा होगा जिसका कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। दूसरा धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय राज्य और धर्म के बीच पृथक्करण में ले लिया जायेगा तो वह भारत जैस देश में सामाजिक विकास की गति को कुठित कर देगा। क्योंकि इतिहास नाशी है कि धर्म के नाम पर अधिविश्वास के कारण, अज्ञानता में अध्यवा दुष्टता में अनेक जघन्य और समाज विरोधी शायों को भी सरकार देने का प्रथल दिया गया है। दूसरे धर्मों के जन्मायियों पर अत्याचार हुए हैं। धर्म के नाम पर अनेक प्रकार वी तुराइया और नृशमताएं पनपती हैं नर बलि, मरी अस्मृद्यता देवदासी बान विवाह आदि कुरीतियों ने समाज को क्षयरोग घस्तन बना दिया था। इन कुरीतियों और नृशमताओं को राज्य और धर्म के बीच पृथक्करण के हारा नहीं दूर किया जा सकता है। मविधान निर्माताओं वा धर्मनिरपेक्षता में अभिप्राय या कि राज्य विनी विशेष धर्म को मानने के लिए लोगों को न तो प्रोत्तमाहित करेगा और न ही हतोत्तमाहित करेगा और किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को मानने के परिणामस्वरूप राज्य की ओर से न कोई हानि होनी न कोई नाभ। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य सभी धर्मों को समान आदर देने में है। अनन्मायनम् आयगार न 7 दिसंबर 1984 को मविधान सभा में कहा 'हम राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए इति सबल्पित है। मेरा धर्मनिरपेक्ष शब्द में तात्पर्य किसी भी धर्म को न मानने और दैनिक जीवन में उसम कोई सम्बन्ध न रखने में नहीं है। इसका अर्थ केवल यह है कि राज्य या सरकार किसी भी धर्म विशेष वी सहायता नहीं करेगी या किसी धर्म को अन्य वर्षों के विरुद्ध प्रायविकाला नहीं देगी। अत शामन अपनी प्रहृति से पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष ही रहगा।'

भारत में धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय साम्यवादी देशों की तरह धर्म विरोध से नहीं है न ही अमेरिका की तरह धर्म को राज्य में बिलबुन पृथक्करन में है और न ही बिट्टन की तरह एक स्थापित चर्चे के साथ धर्मनिरपेक्षता में है। भारत में राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा न दिय जाने की व्यवस्था है। बानून न तो किसी धर्ममन को सरकार प्रदान करता है और न ही नामिनिता का दहनीय मानता है।

किन् घर्मों से पृथकता बनाये रखने के बदले राज्य सभी घर्मों से समान सबध स्थापित करता है, सभी घर्मों को समान आदर प्रदान करता है। भारतीय सविधान घार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को मौनिक अधिकारों के रूप में स्वान देता है। जल हमारा सविधान 'घर्म की स्वतंत्रता' के साथ-साथ कई परिस्थितियों में घर्म में स्वतंत्रता दिलाता है। देश में माप्रदायिकता में ही रही वृद्धि को देखते हुए, सविधान वो सशोधित करके घर्मनिरपेक्ष शब्द को उद्देशिका में सम्मिलित कर लिया गया तथा अनुच्छेद 51 क (ज) में यह उपबधित नियम गया कि भारत में प्रत्येक नामांकित का यह कार्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और जानार्जन तथा सुधार की भावना का विवाच वरे। यद्यपि घर्मनिरपेक्षता हमारे सविधान में विहित समझी जाती थी 42वें सविधान सशोधन अधिनियम (1976) द्वारा उद्देशिका में 'घर्मनिरपेक्ष' शब्द जुड़ जाने में प्रत्यक्ष ही गया है।

उद्देशिका स्वयं में शक्ति का ओत नहीं है। विधायी सदस्यों में उम सविधान का अभ्यन्तरीय भाना जा सकता है, न्यायपालिका में यह अधिकार नहीं है कि वह उद्देशिका में सबधित विधायी या प्रशासनीय वायों को बान्ननी या सर्वेधानिक औचित्य के अधार पर विचारार्थ स्वीकार करे। इसके बावजूद उद्देशिका विधान द्वारा न्यक्तिन उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रबाल दाल सकती है। इसका उद्देश्य—निरकुशल के सभी अवश्यों और निर्बोध सूदियों के अदृश्य लक्षणों को मिटाना है। भगोधन द्वारा 'घर्मनिरपेक्ष' शब्द को जोड़ देने में महत्वपूर्ण लाभ यह हुआ है कि विधि निर्माण तथा न्यायिक निर्णय आदि में सरकार द्वारा उद्देशिका के इस उद्देश्य और भावना वो व्यान में रखा जायेगा।

### घर्मनिरपेक्ष भूत्यों से सबधित सर्वेधानिक उपबध

विदेशी जानने में मुक्ति भारत के आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकास की दिशा में पहला बदम था मन् 1947 में देश में राजनीतिक इकाति सफल हुई। इकाति के बाने प्रत्येक नवटकर उज्ज्वल भविष्य के पृष्ठ सोने गए। बिनु बेवल राजनीतिक इकाति पर्याप्त नहीं थी। भारत वो आधुनिक राष्ट्र बनाने के निए सामाजिक और आर्थिक इकाति अत्यत आवश्यक थी। यही बाबन है कि सविधान निर्माणार्थी ने किसी मिदान विजय में निके रहने के बावजूद असलियत का सामना बरना अधिक उचित समझा क्योंकि अमरीका आदि देशों की भानि घर्म और गत्य में पृथक्करण अपनाने वा मरन्न चाहे— सामाजिक वास्तविकनार्थों से मुहूर्मोड़ा। अगर भारत में राज्य में घर्म ने अपना हाथ भीच लिया होता तो शायद काफी समय में अपशिष्ट मुशारों वो भागू बरना सभव न होता। जातीय बहुरता सुभाष्टा बहुपल्ली विवाह आदि भानव-समानता, जापमो मौहार्द तथा म्बियो के सम्मान का गना पाटते रहते। भारतीय समाज के अनियन्त्रित और दनित वर्ग अनेक घार्मिक अधिविद्वामो आव तु प्रश्यामो के बोन्न तने दब रहते। सामाजिक और आर्थिक रूप में विडेहुआ भाना वा जोश्यन होता रहता। सार्वदानिव स्थान उन्होंने पहुच भ बाहर द्वी बने रहत। इसनिया घर्मनिरपेक्षता के मिदानों वो भारत वो परिस्थितियों के अनुकूप परिवर्तित करके अपनाया गया है। हिन्दू घर्म के मगदित घर्म न होन के बाबन मुशारों व बड़ो कल्पिनाई आनी है।

इसलिए राज्य को यह कार्य अपने हाथों में लेना आवश्यक था। दूसरे, देश के विभाजन वा दोप इस्ताम पर मद्दा गया हाताकि विभाजन के लिए चिप्पोदार ज्ञातातर मुमलमान पाकिस्तान चले गये। फिर भी बहुत बड़ी सम्भावना में लोग भारत में भी रह गये। उनके अदर मुरझा की भावना भरी जानी थी। तीसरे जाने-अनजाने विभाजन के कलक का भाव उन मुमलमानों के मन में भी समाया हुआ था जिनका देश के विभाजन से कुछ नहीं लेना था। उनके उस भाव को दूर कर देश को मुख्य धारा से जोड़ना था। इसके लिए सविधान में अनेक उपबधी की व्यवस्था की गयी।

भारत में नागरिकता व्यक्ति के किसी धर्म विशेष के साथ सबध पर आधारित नहीं है। सविधान के लागू होने के समय में नागरिकता मुख्यतः भारत के राज्य-क्षेत्र में अधिवास के आधार पर दी गयी है।<sup>12</sup> नागरिकता प्राप्त करने के दो और तरीके हैं—प्रथम भारत को प्रवास के द्वारा<sup>13</sup> द्वितीय भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव का व्यक्ति नागरिक बन सकता है यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन वी राम्कार द्वारा या भारत राम्कार द्वारा विहित प्राप्ति में और रीति से उसके द्वारा उस देश में जहा वह नत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनीतिक या कौमिलीय प्रतिनिधि वो इस सविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात् आवेदन किये जाने पर ऐसे राजनीतिक या कौसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीट बर लिया गया है।<sup>14</sup> भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का आधार धर्म नहीं बल्कि जन्म, अवजनन रजिस्ट्रेशन देशीयकरण और किसी राज्य क्षेत्र का भारत सघ में मध्मिलित होना है।<sup>15</sup> इस प्रकार भारतीय सविधान व्यक्ति के धर्म मप्रदाय अथवा सामाजिक भेदभाव को ध्यान में बिना रम नागरिकता प्रदान करता है। हिंदू 80% में भी ज्यादा होने के बावजूद उनके साथ वोई तरजीह बर्ताव नहीं किया जाता है। धार्मिक अल्पसंख्यक नास्तिक और अज्ञेयवादी भी नागरिकता के पूर्ण अधिकारों के हवदार हैं।

द्वितीय ज्ञासन के दौरान प्रतिनिधित्व का आप्तार धर्म और सप्रदाय पर आधारित था। भारतीय सविधान ने माप्रदायिक प्रतिनिधित्व को दफना दिया। सार्वजनिक व्यवस्क मताधिकार नागरिकों की धर्मनिरपेक्षता को और अधिक प्रबल तथा मार्यक बना देता है। सविधान यह उपबधित करता है कि समद के प्रत्येक मदन या विभी राज्य के विधानमठन के मदन या प्रत्येक मदन के लिए, निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक माधारण निर्वाचन नामावली होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, निंग या इनमें से विभी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी विभी नामावली ने भम्मिलित किये जाने के लिए अपाव नहीं होगा या ऐसे विभी निर्वाचन क्षेत्र के लिए विभी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किये जाने वा दावा नहीं करेगा। अनेक अन्य उपबध भारतीय सविधान में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को स्थापित करते हैं।

अनुच्छेद 14 भारत में विधि के शामन को स्वीकार करता है। इसके अनुमार राज्य भारत वी भीमाओं के अतर्गत किसी व्यक्ति वो कानून के समक्ष समानता तथा कानून के समान मरणण से बचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15 के अनुमार, राज्य विभी व्यक्ति के साथ उम्मी नस्त, धर्म व जाति के

आधार पर विभेद नहीं करेगा। आगे यह प्रावधान भी किया गया है कि धर्म ज्ञाति व नम्न आदि के आधारों पर इसी भी नामगिरि को दुर्बालो मार्वजनिक भावनात्मया जलयूहो मनोरंजन स्थलों आदि में प्रवेश करन पर या राज्य व कार्य द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप भूमिका प्राप्त कुआ तालाबों मध्यकों व मार्वजनिक विधाम स्थलों के उपयोग पर नोई बाध्यता या अयात्यना नामू नहीं की जा सकती।

अनुच्छेद 16 के अनुमार इसी नामगिरि को धर्म ज्ञाति या नम्न के आधार पर मार्वजनिक मंवाओं के लिए अयोग्य व ज्ञान घायित नहीं किया जायगा और न ही राज्य द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप भूमिका प्राप्त किया जायगा और न ही राज्य मध्यमों में प्रवेश में वर्चित किया जायेगा। इस प्रवार के उपबध के द्वारा राज्य मध्यमों में पूर्ण तरम्भता का मवधु गमना है। पद्धति अनुच्छेद 15(4) इसके प्रतिवूल लगता है क्योंकि 1951 में इस अनुच्छेद के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी कि राज्य मामाजिव और जैधिक दृष्टिभूमि परिषद् हाँ नामगिरिकों के लिए काई विशेष उपबध कर सकता। वास्तव में इस प्रवार का मरक्खात्मक विभेद दर्शित और शापित लाया जाएगा एवं प्रतिविठुन और स्वतंत्र जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम मामाजिक परिस्थितिया उपन्यास लगाने के लिए आवश्यक है। लाकि इन वर्गों का समाज के अन्य वर्गों के माध्यमाकरण किया जा सकता।

अनुच्छेद 17 के अनुमार इन्हाँसूत्र समाप्त कर दिया गया है और इसमा भी रूप में इसका पालन वर्तित है। अस्मृत्यता के आधार पर इसी प्रवार की अयात्यना का नामू बरना द्वारा कानून के अतर्गत दड़नीय अपराध होगा।

अनुच्छेद 19 के द्वारा मध्यमों नामगिरिकों को विना उनके धार्मिक अथवा मामाजिक गुट को व्यान में अन्य अन्यका स्वतंत्रता दी गयी है।

अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 निचय ही हमारे नवधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नाकार करते हैं। अनुच्छेद 25 के अनुमार लाक व्यवस्था सदाचार और न्याय नया दृम भाग व अन्य उपबधों के अधीन रहत हो सभी व्यक्तियों को अन बरण की स्वतंत्रता दी और धर्म के अवाधि रूप में मानने आवश्यक बरन और प्रवार बरन का गमन दर्त होगा। इस प्रवार अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे पर्युक्ता का प्रत्याभूतित बरता है। वह है-

1. अन बरण की स्वतंत्रता।
2. धर्म व अवाधि रूप भूमिका का हक।
3. आवश्यक बरन वा हक।
4. धार्मिक प्रवार बरन वा हक।

यहाँ यह बात स्पष्ट है कि यह धर्म की स्वतंत्रता के मूल अधिकार मध्यमों की अर्थात् अन्य धर्मों के अनुयायियों को तथा उन्हें भी जो किसी भी धर्म भूमिका नहीं रखने मानने रूप में दिया गया है अर्थात् इस विषय में भी समन्वय के मिलान पर बल दिया गया है। अन बरण का अभिप्राय व्यक्ति का मही और गनन के बारे में आरम्भनिष्ठ भाव होता है। अन बरण की स्वतंत्रता वा अर्थ है कि व्यक्ति किसी भी विषयावाले अथवा गिरावंत का

अपनाने के लिए स्वतंत्र है जिसे वह अपनी आध्यात्मिकता में सहायक मानता है। कोई विमी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता कि वह विस धर्म में विश्वास करेगा, उसका दर्शन क्या होगा, उसके राजनीतिक विचार क्या होंगे अथवा इतिहास के किस भूत को स्वीकार करेगा। इस स्वतंत्रता में यह बात निहित है कि राज्य किसी राजधर्म को नहीं अपनायेगा।

धर्म के आचरण की स्वतंत्रता निश्चय ही अत करण की स्वतंत्रता का परिणाम है। अत करण की स्वतंत्रता व्यक्ति को कोई आतंरिक मामला है, जो स्वयं उस व्यक्ति में ही सबधित है जबकि धार्मिक आचरण दूसरों से भी सबधित हो सकता है। धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता वा उपयोग व्यक्ति शब्दों के द्वारा या व्यवहार के द्वारा कर सकता है। धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता में व्यक्ति मुख्यालय अपने धर्मभूत को व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार हिंदू धर्म को मानव वाला यज्ञोपवीत पहन सकता है, तिलक या चदन लेप लगा सकता है, मिथ कृष्ण धारण कर सकता है, मुसलमान रोबा रक्ष सकता है और ईमाई झाग धारण कर सकता है। धार्मिक जुनून में सम्मिलित हो सकता है, धार्मिक उपदेश दे सकता है और मुख्यालय पूजा-पाठ कर सकता है। किन्तु अनुच्छेद 25 से दिये गये अधिकार आत्मतिक नहीं हैं। अनुच्छेद के प्रारंभ में स्पष्ट स्पष्ट से कहा गया है कि ये अधिकार लोक व्यवस्था, मदाचार और स्वास्थ्य के अध्यधीन हैं। इसके बतारिक्त ये अधिकार मूल अधिकारों के भाग 3 के भी अध्यधीन हैं। अनुच्छेद 25 (2) "धार्मिक आचरण में सबद्ध विमी आर्थिक, वित्तीय राजनीतिक या अन्य लौकिक वियाकलापों वा पितियमन या निर्विघ्न करने तथा सामाजिक कल्याण और सुधार का उपबध करने वा सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और विभागों के लिए खोलने की राज्य की शक्ति को सुरक्षित रखता है। इस प्रकार सविधान धार्मिक स्वतंत्रता पर मशक्त प्रतिबध लगाता है। ये प्रतिबध अत करण की स्वतंत्रता पर भी लगाय यज्य हैं। वैसे दसवा जाये तो इगड़ी कोई आवश्यकता नहीं थी ज्योकि अत करण की स्वतंत्रता जो आत्मतिक होती है।"

### लोक व्यवस्था

यह वापी व्यापक शब्द है। इसका अभिप्राय सभाज के मदस्यों में प्रशाति की स्थिति में है, क्योंकि यदि समाज में अशाति रहती है या फैलती है तो वह अधिकार निरर्थक मिल होगे। धर्म का उद्देश्य मूलतः मन की अशाति को दूर करना होना है और जब धर्म का पालन स्वयं अशाति वा कारण बन जाये तो उस पर अकुण नगाना आवश्यक है। क्योंकि दूसरे अन्य अधिकारों का भी उपयोग लोक अव्यवस्था के बाताचरण में भवत नहीं हो पायेगा।

इस प्रतिबध के अनुमार राज्य बानून पारित करके सार्वजनिक स्थानों, रेग—मद्दों गतिया और उदाना जादि में धार्मिक सभाओं प्रथवा तुल्यां पर रोक लगा सकता है। यदि जानवृज्ञकर विमी मप्रदाय के लागों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुँचाने के जात्याय मेंम जारी रिम जान हैं, तो राज्य उस सार्वजनिक व्यवस्था

के अधीन विधि बना कर दड़नीय अपराध घोषित कर सकता है। विसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्यों—विभिन्न धार्मिक, नस्त अद्वावा भाषा से मन्बधित वर्गों में धर्म, नस्त, भाषा, जाति अद्वावा सप्रदाय के आधार पर फूट डालने वाले कार्यों—पर राज्य इन आधार पर रोक लगा सकता है। इसी प्रतिबध के अधीन कुछ राज्यों ने साप्रदायिक सदबाब को बनाए रखने के लिए गो-हत्या पर प्रतिबध लगाया है। यह प्रतिबध इतना व्यापक है कि धार्मिक कार्यों के लिए धर्म-व्यवस्था के प्रयोग पर रोक लगायी जा सकती है, मेलो, जलमो और जुलूसो पर पाबदी लगायी जा सकती है। संविधान सभा के ईसाई सदस्यों के छोर देने के कारण धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया। किन्तु राज्य विधि बनाकर बल प्रयोग द्वारा या उन से या प्रलोभन देकर किये जाने वाले धर्म परिवर्तन को लोक-व्यवस्था के आधार पर प्रतियिद्वय दण्डित कर सकता है। इसे धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता का हनन नहीं माना जायेगा। ऐवरेण्ट स्टेनिसलास बनाम भृप्य प्रदेश राज्य<sup>4</sup> के मामले में यह दावा किया गया था कि अनुच्छेद 25 में धर्म के अवाध रूप से प्रचार करने के हक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन द्वारा अपने धर्म से लाने का मूल अधिकार है। इस दावे को अस्वीकार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान दूसरों वा धर्म परिवर्तन करने का बोई मूल अधिकार नहीं है। एवं मत न्यायपीठ ने मत व्यक्त किया कि संविधान में 'प्रोप्रेट' (प्रचार) शब्द को किसी नमूने की वृद्धि करने के अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया गया है। आकमफोर्ड डिक्शनरी में इस शब्द का अर्थ दिया गया है, "एक व्यक्ति से दूसरे तक तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या विस्तृत करना, आये बढ़ाना या आये ले जाना, फैलाना, बढ़ाना, जैसाकि किसी रिपोर्ट का प्रचार करना या ईसाई धर्म का प्रचार करना।" इस प्रकार अनुच्छेद 25 का मूल अधिकार दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म के अनुयायी के रूप में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, बल्कि अपने धर्म की मान्यताओं को समझकर उसका प्रचार या फैलाव करने का अधिकार है। "यह व्याप्ति में रमना अनिवार्य है कि संविधान द्वारा दिये गये धर्म वी स्वतंत्रता के अधिकार के बल किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए हैं। यदि एक धर्म को मानने वाले जान-नृत्यकर दूसरे धर्म के अनुयायी को अपने धर्म में परिवर्तित करने लगे तो इससे अनुच्छेद 25 में सभी को समान रूप से दी गयी अत करण वी स्वतंत्रता को आपात पहुंचेगा।" जो स्वतंत्रता एक है, वही स्वतंत्रता मानन परिमाण में दूसरों के लिए भी है। अत दूसरों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के मूल अधिकार जैसी किसी वस्तु के लिए कोई स्थान नहीं है।

धर्म परिवर्तन वी व्यवस्था का हितुओं ने जापी विरोध किया था। उनके द्वारा अपने समर्थन में अनेक तर्क दिये जाते रहे हैं। यह तर्क दिया जाना है कि धर्म परिवर्तन में परिवार, जाति और भाव के मामादिक जीवन के काफी नवे समय से बने जा रहे थे भग हो जाने हैं। हिंदू ममाज का दावा जाति पर आधारित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बजाय मामादिक मुख्य पर न्याया बल दिया जाना है, समूक परिवार ममाज वी इराई रहे हैं। धर्म परिवर्तन पर व्यक्ति प्राय जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है तथा परिवार में बाहर निवाल

दिया जाता है। और ईसाइया की ममूलि हिन्दुओं में बिलकुल भिन्न है इमोनिए ईसाई धर्म में परिवर्तन हानि पर एक तरह से भारतीय ममूलि का त्वाय होता है। आजादी में पहले धर्म-परिवर्तन राजनीतिक साच विवार के कारण होते थे। हिन्दुओं का बहना था कि चूंकि मुमलमाना गब ईसाइया को साप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिले हुए थे इमलिंगा वे उपनी सभ्या का बद्धान के लिए धर्म परिवर्तन करते थे। वैसे 20वीं शती के पूर्वार्द्ध में हिन्दुओं का आन्यविश्वलय तथा अङ्गूष्ठार तुच्छ तक इसी के परिणाम थे हालांकि आज स्थिति बद्धन गयी है। आजादी के बाद यह तर्क दिया जाता था कि शेरियुद्द को घटन में रम्भर अमरिका की मिसनरिया अनेक हिन्दुओं का ईसाई बनाने में लगी हुई थी। एक अन्य तर्क दिया जाता है कि धर्म परिवर्तन के लिए अनैतिक तरीके इन्हेमाने भे नाये जाते हैं— ऐसे तरीके जिन पर प्रश्नचिह्न लगाया जा सकता है और फिर जब भी धर्म मन्त्र है तो धर्म परिवर्तन का औचित्य क्या है “ गाधी जी इसके काफी विरुद्ध थ ।

दिल्ली 1954 मध्ये धर्म परिवर्तन के संबंध में एक प्राइवेट विधेयक लाइब्रेरी में बन दिया गया था किन्तु बहुम वे बाह विधेयक अस्वीकृत कर दिया गया। तुन 1960 मध्ये पिछडे समुदायों के धार्मिक मरण के विधेयक को भी आवश्यकता नहीं समझी गयी और उस अस्वीकृत कर दिया गया। यद्यपि धर्म परिवर्तन के स्वधे में कोई विधेयक पारित नहीं हो सका। फिर भी हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 मध्ये एम उपर्युक्त हैं जो धर्म परिवर्तन को इनोत्पातित करते हैं। माथ ही हिन्दू समुदाय को एकता को बनाय रखने तथा दूसरे धर्मों को ग्रहण करने में अनुमतिं जातियों को दी जान वाली शैक्षणिक तथा आर्थिक सहायता का बहुत बड़ा योगदान है।

सदाचार सदाचार के आधार पर राज्य कानून बनाकर अनैतिक कार्यों पर रोक लगा सकता है भले ही ये कार्य धर्म द्वारा अनुमत्य हो। हिन्दू धर्म मध्ये कुछ गोमी प्रथाएं विद्यमान थीं जो अनैतिक थीं। दक्षिण भारत में कुछ नाक धार्मिक आस्था के कारण लड़कियों को भदिरा में देवी-देवताओं को मौप देते थे जिन्हे देवदामी कहा जाता था। इसमें दास्तव म भदिरों में वेद्यावृत्ति को बढ़ावा मिलता था। इसी तरह मनी प्रथा का आधार धर्म था। दोबाली के दिन भी ऐसा विद्वाम किया जाता है कि चूत डीड़ा वी अनुमति धर्म देता है। दाम रखने वो अनुमति इन्हाम धर्म देना है मुमलमान द्वारा चार बीविया रखन और आमानी में नवाक दे दिन का विषय है जो दोषों में कारी चर्चा का विषय रहा है। इन गरुड़ वी धार्मिक प्रथाओं को राज्य सदाचार के आधार पर अवैधानिक घोषित कर सकता है अबवा उन पर जकुण लगा सकता है।

जन-स्वास्थ्य अमेरिका में कुछ एम मामले भी दर्शने को आये हैं कि धार्मिक विद्वाम के कारण मरीजों को रक्त नहीं चढ़ान दिया गया है क्योंकि यह सूत चूमने के ममान हुआ जो कि बाइबिल द्वारा वर्जित है। इनी तरह भारत में मनी वी भाति निवाण की प्रथा चली आ रही थी। नींग मोत्त प्राप्त करन के लिए ताड़ना सहन कर जीवन वा अत वर देत है या बच्चा वी बलि चढ़ा देत है क्यों उपर बच्चा वी जादी कर देत है। धर्म वा अधिकार इस तरह के अत्याचारों की छूट नहीं देता है। राज्य इन पर स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगा सकता है। राज्य नीर्य स्थनों को जाने वाले भी वैद्यतिकों को टीके लगान के निए बाध्य

वर सकता है तथा जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनेक अन्य कदम उठा सकता है। तालाबो, जलाशयों आदि में अनेक तरह के रमायनों में बनी मूर्तियों, प्रतिमाओं आदि को विसर्जित करने पर राज्य स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगा सकता है।

### संविधान के भाग 3 द्वारा लगाये गये प्रतिबंध

संविधान के भाग तृतीय में अनेक मौलिक अधिकार दिये गये हैं जिनसे अनुच्छेद 25 की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में विरोध उत्पन्न हो सकता है। चूंकि अनुच्छेद 25 के अधिकार तृतीय भाग के अधिकारों के अध्यधीन है, इसनिए विरोध नीति में तृतीय भाग अभिभावी होगा। अनुच्छेद 17 सुश्रावूत वो समाप्त करता है जब धार्मिक स्वतंत्रता वे अधिकार का महारा लेकर सुश्रावूत का पालन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्ब्यापार और बनानुश्रम का प्रतियोगि करता है। इसके अनुमार राज्य वे वन धर्म, मूलवज्ञ जाति या वर्ग अथवा इनमें से जिसी के आधार पर बोई विभेद दिये जिन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अतिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। जब अनुच्छेद 25 के धर्म के अधिकार का सहारा लेकर अनुच्छेद 23 की व्यवस्थाओं से नहीं बचा जा सकता है।

धार्मिक आचरण से सबद्ध लौकिक और आर्थिक क्रिया-कलापों का प्रतिबंध यह प्रतिबंध धार्मिक आचरण पर नहीं, बल्कि उससे सबद्ध उन क्रिया-कलापों पर है जो वास्तव में आर्थिक वित्तीय, राजनीतिक या अन्य सौकिक प्रहृति के होते हैं। हमारे भविधान में 'धर्म वी स्वतंत्रता' के साथ-साथ अनेक परिस्थितियों में धर्म से स्वतंत्रता वा अधिकार दिया गया है। यह प्रतिबंध वास्तव में इसी उद्देश्य को लेकर बरके रखा गया है। धर्म के नाम पर किये जाने वाले अनेक, समाज विरोधी तथा अन्यायपूर्ण हृत्यों समानव और उसकी गरिमा की रक्षा करने के लिए राज्य अनेक कदम उठा सकता है। यह बात अवश्य है कि धार्मिक वायों सबधी विषय और धर्म से सबद्ध लौकिक विषय' के मध्य वी किभाजन रेखा अनेक बार रपट नहीं होती है। जिस नारण से न्यायालयों के समझ अनेक मामले आये, जिनमें चर्चा हम आगे करेंगे।

सामाजिक कल्याण और सुधार अथवा धार्मिक सम्बादों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलना भारत में धार्मिक आचरण जीवन के हर पहनू में जुड़ा हूआ है। वह परेनू और सामाजिक सभ्यों वो नियन्त्रित नहरत है। जिनु कभी-कभी धार्मिक आचरण सामाजिक और नैतिक विकास में बाधक हो जाते हैं अनेक कुप्रधारा एवं अदिया सामाजिक विकास को दुष्टित कर देती हैं। ऐसी म्याति में राज्य धार्मिक स्वतंत्रता के बावजूद सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए विष्णि निर्माण बर सकता है। इस प्रवार राज्य विवाह, तलाक, गोद सेने उत्तराधिकार, विरामत अल्पगम्भीर मरणवता आदि के सबपर भ सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए विष्णि बना सकता है।

हिंदू धर्म में अनेक कुरीतिया पर कर गयी थीं जिनमें कई एक विट्ठि काल में भगवान् सुधारकों तथा भरदार की मदद से समाप्त वी गयी। मती प्रथा, टगो, नरबनि गिरुवध आदि पर रोक लगा दी गयी थीं, जिनु भद्रिर वद्यावृति तथा हरिद्वारा वा भद्रि

में प्रवेश-नियेष जैगी कुरीतिया दीगरीं गतान्वी में भी प्रचलित थी। देवदासी प्रथा भे वैसे बाफी कमी आयी थी कि भी दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में इसका चलन समाप्त नहीं हुआ था। अद्भूत वर्ष को भारत के अधिकार मंदिरों में प्रवेश बिलकुल नहीं दिया जाता था। मंदिरों का प्रशासन भी मुचारु घ्य में नहीं चल पा रहा था काषी भृष्टाचार व्याप्त था। मंदिरों का धन अधिकार प्रबद्धों द्वारा अनाप-ननाप सुर्च किया जाता था। यद्यकि मंदिरों में पूजा-याठ की प्रवहलना हो रही थी तथा मंदिरों की मरम्मत और रख-रखाव न होने के कारण ही एक स्वराव स्थिति में थे। चूंकि हिन्दू धर्म में कोई ऐसा मरण नहीं है जो धार्मिक मुधारों को नाश कर सके। इसमें आदिकाल में ही अत करण की पूर्ण स्वतंत्रता थी इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य द्वे एक धर्म मुधारक की भी भूमिका निभानी पड़ी।

देवदासिया मूर्तियों के सामने तथा धार्मिक शोभायात्राओं में नाचनी तथा गाती थी। यद्यपि देवदासी प्रथा की उत्पत्ति धार्मिक थी किन्तु छोटे-धीरे इस प्रथा में दुर्गुण आते गये तथा अनेक देवदासिया बम्नुत वेद्या हो गयीं। नवप्रथम 1909 में मैसूर राज्य में नड़कियों को मंदिरों को मरम्पित करने पर रोक लगायी गयी। मद्रास विधायिका में भी 1927 में इसी प्रकार का विधेयक नोन-व्यवस्था न्यास्य तथा सदाचार और धर्मनिरपेक्ष आधार पर पश्च किया गया था किन्तु देवदासी (मर्मण नियेष) विधेयक 1947 में आकर पास किया जा मग्न। इस विधेयक का विरोध केवल कुछ ही मदस्यों द्वारा किया गया था। उनका कहना था कि यह प्रथा एक धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए है उनकी केवल कुछ ही देवदासिया हैं जो नैतिक रूप से खतिन हैं। उनकी भूत्या न्यास्य है, किन्तु अधिकार मदस्यों ने इस विधेयक का नमर्थन किया था। इनी तरह का कानून महाराष्ट्र, आद्य प्रदेश उडीमा तथा अन्य राज्यों में बनाया गया। यह एक अति महत्वपूर्ण धार्मिक मुधार का बढ़म था। जिसका परिणाम यह है कि आज देवदासी प्रथा नगभग समाप्त हो चुकी है।

सुआद्धून की भमाप्त करने के बाम तो आदिकाल में ही अनक मतों तथा भग्नात्माओं ने अनेक तरह के प्रयाम किये, किन्तु अद्धूनों द्वे मंदिर के प्रबद्ध मंदिर में प्रवेश नहीं देते थे। मंदिरों में प्रवेश के लिए नवप्रथम पहल देशी रियासत चवणकोर में किया गया। 1919 में चवणकोर में मंदिरों में प्रवेश देने के लिए आदोलन चले। हालाकि आरभ म नरसाराव ने इस बाधार पर हस्तांत्र करने में बना भी किया कि यह अहस्तांत्र की नीति का उल्लंघन होगा। किन्तु इसके बावजूद इस दिन में प्रयाम चलते रहे। गांधी जी के नेतृत्व में यह प्रयास और दोर पकड़ता गया। 1932 में अविन भारतीय सुआद्धून विरोधी लीक की स्थापना के माध्यमें यह आदोलन बढ़ता गया। महात्मा गांधी, डॉ० अम्बेडकर तथा अन्य कांग्रेसी नेता और समाज मुधारबों ने अद्धूनोद्धार के समर्थन में कमर कम लिये थे। देश में नयी जागृति जा रही थी। 1936 में बहुन बड़ी मफलता मिली जब चवणकोर के महाराजा ने मंदिर प्रवेश के मबद्ध में घोषणा की। घोषणा का सभी प्रमुख नेताओं ने स्वाक्षर किया। अनेक बाह्यणों तथा हिन्दू पहास्तभा के मदस्यों ने इस हिन्दू धर्म द्वे मुद्दे बनाने तथा हिन्दू मुमुक्षु को एकेकृत करने में बहुत ही माहौल भरा बढ़म

बताया। कुछ आनोचकों वा बहना था कि यह कदम अचूता द्वारा धर्म-परिवर्तन को रोकने के लिए उठाया गया था। हो सकता है कि धर्म-परिवर्तन को रोकना इस घोषणा के पीछे एक कारण रहा हो, किन्तु चुआचूत को समाज का प्रबुद्ध वर्ग हमेशा एक बुराई मानता आया है। नवोत्थान के बाद भारत में जागृति आयी तो हिन्दू धर्म की अनेक बुराइया दूर की गयी, किन्तु इस बुराई की तरफ में लोग आम कैसे मूढ़ रहते। शिक्षा के विभागकर धर्मनिरपेक्ष, विज्ञान के प्रचार-प्रमाण के लोगों पर जागरूकता आयी परिणामतः चुआचूत के सामाजिक कोड का विविध इलाज भारत में हुआ। साधी जी का बहना था कि यह धर्म-परिवर्तन को रोकने के लिए नहीं बल्कि हिन्दू धर्म को उम्र प्रथा में छुटकारा दिलाना था जो नैतिक रूप में युलत था। चुआचूत को समाप्त करना एक नैतिक उद्देश्य है।

अत्यधिक रुदिवादी हिन्दुओं ने हरिजनों के मंदिर-प्रवेश का विरोध किया, उनका भानना था कि यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। आगमों द्वारा स्पष्ट रूप से हरिजनों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। यही कारण है कि उनके हित के लिए वार्षिक उत्सवों में देवी-देवताओं की शोभायात्रा निकाली जाती है ताकि हरिजन लोग भी दर्शन कर सकें। किन्तु इन विरोधों के बावजूद जनमत मुश्वार के पक्ष में था। त्रवणकोर की घोषणा के बाद मद्रास राज्य में इस दिना में अनेक प्रयास किय गये। 1939 में एक विधेयक पारित करके द्रुमिट्यों को अनुमति दे दी गयी कि जनमत अगर पक्ष में हो तो हरिजनों को मंदिर में प्रवेश दे दिया जाये। परिणामतः अनेक मंदिरों ना द्वारा हरिजनों के प्रवेश की अनुमति दे दी गयी। मद्रास के इस कदम का अनक प्रातों ने अनुशरण किया। 1955 में भारतीय समद न अम्पूङ्यता (अपराध) अधिनियम पारित करके चुआचूत को दड़नीय अपराध घोषित कर दिया है। इसके एक उपबंध ने किसी मंदिर में प्रवेश अपवाह पूजा करने में चुआचूत के आधार पर रोकने को छ महीने के कारावास द्वारा दड़नीय बना दिया है। वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने के लिए तथा मंदिरों और मठों के मुखाल प्रबन्धन के लिए राज्य सरकारों ने अनेक अधिनियम पारित किया। इन अधिनियमों को धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के आधार पर न्यायालयों में अनेक मामलों में चुनौती दी गयी।

सरदार सैदना ताहर मैत्युदीन माहब बनाम मुबई राज्य के मामले में बबई अहिन्दूति निवारण अधिनियम 1949 द्वारा जिसी भी प्रकार की बहिन्दूति अवैध और शून्य घोषित कर दी गयी थी। दाउदी बोहरा समुदाय में बहिन्दूत किया जाने पर किसी भी दाउदी बोहरा व्यक्ति को बई सिविल अधिकारों में हाथ धाना पड़ना था। उदाहरणार्थ, बोहरों के सामुदायिक प्रार्थना परों में प्रार्थना करना उनके बड़िम्नान में अपने-अपने परिवार के मुद्दों को गाढ़ना, उनसी मध्यांत्र, बुनूमों और सामूहिक भाजों में भाग लेना आदि। हानाकि बबई उच्च न्यायालय ने अधिनियम को वैध करार किया था किन्तु उच्चतम न्यायालय ने यह अधिनियम को वैध करार किया था। हानाकि बबई उच्च न्यायालय ने अधिनियम को वैध करार किया था कि यह अधिनियम दाउदी बोहरा समुदाय और उमक अध्ययन के मूल अधिकार वा अतिक्रमण करता है। इनमें अवैध है। इसमें प्रत्यर्थी को ओर से यह तर्क प्रमुख किया गया था कि उक्त अधिनियम सामाजिक

मुधार का एक कदम है जिस कारण यह अनुच्छेद 25(2) का मरण प्राप्त करने की अहंका रहता है। इसनिः अवैष्ट नहीं है। विमम्बन निर्णय में मुख्य न्यायाधिपति बी० पी० भिन्हा ने तो उभ तर्क को स्वीकार भी किया परन्तु बहुमत की ओर से वहा गया कि विचाराधीन अधिनियम का मामाजिक मुधार का अधिनियम नहीं वहा जा सकता। बहुमत के अनुसार यदि अधिनियम धार्मिक आधारों के अतिरिक्त अन्य आधारों पर उदाहरणार्थे विभी अनुचित मामाजिक हुड़ि या नियम के पालन में शूट के आधार पर बहिष्कृति के विषद् उपबध करता तो उस मामाजिक मुधार वहा जा सकता था और अनुच्छेद 25(2) (म) का मरण प्राप्त हो सकता था। परन्तु उसने तो धार्मिक और मामाजिक दोनों दो आधारों पर बहिष्कृति का प्रतिपिद्ध किया है और धार्मिक आधार पर बहिष्कृति का प्रतिपिद्ध करना अनुच्छेद 25(2) (म) का मरण नहीं पा सकता। इस प्रकार इस नियम में मामाजिक मुधार की बड़ी ही महीर व्याख्या दी गयी है। धर्मपुराण की निरकृतता और उनके द्वारा किये जाने वाले ज्ञान के न्यायालय द्वेरा में अमर्य रहा।<sup>1</sup>

विहार गजपति ने विहार पशु परिवर्षण और मुधार अधिनियम 1956 पारित करने गए एवं कही भी गये गाय के बछडे दैन या माड तथा भेमा भैम के बछडे और भैम के बध का प्रतिपिद्ध करके इहनोप अपग्राह घायित कर दिया था। इस मुहूर्मद हनोफ कुरेशी बनाम विहार राज्य<sup>2</sup> के मामले में चुनौती दी गयी। इसमें यह तर्क दिया गया था कि चुनाल बकरीद के दिन गाय की बत्ति दल को बहना है। इसनिः गाय का बध भुसलभानों का धार्मिक अधिकार है। किन्तु उच्चतम न्यायालय न इस दाव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इनके लिए मनावजनक प्रमाण उपलब्ध नहीं थे।

विभी भी मदिर या जागाधना गृह जो जो व्यापक रूप में हिंदुओं के लिए अथवा उनके विभी भी दर्गा या विभाग के लिए मुला हा हिंदुओं के माभी दर्गा या विभागों के लागो के लिए मामले में बहुमत की गयी थी। उसमें धार्मिक स्वतन्त्रता का हनन होता है। मद्गम मदिर प्रवशाधिकार अधिनियम 1947 को श्री बेकट रमण देवाह बनाम मेमूर राज्य<sup>3</sup> के मामले में चुनौती दी गयी थी। उक्त मामले में न्यायालय ने यह अभिनिधारित किया कि अनुच्छेद 25(2) का उपबध उन मधी हिंदू धार्मिक मस्त्याओं पर लागू होता है जो मार्वजनिक प्रकार की हैं और उसमें विभी भी प्रकार जीर्ण या अर्हता नहीं लगायी गयी है। माधारण दलना के लिए भोली गयी मस्त्या तो मार्वजनिक प्रकार की मस्त्या होनी ही है। साथ ही जो जलना के लिए दर्गा या विभाग के लिए स्थापित दी गयी हो वह भी मार्वजनिक प्रकार की मस्त्या होती है। न्यायालय न अधिनियम को ऐसा धारित करने द्वारा निर्णय दिया कि यद्यपि यन्त्रणाली गाँड़ में मिल श्री बेकट रमण देवाह का मदिर क्वाल गौड़ मार्वजन ममाज नाम के एक धार्मिक सप्रदाय के ही लिए स्थापित किया गया था तथापि उस मदिर पर उक्त अधिनियम लागू होगा और वह भी अपवर्जित जानिया जे हिंदुओं का मामान्य हिंदुओं के ममान ही पूजा प्रार्थना दरन का अधिकार प्राप्त होगा। शास्त्रो यज्ञ पुष्पदास जो बनाम मूलदास भुन्दरदास देख<sup>4</sup> के मामले में उच्चतम न्यायालय न स्वामीनारायण सप्रदाय का यह दावा रद्द

कर दिया कि वह मप्रदाय हिंदू धर्म के बाहर है और इम वारण वाले हिंदू सार्वजनिक प्रार्थना स्थान (प्रबजाधिकार) अधिनियम 1956 उम मप्रदाय के मदिरों या आगाधना गृहों पर नाश तही होता। मुख्य न्यायाधिकारित न कहा कि इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य हिंदूओं के मध्यी वर्गों और विभागों में मदिरा में उपासना करने के मबद्दल में पूर्ण सामाजिक समानता स्थापित करना है। अधिनियम द्वारा हरिजनों तथा अन्य निष्पार्थियों को मदिरे के उन्हीं भागों तक जाने का तथा वही विद्यार्थी करने का अधिकार दिया गया है जोकि अन्य मबद्दल उपासना करने वालों का उपलब्ध है।

इस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर ये प्रतिवध राज्य के हाथों में गमा होनियार दात हैं जिसमें वह मामाजिक अन्याय दमन पिछड़ापन अधिविद्वान चुनावों और शोषण के दुर्गं नों ढहा मकता है तथा प्रबुद्ध उदार मानववादी समाज की स्थापना कर मवता है। मदिरों में पिछड़ भागतीय समाज के लिए ये उपचार आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्ति करते हैं।

### धार्मिक कार्यों के प्रबद्ध की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 26 के अनुसार नावव्यवस्था सदाचार और स्वाम्य के अधीन रहने द्वारा प्रबद्ध धार्मिक मप्रदाय या उनके किसी विभाग का

- (क) धार्मिक और पूर्ण प्रयोजनों के स्थापना और पालन का
- (ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबद्ध करने का
- (ग) जगम और स्वावर समर्ति के अर्जन और स्वार्थित्व का और
- (घ) एमी सर्वते का विधि के अनुसार एजामन करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 26 में दिये गए अधिकार धार्मिक सप्रदायों का साथ-साथ उम्ह के विभागों को भी प्राप्त है। हिंदू धर्म में अन्य सप्रदाय और उम्ह के विभाग हैं—जैन शैक वैष्णव आदि। इनी प्रकार इन्हाँम और ईमाई धर्मों के भी सप्रदाय और उनके विभाग इन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। उपरोक्त अधिकारों को स्पष्टता दो भागों में बाटा जा सकता है—प्रथमत वे अधिकार जो धार्मिक विषयक कार्यों में सवधित हैं। द्वितीयत वे जो वास्तविक रूप में धार्मिक नहीं हैं या धार्मिक मामलों के अभिन्न श्रम नहीं है। यहां पहली तरह के अधिकार ही वैष्णव सौव्यवस्था सदाचार और स्वाम्य के अधिकार हैं जिन्हें दूसरे तरह के अधिकार राज्य की मामान्य विधि के अधीन रहने के अपर्याप्त हैं। अनुच्छेद 26(क) धार्मिक और पूर्ण प्रयोजनों के लिए सम्याजों की स्थापना और पालन का अधिकार प्रदान करता है। सम्याज के अन्तर्गत धार्मिक प्रयोजनों के लिए विभिन्न सम्प्रदाय मिस्त्रित होते हैं जैसे मदिर चर्च मस्जिद यहूदी सभापाल जठर आदि। इनमें विभिन्न प्रवाह के धर्मस्व—सम्प्रदाय जैसे धार्मिक सम्याजों द्वारा चलाये जाने अस्पताल, अनाथालय इत्यादी गृह आदि मिस्त्रित होते हैं।

अनुच्छेद 26(स) प्रत्येक धार्मिक सप्रदाय या उसके किसी विभाग को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबध करने का अधिकार देता है। किन्तु प्रश्न उठता है कि 'धार्मिक' तथा 'धर्म विषयक कार्य' क्या हैं? इन कार्यों का निर्धारण कौन करेगा? धार्मिक आचरण में सबढ़ नौकिक कियाए क्या है? क्या इन कियाओं पर राज्य की विनियमन अथवा निर्वधन लगाने की जक्कित पर कुछ सीमाएँ हैं? उच्चतम न्यायालय ने इन प्रश्नों का उत्तर शिरूर मठ के शो सल्मोन्ड्र तीर्थे स्वार्मियर के मामले<sup>11</sup> में दिया है। इस मामले के पीछे पृष्ठभूमि यह थी कि जब मठाधिपति ने शिरूर मठ का प्रबध अपने हाथों में लिया तो उम ममत मठ का फी वित्तीय सकट से गुड़र रहा था। इस सकट को दूर करने के लिए किये गये प्रवासों को 1931 और 1946 के 'पारियाबन्' उत्सवों ने व्यर्थ साबित कर दिया था। 1946 के उत्सव के बाद मठ लगभग 100 000 रुपयों के कर्ज में डूब गया था। इस स्थिति में मठ को सहायता देने के लिए हिंदू धार्मिक विन्यास बोर्ड ने हाय बदाया। प्रबधक के मुस्तारनामे पर हस्ताक्षर करके मठाधिपति ने बोर्ड के हमतदेप को स्वीकृति दे दी थी। आरभ में तो सब कुछ ठीक-ठाक चला किन्तु धीरे-धीरे स्थिति तब बिगड़ने लगी, जब बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रबधक मठाधिपति की इच्छाओं को कोई महत्व न देकर मठ के मध्ये मामलों में मनमानी करने लगा। इस कारण से मठाधिपति ने वह मुस्तारनामा वापस ले लिया और बोर्ड के प्रयासों की अवहेलना करना आरभ कर दिया। परिणामत बाबे उच्च न्यायालय में पहुंचा 'बहा धर्म' को मकुचित परिभाषा देकर बोर्ड के कार्यों को वैध ठहराया गया। तत्पश्चात् मठाधिपति ने अनुच्छेद 25 और 26 में दिये गये अधिकारों का सहारा लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील की। बाबे उच्च न्यायालय ने माना था कि निश्चित और व्युत्पत्तिमूलक अर्थ में धर्म वह है— (1) जो व्यक्ति को उसके स्पष्टा में जोड़ता है और (2) जो व्यक्ति को उसके अत करण से जोड़ता है तथा उन महवर्ती मदाचारी और नैतिक सिद्धातों से जोड़ता है। जिनका पालन प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति वो अवश्य करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने धर्म के इस अर्थ को अस्वीकार करके एक काफी व्यापक परिभाषा दी। उसके अनुमार धर्म निश्चय ही व्यक्तियों और सप्रदायों के विश्वास वा विषय है और यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह ईश्वरवादी ही हो। भारत में बौद्ध और जैन जैन महत्वपूर्ण धर्म ईश्वर अथवा अभिज्ञ आदिकरण में विश्वास नहीं रखते हैं। न्यायाधिपति विजन कुमार मुसर्बी के अनुमार, विवाद का हौन इस बात को स्पष्ट करने पर निर्भर करता है कि धर्म विषयक कार्य क्या है? उन्होंने इहा

'मवसे पहले तो किसी धर्म का मार्मिक पथ कौन-भी बात प्रस्तुत करता है, इसका पता भूम्य कप में स्वयं उस धर्म के मिढ़ातों को देखकर ही लगाया जाना चाहिए। यदि हिंदुओं के किसी धार्मिक पथ के सिद्धात यह विहिन करते हों कि भगवान् वी मूर्ति वो दिन को किन्तु विषय घड़ियों पर भोग लगाया जाना चाहिए या वर्षे वो किसी नियत अवधि में नियत रीति में नियतकालिक धार्मिक वर्म किये जाने चाहिए या प्रतिदिन पवित्र धर्मों वा पाठ होना चाहिए या होम विया जाना चाहिए तो ये सब धर्मों का ही अर्थ माने जायेंगे और केवल यह तथ्य कि इनमें धन वा व्यय, अथवा पुजारियों और सेवकों वा नियोजन अथवा इय विक्षय वी जाने

चाली बस्तुओं का उपयोग अतिर्वाति होता है। इन्हें वाणिजियक अथवा वित्तीय प्रकार की लौकिक क्रियाएँ नहीं बना सकेगा। ये मन्द धार्मिक क्रियाएँ हैं और इन्हें अनुच्छेद 26 (म) के अर्थ में 'धार्मिक कार्यों सद्बूद्धी विषय' ही समझा जाना चाहिए।"

इस प्रकार न्यायालय को मर्वप्रथम यह पता करना होगा कि विम क्रिया या आचरण पर राज्य विनियमन अथवा निर्बंधन लगाता है वह धार्मिक क्रिया है अथवा धार्मिक आचरण में मबद्दल लौकिक क्रिया। यदि वह पूर्णकथित क्रिया होगी तो वह राज्य के नियमन या निर्बंधन के मबद्दल में विधि बना सकेगा। इम विभेद के आधार पर न्यायालय ने शिल्प भठ के श्री लक्ष्मीन्द्र तोर्चे स्वामियर के भाषण में महास हिंदू रिलोजस एंड ऐट्रिटेल इडाउमेंट्स एक्ट 1951 के उन उपबद्धों को वैध घोषित किया जो धार्मिक आचरण में मबद्दल लौकिक क्रियाओं का विनियमन करते हैं।

न्यायालय ने निर्णय में बहा कि मठ, मदिर आदि धार्मिक मस्तानों के प्रबन्धक मस्तान के आय-व्यय आदि के रजिस्टर रख सकते हैं। आयुक्त उन्हें उन रजिस्टरों में किन्हीं प्रविष्टियों को जोड़ने या परिवर्तित करने के लिए आदेश दे सकता है। आयुक्त वो इन रजिस्टरों के परीक्षण और मत्यापन के तथा मस्त्या की जगत और स्थावर मपति के निरीक्षण के तथा स्थावर मपति के पात्र वर्द्ध के पट्टे से अधिक गभीर अन्य मकामों के लिए अपनी मजूरी, जिमके बिना अन्य मकामण प्रतिषिद्ध है देने के अधिकार है। यह मन्द उन आर्थिक या वित्तीय प्रकार भी लौकिक क्रियाओं का विनियमन है जो धर्म के साथ मबद्दल है। न्यायालय ने आयुक्त की इन मस्ताओं के व्ययों के मापमानों के नियन करन की अधिकारिना को उचित ठहराया क्योंकि ऐसे स्तरों को स्वापित करने वा उद्देश्य मस्त्या को आर्थिक विनाश से बचाना तथा उसकी सपति की रक्षा करना मात्र हो सकता था। प्रबन्धदो को मस्त्या के निए वर्द्ध के प्रारभ में बजट बनाने नथा बजट के अनुमान हो व्यय करने तथा आयुक्त को उस बजट में फेरबदल करने की अधिकारिना को न्यायालय ने बैध ठहराया। न्यायालय न यह भी नहीं कि यदि आयुक्त मस्त्या के मुचारु प्रशासन दे लिए बैतन प्राप्त प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करता है तो ऐसे अधिकारी का बाप बेबन विनीय मामलों के प्रशासन में रहेगा। वह धर्म के मामलों में विमी प्रकार हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।

उच्चतम न्यायालय ने मटाधिपति के मपति के अधिकार का अतिनापन करने वाली महाम ने अधिनियम की धाराओं वो भी अवैध सापित कर दिया। न्यायालय न बहा

'श्राव वी हिंदू विधि के अधीन महत को अधिशेष रक्षण व्यप करने के मबद्दल में विभूत अधिकार प्राप्त है और उस पर बेबन एक यही निर्बंधन है कि वह उम्मीद में अपन विमी भी एम व्यक्तिगत कार्य के लिए बुछ भी वर्ज नहीं कर सकता औ उसक पढ़ वी गणिया में अमबद्द है। ऐसा कई दारण नहीं कि विमम इन

उद्देश्यों के लिए आय वी अधिग्रेष रकम को व्यय करने की महत में निहित अधिकारिता को उसमें छोड़ दिया जाये और उसे इन मामलों में भरकारी अधिकारियों के अनुदंडों के प्रधीन कार्य करने के लिए बाध्य किया जाये। हमारी समझ में हम महत के सपत्नि के मूल अधिकार पर जो कि उसके पद के माथ निम्नलिखित है एक अयुक्तियुक्त निर्वधन है।<sup>12</sup>

न्यायालय ने मद्रास के अधिनियम के अन्तर्गत आयुक्त तथा उसके अधीनस्थ अधिकारियों को एक बड़ा अनियन्त्रित तथा अनिर्बद्धित अधिकार देने वाली धारा को अवैध घोषित किया। इस अधिकार के अनुसार वे अधिनियम द्वारा स्थापित अपने दायित्वों को निभान या अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मंदिर या मठ के किसी भी भाग में कभी भी पहुंच सकते थे। परिणामतः इसके द्वारा धार्मिक स्थान की भर्याओं और पवित्रता को आघात पहुंच सकता था। यह उपबध्य धर्म के जाचरण की स्वतन्त्रता में अनुचित हस्तक्षेप करता था। क्योंकि इसके द्वारा जहा भगवान वो मूर्ति स्थित थी वहा भी आयुक्त और उसके अधीनस्थ अधिकारी जा सकते थे तथा भगवान के ज्यन आदि के ममय जाति भ विघ्न डाल सकते थे।

एवं अन्य धारा के द्वारा आयुक्त को वह अधिकार दिया गया था कि वह महत या अन्य न्यासी की सम्बन्धी की लौकिक क्रियाओं के प्रशासन के लिए कोई प्रबधक नियुक्त करने का आदेश दे और यदि न्यासी इसके पालन में दोष करे तो वह (आयुक्त) न्यय ही ऐसे प्रबधक की नियुक्ति कर दे। इस प्रकार यह उपबध्य आयुक्त वो एक अनियन्त्रित जकिन प्रदान करता था। उसके लिए न तो कोई मार्गदर्शन दिया गया था और न ही कोई शर्त न गायी थी। जबकि जो प्रबधक नियुक्त होता था उस पर बास्तविक नियन्त्रण आयुक्त का होता था। न्यायालय ने कहा

'महत के आध्यात्मिक कर्तव्यों और न्यास की सपत्नि में उसके व्यक्तिगत हितों के बीच कोई कठोर नीमा रेखा नहीं खीची जा सकती है। इस धारा का प्रभाव वास्तव में यह है कि आयुक्त जिम किसी भी क्षण उसका जी जाहे महत को उसकी ओर से किसी प्रकार का कुप्रबध्य न होने हुए भी न्यास की सपत्नि का प्रशासन बरने के उसके अधिकारों में वचित कर सकता है। ऐसा निर्वधन संविधान के अनुच्छेद 26(प) के उपबध्य के विपरीत होगा। वह महत हान के नाते उत्पन्न होने वाली उसकी अधिकारिता को पुरी तरह कुचल देगा और उसके स्थान को घटाकर एक साधारण पुजारी या वेतन प्राप्त संवक की भराबरी पर ना छोड़ेगा।'

न्यायालय ने महत की पथ बनिका या व्यक्तिगत भेट वी रकम को व्यय करने की शक्ति पर न गाया गया निर्वधन — वह उसे मठ के ही वायों के लिए खुर्च करेगा और उसके आय-न्यय का हिमाल रखेगा — को अवैध घोषित कर दिया। उन उपबधों वो भी अवैध घोषित कर दिया जिनके द्वारा आयुक्त को वह शक्ति दी गयी थी कि वह किसी धार्मिक सम्बन्ध को ज्ञापित कर सकता या जिमका अर्थ और परिणाम यह हाना कि

मस्त्य का प्रशासन पाच वर्ष की अवधि के लिए आयुक्त द्वारा नियुक्त किया गय अधिकारी के हाथ में आ जाता था। शिल्प भठ्ठे के थी लख्मीन्द तोर्ह स्वामियर के मामले के माय ही रत्नीलाल पनाचन्द गांधी के मामले तथा जगन्नाथ रामानुज दास के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मार्च, 1954 में निर्णय दिया था। उच्चतम न्यायालय ने जहाँ एक ओर तो धार्मिक सम्बांधों ने अधिक वित्तीय और नौकरिक हियाओं के मामलों में राज्य द्वारा पर्यवेक्षण और युक्तियुक्त निर्वधन वो दैध माना वहाँ उनकी आगाधना या पूजन की विधियों, परपराओं उल्लंघनों आदि को धार्मिक कार्यों मवधी लियाय मानकर उसपर राज्य के हस्तक्षेप को अवैध घोषित किया। अर्थात् धर्म विषयक कार्य में वे आचरण सम्मिलित होते हैं जिन्ह धार्मिक सप्रदाय धर्म का भाग मानता है तथा उन्ह धार्मिक स्वतंत्रता के उपबधों का सरक्षण प्राप्त होगा। इस मिलान को अनेक निर्णयों भ न्यायानयों ने अपनाया।

यत्तेष न्यायाधिपति मुमर्जी ने अपने मन म कहा था कि विमी धर्म के मार्मिक पक्ष नो समझने वे लिए उम धर्म के मिलातों वो देखना पड़ेगा। विनु उन्होंने यह मुम्प्टन नही लिया कि धर्म के मिलान म न्या अभिप्राय है और उम ज्ञान करन के लिए क्या हा मरन है? इस विषय पर श्री वेंकटरमण देवार बनाम मैसूर राज्य<sup>11</sup> के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय कुछ प्रकार डालता है। इस मामले म गौड मारम्बन समाज नाम के एक धार्मिक सप्रदाय के मदस्यों ने मिलान टेपल गृही अंयोराइजेशन ऐक्ट 1947 के उपबधों का श्री वेंकटरमण देवार के मदिर पर लागू होने का विवाद उत्तर हुए तर्क दिया कि गौड मारम्बन समाज अनुच्छेद 26 भ उल्लिखित एक धार्मिक भप्रदाय है और श्री वेंकटरमण देवार के मदिर म 'पूजा-प्रार्थना' म लौन सम्मिलित हा मरता है और किस प्रकार भाग ले मरता है यह मामला अनुच्छेद 26(म) म उल्लिखित धार्मिक वार्यों मवधी विषय है। अत इस मामले म अनुच्छेद 26(म) के अनुमार गौड मारम्बन मप्रदाय को अपने धार्मिक वार्यों मवधी विषयों का प्रबध बरने का पून अधिकार प्राप्त है और राज्य विधि द्वारा कर अपवर्जित नोगा को पूजा-प्रार्थना म सम्मिलित बरन के लिए उम मप्रदाय को दाय नही वर मरता। मिलान गज्य ने उल्लिखित मदिर का मार्वजनिव होने का दावा लिया था विनु गौड मारम्बन द्वारा जाना न इसका बहुत बरन हुए यह मिलान करने का प्रबल लिया कि वह मार्वजनिव मदिर नही है बल्कि उनके धर्म वा यह मिलान है कि उनकी जानि को छोड नही और वासी मदिर म प्रवेश नही वर मरता है। न्यायानय ने हिंदू धार्मिक वर्म विधि<sup>12</sup> म मवधी अनव नमाजा वी जाव करन पर पाया कि अनव उद्धरण यह प्रमाणित करते है कि मदिर म मूर्तियों वा एक निधारित प्रकार म स्थापित विषय जाना है तथा कुछ प्रवार क भक्तगण मदिर क कुछ भाग म पर नही जा मरत थ इसकी अवहनना म मदिर और मूर्ति विविध हो मरत थ। गौड मारम्बन द्वारा जाना वा मदिर म जाहर रूपने के मवधी इस्तावज्ज प्रमुन विषय तथा अपवर्जित जानियों का मदिर म जाहर रूपने के मवधी म परपराओं के मवून दिये। न्यायालय न अपन निर्णय म माहित्यिक योगों, परपराओं और रिवाजों का महार लिया और कहा कि गौड मारम्बन गपाज एक मप्रदाय है और मदिर म प्रवेश बरन तथा पूजा प्रार्थना बरन की लिए वर्ग का

अर्हता है और किंम नहीं, यह भी निश्चय ही 'धार्मिक कार्यों सबधी विषय' है। किंतु यहा अनुच्छेद 26(ब) और अनुच्छेद 25(2)(स) के उपबधों में अमर्गति है, जिसे समन्वय के सिद्धात द्वारा हल किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय अनुच्छेद 26(ब) का ऐसा निर्वाचन नहीं किया जा सकता जिसमें कि अनुच्छेद 25(2)(स) बिलकुल ही निरर्थक हो जाये। जहा तक अपवर्जित लोयों के सार्वजनिक हिंदू मंदिरों में प्रवेशाधिकार का प्रश्न है, अनुच्छेद 25(2)(स) की भाषा स्पष्ट और अनिर्व्विधित है। अत अनुच्छेद 26(ब) में उपबधित 'अपने धार्मिक कार्यों सबधी विषयों वा प्रबन्ध करने' के अधिकार को, अनुच्छेद 25(2)(स) में उल्लिखित मंदिर प्रवेश की विधि के अध्यधीन रहना होगा।

व्यान देने योग्य बात यह है कि धर्म के मार्मिक पक्ष का निर्धारण करते समय न्यायालय के लिए रीति-रिवाज उतना ही महत्त्व रखते हैं, जितना भावित्यक स्रोत। न्यायालय धर्म के मार्मिक पक्ष को किस प्रकार निर्धारित करता है इसका काफी दिलचस्प उदाहरण मुहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य<sup>14</sup> के भास्ते में मिलता है। इसमें अपीलार्थी कसाई का काम करता था और उसका दावा था कि वह केवल गाय, भैम का ही वध करता है। उसकी शिकायत थी कि सार्वभित्र अधिनियम उसे उसकी जीविका के साधन में बचित करता है तथा अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। उसका दावा था कि अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि उनके धार्मिक संप्रदाय के अनुमार बकरीद के अवसर पर गाय की बलि उनकी परपरा है। इस रिवाज के लिए कुरान की सुरा XXII तथा सुरा CVII से प्रभाण के उद्धरण दिये गये थे। हालांकि इन आयतों में केवल इतना ही कहा गया है कि लोगों को प्रार्थना करना चाहिए और बलि चढ़ाना चाहिए, किंतु वे मुस्यट नहीं हैं। इन आयतों के अर्थ की व्याख्या करने वाला विस्तृ पौलना का कोई हलफनामा न्यायालय के पास नहीं था, किंतु न्यायाधीशों को एक टीका मिली जिसमें दिया गया था

"प्रौढ़ता वी उम्र प्राप्त कर लेने वाला प्रत्येक स्वतंत्र मुसलमान का यह वर्तन्य है कि वह ईद किरदान पर अद्यवा बलि के त्यौहार पर बलि चढ़ाये एक व्यक्ति के लिए एक बकरा और मात्र व्यक्तियों के लिए एक याय अद्यवा एक ऊट वी बलि की व्यवस्था है।"

इस टीका के आधार पर न्यायालय ने कहा कि इस समुदाय के लिए स्पष्ट विवरण दिया गया है कि वे याय के बदले बकरे अद्यवा ऊट की बलि दे सकते हैं। न्यायाधीशों ने याय के बदले बकरे अद्यवा ऊट की बलि से पहले वासे आर्थिक बोझ को अपने निर्णय में महत्त्व नहीं दिया जबकि समुचित बलि वी कीमत ग्रामीन मुसलमान के बग से बाहर थी। दूसरे प्रकार लंबे समय से जली आ रही इस भमुदाय की परपरा नो चिना कोई महत्त्व दिये न्यायालय ने गो-हत्या निषेध सबधी अधिनियमों को वैध पोषित किया। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिबधों वी युक्तियुक्तता को उचित ठहराते समय न्यायालय ने अन्य बातों के साप-भास्त हिंदुओं वी धार्मिक भावनाओं को व्याप्त भी रखा। किस कारण से यह आलोचना वी जाती है कि ये विचार धार्मिक तटस्थिता पर खड़े नहीं उतरते। इस निर्णय

में न्यायालय ने धर्म के मार्मिक पक्ष को निर्धारित करने के लिए साहित्यिक छोत की व्याख्या को आधार बनाया जिसके द्वारा इस धार्मिक समुदाय की परपराओं को काफी परिवर्तित कर दिया जो कि मुस्लिम समुदाय को सतोषजनक नहीं लगा।

न्यायालय के पहले के दृष्टिकोण में आया परिवर्तन हमें, दरगाह समिति अजमेर बनाम सीपड़ हुसैन असी<sup>13</sup> के मामलों में दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम 1955 को चुनौती दी गयी थी, स्पष्ट दिसाई पढ़ता है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अजमेर के दरगाह के इतिहास का विषयन किया और पाया कि दरगाह के खादिम तथा सज्जादानशीन को अत्यंत सीमित अधिकार प्राप्त थे। इतिहास के अनुसार दरगाह की सपत्ति खादिमों और सज्जादानशीन की या वे जिस धार्मिक सप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी सपत्ति कभी नहीं मानी गयी थी तथा उसका प्रशासन सदैव ही सरकार के अधिकारी के हाथ में रहा था। अगर गुदूर अतीत में कोई अधिकार रहा भी हो तो वे कब के उसे त्याग चुके हैं। उसी सरकार को खादिमों और सज्जादानशीनों को अपने पढ़ से हटाने का भी अधिकार रहा था। 1950 में सविधान प्रवृत्त हो जाने तथा उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के उपबंधों से खादिमों या सज्जादानशीन के अधिकार बढ़े नहीं हैं। सविधान केवल उनके जो कुछ अधिकार पहले थे उन्हीं को मुराखित करता है। अत न्यायालय ने कहा कि दरगाह की आमदनों और सपत्ति के प्रशासन के लिए हनफी मुसलमानों की एक समिति बनाकर उसे ही खादिमों और सज्जादानशीनों पर नियन्त्रण और पर्यवेक्षण करने तथा उनके मालां को मुलझाने का अधिकार देना किसी प्रकार अवैध नहीं है।

इस मामले में विजेता बात यह थी कि 'धर्म' अथवा 'धर्म विषयक कार्य' के वर्ग को महुचित कर दिया गया था। न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि कोई आचरण 'धर्म' अथवा 'धर्म विषयक कार्य' तभी माना जायेगा जब सबैं विषय सप्रदाय अथवा उसका विभाग अवश्य उसे धर्म का मार्मिक अथवा एक अभिन्न भाग मानते हों। अन्यथा पूर्णतः नीकिक हियाएं अथवा अधिविश्वाम पर आधारित हियाएं— जो बाद में आकर जुड़ जाती हैं— अनुचित रूप से धर्म का भाग मान नहीं जायगी और सर्वेशानिक संरक्षण का गुलत दावा कर सकेगी।

'धर्म विषयक कार्य' की सनुचित व्याख्या पुन सरदार सेदना ताहेर स़हूद्दीन साहेब बनाम मुबई राज्य<sup>14</sup> के मामले में सामने आयी। इस मामले में विचारणीय विषय था कि क्या किसी सदस्य द्वारा स्विदादी धार्मिक मत अथवा सिद्धात की भूल करने पर उस सदस्य को समुदाय से बाहर कर देना तथा समुदाय के लदस्य की हैसियत से मिलने वाले उसके अधिकारों और विशेषाधिकारों से विचित करने की दाउदी बोहरा समुदाय के अध्यक्ष की जकित 'धर्म विषयक कार्य' था। न्यायालय ने यह अभिनिधारित किया कि बहिष्कृति को अवैध और शून्य घोषित कर देने से दाउदी बोहरा सप्रदाय तथा उसके अध्यक्ष को प्रदत्त अनुच्छेद 26(स) में उपबंधित अपने धार्मिक कार्यों भवधी विषयों का प्रबंध करने के भूल अधिकार का अतिहमण होगा है, इसलिए बहिष्कृति विचारण अधिनियम, 1949 का 42 अवैध है। बहुमत के निष्कर्ष में इस बात पर बन दिया गया कि कौन-सी बात विभीं समुदाय के धर्म के आचरण का मार्मिक अग्र है। यह तो न्यायालय को

निश्चित करना होता है और इस विनिहचय का आधार उस धर्म के सिद्धातों पर तथा उस समुदाय की मान्यताओं पर होता है। न्यायालय ने मात्र के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यह दाउदी बोहरा समुदाय के धर्म का एक मार्मिक अभ था कि 'दाई उल मुतलक' उचित मामलों में व्यक्तियों को बहिष्कृत करे और 'दाई उल मुतलक' की व्यष्टिता में निर्दृढ़ यदा रखना भी उनके धर्म का मार्मिक अभ था। धर्म के किसी मार्मिक अभ की अवहेलना करने अथवा उसे दाति पहुचाने के अपराध में किसी व्यक्ति की बहिष्कृति को धर्म की शक्ति को बनाये रखने के उद्देश्य से किया गया उपाय माना जाना चाहिए।

सरदार सैदना ताहेर सैफुद्दीन साहेब मामले के बाद भी 'धर्म' और 'धर्म विषयक कार्य' के सबध में परस्पर-विरोधी भत चलते रहे। तिल्कायत श्री गोविन्दसाल जी महाराज बनाम राजस्थान राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा—

"इस प्रश्न को तय करते समय कि कोई धार्मिक आचरण धर्म का अभिन्न अभ है या नहीं, हमेशा यह मापदण्ड जपनाना होगा कि उस धर्म को मानने वाला समुदाय ऐसा मानता है या नहीं। इस फार्मूले को प्रयोग में लाने पर कुछ मामलों में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। जैसे— भोजन अथवा पहनावे के सबध में आचरण को स्वीजिए। मदि किसी कार्यविधि में समुदाय का एक भाग दावा करता है कि कुछ धार्मिक कृत्यों या अनुष्ठानों को सपन्न करते समय सकेद पोशाक धर्म का एक अभिन्न अभ है, तो दूसरा वर्ग दावा करता है कि सकेद नहीं बल्कि पीली पोशाक धर्म का मूलभूत अभ है, इस स्थिति में न्यायालय कैसे निर्णय करेगा? इसी तरह के विवाद भोजन के सबध में उत्पन्न हो सकते हैं। उन मामलों में जहाँ धार्मिक आचरण के सबध में परस्पर विरोधी दावों के सबध में परस्पर विरोधी सदूत सामने लाये जाते हैं, वहाँ न्यायालय इस फार्मूले को कि समुदाय तय करे कि कौन-सा आचरण धर्म का अभिन्न अभ है, आखं मूदकर सागू करके विवाद को हल करने में समर्थ नहीं हो सकता है। क्योंकि समुदाय एक से द्वयादा द्वावाज में बोल सकता है और फार्मूला भय हो जायेगा। यह प्रश्न हमेशा न्यायालय को तय करना होगा और ऐसा करते समय न्यायालय को जाच करना पड़ सकता है कि क्या विवादास्पद आचरण धार्मिक प्रकृति का है, अगर वह है तो क्या वह धर्म का अभिन्न या मार्मिक भाग माना जा सकता है और ऐसे मुद्दों पर न्यायालय का निष्कर्ष हमेशा समुदाय के अत करण और उसके धर्म के सिद्धातों से सद्वित सदूत प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा।"

तिल्कायत श्री गोविन्दसाल जी महाराज के मामले में न्यायालय ने बहा कि राज्य का मंदिर के प्रबध के लिए धर्म आदि की दृष्टि से उपयुक्त लोगों की समिति स्थापित करने का अधिकार उचित है क्योंकि मंदिर के इतिहास में यह स्पष्ट होता है कि मंदिर के महत या तिल्कायत का पद उसकी मृत्यु या पदत्याग के पश्चात् सदैव उसके ज्येष्ठ पुत्र पर न्यायत होता रहा है तथा सरकार को किसी भी तिल्कायत को पदच्युत करने तथा मंदिर

की समति के प्रबंध का पर्यवेक्षण करन का अधिकार रहा है। संविधान लागू होन के पश्चात् भी यह अधिकार राज्य के ही हाथो में रहता। व्यापार देन योग्य चाल है कि समिति की अधिकारिता न देवल मंदिर की समति के प्रबंध तक ही सीमित थी बरन् 'मंदिर म दैनिक पूजाओ, धार्मिक कार्यों तथा उत्सवों का पुष्टिमानोंय मप्रदाय की रीतियो और परपराओं के अनुमार मन्त्रालय करना' भी उसी की अधिकारिता में सम्मिलित था। इम प्रकार कुछ ऐसे विषय जिन्हे शिक्कर मठ के थी सभीन्द्र तीर्थ स्वामियर के मामले में 'धार्मिक कार्यों मन्त्रालय विषय' माना गया था उसमें भी राज्य द्वारा स्थापित की गयी समिति के हमलेप को बैध मान निया गया।

राजा बीरकिसोर देव बनाम उडीसा राज्य के मामले में न्यायालय ने इनिहाम के अध्ययन में यह पाया कि राजा को संविधान के पूर्व में ही मंदिर की समति और आय म दोई व्यक्तिगत हित या अधिकार नहीं रहा है। अत उडीसा के थी जगन्नाथ टेम्पल एक्स्ट, 1954 द्वारा भवित वी आय और समति का प्रबंध पुरी के राजा में नेहर एक समिति को मौप दना अवैध नहीं है। भगवान् वी पूजा आदि के प्रबंध का उत्तरदायित्व भी समिति पर ही रखने को भी न्यायालय ने अवैध नहीं पाया। न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि पूजा-अर्चना के दो पथ हैं, एक लौकिक विस्ता सबस्त पूजा के लिए आवश्यक मामली एकत्रित बरने तथा उमरा धार्मिक प्रबंध करने स है और दूसरा धार्मिक विस्ता सबस्त स्वयं पूजा करने ने है। यह दूसरा अग समिति के हाथ म नहीं है और पुरी के राजा आदि-नेहर के रूप में इस धार्मिक पक्ष को नियाने में स्वतंत्र है। इम प्रकार दरगाह समिति, तित्कालय थी गोविंदलाल जी महाराज और राजा बीरकिसोर देव के मामलो में न्यायालय ने धार्मिक मन्त्रालयो और उनके महतो को संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रताओं का भास्त न देने उसी स्थिति म बनाय रखा विस्ता स्थिति में वे संविधान मे पूर्व थे।

इस प्रकार 'लौकिक कार्य' और 'धार्मिक कार्यों मन्त्रालय विषय' के मध्य विवाद को लेकर अनेक मामले आये तथा न्यायालय ने निर्णयाधीन मामलो के तथ्यो के आधार पर यह निश्चय किया कि विचाराधीन कृत्य या आचरण इन दोनों को विभाजित करनवानी रेखा के लिम और पड़ता है। सीमा रेखा को बीचने म न्यायालय ने साहित्यिक स्त्रोत परपराएं, तिवारों धर्म के निदानो और उग रामायण की मान्यताओं ने आधार माना।

अनुच्छेद 26(ग) द्वारा धार्मिक मप्रदायों या उनके विभागों के जगम और स्थावर समति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार तथा घट (घ) द्वारा ऐसी समति का विधि अनुमार प्रगामन करने का अधिकार दिया गया है। यद्यपि 26(घ) के अनुमार समति का विधि अनुमार प्रगामन करने का अधिकार दिया गया है, विनु जो विधि प्रगामन का अधिकार धार्मिक मप्रदाय के हाथो म मधुचा ही छीनकर उस दूसरे लिमी प्राधिकारी म निहित कर दे, वह अनुच्छेद 26(घ) मे प्रत्यानु अधिकार का अनिहामण वर देती।<sup>11</sup>

विनु अनुच्छेद 26(घ) के विधिकार # द्वारा करने के लिए यह तथ्य स्थातित करना अनिवार्य है कि मंदिर या देवस्थान म संविधित समति का दायित्व दावदार मप्रदाय

या उसके विभाग को प्राप्त है। 'अनुच्छेद 26(ग) का अधिकार आन्यतिक और अविभागित न होने से राज्य द्वारा युक्तियुक्त विनियमन के साथ संगत है, बल्कि कि स्वतंत्रता के साथ पर प्रभाव न पड़े। न्यायिक निर्णयों ने यह बात मुनिहित कर दी है कि अनुच्छेद 26(ग) या (घ) में से कोई भी धार्मिक सप्रदायों की सपत्ति को, राज्य की सपत्ति का अर्जन करने की शक्ति से सरक्षण नहीं देता। बिना इसका यह अभिप्राय नहीं है कि राज्य धार्मिक सप्रदायों की सपत्ति इस प्रकार अर्जित करे कि उनकी आर्थिक शक्ति को नष्ट कर दे।

### किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो के सदाय के बारे में स्वतंत्रता

अनुच्छेद 27 के अनुसार, 'किसी भी व्यक्ति को ऐसे करो का सदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा, जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक सप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किये जाते हैं।' संविधान के बल 'फीस' लगाने की शक्ति देता है, कर' लगाने की नहीं। दोनों में अतर बताते हुए न्यायालय ने शिवर भठ के श्री लक्ष्मीनारायण स्वामियर के मामले में कहा कि यद्यपि दोनों को ही राज्य लोगों से उनकी इच्छा के विरुद्ध एकत्रित करता है। 'कर' द्वारा इकट्ठी की गयी रकम राज्य के सार्वजनिक कोष का बग बन जाती है तथा उसका उपयोग किसी एक कार्य या विषय के लिए आरक्षित नहीं होता। इसके विपरीत 'फीस' को रकम सार्वजनिक कोष में धूलमिल नहीं जाती बरन् वह किसी विशिष्ट कार्य या विषय के लिए ही अलग रखी जाती है तथा केवल उस पर ही सुर्खेत की जा सकती है। दोनों में मुख्य भेद यह है कि 'फीस' वी रकम किसी सेवा के लिए प्रतिकर के रूप में बमूल वी जाती है और 'कर' वी रकम का विसी सेवा या प्रतिकर से सबध नहीं होता वह राज्य ही व्यापक आवश्यकताओं के लिए बमूल किया जाता है।

### धर्म और शिक्षा सम्बन्ध

हमारे देश में अनेक धर्मों, जातियों और सप्रदायों के लोग रहते हैं। हिंदू शासक यह मानते थे कि अगर यहाँ के लोग अशिक्षा के अधिकार में फूँडे रहें तो भारत में उनकी सत्ता सुरक्षित रहेगी, क्योंकि अशिक्षित भारतीय जन-समुदाय आपके धर्मों, जातियों और सप्रदायों के नाम पर लड़ता रहेगा और एक जुट होकर विदेशी शासन को अनुसूती नहीं दे सकेगा। आदादी के बाद देश में मामाजिक-आर्थिक इकात जाने का महत्व निया गया। किंतु बिना शिक्षा की ज्योति पर-पर पहुँचाये यह इकात सभव नहीं थी, इसलिए राज्य के चिक्षा के प्रचार-प्रसार पर अत्यधिक बल दिया गया। संविधान निर्माताओं ने शिक्षा का विकास धर्मनिरपेक्ष आदादों पर करने का हर सभव प्रयास किया। अनुच्छेद 28 के अनुसार

- १ पूर्णत राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी ।
- २ बट (१) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को नागृ नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है ।
- ३ राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी मम्ता में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे सलमन स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाल्य नहीं किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके सरकार ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है ।

भारत में धर्म के नाम पर समाज का अत्यधिक शोषण होता रहा है। विभिन्न धर्मों की झड़ियों के बीच सर्वथा समाज के लिए हानिकारक रहे हैं, साथ ही अनेक धर्मों के विद्यमान होने के कारण राज्य चाहकर भी धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता या। दूसरी तरफ भारत में सपूर्ण संदाचार, नीतिका और सम्झौता का आधार धर्म रहा है, इसलिए किसी-न-किसी रूप में धार्मिक शिक्षा दिया जाना आवश्यक भी है। यही कारण है कि धर्मनिरपेक्ष चरित्र होने के बावजूद राज्य धार्मिक शिक्षा को पूर्णत वर्गित नहीं कर सकता। अत अनुच्छेद 28 दोनों स्थितियों के बीच समझौते के रूप में अपनाया गया है।

### अल्पसंख्यक बगों के हितों का सरकार

हमारे सविधान को महत्वपूर्ण विशेषता है कि अल्पसंख्यक बगों के हितों के सरकार के लिए इसमें अनेक व्यवस्थाएं दी गयी हैं। 1947 में देश के विभाजन के बाद अनेक अल्पसंख्यक (मुसलमान) पानिस्तान खले गये किन्तु वाकी तादात में लोग भारत में बस रहे। स्वाधारिक या देश के विभाजन से पहले का भय कि हिन्दू अधिमम्ता में होने के कारण मुसलमानों के अधिकारों दो हाथ पकड़ कर जायेग विभाजन के बाद और बत एक भय मलता या, दूसरे विभाजन के लिए जाने-अनजाने मुसलमान अपने को दोपो मानते रह। यह दोष-भाव बाद से भी पीड़ियों में न आये, इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म भी जामको का धर्म रहा, स्वतंत्रता के बाद हिन्दू अधिसंख्यक दमन का चक्र न चलाये इस भाव को लोगों के दिन से निवासकर राष्ट्र की मुख्य धारा में जोहने के लिए अल्पसंख्यक बगों के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाये गये जो कि हमारी उदार और अनन्य मास्फूतिक परंपरा के प्रतीक हैं। अनुच्छेद 28, 29 में उन्हें मौजिक अधिकार दिये गये हैं तथा सविधान के भाग 16 में कुछ बगों के लिए विशेष उपबध किये गये हैं। अनुच्छेद 29 के अनुमार्द

- १ भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, विषमी अपनी विशेष भाषा, लिपि या सम्झौता है, उस बनाय

रखन का अधिकार होगा ।

2. राज्या द्वारा पायिन या राज्यनिधि में नहायता पाने वाली किसी निधि मम्या म प्रबोल म इसी भी नागरिक दों बेवल धर्म, मूलवन, जाति, भाषा या इनम भ किसी के आधार पर वचन नहीं किया जायेगा ।

अनुच्छेद 30 के अनुसार “धर्म या भाषा पर आधारित भी अन्यमत्यक वर्गों दो अपनी इच्छा दी शिक्षा मम्याओं दी स्थापना और प्रशासन का अधिकार रहेगा, जिसका मम्याओं को महायना देने म राज्य किसी जिक्षा मम्या के दिल्ल इस आधार पर विभेद नहीं करता कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अन्यमत्यक वर्ग के प्रबोध भ है ।”

अनुच्छेद 29(1) का अधिकार बेवल अन्यमत्यकों तक सौमित्र न होकर किसी भी एम ममुदाय या विभाग को प्राप्त है किसी अपनी भिन्न भाषा, निषि या सत्त्वति हो, जबकि अनुच्छेद 30(1) का अधिकार बेवल धर्म और भाषा के आधार पर अन्यमत्यकों को ही प्राप्त है । जहा अनुच्छेद 29(1) का अधिकार अत्यधिक व्यापक है तथा उस भाषा निषि और ममृति के सरक्षण के लिए दो जाति वालों भी वार्यवाहियों दी रक्षा करता है, वहा अनुच्छेद 30(1) का अधिकार बेवल जिक्षा मम्याओं के लिए है । इन प्रकार इन दोनो मूल अधिकारों का छेद और परिवर्ति भिन्न भिन्न है ।<sup>18</sup>

विशेष निर्देश, 1958 का स्थाया 1—केरल जिक्षा विधेयक, 1957 के मानने<sup>19</sup> म भुव्य म्यायाधिकारि मुक्तिग्रन्थ दान न वहा

‘यह वहा गया है कि जो अन्यमत्यक जिक्षा नम्बर राज्य के दोष में नहायता नहीं माननी उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जिम ममुदाय क लाभार्थ स्थापित दी गयी है उभक अनिरिक्त अन्य किसी ममुदाय के एक भी विद्यार्थी को प्रबोध । परनु बैग हो जह राज्य म गहायता नायनी है तथा प्राप्त कर लेती है, वैस ही अनुच्छेद 29(2) उम अन्य ममुदाय क मदम्या को धर्म, जाति, मूलवन या भाषा के आधार पर प्रबोग वर्जित करने म रोक दता है और इनके परिणामस्वरूप वह उम अन्यमत्यक जाति दी भनवाही मम्या नहीं रह जाती किमने उम स्थापित किया या । यह तर्क हम इम अनुच्छेद (अनु० 30(1)) की भाषा में ममर्यन प्राप्त करता द्वनीन नहीं हाना । यह सब नहीं है कि ममुदाय के बाहर के व्यक्ति को प्रबोग दा में अन्यमत्यक मम्या अपना स्वास्थ्य लाट वर लेनी है तथा अन्यमत्यक नहीं रह जाती । मच ता यह है कि अन्यमत्यक जाति अपनी भाषा, निषि और ममृति के सरक्षण के उद्देश्य को अपने ममुदाय के बाहर के नोगो म इनका प्रचार करके ही अधिक जच्छी तरह में पूरा कर भवती है । हायारे मन म मविधान क अनुच्छेद 30(1) मे ऐसी किसी जर्म को दम पाना भवत नहीं है ।’

न्यायान्वय ने मत अक्षय किया कि अनुच्छेद 30(1) की कुड़ी ‘अपनी इच्छा दी’ शब्दो भ है । अन्यमत्यक ममुदाय जो भी जिक्षा मम्याए स्थापित करता चाहे, चाहे उनका मवध उम ममुदाय को ममृति आदि न हो या चाहे क धर्मनिरपेक्ष जिक्षा अर्थात् कला, और्याति, इन्द्रियान्वयरित बादि ने मवधित हा, उन भी की म्यायता और प्रशासन के मूल अधिकार

अनुच्छेद 30(1) द्वारा उन्हे प्रदान किये गये हैं। न्यायालय ने यह भी बहा कि ये दो मिन्न अधिकार हैं, एक स्वापना का और दूसरा प्रशासन का। जो सस्याएं सविधान से पूर्व स्थापित हो चुकी हैं वे भी अनुच्छेद 30(1) के सरक्षण की अधिकारी हैं तथा उनका दिन-प्रतिदिन का प्रशासन चलाना उन्हें स्थापित करने वाले अल्पसम्बन्धक समुदाय के मूल अधिकार का विषय है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह दावा तो स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य अल्पसम्बन्धकों की शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए आवढ़ है अथवा वित्तीय महायता देते समय वह उन संस्थाओं पर किसी भी प्रकार की जर्ते नहीं लगा सकता। परतु साथ ही न्यायालय यह दावा भी स्वीकार नहीं कर सकता है कि राज्य उन पर वित्तीय सहायता देते समय वे सभी जर्ते लगा सकते हैं जो कि वह अल्पसम्बन्धकों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं पर लगाने में समर्थ हैं, क्योंकि ऐसी दबा में अल्पसम्बन्धकों को महायता प्राप्त करने के मूल्य के रूप में अपने मूल अधिकार का परित्याग करना पड़ जायेगा। न्यायालय के मत में राज्य अल्पसम्बन्धकों की शिक्षा संस्था को गहायता देते समय केवल 'संस्था' की उल्लङ्घनता को मुनिषित करने के उद्देश्य से बनाये गये युक्तियुक्त विनियमों को जर्तों के रूप में अधिरोपित कर सकता है। न्यायालय ने वहा

"प्रशासन के अधिकार में निश्चय ही कुशासन का अधिकार सम्मिलित नहीं हो सकता। अल्पसम्बन्धक समुदाय निश्चय ही राज्य में ऐसी संस्थाओं के लिए भान्यता तथा सहायता की मांग नहीं कर सकते जिन्हें वे अस्वस्य बातावरण में तथा ऐसे अध्यापकों द्वारा चला रहे हों, जो न तो गुणोग्रह हों और न ही जिनके पास वहता वा कोई दिक्षावा हो या जो (सस्याएं) अध्यापन के साधारण मानकों तक भी न पहुंचती हो या जहा ऐसे विषय पढ़ाये जाते हों जो विद्यार्थियों के लिए अवल्याणकारी हों। अत यह कहना युक्तिसमृद्ध होगा कि अपनी शिक्षा संस्थाओं का प्रशासन आप करने के अल्पसम्बन्धकों के सविधानिक मूल अधिकार का राज्य के इस दावे के साथ समर्प होना आवश्यक नहीं है कि किसी भी संस्था को सहायता देते समय वह उस संस्था की उल्लङ्घनता को मुनिषित करने के लिए युक्तियुक्त विनियम विहित कर सकता है।"<sup>20</sup>

केरल रिपब्लिक विफेयर, 1957 के मामले के दाद के निर्णयों में न्यायालय धीरे-धीरे एक अतिमध्य निर्वचन की स्थिति पर पहुंच गया। न्यायालय ने विनिर्धारित किया कि अल्पसम्बन्धक समुदाय की संस्था की उल्लङ्घनता के लिए बनाये गये विनियमों को तो उनकी संस्थाओं पर सहायता या भान्यता की जर्तों के रूप में अधिरोपित किया जा सकता है, किन्तु जब माधारण के हित में या राष्ट्रीय हित में बनाये गये विनियमों को उन पर भायता या भान्यता की जर्तों के रूप में अधिरोपित नहीं किया जा सकता।<sup>21</sup> अनेक निर्णयों में न्यायालय ने भल व्यक्त किया कि अल्पसम्बन्धकों वा प्रशासन या प्रबंध समितियों के साथ हस्तांतर करना या उनकी सरचना निर्धारित करने वा प्रयत्न करना अनुच्छेद 30(1) के रहते ऐध नहीं हो सकता।<sup>22</sup> न्यायालय ने पवारी विश्वविद्यालय वा यह आदेश अवैध घोषित कर दिया कि

उससे सबदू सभी महाविद्यालयों की तरह डी०ए०बी० कलिज, भट्टा में भी शिक्षा का माध्यम केवल पञ्चायी ही होगा, हिंदी नहीं।<sup>23</sup> भारत वर्ष के किसी भी महान सत के जीवन और उपदेश अथवा दर्शन और सत्त्वति के भारतीय प्रयवा विश्व की सम्बता पर प्रभाव के शास्त्रीय अध्ययन के लिए व्यवस्था प्रदान करने को धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं कहा जा सकता।<sup>24</sup> इस प्रकार न्यायालय धीरे-धीरे एक अतिमय निर्वचन की स्थिति पर पहुँच गया; किन्तु इस स्थिति के प्रति न्यायाधिपति मुरेन्द्रनाथ द्विनेदी ने अहमदाबाद सेट जेवियर कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य<sup>25</sup> के मामले में असतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अत्यस्थक समुदाय को अनुच्छेद 30 (1) द्वारा शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्राप्त कराने का कोई मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। केवल अनुच्छेद 15 (1) द्वारा उन्हे मह अधिकार है कि जिन शर्तों पर अन्य समुदायों और संस्थाओं को मान्यता दी जाती है उनसे अधिक कठोर या अहितकर शर्तों अत्यस्थकों पर मान्यता के लिए अधिरोपित नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि अनुच्छेद 30 (1) की भाषा आत्यतिक है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि उसमें उल्लिखित मूल अधिकार पर कोई निर्वधन नहीं है। स्वयं संविधान में अनुच्छेद 29 (2), 15 (4) तथा 28 (3) द्वारा उस पर अभिव्यक्त निर्वधन लगाये गये हैं। इनके अतिरिक्त उस पर विविधत निर्वधन भी हैं। उदाहरणार्थ, अत्यस्थक समुदाय के प्रबन्धकों का यह मूल अधिकार, संस्था के कर्मचारियों के अनुच्छेद 19 (1) (ज) में दिये गये संस्था या संघ बनाने के मूल अधिकार के अध्यधीन समझा जाना चाहिए और इन प्रबन्धकों को अपने कर्मचारियों को इस आधार पर दफ्तर करने या पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने (कर्मचारियों ने) संघ बनाने के अपने संविधानिक अधिकार का प्रयोग किया है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की विनियमन की शक्ति विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के लिए भिन्न होगी यथा, जो संस्कार के बहुल मान्यता चाहती हो उनके सबूत में वह शक्ति कम होगी और जो महायता भी मानती है, उनके लिए अधिक होगी। उन्होंने यह सिद्धात मानने से इनकार कर दिया कि राज्य के बहुल संस्कारों की फैलाविक उत्कृष्टता को बढ़ाने के हेतु से ही विनियमन कर सकती है।

न्यायाधिपति द्विनेदी के इस विसम्मत निर्णय की दिशा में न्यायालय ने यादों फेंजे आम कलिज, शाहजहांपुर बनाम आमरा विश्वविद्यालय<sup>26</sup> के मामले में आगे बढ़ मरा। इस मामले में न्यायालय ने आगरा विश्वविद्यालय के उस परिनियम को वैध घोषित किया जिसके द्वारा अपीलार्यों कॉलेज को कहा गया था कि यदि वह बी०ए० की परीक्षा के लिए कुछ नये विषयों में विश्वविद्यालय की मान्यता चाहता है तो उसे अपनी प्रबन्ध विभिन्न में अध्यापकों के दो प्रतिनियिकों—एक तो प्रधानाध्यापक और एक ज्येष्ठ अध्यापक—को स्थान देना होगा। न्यायाधिपति कृष्ण अय्यर ने प्रारंभ में ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 30 पर निर्णयक विधि की सारी इमारत केरल शिक्षा विधेयक, 1957 के मामले की चट्टान पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान के उपबन्ध के सही निर्वचन का परिणाम होना चाहिए, 'कृपालुता से विनियमित स्वतंत्रता जो कि स्वायत्त को न तो नष्ट करती हो और न अनुचित बढ़ावा देती हो, परन्तु जो अधिक अच्छे

परिणामों को समर्पित करती हो।'

नवबर 17, 1986 को उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य अल्पत महत्वपूर्ण निर्णय दिया। फ़ैक एथोनी एलिक्स कॉल कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ के मामले में न्यायाधिपतियों ने यह मत व्यक्त किया कि योग्य स्टाफ को आकर्षित करने के लिए विनियम बनाना तथा उन्हे कार्यकाल की न्यूनतम भुविका का आइवासन देना अल्पमत्यको को अनुच्छेद 30 में दिये गये अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और प्रशासन करने के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। अल्पसत्यक शिक्षा संस्था के प्रबधि को मौलिक अधिकारों की आड में कर्मचारियों का दमन करने तथा छोपण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इम प्रकार भारत में धर्मनिरपेक्षता, धर्म और राज्य—दोनों के उचित दावों में सुदर मामलस्य स्थापित करती है। राज्य धर्म का विरोधी या शत्रु नहीं है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने 1956 में कहा, "भारतीय राज्य में धार्मिक समर्दिता को धर्मनिरपेक्षता या नास्तिकता से भ्रम नहीं करना है। धर्मनिरपेक्षता को यहा जिस प्रकार से परिभाषित किया गया है वह भारतीय प्राचीन धार्मिक परपराओं के अनुरूप है। यह व्यक्तिगत विशेषताओं को सामूहिक विचारों के अधीन करके नहीं बल्कि उनमें आपम में सामजस्य स्थापित करके धर्मों में विश्वास रखने वालों में भाईचारा स्थापित करने वा प्रयास करता है। यह भाईचारा एकता में अनेकता के सिद्धात पर आधारित है और उसी में केवल गृहजनशीलता के गुण विद्यमान है।"<sup>27</sup> इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय धर्म विशेष या नास्तिकता अथवा भौतिक गुणिताओं पर बल देना नहीं है। यह आध्यात्मिक मूल्यों वी सार्वभौमिकता पर बल देता है जिन्हे विभिन्न तरीकों में प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान है। वास्तव में यह प्रजातात्त्विक मिद्दातों की धर्मों के सबध में भी लागू करना है। हम मानते हैं कि किसी भी धर्म को अधिमान्य सम्मान अथवा विशिष्ट प्रतिष्ठा नहीं दी जानी चाहिए कि राष्ट्रीय जीवन अथवा अतराष्ट्रीय सबधों में किसी धर्म को विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रजातत्र के मूलभूत मिद्दातों का उल्लंघन होगा तथा धर्म और सरकार दोनों के उल्लृष्ट हितों के विरुद्ध होगा।<sup>28</sup>

बी० दी० नूदरा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्यों की देणी में नहीं रखते हैं उनका मानना है कि 'वर्तमान परिस्थितियों में भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनाना न तो सम्भव है और न ही बाढ़नीय है। वास्तव में देखा जाये तो भारतीय व्यवस्था वी प्रतिबद्धता किसी परिचमी मिद्दात के प्रति नहीं है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष मिद्दातों वा भारतीय विशिष्टताओं के साथ सामजस्य स्थापित किया गया है। धर्मनिरपेक्षता ने सबधित सविधानिक उपबधि पर महात्मा गांधी वी गहरी छाप स्पष्ट है। हमारा सविधान भी 'सर्वधर्म अभाव' की जगह पर सर्वधर्म ममभाव' या दूसर शब्दों में 'सर्वधर्म समलग्नाव' को अपनाता है। धर्मों का मार्मिक पथ वी अवाधरूप में मानने और आचरण करने भी स्वतत्रता दी गयी है।

भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के सबध में विवार व्यक्त करत हुए दी० ई० मियर ने

कहा

"भारत उसी प्रकार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिस प्रकार उसे एक प्रजातंत्र यज्ञ कहा जाता है। भारतीय राजनीति एवं शासन में निहित विभिन्न अलोकतात्रिक लक्षणों के बाबूद देश में सम्प्रदीय जनतंत्र अपने सम्प्रकृ प्रभाव सहित कार्यरत है। उसी प्रकार धर्मनिरपेक्ष राज्य का आरद्ध समिधान में स्पष्ट वर्णित है और यह सार रूप में क्रियान्वित भी किया जा रहा है। एक गतिशील राज्य जिसे विरासत में जटिल समस्याएँ मिली हैं और जो उनके निराकरण के लिए उचित दिशा में दृढ़ता में भार्यरत है, उसी के उचित परिवेष्य में समस्या का समाधान होजना चाहिए।"<sup>29</sup>

## संदर्भ

1 धर्म वो स्वतंत्रता के अधिकार के मदर्भ में समिधान के अनुच्छेद 25 (2) (क) में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है यद्यपि यह प्रयोग मुस्लिमों के साथ नहीं किया गया है। उपर्युक्त में दिया गया है-

25 (2) इस अनुच्छेद की दोई बात विसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रबोचन पर प्रभाव नहीं होनेवाली या राज्य को कोई एकी विधि बनाने में विवारित नहीं करेगी जो— (क) धार्मिक व्याचरण से बदल विसी आधिक विशेष राजनीतिक या अन्य सेक्युरिटी विवाकासों का विनियमन या विवेदन करती है।

2 अनुच्छेद 5

3 अनुच्छेद 6 व 7 प्रकार हाथी नारीकला प्राप्त करने के विषयों का उल्लेख करते हैं।

4 अनुच्छेद 8

5 भारतीय नारीरक्ता अधिनियम 1955 वर्ष 7 4 5 और 6

6 ए० आई० आर० 1977 एस० मी० 908 पृ० 911 12

7 ए० आई० आर० 1962, एस० सी० 853 पी० के० चिपाठी ने सही बहा है कि इसमें सामाजिक मूल्य वी बड़ी सर्वोर्ज कल्पना की चपी है {स्पार्ट नाइट्स आन बर्स्टिड्यूगनन इटरप्रिटेशन पृ० 114-20}

8 ए० आई० आर० 1958, एस० मी० 731

9 ए० आई० आर० 1958 एस० मी० 255

10 ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 1119

11 आपूर्ण हिंदू धार्मिक विनायक महात्म बनाम लिला मठ के श्री लक्ष्मीन्द तीर्थ स्वामियर ए० आई० आर० 1954 एस० मी० 282, 290

12 उसी में पृ० 293

13 ए० आई० आर० 1958 एस० मी० 255

14 ए० आई० आर० 1958 एस० मी० 231

15 ए० आई० आर० 1961 एस० मी० 1407

- 16 ए० आई० आर० 1962, लम० सी० 853
- 17 ए० आई० आर० 1954 लम० सी० 282 291
- 18 अहमदाबाद मट जनित्र सामाइटी बनाम गुजरात राज्य ए० आई० आर० 1974 लम० सी० 1389
- 19 ए० आई० आर० 1958 लम० सी० 956 978
- 20 उमी न तृ० 982 83
- 21 रवरह मिधगांव भाई मन्डाई बनाम गुजरात राज्य ए० आई० आर० 1963, लम० सी० 540
- 22 रेवोड फलार इन्हू० फूलट बनाम बिहार राज्य ए० आई० आर० 1969 लम० सी० 465
- 23 ही० ए० बी० कलिङ्ग भट्टिया बनाम वडाव गाज्य ए० आई० आर० 1971 लम० सी० 1731
- 24 ही० ए० बी० कलित्र जनस्थर बनाम वडाव गाज्य ए० आई० आर० 1971 लम० सी० 1737 1746
- 25 ए० आई० आर० 1974 लम० सी० 1389 1461 1463 1464
- 26 ए० आई० आर० 1975 लम० सी० 1821 1824
- 27 रिहबरी आक फय लम्बन एह अनदिन 1956 तृ० 202
- 28 उमी य
- 29 मिय ही० इ० इश्तिया एन ए मस्तुकर मट्ट 1963

## स्वीय विधि—एक चक्रव्यूह

---

धर्मनिरपेक्षता के लिए आवश्यक है कि राज्य का विधान धर्म पर आधारित न हो। पश्चिम में विधि के धर्मनिरपेक्षीकरण के विकास की गति प्रायः एक समान नहीं रही है। धार्मिक और लौकिक नियमों में समय-न्यमय पर मध्यर्थ चलते रहे। चर्चा ने आरभ से ही अपनी विधिक व्यवस्था का विकास आरभ कर दिया था। विणप झगड़ों के निर्णयों का कार्य करता था किन्तु उसके पास आध्यात्मिक शक्तियों के अतिरिक्त निर्णयों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं थी। जैसा कि हमने पहले अध्याय में देखा है कि कॉन्स्टेटाइन के समय से ही चर्च की शक्तियों में वृद्धि होती गयी। धार्मिक विधि मध्यकाल में विकास की पराकार्षा पर पहुँच गयी। धार्मिक विधि के स्रोत ये धार्मिक ग्रथ, चर्च के फादरों की परपरा योग की आज्ञादिया चर्च की परियदों के बनाये नियम, धर्म संघ की परपराएँ तथा रोमन विधि, जर्मन विधि और सामती परपराओं जैसी धर्मनिरपेक्ष विधि। यद्यपि आरभ में चर्च का अधिकार लेत्र केवल गिरजे सबधी मामलों तक सीमित था, किन्तु धीरे-धीरे वह फौजदारी के मामलों में अराजीय लेत्राधिकार का विस्तार करने लगी जो पहले से राज्य के अधिकार लेत्र में हुआ करता था। बाहरी तथा तेरहवीं शताब्दी में गिरजे-मवधी न्यायालय काफी मात्रा में दीवानी लेत्राधिकार का प्रयोग करने लगे थे। ग्रादी-विवाह तथा तलाक भादि इसके लेत्राधिकार में थे। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष विधिक व्यवस्था के मध्य दीवानी लेत्राधिकार के लिए भव्य यूरोप के सभी देशों में चल रहे मध्यकालीन चर्च—राज्य विवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किन्तु पढ़हर्वीं शताब्दी के बाद ज्यो-ज्यो राज्यों वी शक्तियों में वृद्धि होती गयी त्यो-त्यो राज्य अपनी न्यायालय-न्यवस्था को भड़कूत करते थे तथा दीवानी लेत्राधिकार को बढ़ाते थे, हालांकि ग्रादी-व्याह के मामले में चर्च का वर्दम्ब बना रहा। पुनर्जीवरण के बाद कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों देशों में चर्च न्यायालयों के लेत्राधिकार को गिरजे मवधी अनुशासन तथा उससे सबधित अन्य मामलों तक ही सीमित रखने की सामान्य प्रवृत्ति रही है। हालांकि यह प्रवृत्ति हर जगह एक जैसी नहीं रही। इस प्रकार पश्चिम में धार्मिक और लौकिक क्रियाओं को आरभ से ही अलग करके देखा गया, धार्मिक क्रियाओं से सबध-

चर्च का या तथा लौकिक क्रियाओं से सबध राज्य का था। इसी प्रकार विधानों और स्नायातयों की दो व्यवस्थाएँ थीं—लौकिक और धार्मिक इसाई धर्म, हिंदू तथा इस्लाम धर्म की तरह से मानव जीवन की सपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करता है।

हिंदू और इस्लाम धर्म सर्वव्यापक रहे हैं। पारपरिक हिंदू और इस्लाम धर्म को, धर्म के साधारण अर्थ की सीमा में नहीं बाधा जा सकता है। वे लगभग सपूर्ण जीवन पद्धति ये, बास्तव में, मानव जीवन की प्रत्येक घटिविधि के व्यापक नियमों को वे निर्धारित करते हैं। वे केवल सामान्य सामाजिक सबधों को ही नहीं नियंत्रित करते हैं बल्कि दीवानी तथा फौजदारी के सपूर्ण क्षेत्र तक वे व्याप्त हैं। हिंदू अधबार मुसलमान राजा का कार्य कृमण हिंदू विधि अथवा मुस्लिम विधि को लागू करना होता था निर्भाण करना नहीं। क्योंकि वे विधिया धार्मिक प्रथों तथा अति प्राचीन परम्पराओं से सुरक्षित थीं। परिस्थितियों के अनुच्छेद आदे परिवर्तनों को विवेकमम्मत बनाने का कार्य टीकाकारों का होता था इसमें राज्य को प्रत्यक्षान कोई भूमिका नहीं होती थी।

पश्चिमी देशों का आधुनिकीकरण भारतीय उपमहाद्वीप में राष्ट्रबाद के विकास में काफी सहायक रहा। किन्तु इसके साध-साध उन्नीसवीं शताब्दी में धार्मिक तथा सारकृतिक पुनर्जागरण हुआ जो राष्ट्रबाद को सबलता प्रदान कर रहा था। धार्मिक भावना तथा राष्ट्र-राज्य की भावना, दोनों में विकास साध-साध चलता रहा हालांकि दोनों कुछ हद तक परस्पर-विरोधी थे। एक रुदिवादिता अधिविद्वास और मकोर्ण निष्ठा पर आधारित थी तो दूसरी धर्मनिरपेक्ष विवेकसम्मत मूल्यों पर आधारित थी। आजादी के बाद भी एक तरफ विवाह, तलाक दत्तक प्रहण सरक्षकता विरासत और उत्तराधिकार आदि मामलों के राज्य के हस्तक्षेप से पंराबद्दी की गयी दूसरी तरफ राष्ट्र-राज्य को शक्तिशाली बनाने, अत्यस्तक्ष को की समस्या को हल करने तथा आधुनिकीकरण लाने के लिए उदारवादों प्रजातत्र के माध्यम से धर्मनिरपेक्षीकरण को तरक्क कदम बढ़ाया गया। किन्तु आज भी एकसमान सिविल सहिता भारत में विधान के अनुच्छेद 44 को ही मुशोभित कर रही है। इस ममस्था को समझने के लिए भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है।

### अपेजी शासन से पूर्व की विधिक व्यवस्था

भारत में प्राचीनकाल में हिंदू विधि प्रचलित थी। यह विधि धर्म का अधिन अग मानी जाती थी। हिंदू विधि के मूल मिदात वेदों अथवा ईश्वरदिष्ट प्रथों से पाय जाते हैं। इन्हे 'श्रुति' बहा जाता है ऐसा विद्वास किया जाता है कि अति प्राचीनकालीन शृदियों तथा मुनियों ने (ईश्वरीय) गाइवत शब्दों वो मुना तथा आग की पीडियों वो भवाई के लिए लग्रेति किया। दूसरे महत्वपूर्ण धार्मिक प्रथों वो जो 'श्रुति' में भिन्न हैं मूर्ति बहा जाता है। 'मूर्ति' मूर्तों तथा मास्त्रों के मामूहिक रूप जो बहत है जिनक बारे में यह विद्वास किया जाता था कि इसका रहस्य रजविनाओं को प्रत्यक्ष कर में व्रतगत कराया गया था, इसलिए बाद के प्रथों में इनको पवित्रता अधिक मानी गयी। इसमें अवक-

धर्मशास्त्र अथवा विधि-ताहिनाएँ आनी हैं, जिनमें म मनु प्राचीनतम् हैं। जो अपने अतिम स्पष्ट में द्वितीय व्यवहार नृतीय शताब्दी में लिखा गया था। महाकाव्य तथा पुराण भी सूति के रूप में समझे जाते थे तथा उनमें वैधानिक ज्ञान अधिक था। आगे चलकर सूति साहित्य पर अनेक टिप्पणिया लिखी गयी। लारहवी शताब्दी के आरभ में विजातेश्वर न टिप्पणी निकी। याज्ञवल्क्य के नीति-पथ पर उसकी मिताक्षरा नामक टीका ने वर्तमान भारत के नागरिक विधान का निर्माण करने में अधिक महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया। दूसरे महत्त्वपूर्ण नीतिज्ञ हेमाद्रि (1300) तथा जीपूतचाहन (12वीं शताब्दी) ने वर्तमान भारत के विधान को अत्यधिक प्रभावित किया। उनके द्वाया भाग पर लिखे हुए लेख, 'धर्मरत्न' नामक महान् भक्तन के एक अश्र थे। पद्महवी शताब्दी में वाचस्पति मिथ ने विवाद चितामणि तथा व्यवहार चिनामणि नामक दो पुस्तक लिखी, जिनमें पहली विधि सारसंग्रह है तथा दूसरी प्रक्रिया महिता है। दोनों मनु याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, नारद, व्याघ्र आदि के छाती पर जाग्नारित हैं।

विधान का प्रमुख आधार धर्म था। धर्म जैसाकि हमन द्वितीय अध्याय में देखा है, अत्यधिक व्यापक वर्षों में प्रबुक्त होता था। वैधानिक माहित्य में इसकी मच्चरित्रा के दैतिक निर्दिष्ट विद्वान के रूप में व्याख्या की गयी है। जो शेषी नथा जाति के अनुमार विभिन्नता रखता है। धर्म के माथ-माथ ग्रंथों के अनुमार विधान के अन्य आधार समझीता प्रथा तथा राज्यादेश है। हालाकि आरभ में वे महत्त्वपूर्ण नहीं समझे जाते थे, किन्तु समयानुसार उत्तरोत्तर इनका महत्त्व बढ़ता गया। १० एवं १० ब्राह्मण का मानना है, 'सामान्य रूप से धर्म विधान के ममत्त अन्य आधारों में सर्वोपरि समझा जाता था, परतु 'अर्द्धशास्त्र' तथा एक अन्य नीतिशास्त्र का व्यय है कि राज्यादेश अन्य आदेशों की अपेक्षा अधिक मानकीय था। महविद्वात् भौतिकों के मर्वाधिकारवाद में अवश्य सबधित है तथा कुछ नीतिज्ञों ने इसका ममर्थन भी किया था।'<sup>१</sup> राजा का मुरला वर्तव्य प्रधानतः धर्म की रखा था तथा धर्मवद्वाक के रूप में वह धर्मावार भी कहा जाता था।

बहात तक प्राचीन वाल में न्याय व्यवस्था का प्रश्न है, प्राचीन धर्मसूत्रों से वह सिद्ध होता है कि छोटे-छोटे राज्यों में न्याय का भूत्य माध्यन स्वयं राजा तथा वास्तव में उसका अपना बलनाद होता था। परन्तु सामान्य रूप से न्याय-प्रबन्ध का अधिकार हस्तान्तरित कर दिया जाता था व्योकि राजा का दरबार प्रार्थनाओं तथा राज्यों के विरुद्ध घोर अपराधों को मुनाफे के लिए मुरक्कित था। राजा का मुख्य न्याय परामर्शदाता 'प्रादुविवेक' होता था तथा मध्यवालीन राज्यों के अतर्गत वही न्याय वा उत्तरदायी होता था तथा वह स्वयं ही न्यायाधीश के रूप में कार्य भी करता था। न्यायालयों की रचना में एकरूपता नहीं थी, सभी नथा स्थानानुसार विभिन्नता थी। किन्तु अनेक प्रमाण यह दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत एक न्यायाधीश की अपेक्षा उनकी मड़ली को अधिक महत्त्व प्रदान करता था तथा न्यायाधीशों के निए बहुत ऊंचे स्तर निर्धारित किये गये थे। ध्यान देने योग्य बात है कि राज्य न्यायानयों के माथ-माथ अन्य पचायते भी थी, जो जगहों का निर्णय दे सकती थी तथा छोटे-छोटे अपराधों का निपटारा करती थी।

सामान्य रूप से मूठे साक्षी वो अत्यधिक पृष्ठात्मक दृष्टि से देखा जाता था।

भयकर अपराध सबैधी अभियोगों में सभी भ्रोतों से साध्य स्वीकार किया जा सकता था परन्तु नागरिक विधान के अतर्गत केवल कुछ विशेष प्रकार के साथी ही मान्य थे। सामान्यतया स्त्रिया, योग्य ब्राह्मण, राजकीय कर्मचारी अल्पायु के व्यक्ति जहाँ दोषी व्यक्ति तथा अग्रीन व्यक्ति माल्य देने के लिए नहीं बुलाये जा सकते थे जबकि उच्च जाति के लोगों के विश्व निम्न जाति के लोगों की साध्य माननीय नहीं थी। साध्य वी सत्यता का मूल्याकान करने के लिए अनेक परीक्षण निर्धारित किये गये थे। हत्या के दड़ के लिए प्रारम्भिक सूत्रों में जुरमाने वा विधान है—एक सत्रिय की हत्या के लिए एक सहम गाये, एक वैश्य के लिए सौ गाये तथा शूद्र अथवा किसी भी थेणी की स्त्री वी हत्या के लिए दस गायों का जुरमाना निर्धारित किया गया था। ब्राह्मण की हत्या जुरमाने द्वारा माल्य नहीं थी। भारतीय (हिन्दू) समाज आदि काल से थेणियों तथा जातियों में विभक्त रहा है। स्मृतियों द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रणाली थेणी के अनुसार दड़ देती थी। अनुस्मृति के अनुसार यदि एक ब्राह्मण एक सत्रिय का अपयम फैलाये तो उसको 50 पण वा दड़ देना चाहिए, परन्तु एक वैश्य अथवा शूद्र का अपयम फैलाने पर केवल 25 और 12 पण का अपयम अर्थदड़ देने का विधान था। निम्न जाति के लोगों पर अपने से उच्चतर जाति के लोगों का अपयम फैलाने पर कही अधिक कठोर दड़ की व्यवस्था है। उनर वैदिककाल में ब्राह्मणों ने पूर्णत यह अधिकार प्रकट किया कि वे विधान से सर्वथा परे हैं। अधिकाश रुदिवादी भ्रोतों के अनुसार ब्राह्मण को फासी यत्रणा तथा गारीरिक दड़ से मुक्त कर दिया गया था। जो कठोर से कठोर दड़ उनको दिया जा सकता था वह उनकी चोटी सोलकर उन्हे अपमानित करने के साथ ही उनकी सपति का अपहरण तथा देश निष्कासन था। विनु कात्यायन की स्मृति तथा 'अर्धशास्त्र' कुछ परिस्थितियों में मृत्युदड़ को स्वीकार करते हैं। किन्तु ब्राह्मणों द्वारा चोरी किया जाना माल्य नहीं था क्योंकि उच्च थेणी के लोगों से निम्न थेणी वालों की अपेक्षा चरित्र के उच्चतर स्तरों के अनुसरण की आगा की जाती थी। यही कारण है कि मनु के अनुसार चोरी के दड़ स्वाहप शूद्र को चोरी की हुई वस्तुओं के आठ गुने मूल्य के बराबर अर्थदड़ देना पड़ता था, जबकि वैश्य, सत्रिय ब्राह्मण को इनमें मूल्य का 16, 32 और 64 गुना देना पड़ता था।

इस प्रकार हिन्दू विधि में दड़ का वर्णकरण अपराधों की थेणी के अनुसार विभिन्न अपराधों के लिए किया गया है तथा प्राचीन भारतवर्ष में नीति से सबको मानन वदापि नहीं स्वीकार किया गया था जो अधिकाश भारतीय विनारथारा के पूर्णत विपरीत था। बास्तव के अनुसार, "यदि 'भमता' वा अर्थ बराबरी है जिसना अधिकारियों के न्याय सबैधी कायीं में प्रयोग करने को आज्ञा अर्णोक ने दी थी तो यह एक वैचित्र्य है। यह सभव है कि इस गन्द वा अर्थ एकरूपता अथवा समक्ष मृदुता से अधिक न हो। इसकी सभावना नहीं है कि अर्णोक ने भी न्याय प्रबन्ध में ऐसा सबक परिवर्तन करने का साहम किया हो—एक ऐसा परिवर्तन जिसस वाई भी प्राचीन नीतिन, भारतीय अथवा अन्य सहमत हुआ हो।"

अरबों, तुकौं तथा अफगानों के आगमन के साथ भारत में एक बिलबुल नया धर्म इस्लाम आया। इस्लाम का पवित्र पथ कुरान है जिसमें मालाकार के लोगों में मुहम्मद

साहब को जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, वह सग्रहीत है। कुरान में अल्लाह की एकता, मनुष्य के कर्तव्य, अतिम निर्णय की अटलता, समाज, आचार और कानूनों का प्रतिवादन है। कुरान के ही कोटि के मुन्नत अथवा 'मुल्लाह' (अर्थात् जो कुछ पैगबर साहब ने कहा, किया या जिसकी उन्होंने अव्यक्त अनुमति दी थी) और 'हदीज' (अर्थात् पैगबर साहब की उक्तिया, उक्तियों या कार्यों का वर्णन अथवा अव्यक्त अनुमोदन) है। ये मुमलमानों द्वारा कुरान के अनुपूरक समझे जाते हैं। इस्लाम में धर्म और समाज का पूर्ण समन्वय है, परिवार, समाज राज्य, अर्थव्यवस्था, सम्बूद्धि, शिष्टाचार, धर्म और दर्शन मब एकमूल्य में बधे हुए, एकन्दूसरे के पूरक हैं। जहा तक मुस्लिम विधि का सबाल है, उसका वेच काफी व्यापक है तथा 'विधि ही धर्म है और धर्म ही विधि है' इसमें उपासना से लेकर सपत्ति के अधिकार तक सभी कुछ सम्मिलित है। मुस्लिम विधि ही मुस्लिम समुदाय को एकीकृत करने का प्रमुख तत्त्व है। प्रो० असफ ए० ए० फैजी ने मुस्लिम विधि के चार प्रमाणित खोत माना है—1 कुरान 2 मुल्ला 3 इजमा (विचारों के मतौक्य) और (4) क्यास (सादृश्यमूलक निगमन), अर्थात् विवेक और दतील में कुछ निश्चित नियमों की सहायता से काम लेना जबकि कुरान और मुल्ला का सबध अतीत में है तथा क्यास और इजमा भविष्य से सबधित हैं।<sup>3</sup>

मुस्लिम विधि मुख्य रूप से दो जातियों में बटी हुई है—मुल्ली सप्रदाय और गिया सप्रदाय। मुल्ली विचारधारा पुन चार उपशाखाओं में विभक्त है। ये हैं—1 हनफी, 2 मलिकी, 3 शाफ़ेई और 4 हनबली विचारधारा। ये उन प्रसिद्ध विधि जातियों के नाम से पुकारी जाती हैं जो इन विचारधाराओं के प्रबर्तक थे। गिया सप्रदाय भी अनेक विचारधाराओं में विभक्त है। हालाकि अधिकाश मुल्ली मुमलमान हनफी विचारधारा को मानते हैं किन्तु एक विचारधारा के माननेवालों द्वारा दूसरी विचारधारा के किन्हीं सिद्धातों को मानने और व्यवहार में लाने में कोई रुकावट नहीं है। इस प्रकार मुस्लिम विधि बिलकुल अनुदार नहीं है। किंतु धार्मिक कटृता ने धार्मिक उदारता को धीरे-धीरे दबा दिया तथा पिछले एक हजार वर्षों से मुस्लिम विधि के दो खोत, मतौक्य तथा सादृश्यमूलक निगमन (इजमा और क्यास) का प्रचलन बिलकुल बढ़ हो गया है। साथ ही साथ कुरान और मुल्ला को भी सुनुचित व्याख्या की जाने सगों।

भारत में सल्तनत काल में 'उलेमा' एक ऐसी राजनीति की शक्ति बन गये थे जिनकी उपेक्षा महीं की जा सकती थी। इस काल में इस्लाम के मूल कानूनों, 'शरीअत', का 'उलेमा' की व्याख्या के अनुमार पालन होता था। मुलतान, मुख्य झाज़ी जिसका परामर्शदाता होता था, मर्वोन्ज म्यायाधीश होता था और मूल्युद्द बदबू ममस्त मामले मुलतान के समझ पैम किये जाते थे। नया कानून प्रारभ में दरबार में और ऐसे नगरों में लागू किया गया जहा पर्याप्त मुस्लिम प्रजा रहती थी। प्रामो में पुराना कानून चलता रहा। गैर मुस्लिमों को अपनी निजी कानूनी मस्याए रखने की स्वतंत्रता थी, जिसके फलस्वरूप अनेक जटिलताए उत्पन्न हो जाती थी। अत में यह निर्णय हुआ कि यदि ऐसा करने से राज्य पर कोई विपत्ति नहीं आती तो गैर मुस्लिम महिला का प्रयोग गैर मुस्लिमों के लिए किया जा सकता है। इस महिला ही व्याख्या अस्पष्ट रूपी गयी और इसीलिए

निर्णय कानून के बजाय कार्य साधकता के आधार पर लिये जाते थे।<sup>4</sup>

मुगलों के शासनकाल में फौजदारी के मामलों में मुस्लिम विधि को लागू किया गया जिसे निजामत अदालत लागू करती थी। यह विधि मुस्लिमों और काफिरों में भेदभाव करती थी। जानबूझकर हत्या किये जाने के मामले में विसास अथवा बदले का रिदात लागू होता था तथा हत्या किये गये व्यक्ति के सगे-सबधी के हत्यारे की मृत्यु की मांग करने का अधिकार मिला हुआ था। अगर सबधी मृत्यु की मांग नहीं करता था तो मृत्युदण्ड के लिए राज्य द्वारा आप्रह नहीं किया जा सकता था तथा 'दिया' रक्त धन सीधे मृत व्यक्ति के परिवार को दे दिया जाता था। हत्या के आरोप को मिल करने के लिए दो पुरुष साक्षी आवश्यक होते थे जिन्होंने आसों में देखा हो किन्तु यदि प्रतिवादी मुसलमान होता था, तो गैर मुस्लिमों का परिसाक्ष्य अपैध होता था, चोरी के लिए दण या—हाथों को काट दिया जाना। दीवानी के मामलों में मुसलमानों के सबध में मुस्लिम विधि तथा हिंदुओं के सबध में हिंदू विधि, न्यायालयों के साथ जुड़े हुए मौलियियों और पडितों के विचार के अनुसार लागू किया जाता था।

इस प्रकार भारत में कपनी का शासन स्थापित होने से पूर्व तक भारत में ऐसी परिस्थितिया नहीं थी जो विधानों के धर्मनिरपेक्षीकरण में सहायक हो। देश राजनीतिक रूप से एकीकृत नहीं था। सभी प्रकार के विधान धर्म से जुड़े हुए थे, साथ ही दो विभिन्न प्रकार के धार्मिक विधान लागू थे। दोनों जीवन की छोटी से छोटी बातों को पूर्णता नियंत्रित करते थे। यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष विधान के एक प्रमुख स्रोत परपराओं को भी धर्म द्वारा आत्ममान् कर लिया जाता था।<sup>5</sup>

### ब्रिटिश काल की आरभिक विधान व्यवस्था

भारत में औरंगजेब के महान मुगल व्यक्तित्व के अवसान के माध्यमां ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर जमते गये। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले भी वर्षों (1661 से 1765 तक) में न्यायिक शक्तियों के प्रयोग के तहत न्यायालयों ने इमैंड के विधान को केवल छोटे-छोटे मद्रास, बांदे और कलकत्ता के उपनिवेशों में लागू किया, वह भी अधिकांशत बैलूल यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा के सबध में। गन् 1765 में दिल्ली के मुगल मग्राद से कपनी को बगाल, बिहार और उडीसा के सबध में शासन शक्ति के माध्यम दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गये तथा बाद भी निजामत के अधिकार भी कपनी को मिल गये। मुगल शासन के दीरान दीवान मिलिन विधान को लागू करता था तथा लोनव्यवस्था बनाये रखने और फौजदारी के विधानों को लागू करवाने का काम निजाम करता था। आरम्भ में कपनी ने दीवानी और निजामत दोनों को पुराने भारतीय ढांचे के ही हाथों में रखने दिया तथा ऊपर में नियंत्रण और नियोजन करती रही, किन्तु बाद में यह कार्य कपनी के अधिकारी करने लग।

दोरेन हॉस्टम्यून ने 1772 में एक न्याय-योजना बनायी, जिसके अनुमार दिल को न्याय और दूसरे बायों के लिए शासन की इकाई बनाया। हर दिन में एक दीवानी और

दृढ़ न्यायालय की व्यवस्था की। दीवानी अदालत को अध्यक्षता जिले का कलेक्टर करता था और उसकी मदद के लिए भारतीय अधिकारी होते थे। फौजदारी अदालतों के अध्यक्ष भारतीय अधिकारी ही होते थे और उसकी मदद के लिए एक मुफ्ती और दो मौलवी हुआ करते थे। ब्रिटिश अधिकारियों के पास निरीक्षण का अधिकारी था। जिला दीवानी अदालत में होने वाली अपीलों के लिए कलकत्ता में ही एक सदर दीवानी अदालत तथा जिला फौजदारी अदालतों की अपीलों के लिए भी कलकत्ता में ही एक सदर निजामत अदालत स्थापित नी गयी। ये दोनों अदालतें दीवानी और फौजदारी मामलों की उच्च अदालतें थीं। सदर दीवानी अदालत की अध्यक्षता गवर्नर और सदर निजामत अदालत की अध्यक्षता दरोगा-ए-अदालत करता था और उसकी सहायता के लिए एक मुख्य कार्यी, भूम्य मुफ्ती और तीन मौलवी होते थे। गवर्नर और उसकी परिषद् सदर निजामत अदालत के कार्यों की देस-रेख करते थे। हेस्टिंग्स ने देशी न्याय-व्यवस्था और तिसित अध्यवा अधिनियम न्याय-नियमों को जिनके कि गर्वसाधारण अभ्यस्त यथोचित परिवर्तनों के माध्यम स्थापित करने के लिए भी 1773 में एक अधिनियम पारित करके महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यहले प्रेसीडेंसिया अलग ब स्वतंत्र थी। 1773 के अधिनियम द्वारा बगाल प्रेसीडेंसी को बबई और भद्रास की प्रेसीडेंसियों का संप्रभु बना दिया गया तथा बगाल के गवर्नर को तीनों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक चार्टर द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गयी। यहा भारत में कपनी के अधीन खेत्रों का सर्वोच्च न्यायालय था। इसे दीवानी फौजदारी, जल सेना व धार्मिक मामलों में विस्तृत अधिकार थे, यह अभिलेख न्यायालय भी था। किन्तु इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय प्रजासत्त्व में किम विधि (ट्रिटिश हिंदू या मुस्लिम विधि) का प्रयोग करेगा। हालांकि इसे 1781 के अधिनियम द्वारा स्पष्ट किया गया। अधिनियम ने स्पष्ट नियम बनाये कि जमीन, लगान या सपत्ति के उत्तराधिकारी का अध्यवा जिसी ममझाते का निर्णय, यदि दोनों पक्ष मुसलमान हैं तो मुसलमानी विधि और परपरा से होगा, यदि एक मुसलमान और दूसरा हिंदू है तो प्रतिवादी के धर्मगत कानून से होगा। दूसरे शब्दों में विदेशी कानून के स्थान पर प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून के अनुमार निर्णय करने का नियम बनाया गया। साथ ही यह बात स्पष्ट कर दी गयी कि न्यायालय को भारतीय धर्म, रीति रिवाज, परपराओं सामाजिक नियमों में जिनमें पिता और गृहपति का अधिकार भी सम्मिलित है साथ ही जाति के नियमों का (चाहे ये सब बातें अशेषी न्याय के अनुसार असंगत और अपराधपूर्ण ही क्यों न हो) आदर भी करना चाहिए। माय ही आज्ञाप्ति और विधि को कार्यान्वित करने में देश के निवासियों को धार्मिक और सामाजिक परपराओं का आदर करने का आदेश दिया गया। ऐसे तो मामलों का निपटारा हिंदूओं और मुसलमानों को स्वीय विधि के अनुसार होना था, किन्तु कोई मामला ऐसा हो जो इन विधानों से बाहर हो तो ऐसे मामलों में न्यायाधीश न्याय साम्या और भले अत करण' के मिदात का प्रयोग कर सकता था।

फौजदारी अदालतों में काढ़ी व्यवस्था तब तक चलती रही, जब सन् 1790 में

कपनी ने फौजदारी क्षेत्राधिकार मीथे अपने पास ले लिया। मुस्लिम विधि इस सबधू में हिंदुओं और मुसलमानों पर बगाल और मडास में लागू होती रही। बदई का मामला भिन्न था। क्योंकि पश्चिमी भारत का अधिकाश भाग मुख्यतः के अधीन न होने के बारण दीवानी और फौजदारी विधि मवधित व्यक्ति, हिंदू या मुसलमान के धर्म पर निर्भर नहरता था। इस प्रकार बदई में 1827 में ममान फौजदारी सहित पार्श्व किये जाने तक फौजदारी विधि स्वीय विधि थी। हालांकि ड्रिटिंग अधिकारी न्यायाधीश हो गये बिना अधिकृत भाष्यकार के रूप में काढ़ी नोग न्यायालय की संवा करते रहे। बन भ 1832 के विनियम 6 के द्वारा सभी लोगों पर लागू होनवाले एक मामान्य विधि व्यवस्था के रूप में मुस्लिम फौजदारी विधि का अत कर दिया गया।

हेस्टिंग्स ने यह देखा कि न्यायाधीशों के पास सस्तृत फारमी और अरबी ग्रंथों का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण वे भारतीय अधिकारियों पर अत्यधिक निर्भर रहते थे। माथ ही भारतीय विधि अधिकारियों के भाष्ट होने अथवा घूसन्वोर होने की सभावना बनी रहनी थी। उसने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए इन बानूनों को एक सहिता के रूप में नैयार करने की आवश्यकता महसूस की। हेस्टिंग्स ने सस्तृत के पटितों की सहायता नी। 1775 में प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर दम विद्वानों ने सस्तृत में हिंदू विधि की एक सहिता नैयार की जिमका फारमी तथा अपेजी में अनुवाद किया गया। अरबी के हिंदाया का अपेजी में अनुवाद किया गया तथा बाद भी यह सिलमिला चलता रहा। इस दिशा में भर विनियम जान्म ने उन्नेशनीय कार्य किया।

हेस्टिंग्स न्याय-योजना निश्चय ही भारत के सबैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। बाद में उसमें योड़ा-बहुत परिवर्तन होता रहा बिना उसका मूल स्वरूप बढ़ी बना रहा। यहा तक कि यह योजना आज भी अपना प्रभाव बनाये हुए है। इन प्रकार भारतीय प्रता धार्मिक मामलों को नेकर विमुक्त न हो जाये इस दर से ड्रिटिंग अधिकारी द्वितीय और मुस्लिम विधि नो कानून बनावर सम्मोहित करने के अनिव्युक्त रह। बिना उन्होने एक सबसे बड़ा झातिकारी कदम यह उठाया कि कानून के सभै सब बगावर हैं के सिद्धान्त को अपनाया जिमने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में समान नागरिकता को स्थापना के लिए मजबूत आधार तैयार किया। दूसरा महत्वपूर्ण कदम निर्णीतानुसरण के सिद्धान्त को लागू करना था, जिसके कारण जो विधान पहने धार्मिक ग्रंथों में निहित था वह अब इन अदानतों के निर्णयक विधि में नियन्त हो गया। इसमें धीरे धीरे पटितों और मौतवियों की महत्ता इस मद्देह में बहुत लगी तथा न्यायालय मामलों की मुनवाई में, यहा तक कि धर्मनिरपेक्षों का उद्दरण दिय जाने पर भी निर्णयक विधि स हटने के अनिव्युत रहे। इस प्रकार न्यायालयों ने धार्मिक ग्रंथों का स्थान निर्णयक विधि को दकर पर्मनिरपेक्षीकरण को प्रक्रिया का बन प्रदान किया।

## ब्रिटिश शासनकाल में सहिताकरण और विधायन

उन्नोसवी गताब्दी में इमैड तथा उसके उपनिवेशों पर सबसे अधिक प्रभाव प्रसिद्ध विधि विचारक वेन्यम के विचारों का पड़ा। उसके विचारों ने भारत की विधान व्यवस्था में क्राति ला दी। उसके अनुसार नैतिकता और कानून का मूलभूत उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम गुण होना चाहिए। उसने विधिक प्रत्याख्यात के सिद्धात का समर्थन किया तथा प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक समझौते के सभी तरह के विचारों का विरोध किया। उसका कहना था कि कानून निश्चित और इमैड लिखित होने चाहिए तथा वे लागू किये जाने के योग्य होने चाहिए। इस आधार पर उसने विधि और न्यायिक प्रक्रिया के मध्य में एक उदार सुधारवादी सिद्धात तैयार किया तथा भारत वेन्यम के सहिताकरण के सिद्धातों का परीक्षण स्थल बना। भारत में जो विधान व्यवस्था इस समय तक लागू थी वह काफी भ्रमपूर्ण थी। गाव जिला और प्रदेश स्तर पर न्यायालयों में भिन्न-भिन्न विधानों को प्रयोग में लाया जा रहा था। सिविल विधि के जनेक मामलों में हिन्दू और मुसलमान अपनी-अपनी विधियों के अनुसार जामिल थे। किन्तु अन्य लोगों के ज्ञासन के लिए दूसरी तरह की विधि प्रयोग में लायी जा रही थी। पौज्दारी विधि हिंदुओं और मुसलमानों के सबध में प्रयोग में लायी जा रही थी, जो समय के हिसाब से पुरानी पड़ गयी थी। इसलिए भारत के लिए विधि सहिता की आवश्यकता महसूस की गयी।

1833 का अधिनियम भारत के सर्वेधानिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। इसके द्वारा प्रशासन विभेदनया विधायन कर देंटीकरण किया गया। अन्य प्रेमीदेवियों पर सत्ता होने के बावजूद 1833 के अधिनियम तथा गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल और बगाल कहा जाता था। अब उसका पदनाम गवर्नर जनरल और इंडिया कर दिया गया तथा उसे ज्यादा अधिकार दिये गये। 1833 के अधिनियम द्वारा विभिन्न प्रकार के कानूनी—ब्रिटिश सम्पद के कानून, विभिन्न चार्टर-एक्ट गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् द्वारा पास किये गये नियम यद्योच्च न्यायालय द्वारा दिये गये भादेश और प्रेमीदेवी सरकारों के आदेश—को भर्त्य कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् को सारे देश के सभी स्थानों और सभी उद्योगों तथा व्यक्तियों के लिए हर विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। हालांकि ब्रिटिश शासन को अधिकारों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी और न ही सम्पद के अधिकारों के अतिरिक्त का अधिकार था। इस प्रकार भारतीय प्रशासन को एक दृढ़ केंद्रीय प्रणाली का रूप दे दिया गया। गवर्नर जनरल को कार्यवारी परिषद् में एक कानून सदस्य वो ज्ञामिल करने की व्यवस्था की गयी।

उस समय के उदार भानवीय भावनाओं के अनुकूल इस अधिनियम को स्पष्ट और निश्चित भाषा में व्यक्त किया गया कि भविधि में किसी पद के लिए योग्यता की ही कमीटी होगी। यह नियम बनाया जाता है कि उपरोक्त क्षेत्रों का कोई भी निवासी के बल अपने धर्म, जन्म स्थान वज्र रग या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होना या उसी में नौकरी पाने में वर्जित नहीं किया जायगा। अनिश्चितता

समाप्त करने के लिए सपरिपद् गवर्नर जनरल को इंडियन लॉ कमीशन बनाने का निर्देश दिया गया। इस आयोग बो स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासन के लिए सामान्य विधान बनाना था। इसे उक्त प्रदेश की वर्तमान न्याय और गुनिम व्यवस्था उसके क्षेत्राधिकार, नियम और उनकी कार्य पद्धति, लिखित अधिकार प्रचलित दीवानी और कौजदारी विधान की जाच करके सपरिपद् गवर्नर-जनरल को रिपोर्ट करना था। पहले विधि आयोग का अध्यक्ष लाई मैकाले को बनाया गया। अधिनियम के सपरिपद् गवर्नर-जनरल को भारत में गुलामों की दशा मुद्दारने और भारत में गुलामी प्रथा नियमात्मक करने के लिए उपयुक्त कार्टवाई करने का निर्देश दिया।

मैकाले के नेतृत्व में विधि आयोग ने इंग्लिश दड विधि के आधार पर दड महिता तैयार की तथा 1837 में मरकार को पेश की। किन्तु काफी समय तक अधर में लटकी रही। सन् 1860 में स्वीकृत होने पर सागू की गयी। इस आयोग ने दीवानी और कौजदारी पद्धति की सहित और के लिए भी आधार तैयार किया। मैकाले ने कहा कि उनका अधिग्रहण यह नहीं है कि भारत के राखी नोगो को एक कानून के अधीन रहना चाहिए। इसके विपरीत यह उद्देश्य इतना बाल्यनीय है कि हम जानते हैं कि यह प्राप्त किया नहीं जा सकता हमारा मिद्दत साधारणत यह होना चाहिए कि जहां सभव हो एक समानता लायी जाये किन्तु हर दशा में निश्चितता परम आवश्यक है। इस प्रकार विधियों की अनिवार्यता को समाप्त करने तथा एक समानता लाने के लिए हर सभव कदम उठाये गये।

सन् 1850 में जाति नियोग्यता निवारण अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के पारित होने से पहले हिंदू और मुस्लिम, दोनों विधियों के अनुमार यदि कोई हिंदू अथवा मुमलमान अपना धर्म छोड़ देता था अथवा जाति में अपदस्थ कर दिया जाता था तो परिणामत वह अपने अधिकार और सपत्ति से बचत हो जाता था। हिंदू विधि के अनुमार उनेक मामलों में सपत्ति का उत्तराधिकारी वही पुत्र अथवा निकट मबधी हो सकता था जो मृत्यु के उपरात दाह-सम्बार करता था जबकि यह कार्य एक हिंदू ही कर सकता था। किन्तु धर्म-न्यरिवर्तन के बाद वह उत्तराधिकार के अधोप्य हो जाता था। इस अधिनियम के बाद यह नियोग्यता दूर कर दी गयी। भारतीय दड प्रशिया महिता 1861, 1882 और 1888 ने अपराधों के सबध में लागू होने वाली हिंदू और मुस्लिम विधियों को निरस्त बर दिया। भारतीय दड महिता 1860 ने धर्म के नाम पर किये जाने वाले अमानवीय व्यवहारों को दण्डनीय बना दिया। इनमें में सनी प्रथा एक थी। महिना ने मती प्रथा को एक प्रकार की आत्महत्या पोषित किया तथा इसके लिए एक वर्ष का बारावाम तथा जुमनि के दड वी व्यवस्था बनी। मती हानि में महायता बरन वाले अथवा उक्ताने वालों बो आत्महत्या के अपराध-महारागी के रूप में दड वी व्यवस्था की। चोरी के लिए हाथ काटने, ऐनिक अपराधों के लिए पत्थर में मारने और दासता मबधी मुस्लिम इधि बो अवैधानिक पोषित बर दिया गया। ठांगी को आजीबन कारावास और जुमनि के द्वारा दण्डनीय बना दिया गया। भारतीय मविदा अधिनियम में आगे वाले मामलों में हिंदू और मुस्लिम विधि के अधिकार को बचित कर दिया। सन्

1882 में सप्तति अतरण अधिनियम ने सप्तति के अतरण के मामले में केवल कुछ मामलों को छोड़कर हिन्दू विधि का स्थान से लिया।

### स्वीय विधि के विषय में विधि-निर्माण

स्वीय विधि में भी मवधित अनेक अधिनियम बनाये गये। स्त्रियों के प्रति प्राचीन भारतीय शब्दकारों का दृष्टिकोण अजीब रहा है। वह एक तरफ देवी, सेविका तथा पवित्र आत्मा मानी गयी तो दूसरी तरफ दुराचारिणी समझी जाती थी। उसे समाज में सम्मान दिया जाता था।<sup>6</sup> इनु भनु के अनुमार स्त्रियों को आजीवन पराधीन रहना था—बचपन में पिता विवाह के बाद पति और वैधव्य प्राप्त हो जाने पर पुत्रों के—हर स्थिति में स्त्री के लिए पति पूज्य था वह चाहे जैसा भी हो यहा तक विधवा हो जाने पर भी अपने स्वर्गीय पति के प्रति निष्ठावान बने रहना था। पति का अपनी पत्नी की गतिविधि पर लगभग असीमित अधिकार थे।<sup>7</sup> जबकि पुरुष पत्नी के मृत हो जाने पर अपना दूसरा विवाह रचा सकता था। विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। उत्तराधिकार पुत्र की मिलता था पुत्र न होने की स्थिति में भानजे का अधिकार दाह सम्भार तथा उत्तराधिकार का होता था। स्त्री उत्तराधिकारिणी नहीं हो सकती थी। केवल कुछ विवाहधाराओं ने पुत्रों को अनुपस्थिति में विधवा को उत्तराधिकार प्राप्त करने की अनुमति दी है।

उच्च जाति की स्त्रियों की अपेक्षा निम्न जाति की स्त्रियों को ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसका बारण था कि उच्च जाति की स्त्रियों को हालांकि विवाह के ममम समुराल वालों की तरफ से शुल्क मिलता था नेविन आर्थिक मामलों में उन्हें पुरुष के काफ़र निर्भर रहना पड़ता था जबकि निचली जाति की स्त्रियों जीविकोपार्जन में पुरुषों के साथ बराबर हिस्सेदारी निभाती थी।<sup>8</sup> इसलिए जहा उच्च जाति की स्त्री विवाह-विच्छेद नहीं कर सकती थी, वही अनेक निम्न जातियों में परपरानुमार विवाह-विच्छेद प्रचलित था। आर्ण चलकर उच्च जाति की औरतों से पर्दा प्रथा बल पकड़ती गयी, परिणामत अनपढ़, गबार और अधिविश्वामी होना उनके लिए स्वाभाविक हो गया।

हिन्दू समाज में व्याप्त कुप्रथाओं और कुरीतियों से न केवल अधिकाश प्रचुर भारतीय मानन उड़ेलित था बल्कि अनेक अद्येत्र अधिकारियों की आत्मा झबझीर उठी थी। 19वीं शताब्दी के आरभ में भारतीय समाज मुधारबों ने इसके लिए जनसत तैयार किया तथा सरकार ने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अनेक कानूनी उपाय किये। हानाकि कटूरपथी हिन्दुओं ने मूल विरोध किया। बगल, 1802 में सरकार ने कानून बनाकर गगा और समुद्र के खगम पर अच्छों को पानी में फेके जाने की प्रथा दो ममाल लिया। भारतीय समाज मुधारबों तथा दायानु मानवनावादी तथा दृढ़ साहसी प्रथाओं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को ‘गौर कानूनी और अपराध बदालतों द्वारा सजा योग्य’ घोषित किया गया। विधवा औरतों को मौत के मृत से तो बचा लिया गया था। इनु

उनका भाग्य और भविष्य तब तक अद्यकारमय या जब तक कानून इन विधवाओं के विवाह और बाद में उनके कानूनी दर्जे के लिए उनकी सहायता करने नहीं आता। इसनिए 1856 में एक अधिनियम पारित करके विधवा विवाह को कानून सभव बना दिया गया और विवाहित विधवाओं के बच्चों को वैध बच्चों का दर्जा दे दिया गया। 1856 तक मरिया बलि प्रथा तथा कुछ प्रातों में शिशु बच्चियों को भार ढानने की प्रथा के विरुद्ध उपाय किये जा चुके थे। बहु-विवाह तथा बाल-विवाह को भी ममाल करने के प्रयाम चलते रहे जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का शामन समाप्त होने के साथ ही भारतीय जनता के सामाजिक मामलों में दखल देने की सरकार की नीति में भी परिवर्तन आया।

विणेय विवाह, अधिनियम 1872 के द्वारा प्रत्येक भारतीय के लिए जाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, यह सभव बना दिया गया कि किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति के साथ वैध विवाह कर से, यदि विवाह के दोनों पक्षों ने अपने विवाह के कारनामों की इस घोषणा के साथ लेखदृश्य पानी रजिस्ट्री करवा ली हो कि वे किसी धर्म को नहीं मानते थे। इसमें धर्म त्वाग्ने के सबध में कई कठिनाइया उत्पन्न हो गही थी जिस कारण से समाज मुधारकों ने विवाह-कानून को उदार बनाने के लिए प्रयास जारी रखा किंतु कट्टरपथों हिन्दुओं वा विरोध चलता रहा। 1923 में जाकर विणेय विवाह संघोधन अधिनियम' पारित किया गया किंतु वह आरभिक समाज मुधारकों की इच्छा के अनुकूल नहीं था। यह केवल हिन्दुओं पर ही लागू हुआ जिनमें जैन, सिंह तथा ब्राह्मण सम्प्रतित थे। अनेक अन्य अधिनियम भी हिन्दू विधि की अनिस्तिहता को दूर करने के लिए पारित किये गये। जैसे हिन्दू विल्म ऐक्ट, 1870, भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 (जिसके द्वारा वयस्कता के लिए 18 वर्ष की उम्र निर्धारित कर दी गयी।) हिन्दू विरामत (निर्योग्यता निराकरण) अधिनियम 1928, हिन्दू विद्याधन अधिनियम 1930 आदि।

बच्चों की शादियों पर अकुश लगाने के उद्देश्य से बाल-विवाह अवरोध अधिनियम 1929 पारित किया गया, जिसके लिए काफी समय से जनमत बन रहा था। इसमें व्यवस्था की गयी कि 'कोई भी विवाह जिसमें कोई बच्चा हो यानी 18 साल से कम उम्र का लड़वा या 15 मास में कम वायु की लड़कों हो, नहीं हो सकता'। बाल-विवाह करवाने पर 3 मास कारावास और जुषनि के सजा की व्यवस्था की गयी। इस कानून ने बाल विवाह प्रथा पर कुछ अकुश अवश्य लगाया किंतु समाप्त नहीं कर सका। स्थियों को कुछ निश्चित परिस्थितियों में आर्यिक दर्जा प्रदान कराने के उद्देश्य से 1937 में हिन्दू भगिता संघति अधिकार कानून 18 पारित किया गया; इस प्रकार अनेक वैधानिक मुधारों से समाज को तमाम कुरीतियों को काफी हद तक कम किया जा सका—जैसे अधिमान या मुरीदी, अधिविवास या अज्ञानता से उपजी प्रथा बाल-बघ पर रोक लगायी गयी, नरबनि, आत्मदाह, बच्चों वालि, जारीरिक यातनाएं, मरीर के रक्काकच भेट करने जैसी आदि कुरीतियों को ममाप्त किया गया, बहु विवाह प्रथा पर रोक लगी, बाल-विवाह प्रथा कम्बोर हुई।

इस्लाम में भी रची से आज्ञाकारी होने की अपेक्षा की जाती है। पुरुष स्त्री की देम-रेस्ट करने वाला माना जाता रहा है। यह बहु-विवाह को स्वीकार करता है। एक मुसलमान को चार पत्निया रखने का विधान है बगते कि वह उनके साथ न्याय कर सके। अगर पत्नियों के साथ न्याय करने में असमर्थ है अर्थात् सभी के साथ समान बर्ताव करने में (जो असमर्थ है) समर्थ नहीं है तो उसे एक ही पत्नी रखनी चाहिए। इस प्रकार कुरान एक से ज्यादा पत्निया रखना असमर्थ बना देता है। इसके बावजूद कुछ लोग एक से ज्यादा पत्निया रखते रहे हैं। मध्यकाल में उसेमाओं ने यह फैमला दिया था कि एक आदमी निकाह के द्वारा चार तथा 'मुताह' के द्वारा किसी भी सम्या में विवाह कर सकता है। किंतु इसी तरफ स्थियों को इसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी गयी है।

तलाक भी भी शर्तें पुरुष और स्त्री के लिए एक समान नहीं हैं। पुरुष किन आधारों पर तलाक दे सकता है इसका कुरान में वर्णन नहीं किया गया है परिणामतः यह पूर्णतः पुरुष की स्वेच्छाचारिता और इक पर निर्भर करता है। हालांकि कुरान में पुरुष के पत्नी और बच्चों के प्रति आर्थिक उत्तरदायित्व की विस्तार से चर्चा की गयी है। पुरुष को सलाह दी गयी है कि पत्नी को जो देय है उसे अवश्य दे, जैसे— मेहर का पूरा भाग दिया जाना आवश्यक है चाहे जितनी भी अधिक क्यों न हो। लेकिन स्त्री द्वारा तलाक का वर्णन कुरान में नहीं किया गया है।

पुरुष तलाक में पहले और तलाक के तुरत बाद पुन विवाह कर सकता है (चार पत्नियों की सीमा निर्धारित है) किंतु स्त्री को कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। कुरान के अनुमार स्त्री तलाक के बाद इदूर तक अर्थात् नीन मर्हीने (नीन मासिक धर्म) तक स्पष्ट को अलग रखकर इतनार करेगी तथा उसमें अपने गर्भ को, यदि है तो छिपाने की अपेक्षा नहीं की जाती। अर्थात् कानूनन यह निर्धारित करना आवश्यक है कि कहों पहले से वह गर्भवती तो नहीं है। अगर तलाक शुदा पति-पत्नी पुन विवाह करना चाहते हैं तो स्त्री को पहले किसी और पुरुष के माध्यम विवाह करके उसमें तलाक नेना पड़ेगा। तत्पश्चात् ही वह पहले पुरुष में विवाह कर सकती है।

कुरान स्थियों को उत्तराधिकार में वैधानिक हिस्सा प्रदान करता है। किंतु नड़की को भिलने वाला हिस्सा लड़के से कम होता है। मामान्यत सदृगों पर आधारित जोबन विताने में कुरान पुरुष और स्त्री में कोई विभेद नहीं करता है किंतु धीरे-धीरे अनेक देशों में यह प्रथा विकसित हो गयी है कि स्त्रिया मस्तिष्ठ में नमाज पढ़ने नहीं जाती है तथा स्वतंत्रता के बल पुरुषों तक ही सीमित हो गयी है। हालांकि मूर्खियों के सबध में यह बात लागू नहीं होती है।<sup>9</sup> मुस्लिम देशों में महिलाओं को पूर्घट में रहना अनिवार्य ममझा जाता था। भारत में तो मध्यकाल में इस बात पर अत्यधिक जोर ढाला गया। पर्दा त्याग देने पर मुसलमान महिलाओं को भयकर परिणाम भुगतने पड़ जाते थे। कानून के गवर्नर अधीर ला ने अपनी दीवी को केवल इसलिए छोड़ दिया था कि हाथी के पागल हो जाने पर जान बचाने के लिए नीचे कूदते ममय वह देपर्दा हो गयी थी। मुसलमानों में भी बाल-विवाह भी प्रथा प्रचलित हो गयी थी। राट कबीले के कुछ मुसलमानों में भी बाल-बघ की प्रथा प्रचलित थी। मुस्लिम विधि के गब्ब में विधि-निर्माण भी किया

बिलकुल सीमित रही। क्यादातर विधान बटूरबादी मिहातो को मुझारने के बजाय पुराने नियमों को युनस्वार्थित करने के लिए बनाये गये। मुसलमान वक्फ विधिमान्यीकरण अधिनियम 1913 प्रीवी कौमिन के एक निर्णय के प्रभावों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था, जिसे मुसलमानों ने अपनी धार्मिक विधि का अतिक्रमण माना था। मुस्लिम स्वीय विधि (शरीअत) अधिनियम, 1937 मुसलमानों द्वारा इस माम को पूरा करने के लिए पारित किया गया था कि किसी भी दशा में परपरामत विधि, मुस्लिम स्वीय विधि द्वा रखान न ले। जबकि इस अधिनियम में पूर्व कुछ धर्म परिवर्तन मुसलमानों के सबध में ब्रिटिश न्यायालयों द्वारा हिंदू उत्तराधिकार विधि लागू की जा रही थी। जिस धर्म को वे छोड़कर इस्लाम स्वीकार किये थे। कटूरपथी भुमलमान इन समुदायों के सबध में मुस्लिम विधि के कडाई से पालन किया जाने के लिए जोर डान रहे थे। मुसलमानों के सबध में बीमा पालिसियों के निर्धारण से खबाधिन कठिनाइयों को दूर करने के लिए 1938 म बीमा अधिनियम पारित किया गया था। मुस्लिम विवाह विषट्टन अधिनियम 1939 मुस्लिम औरतों को विवाह विषट्टन के लिए न्यायालय में जान का अधिकार देता है। हालांकि हनाफ विचारधाराओं के मुसलमानों ने इसका काफी विरोध किया था किंतु अनेक मुसलमानों ने इसके पक्ष में भाग ली थी। इस अधिनियम को पारित करने की प्रक्रिया बड़ी रोचक रही। हनाफी विचारधारा के अनुसार तलाक का अधिकार केवल पुरुषों को है। दूसरी तरफ मालिकी विचारधारा का जो द्वारा विभिन्न आधारों पर पन्नी और तलाक दिलाने की अनुमति देता है।

भारत मे हुनामी विधि का बड़ी कठोरता के साथ पालन किया जाता था। मुस्लिम विधि मे अगर कोई स्त्री विवाह के पश्चात् अपना धर्म परिवर्तन कर नेती है तो जब तक वह इस्लाम मे नहीं लौट आती तब तक उन कैद दिये जान वी व्यवस्था है तथा यदि औरत इस्लाम धर्म म वापस नहीं आती थी तो इसकी परिणति उसके मुस्लिम पति म विवाह विच्छेद होती थी। चूंकि ब्रिटिश नामन दे वैद रसना सभव नहीं था उनलिए विवाह विच्छेद ही चारा चरता था। बीसवी शती म कई मामले ऐसे हुए जिनम औरतों न तलाक के लिए स्वधर्म त्यागने का तरीका अपनाया। अनेक भारतीय चिन्हानों का ध्यान इस धर्म-परिवर्तन द्वारा तलाक की समस्या पर रखा। जमात-अल उलमा ने इस घमस्या को हल करने के लिए कदम उठाया। उसने देखा कि और कोई चारा नहीं है, इसके लिए मुस्लिम न्यायाधीशों द्वारा तलाक दिलाने के लिए बानून बनाया जाय। अत इस प्रकार के बानून के लिए मिपारिश करने का निर्णय लिया। जमियत के नामाओं न के द्वाय विधायिका मे एक विधेयक पेश किया, किंतु सरकार इसके कुछ उपबंधों म महमत नहीं थी, जैसे वेवल मुसलमान न्यायाधीश ही विवाह विच्छेद करा सकता था। सरकार न यह धमकी दी कि अगर इन उपबंधों को रखने के लिए जोर डाला गया तो वह विधेयक को पारित कराने की तरफ कदम नहीं बढ़ायगी। इस प्रकार प्रबन्ध मियति की मिपारिश पर कुछ परिवर्तनों के माध्यम सार्व, 1939 म भुमिल विवाह विषट्टन अधिनियम पारित किया गया।<sup>10</sup>

इस प्रकार जहा अधिन्यविन ने सबनवन पर रोक, आयकर न्यायालिनिका और

पुलिस प्रशासन में व्याप्त 'बुख्यात तथा निर्वज्ज्ञ भ्रष्टाचार' और ब्रिटिश हितों के लिए भारतीय समाजों का दौहन आलोचना का लक्ष्य रहा वही पर ब्रिटिश शासन द्वारा किये गये सामाजिक और विधिक मुधार अत्यधिक प्रशसनीय रहे। हिंदू और मुस्लिम विधि के सबध में ब्रिटिश सरकार तटस्थिता के प्रति अपनी वफादारी नहीं निभा सकी। इसकी तटस्थिता को नीति में परिवर्तन के लिए धार्मिक कुरीतियों को दूर करने की इच्छा, नारियों की स्थिति को सुधारने का सकल्प विधि के सबध में एक समानता तथा निश्चितता प्राप्त बरने की आवश्यकता और सबसे बढ़कर समाज सुपारक जो इन मुधारों के प्रति अत्यधिक उत्तरदायी थे। किंतु इसके बावजूद स्वीय विधि को धर्म के चंगुल से नहीं छुड़ाया जा सका। उत्तराधिकार विवाह, विवाह-विच्छेद, दत्तक-ग्रहण आदि सामग्रों से धर्मनिरपेक्ष आधारों पर विधि का निर्माण नहीं किया जा सका तथा भारतीयों के लिए एक समान सिविल महिता का निर्माण एक स्वयं बना रहा। फिर भी इतना तो निश्चित है कि भारतीय समाज पर प्रतिबध अधिविश्वाम, सामाजिक ओहदा (स्टेट्स) प्राधिकार धर्माधिता और अध-नियतिवाद का शिकजा अनेक धार्मिक, राजनीतिक विधिक तथा सामाजिक मुधारों से काफी कुछ ढीला हुआ तथा इनके स्थान पर स्वाधीनता विश्वास अनुबंध तर्क सहनशीलता और मानवीय गैरव की स्थापना की कोशिशें भील का पत्थर साबित हुईं। दूसरे विदेशी शासकों—पुर्नगाली, फासीसी और डच ने भी हिंदू और मुस्लिम स्वीय विधियों में रायदा हस्तक्षेप नहीं किया, किंतु 1880 में पुर्नगालियों ने हिंदू विधि को समाप्त कर अपनी विधि लागू कर दी।

### एक समान सिविल सहिता और सविधान सभा

मर दी० एन० राव ने व्यक्ति के अधिकारों को दो प्रवर्गों में विभाजित करने की सलाह दी थी—वे जो न्यायालय द्वारा प्रवतित किये जा सकते हैं और वे जो नहीं किये जा सकते हैं। दूसरे प्रकार के अधिवार राज्य के प्राधिकारियों के लिए नैतिक मूलिकियों के रूप में होंगे। मौलिक अधिकार उपसमिति ने जो अपनी रिपोर्ट सलाहकार समिति को दी, उसमें एक समान सिविल सहिता को राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों को थेणी में रखने के लिए सिफारिश दी। किंतु थी एम० आर० मैसानी श्रीमती हसा भेहता और राजकुमारी अमृत कौर आदि महाराजों ने अपनी असनुचित व्यक्ति की। उनका तर्क था कि भारत के एक राष्ट्र ने रूप में, विकास में सबसे अत्यधिक बाधक तत्त्व धर्म पर आधारित स्वीय विधि रहा है। अल्पसंख्यक उपसमिति का विचार था कि महिता को पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर लागू किया जाना चाहिए।

सिविल कोड का वई मुमलमान मदस्यों ने इस आधार पर विरोध किया कि यह उनकी स्वीय विधि के मामले में हस्तक्षेप करता है। उनका बहना था कि स्वीय विधि एक जीने वाला तरीका है, धर्म और उनकी मम्मूलि का एक अभिन्न अनु है। जिसमें दखल नहीं किया जाना चाहिए। सहिताकरण रेजीमेंटेशन है जिससे अमरोप उत्पन्न होगा तथा मुख्यवस्था प्रभावित होंगी। कुछ मदस्यों का यह भी मानना था कि इसमें अनुच्छेद 25 में

दिये गये अधिकारों का हनन होगा। उनके अनुसार एक समान मिविल सहिता का अपनाया जाना प्रत्यस्थ्यको के प्रति अत्याचार होगा। इस तरह की आपत्तिया उठानेवाले प्रयुक्त मदम्य थे—थी मुहम्मद इस्माइल माहब थी हिजार्हीन अहमद थी महबूबअली देग और थी पोकर साहिब। थी के० एम० मुशी न मिविल सहिता के पक्ष में बोलते हुए बहा कि जो धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद को लेकर भ्रम है वह निराधार है क्योंकि इस अनुच्छेद में समद को कुछ मामलों में विधि बनाने का अधिकार पहले से ही दिया गया है। बास्तव में उनका बहना या इस उपबंध का उद्देश्य है कि जब कभी समद उचित समझे तो देश की स्वीय विधियों को एकीकृत करने का प्रयाप वर सकती है। स्वीय विधि को सघटित करने में निश्चय ही देश का हिं है। मिविल कोड न बनाने से नुकसान यह है कि कई अलग अलग हिंदू विधि होगी जैसे—मधुष मिलाक्षरा दायभाग जो सघटित न होने पर देश की एकता के लिए खुलाहो सकते हैं। उत्तराधिकार विरासत आदि की स्वीय विधि धर्म के भाग नहीं हैं अगर होते सो विधियों को नमानना कभी नहीं दी जा सकती थी, जबकि हमने दी है। हमारी पहली समस्या देश की एकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम अपनी स्वीय विधि को इस प्रकार सघटित और एक समान बनात जा रहे हैं जि एक अवधि में पुरे देश के जीवन का ढग एक समान और धर्मनिरपेक्ष हो जायेगा। हम स्वीय विधि से धर्म का सबध विच्छेद चाहते हैं।

थी ए० कृष्णास्वामी अध्यार का कहना या कि इसमें धर्म का सुलारा उत्पन्न हो जायेगा, ऐसा नहीं है। न तो यह है कि अनुच्छेद का उद्देश्य ही आपसी मौहार्द पैदा करना है। उनका बहना या कि दड विधि मविदा मध्य हस्तातरण के सबै में जब क्रिटिश ग्रामन ने कानून बनाया तो ऐसी आपत्ति नहीं उठायी गयी। डॉ० अंदेहकर का कहना या कि विधियों नी एक समान भहिता तो पहले से ही विद्यमान है जो लगभग मानव नवधों के प्रत्येक पहलू को गमिन रिवे हुए है। मिविल विधि जिन लेन तक नहीं वहूच पावी है वह वेदम विवाह और उत्तराधिकार है। उन्होंने कहा कि यह बहना गलत है कि सूर्य भारत में मुस्लिम विधि एक समान और अपरिवर्तनीय रही है। उन्होंने उदाहरण देने हुए बहा कि कई स्थानों पर मुमलभान हिंदू विधि का पालन कर रहे थे जिन बाद में विधान बनाकर 'गरीबत' के अधीन विया गया और फिर यह यह उपबंध तो यह व्यवस्था नहीं करता है कि 'लागू विया जायेगा बल्कि यह दिया गया है कि प्रयास करेगा अनल सिविल सहिता को पारित कर दिया गया। इस प्रकार अनुच्छेद ४४ में यह व्यवस्था दी गयी है कि 'गण्य भारत के समस्त राज्य लेन में नावरिका के लिए एक समान मिविल सहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

बास्तव में देश जाये तो सिविल सहिता को सविधान के चतुर्थ भाग में रखने से इसका महत्व बह नहीं हो गया। घेनविल अस्ट्रिन के विवार म निर्देश का नाम "भास्माजिक झाति के उद्देश्यों की प्राप्ति है। इस झाति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थितिया उत्पन्न करके झाति दो आगे बढ़ाना है।" व स्पष्ट करते हुए यह भास्माजिक करते हैं, "राज्य जो इन भवारात्मक बास्तविताओं की मर्दना करके, सविधान मध्या ने भारत की भाषी साहजतो हो एह उत्तराधिकार मौजा है कि के व्यक्ति स्वतंत्र और

लोकहृत के बीच अथवा कुछ योड़े से लोगों की सप्ति और उनके विशेषाधिकार बनाये रखने के और सामान्य हृत के लिए सभी मनुष्यों को समान रूप से शक्ति देकर उन्हें स्वतंत्र करने के उद्देश्य से उन्हें कुछ फायदे देने के बीच मध्यम मार्ग स्थोरे ।<sup>111</sup>

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने स्वीय विधियों में एक समानता लाने का प्रयास किया किन्तु नेहरू की प्रतिबद्धता प्रजातात्प्रिक प्रक्रिया से सामाजिक परिवर्तन लाने की थी। वे चाहते थे कि जोर-जबरदस्ती करने के बजाय विभिन्न धर्मों के पालन करने वाले समुदायों के मध्य एक सर्वसम्मति बने तत्पञ्चान् ही एक समान सिविल सहिता की दिशा में कदम बढ़ाया जाये। साथ ही देश के विभाजन के समय जो हिंदुओं और मुसलमानों ने मूल की होली खेली थी उसके दावे स्पष्ट दिलाई पड़ रहे थे, साप्रदायिकता का जो जहर बीसवीं शताब्दी के अर्ध भाग में लोगों के दिलों-दिमाओं में घोला गया था, उसके अवशेष मिटे नहीं थे। देश के टुकड़े होने के लिए हिंदू जन-समुदाय मुसलमानों को जिम्मेदार मान रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय मुसलमान अभिजन का एक वर्ग, हालांकि पाकिस्तान के निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं भी था, फिर भी चूंकि इस्लाम (उनके धर्म) के नाम पर पाकिस्तान बना था, इसलिए कहीं न कही, जाने-अनजाने उनके मन में यह भाव था कि पाकिस्तान बनने के लिए वे भी दोयी हैं। नेहरू और उनकी सरकार का लक्ष्य उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ना था। उनके अद्वितीय काम का लक्ष्य उन्हें देश की समाजी-सामाजिक स्थिति को बदलना था तथा विभाजन के समय के दौरान सोया हुआ आत्मविद्याम पुन वापस लाना या इसलिए एक समान मिविल महिता के लिए जोर नहीं डाला गया। दूसरी तरफ जैसी कि प्रजातंत्र की कमज़ोरी है कि विवेक पर आधारित धर्मनिरपेक्ष आवाज़ धर्माधिकार विविधियों, अधिविद्यामियों और स्थिवादियों के शोर-जारावे के बीच गुम हो जाती है, भारत में भी वही हुआ। हर प्रगतिवादी कदम का रूद्धिवादियों ने डटकर विरोध किया और हिंदू मुसलमान और ईसाई अपनी स्वीय विधि में चिपके रहे।

स्वीय विधि के सबूत में वैने देश जाये तो नेहरू की नीति विटिश जासन जैसी नहीं तो उसे स्वादा अलग भी नहीं थी। अचेन्दो की नीति अहस्तदेष नीरही थी, वे धर्म के मामले में तभी दबाल दें थे जब कोई आर्थिक नुकसान न हो या उनकी सत्ता को कोई खतरा न हो या मज़बूरी न आ जाये। विटिश जासन के दौरान स्वीय विधियों की साप्रदायिक प्रकृति को बनाये रखा गया था। बानून के समक्ष समानता से लोग बचित रहे। भारत में विटिश जासन समाप्त हुआ। देश आजाइ हुआ। मदसे बड़ी तुर्भी गण्डुपति और प्रधानमंत्री ने हशिया ली जाकी पर नए आसीन हो गये। मुस्लिम-नुविधाएं वही थीं मरकारी ढाचा वही था और नोनिया भी नगभग वही थी। बस बदले थे तो केवल तुर्भियों पर बैठन वाले लोग। अब अप्रज्ञ नहीं थे, अप्रेज़ा वी नीति का अनुमरण करने वाले लाय थे—भारतीय और अल्पसंख्यकों वी स्वीय विधियों के माध्यम अहस्तदेष की नीति का अपेक्षा जैसा नहीं तो उसमें रक्षादा बढ़ाई के साथ पासन अवश्य किया गया। स्वीय विधियों को साप्रदायिक प्रकृति बनाये रखा गया।

एक समान सिविल महिता की दिग्गज में और स्वीय विधि के धर्मनिरपेक्षीकरण वी

दिशा में बैमें एक प्रत्यक्ष कदम अवश्य उठाया गया। 1872 का विशेष विवाह अधिनियम यह व्यवस्था करता था कि ऐसे स्त्री-मुर्ह जिनमें से कोई भी हिन्दू बौद्ध मिथ जैन मुस्लिम, यहूदी, पारमी अथवा ईसाई धर्म को नहीं मानते हो, रजिस्ट्रार के यहाँ मिविल विवाह कर सकते थे। विवाह किसी भी तरीके से मनाया जा सकता था किंतु विवाह में पूर्व दोनों पक्षकारों को इस बात का प्रस्थापन करना पड़ता था कि वे किसी भी धर्म के अनुयायी नहीं हैं। चूंकि स्वीय विधि के अनुमार अतर्जातीय विवाह एक धर्म से दूसरे धर्म को माननेवाले के साथ विवाह (उदाहरणार्थ हिन्दू का मुसलमान के माथ) नहीं किया जा सकता था, इस अधिनियम का उद्देश्य या स्वीय विधि की अबहेलना करके विवाह करना। किंतु इसका सबमें बड़ा दोष था कि धर्म को त्यागना पड़ता था। विशेष विवाह अधिनियम, 1923 के द्वारा दोपो को दूर करने का प्रयत्न किया गया। इसके अनुमार यद्यपि विवाह के पूर्व इस बात का प्रस्थापन नहीं करना पड़ता था कि वे किसी धर्म को नहीं मानते, किंतु इसमें की अन्य बाते बहुत उत्ताहजनक नहीं थी। उदाहरणम्बूद्ध इस अधिनियम के अधीन विवाह किया हुआ व्यक्ति पुत्र गोद नहीं ने सकता था। वह अपने पुत्रु भे अलग हुआ माना जाता था उसकी मर्पति का उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से शामिल होता था। यदि वह अपने पिता वा एकमात्र पुत्र होता था तो पिता को पुत्रहीन माना जाता था और वह हिन्दू स्वीय विधि के अनुसार पुत्र गोद ले सकता था। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का उद्देश्य भी वही है जो उक्त दो अधिनियमों का था। इसके अधीन अपने के लिए किसी धर्म को न मानने का प्रस्थापन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अनिरिक्त स्वीय विधि के अनुमार पहले से स्पष्ट वैध विवाह के पश्चों के लिए सभव बना दिया गया है कि इन अधिनियम के अधीन वे अपने विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदित कर सकते हैं जिसमें कि इसकी धाराएँ उन पर लागू हो सके। इस प्रकार के विवाह विज्ञेद के उदार आधारों, हिन्दू नदुक्त परिवार से स्वत सबध विज्ञेद तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का लाभ उठा सकेंग। इस प्रकार वे विवाह और उत्तराधिकार जैसे महत्वपूर्ण मामलों मधर्म का विना त्याग किये स्वीय विधियों का त्याग कर सकते हैं।

डॉ० ई० स्मिथ वा कहना है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 एक प्रकार से भूम के रूप में एक समान सिविल सहिता है। नेहम वा मानना था कि मामादिक अनुसालनों में एक समानता लाने की दिशा में यह पहला कदम था। यद्यपि 1954 का अधिनियम एक ममान मिविल सहिता की दिशा में प्रत्यक्ष कदम था किंतु यह बास्तव में स्वैच्छिक और अनुज्ञात्मक विधान था जो लोगों की इच्छा पर था कि स्वीकार कर या न करे और सबस महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन उपबंधों के अधीन भारत जैसे विनाल देश में वित्त लोग आते हैं? निश्चय ही यह प्रतिशत बहुत कम है।<sup>12</sup>

इस अधिनियम की बहुरप्ती हिन्दुओं और मुसलमानों न बढ़ आलाचना की तथा इस दोनों ने अपनी स्वीय विधि पर आड़ मण माना। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मुहम्मद इस्माइल न अप्रैल 29, 1955 वो 'जरीअत विधि परिवर्षण दिवस' के रूप में भानन के लिए अपील भी थी तथा लोगों में इस अनुराग के माथ राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री वो तार-

भेजने के लिए कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के नाम होने से मुसलमानों को छूट देने के लिए कदम उठाये जाये। उन्होंने कहा कि 'नेहरू का कहना है कि यह अधिनियम, मुस्लिम जरीबत और अन्य स्वीय विधियों को एक समान मिविल सहित ढारा प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया का श्री गणेश है। निइच्छा ही यह यमीर बात है। मुसलमान धर्म को जीवन में सबसे भूत्यवान वस्तु मानते हैं और उनका मधुर्ज जीवन धर्म से अनुशासित होता है। जरीबत अथवा स्वीय विधि उनके धर्म का अनिवार्य भाग है तथा किसी भी दशा में शरीबत के निरसन की समावना को वे सोच ही नहीं सकते।<sup>13</sup> इस प्रकार कटूरपथियां ने विधियों के धर्मनिरपेक्षीकरण की आलोचना और विरोध करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया।

### हिंदू विधि का सहिताकरण

हिंदू और मुसलमान प्रतिक्रियावादियों द्वारा प्रत्यक्ष महिताकरण के विरोध को देखते हुए भारत भरकार ढारा एक समान महिताकरण के लिए जप्रत्यक्ष उपगमन (एत्रोव) पर बल दिया गया। अलग-अलग स्वीय विधियों वृत्ति विमर्शनीयों को दूर कर उम पर धर्म के प्रभाव को कम करने का प्रयास विद्या। यह समझा गया कि सभी स्वीय विधियों में धीरे-धीरे मुद्यार करके उन्हें धर्मनिरपेक्ष बनाया जा सकता है तथा हिंदू मुस्लिम, ईसाई आदि विधियों को एक-दूसरे के समीप लाया जा सकता है। इस प्रकार भारत के मधी धर्मों जातियों और सप्रदायों के लिए एवं सभी विधियों का निर्माण किया जा सकता है तथा देश को एकता के मूलों में भली प्रकार बाधा जा सकता है। दूसरे सरकार का यह मानना था कि अगर पहल अल्पमस्त्यका की विधियों से किया जाता है तो वे सोच सकते हैं कि बहुमस्त्यक उन पर ज्यादतिया कर रहे हैं। इस सबध में सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व बहुमस्त्यको पर है। उन्हे अपनी विधि को मिविल सहित का रूप देकर एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए त्रिमके लाभों को देखकर तथा उनम जिला के प्रभार को परिणामस्वरूप अल्पमस्त्यकों में आत्मविश्वास जोर पकड़ेगा और वे एक समान सिविल महिता के लिए मतैक्य तैयार कर सकेंगे। तीसरे, प्राचीन शास्त्र-पाठों को भिन्न भिन्न अर्थ देने के कारण हिंदू विधि वी कई शास्त्राण अस्तित्व में आयी है। भाव्यकारों ने प्राचीन शास्त्र-पाठों को अपने द्वारा से अर्थ दिया और उनकी प्राचारिकता भारत के एक भाग में स्वीकार किये जाने और दूसरे भाग में अस्वीकार किये जाने के परम्परा परस्पर विरोधी सिद्धांतों वाली शास्त्राएँ उत्पन्न हो गयी—हिंदू विधि को मिताक्षरा और दायभाग—दो मुख्य शास्त्राएँ हैं। मिताक्षरा की उपशास्त्राएँ, मिथिला, पञ्चाब, महाराष्ट्र तथा मद्रास हैं। दायभाग का प्रचलन मुख्यतः बगाल और असम है। मिताक्षरा शास्त्र में पुत्र का पिता की ऐनृक्ष सपत्नि में जन्मना अधिकार होता है। पुत्र पिता के साथ सपत्नि का सहस्वाभी होता है। जबकि दायभाग शास्त्र में पुत्र का पिता की सपत्नि में अधिकार पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न होता है। पिता का अपन जीवनकाल में सपत्नि पर परम अधिकार होता है। मिताक्षरा में अविभक्त कुटुंब के सदस्य, जब तक वे अविभक्त रहते हैं, अपने हिन का अन्य सकामण

नहीं कर सकते हैं तथा दायरका सबध पर आधारित होता है। किन्तु दायभाग में कुटुम्ब का कोई भी सदस्य आपमें बटवारा हुए बिना भी अपने भाग का अन्य सङ्कामण कर सकता है तथा दायर पर पारलौविक भाग लाभ के सिद्धात पर आधारित है। केरल और भैसूर तथा बटौदा में भी हिंदू विधि में देश के अन्य भागों ने कुछ सामनों में भिन्नता दी। इत प्रकार हिंदू विधि में विभिन्नताओं को समाप्त कर एकरूपता लाया जाना अति आवश्यक था। विंशती शासन के दौरान हिंदू विधि के महिताकरण का प्रयास सफल नहीं हो सका। हालांकि समय पर कई अधिनियम पारित किये गये किन्तु इनके अलग-अलग पारित होने के कारण अनेक कठिनाइया और समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं।

मन् 1941 में भारत सरकार द्वारा सर चौंगनूर राव की अध्यक्षता में एक हिंदू विधि समिति नियुक्त की गयी। राव समिति ने हिंदू विधि के महिताकरण को इमिक चरणों में करने की मिफारिश की तथा इसकी गुणात निर्वर्णीयता उत्तराधिकार और विवाह की विधि में किया जाये। समिति द्वारा तैयार किया गया प्रारूप 1943 में केंद्रीय विधायिका में पेश किया गया था किन्तु कटूरपयों हिंदुओं के विरोध के कारण रद्द हो जाने दिया गया। हिंदू बोड बिल का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति को पुन नियुक्त किया गया। समिति ने पूरे देश का भ्रमण करके अनेक विशिष्ट व्यक्तियों समग्रों हिंदू विधि के विशेषज्ञों से मिलकर उनके विचारों का मनन करके तीन वर्ष के कठिन परियम के बाद हिंदू कोड बिल के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। किन्तु देश में व्याप्त साप्रदायिक तनाव राजनीतिक मरणार्थी तथा अन्य समस्याओं के दबाव के कारण कुछ भ्रमण के लिए विधेयक पर कुछ नहीं किया जा सका। 1948 में पुन विधेयक पर विस्तार से चर्चा आरंभ हुई किन्तु रुदिवादी हिंदू सदस्यों वी अहोवादी और विलबकारी चाल के कारण विधेयक अनिम बरण तक नहीं पहुच पाया। हालांकि विधेयक के पक्ष में डॉ अबेन्द्रकर ने अच्छा नेतृत्व प्रदान किया, फिर भी मिनवर 1951 में जनमत के दबाव को देखते हुए विधेयक को छोड़ देना पड़ा। स्वामी मत्यानन्द मरणवारी मसद के मदन के बाहर भ्रमण पर बैठे थे दम दिनों से चला आ रहा अनगत समाप्त हुआ। मदमे दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि बोड बिल के पारित होने में बिलब के विरोध में डॉ अबेन्द्रकर न ईविनेट से त्यागपत्र दे दिया। विधेयक बोड देने वा एक कारण मन् 1951-52 में होने वाला आमनुसार भी था।

1951-52 के बाम चुनाव के अभियान के दौरान नेहरू ने हिंदू बाड बिल को एक मुद्दा बनाया। जगह जगह पर अपने भागों वाल वन्द्यों में नहरू ने विधेयक के उपचापा वी प्रणतिशील सामाजिक धारणा पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय कादम्ब व भ्रष्टाचारी भाषण में उन्होंने वहा इस प्रकार हिंदू बोड बिल जिसन कापी विवाद का पैदा किया सामाजिक खेत्र भ प्रगति और प्रतिनिधि के दीव मध्य वा प्रतीक बन भुक्त है। मैं (नेहरू) विधेयक के विभी विशेष धारा का नहीं चल्क विधेयक में निहित भावना वा उल्लेख कर रहा हूँ। यह मुकिना वी भावना है जनता वा विशेषर हमारी नारी जाति की गोर्गप्रधानों और बड़ियों में जिन्होंने उन्ह जकड़ रखा है स्वतंत्र कराना है। चुनावों में कामें दम भारी बहुमत से विजयी हुआ तथा उमक कुछ भ्रमण बाड नहरू न बोड वी अन्दर-अलग विधेयरों के बड व शालित बरवाया। हिंदू विवाह विधेयक न रहत ही

महत्त्वपूर्ण और इतिहासी परिवर्तनों के लिए प्रस्ताव किया। इसके द्वारा विवाह को दण्डनीय बनाया गया था, विवाह विच्छेद का उपबधि विद्या गया था, अतर्जीतीय विवाह को मान्यता दी गयी थी। विवाहों के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था को गयी थी। हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण विधेयक (1956) में यह व्यवस्था थी कि दत्तक लेने और देने में पिता का एकमात्र और अनिर्वाधित अधिकार समाप्त हो जायगा। जब उसे पल्ली दी महमति नेना आवश्यक होगा। नारी अपने स्वयं के अधिकार में दत्तक ले सकेंगी। अनाथ बालकों को भी दत्तक के योग्य कर दिया गया था। बन्धा का भी दत्तक हो सकेगा। दत्तक के लिए बालक का समान वर्ण वा होना आवश्यक नहीं था। दत्तक ग्रहण के मद्दधि में अन्य उपबधों के अलावा इसमें भरण-पोषण से मवधित अनेक नियमों वीर्य व्यवस्था की गयी थी। हिंदू उत्तराधिकार विधेयक (1956) में समस्त देश के हिंदुओं के लिए दाय को एकरूप विधि की व्यवस्था की गयी। वर्ण के आधार पर विधि के उपबधों की विविधता को समाप्त किया गया था। हिंदू नारी दाय या अन्य रूप में प्राप्त मपति की पूर्ण स्वामिनी बना दी गयी। पुरुष और नारी-दायों के बीच भेद को समाप्त कर दिया गया तथा इसी प्रवार के अनेक मुद्धारों की व्यवस्था भी गयी।

विधेयक पर मसद के अंदर और बाहर वार्षीय दृष्टि में हुई। विधेयक धर्मनिरपेक्ष है या नहीं यह बहस का मुख्य मुद्दा नहीं था। बल्कि बहस इन बात को लेकर चली थी कि इनका हिंदू धर्म पर प्रभाव क्या पड़ेगा। बहन का केंद्रविद्वान् मामाजिक ढाँचे पर इन विधेयकों का प्रभाव हो गया। सरकार का यह तर्क था कि भारतीय समाज पिछड़ेपन का शिकार है। अनेक धार्मिक कुरीतियां शिक्षा और अधिविद्याम यमाज के ढाँचे को बदलोर करते चले जा रहे हैं। इन विधेयकों के द्वारा समाज को आधुनिकीकरण के मार्ग पर अद्यसर किया जा सकेगा। दूसरों तरफ प्रतिक्रियावादियों का मानना था कि भारतीय समाज मुरक्खा पर आधारित है तथा इसके आधार—हिंदू विवाह पद्धति विवाह-विच्छेद उत्तराधिकार आदि के मद्दधि में हिंदू विधि है। विधेयक द्वारा विवाह पद्धति, विवाह-विच्छेद, विरामत वमीयत उत्तराधिकार आदि में परिवर्तनों गे पारपरिक हिंदू मामाजिक ढाँचा तहम-नहम हो जायेगा। हिंदू ने मपादवीय में विचार अवक्तु किया था कि हिंदू बोड समिति वो जो वार्य मौषा गया था, वह या हिंदू स्वीय विधि को महितावद करना और आसान बनाना न कि मामाजिक मुधार में प्रोत्तमाहित होकर तदनुरूप मधोधित करना।<sup>14</sup>

हिंदू विवाह विधेयक पर चर्चा करते हुए गवर्नर बं विधिमत्री ने प्राचीन तारहृत प्रथों में उद्धरण देते हुए विधेयक में विवाह-विच्छेद के उपबधों का मर्मर्यन किया। तत्परित्व के कई मदम्भों ने बेदों तथा अन्य प्रथों का महारा लेकर स्फूर्ति किया। आचार्य कृपलानी ने बहा त्रिविधायन वीर्यधना को धार्मिक प्रथों में सोनाना धर्मनिरपेक्ष राज्य के मिद्दानों के अनुरूप नहीं है। हम अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक प्रथों के अनुरूप बनना है और न ही परपराभा के। इस अवगति ही मामाजिक और राजनीतिक आधारों पर वार्य मपादन करना चाहिए। हिंदू महामधा के मदस्थों ने तर्क दिया कि विवाह एक मस्तार है इससिए परिव्रत है और हिंदू

धर्म का अभिन्न भाग है अत इसमें किसी तरह का रद्दोबदल नहीं किया जाना चाहिए। नेहरू ने विवाह को सम्कार के रूप में स्वीकार करते हुए वहाँ कि एक-दूसरे को मारने-शीटने और पृणा करने के लिए लोगों को एक मात्र बाधना सम्कार कभी नहीं हो सकता। अत मेरे विधेयक पारित हो गया।

हिंदू दत्तक और भरण-पोषण विधेयक के सबध में पुन दोनों पक्षों द्वारा धार्मिक ग्रथों का सहारा लिया गया। इसके विरोध में यह कहा गया कि दत्तक ग्रहण धार्मिक धारणा पर आधारित है। पुत्र ने अतिम सम्मार का हक होता है वहीं पिंडान आदि करता है। पुत्र के लिए हिंदू धर्मानुमार दूसरा विवाह कर सकता है। इसके विकल्प के रूप में दत्तक ग्रहण की व्यवस्था भी यदी कि शास्त्रों में लड़कियों वीं भी दत्तक के रूप में ग्रहण करने वा विधान है। हिंदू उत्तराधिकार विधेयक के सबध में तर्क दिया गया कि पिता की मरणी में पुत्री को अधिकार बेबल मुस्लिम विधि देती है। हिंदू-विधि में पिता की मरणी में पुत्री का उत्तराधिकार नहीं माना जाता है। यह धारणा है कि वह पहने से ही (विवाहित होने पर) दूसरे परिवार वीं सदस्य होनी है या होने वाली होती है। इस प्रकार कुछ मदम्यों का कहना था कि इस विधेयक में 'मुस्लिम विधि' में भी ज्यादा 'मुस्लिम मिदात' की पूर्णत्वपूर्ण अपनाया गया है। हिंदुओं पर 'जरीत' के कुछ नियमों को लादने वा प्रयाम किया जा रहा है। इन विरोधों के बावजूद विधेयक पारित हो गये।

इन अधिनियमों में व्यवस्थित क्तिष्पत्र नियमों वो न्यायोचित उहराने के निए जान-बूझकर धर्मग्रथों और धार्मिक सिद्धांतों का सहारा निया गया। जबकि उन्हें धर्मनिरपेक्ष आधारों पर विधिवत् समर्थित किया जा सकता था। संविधान को उद्दीपिका में व्यवस्थित उद्देश्यों—जिनकी मौलिक अधिकारों और राज्य के नीतिं निर्देशक तत्वों में मूर्त रूप प्रदान किया गया है—वा ही तर्क स्वीकार किया जाना चाहिए था। निश्चय ही इनसे सम्भालिक आर्थिक क्राति वो अभिव्यक्ति पिछती है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति और दिव्वाम की स्वतत्त्वता प्रतिष्ठा और अवमर की समता प्राप्त करना तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र वीं एकता और अमृदता मुनिश्चित करने वाली बधुना बड़ा ही हमारा उद्देश्य है ये संविधान में निहित हैं और संविधान ही मौलिक विधि है, जोप विधिया इसके अधीन है। हा यह तर्क दिया जा सकता था कि समानता का मिदात बेबल हिंदू विधि के महिनावरण वीं अपेक्षा नहीं बहुत। अत्यमस्थिरों वीं विधियों वो अद्यूत समझने के बाज्य उन्हें भी महिनावरण करके सभी वो एक समान बनाया जाना चाहिए वा जोकि राज्य वीं विधियों वा धर्म पर आधारित होना धर्मनिरपेक्ष मिदातों के अनुरूप नहीं बहा जा सकता। अनेक मदम्यों और आनंदोंको द्वारा इस तरह के तर्क प्रम्नुल किये भी गये। यहा तक कि हिंदू महामधा, जनसंघ, रामराज्य परिषद नया बड़े एक साम्राज्यिक हिंदू दल जो धर्मनिरपेक्षता का भारत के लिए अभिगाप मानने थे, व भी तर्क प्रम्नुल कर रहे थे कि हिंदू बोह विन धर्मनिरपेक्ष राज्य के मिदात के विरुद्ध है। उनकी मान थी कि एक समान मिविल महिना अपनायी जानी चाहिए।

हिंदू बोह विन के पोर आमाचक श्री एन० श्री० चट्टर्जी का कहना था कि बाध्यन

सरकार कहती है कि सप्रदायवाद से वह पृणा करती है तथा अपने धर्मनिरपेक्षवाद पर धर्म करती है किंतु हिन्दू विधि में सजोधन जो यह कर रही है वह पूर्णत साप्रदायिक है। दूसरे केवल हिन्दू विधि में ही परिवर्तन भौतिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों के बिरुद्ध हैं। कई अन्य मदस्थों ने इसे हिन्दूत्व पर सीधा प्रहार माना। ऐसा हमला जिसकी हिम्मत यहा तक कि औरगढ़ेब और ब्रिटिश शामक नहीं कर सके। उनका मानना था कि पश्चिम के प्रभाव में आकर गरकार के लोभ हिन्दू धर्म पर अत्यानार कर रहे हैं। एक से अधिक विवाह पर प्रतिबध लगाने से धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि दूसरा विवाह करने के लिए लोग हिन्दू धर्म को छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार धर्म परिवर्तन की भूलाई को बढ़ावा मिलने में हिन्दू ममाज विधिटित होगा।

आचार्य कृपलानी, जिन्हे किसी भी दशा में सप्रदायवादी नहीं बहा जा सकता या उन्होंने भी इसी तरह का तर्क दिया। बहम के दौरान उन्होंने बहा

“अगर हम प्रजातात्त्विक राज्य हैं मेरा मानना है कि हमें एक समुदाय के लिए ही कानून नहीं बनाने चाहिए। आज हिन्दू ममुदाय विवाह विच्छेद के लिए उतना ही तैयार नहीं है, जितना कि मुमनमान ममुदाय एक विवाह के लिए। क्या हमारी मरकार मुस्लिम समुदाय के लिए एक विवाह के सबध में विधेयक पेश वरेगी? क्या मेरे प्रिय विधिमत्री एक विवाह में सबधित विधि भारत के सभी ममुदायों के लिए लागू करेगे? मैं कहता हूँ यही तो प्रजातात्त्विक तरीका है तथा दूसरा साप्रदायिक तरीका है। केवल महासभा वाले ही साप्रदायिक नहीं हैं सरकार जाहे जो भी कहे, वह भी साप्रदायिक है।”<sup>15</sup>

जहा पर अन्य आन्दोलकों ने विधेयकों को हिन्दू धर्म के लिए हानिकारक तथा धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के रूप में देखा वही पर आचार्य कृपलानी ने इसे अन्य धर्मों के साथ विभेद बताया क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य इस विधेयक के द्वारा केवल बहुसंघक समुदाय और उसके धर्म को विशेष लाभ पहुँचा रहा है। उनका कहना था कि अगर मामद अपने मुधार के जोश के लिए केवल हिन्दू ममुदाय को चुनते हैं तो वे इस अर्थ में सप्रदायवादी होने के आरोप में नहीं बच सकते हैं कि वे हिन्दू ममुदाय का हित चाहते हैं तथा विवाह विच्छेद के मामले में मुस्लिम समुदाय अवका कैयोनिक ममुदाय की भलाई के प्रति उदासीन हैं। क्या हम विमी एक ममुदाय की प्रगति भहज इसलिए चाहते हैं कि वह समुदाय बहुसंघक है? हिन्दू सप्रदायवादी और समुदायों की अपेक्षा अपने समुदाय को ज्यादा लाभदायक स्थिति में देखना चाहते हैं। विवाह विच्छेद चाहे हिन्दू ममुदाय को लाभ पहुँचाये या हानि पहुँचाये, दोनों ही प्रकार से यह साप्रदायिक है। अगर एक विवाह और विवाह विच्छेद, विवाह विधेयक की अच्छी और आवश्यक बात हैं तो हिन्दुओं का ही भला क्यों किया जाये? तथा मुसलमानों में एक विवाह और कैयोनिकों में विवाह विच्छेद को दूर रखा जाये? दूसरी तरफ अगर ये मुधार भले और अभीष्ट नहीं हैं तो दूसरा दद हिन्दुओं वो ही क्यों महना पढ़े?<sup>16</sup> दास्तव भें अगर देखा जाये तो इस प्रकार

अलग-अलग अस्तित्व बनाव रखना एक गाढ़-गज्ज्य के मिलानो— जिसकी लाभना धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का विवाम हो— का घार उल्लंघन है।

हिंदू विधि में लाये जा रहे परिवर्तनों को न्यायालयों में चुनौती दल द्वारा काफी कुछ इसी तरह के तर्क प्रस्तुत किये गये थे। विनु न्यायिक निर्णयों में विधायिकाओं के बदलों को वैध ठहराया गया। बाबे राज्य बनाम नरामु अप्पा (1952) के समान<sup>17</sup> में बाबे हिंदू द्विविवाह निवारक अधिनियम 1946 को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि यह अनुच्छेद 25 में दी गयी धार्मिक स्वतंत्रता का अनिवार्य करता है तथा कंचल धार्मिक आधार पर बर्गीकरण करता है जो कि अनुच्छेद 14 और 15 द्वारा वर्जित है। यह तर्क दिया गया कि हिंदू द्वारा धार्मिक क्षमता के लिए पुत्र प्राप्त करने की आवश्यकता पर ही बहुविवाह प्रथा आधारित थी क्योंकि बुद्ध विशेष धार्मिक मस्कार पुत्र के लिए ममता नहीं है— 'अपुत्रस्य भवित्वान्मिलं स्वर्गो नैक नैव च ।' न्यायाधिपति लम० नी० छागता और गजेन्द्रगढ़वर ने उक्त तर्कों को अस्वीकार कर दिया। न्यायाधिपति गजेन्द्रगढ़वर ने कहा कि हिंदू विवाह के मबद्द में विधायिका द्वारा वनाय विधान में हिंदू धर्म अथवा धार्मिक आचरण का हनन नहीं है क्याकि पूरझीन व्यक्ति के बावें विवाह द्वारा ही नहीं दलित दल के प्रहरण द्वारा भी प्राप्त कर सकता है। न्यायाधिपति छागता ने तर्क दिया कि गज्ज्य धार्मिक विश्वास को समर्पण प्रदान करना है न कि इस तरह के धार्मिक आचरण का। द्वितीयत बहुविवाह हिंदू धर्म का अभिन्न भग नहीं था और अतन अगर बाबे राज्य हिंदुओं को एक विवाह के लिए मजबूर करता है अगर इन हम नामाजिक मुधार की कार्यवाही माने तो भी अनुच्छेद 25 (2) (बी) गज्ज्य को भमाज मुगार करने के लिए विधान बनाने के लिए अधिकृत करता है। न्यायालय ने विभेद के जागरा का भी अस्वीकार कर दिया। न्यायाधिपतियों ने मन व्यक्ति विद्या कि बर्गीकरण युक्तियुक्त है यह समानता के उपबंधों का उल्लंघन नहीं है। न्यायाधिपति छागता ने कहा कि अनुच्छेद 14 यह नहीं निर्धारित करता कि राज्य जो भी विधान बनाय वह ममी नामों पर नागू हो। राज्य सामाजिक मुधार विभिन्न चरणों में भान देने लिए बानून बना सकता है यह चरण प्रादेशिक हो सकता है अथवा गमुदाय के अनुमार हो सकता है। इसे प्रकार हिंदू और मुसलमान में विभेद अवैध नहीं है।

इसी तरह के आरोप मद्रास हिंदू (द्विविवाह और विवाह विच्छद) अधिनियम 1949 के विरुद्ध लघाये गये थे किनु मद्रास उच्च न्यायालय न उक्त माम ने भी दिय गय तर्कों के समान ही तर्क देकर आगोपो का अस्वीकार कर दिया तथा अधिनियम का वैध घासित किया।<sup>18</sup>

इन निर्णयों ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू उत्तराधिवार अधिनियम 1956 हिंदू अप्राप्यवयता और समरकना अधिनियम 1956 तथा हिंदू दल के तथा भरण-न्याय अधिनियम, 1956 द्वारा हिंदू विधि के विभिन्न प्रहरणों को महिनावद करक उनमें विद्य गम इनिकारी परिवर्तनों को संवैधानिक आधार प्रदान विद्या था। इस प्रकार हिंदू विधि का आधार धर्म न होकर सामाजिक सम्प्रयोगनका हो गयी है। धार्मिक नियमों पर अडिया का उपयोगितावादी बमौटी पर परम्परा के बाद ही उन्ह स्वान दिया गया है। यदि कोई उपर्यु

इन अधिनियमों में दिया गया है तो इसलिए नहीं कि धर्मिक ग्रथ ऐसा करने को कहते हैं, बल्कि इसलिए कि समता पर आधारित एकीकृत हिंदू समाज के विकास में वह महायक होगा। अगर किसी अधिनियम के किसी उपचार के बारण छठिनाई उत्पन्न हुई तो उसमें आवश्यकतानुभार मशोधन ममय-ममय पर किया गया।<sup>19</sup>

### अल्पसम्बन्धक समुदाय और सहिताकरण

अनुदारवादी हिंदुओं के विरोध के बावजूद हिंदू विधि को सहितावद करने नारियों और बच्चों के कल्याण के लिए अनेक वदम उठाये गये। विगमत उत्तराधिकार और सपत्नि पर अधिकार रखने के सबध में स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिय गय एक विवाह और विवाह विच्छेद को निर्धारित विद्या गया तथा बच्चों के समान बच्चियों को भी दत्तक ग्रहण करके अपनी सूनी गोद को भग्न तथा बच्चे को बेहतर जिद्यो देने का विधान किया गया। विनु यह व्यवस्था केवल वहुसम्बन्धक हिंदू समुदाय तक ही सीमित रही। अल्पसम्बन्धक समुदाय के सबध में 1955 के विशेष विवाह अधिनियम न अप्रत्यक्ष कदम को छोड़कर कोई प्रत्यक्ष वदम नहीं उठाये गये। ऐसा नहीं था कि और विधिया अपने आपमें पूर्ण थी उनमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं थी। ईमाई स्वीय विधि काफी पुरानी हो गयी है। विवाह नियम जो उन पर लागू होते हैं वे 1872 तथा विवाह विच्छेद उनमें भी पहले 1869 के बने हुए हैं। जबकि तब भ आज तक ईमाई दशा भ इनमें अनेक परिवर्तन किये जा चुके हैं। विधि आयोग ने भी अपनी सिफारिश में परिवर्तन के लिए सुझाव दिया था। एक विधेयक भी सबध में पश किया गया था किन्तु स्थिति आज भी ज्यो-की-त्यो बनी हुई है। भारत का सबध तड़ा अल्पसम्बन्धक समुदाय मुमलभान है। इस समुदाय की स्वीय विधिया अत्यधिक पुरानी है। इसके प्रधान योन कुरान मुन्नत और अहादिग परम्पराएँ इब्ना और बयान हैं। आज केवल कुरान और मुन्ना पर ही निर्भर विद्या आता है। किन्तु जिस समय य विधिया निर्मित हुई उन समय परिस्थितिया कुछ और यो आज कुछ और हैं। उन परिस्थितियों में स्त्रिया पुरुष की सपत्नि के रूप में पुरुष के सरक्षण में जीवन बिनाती थी आज जैसी स्वतंत्रता तथा प्रजातात्रिक व्यवस्था नहीं थी और न ही व इस प्रकार राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं थी। विभिन्न जातियों में युद्ध जनते रहते थे अनेक पुरुष मारे जात थे विधवाओं का जीवन दुर्घट न हो जाये इसलिए एक से अधिक जादिया वा विधान रहा होगा। आज की तरह म तनाक सामाजिक कलक नहीं रहा होगा तनाक के बाद पुन विवाह भ परशानी नहीं थी। पारिवारिक विधिटन आज जैसा नहीं था तनाकजुदा लड़की की दम्भाल और उसका पुनर्विवाह सरक्षको के लिए ज्ञादा छठिनाई उत्पन्न नहीं करता रहा होगा। आज जैसी जनसम्प्या नहीं थी कि दत्तक ग्रहण व लिए बच्चों को दिया जाना और आज जैसा विधिटप परिवार नहीं था कि जीवन के मूलपन को दूर करने के लिए जिसी बड़ गोद लिया जा सकता। आज परिस्थितिया बदल गयी है हमारी समझ व्यापक हुई है तथ सामाजिक मूल्य विनियन हुए हैं। राजनीतिक व्यवस्था और उनकी मान्यताएँ बदली हैं।

इनके अनुरूप स्वीय विधियों में बदलाव लाया जाना चाहिए था जिन्हें दुर्भाग्यवश न तो कोई विशेष कदम सरकार के स्तर पर उठाया गया और न ही कोई पहले ममुदाय की तरफ से की गयी। प० नेहरू का मानना था कि सामाजिक जार्थिक मुगार क वैधानिक उपाय इस मबद्दे में जनमत से बहुत आगे नहीं होने चाहिए। मुधारों के अनुरूप जनमत वा होना बहुत आवश्यक है। प्रश्न यह उठता है कि क्या इन्होंने जनमत इन मुगारों के लिए तैयार था? निश्चय ही हिंदू जनमत इन मुधारों के लिए तैयार था। जैमाकि हम दूसरे अध्याय में चर्चा कर चुके हैं कि उन्नीमवी शास्त्री में हिंदू ममाज में पुनर्जागरण लाने के लिए अनेक गमान-मुधारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

बीसवीं सदी में आरभ में ही सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। 1905 में श्री गोपालदृष्ट गोपले ने मर्वेट्स आफ इंडिया मामायटी के द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के मास्क्यूलिन दृष्टिकोण को बदलने का बार्य आरभ कर दिया था। स्त्री शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1910 में मरता देवी चौमुखनी ने भारत स्त्री ममाज का घटना हिला। महिलाओं की शिक्षा की दिशा में धार्मिक वर्षों न महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उन्होंने 1916 में प्रथम महिला विद्वविद्यालय की स्थापना की। 1917 में मद्रास में विमय इंडियन एम्प्रेसिलेशन की स्थापना की गयी। 1921 में गुजरात और महाराष्ट्र में तीव्र मस्त्यान खोले गये। स्त्रियों में नयी जागृति आयी। शिक्षा के प्रभार के माय-माय जाति के ढाँचे में भी परिवर्तन आया। नाना बैजनाथ नगर हरविलाम शारदा आदि ममाज मुधारों न अतर्वानीय विवाह का सर्वर्थन करके जानि के ढाँचे पर सीधा प्रहार करना आरभ किया। गांधी जी के अनिहागिक उपचाम के बाद अक्टूबर, 1932 में 'हरिजन मेवक मध' की स्थापना की गयी। इमंती अनेक शामाज मानी गयी। जिनके द्वारा अद्योदार तथा जन जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गये। यातायात की मुविधाएं देश का औरोगीकरण भूमि के वैद्यकिक न्यायमित्व के विकास नागरिक जीवन के विकास और नये जीवशायों के अभ्युदय तथा यामोण स्वाधनना वी समाजिक आदि ने भमाज में व्याप्त अनेक धार्मिक छटिया को निर्वल बना दिया था। भमाज कर दिया तथा हिंदू स्वीय विधि में अनेक परिवर्तनों के लिए आधार तैयार किया। इस प्रवार हिंदू ममुदाय स्वीय विधियों के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का स्वीकार करने के लिए बीद्रिक रूप में तैयार था जिन्हें मुम्लिम ममुदाय इमर्झ लिए तैयार न था। बन्धु इमर्झ विपरीत स्वीय विधि की धार्मिक इनेबदी करने पर आमादा था। जबकि अन्य इंड मुस्लिम देशों में स्वीय विधियों में आदेश व परिवर्तन हिले गये हैं जिन्हें भारत में इसी भी मुधार के प्रसार पर ही तुहराम सज जाता है। किंतु भी तरह के परिवर्तन का वह चाह दामना उन्मादन, 1843 हो या विवाह योग्य उम्र बढ़ाने का शारदा विध्यक हा विरोध इटिश जामनकान थे किया गया जिन्हें पहले विश्वास प्रज्ञानात्मक भारत में कुछ स्पादा ही हो गया है।

प० नेहरू एक ममाज मिविन महिला क मदर्भ म कोई भी एमा बदम नहीं उठाना चाहते थे जो अत्यस्वाध्यतो विश्वास प्रुम्लिम ममुदाय में घबराहट उत्पन्न करे। वे उनमें अत्यविश्वाम उत्पन्न करने के लिए धर्मनिरपेक्षता के कुछ मूल्यों को बताए दिए गए।

तैयार थे। इमाइयो को मुमलाचार प्रचार करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी हुई थी। बाजे कि इससे देश की एकता और अवृद्धि को बोई भत्ता न हो। मुमलमानों की स्थिति मुद्धारने के लिए उन्होंने बिशेष छवान दिया। उन्होंने उनके विवरन्दृष्टि को समाज कर राष्ट्र की मुख्य धारा से बोड़ने का हर सभव प्रयास किया। नहर वा मानना या कि ऐसे सामाजिक आधार और वातावरण तैयार करने को आवश्यकता है जो मुस्लिम ममुदाय को एक समाज मिविल सहित स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सके। इन्हुंने इस प्रकार वो मिविल महिता की दिशा में कोई प्रगति नहीं हो मरी है। हालांकि एक समाज मिविल महिता अवधार्य नाम है क्योंकि अनेक मिविल कानून पहले से ही मध्ये भारतीयों पर समाज रूप से लागू होते हैं। इनमें मिविल प्रक्रिया महिता भारतीय साम्य अधिनियम रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सपनि अतरण अधिनियम वैकल्परी नियम कर कानून भूराजस्व कानून अभिधृत अधिनियम दहज प्रतिष्ठान अधिनियम और विभिन्न शब्द पहुंचति (उत्तादन) अधिनियम 1955 भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875, सरकार और प्रतिपात्य अधिनियम 1890 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 और गर्भ वा चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में मध्ये के लिए समानता है। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर कर्पनियों के कर्मचारियों की तो वा गर्तों के अधीन बहुविवाह वर्जिन है तथा भविष्य निधि नियमों के अधीन पत्नी को ही एकमात्र उत्तराधिकारी माना गया है। इस प्रकार एक समाज मिविल महिता वा अभिप्राय स्वीय विधियों में है अर्थात् जिन देशों में समानता लायी जानी है वे हैं—विवाह त्रिवाह विच्छेद उत्तराधिकार अप्राप्तवयता और सरकारका दत्तक तथा भरण-प्रोपश यहीं व धारा है जिनमें विभी तरह के परिवर्तन को अल्पसम्भव जपने धर्म में हमें देखते हैं और उमरा विरोध करता है।

नेहरू वा मानना था कि समाज के माध्य शिक्षा और प्रचार के परिणामस्वरूप अल्पसम्भव बिना विभी विरोध के एक समाज मिविल महिता स्वीकार कर लेग। उनका मानना था कि एक बार मुमलमान नोग अपना आल्मविश्वाम प्राप्त कर लेगे व प्रपनी अतीत की राजनीतिक आणवाओं का नवीन मुख्यमन्त्र है जदर्भ में पुनरीक्षण करते और भारत के धर्मनिरपेक्ष नागरिक के रूप में भारतीय राजनीतिक प्रतिवादों में हितता लेन लेंगे। किन्तु ज्यो-ज्यो समय बीतना गया और दिवादिया तथा परपरावादिया एवं विवेकवादियों परिवर्तन और प्रगतिवादियों वे बीच रम्भावनों में रुदिवादियों और परपरावादियों का पलड़ा भारी होता गया। अन्य इन्वामों देशों में भी रुदिवादिता जार पकड़ती गयी। इसके लिए वही कारण उत्तराधायी बनाये जाने हैं। परिवर्ती ममृति वे प्रभाव की प्रतिक्रिया अमीर और गरीब के बीच बदना वार्षिक अन्दर, जीवन जल में गिरावट, बढ़ती गरीबी, अशिक्षा और राजनीतिक पहचान योन वा भय आदि इन देशों में धार्मिक पुनर्जागरण के लिए उत्तराधायी हैं। आज नुस्लिम जगत में परिवर्तन मौरितानिया से लेकर पूर्वी यूरोप, मोवियत मूनियन भारत, चीन, याइनैड, कम्पूचिया और फिलीपीन के कुछ भागों में भी दिवाह एह रहा है। जो देशों के बाद भारत न एक

प्रजातात्त्विक सविधान के अतुर्गत सामाजिक-आर्थिक क्राति साने के लिए ददम बढ़ाया। भारत के सोगोंने प्रजातत्र का भफल प्रयोग किया। आम चुनावों में सभी लोगों ने हिस्सा लिया। अनेक आकाएं बधी। (प्रजातात्त्विक प्रक्रिया में अनेक प्रकार के बादों में आज्ञाना बधना स्वाभाविक ही है) किन्तु बादों के अनुरूप समाधन न होने के बारण मरकार के बादों और कार्यों में अतर बढ़ाया गया। दूसरी तरफ जनना की अपेक्षाओं में ज्यार आना गया किन्तु साम्पत्तिकता के धरातल पर गरीबी भुवनरी बीमारी अशिक्षा अमुख्या और आर्थिक अमरानता बढ़ती गयी तथा मैक्यावेनी वी राजनीति में अपनी राजनीतिक पहचान भोने का सनारा उत्पन्न हो गया। परिणामत अपनी पहचान बनाये रखने के लिए तथा केक में हिस्सा पाने के लिए लोगों में धर्म जाति वर्ग थेन भाषा आदि के अधार पर समठित होने वी भावना विकसित होने लगी। अल्पसंख्यक भी अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए धर्म के नाम पर समठित हुए। अमुख्या के बारण आम जनमानस में धार्मिक भावनाओं की ग्रहणशीलता बढ़ी। धर्म में विसो भी तरह के हस्तदेश का हर कीमत पर विरोध करने लगे। धार्मिक ऋदिवाद का नान प्रदर्शन हम दत्तक प्रहण विधेयक और शाहू बालो मामले के सबधु में देखने को मिला।

श्रीमती दिविरा गार्डी की मरकार ने 1970 के दशक में दत्तक प्रहण के गवध में कानून बनाने का प्रयाम किया। 1972 में 1980 तक इस सबधु में चर्चा चलती रही। इस सबधु में जोरदार बहसे चर्ची। संयुक्त प्रबर ममिति में विचार दिमांगों किया गया। जनना की मुनवाई वी गयी। दो बार विधेयक को सज्जोधित किया गया और अनन्त विधेयक असफल हो गया। 1972 में विधेयक मर्वप्रयम राज्यसभा में पेश किया गया था। यह मधी भारतीयों पर ममान रूप से लागू होना था। इसमें अतर धार्मिक दत्तक प्रहण की व्यवस्था थी। दत्तक प्रहण करनेवाले माता पिता का धर्म ही बच्चे का धर्म होता। किन्तु मुसलमानों और अनुमूचित जनजातियों के विरोध के बारण विधेयक पारित नहीं हो सका। जनजातियों वी तरफ से बहा गया कि वे अपने किल्नी (कुल) में बाहर दत्तक प्रहण को नहीं स्वीकार करेंगे तथा न ही वे दत्तक प्रहण को न्यायालय में पंजीकृत करना चाहते हैं। मुसलमानों वा तर्क था कि मुस्लिम स्वीय विधि दत्तक प्रहण वी अनुमति नहीं देता। उनवा मानना था कि वे किमी भी ऐसे मिलिन कानून वो नहीं स्वीकार करेंगे जो 'शरीअत' वी अवहेलना करता है। प्रबर ममिति ने अब बयान देन वाले मुस्लिम सदस्यों में पूछा कि उन्हें विनेप विवाह अधिनियम 1955 को कैसे स्वीकार कर लिये तथा मुस्लिम स्वीय विधि में पाविस्तान, ईरान और तुर्की में किये जा रहे परिवर्तनों पर उन्होंने प्रतिक्रिया पूछी गयी तो उन्होंने विलक्षु अबीदो-गरीब तर्क दिया। उनवा बहना था कि 1955 में उनसे किमी ने पूछा नहीं बरना वे अवश्य विरोध करना तथा पाविस्तान तुर्की और ईरान आदि दानाशाही व्यवस्थाएँ हैं जबकि भारत धर्मविरपक्ष प्रबन्धन है इसलिए इसे अल्पसंख्यकों वी स्वीय विधियों में हस्तधोए नहीं करना चाहिए। 1976 म प्रबर ममिति ने अपनी सिफारिश में विधेयक में जनजातियों वो सूट देन के लिए अनुराग किया। तत्पश्चात् मुसलमान बुद्धिजीवियों द्वारा स्वीय विधि म हस्तधोए वी नवर भयानक हवाभा किया गया। दिसंबर, 1980 में एक नया विधेयक त्रिमाम भुमलमानों वा

कूट दी यादी थी (किनु जनजातियों को नहीं) पेश किया गया। फिर भी कोई सफलता नहीं मिली।<sup>20</sup> आज स्थिति यह है कि गैर हिन्दू अन्यथा बच्चे वो शोष मुनामिद नहीं हैं क्योंकि केवल हिन्दू बच्चे ही शोष लिये जा सकते हैं।

जहां मरवार ने नुलावी जोड़-धटाव के बारण अन्यमध्यक्षों की स्त्रीय विधियों में सुधार के द्वारा अदिवासियों को नाराज करने में अपने को दूर रखा अपने चुनावी फायद को ध्यान में रखकर सरकारे नुस्टिकरण की नीति अपनानी रही। वही पर न्यायालयों ने मार्माजिक अन्याय और शोषण को दूर करने के हर सभव प्रयास किया। इतवारी बनाम पुस्तमात् असरारी के भास्त्रे में पनि वे अपनी पहन्नी गन्नी के विच्छद दायान्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का बाद दायर किया था। पन्नी के पनि द्वारा दूसरी पन्नी नान और निर्दयता के आधार पर अपने माना-पिना के साथ रहने वा जीचिन्य दिव्यनाया। मुग्मिष न इम पल्ली द्वारा निर्दयना के भवून न दे सकने वे बारण पनि वा बाद डिही इर दिया। पन्नी द्वारा जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील बरने पर मुग्मिष वा निर्णय उत्तर दिया गया। इत्तहारवाद उच्च न्यायालय में अपील दिये जाने पर न्यायादिपति एम० एम० शुक्ल न कहा कि दायत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के मुख्यमें यदि न्यायालय का यह प्रतीत हाना है कि परिस्थितिया ऐसी है कि दूसरी पल्ली नाने पर पहन्नी पन्नी का उमर साथ रहने के लिए विवाह करना अन्याय होगा तो वह अनुत्तोष प्रदान बरन में इनकार बर देय। न्यायभूति ने अपील सारिज करते हुए कहा कि यह दूसरी पन्नी नान बाल पनि वा साधित करना चाहिए कि उनके द्वारा दूसरी पल्ली नाना पहन्नी पन्नी का अपमान या निर्दयता नहीं है। उनका बहना या कि हिन्दू निर्दयना ईसाई निर्दयता और मुस्लिम निर्दयता जैसी कोई अलग-अलग बीजे नहीं है निर्दयता वा मापदण्ड सार्वभौमिक और मानववादी मानकों पर आधारित है।

मुस्लिम विधि में अनर्गत, ऐसी स्त्री जिसका विवाह विच्छेद हो गया है अपने पूर्व पति से इहत्त-काल तक भरण-पोषण बाल की हस्तार है किनु इहन बाल वा पृचान् नहीं। किनु दड प्रतिया भहिना वी धारा 125 के अनर्गत नवावशुदा पन्नी अपन दूसरे विवाह के समय तक भरण-पोषण की हस्तार है। बदल्हीन बनाम आइशा बेगम के मामले<sup>21</sup> में न्यायालय ने कहा कि पनि द्वारा दूसरी पल्ली नान पर प्रथम पल्ली पति के साथ रहने से इनकार बरन के बावजूद भरण-पोषण का दावा कर सकती है। बाई ताहिरा बनाम अली हुकेन के मामले<sup>22</sup> में उच्चतम न्यायालय न अवाक्षन दिया कि तमावशुदा पल्ली द्वारा भरण-पोषण प्राप्त बरने का अधिकार अधिनियमित अधिकार है तथा इसे मुस्लिम विधि के नियमों से पराजित नहीं किया जा सकता है। जोहरा खातून बनाम घोहमद इशाहिम के मामले<sup>23</sup> में उच्चतम न्यायालय न मत बरन दिया कि मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम 1939 के अनर्गत विवाह विच्छेद वी डिही प्राप्त बर लिने के बाद भी पल्ली अपने पूर्व पति में भरण-पोषण प्राप्त कर सकती है बजाए उसन दूसरा विवाह न कर सकता है।

शाहबानी मामले<sup>24</sup> में एक नवावशुदा भहिना द्वारा दड प्रतिया भहिना वी धारा 125 के अनर्गत भरण-पोषण हतु अवाक्षन दिया गया था। जीसीनार्डी जा कि

व्यवसाय से अभिभाषक या का विकाह 1932 में प्रत्यर्थी के साथ हुआ था। उसके नीन पुन और दो पुत्रिया थी। 1975 में अपीलार्थी न प्रत्यर्थी को उसके भट्टीमोनिअल घर म निकाल दिया था। 1978 में प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के विशद्ध धारा 125 डॉ प्रतिया यहिना के अधीन भरण-पोषण हेतु आवदन व्यायिक अग्रड़नीश तलार क ढारा प्रस्तुत किया। इसके कुछ समय बाद अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को मजिस्ट्रेट प्रथम वर्षी के सप्तक तलार द दिया। अपीलार्थी का कहना था कि तलाक के बाद प्रत्यर्थी उमड़ी पत्नी नहीं रही। अन उसको भरण-पोषण का दोई अधिकार नहीं है। वह प्रत्यर्थी को लगभग दो वर्षों तक 200 रु० माहवार भरण-पोषण के लिए देता रहा तबा इहत की अधिक महंग क स्वयं म 3000 रु० न्यायालय मे जमा कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी का 25 रु० माहवार भरण-पोषण हेतु देन वा निर्णय किया था। प्रत्यर्थी वा रहना था कि अपीलार्थी का व्यवसाय मे पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर दी। जिस पर उच्च न्यायालय मे पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर दी। जिस पर उच्च न्यायालय न भरण-पोषण की राशि बढ़ाकर १० ।७९ २० प्रतिमह कर दिया। उसके विशद्ध परिन न विशेष अनुमति लेकर उच्चतम न्यायालय मे अधीन प्रस्तुत की। जिस पर मृत्यु न्यायाधिकारि चद्रचूण की अध्यधना मे पात्र न्यायाधीशों ने मामले की मुनावाई की। उच्चतम न्यायालय ने कहा

'मुस्लिम पति को यह विशेष अधिकार है कि वह अपनी पत्नी का उचित अनुचित या बिना कारण के जब भी वह वाहे डिस्काई दर दे। न्यायालय न अप्रति दिया कि धारा 125 (१) के स्पष्टीकरण का स्वर्ग (व) के ढारा पत्नी के अनर्गत न राखगुदा स्त्री जिमन कि पुनर्विवाह नहीं किया है शामिन है। वह उपचाध विनकुन म्याए है और उसमे कोई मदह नहीं है। इन उपचाध मे दो बाल का दोई महन्व नहीं है कि पति-पत्नी का धर्म बैन-ना है। धारा 125 (१) के नियम किया अपना भरण पापण करने के लिए असमर्थ है जिनके लिए शोष उर्द्वार करने इन बनाया गया है। एम उपचाध जो कि निरोधालयक म्याए के ते धर्म क बदला का बाल है। उच्चतम न्यायालय न यत व्यक्त किया कि धारा 125 क अधीन डारा गया। उच्चदायिक विधि और नैतिकता का एडिक्ट है और इस धर्म क साथ नहीं जारा जा सकता। धारा 125 (१) के स्पष्टीकरण के स्वर्ग (व) मे एमा दोई जन्म नहीं है जिसके कारण मुस्लिम महिला को उसके धराधिकार मे बाहर किया जाय। धारा 125 बास्तव मे धर्मनिरपेक्ष है।

अपीलार्थी का तरफ या कि मुस्लिम स्वीय विधि के अधीन पति का न राखगुदा पत्नी का अरण-पापण करने का उच्चदायिक इहत को अधिक तर नी सीमित है। उच्चतम न्यायालय न कहा कि मुस्लिम विधि के अधिकृत प्रथा के ओपर पर यह नहीं भाना जा सकता है कि मुस्लिम पति अपनी नमावगुदा पत्ना का भरण पापण के लिए दो कि अपना भरण-पापण करने मे असमर्थ है उच्चदायी नहीं है जिस कि उसके न राख दिया है। न्यायालय न कहा कि भही म्यानि यह है कि यदि नमावगुदा पत्नी अपना भरण-पापण करने पर मध्यम है तो उसका भरण पापण करने का पति का उच्चदायिक

इहूत की अवधि के बाद समाप्त हो जाता है। यदि वह जपना भरण-पोषण करने के लिए असमर्थ है तो वह धारा 125 दण्ड प्रतिया महिना की महायता लने की पात्र है। यह भी अप्ट किया गया कि धारा 125 और मुस्लिम विधि में तलाक शुद्ध पत्नो—जो कि जपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है—वी भरण पोषण के लिये मुस्लिम पति के उत्तरदायित्व के मबद्द में विशेषाभाव नहीं है। कुरान तलाक शुद्ध पत्नी का भरण-पोषण का उत्तरदायित्व मुस्लिम पति पर आती है।

यह एक गतिहासिक निर्णय था। इसने भारत भौद्धिक तथा राजनीतिक धरानन्द पर तृप्ति मचा दिया। जगह-जगह जुलूम निकाल गये ऐसिया हृड़ गाठिया हृई व्यान जारी किये गये धरने दिये गये यहां तक कि गणतन्त्र दिवस के बहिर्भार वा जाताजन विद्या गया। यदि बुद्धिजीवियों विधि विशेषज्ञों समाज मुद्धार्खों तथा जनक नामे सगठनों ने निर्णय का स्वागत किया तो वही पर अनेक लड़िवादिया धर्म विज्ञानिया और अबमरवादी राजनीतियों तथा अनेक मुस्लिम सगठनों ने निर्णय का डटकर दिलाई दिया। धार्मिक बहुरवादियों ने यह कहकर विशेष किया कि मुस्लिम मौजूद विधि कुरान तथा मुन्ना पर आधारित है परिव्रत है तथा अनिवार्तनीय है। यह निर्णय धार्मिक मामला में इस्तेहाय करता है। अबमरवादी राजनीतिक नवाचार ने धार्मिक भावतात्मों में अनुचित भाव उठाने के लिए निर्णय की अत्यधिक आलोचना की। यह तक कि शामक दिन के गिम्बदार मामलों तक न व्यायालय की आलोचना करने में कोई व्यापर नहीं छोटी। इसकाम पर तुच्छ इमार मुख्य व्यायाधिपति इनका छाटा ब्यक्ति है कि वह कुरान पर निषेध नहीं द मकान जैसे ग्रन्द भमद में वहे गये। बायेन (आई) वा एक महस्य न ना यहां तक कहा कि गढ़गान के मामले में दिये गये निर्णय के कारण व्यायाधिपति न तो भारतीय और न ही व्यायाधिपति व उन्हान का अधिकार रखते हैं।

निर्णय को उचित बताने हुए यह तर्क दिया गया कि जो मुस्लिम विधि में दर्जना विचारधाराएँ हैं तथा अनेक मामलों में मैदानिक और व्यवहारिक भिन्नता है वे मिल करते हैं कि मुस्लिम विधि पूर्ण दैवीय नहीं है। जगीअन म दैवीय और मानवीय दाना तत्त्व हैं तथा मानवीय तत्त्व परिमितियों में परिवर्तन के माथे भजाधन मामला है। परिमितियों के अनुमार ममय-ममय पर परिवर्तन आप है। उदाहरणार्थे एक ही बार में अनिवार्तनीय (गद्द न हो सकने वाला) विवाह विच्छद का मामला है। इसमें पति तक ही तुह ने दीगान तीन बार तलाक का उच्चारण करके विवाह विच्छद वर भक्ता है। इसे तलाक-उत्त विहृत बतते हैं। जबकि कुरान और मुन्ना में इस तरह के विवाह विच्छद वी व्यवस्था नहीं है। पैगवर माहब वी परपरा के अनुमार न बाक तलाक उत्त-मुन्नन है जिमके अहमान और हमन दा उपभाग है। यह न ताक नीन अनगता में बहा जाता है। यह इहूत वी अवधि तक निवर्तनीय होता है तथा नीमर उच्चारण के तुरन बाद अनिवार्तनीय हो जाता है। इस प्रकार हनफी मुस्लिमों में सबसे ज्यादा प्रचारित तलाक वी पढ़ति न तो कुरान पर आधारित है और न ही मुन्ना पर। इस प्रकार यह मिल करता है कि मुस्लिम दैवीय विधि अस्तित्व-सीढ़ी नहीं है।

कुरान में तलाक शुद्ध मौजूदे ही लिए बड़े ही दयानु शब्दों का प्रयाग किया गया है

तथा पुरुष में बहा गया है कि जितनी अच्छी तरह मे सभव हो उम्मीद दग्धभान कर । इस्लामी विचारधाराओं के अनुमार नलाक के गमण इहत ये अवधि तक पर्ति द्वारा तलाकशुदा पत्नी का भरण-पोषण किया जाना आवश्यक है किन्तु कुरान में इस उचित मामलों में इहत के बाद भी भरण-पोषण के लिए बहा गया है । आज की गरिम्यान्तर्या में तलाक एक कलक भमझा जाने लगा है पुन विवाह करना पुरान अब वे समाज जैसा आसान नहीं है तथा बहुत कम माता पिता या उमक भाई आदि हैं जो स्त्री की नाव व बाद विधिवन् देखभान करते हैं । सभव है कि युद्ध व वार्ड दग्धभान करने वाला हो रहा । अनेक तलाकशुदा स्त्रिया अन्याय अवमानना शापण और अन्याचार की जिदगी व्यतीत करने के लिए बाध्य हो मर्कन्ही है जिनकी कि कुरान अनुमति कभी नहीं दी गया । इस तरह के सामाजिक अन्याय में सुरक्षा के लिए कुछ मुस्लिम दशा न पर्ति द्वारा इहत की अवधि के बाद भी भरण-पोषण की व्यवस्था की है । तुर्की और माइक्रो दाना दशा में न्यायालय तलाक के व्योचित मामलों में अर्कां पक्ष के धन शक्ति अधिकार और शरीर अथवा मान मर्दादा की क्षति के ध्यान में रखन हुआ व्यक्ति पक्ष का नुस्ख अनिपूति के लिए जो पक्ष गलनी में है उसे निर्देश द मर्कता है । सीरिया का वैदेशिक प्रास्तान विधि 1953 इस्लाम जगता में निर्मित पहली व्यापक महिना है । सीरिया की विधि न्यायालय की अधिकृत करता है कि वह किसी विवाहित (पहल में ही) पुरुष का किसी दूसरी स्त्री के गमण विवाह करने की अनुमति दिन में मना कर मर्कता है अगर यह प्रमाणित होता है कि वह दो पत्निया वा भरण-पोषण नहीं कर मर्कता । दाना पक्ष का कानून विवाह सविदा में जर्ने अनुबंधित करने को स्वतंत्रता दता है तथा यदि पनि एम अनुबंध को भग करता है तो पक्षी विवाह विच्छिन्न की न्यायालय में मान वर्त मर्कती है । अगर न्यायालय इस बात में सन्तुष्ट है कि पनि न विना विमी वैध कानून के नाव दिया है तथा जिम कारण में पक्षी निराधित हो गयी है तो वह पक्षी का प्रतिरक्ष दिन व लिए पक्षी वो निर्देश दे सकता है । प्रतिकर दी मात्रा पनि की आर्थिक स्थिति तथा पक्षी की धनि का ध्यान में रखकर निर्धारित किया जायगा तथा एक मूल गाँधी अथवा मिस्ट्री प्रकार करने के लिए निर्देशित किया जा मर्कता है । ट्यूनिमिया म बहु विवाह का विवर्तन नियध कर दिया गया है । तलाव न्यायालय द्वारा ही प्रभावी होता है वह पक्षतरफा नाव की पोषणा अब सभव नहीं है । एक पक्ष द्वारा तलाव व लिए जार दिन पर न्यायालय तलाव के बाद दूसरे पक्ष के लिए क्षतिपूर्ति की नाय तलाव स्वीकृत कर सकता है । अन्तीग्रिया म भी पक्षी को क्षति व नुस्खानी भुगतान वो व्यवस्था है । इसे प्रकार विवाह उत्तराधिकार आदि के सबध में जिम प्रकार दिन दशा तथा अन्य वर्त मुस्लिम दशा में मुस्लिम विधि म परिवर्तन हो गहरा वह मुस्लिम स्त्रीय विधि के अनुबूत देवीय और अपरिवर्तनीय चरित्र का बड़न करता है ।

निर्णय की धार्मिक तथा मानविक आधारों पर आवाचना दी गयी । यह इस देखा कि यह निर्णय अनुच्छेद 25 में दिय गय धार्मिक अधिकारों का अनिझ्मण वर्तना है क्योंकि शरीअत और मुला इस्लाम धर्म के अधिन अग है । किन्तु यह तर्क दिन समय इस तथ्य को भुवा दिया जाना है कि अनुच्छेद 25(2) (क) धार्मिक आवगण म सबद्ध रिसी

आधिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रिया-कलापों का विनियमन या निर्वधन के सबध मेरा राज्य को विधि बनाने के लिए अधिकृत करना है। माय ही अनुच्छेद 25(2) (म) भारतीय कल्याण और मुद्धार का उपबध करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। निश्चय ही, हमारे यहा स्त्रियों की विधिंशुणों की अपेक्षा दयनीय रही है। कमज़ोर वर्गों, स्त्रियों और बच्चों के हित के लिए स्वीय विधियों में कोई परिवर्तन सामाजिक कल्याण और मुद्धार कहा जायगा। इसलिए यह अनुच्छेद 25(2) का सरक्षण प्राप्त करता है अतः धार्मिक स्वतंत्रता के अनिलधन का तर्फ निराधार है।

यह आपत्ति उठायी गयी कि अनुच्छेद 29 अपनी विशेष भाषा निपि या सस्कृति को बनावे रखने का अधिकार देता है तथा मुस्लिम स्वीय विधि मुसलमानों की सस्कृति का मूलभूत अग है। यह दावा किया गया कि यह मानवीय मुस्लिमों की सस्कृति पहचान का मूल्यवान प्रतीक है तथा सस्कृति के सरक्षण के लिए स्वीय विधि का परिरक्षण आवश्यक है। विधियों में परिवर्तन भास्तुनिक पहचान भी प्रभावित करेगा। किन्तु प्रदूष यह उठाता है कि क्या किसी ममुदाय वी सस्कृति स्थायी होती है? क्या उसमें विकाम नहीं होता? अगर विकाम होता है तो परिवर्तन अवश्य होता है। मामाजिक परिस्थितियों और मान्यताओं भे बदलाव के अनुरूप इनमें भी प्रतिक्रिया होती है तथा सस्कृति नदनुरूप अपने दो ढानने का प्रयास करती है। माय ही सस्कृति के सरक्षण का यह तो अभिप्राय नहीं है कि उसके प्रत्येक तत्त्व दो जंतुं का त्यां बनाय रखा जाय, चाहे जितना भी वह अविकल्पित अमार्दीभिक तथा अनुचित ही क्या न हो।<sup>26</sup>

इस प्रकार दुदिजीवियों विधि विशेषज्ञों ममाज मुवारको अनेक नागी-मगठनों तथा अन्य प्रश्निवादियों के जोगदार भमर्यन के बावजूद भी राजीव गांधी वी सरकार ने चुनावी भोज-विचार के बारण धार्मिक कटूरवादिया राजनीतिक अवमरवादियों तथा प्रतिक्रियावादी लाभतों के गामने घुटने टेक दिया। हालांकि 1989 के भारत चुनावों में इनका सिद्धातरहित नीति का मतदाताओं न कड़ा डड़ दिया। निर्णय के प्रभावा वा ममाज करने के लिए काप्रेम (आई) सरकार ने भातिजनक मुस्लिम स्त्री सरक्षण विधेयक समिद में देश किया। विषय ममाजार माध्यमा तथा मुस्लिम ममुदाय के प्रगतिशील तत्त्वों आदि के द्वारा इस विधेयक के विरोध मेराय गय हूर तरह के दबाव भी अवहलना करके तथा जपने दन के गदर्यों को जिप जारी करने राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम स्त्री (विवाह-दिल्लैद अधिकार सरक्षण) अधिनियम 1986 पारित किया। शाहद्वारा मामले के आलोचकों वा बहना वा शरीअत के नियम ईद्वर्गीय हैं इसलिए वोई मानवीय सम्मान न ही उन पर निर्णय दे सकती है और न ही वोई मानवीय सम्मान सम्प्रोधन कर सकती है। इन नियमों मेरिवर्तन करने की भत्ता समिद के पास नहीं है हालांकि भारत मेरीत मेरिवादिता आ द्वारा अनेक परिवर्तन मुस्लिम विधि मेरिय जा चुके हैं। इस अधिनियम को पारित करने समिद न अपनी मुस्लिम विधि मेरिवर्तन करने भी सत्ता को पुन मिल किया किन्तु इस प्रक्रिया मेरिवर्तन करने की शक्ति मेरिप्रदर्शन सकता है।

किन्तु उच्चतम स्थायालय ने रुदिवादिता के मिलाक मध्ये मेरिय अपने हथियार नहीं

दाने। इसने स्त्रियों के समानता तथा सामाजिक न्याय के मापदंड के पश्च में एक और प्रहार दिया, जब शाहूवानों मामले के दो बर्फ बाद मुवाना के मामले में उच्चतम न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को उमट दिया तथा दृढ़ प्रहिया महिला व उमी धारा 125 के आधार पर बैगम मुवानों के स्वयं तथा अपनी पुत्री व भरण-पापण के दाव का स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुस्लिम स्त्री अलग रहने के पश्च तथा अपने बच्चों के भरण-पापण का पति से दावा कर सकती है अगर वह रहेन रख सकता है अथवा दुबारा बिबाह कर नेना है। न्यायालय वा मन था कि ज्ञाह दूरगमी स्त्री पत्नी वी तरह हो या रैत की तरह पहली पत्नी के भरण-पापण के अधिकार प्रभावित नहीं होता है, भले ही वह एक मवान में रहने से मना कर दे और न हो पति उसे अपने भाथ रहने के लिए आमतित करके अथवा 'शरीअत' में चार पत्नियों के विभान वा महाराज रहने अपने उत्तरदायित्व में बच सकता है। न्यायालय ने भरण पापण वी गणि का परिकल्पने करने का मानक ही नहीं तथा किया बल्कि यह भी तथा किया कि किं निर्णय में यह नुस्खान आरभ होता। इस प्रकार यह निर्णय पति द्वारा एक में ज्यादा पत्निया रहने वी इच्छा पर अकृश लगता है। पनत मुस्लिम औरतों को एक महत्वपूर्ण उपराजि है।

24 फरवरी 1986 को उच्च न्यायालय ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय ईमाई अल्पसम्बद्धों के सबध में दिया। करन ईमाई स्त्रीय विधि (ब्रवणवार ईमाई उत्तराधिकार अधिनियम 1902)<sup>27</sup> ने अनुसार निर्वमोयनना की स्थिति में एक पत्नी वा उस के भाग वा एक-जीयाई अथवा रु 5000 जा भी तक हा उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकती थी तथा आ अथवा निर्वमोयनी वी विधवा उम्रकी स्थिति में इसने आदीवन द्विन वा दावा कर सकती थी जो कि मृत्यु व बाद अथवा पुनर्विवाह पर रद्द रहने सकती जानी थी। यिसके बिना राये के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1902 वा उस अधिनियम 1 अप्रैल 1951 को निरमित हा गया क्याकि 1951 के अधिनियम व अप्रैल एकीकरण पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के मुसम्मत उपचारा (रुद्र पान वा अस्याय द्विनीय) को ब्रवणवार और बाचीन राज्या (व थप्पी व राज्या) में रहने वाले भारतीय ईमाइया तव विमर्शित कर दिया था तथा उन पर नाशू व दिया गया था जिसके अन्तर्में इन भागिलता उत्तराधिकारियों के अधिकार में वृद्धि हो गयी है। इस प्रकार ब्रवणवार और बाचीन न भारतीय ईमाइया पर उनसी स्त्रीय विधि वा न भागू करके उन्ह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की गोंधा में जाया गया जो कि एक धर्मनिरपेक्ष विधि है। इन निर्णय में ईमाई ममुदाय में राष्ट्री सरकारी मध्ये तथा निर्णय के विरोध में उम क्षेत्र के तुष्ट ईमाइया चर्च मस्याना न मर्मिलिन मुहिम छूटा। यहा तक कि वह अपनी नेपुर्व वी स्थिति नाम क निया नयी स्त्रीय विधि बनाने के लिए और दून लग दिनु नारी मगद्दों ममाज मुगारवा एवं विवरादिया तथा अन्य दुर्दि-जीविया द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय वा अन्यप्रिक स्वामन दिया गया।

इस प्रकार प्रत्यक्ष मरकार स्त्रीय विधिया में एक मुंगर तथा परिवर्तन करने में अनुरागी रही। स्वनवारा व पहल तथा स्वतन्त्रा व बाद व मरकारा वी नीतियों में स्वीय

विधियों के सबध में कोई परिवर्तन नहीं आता है यह बात जहर है कि अब मरकारे राजनीतिक नाभों को देखते हुए अल्पमस्त्यकों की विधियों तथा भावनाओं के प्रति मनवेदनशील कुछ रखदाती ही हो गयी है। जैसाकि 1986 के मुन्निम मन्त्री विधेयक के सबध में बोलते हुए तत्त्वालीन विधिमत्री ने कहा था कि किसी भी अल्पमस्त्यक पर नामू हान बाले स्वीय विधि में भुधार नाने तक के सबध में मरकार तब तक प्रनीतिकरण करना चाहेगी जब तक कि इस सबध में उस समुदाय की तरफ स मुधार के लिए माय नहीं की जानी तथा उस माय का उस समुदाय के अधिमस्त्यक मदम्या द्वारा भर्मर्यन नहीं किया जाना। इस तरह वा दृष्टिकोण तो आजादी में पहने समझ में आना है जिनु आजादी के बाद जब सामाजिक न्याय की आजाद मार्वभौमिक मण धारण कर नुकी है मरकार वा इस तरह का दृष्टिकोण निश्चय ही निराशाजनक है। हासाकि जहा मरकार उदासीन रही है वही पर न्यायालय चुप नहीं देंदे हैं। उच्चतम न्यायालय न इस दिशा में ननृत्य प्रदान किया देने निश्चय ही यह प्रश्नमनीय है। मरकार वो चाहिए कि न्यायालय के माय मिनकर हविवादिता सम्बुद्धीनाना तथा अधिविद्वाम के लिए झटाद छड़े तथा धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर आधारित ममाज की स्थापना कर।

### सदर्भ

1 ए० एन० बालम अद्भुत भारत 1984 शू० 92

2 वही शू० 98

3 आउट लाइस ऑफ मुद्रास्टन नो चनूर्य सम्बन्ध शू० 18

4 रोमिला लाप्त भारत का इतिहास 1990 शू० 264

5 शौ० ई० भिम्य इडिवा एवं वर्षभूता स्टट 1963 शू० 273

6 अर्थ भार्या मनुव्यास्य भार्या येष्ठनम सत्ता ।  
भार्या भूत विवरम्य भार्या मूल वर्णिष्ठन ॥

(भार्या तुष्ट का भाष्ट अग्न है। भार्या उगसा वदने उनम लिव है। भार्या धर्व वर्य और वाच वा शूर है और समार मायर में नरने की इच्छा वाने पूर्ण के लिए भाया ही प्रमुख माध्यन है।)

भार्यान्वत लियाकल सभार्या शूरभेष्ठित ।

भार्याकल प्रमोदन भार्याकल वियान्वित ॥

(विनके पन्नी है व ही यज भार्द कर भक्त है। मन्त्रीक पुराय ही मन्त्र मूहम्य है। एन्ही वाच तुष्ट मुक्ती और प्रसन्न रहने है तथा को पली म पूर्ण है व साना नमी म सपन है।)

दृष्टमाना मनादु लैव्याधिमित्यातुरा नरा ।

ल्लादन्ते स्वेषु दारतु धर्मर्ता मनिन्वित ॥

(वैय शूर में तरे हुए जीव जल में स्नान कर जल दर जानि का बनुपर करन है उसी प्रकार वा

प्रत्येक दुख और चिनाओ की भाव में जन रह है तथा वह जाना प्रवास के गोला में पाइने हैं व  
जानक अपनी पत्नी के समेत होने पर अनद वा अनुभव रहत है।)

मुमरब्दोऽपि रामाया ने कुर्याद् त्रिष्ण नर ।

रति ग्रीति च शर्मि च लाभायतमवहक हि ।

(रति ग्रीति तथा शर्मि पत्नी के ही अधीन है एवं भावहर तुष्टि को चाहिए वह कुर्याद् त्रिष्ण नर  
भी पत्नी के बाप वौई अधिष्ठ भगवान न करे।)

आत्मनो अनन्तं क्षेत्रं तुष्ट्य रामा सनातनम् ।

(स्त्रिया पति के आमा के जन्म नव वा मनातन पुण्य देवत है।) — मनुष्यानि

‘बालया वा युवत्या वा वृद्धया वाऽपि याविदा ।

न स्वातं तेष इत्यि विचिन्तार्थं गृह्णत्वात् ॥

(बचपन में जनानी ये और चुदाने में खो न गए ये भी पत्नी इच्छा में काई बाप नहीं करना  
चाहिए।)

काम्ये पितृवत्ते निष्ठेन्याणिप्राह्म्यं योदने ।

पुराणं भर्तारं प्रते न भद्रकरो स्वातं तनाम् ॥

(इनी बचपन में पिता वा जनानी में पति के और पर्वि के मर जान एवं चुदान में गृह व वग में रहने  
स्वतन्त्र कभी न रहे।)

सदा प्रहृष्टप्य भाव्य गृहतार्येषु दशाः ।

मुष्मन्त्रोपेक्षया व्यये नामुकाहमन्या ॥

(स्त्री वो भईदा प्रमात्र गृह बायी में चुनुर एवं बालन ग्राहि को गुद गाव स्वच्छ रखन वाली और  
अधिक व्यय इन वाली नहीं होता चाहिए।)

अनुतावृद्धानं च यज्ञवल्क्यारहस्यनि ।

मुष्मन्य वित्वा दानेण परनोके च योगिन ॥

(विश्वहस्ती — पति इसी वो इनुकान में तथा इनु किन्तु बाल में भी निष्प ई इस भाक ये तथा  
परनाक में तुल देने वाला है।)

विकीर्ता वामपूर्णो वा तुष्ट्वर्ति परित्विन ।

उपर्युक्त विश्वायाम्या सतत ईवत्वात् ॥

(सदाचार में हीव एवं चौमें अनुराक और विद्या ग्राहि गुणा में हान भी परि परिद्वारा विद्या वा  
देवता के भावान तुष्ट्य होता है।) — मनुष्यानि

४ अर्चसाम्ब ॥१॥

५ पी० सौ० चट्टों मस्कूरी बैनूब धार मस्कूर इहिया 1985 गृ० 217

१० नाहिर महसूर मुम्मिल दरमेन्द्र वा गाल झोक द स्टेट इन ए मव वाटिन  
गृ० 54-56

११ ऐनिव लाम्बिन दि इविव वार्ताट्रदूजन गृ० 50-52

१२ सो० है० निष्प इविया एवं ए मस्कूर मस्कूर मस्कूर 1963 गृ० 279

१३ ए हिन्दू अदैन 27, 1955 निष्प वही

गृ० १४०

- 15 नावनभा हिंदूम् 1955 भाग 2, अंक 4 बालम् 73-76
- 16 ही० ई० स्मिथ उपराष्ट्रम् पृ० 288
- 17 ए० आई० आर० 1952 (बाल) 84
- 18 श्री निवायम अध्यरूपवासनी अस्पाल प० आई० आर० 1952 (महात्मा) 193
- 19 1964 तथा 1976 मे॒ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 मजार्जिन किया गया। बाल-विवाह अवश्यक (मजार्जिन) अधिनियम 1978 द्वारा श्री हिंदू विवाह अधिनियम मे॒ चुनूठ मजार्जिन रिय यए।
- 20 मनस्तीम बुलाई 6 1985 पृ० 16
- 21 प० आई० आर० 1960 इनारावाड 684
- 22 प० आन० ब० (1957) 300
- 23 प० आई० आर० 1979 एम० शी० 362
- 24 प० आई० आर० 1981 एम० शी० 1243
- 25 मोहम्मद अहमद बाल अनाय शाहवानी बगाम (1985) 2 एम० मो० शा० 556
- 26 अमयम अनी इजानियर मनस्तीम 25 बई 1985 पृ० 19
- 27 दादम्म आक इर्दिया अस्त्रुष्टर 26 1986

## जाति और धर्मनिरपेक्षवाद

---

कोई भी समाज जो जाति पर आधारित हो त्रिमूल व्यक्ति का स्थान उमड़ जन्म लिग धर्म, प्रजाति आदि पर निर्धारित हाता हो त्रिमूल अवसर वी समानता न हो सटो भान में धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्मनिरपेक्षता के लिए मानवीय समानता लेता मानवीय समान बाबस्यक है। धर्मनिरपेक्ष समाज कुनीनतत्रीय द्वारा के ऊँचापर भीतीबद्धता के विपरीत भून्यों पर आधारित हाता है इसमें सब समान समझ जात है। धर्मनिरपेक्ष समाज में रण धर्मसत्, जाति लिंग आदि पर आधारित विसी भी नहर व विभट की अनुमति नहीं होती है। यह सामाजिक न्याय पर आधारित हाता है।

### समानता की अवधारणा

‘समानता’ तथा सामाजिक न्याय आज जासन प्रक्रिया में चट्टचित विषय है जिन्हे इसकी अवधारणात्मक स्पष्टता के सबूत में विडाना में मतैक्य नहीं है। ग्रन्तीनिक चित्तन में समानता की अवधारणा दो तरह में प्रयोग में लायी जाती है। प्रथमत गूरुभूत समानता जो लोगों वो समान प्राणी के लघ में दर्शनी है द्वितीयत विनशणात्मक समानता जो लोगों में आर्थिक चीजों सामाजिक सुअवसरा ग्रन्तीनिक लक्षित के समान विनशण वो न्यायमण्डल ठहराती है। प्रथम अवधारणा इस दात पर बन दी है कि सभी व्यक्ति समान पैदा हुए हैं जिन्हें समानता का यह दावा लिमी एम लघ की नहर सबन नहीं है त्रिम सापा जो सबना है प्रैम—समान वजन तथा ऊँचाई। नहीं इसका सामाजिक लघ में महत्वपूर्ण और कभी मापनीय अर्थ में समानता में अभिप्राय है प्रैम—समान गार्डीरिंग शान्तिक अपवा नैतिक पदनाम। निश्चय ही मनुष्य इन सामना में समान नहीं है। एक कुछ अधिक युक्तियुक्त दावा यह है कि मनुष्य पैदा-सौँथ अपवा जानवरों की तुरन्त में सानक प्राणी होने के नाम समान है। जिन्हें कुछ विडाना का सानना है कि यह तर्क अप गून्य है। लिंग यह रहना निरर्थक नहीं लगता अगर इसका यह अभिप्राय होता है तो मनुष्या में एक-दूसरे में मन जान वालों विजयनाम ग्रन्तीनिये महत्वपूर्ण है। ग्राहीनि

अधिकारों के विचारक इम बात पर बल देते हैं कि लोग अपने अधिकारों तथा वर्तम्या का समझने की क्षमता में सम्पन्न होते हैं। निश्चय ही यह धारणा पिण्ड-समाजसंघ के नरकार के विरोध में है। उपर्योगितावादी दावा करते हैं कि मध्ये मानव प्राणी मुखों और दुमों को अनुभव करने की एक समान क्षमता रमन है। इससे इम सिद्धान्त को समर्वन मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अकेले व्यक्ति के रूप में महत्त्व दिया जाना चाहिए। इसकी भी वर्कित वीर गणना एक में ज्यादा के रूप में नहीं वीर जानी चाहिए। बाणी का मानना है कि नैतिक वर्ती होने के कारण नैतिक विधियों के निर्माण करने तथा अनुपालन करन में अपन विवेक के प्रयोग करने की क्षमता रमन के कारण लोग गरिमा के भागी होते हैं। इसमें यह सिद्धान्त निहित है कि व्यक्ति को माध्यन के रूप में न मानकर माध्य मानना चाहिए। बाणी इस सिद्धान्त में विश्वास रमना है कि हमें मध्ये मानव प्राणी को गमन अथवा समान आदर के योग्य समझना चाहिए। इन्हीं समानता के आलोचकों का कहना है कि इस तथ्य से कि मध्ये व्यक्ति समान हैं। इस मूल्य का परिणाम निवालना कि मध्ये व्यक्तियों के साथ समान बर्नाव किया जाना चाहिए भभव नहीं है।<sup>1</sup>

समानता के बारे में कई एक मैदानिक अवधारणाएँ दी गयी हैं। अगम्नु का मानना था कि न्याय एक प्रकार वीर समानता है। जो लोग समान हैं उन्हें समान बल्लुए वीर जानी चाहिए। इन्हीं समान तथा असमान विभ माने में? अगम्नु न मानवीय सदगुण—जो विशेष भलाई के योग्य हैं—के आधार पर वितरण के लिए मगत और अमरण नकों में अतर किया है। उसके अनुसार कुशल बासुरीवादक भले ही सम्पन्न परिवार में पैदा न हुआ हो स्पवान न हो बासुरी के योग्य है। आज के समानवादी सगन आरण के नकों को योग्यता के धोत्र से परे आवश्यकता के धोत्र तक विस्तार करते हैं। बर्नार्ड विलियम्स का कहना है कि चिकित्सा मुविधा के वितरण वा उचित आधार खराद स्वास्थ्य है क्योंकि समान रूप में दीमार लोगों का असमान इलाज अविवक्ष्य है।<sup>2</sup> इन्हीं यात्रना के अनुमार न कि आवश्यकता के अनुमार स्वास्थ्य की देवभाल घेटों वीर रिपब्लिक के अनुमार न तो अविवक्ष्य होगी और न ही अन्याय पर आधारित होगी। घेटों के अनुमार अगर विभी बढ़ाई वा इलाज उसके सामाजिक कार्यों को करने लायक नहीं बनाता है तो उस चिकित्सा को देवभाल मना वीर जा सकती है।

घेटों ने 'रिपब्लिक' में समान मुअवसर वा मैदानिक समर्वन प्रम्नुत किया है। उसने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की है जिसमें समान रूप में बुद्धिमान तथा गुणी बच्चों वो असमान सामाजिक पदों को प्राप्त करने के लिए समान मुअवसर दिया जायेगा। समान मुअवसर का प्राप्त असमानतावादी अदर्श के भाव लालाभ्य स्थापित किया जाता है। इन्हें अनेक असमानताएँ प्रहृति के बजाय परिणाम का परिणाम होती है। इसलिए इनके सबै में समान मुअवसर वा प्रभाव समानतावादी परिणाम उत्पन्न कर सकता है। तार्किक तौर पर अवसर वीर समानता मानवीय स्वतंत्रता वो धृति पहुँचानी है क्योंकि यह असमान परिणामों को प्राप्त करने के लिए लोगों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल गमाधनों प्रतिमाओं तथा सद्गुणों के स्वतंत्र प्रयोग में बाधा पहुँचानी है।

\* अनेक विद्वानों ने उदार समानता की अवधारणा दी है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन

के उद्देश्यों को प्राप्त वर्णन के लिए ममान न्यू ने स्वतंत्र हाना है। हातहि ममान स्वतंत्रता की अवधारणा के सबध में उदास्वादी दार्शनिक एवं दूसरे में सहयन नहीं है। इच्छास्वातंत्र्यवादी विचारक ममान स्वतंत्रता का अर्थ मर्पण के स्वामित्व रखने तथा मर्विदा करने के पूर्ण अधिकार में लगाने हैं। अमरीकी दार्शनिक गावट नाजिक ने व्यक्तिगत मर्पति मत्त्य तथा मामाजिक और गाजनीनिक अममानता का उदास्वाद रामर्थन करते हुए बहा कि ये अपने आपम अच्छी नहीं हैं लिनु डम अर्वाक्षिया के प्रधिकार का हनन करके ही दूर किया जा सकता है। उनक अनुमार मर्पण के न्यायमगत दण में प्राप्त करने तथा न्यायमगत दण में हस्तानरण के निर्धारण के लिए जाने लगायी जा सकती है। यह जाने लगायी जा सकती है कि प्रथमत जिम ममय मर्पण द्वान की जाना है उम ममय किमी को उमक अधिकार में बचित ता नहीं किया जा रहा है बाट न्याय ता नहीं हो रहा है, द्वितीयत मर्पति का हस्तानरण भनी प्रकार ग जानत द्वा उदास्वादी नामा ग स्वेच्छा में तथा सुले रूप में भपादित हाना है। उनका मानना है कि यदि मर्पण न्यायन अ स ब बो मिलती है तथा न्यायन ब स न का मिलती है ताम म मर्पण का न्यायन अधिकार होता है बर्ते अ के पास वह मर्पति न्यायत थी। इम प्रकार मर्पण का अर्थात् मत्त्य न्यायमगत हो सकता है न्यायमगत विनरण भी ता सहता है ब व ही वह अर्थात् अममान क्यों न हो। इम प्रकार वह पुनर्विनरण के विचार (मानवादी) का विचार करता है। नोजिक के विचार भूत उदास्वादी है उमक विचार म व्यक्ति व जा अधिकार है उनके उपभोग के लिए वह स्वतंत्र हाना चाहिंगा। बशने के दूसरा व अधिकारों में हस्ताक्षेप नहीं हाना है। उनका मानना है कि ममान स्वतंत्रता की स्थिति आवश्यकता योग्यता प्रयाम अथवा कोई अन्य रचित मिठान के अनुमार चिरिक्षा दमभान अथवा आय के विनरण को आवश्यक नहीं बनाना है। अमरीकी दार्शनिक जान गल्म न मिठान दिया है।

(अ) प्रत्येक व्यक्ति के पास अन्यात्रिक व्यापक स्वतंत्रता का ममान अधिकार होना चाहिए जो दूसरों की उमी तरह की स्वतंत्रता के विरुद्ध न हो।

(ब) मामाजिक और आयिक अममानता वा व्यवस्थित विद्या जाना चाहिए ताकि व-

(क) सबसे बम अनुकूल परिस्थिति वाना क मदम ज्यादा नाभ म हो और (ब) उचित ममानता के मुञ्जवमार की स्थिति क अधीन सार्वजनिक पदा व आहदा क मार जोड़ी जाये। इम प्रकार गल्म के अनुमार मामाजिक न्याय ता न्यूय ममाज के सबसे नम अनुकूल परिस्थिति वाने मदम्य के लिए स्वतंत्रता की योग्यता वो अधिकतम सौमा नव बढ़ाना है। यदि आवश्यक हो तो यह मपन्न तथा मपन्निविहीन नामरिका म पुनर्विनरण करके किया जा सकता है। गल्म का न्याय ता मिठान अमरीकी पर्य म उदास्वाद अथवा पूर्णोर्धीय अर्थ म ममाजवादी प्रत्यानत्र (मानव दमाहेसी) का मबन मर्थन है।

कल्पाणवारी गम्य के प्रत्यानात्रिक आनाचको न ममानता के एव अन्य आयाम पर बन दिया है। उनक अनुमार अपन ममाज क गल्म न गाजनीनिक अर्थ म ममान नामरिक के अप म भाग तन ता नामरिको वो मुञ्जवमर मिठान चाहिंगा। बन्याणवारी

राज्य की प्रजातत्रिक आलोचना का राजनीतिक म आर्थिक क्षेत्र म विमार्श सभाजवादी समानता के समर्थक करते हैं। उनके विचार म जिस प्रकार कुछ भरवारी अधिकारियों के पास सभी नागरिकों के राजनीतिक भाग्य के बारे म निर्णय लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए उसी प्रकार केवल कुछ संपत्ति के स्वामियों के पास सभी भजदूरों का आर्थिक भाग्य का फैलाव करने की ज़किल नहीं होनी चाहिए। सभाजवादी समानता के विचार म भीजूदा असमानताओं की कटु आलोचना करत है। उद्घोगों का निजी स्वामित्य समाजवादी समानता की अवहेलना करता है क्योंकि यह कुछ लोगों को अन्य अनेक लोगों के जीवन पर अन्याधिक अकुण लगाने की अनुमति देता है। सभाजवादी समानता के समर्थक पूजीबाद को घोर आलोचना करते हैं क्योंकि यह न केवल संपत्ति के वितरण बल्कि मानवीय मृजनशीलता की मनुष्टि में असमानताओं का निर्मित करता है। य नाग उत्पादक थर्म पर शक्ति के अन्याधिक समान वितरण के माध्यन क रूप म औद्योगिक प्रजातत्र का समर्थन करते हैं।

एक अन्याधिक समान्य समतावादी अवधारणा क मध्य म निग की समानता और प्रजानीय समानता की मांग की जाती है। उदाहरणार्थ अमरीका म नागरिक अधिकार आदेशन के समर्थकों ने एक तरफ मानवीय समानता म विश्वास रखन तथा दूसरी तरफ कालों को मत देने के अधिकार अथवा गारों की तरह उसी मार्वजनिक जावाम के प्रयोग म दबित करने के मिथ्याचार की आलोचना की। सभी समतावादी विभेद की आलोचना करते हैं। विभेद को दूर करन क लिए जो उपाय प्रम्भुन विचार जाते हैं उनम पूर्व मे मताय हुए वर्गों के मदरगों के पाथ म नरजीही बरताव अथवा प्रतिलाम विभेद (रिवर्म डिस्ट्रिमिनेशन) सम्मिलित है। प्रतिलाम विभेद को रचनात्मक (पार्टिटिव) विभेद भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य समूह के सभी मदन्या का हिन हो मकना है जैस— काल लोग अथवा स्त्रिया अथवा इसका लक्ष्य पूर्व के विभेद के मताय हुए व्यक्ति से मबधित हो मकना है। वभी-कभी मताय हुए समूह के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के मिद्दात के आधार पर इस विभेद ना समर्थन किया जाता है—आप शक्ति तभा प्रतिष्ठा कर ममाज के विभिन्न गमूहों मे उनके आकार के अनुपात म विनियत किया जाना चाहिए। प्रतिलाम विभेद के औचित्य का दावा उपयोगिता अथवा सामाजिक समन्वय अथवा और अधिक समान गुञ्जवसरों का सृजन अथवा अनीत के अन्यायों के प्रतिवर के जाधार पर किया जाता है। आलोचकों ने प्रतिलोम विभेद की अनेक आधारों पर आलोचना की है।

मयुसन राज्य अमरीका म अनीत ने विभेद को दूर करन क निय मे कुछ कार्यक्रम मकारात्मक कार्यवाही के नाम म चलाये जा रहे हैं। इनम मे कुछ के लिए, विभेद की जाच के परिणामस्वरूप न्यायालयों ने आदेश दिया है तथा कुछ स्वच्छा म आरभ किय गय है। जैस अन्य कार्यपालिका भै आदेश म चल रह हैं। इनम मे कुछ नरजीही अथवा प्रतिनोम विभेद वै शामिल रहते हैं। जबकि अन्य समानता क दूसरे मिद्दाता पर आधारित है<sup>1</sup> भारत मे भी निम्न वर्गों के प्रति मरिया म चले आ रह अन्याय वै दूर करन के लिए अनेक वैधानिक उपाय किये गय हैं।

## भारत में दलित वर्ग

जब आर्य लोग सबसे पहले भारत में आये उम मध्य उनमें वर्ण चतुना नहीं थी। व्यवसाय पैतृक नहीं थे। सामाजिक तथा आर्थिक संगठन की सुविधा के लिए आर्य लोग तीन सामाजिक वर्गों में विभाजित थे—योद्धा अथवा कुलीन वर्ग पुराहित एवं मर्दसाधारण। वर्ण का आश्रम आयों तथा दामों के अनुगमव के साथ आश्रम हुआ जब आयों ने अपनी शुद्धता तथा श्रेष्ठता को बनाये रखने के लिए दामों को सामाजिक परिधि में वहिष्कृत किया, उम मध्य अत्यर म्याट करन के लिए रंग पर बल दिया जाना था। दाम श्याम (काले) रंग के और भिन्न सस्कृति के थे। इस प्रकार प्रारम्भिक विभाजन आयों और अनायों के बीच था। आर्य 'हिं' अर्थात् दो बार जन्म लेनेवाली जाति थी जिसमध्यत्रिय (योद्धा तथा कुलीन) ब्राह्मण (पुरोहित) एवं वैद्य (विमान) होत थे और वर्ण शूद्रों में दाम तथा रंग से व्यक्ति होते थे जिनका जन्म अयों और दामों के मिथ्यण महुआ था।<sup>4</sup>

वर्ण व्यवस्था को प्रान्माहन वायों के विशेषीकरण से भी मिला। क्रष्णेद वा एक मूक वर्णों के मूल्रपात की एक काल्पनिक कथा प्रभनुत करता है

जब देवताओं ने मनुष्य को अपना जिकार बनाकर बनि दी।

जब उन्होंने मनुष्य का विभाजन किया तो उसको वितन भागों में बाटा 'उसके मुह उसकी भुजाओं उसकी जाधों और उसके दौड़ों को विन नाम में पुकारा गया?

उसका मुख ब्राह्मण बना 'उसकी भुजाओं में धर्मिय बने  
उसकी जाधे वैद्य बनी और उसके दौड़ों में शूद्र वा जन्म हुआ।<sup>5</sup>

यद्यपि आश्रम में भला वा स्वामी होन क बारण धर्मिय वर्ग समाज के जोर्ड विभाजन में भवोपरि था किन्तु ब्राह्मणा न यह मिदात दिया कि गता को देवत्व प्राप्त करना अनिवार्य है तथा यह देवत्व उम ब्राह्मण ही दिला गकता है। इस प्रवार ब्राह्मण वर्ग ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। वैदिक काल के बाद (ईमा पूर्व 600 से 300 ई०) वर्ण धर्म अथवा विभिन्न वर्णों के व्यवहार और अनुशासित करने वाली महिता वा मुपरिष्कृत किया गया। गोविद मदाशिव धूर्य के अनुभाव

"इम काल म ब्राह्मण वर्ग बहुत अधिक भुग्यतिन हो जाता है जबकि ब्राह्मणा वी बढ़ती हुई ममृदि के विपरीत शूद्रों का दलन होता है। धर्मियों का परामर्श पूर्णना पर पहुच जाता है और वैद्य यानों सामान्य जनता द्वारा गति में शूद्रों के निरट जनी जाती है।"

तीनों निम्नतर जातियों को ब्राह्मण के उपदेशानुसार जीवनयापन करने का आदेन दिया गया जो उनके बत्तेव्वा की घोषणा बरगा जबकि राजा वा इस बात वो प्रेरणा या प्रान्माहन दिया गया है कि वह नदनुमार इनके भावणा का नियशित करे।<sup>6</sup>

यद्यपि सैद्धांतिक रूप से ब्राह्मण थेप्टता प्राप्त किये हुए था विनु वास्तविक थेष्ठता क्षत्रिय के पास थी। ए० एल० बाश्यम नथा य० एन० घोषाल का यही दृष्टिकोण है— 'जिस प्रकार राजा के गर्व के अवरोधक ब्राह्मण होते थे उसी प्रकार जक्षितसप्तन राजा सदैव ब्राह्मणों के अभिमान का अवरोधक होता था। जनश्रुति है कि ऐसे अनेक ब्राह्मणोंही राजा थे जिनकी अत मेरुद्वारा हुई तथा परशुराम का आख्यान जिन्होन अपवित्रता के बारण सपूर्ण क्षत्रिय थेणी का नाश कर दिया था बौद्ध नाल मेरुद्वारा दोनों थेणियों के मध्य भयकर संघर्ष के सम्मरण से युक्त है। भौर्यकाल के उपरात ब्राह्मणों वी सैद्धांतिक स्थिति अधिकाश भारत मेरुद्वारा हो गयी थी परतु बस्तुत धर्मिय फिर भी उसके ममान अथवा उससे थेष्ठ थे।'

धुर्यों का मानना है कि 'महावीर तथा बुद्ध के मौलिक उपदेशों म जाति के मबद्द म स्पष्ट कथन चाहे जो हो इन धार्मिक आदोलनों के प्रारंभिक माहित्य के गभीर अध्यता वो यह विश्वास हो जायेगा कि लेखकों का मुख्य सामाजिक उद्देश्य धर्मियों वा प्रभुत्व दृढ़ता-पूर्वक जमाना था। कोई भी जैन तीर्थकर धर्मिय के परिवार के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिवार मेरुद्वारा नहीं उत्पन्न हुआ। बौद्ध माहित्य म चारों जातियों वी गणना मेरुद्वारा प्रथम स्थान धर्मिय को दिया गया है और ब्राह्मण का नाम उसके पश्चात् आता है।'

भारत म धीरे-धीरे व्यवसायों के आधार पर अगणित जातिया बन गयी तथा इन्हीं जातियों पर वर्ण-व्यवस्था वा व्याधार ओर स्थायित्व निर्भर था। अतत् इन्हीं समाज के दैनिक वायों भ वर्ण वी प्रेक्षा जाति को अधिक महत्ता प्राप्त हुई। क्योंकि समाज का कार्य जातियों के मबद्दों और तात्त्वमेल पर निर्भर करना था जबकि 'वर्ण' एक ऊपरी सैद्धांतिक दाचा ही बना रहा।

वास्तव मेरुदेश जाये तो सामाजिक आवश्यकताओं और वैयक्तिक कर्मों के अनुसार नौगों को चार वर्णों मेरुदेश जाया था। आरभ म यह विभाजन मुक्तीर नहीं समझा जाता था विनु धीरे-धीरे ये वर्ण जन्म पर आधारित अनम्य ममूहों मेरुदेश हो गये। मनु के अनुसार ब्राह्मण वा कर्तव्य अध्ययन तथा अध्यापन यज्ञ करना दान लेना तथा दान देना था धर्मिय का कर्तव्य जन-रक्षा यज्ञ दर्शना तथा अध्ययन करना था। वैश्य भी यज्ञ तथा अध्ययन करता था परतु उसका प्रमुख कर्तव्य पशुपालन हुयि, व्यापार तथा कृषि देना था। शूद्र वा कर्तव्य वे बल तीनों उच्चतर थेणियों वी सेवा करना ही था। 'वर्ण धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य ही वा पालन थेप्टकर था।

वायों के समाज म शूद्र द्वितीय थेणी वा नागरिक था। उनके लिए पूर्ण आर्य मस्तृति के अतर्गत प्रत्येक सम्बार वा निषेध किया गया था तथा आर्य के बन द्विजों को माना जाता था, शूद्रों को आर्य नहीं ममझा जाना था। हाताकि अर्यशास्त्र वे रचयिता ने उन्हें भी आर्य कहा है। शूद्र मेरुद्वारा होते थे तथा बुद्ध निर्बासित होते थे। निर्बासित शूद्र अद्युता वी थेणी के य जो समाज म पूर्णत पृथक् मममे जाते थे। ब्राह्मण प्रधों के अनुसार शूद्र वा मुख्य कर्तव्य अन्य तीन वर्णों वी सेवा करना था। उसे अपने स्वामी के अवशिष्ट भोजन वो यहण वरने, उतारे हुए तम्हों तथा उसकी पुरानी मामधो का प्रयोग करना पड़ता था। यदि उस ममन्न होने वा अवमर प्राप्त भी हो

तो भी उससे दूर रहने के नियम थे। उसके अधिकार विलकुल नाममात्र के थे। जीवन के अधिकार तक के मबद्ध में शूद्र का बध करने वाले चाहाण को उतना ही प्रायिक्ति करना पड़ता था जितना कि एक विल्ली अथवा कुने के बध करने पर। उस केवल महावाल्यों व शुराणों के अध्ययन से अनुमति थी जिन्हें वेद-भगवों के अवण अथवा उच्चारण करने की आज्ञा नहीं थी।

शूद्रों से भी निम्न स्तर पर अछूत थे। कुछ लोग उन्हें पचम नाम में पुकारते थे किंतु अधिकार विद्वानों ने इस शब्द का प्रयाग अस्वीकार कर दिया क्योंकि यलगि आयों की सेवा वे अनेक गदे तथा नीच वायों के रूप में करते थे फिर भी उनको आई जाति की परिधि में पूर्णत बाहर समझा गया था। इन अछूतों में प्रमुख वर्ग चोड़ना वा या जिन्ह आयों के ग्राम या नगर में रहने की आज्ञा नहीं थी। उनका मुख्य कार्य मूल शरीरों को ले जाना तथा उनका दाह-स्मृकार करना था तथा अपगाधियों को फसी देने के लिए जल्लाद के रूप में भी वे कार्य करते थे। नीति यथों के अनुसार चाहाल जिसका दाह-स्मृकार करे उन्हीं के वस्त्रों को उन्हें धारण करना चाहिए टूटे बर्तनों में भोजन करना चाहिए तथा केवल नौह-ज्ञान्यण धारण करना चाहिए। उच्च येणी के व्यक्तियों के लिए उनसे किमी भी प्रकार के मबद्ध रखना वर्जित था। उनमें दून के मबद्ध रखने पर भी दडस्वरूप उन्हें अपनी धार्मिक परिवर्ता की दृष्टि महन करनी पड़ती थी तथा वे भी अछूत हो जाते थे। बाद में तो उनकी ऐसी स्थिति हो गयी थी कि उनको नगर में प्रवेश करने के ममय लकड़ी वा एक सटघटा बजाने के लिए बाध्य किया जाता था जिसमें आयों को उनके आगमन की मूरचना मिल जाय। अछूतों की दूसरी येणी अलेख्य थी। मनेच्छ शब्द का प्रयोग सामान्य रूप में बाह्य बर्बरों के लिए किया जाता था। नियाद वैर्वत करावर और पौनकस आदि वे भी अछूतों की येणिया में गणना होने लगी थी। वास्तव में रक्त के आधार पर नहीं बरन् आचरण के आधार पर अछूतों के दल का निर्माण हुआ था।

भासान्यन व्यक्ति को अपना सामाजिक स्तर ऊचा उठाने वा अवभर नहीं था किंतु अनेक योद्धियों के पश्चात् जाति अथवा जनजातीय या अन्य समूहों द्वारा अद्विकादी प्रथाओं को अवीकार करने स्मृतियों के नियमों का पालन करने विचारधारा और जीवन के दण को स्वीकार करने में यह सभव था। छठी ये आठवीं भद्री के दीन अनक विदेशी लोग बाहर में अकर भारतीय वर्ण-व्यवस्था में धूत मिन मय तथा अनक दणी लोग भी अपने सामाजिक स्तर को ऊचा उठाने में मुक्त रहे। यह प्रतिया आज भी जल रही है। इस एम० एन० श्रीनिवास ममृतीकरण<sup>9</sup> की मजा देते हैं। जिसके तहत निम्न जाति के हिन्दू द्विजों वे येणी में आने के लिए अपनी अद्विया धार्मिक हृत्य विचारधारा और जीवन वा दण परिवर्तन करके अभीज्ञित वर्ग के तौर-नीकों वा अपना नह है। इनिहासवार के० एम० परिवर्तन वा मानना है कि पिछले दा हृत्य वर्णों में शत्रिय जैसी जाति नहीं रही है। नद लोग अतिम अमली क्षत्रिय थे तथा वे ईमा पूर्व पाचवी मदी म लुप्त हो गये। तब मे लेवर आज तक मधी गाज घरान गैर-क्षत्रिय जानिया म आय है।<sup>10</sup>

द्वितीय अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार जाति और धर्म एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तथा इम जाति व्यवस्था को बनाये रखने में कर्म मिदात का बहुत बड़ा यामदान है। हिन्दू धर्म का एक अभिन्न अभ कर्मवाद का मिदात था। कर्म के द्वारा ही अपर जन्म का दैवी मानवी पाश्चात्यिक अद्यता रास्तमी ग्रनीर पाप्त होता था और कोई पूर्व कर्म मनुष्य के चरित्र वैभव भास्त्रात्मिक वर्ग मनु और दुःख के अधीन नहीं था। मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता थी। परं वही मनुष्य अच्छे कर्म कर मरता था जो अपने धर्म को अच्छी तरह से जानना था। इम प्रकार वर्ण व्यवस्था व्यक्ति में आत्मोन्मर्ग की भावना जगाने उम एक सगृहन के अधीन नाने और बुराई को अकुश में रखने में काफी महायक रही है। व्यक्ति अपन वर्ग में नहीं कर अपन पूर्वजों के परपरागत तीर्त्थीकों को महजक्षण में अपना लेता था। विद्यु गान्धीतिक मना के अतर्गत रहने वाले हिन्दुओं ने अधिवास स्थ पर में अपने मास्त्रिक व्यक्तित्व को अपनी जाति के द्वारा मुरादित बनाये रखा। यह हिन्दू धर्म का जीवित रखने में अत्यधिक भूलक्षण्यपूर्ण रही है। विनु धीरे-धीरे धार्मिक शिद्धिया समाज को अपने शिक्षण में दबावनी दी। अस्मृद्ध वर्ष के लोगों के प्रति अन्याय जुल्म और शोषण ढार पकड़ना गया। व सर्वों के लिए तालाबों कुओं, धर्मशालाओं आदि का उपयोग नहीं कर सकत थ। जागरणना न्यना तथा भावेजनिक स्थानों में तो उनके जलने का प्रकल्प ही नहीं उठना था। बुद्ध स्थानों पर तो यहाँ नक कि व शाहौण वस्तियों की मड़वों तक को नहीं पार कर सकते थे। साथ म दैठना बर्तन छूना तो दूर रहा परछाई नक पड़ जान पर सर्वों लोग प्रश्वित हो जाते थे। जनक जानियों का इनित हाने का चिह्न लेकर बलना पड़ना था। कहीं-कहीं तो दिनित जानियों का भवान विम तरह का होगा ऐसा भवाला प्रयोग किया जायगा यह भी निर्धारित था। बुद्ध जातियों को तो छाता जूता या मोन के गढ़ने पहनने गाव दूहन या इम की माध्यारण भाषा का भी उपयोग करने वी अनुभवि नहीं दी जानी थी। इम प्रकार विभेद और अस्मृद्धना का बोड गामाजिक दाव का भीभला बनाना गया। यद्यपि इन अन्याचारों और अन्यायों के विस्तृ समय-समय पर अनक मनों एवं महात्माओं ने आवाज उठायी तथा जान-यात और ऊर्ज नीच के भेदभाव का घड़न किया। गमानद बोर गमदाम दाढ़ तुकाराम नानक और चैतन्य भादि न इन दुराइयों नया अन्याचार रा धार विरोध रिया किनु जाति प्रथा वी जडे हिन्दा नहीं भके वल्कि वे स्वयं जानि प्रथा के शिकार हो गय तैनाकि बालम ने लिखा है

'मध्यवासीन भमानतावादी मुझारको जैन वामव, रामावद तथा बड़ीर अपने अनुवायियों में जाति प्रथा के उन्मूलन का प्रयाम किया परन्तु उनके भपदायों न नवीन जातियों की विस्तपता का शीघ्र ही बहव कर दिया तथा बुद्ध दग्धाभा व वे स्वयं जातियों में विभाजित हो गय थ। निष्ठ अपन मुहजों की स्पष्ट भावनाओं तथा जानि-वैयनस्य को नष्ट करन के प्रत्यक्ष विचार में ग्रहण किये हुए मास्त्रिक भूभोज के होने हुए भी, जाति भावना को नष्ट नहीं कर पाय। यहा तक कि ममानता पर पूर्ण आस्था रखने वाले मुमलभानों ने भी जातीय दला का निर्माण किया। भालावार निवासी नीरिया के ईमाइयों ने अपने को जौयों म

विभाजित कर निया जिन्होंने जाति का रूप प्रहृण किया । ॥

मनु द्वारा स्थापित ब्राह्मणों की वरिष्ठ पिधिक-प्रस्त्यति तथा अन्य विशेषाधिकारों को आधुनिक बाल में भी कुछ मामलों में मान्यता दी गयी थी तथा उन जारी रखा गया था । राजा को गौ-ब्राह्मण प्रतिपालक की पदबी दिया जाना ममाज म ब्राह्मणों के विभिन्न स्थान वा दोतक है ब्राह्मणों को प्रत्यन्न रखना राज्य का प्रथम कर्तव्य होता था । देव के किसी भाग में ब्राह्मण भूमिधरों को भूमि पर राजस्व निर्धारण अन्य वर्षों की अपेक्षा कम दर में लागू होता था । ब्राह्मण मृत्युदण्ड में मुक्त होने थे और जब उन्हें दुर्गों में बड़ी बनाया जाता था तब भी अन्य वर्षों की अपेक्षा उनके माझ अधिक उदारतापूर्वक बतावि किया जाता था । कारबग वा कथन है कि भारत के अधिकार भागों की भाति जावनकोर के ब्राह्मणों ने अपने आपको यथा साध्य दृढ़ म मुक्ति पान में पूरी सावधानी प्रदर्शित की थी । कम-में-कम एक ही अपराध में अन्य जातियों की अपेक्षा उन्हें बहुत ही अल्पदण्ड दिया जाता था । बगाल म भूमि पर कर-नगान वा रकम उमड़ी भोगने वाले की जाति के अनुमान शाय दर्शिति होती रहती थी ।<sup>11</sup>

ब्रिटिश शासन से पहले राजा (हिंदू या मुसलमान) जाति व्यवस्था वी चोटी पर होता था । राज्य के अतर्गत जातियों व दर्जे का निर्धारण अनन्त राजा की महमति म होता था तथा अपनी जाति पचापत द्वारा इसी अपराध व निया जाति महिलाओं व्यक्ति हमेशा राजा को अपील करने का अधिकार रखना था । राजा को मदूरों वी जान करक उन निर्धय को अनुमोदित करने या बदलन की जिस्त होती थी । मुसलम शरणवादी म सभी जाति पचायनों के लाल दिल्ली की कोट हुआ बरती थी । जाति व दर्जे मदधी प्रगड़ों के निपटारे तथा इसी अपराध के लिए उचित दृढ़ दर्जे के लिए राजा विद्वान ब्राह्मणों की मनाह लेता था । ब्राह्मण वेवल विधानों की व्याख्या करन ये उन्हें राष्ट्र कराने वा कार्य राजा का होता था । इस प्रवार जाति मदधी नियमों वी लागू करन सामाजिक ऐलीबद्दता म उपजातियों की प्राच्छनि या पदावनति बरन का कर्तव्य तथा अधिकार राजा के पास था ।

यहा तक कि वर्तमान शनाव्दी तक अनेक हिंदू राज्यों म राज्य द्वारा लगायी गयी नियोगताओं को अदूसों को महन करना पड़ता था । ब्रावणकोर म कुछ अदूसों जाति व मदस्यों को गुलाम माना जाना था तथा उनके माझ दूसरी तरह भी सपति व ममान बतावि किया जा भवता था । 1855 म महाराजा ने एक घारणा करक राज्य के अधीन समस्त दामों को आजाद किया तथा व्यक्तिगत रूप म दाम रखने पर प्रतिबंध लगाया । मानावार तथा पूर्वी सीमा के ताढ़ी बनाने वाले इमवा तथा जानारा को छाना जूता या भोगे के गहने पहनने गाये दुहने या टंग की साधारण भाग्य वा भी उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती थी । मालावार म बवन ब्राह्मणों का बहुआ वी शक्ति ये बन हुए तस्तों पर बैठने वा अधिकार था और यदि वोई अन्य जाति का सदस्य उसे आमन वा उपयोग कर लेता, तो उसे मृत्यु दण्ड तक दिया जा सकता था । ब्राह्मण के अतिरिक्त मभी जातियों के सदस्यों को बमर में ऊपर अपने शशीर वो दृष्टि वा स्पष्ट रूप म नियधि था ।

स्थिरों के समर ने उनके अपने ग्रांडर बॉडीकन का भी नव् 1865 तक एना ही कानून था कि यदि वे तिया या अन्य नोची जानियों को हो तो उन्हें अपने ग्रांडर का उनके भाग विस्तृत सूना रखने को विवर हाना पड़ता था<sup>1</sup> मन् । १। तक उत्तरग्राम में अद्युतों के लिए अन्य अदान्त हुआ करने की तथा अपवित्र भयों जानि के नोचों का अपनी पदहों में बैठे दे पाए जाने पड़ते थे। अदान्त ये नोचों जानि के लोगों ने उनके नामगदान चाराधिपति को सीधे न देकर उन्हि दिनों अन्य व्यक्ति वे हाथ में देने पड़ते थे। अद्युता के बच्चे स्कूल में भवणों व बच्चों के माय नहीं बैठ नक्त हैं।

## जाति और सुधार

भारत में जाति-यानि लुभानून तथा कम्बाड के विशेष में भव्यजातियों जस्तिमानों भक्ति आदोन्त का महत्त्वपूर्ण यागदान रहा। यह एक एना आदान्त रहा जिसका अमर समूचे भारत पर पड़ा तथा जिसमें निम्न जाति के तथा गर्वीव लाय नभी जानिए हुए। भक्ति आदान्त के मता न मभी धमों की समानता तथा इन्द्रवरन्ति की एकता का उत्पदन दिया यह गिज्ञा हो कि व्यक्ति का सम्मान उनके जन्म पर नहीं बन्धक दुनक कार्य पर निर्भर करता है। इन्हाने अत्यधिक कम्बाड दासिक औषधारिताएं तथा पुजारिन्द्रा वा आधिष्ठत्य का विराप किया तथा इस दान पर वृद्ध दिया कि वैदेन भक्ति तथा विदेन ही सभों के निए भूमिका भा॑प्त है। भक्ति आदोन्त के कारण कुछ निम्न जातियों के लोग भी जिसमें वह एक हृग्जन भी सम्मिलित थे धार्मिक नना हुए। आदान्त न निय के आधार पर भेदभाव की अवहनना की आदान्त अक्ता महादर्वा भाँग शादि नाँगों ने भक्तिमार्ति को अपनाया। भक्ति आदोन्त के मता तथा महान्माजों ने लुभानून शास्त्र-भस्त्र धर्म के बाह्याचार जानि-यानि और मन-नश्वदाय के भेदभाव के विष्ट घोर प्रहार किया तथा जिटिंग भास्तनकान में समानता व पक्ष में किय जान वाल अनक मुश्तरों के लिए भूमिका नैयार हो। इनसीं जिमपता थीं कि अन्यद्य अन्यरह तथा गवार लोगों नके अपने विचारों दो पहुचान व लिए समूह भाषा के बड़ाय नाक-भाषा का व्यवहार किया जो विभिन्न प्रदेशों में स्थानीय भाषाओं के स्पष्ट में नामन शायी और सम्मन देख म एक सावजनिक भवुकहो वाली के अप म विभिन्न हुई।

मूरीमिन्द के विवाम तथा भर्कि आदान्त की गिज्ञाज्ञा न अनहु नुझार के लिए मैदातिक आधार लैयार किया था। जिटिंग भास्तनकान म इसाई धर्म तथा पश्चिमो सामाजिक भूल्पो में परपरायन हिंदू धर्म का भास्तना हुआ। अनक भारतीय पश्चिमी उदारवादी सून्या के सर्वों में भाय मात्र उनीं माटम्कू शादि विचारसो के विचारों को पढ़ा याम वो जाति शैदोगिक तथा पश्चिम की दैज्ञानिक प्रश्नों के बार म ज्ञानकारी दृष्टिन की। स्वनश्वरा तथा भस्तनका की भास्तना न अरिल हावर अतेह समाज-सुझावों न हिंदू समाज में व्याप्त कुरीयिया प्रधाविद्वासा तथा प्रामिक छिया दो जह में उचाड़ पक्न का प्रयाम किया। नुधारका का भास्तना या कि सामाजिक अन्यतया के लिए धर्म उत्तरदायी नहीं या उन्हि आपनिज्जनक आचरण अपवृद्धि है जिसमें

हिंदू समाज को शुद्ध किया जाना चाहत्यक है।<sup>14</sup> ग्राम रामगांव गाय प्रथम जातीय भारतीय विन्हान हिंदू धर्म के नवोत्थान का शोधण किया। 1840 म बबई द परमहम सभा का गठन हुआ। इसने जाति का समाज करना अपना लक्ष्य बनाया किन्तु उह विरोधी के बारण यह अमर्पन रही। जाति के विन्दु पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण आदानन पूना के श्री ज्योतिराव पुने न चलाया। उन्हान अब युग्मत विवर जाति का विग्रह किया तथा उस व्यष्टिहार म नागृहि किया। उन्हान दर्भिन वर्ग क लाभा क। गिरिधि करन पर बल दिया। 1848 म अंग्रेजी जातियों के नड़का तथा रड़किया क लिए प्रायमिक स्कूल स्थापित करके उन्हान जाति व्यवस्था के विग्रह का वासावरण बनात वी तरफ बढ़ाया। 1851 म उन्होन बहुरना के प्रमुख बड़ा गूना म अमृद्या क लिए एक प्राप्तिमिक स्कूल खोला। 1873 मे उन्होन सन्यज्ञाधिक समाज नामक सम्प्रा भार म दिया। इस सम्प्रा न दिना जाति को ध्यान म रख मनुष्य क दास्ताविह महत्व पर बन दिया। पूर्व न अपने सेसों मे यह भाग की वि समस्त स्थानीय निवायी मवाओ तथा सम्प्राजा म हिंदुजा के सभी दर्ग का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र पुने क आदानन का धी रानाडे ने भी समर्थन दिया। हालांकि अनक द्वाराणा ल इस आदानन का विग्रह किया था, माथ ही गैर-द्वाराणो म भी इसकी प्रशंसनी धीमी रही। इस आदानन का कान्दापुर क महाराज मे बल मिला। उन्हान इसका इनका द्वारदार समर्थन किया कि धी मारुष्य तथा धी चेम्स कोई को अपने भास्त्रनीय ग्राहनीनिक मुख्यार्थ म इन शारीर का स्वर्णकाम करना पड़ा। ऐसव चट्ठ मन तथा उनके अनुयायियों न मिथ्या के उन्धान क लिए अनक बदम उठाये। उन्हान सभी धर्मों क समन्वय का प्रबन्ध भर्मर्थन किया तथा अन्तर्जालीय विवाह का भर्मर्थन किया। स्वामी विवाहनद का बहना था कि दु दी दर्भिं अमहाय भोगों की भवा बरना तथा उन्ह ऊपर उठाना ही उद्देश्य-प्रेम का अस्त्री रूप है। वाम्बद म पह दलित शापित लोग ही भगवान है। उनका मानना था कि जाति-स्वरूपा न एक समय बहुत ही भद्रत्वपूर्ण भूमिका निभायी किन्तु आज यह समाज म दूर्घट ही कैसा रही है। रानाडे क अनुमार गृहस्ता और सर्वोत्तमा का भाव अनरात्मा की आवाज क बजाय बाहरी शक्ति क सामन लुकाना जाति और परपरा क आधार पर मनुष्या म बनावटी भेद मानना और पाप और गवनी पर निपित्य भाव म पनक मानना तीरिक मूष-मसृदि के विषय म उदासीन रहना और भाग्यपाद पर जन रहना नाशनीव समाज के पतन के कारण है। उन्हान इन प्रवृत्तियों का इटवर विग्रह किया। आर्य समाज न भी जातिन्याति के उन्मूलन मिथ्या क उचान और निश्चय इन विवाह का विग्रह किया दिवाह का प्रचार दु दी दर्भिं दी भडायना जननन की पद्धति का विवाह मूर्तिनूबा का सद्गत पामहा तथा अधिक्षिवामा का भद्राशां एहा पुराहिना और महना की छोछालेदर आदि पर द्वार दिया। उनक अनुमार समाज म थलना का भावदह जाति न होकर दुदि तथा जान हाना चाहिए।

बीमवी मदी म जाति-जाति क भइभाव का समाज करन क प्रयामा म तबी आयी। इसक पौख दा तस्व ये—(1) सामाजिक आदान (2) पर्व क सराधण को भावना। बीमवी मदी म अनक नका मानवजाह की भावना म प्ररित हाहर दर्भित जातियों क प्रति

अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए मामने आये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य में इस सामाजिक बुराई की निदा बी गयी। साथ ही लोग हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम या ईसाई धर्म न अपना से इसलिए भी दलितों तथा अद्यूतों के प्रति सबजों का दृष्टिकोण बदला। युआद्यूत को नमाप्त करने का प्रयास किया गया।

'सत्य शोधक समाज' के विचारों में प्रभावित होकर स्वयम् भर्याई' अथवा आत्म-सम्मान के रूप में अद्वाहण आदोलन चला जिसका ५० बी० रामास्वामी नायकर ने १९२५ में स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया। शास्त्राणों से दूसरे वर्गों का शोषण किया है परिणामत वे शिथा तथा नये रोजगार के अवसरों और राष्ट्रीय आदोलन के नेतृत्व में काफी आग बढ़ गये हैं। अबर दलित वर्ग नये मुअब्दमरी म हिस्मा पाता है तो उन्हें कुछ समय के लिए कुछ रियायत तथा विशेषाधिकार दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए शास्त्राणों के प्रति विभेद करना आवश्यक है। जबकि यह विभेद शताव्दियों से अद्वाहणों ने जो शेषा है उसकी तुलना में नहीं के बगावर होगा। भर्याई आज के ब्राह्मण अपने पूर्वजों के कृत्यों के प्रतिफल का भोग करे। इस प्रकार सामाजिक न्याय का निर्दात अद्वाहणों के पक्ष में तरजीही बर्ताव के रूप में दिया गया। इस नीति का अनुमरण १९२० के दशक में मद्रास प्रान्त भ किया तथा तीग तथा चानोन के दशक ग यह नीति चरम गीभा पर थी।

डॉ० अम्बेडकर ने इस बात पर बल दिया कि जाति वेद तथा जाति पर आधारित है तथा हिंदू धर्म का एक अभिन्न भाग है इसलिए जाति त्यागने का अभियाय हिंदू धर्म के मूल तत्त्व को त्यागना है। उनका मानना था कि दलितों को वह धर्म स्वीकार करना चाहिए जो उनके साथ समानता का व्यवहार करे। अत समाज मुधारकों ने दो बातों पर बल दिया। प्रथमत उन लोगों ने परपरागत जाति की अवधारणा पर झहार वरके उसमें समानता की भावना का समर्तवेश करने का प्रयास किया। अनेक समाज गुधारक तथा कांग्रेसी नेता अनेक दलितों की बस्तियों में गये। उनके हाथों से जल झहण किया तथा उसे पिया। उनकी बस्तियों की सफाई की। अद्यूत बच्चों को योद में उठाया। अद्यूतों के लिए निपिद्ध मासों में उनका प्रवेश करवाया। निजी मदिरों के अनेक स्वामियों ने व्यक्तिगत रूप में अपने प्रबन्ध में चल रहे भटिरों से सभी वर्गों के लिए स्वतंत्रतापूर्वक प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। निश्चय ही अद्यूतों तथा दलितों के मसीहा महात्मा गांधी जी के मुधार की आधी ने इन विरोधों की जड़े उसाड उन्हे धराशायी कर दिया। द्वितीयत धर्म की इस प्रकार व्याख्या की गयी ताकि परपरागत जाति व्यवस्था से उसका दामन छूट भके। गांधी जी ने घोणणा की कि धर्म का जाति से कोई संबंध नहीं है बल्कि यह एक प्रथा है जिसकी उत्पत्ति अज्ञात है। अनेक लोगों ने हिंदू धर्म की नयी व्याख्या प्रस्तुत की। इसकी व्याख्या जाति के नियमों के रूप में न करके, स्वतंत्र व्यक्ति के सत्य तथा सदाचार की सोज में की गयी। यह कहा गया कि अबर प्रत्येक व्यक्ति जी आत्मा एक परम सत्य का अश है तो फिर यह असमानता कौनी? इस प्रकार प्राचीन कानून हिंदू तात्त्विक चितन के आपार पर समानता वा सिद्धात प्रतिपादित किया गया।

## ब्रिटिश शासन द्वारा सुधार

भुगतान में यह मान्य सिद्धात था कि धर्मनिरपेक्ष सत्ता जाति के मामलों में अतिम निर्णयिक है। ब्रिटिश शासन द्वारा भी आरभ में जाति के सबध में मुगल शासन जैसी नीति ही अपनायी गयी। यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति को बैठता था तो विना सरकार की अनुमति के जाति में बापस नहीं आ सकता था। कलकत्ता में सरकार ने कुछ ममय तक जाति-कचहरों (पचायत) वाली जारी रखा। इस कचहरी के पास जाति सबधी विवादों के काफी व्यापक क्षेत्राधिकार थे। हालांकि योडे ममय बाद कचहरी को समाज कर दिया गया, तत्पश्चात् दीवानी अदालतों द्वारा हिंदू विधि के मामलों में निर्णय दिये जाने वो छोड़कर, ब्रिटिश सरकार ने जाति मवधी मामलों में हस्तांतर करना बढ़ कर दिया। बिना ब्रिटिश विधिक व्यवस्था ने परपरागत जाति व्यवस्था की कार्य विधि को अत्यधिक प्रभावित किया।

ब्रिटिश न्यायालयों की स्थापना ने जाति व्यवस्था में इतिहारी परिवर्तन कर थीमणेश किया। इन न्यायालयों ने एक-से फौजदारी कानून को लागू करना आरभ कर दिया। अनेक मामले, जो वहले जाति के अतार्गत निपटाये जाते थे अब वे न्यायालयों द्वारा निपटाये जाने लगे। ये ये प्रहार अधिकार बलान्कार तथा ऐसे ही अन्य अपराध के मरम्मने ब्रिटिश न्यायालयों में जै जाये जाने लगे त्यों-स्थों जाति जाति इकाइयों का महत्व कम होता चला गया। न्यायालयों ने ममानता के मिदान को लागू किया। अपराध की गभीरता जाति पर निर्भर नहीं करती थी। दीवानी कानून में विवाह लवाक उत्तराधिकार, विरासन आदि जैसे मामलों में यदायि ब्रिटिश भोगों ने जाति के रीति-रिवाजों के मार्गदर्शन में कार्य करने की नीति अपनायी किन्तु जाने जाने निश्चिन रूप में उच्च न्यायालयों ने ऐसे अनेक निर्णय दिये जिन्होंने व्यवहारन जाति की मत्ता को हटा दिया।<sup>13</sup> धीरे-धीरे अद्वाहृण जातियों में इतना आत्मविश्वास बिनिमित हुआ कि पुरोहित के रूप में कार्य करने के बाह्यण के बज परपरागत तथा ममानता अधिकार को अनेक स्थानों पर चुनौती दी गयी। बड़ई उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णयों में भन व्यक्त किया था कि गैर-आहृण जिन किसी व्यक्ति को चाहे उसे पुरोहित के कार्य के लिए नियुक्त कर सकते थे तथा वे बज-परपरागत पुरोहित की मेवाएँ लेने के लिए बाध्य नहीं थे।

ग्रन्त 1850 के जाति अनभर्ता निवारण अधिनियम ने जाति व्यवस्था पर एक अन्य घोर प्रहार किया। यह अधिनियम अन्य धर्म या परिवर्तन या अन्य जातियों या प्रदेश की मुविधा प्रदान करता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जाति या धर्म सात पर भी अपना अमाधारण भरना अवधारण नहीं खोता है। विशेष विवाह अधिनियम 1872 ने यह व्यवस्था बीं कि एक व्यक्ति किसी दूसरे धर्म या जाति के व्यक्ति के माय विवाह कर सकता है यदि विवाह के दोनों पक्षों न अपन विवाह के करारनाम की इम पोषण के साथ रजिस्ट्री करवा ली हो कि वे किसी धर्म वो नहीं मानते। इसम धर्म व्यापने वीं शर्त एक नैतिक द्रिविधा के रूप में मानी जाती थी। इसमिए इसके मुद्दार के

आदोलन चलते रहे । 1923 के मणोधन अधिनियम ने इस शर्त को समाप्त तो कर दिया किंतु इसके साथ ही कुछ कठिनाइया और जुड़ गयी क्योंकि विवाह के दोनों पक्षों को हिन्दू विधि के अधीन दशक पहले तथा उत्तराधिकार के कुछ अधिकारों से बचित होना पड़ता था । बिना दड़ के अतर्जातीय विवाह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही सभव हो पाया ।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटिश सरकार का ध्यान अद्भुतों की असमर्थताओं को दूर करके समानता के स्तर पर नाने के लिए केंद्रित था । 1858 में एक प्रेस विज़ाप्ति में यह घोषणा की गयी-

यद्यपि मपरिषद् राज्यपाल का इशारा नीची जाति के विद्यार्थियों को उन स्कूलों में प्रवेश की अनुमति देने का नहीं है, जिनके व्यय में सरकार के माथ स्थानीय दातागण तथा मरकार भी भाग लेते हैं, जो इस कार्य के विरुद्ध आपत्ति उठाते हैं । तथापि वे अपने पास इस अधिकार को पूर्ण रूप से मुरक्कित रखते हैं कि वे ऐसी आशिक सहायता प्राप्त स्कूल को सरकारी महायाता में बचित कर मकेगे, जिनमें शिक्षा के नाभ इसी भी वर्ग में व्यक्तियों से उनकी जाति या प्रजाति के कारण छीन लिये गये हैं और साथ ही वे यह भी प्रस्ताव स्वीकार करते हैं कि पूर्ण रूप से मरकारी व्यय से चलने वाला स्कूलों में प्रवेश प्राप्ति के सभी वर्गों के लिए बिना किसी भेदभाव के मुला रहेगा ।<sup>16</sup>

समाज मुधार की अनक कोशिशों के बावजूद दलित वर्ग के लड़कों को प्राय विद्यालय के कमरे में प्रवृट नहीं होने दिया जाता था बल्कि उन्ह स्कूल के कमरे के बाहर बरामदे में बिठाया जाता था । इसलिए 1923 में मरकार ने यह तथ नियम कि निमी भी ऐसी महायाता प्राप्त शिक्षण सम्या को अनुदान नहीं दिया जायेगा जो दलित वर्गों के लड़कों को प्रवेश नहीं देते हैं । किन्तु ये नियम तथा उपनियम अद्भुतों के विधिक अधिकारों को मरण देने के लिए पर्याप्त नहीं थे शताब्दियों से जने आ रहे अन्याय शोषण तथा अत्याचार में इन्हे खुटकारा दिलाने के लिए कुछ अधिक प्रभावयुक्त बदल उठाया जाना अपेक्षित था । परिणामतः 1878 में बर्बई के मार्क्झिनिक शिक्षा निदेशक थी नैटफील्ड ने इन जातियों के लड़कों को प्राथमिक विद्यालयों में शुल्क आदि के सबध में कुछ रियायते प्रदान की । कुछ समय पश्चात् माध्यमिक विद्यालयों तथा भड़ाविद्यालयों में उनमें में कुछ जातियों के लड़कों के लिए छात्रवृत्तियां देना आरम्भ कर दिया । बर्बई मरकार के बित बिभाग के 17 मिनिस्टर 1923 के प्रस्ताव रूप में निम्नतर सेवाओं में उन्नतिशील बढ़ावण तथा अन्य वर्गों वा प्रवेश तब तक के लिए नियिद कर दिया जब तक कि मध्यवर्ती तथा पिछडे वर्गों के सदस्य एक निश्चित अनुपात तक स्थान नहीं प्राप्त कर लेते ।

1909 के 'मार्ट' मिट्टी नुधारों द्वारा भारत में पृथक् प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का मूल्यात किया गया । इनके द्वारा न केवल मुमलमानों के लिए पृथक् स्थान मुरक्कित किये गये, वरन् उन्हे सामान्य निर्बाचिन थेओं में सभी के समान अधिकार दिये गये । 1919 में अधिनियम द्वारा साप्रदायिक भनाधिकार वा विस्तार किया गया । लदन में हो रहे

फिर भी विटिज नीति का प्रभाव यह रहा कि भारत में आधुनिक राज्य के निर्माण की नीति पड़ी, जाति व्यवस्था वी प्राचीन काल से चली आ रही परपरागत मानवताओं पर कुठाराधात किया गया। जाति पश्चायतों को निष्क्रिय करके राज्य के देशाधिकार का विस्तार किया गया। विधि के समझ समता तथा भगान नागरिकता के सिद्धात को नये राज्य के विकास का आधार बनाया गया। निश्चय ही स्वतंत्रता के बाद के स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय पर आधारित धर्मनिरपेक्ष प्रजातत्र के लिए एक मजबूत आधार तैयार हुआ।

### भारतीय संविधान में समता के सिद्धात का और विभेद के अभाव का समावेश

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह उपबष्ठ है, 'राज्य भारत के राज्य द्वेष में विस्तीर्ण व्यक्ति को विधि के समझ समता से या विधियों के समान सतरक्षण से बचित नहीं करेगा।' इसमें यह विवरण की गयी है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं होगे और सभी वर्ग समान रूप से समान्य विधि के जटील होंगे। साथ ही यह भी विवरण है कि समान परिस्थितियों में समता का व्यवहार किया जायेगा। 'समता के सिद्धात का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक विधि सभी व्यक्तियों को सार्वभौम हृषि से नागू हो यद्यपि वे व्यक्ति प्रइति, योग्यता या परिस्थिति के अनुमार एक ही स्थिति में नहीं हैं। विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की अन्तर्गत आवश्यकताओं को देखते हुए बहुधा उनसे पृथक् व्यवहार करने की अपेक्षा होनी है।'<sup>17</sup>

यह सिद्धात राज्य से विधिसम्मत प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने की शक्तिया छीनता नहीं।

विधान महल को मानवी सवालों की अनन्त विविधता से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ता है। उसे आवश्यकतानुमार यह शक्ति देनी पड़ती है कि वह विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशेष विधि बनाये और इस प्रयोजन के लिए उसे व्यक्तियों के या अन्य ऐसी वालों के जिन पर ऐसी विधियों का प्रबन्धन होता है चयन या वर्गीकरण के लिए विस्तृत शक्तिया दी जानी है।<sup>18</sup>

वर्गीकरण युक्तियुक्त नभी होगा जब वह मनमाना, कृतिम या बाग्धलपूर्ण होने के बजाय तर्फमग्न होगा। उसका आधार हमेशा विस्तीर्ण वास्तविक और सारवान् विभेद पर होना चाहिए तथा ऐसे विभेद ना युक्तियुक्त और न्यायपूर्ण संवध उस बात ने साप होना चाहिए जिसके लिए वर्गीकरण किया गया हो। वर्गीकरण वैधता की परम में ठीक उतरे इसके लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, वे हैं-

(1) वर्गीकरण मुद्राध विभेद पर आधारित होना चाहिए जो एक समूह में लावे गये लोगों का अन्य लोगों से भेद बने, और

(2) इस विभेद का अधिनियम के उद्देश्य से तर्फमग्न संवध होना चाहिए।<sup>19</sup>

इम प्रकार अनुच्छेद 14, राज्य द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही, किसी भी स्थिति में मनमानेपन पर प्रहार करता है। अनुच्छेद विभेद की मनाही नहीं करता वह केवल कुटिल विभेद की मनाही करता है वर्गीकरण की मनाही नहीं करता प्रतिकूल वर्गीकरण की मनाही करता है।

जैसाकि हमने पिछले अध्यायों में देखा है भारत में स्वतंत्रता से पूर्व धर्म, मूलवज्ञ जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद विश्वा जाति या किन्तु मानविधान का अनुच्छेद 15 (1) राज्य द्वारा केवल धर्म मूलवज्ञ जाति लिंग या जन्म स्थान से आधार पर पश्चात नहीं करेगा कि वह किसी विशेष पर्याय या जाति का है। यहाँ 'केवल' शब्द का अभिप्राय है कि यदि विभेदकारी व्यवहार के लिए इस अनुच्छेद द्वारा प्रतिष्ठित आधार के अतिरिक्त कोई अन्य आधार या कारण है तो विभेद अविधानिक नहीं होगा। अनुच्छेद 15 (2) में यह उत्पवध है कि जहाँ तक सामाजिक मनोरञ्जन के स्थान का सवध है किसी नागरिक के साथ ऐसे विभेद धर्म मूलवज्ञ जाति, लिंग जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा चाहे ऐसा विभेद राज्य के किसी कार्य का परिणाम हो या किसी अन्य व्यक्ति के। प्राइवेट व्यक्तियों के स्वामित्वाधीन कुएँ, तालाब स्नानघाट सड़कें और गार्डनिंग सामाग्री के स्थान इस प्रतिष्ठेद के अधीन हैं बताने के पूर्णता या सामग्री राज्य निधि से पोषित हो या साधारण जनना के प्रयोग के लिए हो।

अनुच्छेद 15 में दिये गये विभेद के प्रतिष्ठेद के आमासन के उपमिदात के स्पष्ट में सविधान ने लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की प्रत्याभूति दी है। अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार, 'कोई नागरिक के विभेद धर्म मूलवज्ञ जाति, लिंग उद्भव जन्म स्थान निवास या इनमें से किसी वे आधार पर राज्य ने अधीन किसी नियोजन या पद के सवध में अपार नहीं होगा या उससे विभेद नहीं किया जायेगा।' इम प्रकार के विभेद का प्रतिष्ठेद प्रारम्भिक नियुक्ति के विषय में भी है और प्रोन्ति तथा सेवा के पर्यवर्तन के विषय में भी।

भारतीय संघाज में कुछ वर्ग जलीत के अन्याचार के शिकार रहे हैं उनके साथ अनेक तरह के जुल्म और शोषण किये जाते रहे हैं। उनके लिए आनंदमन्मान तथा गामाजित प्रतिष्ठा दिवा-स्वप्न बनकर रह गये थे। उनकी असमानता को दूर कर राज्य की मुख्य धारा के साथ झोड़ने के लक्ष्य से मविधान में विशेष उत्पद्धति दिये गये। अनुच्छेद 15 (2) के द्वारा विभेद को समाप्त किया गया। अनुमूलित जातियों, अनुमूलित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिशा और अर्थमवधी हितों की अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद 46 में व्यवस्था बीं गयी, 'राज्य जनना के दुर्बल वर्गों के विजिटनया अनुमूलित जातियों और अनुमूलित जनजातियों के शिशा और अर्थमवधी हितों की दिशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सरका बरेगा।' लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं से अनुमूलित जातियों और अनुमूलित जनजातियों के लिए स्थानों के आवश्यक वर्गीकरण की गयी। ये सेवाओं और पदों के लिए अनुमूलित जातियों और अनुमूलित जनजातियों के दात की

ध्यान में रखने की व्यवस्था की गयी।<sup>21</sup> अनुमूलित जातियों अनुमूलित जनजातियों आदि के लिए विशेष अधिकारी वा उपबघ बिया गया।<sup>22</sup> पिछड़े वर्गों की दण्डाओं के अन्वेषण के लिए आपोग की निषुक्ति की भी व्यवस्था की गयी।<sup>23</sup> इस प्रकार मविधान में दलित तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सरकार की व्यवस्था की गयी।

मविधान में अस्पृश्यता के अत वा उपबघ किया गया। अनुच्छेद 17 के अनुमार 'अस्पृश्यता' का अन बिया जाना है और उसका विस्तीर्ण भी इप में आचरण नियिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता में उपजी किसी नियोगता को नागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुमार दड़नीय होगा। अनुच्छेद 35 द्वारा ससद को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा इम अपराध के लिए दड़ विहित करे। ससद ने 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम पारित किया। अस्पृश्यता निवारण विधेयक को सोकमभा में प्रस्तुत करने हए 27 अप्रैल, 1955 को प० गोविंद चलनभ पत ने कहा, 'अस्पृश्यता का यह रोग हमारे समाज की रगों के बदल तक समा गया है। यह बेवल हमारे धर्म पर ही कलक नहीं है बरितु इसमें अनहनशीलता, जातिवाद तथा विष्फलात्मक प्रवृत्तियों को भी भी बढ़ावा दिलता है। हमारे समाज की अधिकांश बुराइयों का पून इस निदनीय कुरीति में है। यह एक विचित्र बात है कि हिंदू धर्म जो अपने उदात्त दर्जन के लिए विष्यात है, जो एक तुच्छ चीटी के प्रति भी उदारता दिखलाता है वह मानवता के प्रति ऐसे अशास्य अपराध का दोषी है। मओधन और पुन नामकरण होइर अब यह (1976) में निदन अधिकार सरदार अधिनियम 1955 हो गया है। इस अधिनियम में अस्पृश्यता के आधार पर किये जाने वाले कार्यों को अपराध माना गया है और उसके लिए दड़ विहित किया गया है। जैसे

(क) किसी व्यक्ति को विसी सामाजिक समस्या में जैसे— अस्पृश्यता और धारालय, गिर्धा सस्था में प्रवेश न देना।

(ख) किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना के दिग्गी स्थल में उपाभना या प्रार्थना करने से निवारित करना।

(ग) किसी दुकान, मार्वर्जनिक रेस्टरा, हॉटल या सर्वजनिक मनोरेत्रजन के विसी स्थान पर पहुँचने के बारे में कोई नियोगता अधिरोपित करना या विसी जनाशन, नज़ या जल के अन्य स्रोत सार्ग, इमशान या अन्य स्थान के संबंध में जहा सार्वजनिक स्थ से सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, पहुँच के बारे में कोई नियोगता अधिरोपित करना।

इस अधिनियम के प्रविष्य को 1976 में बढ़ावर अस्पृश्यता के अपराध के अतर्गत निम्ननिवित भी रख दिये गये हैं

1. अनुमूलित जाति के विसी मात्रस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना।

2. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उद्देश देना।

3. दृतिज्ञान-दर्शन या धर्म के आधार पर या जाति व्यवस्था की परापरा के आधार पर अस्पृश्यता को स्थापोचित ठहराना।

'पश्चान् वर्तीं दोषमिहि' के लिए दड़ एवं मे दो वर्ष तक ही कारबाह हो सकेगा। अस्युस्तुता के अपराध के लिए दायमिहि व्यक्ति यथा या ग्राह किशान मठन के लिए निर्वाचन के लिए निरर्थित होगा। पदि अनुमूलित जाति का कोई मदस्य किमी नियोग्यता या विभेद का विवार होता है तो न्यायालय वह तक प्रतिक्रिया न किया जाए तब वह क्षण यह उपधारणा करेगा कि ऐसा कार्य अस्युस्तुता है आपात पर विश्वास गया है। 1976 ईश्विन गांधी जी सम्बार ने विभिन्न वर्ष पद्धति, उन्नादन। अधिकारियम वर्गम वर्ग इन्दिरन वर्गों के अनुसार मन्त्रदूर के बय ये शासन का समाप्त हो दिया।

गर्व वर्ष समझ न अनुमूलित जाति और अनुमूलित जनजाति (अत्याचार निशान) अधिनियम। 1971 ईश्विन वर्ष इन जातियों का धरम्भग दर्शन की दिशा में वट्टन ही महत्वपूर्ण वदम उठाया। इसमें अपराधों की एक दूरी नहीं दृग्ढी का मुख्यमान ये ये उन्नेष रिया गया है नशा चम्प के लिए दृढ़ नशा किशान न्यायालय की अस्युस्तुता के गर्व है। अधिनियम सभी गांधी की अनुसूचित जातियों तक जनजाति-प्रशंसन किये जाने वाले अत्याचार वर्ग निवारित करने के लिए 'निवारित कठम' गर्व का अधिनियम है ताकि अनुमूलित जातियों में सुन्दरी जी जनजाति नहीं जा सके। अधिनियम में नशा 24 तथे लघुरागा को निर्वाचन रिया गया है कि अत्याचार उनके पक्षात् वह ही व्यक्तिया की ही होती है।

इन विधायी बदलों वे अनिवार्य वट्टन नशा गांधी मन्त्रकारों द्वारा अनेक हीरण्यक वार्षिकम चलाये गये। ऐसे हरितन दिवम इरितन मनाह आदि भवाकर अनुमूलितना की समस्या की तरफ जनजाति का ध्यान भीकरित रिया गया। भारतीय गांधीय काश्म ने अपना तश्य समाजवादी दृग का गमाज बनाया त्रिमूल निवारित नशा वर्गिकीत समाज की शानि पर बल दिया गया। इन जातियों की हीरण्यक न्याय आदिक वर्ग में सबन जनजाति के लिए धरकारों ने अनेक वार्षिकम धराया। गांधी ने हरितन व्यापार विभागा की स्थापना ही दिनका उद्देश इन जातियों का अनेक कांडमा द्वारा अनेक पैरों पर लड़े हुए योग्य बनाना है। बदल हमीने पर मूल्य अधिकार देना लिंगाई सुविधाओं आवासीय सुविधाओं हुओ, मार्हाई तथा स्वच्छता के समाजन कण की सुविधाओं आदि वे सदृश में अनेक वार्षिकम ननाये जा रहे हैं। अनुमूलित जातियों और बनजातियों के बच्चों का मुख्य गिर्भी आचर्तनिया, आयिक गहापत्यांग पुस्तक वेळन मामधी बही-बही पहनने के बच्चे तथा घोड़न और सानकाम आदि रिया सुविधाओं के लिए ये प्रदान ही जाती हैं।

### आरहण की सुविधाएं

दर्विन वर्ग के प्रति गतियों में लिया जा रहे जून्य शासन तथा अत्याचार की अनियुति वर्ग में सविधान में इस वर्ग के लिए भागी विभेद ही व्यक्तियों की गयी। इनकी सामाजिक तथा आदिक हीनता की दूर करने के लिए गिर्भी सम्यात्रा में और गत्यापीन नौरस्तियों पर पदों के सदृश में इन्हें विभाव भराया प्रशान रिया गया। सविधान वर्ग इन्हें

के पश्चात् तुरत एव महत्पूर्ण मामला उच्चतम न्यायालय वे समझ आया। मद्रास राज्य ने अपने कोष से चलाये जाने वाले मेडिकल कॉलेजों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों के लिए इस प्रकार स्थान आरक्षित किये थे कि प्रत्येक चौदह स्थानों में से अब्राहाम हिंदुओं को छ पिछड़े हिंदुओं अब्राहाम और हरिजनों में से प्रत्येक को दो, आख-भारतीयों को तथा भारतीय ईमाइयों को मिलाकर एक तथा मुसलमानों को एक स्थान भिन्न संकरा था। श्रीमती चपकम् का यह दावा था कि यदि इस प्रकार विभिन्न वर्गों के लिए स्थान मुरक्कित न दिये जाकर सभी स्थान सभी अधिकारियों को अर्हक परीक्षा में दर्शित योग्यता के आधार पर उपलब्ध होने तो उसे निश्चित ही विद्यालय में प्रवेश मिल सकता था परतु उपरोक्त आरक्षणों के कारण जहाएँ और उसमें कम योग्यता वाले अधिकारी अपनी जाति या धर्म के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे वहाएँ उसे केवल उसके ब्राह्मण होने के कारण ही प्रवेश बंजित किया गया था। श्रीमती चपकम् के दावे के अनुसार प्रवेश की यह नीति उनके मूल अधिकारों का हनन बरती थी। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न जातियों, धर्मों और मूलवंशों आदि के आधार पर किये गये विभान्नयों में प्रवेश पाने के इच्छुकों के वर्गीकरण को इस आधार पर जून्य घोषित कर दिया था कि न तो अनुच्छेद 29(2) में और न ही अनुच्छेद 15 में आधिक या मामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के हित में किसी प्रकार के अपवाद का उल्लेख था। इस निर्णय के फलान्वयन प्रविधान में प्रथम मंशोधन करना पड़ा। प्रथम मंशोधन विधेयक पर बहस के समय बोलते हुए प० जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कभी-कभी मौलिक अधिकारो— जो स्थायी समझे जाते हैं तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वो, जो एव निश्चित उद्देश्य की तरफ गतिशील बदल को दर्शाते हैं— के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता का सरकार करने हुए व्यक्ति अद्यता समूह की असमानता को भी सरक्षित किया जाता है तो इसमें उन राज्य की नीति निर्देशक तत्त्वों वा विरोध होता है जो एक ऐसी अवस्था की तरफ बढ़ने पर बल देता है जहाएँ कम-में-कम असमानता तथा अधिक-में-अधिक समानता हो। अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देने का अभिप्राय वर्तमान असमानता को जारी रखने पर बल देना होता है तो निश्चय ही यह हमारे लिए मुनीबत लड़ी करता है। तो हम स्थायी अप्रगतिशील हो जाते हैं तथा समतावादी समाज के अपने उद्देश्य को अमर्भव बना देते हैं।<sup>24</sup>

प्रथम मंशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा मंशान में अनुच्छेद 15(4) जोड़ दिया गया त्रिम्बे यह उद्देश्य है 'इस अनुच्छेद (अनुच्छेद 15) की या अनुच्छेद 29(2) की किसी बात में राज्य वो सामाजिक और शिक्षान्मूल दृष्टि से पिछड़े हुए किन्तु नागरिक वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुगूचित जनजातियों ने निलंबोई विशेष उपबन्ध करने में बाधा न होगी।' इस प्रकार इस मंशोधन ने पिछड़े हुए वर्गों के हित में शिक्षा संस्थाओं में स्थान आरक्षित करने को वैध बना दिया किन्तु कुछ राज्यों ने इस नये लड़ को मनमाने दृग में कुटिल विभेद करने वा अनुग्रामन ममता लिया। अनेक मण्डलों ने राजनीतिक जाइनोइ ने लिए जिता संस्थाओं में अधिकृत आरक्षण करना आरम्भ कर दिया। परन्तु उच्चतम न्यायालय को हमें लियम नियोगित करने परे।'

मैसूर राज्य, भद्राम, आध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश आदि प्रातो की सरकारों ने 50% में भी जातिवाद आरक्षण की मुदिधा विभिन्न बगों के लिए कर दी। मैसूर राज्य ने इज़रीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए 68% स्थान पिछड़े हुए वर्गों के लिए मुराखित कर दिये थे। इसमें कुछ जातियों को पिछड़ा हुआ वर्ग माना गया था। इसमें उन जातियों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया था जिनका सामान्य औमत 6.9 प्रति हजार था उसमें कम था। सामान्य औमत की परम्परा का आधार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अतिशय तीन बड़ाओं में विद्यार्थियों का औमत था। जब कुछ प्रवत्त जातिया अमनुदृष्ट हुई तो 6.9 के अक्ष को पूर्णांक बनाने के नाम पर 7 प्रति हजार कर दिया गया और इस पर भी जब काम न बना तो कुछ औरों को भी सम्मिलित करने के लिए 7। प्रति हजार का अक्ष परम्परा का आधार घोषित किया गया। इस प्रक्रिया को उच्चतरम् न्यायालय में एम० आर० बाला जी बनाथ मैसूर राज्य के सामूहित में चुनौती दी गयी। उच्चतरम् न्यायालय ने इसी जाति के रिछडे हुए वर्ग में सम्मिलित किया जाने के लिए रक्षी गयी एवं वे अवैध घोषित करते हुए इस संघ में कुछ महत्वपूर्ण मिद्दान स्थापित किय। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 15 का सट (4) उन मूल अधिकारों के लिए अपवाद स्थापित करना है जो अनुच्छेद 15(1) और 29(2) से प्रत्याभूत हैं, अतः इस सट के अपवाद का जो भी निर्वचन किया जाये वह उन मूल अधिकारों को व्याप में रखता है तो किया जाना चाहिए ताकि उन्हें आवश्यकता से अधिक क्षति न हो। गाय ही अपवाद का ऐसा अयुक्तियुक्त निर्वचन भी नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें संपूर्ण समाज के हिनों को हानि पहुँचती हो। इन बातों को व्याप में रखने हुए 68% स्थानों का आरक्षण करना भाष्टतया अयुक्तियुक्त है। यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं कि किसी प्रतिशत तक का आरक्षण अवैध नहीं होगा परतु इनका निर्वचन स्वयं से कहा जा सकता है कि 50% में अधिक का आरक्षण निर्वचन स्वयं से अयुक्तियुक्त और अवैध है। न्यायालय ने मान लेना किया कि किस रिछडेपन का उल्लेश अनुच्छेद 17 के सट (4) में है वह वेबन शैश्विक रिछडेपन ही नहीं है जिसका अनुमान विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की सह्या में लगाया जा सके बल्कि वह 'शैश्विक एवं सामाजिक' रिछडेपन है।

न्यायालय ने कहा कि सामाजिक रिछडेपन का अनुमान लगान में वेबन जाति का ही एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता। सरिधान में रिछडे हुए वर्गों के लिए अपवाद का उपयोग किया गया है, न कि रिछडी जातियों के लिए। फिर यदि वेबन जाति को ही रिछडेपन का मानव बनाया जाये तो वह इसनिए भी कागर मिठ नहीं होगा कि भारत के अनेक घरों में जाति का बोई स्थान नहीं है अन उन घरों के अनुपायियों का रिठडापन नहींने के लिए जाति का मानदण्ड मानन मही होगा। परिणामतः यह बात ऊर है कि जाति भी और भाजी का साध-भाय एवं मानक का स्थान में सही है जिन्हें उसे अनन्य तथा एकमात्र मानक नहीं बनाया जा सकता।

न्यायालय ने एवं महत्वपूर्ण मिद्दान यह स्थापित किया कि यद्यपि रिछडेपन को नापने के लिए अनेक मानकों का प्रयोग किया जा सकता है तथापि गरीबी को उनमें अवैध और भहत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए।<sup>21</sup>

बहला जी के मामले में स्वाधिन मिदाना का पश्चात् वे अनेक मामलों में प्रयोग किया गया। चित्रतेला बनाम मैसूर राज्य<sup>26</sup> के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मामाजिक पिट्टेपन को निर्धारित करने में पर्याप्त जाति एक महत्वपूर्ण बास्तव है किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अगर जाति वो विभक्ति हिनारे कर दिया जाये तो मामाजिक पिट्टेपन का निर्धारण ग़द्द हो जायेगा। अन्य मगत बारकों के आधार पर राज्य के लिए मामाजिक पिट्टेपन को निर्धारित करना सभव है। अनुच्छेद 15(4) एक स्वावलंबी उपदधि है जो किसी अन्य उपदधि द्वारा नियन्ति नहीं है तथा यह जाति की चर्चान करके बेबल चर्चा की ही चर्चा करता है। आधुनिक प्रदेश राज्य बनाम थी० साथर<sup>27</sup> के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जाति के आधार पर किया गया आरक्षण प्रथम दृष्ट्या तो अवैध ही माना जायेगा तथा यह दनाने का भार राज्य पर होगा कि उसे वैध माना जाय तो किम आधार पर।

अप्राप्तवय पी० राजेन्द्रन बनाम मड्डाम राज्य<sup>28</sup> के मामले में मेडिकल कालजी भ प्रवक्त वे निः डिने वे आधार पर स्थानों का विनाश अनुच्छेद 14 के आधार पर अवैध पोर्यित किया गया था। इतु कुछ मामलों में युक्तियुक्तान्वय वे दारण भौगोलिक आधार पर स्थानों का विनाश या आरक्षण वैध घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप टड्डन<sup>29</sup> के मामले में उच्चतम न्यायालय ने राज्य के भरकारी मेडिकल कॉलेजों में पर्वनीय प्रदानों तथा उल्लंघनों के लिए उन्नर प्रदेश प्रशासन द्वारा विचेषण में आरक्षणों को वैध घोषित किया। न्यायालय ने यानायान की कमी प्राहृतिक साधनों का उपयोग और विकास का प्रभाव गिरावे प्रति उन्नाह की क्षीणता आदि को आर्थिक पिट्टेपन का आधारभूत लक्षण माना तथा आरक्षण को अनुच्छेद 15(4) द्वारा भरक्षण पाने याप्त पोर्यित किया। परन्तु उसी विर्य के ग्रामीण इलाजों के लिए किया गया आरक्षण असैक्षणिक और शून्य पोर्यित कर दिया गया क्योंकि ग्रामीण होने से मामाजिक या आधिक पिट्टेपन वा बोई मवध नहीं है। दी० एन० खदता बनाम मैसूर राज्य<sup>30</sup> के मामले में उच्चतम न्यायालय ने गवर्नरिति कार्य के लिए नुकसान उठाने वालों के बच्चों के लिए किये जाने वाले आरक्षण को वैध घोषित किया।

उच्चतम न्यायालय न कुप्राप्त है० एस० जपथी बनाम वेरन राज्य<sup>31</sup> के मामले में एह अन्यन महत्वपूर्ण निर्णय दिया। वर्ग म प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज म प्रवक्त के लिए आरक्षन स्थानों का विनाश के लिए पिट्टेपन के आधार के मानक के रूप म 'भाग्यन-एव-जाति / गमुदाय की रक्षा था; अर्थात् जो लाग पिट्टी जानिया वा हान के माय-माय दम हृदार रूप वार्पित म बम आय क दर्ता में भी आन हो वेबन उन्ही का आरक्षित स्थानों का निः मामाजिक नया ईश्वरित दूर्दि म पिट्टे हुग दर्ता का माना जायेगा। यह निर्णय भरकार ने दमनिता चिरा दा हि रिष्टह हुग वर्गी का दी जाने वाली मुक्तिधार उन वर्गों के धनादृप और प्रभावगानी लागों म किनित होकर रह जानी है तथा उनमें भी जो वाम्बव मे गुरीव और पिट्टह हुग दर्ता के लोग होने हैं उन तक बोई पोर्याया या नाम नहीं पड़व पाना। अबीदार क अभिभावक की आय दम हृदार रूप मे रखकर थी, अन प्रशासन क प्राप्त के कुमार उम हृदारका जाति (जो पिट्टी जानियों की मूर्ची मे उन्निति थी) की होने पर जो आरक्षित इयान के लिए पाचना प्राप्त नहीं

थी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य द्वारा प्रस्तावित भानक को मविधान वे अनुच्छेद 15(4) वे अनुबूल और वैध बनाने हुए मन व्यक्त किया कि अनुच्छेद 15(4) मे पिछड़े हुए वगौं तथा अनुशूचित जातियों और अनुशूचित जनजातियों वा उल्लेख है, इसनिए पिछड़े हुए वगौं वा चुनाव इस आधार पर होना चाहिए कि पिछड़ेपन मे वे अनुशूचित जातिया अनुशूचित जनजातियों की तुनना दी हो। न्यायालय वा एकमत निर्णय सुनाते हुए मुख्य न्यायाधिपति अजितनाथ रे ने वहा कि जिस प्रकार जाति एकमात्र निर्णयात्मक लक्षण नहीं हो मवती उसी प्रकार गरीबी को भी एकमात्र निर्णयात्मक लक्षण नहीं कहा जा सकता। पिछड़ी जाति के बारें जो सामाजिक हीनता की छाप लगी रहती है वह उन्हीं जातियों के घनाढ़ी लोगों का पीड़ा नहीं करती क्योंकि उन्हे तो समाज म आदर से स्वीकार कर लिया जाता है। वह साप अक्सर उन लोगों को वस्त करती रहती है जो हीन माने जाने वाले रोडगार करते चले जाते हैं जिनसे आमदनी भी बम होती है। आजीविका, परपरागत निवास स्थान आदि बहुत से लक्षणों से मामाजिक और जैशणिक पिछड़ेपन वा अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जाति और गरीबी दोनों ही पिछड़ेपन का अनुमान लगाने के लिए मुमणत तत्व हैं परतु न तो अदेली जाति ही और न ही अदेली गरीबी निर्णयित तत्व वा स्थान ने सकती है।

न्यायालयों ने अनेक मामलों मे आरक्षण को अनुक्रियुक्त होने की दशा मे अवैध घोषित कर दिया है। छोटेनाल वे मामले मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 15(4) वे उद्देश्य के लिए पिछड़े वर्ग मे अहीर और कुमों जैसी सप्तन जातियों को सम्भिलित किये जाने वो अवैधानिक घोषित कर दिया।<sup>32</sup> हहकर्ता परबोन शहाबुद्दीन के मामले मे पटना उच्च न्यायालय ने ऐसे 'युवक' और 'युवतियों' के लिए जो मार्च 1974 से मार्च 1977 वे मध्य जयप्रकाश नारायण आदोलन के दौरान गिरफ्तार किये गये थे अथवा घायल हुए थे, बिहार के चारों मेटिकल वॉनिंगों मे, प्रत्येक मे पांच सीट (जगह) के आरक्षण को अवैध घोषित किया।<sup>33</sup> नरसिंह राव के मामले मे आध प्रदेश उच्च स्थायालय ने बमबोर वर्ग और नीकरी वाले अभ्यर्थियों के लिए 93% आरक्षण को अवैधानिक माना।<sup>34</sup> जगदीश सरन के मामले मे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपने एम०बी०बी०एम० स्नानको के लिए स्नानकोत्तर स्तर पर मस्त्या के अनुसार सतर प्रतिशत तक किये गये आरक्षण को उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया।<sup>35</sup> निरी भाषु के मामले मे उच्चतम न्यायालय ने सेवीय अनुकूलन को दूर करने के लिए आरक्षण करने तथा 'मेडिकल कॉलेज स्टाफ' के वाई की बेणी से अभ्यर्थियों को चुनने को अवैधानिक घोषित कर दिया।<sup>36</sup> अमलेन्दु कुमार के मामले मे पटना उच्च न्यायालय ने हरिजनों तथा पिछड़े वगौं के लिए अहंकारी अबो के प्रतिशत को घटाने को अस्वीकार कर दिया।<sup>37</sup>

इस प्रकार न्यायालयों ने अनुक्रियुक्त अनियन्त्रिय या अप्राप्य आरक्षण को स्वीकार नहीं किया। न्यायालयों ने यह ध्यान मे रखा कि आरक्षण करने मध्य गिछड़े वगौं के दावों तथा सामान्य जनता और दृढ़ता के दावों मे भवुतन स्थापित किया थया है यह नहीं।

राज्याधीन नीतियों या पटो के मध्य मे अनुच्छेद 16(4) अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अनुच्छेद 16(4) के अनुमार, “राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पश्च में जिनका भारतीय राज्य वीर राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पदों के आरक्षण के लिए उपचय कर सकती है।” जहां अनुच्छेद 15(4) में ‘सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुमूलित जातियों और अनुमूलित जनजातियों’ का उल्लेख है, वहां अनु० 16(4) में वेबल ‘नागरिकों के पिछड़े वर्गों’ का उल्लेख है। अनुच्छेद 16(4) में ‘पिछड़े हुए वर्ग’ की व्यापक कल्पना में अनुमूलित जातियों और अनुमूलित जनजातियों को सम्मिलित माना गया है तथा इनके लिए भी नौकरियों में तथा पदों वा आरक्षण का अधिकार राज्य को उस सड़ के अधीन प्राप्त है।

रगाचारी के मामले में यह दावा किया गया था कि अनुच्छेद 16(4) के बल आरभिक नियुक्ति तक ही सीमित है। न्यायालय ने इस मामले में अभिनिर्धारित किया कि यह बहना ठीक नहीं है कि अनुच्छेद 16(4) बेबल प्रारभिक नियुक्ति तक सीमित है तथा वह प्रोन्ति द्वारा ऊपर के पद पर नियुक्ति के मामलों में लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 16(4) सभी नियुक्तियों पर लागू होता है जाहे वे मिलिन सेवा में प्रथम प्रबेश के समय की नियुक्तिया हो चाहे उसके पश्चात् प्रोन्ति द्वारा अधिक ऊपरे पदों की हो। न्यायालय ने बहा कि 16(4) इस शर्त पर आरक्षण की अनुज्ञा देता है कि राज्य वीर राज्य में उन जातियों वो राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अत आवश्यक नहीं कि जिस प्रतिनिधित्व का यहां उल्लेख किया गया है केवल परिमाण पर ही आधारित हो बल्कि वह गुण किसी विस्तर पर भी आधारित हो सकता है अन राज्य वीर राज्य में यदि उच्चतर पदों पर पिछड़े हुए वर्गों के सोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो गन्य इस कमी को पूरा करने के लिए भी 16(4) के अधीन आरक्षण कर सकता है। किन्तु साथ ही न्यायालय ने यह चेतावनी भी दी कि सड़ (4) वा प्रयोग पिछड़े हुए वर्गों को बेबल पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने भर के लिए ही किया जा सकता है तथा न्यायालय इसका प्रयोग एकाधिकार स्थापित करने के लिए अवश्य अनुचित या अनधिकृत रूप से नागरिकों के उभ मूल अधिकार वो विशुद्ध करने के लिए नहीं होने देगा जो कि इसी अनुच्छेद के सड़ (1) और (2) में सुरक्षित किया गया है।<sup>18</sup>

भारत सरकार अयनयन या ‘ईरी फॉर्वर्ड’ नियम के अनुमार प्रतिवर्षीय की भर्ती में अनुमूलित जातियों और जनजातियों के लिए साड़े सत्रह प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाते थे परतु यदि किसी भी वर्ग में इन जातियों के उतने स्थान नहीं भरे जा सके तिने इनके लिए आरक्षित थे तो शेष स्थानों को उस वर्ग की अन्य सोगों से भर दिया जा सकता था, परतु इस प्रवार इन जातियों वो जितने स्थानों नी लाति होती थी उन्हें अगले वर्ष वीर रिक्तनामों वो भरने समय इनके पास में जोड़ दिया जाता था। उच्चतम न्यायालय ने एम० आर० बाला जी के मामले में स्थापित किये थे इस मापदण्ड के आधार पर कि आरक्षित स्थानों वा अनुपात 50% में अधिक वभी नहीं होना चाहिए, टी० देवदासन बनाम भारत सम्पर्क के मामले में ‘अयनयन’ (ईरी फॉर्वर्ड) नियम वो अनुच्छेद 16(1) में दिये गये मूल अधिकार से अमर्गत और शून्य घोषित हर दिया। न्यायालय ने फिर इस मत की पुष्टि की हि सड़ (4) का उपचय सड़ (1) और (2) के उपचयों का अपवादस्वरूप है और अपदाद वा ऐसा निर्वचन नहीं किया जाना चाहिए जिसमें कि स्वयं प्रधान उपचय

ही नस्ट हो जाये ।

केरल राज्य में केरल स्टेट एड मर्काइनेट सर्विसेज रूल्स 1958 के द्वारा निम्न थेणी लिपिकों में से जो लोग प्रोलंति पाकर ऊपरी थेणी के लिपिक बना दिये गये थे उनमें जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मद्दत्य थे उन्हें एक विशेष सुविधा प्रदान की गयी थी। प्रोलंति लिपिकों को प्रोलंति प्राप्त करने के लिए एक परीक्षण पास करना पड़ता था जिसमें लेखा, पंजीकरण और कार्यान्वय प्रक्रिया मबद्धी ज्ञान परखा जाना था। किन्तु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के निम्न थेणी लिपिक को न केवल यह परीक्षण पास किये बिना ही अस्थायी हृष्ट से, इन जर्ते पर ऊपरी थेणी वा लिपिक बना दिया जा सकता था कि वह दो वर्ष के भीतर परीक्षण पास कर लेगा बल्कि यह परीक्षण पास करने की अवधि निश्चित भवय के लिए बढ़ाई भी जा सकती थी। बास्तव में यह अवधि इतने भवय के लिए तबा भी दी गयी थी जब तक कि राज्य का ज्वेक सेवा आयोग इस प्रकार के दो और परीक्षण न कर ले। केरल उच्च न्यायालय ने इन नियमों को अनुच्छेद 16(1) तथा (2) के अतिलघुन के आधार पर अवैध घोषित कर दिया था। किन्तु केरल राज्य बनाम एन०एम०टॉमस के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इन नियमों को वैध घोषित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 16(1) तथा (2) में दिया गया मूल अधिकार स्वयं में कोई अपरिमीमित अधिकार नहीं है। यह अधिकार युक्तियुक्त वर्गीकरण को प्रतिष्ठित नहीं करता है। अतः इन सेवाओं में प्रोलंति पाने के सबधू में अनुसूचित ज्ञाति और जनजाति के नागरिकों को जो सुविधा प्रदान की गयी वह 16(4) में आच्छादित न होते हुए भी स्वयं 16(1) के आधार पर भी दी जाती है क्योंकि यह नियम ही एक विशिष्ट पिछड़ हुए वर्ग के लोगों का सविधान के अनुच्छेद 46 में उपविधित राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व की पूलि करने तथा अनुच्छेद 335 में की गयी घोषणा की कार्यान्वयन करने के उद्देश्य में किया गया वैध वर्गीकरण है।

इस अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम स्थापना ने इसे जानिये के आधार पर विभेदभानने से भी अस्वीकार कर दिया। उनका बहुगांठ कि अनुमूलिक जातिया तथा जनजातिया वास्तव में उस गिर्छड़े हुए वर्ग का एक समिक्षण नाम है जिसमें कई जातिया मूलवंश, जनजातिया आदि वेत्तल इस आधार पर एक सज्जा के अन्तर्गत लाय गये हैं कि ये आर्थिक तथा भाषाज्ञिक दृष्टि से निनात पतिन हैं और इन्हे मरणशोषण देना तथा इन्हे बढ़ावा देवर भवके समान बनने की प्रेरणा और अवसर देना राज्य का निष्पारित कर्तव्य है। 'अनुमूलिक जातिया' और अनुमूलिक जनजातिया इन ऐतिहासिक नामों की 'जाति' शब्द के साधारण अर्थ से सम्भालि नहीं करनी चाहिए।

इम प्रकार न्यायालयों ने यह देखने वा प्रशास किया है कि सप्त या राज्य वे क्रियाकलापों में सबधिन सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तिया करने में, अनुसूचित जनजिल्हा और अनुसूचित जनजातियों के महामध्यों के द्वावों वा प्रशासन वी दस्ता बनाये रखने की समति वे अनुभार ध्यान रखा गया है या नहीं। 'इसमें सदैह नहीं कि सविधान वे निर्माणाभ्यों ने यह उपधारणा वी कि अनुच्छेद 16 (4) के अधीन पर्याप्त आरक्षण करने समय इस बात की ओर ध्यान दिया जायेगा कि अद्युक्तियुक्त, अतिशय या अधार्थुप्रभाव आरक्षण नहीं किया जायेगा — अनावृत अनुच्छेद 15 (4) के अधीन ३८।

सरकारी सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिन्दु इम रिपोर्ट में बासी हगामा मचा। लोग पिछड़ेपन में अपना हित देखने लगे। लिंगायत जो पहले पिछड़े वर्ग की सूची में थे वे समिति की अतिरिक्त रिपोर्ट के बाद इस मूल्यवान लेदल से बच्चित हो गये थे। जबकि उनके प्रतिष्ठानी शोकवालिंग अपने पिछड़ेपन के लेदल को धारण किये रहे। इस विवादास्पद रिपोर्ट की विधानभाषा के अदर और बाहर काफी आलोचना वी गयी साप्रदायिक पश्चापात वा आरोप लगाया गया, जगह-जगह लिंगायतों ने बैठके की, प्रस्ताव पास किये, अपने समुदाय के प्रति किये जा रहे विभेद की धौर निरा की तथा यह मार्ग वी कि उन्हें पुनर पिछड़े वर्ग के हृष मे रखा जाये। समिति ने अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट मे पिछड़े समुदायों को 'पिछड़े' और 'अधिक पिछड़े' मे वर्गीकृत करने के लिए सिफारिश की तथा लिंगायतों को पूर्ववत् एक प्रगतिशील समुदाय के हृष मे दर्शाया। बिन्दु ऐसूर सरकार ने अधिक दबाव के आगे घुटने टेक दिये तथा लिंगायत पिछड़े वर्ग के हृष मे अपना विधिक स्तर बनाये रखने मे कामयाब रहे। चूंकि समिति को विभिन्न जातियों और समुदायों के बारे मे आकड़े प्राप्त करने मे अमुविधा हो रही थी इसलिए यह भी सिफारिश वी कि राज्य सरकार को जाति भी रिकार्ड करने के लिए निवेदन करे (विटिश बाल मे 1947 की जनगणना तक ऐसा होता था जिसे राष्ट्रवादियों ने यह कहकर भर्ना नहीं थी कि यह हिन्दू समाज के अदर भेदों को बनाये रखने के लिए किया जा रहा है।)

दिसंबर 1975 मे एक अन्य आयोग उनर प्रदेश सरकार ने धेदीलाल साथी की अग्रणीता मे नियुक्त किया। इम आयोग ने एक ऐमा दस्तावेज प्रस्तुत किया जो आर्थिक विश्लेषण कम राजनीतिक धोषणा पत्र ज्यादा था। इस आयोग ने बहा कि उच्च जातियों द्वारा पिछड़े वर्गों वे शोषण को दूर करने के लिए उच्च वर्गों और जातियों को दस वर्ष तक एक भी नीकरी नहीं दी जानी चाहिए।

आरक्षण जिसे लागू करने का उद्देश दमन और शोषण के शिकार लोगों को न्याय दिलाना था, आज यह विभेद का एक माध्यम बनना जा रहा है। ज्यादाजै-ज्यादा लोग अपने को पिछड़े समुदाय मे सम्मिलित करवाने वे लिए हरभभव दबाव ढाल रहे हैं। 82 समुदायों के प्रतिनिधियों ने जिन्हे गुवरात के बस्ती आयोग ने पिछड़ा घोषित किया था यह बहा कि उनकी सम्मा 40% होने पर भी केवल 5% स्थान उनके लिए आरक्षित किये गये हैं। जबकि अनुमूलिक जातियों और जनजातियों की सम्मा 20% और उनके लिए 20% स्थान आरक्षित किये गये हैं। उन लोगों ने आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाये जाने पर बल दिया।<sup>42</sup> 1981 की रिपोर्ट मे अल्पसम्मुख आयोग ने बहा कि मुमलमान जो देश की जनसम्मा के 12% हैं, जेवल 1% गाथर हैं तथा प्रति व्यक्ति आय मे भी सबसे पीछे है इसलिए इनके लिए आरक्षण किया जाना चाहिए।

1979 मे थी वी० पी० मडल की अग्रणीता मे राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 340 के अधीन द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग को गठित किया। मडल आयोग को पिछड़े वर्गों भी सूची बनाने तथा उनकी जनसम्मा का पता लगाने का कार्य सौंपा गया था। आयोग ने संग्रहण 4000 जातियों तथा समुदायों को पहचान की जिनके साप शिला-सम्पादों तथा सरकारी पदों के

विवरण के मामले में तरजीही बहताव किया जाना चाहिए। इसमें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के अनिसिक पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण करने के लिए मुकाबल दिया गया है। आयोग ने सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेगण को निर्धारित करने के लिए यारह 'मूरचड़ो' अथवा 'मातदड़ो' को विकल्पित किया। इन यारह मूरचड़ों को तीन प्रमुख शीर्षकों में चर्चाइत किया गया है—अर्थात् सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक। वे हैं

### (अ) सामाजिक

1 वे जातिया / वर्ग जो दूसरों द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी मानी जाती हैं।

2 वे जातिया / वर्ग जो अपनी आजीविश्वा के लिए शारीरिक परिवर्थन पर मुख्यत निर्भर करते हैं।

3 वे जातिया / वर्ग जिनमें राज्य के औसत से कम-से-कम 25% ज्यादा औरतों और 10% ज्यादा पुरुष शामिल थे/थीं में 17 वर्ष वो कम उम्र से विवाह कर लेते हों तथा शहरों में कम-से-कम 10% ज्यादा पुरुष और 5% औरते ऐसा बरती हो।

4 वे जातिया / वर्ग जिनमें औरतों की कांयों में हिस्सेदारी राज्य के औसत में कम-से-कम 25% ज्यादा हो।

### (ब) शिक्षा भवधी

5 वे जातिया / वर्ग जिनमें 5 से 15 की वयोवर्ग के बच्चे जो कभी भी विद्यालय नहीं गये उनकी सम्या राज्य वे औसत से कम-से-कम 25% ज्यादा हो।

6 वे जातिया / वर्ग जिनमें 5 से 15 की वयोवर्ग में विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने की दर राज्य के औसत से कम-से-कम 25% ऊपर हो।

7 वे जातिया / वर्ग जिनमें मैट्रिक पास का अनुपात राज्य के औसत से कम-से-कम 25% नीचे हो।

### (स) आर्थिक

8 वे जातिया / वर्ग जिनमें परिवार की सपति का औसत मूल्य राज्य के औसत से कम-से-कम 25% नीचे हो।

9 वे जातिया / वर्ग जिनमें बच्चे खड़ानों से रहने वाले परिवारों की सम्या राज्य के औसत से कम-से-कम 25% ऊपर हो।

10 वे जातिया / वर्ग जिनमें 50% से भी ज्यादा परिवारों के पीने के पानी के खोत आधे हिस्सोंटर में भी ज्यादा दूरी पर हो।

11 वे जातिया / वर्ग जिनमें उआयोग—कृष्ण निये हुए परिवारों की सम्या राज्य के औसत से कम-से-कम 25% ऊपर हो।

उक्त तीनों वर्ग बाटावर महत्व वे नहीं हैं इसलिए प्रत्येक वर्ग में मूरचड़ों को अन्य-अन्य महत्व दिया गया है। प्रत्येक सामाजिक मूरचड़ों को तीन अर्द्धों वा लाख दिया गया था, जित्ता-भवधी मूरचड़ों को दो दो तथा प्रत्येक आर्थिक मूरचड़ को एक अर्क वा।

आयोग के अनुसार पिछड़े वर्ग में वे ही जातियां आ सकती हैं जो 'ट्रिड' नहीं हैं अर्थात् वे न तो ज्ञानी हों, न शैक्षिक और न वैद्यक।<sup>12</sup> आयोग ने गैर हिंदुओं के सबसे में उन्हीं गभीरता से विचार नहीं किया जिनका विहिंदुओं के सबसे में किया गया। इसमें

अनुमान के मध्ये हिंदू समुदाय जिन्होंने ऐसे हिन्दू धर्म अपना लिया हो वे व्यादमात्रिक समुदाय जो अपने परम्परागत चालानुग्रह व्यवसाय के नाम से जाने जाने ही तथा वे समुदाय जिन्हें ऐसे हिंदू एवं शिष्ठे वर्ग या मध्यमिति किये गये हों उन्हें शिष्ठा माना जाना चाहिए। आयोग बी ग्रिंटोर्ट को मत्ता पश्च तथा विषय न सुरक्षा व्यवसाय कर चिया चिन्ता इसे नागृ करना एक ऐडी भी जो गया है क्योंकि विभिन्न एथो द्वारा ग्रिंटोर्ट को नागृ करने के लिए प्रकार पर ब्राह्मण दबाव डाले जा रहे हैं।

20 अप्रैल 1991 को गुजरात भरकर ने एक अन्य आयोग उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधिकारी गत वी अध्यक्षता में लियुसन किया था। गते (पच) आयोग ने 31 अक्टूबर 1983 का अनुन अपनी ग्रिंटोर्ट या शिष्ठे वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा अद्यार्ह प्रतिशत करने की विफारिण बी। यह पहला शिष्ठा वर्ग आयोग था जिसने सविष्टान को वडी गभीरना से लिया गया अपनी विफारिण का जानिव व्यवसाय वर्ग पर प्राप्तिरित लिया क्योंकि सविष्टान में भी वर्ग लड़का ही प्रयोग किया गया है। आयोग ने विचार व्यक्त किया कि ब्राह्मण जाति को शिष्ठे वर्ग की गहरान का आधार कराया गया तो वह जाति व्यवसाय से सबधित समस्त बुद्धिमयों का स्थायित्व प्रदान होगा। व्यवसाय व आय के भाषार पर लिये गये वर्गीकरण व्यापक धर्मनिरपेक्ष तथा समस्त लड़के वाले वर्गिकाम के प्राप्त कर रखने हैं। जानिव ने जापान न लियोहेन या निहिन स्वार्थ की भावना को बढ़ावा दियता है। गुजरात में कुछ भी जानियों द्वारा लिये गये विकासणीयना की प्रवृत्ति दियायों पड़ रही थीं व भी शिष्ठे जानियों के स्वयं में मान्यता पाने के लिए प्रतियोगिता में लगते हैं। जानिव का मापदण्ड उन वर्गों के सदर्भ में अप्रत्यक्ष रहना है जो हिंदू समाज में प्रचलित परम्परागत व्यथों या जानिव को नहीं मानते हैं। अतन जानियों और उपजानियों के बारे में पूरी जानकारी उपरक्ष न होने के कारण जानिव पर आधारित वर्गीकरण अनेक दोषों से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार गते आयोग ने 63 व्यवसायों को आरक्षण के साथ के लिए पन्ना न्याया तथा मामात्रिक और वैशिष्ट्य स्वयं पिछड़े वर्ग में मध्यमिति लिये जाने के लिए परिवार द्वारा प्रधिकरण में जाप 10,000 स्पष्ट वार्षिक नियांरित किया।

इस प्रकार सन् 1950 नक्क न्याया दस वर्षों तक भारतीय गठित लिये गया प्रवण-अनुग्रह दृग में उन आयोगों की लिपाई को नागृ किया। किन्तु आरक्षण का विषय आज भी बासी जनिव बना हुआ है। इस गवर्नर म राष्ट्रीय महमति नहीं उन पर रही है। प्रथमन दण्डियी भारत म आजादी के पहले भी ही शिष्ठे वर्गों को ब्राह्मनीतिक स्वयं में सघटित करने के लिए आरक्षण का माध्यम बनाया गया था परिणामत आजादी के बाद दण्डिय के राज्य 60% म भी जाति गान्धीजी नीतियों का दैगार करते हैं। उनसे भारत में जहा आरक्षण की नीति 1950 के बाद विभिन्न हुई है दण्डियी भारत दी नीतियों को स्थान दन में राष्ट्र में विवरण । नाइव नृन्य होने लगेगा। इस प्रकार दण्डियी राज्यों की नीतियों का पूरे राष्ट्र के लिए न तो आगाह बनाना भवित है और न ही उन राज्यों में नियांरित फोटो को कम बनाना ही ज्ञान है। दूसी दृष्टि भी विवरण नीति के लिए आवश्यक है कि शिष्ठे दृष्टि के लिए जानिव का आधार माना जाए अथवा वर्ग

को। मिनु यहा भी यदि जाति को आधार बनाया जाता है तो असतोष का बढ़ावा मिलना है और यदि वर्ग को आधार बनाया जाता है तो इसके नामू करने की अपनी अनग समस्याएँ हैं। तृतीयत, देश के अदर वर्तमान विषयतावारी और ज्ञातकवादी तात्त्वे भी आरक्षण के सबध मे एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करने मे बाध्य है। अनन्त अधिकाश सरकारों तथा राजनीतिक दलों की मिदार्दिहीन नीनिया अन्यथिक अम्लव्यस्तता के लिए उत्तरदायी हैं। पिछड़ेपन की राजनीति और राजनीति का पिछड़ापन दोनों एक मे मिथित हो मजट को और गहना बना रहे हैं। प्राय चुनावी नाम के बिंग चुनाव मे कुछ समय पहले आयोग गठित किये जाने हैं या उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत/प्रकाशित की जानी है या उन्हे नामू बिया जाता है तथा आरक्षण का कोटा बेटा दिया जाना है। आयोगों की रिपोर्ट को आशिक्ष हृष मे नामू बिया जाता है (जैसाकि गुजरात मरवार ने गने आयोग की मिफारिश के सबध मे बिया था) मत्ता पक्ष और विपक्ष का परम्परा दोपारोपन वर्तमान राजनीति का मूल मिदास्त हो गया है। प्राय मर्कारों के बान पर जु तद तद नहीं रेगते जब तक वी विरोध उच्च हृष धारण नहीं कर लेना है। कुछ मरकारों ने अपने दर्द अधार को मजबूत करने के लिए यादव चुम्भी महल प्रादि ज्ञानिया जिन्हे पिछड़ी नहीं कहा जा सकता है उनके लिए भी आरक्षण की ज्वस्था का उचित ठहराया है।

आरक्षण को लेकर सभ्यत-समय गर दये हिंमा लृट्यान् आशज्ञी बनाकार आदि की घटनाएँ, तत्परधी समिनिया, उनकी रिपोर्ट और उनकी पुनरावृति हमारे राष्ट्रीय जीवन वी विशेषता बन गये हैं। वभी गुजरात तो कभी उन्हर प्रदेश वभी बिहार तो कभी मध्य प्रदेश या अन्य राज्य आरक्षण विरोधी आदोलनों की विभीयिका म शुलसते रहने हैं। एक तरफ मे अगर जाति पर आधारित आरक्षण को समाज करने के लिए तर्क दिये जाने हैं तो दूसरी तरफ बनाये रखने के लिए सबल समर्खत रिया जाता है। हाल वे बगौं म आरक्षण को समाप्त करने के लिए चनाए गये आदोलन ने दिक्कत अप धारण कर लिया था। अनेक छात्र तथा नागरिक अपनी जान मे हाथ धो लैडे। अनेक शिक्षा-संस्थाओं के परिमर्गो ने पुलिम म्लेशन का अप धारण कर लिया था।

अनेक पञ्च-विकासी म आरक्षण की नीति का विश्लेषण लिया गया। जिन उद्देश्यों द्वारा लेकर इस नीति का अनुमरण लिया गया था उसमे आजा के अनुच्छ परस्ताना नहीं भिली। आज 40 वर्षों के बाद भी आदृ नगाने बाना व्यक्ति लोगों हे मन्मूल सर पर रसार दोता है अनुमूलित जाति ने लोग अदृ बने हुए हैं बीमारी मुखमरी और अधिविवास की विद्यो जी रहे हैं हीनता से प्रभिन हैं अनुमूलित बनज्ञानियों के सोग अलग थलग पड़े हुए हैं।

प्रत्येक राज्य म अनुमूलित जानियों म भी दुःख प्रधान जानिया हैं जो अपनी सम्या के अनुगान मे ज्यादा आरक्षण का अविवाज लाभ उठा रही है। यही नहीं प्राय विषय परिवार के विसी व्यक्ति को नाम मिल गया उसी परिवार के नोा गीड़ी-दर-गीड़ी आरक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं। ऐस दनिन वर्ग नो वर्गी अशिक्षा और अधारार की विद्यो जी रहा है। दूसरे यह तर्क दिया जाना है कि आरक्षण के द्वारा योग्यना और कार्य-कुशलता का रूप धोया जा रहा है इसके उत्तर मे कहा जाता है कि ऐसा तो वहा भी

होता है जब भद्र बुद्धि छात्र के सरथक भुली प्रतियोगिताओं में असफल होने के पश्चात् कैपिटेशन (प्रतिव्यक्ति) शुल्क देकर प्रवेश दिलाते हैं। इतु यहाँ यह स्पष्ट करना उचित है कि जो लोग यह शुल्क देते हैं कोई आवश्यक नहीं कि सपन्न हो अथवा भद्र बुद्धि हो। सब से देखा जाये तो यहाँ अन्याय उनके साथ होता है जो कैपिटेशन शुल्क भी नहीं दे सकते और मेधावी भी हैं। वास्तविकता तो यह है कि योग्यता की अवहेलना वा असर आम जनता पर पड़ता है। महाराष्ट्र सरकार ने यह नियम बनाया है कि विश्वविद्यालयों में किसी भी पद पर गैर अनुमूल्यन जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया पदों को भर नहीं लिया जाता। परिणामतः नागपुर डिविल कॉलेज में शल्य-विज्ञान के अध्यक्ष के 1977-78 में अवकाश प्राप्त करने पर उम पद पर अनुमूल्यन जाति के एक रोग विज्ञानी (पैथोलॉजिस्ट) वी नियुक्ति की गयी। इस प्रकार के 'प्रतिवर्ती विभेद' से मरीजों को कितना लाभ पहुंचा एक मनन करने का विषय है।<sup>44</sup> हा यह बात अवश्य है तकनीकी देशों के अतिरिक्त क्षेत्रों में योग्यता की अवहेलना से कार्यकुशलता में गिरावट आयी है, ऐसा राष्ट्रों से गिरावट नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो तमिलनाडु की तुलना में बिहार में नियन्त्रण ही ज्यादा कुशल प्रवासन होता। गुजरात के सचिवालय में तथा कलकत्ता के राइटर्स विलिंग के बरामदों में कार्य समझ में घूमने वालों में 100% लोग उच्च जातियों के होते हैं जो योग्यता का दावा भी करते हैं। इसके विपरीत निम्न जातियों में सेवा करने तथा कार्य करने की प्रेरणा अपेक्षाकृत ज्यादा देखी गयी है।<sup>45</sup>

भारक्षण की नीति का एक दृष्टिरिणाम यह है कि इसका लाभ लेने वालों के प्रति ज्ञात लोगों का पूर्वप्रहृती तोड़ होना जा रहा है कि ये ऐसे लोग हैं जो बुद्धि विहीन हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें प्लेट में रखकर सब कुछ बिना परिषम किये साने को परोस दिया जाता है। इनके लिए 'सरकारी ज्यादा' सरकारी दामाद' जैसे व्यापारमक शब्द कहे जाते हैं। खुली प्रतियोगिता से चुनकर आने वालों की तुलना में भारक्षण गे चुने व्यक्तियों जो नम आदर के साथ देखा जाता है।

मवसे दुर्माल्यपूर्ण बात तो यह है कि आज स्त्रिया, रिष्ट्रो जातिया, अन्यसम्पर्क, कर्मचारियों की पुत्र / पुत्रिया, सेवारत प्रत्याशी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र भरती पुत्र, बाध बनाने के लिए अपने स्थान से हटाके गये लोग पर्वत निवासी, यामीण निवासी आदि भभी आग्रहण पाने के योग्य येणी में आने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्हें भारक्षण मिला हुआ है वे उसे बनाये रखने और उसे बढ़ाने में प्रयासरत हैं, जिन्हें नहीं मिला हुआ है, वे पाना चाहते हैं। भारक्षणी से राष्ट्र और एकीकृत होने के बजाय अनेक बगौं उपवगौं जातियों तथा समुदायों में विभक्त रिया जा रहा है, इससे सार्वजनिक जीवन के दिमांडन में बुद्धि हो रही है तथा जाति की भावना बन पड़नी जा रही है। भारक्षण में लोगों को समना के स्तर पर साकर राष्ट्र की मुख्य धारा में जोहने के बजाय, यह अलग जने रहने और यहाँ तक कि अनग होने में निहित स्वार्थ दिवसित हो रहा है। आग्रहण के मामने को नेहर होने वाले जानीय दगो नूट्रोट, आगजनी और मार-नाट में भाग्यन्व वी भावना

पर आधारित जाति विहीन समाज को विलकूल असभव बना दिया है।

आरण की नीति सफल नहीं रही है तो क्या इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए? यदि इसे समाप्त कर दिया गया तो अनुमूचित जातियों तथा जनजातियों का प्रतिशत सरकारी सेवाओं में पहले से ही कम है, वर्तमान परिस्थितियों में नहीं के बराबर हो जायेगा। आज भी इन जातियों का प्रतिनिधित्व उच्च श्रेणी की सेवाओं तथा शिक्षा संस्थाओं में अपर्याप्त है। निम्नलिखित सारणी अ, ब, स और द श्रेणी की केंद्रीय सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को दर्शाती है।

### सारणी-1

1 जनवरी, 1983 को केंद्रीय सेवाओं में अनुमूचित जातियों तथा अनुमूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व (राष्ट्रपति सचिवालय की जानकारी सम्मिलित नहीं है)

पदों की श्रेणी	प्रतिनिधित्व	अनु० जनजातिया	अनु० जातियों	कमों
अनु० जातियों				अनु० जनजातियों
ए	6.71	1.41	55.27	81.20
बी	10.16	1.46	26.93	80.53
सी	14.61	4.14	2.60	44.80
डी	19.58	5.51	--	26.67

स्रोत अनुमूचित जाति तथा जनजाति आयुक्त रिपोर्ट 6ठों, 1987 अध्याय माप्तम् सारणी 1, पृष्ठ 60

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अनुमूचित जातियों तथा जनजातियों का प्रतिनिधित्व उच्च सेवाओं में बिना कम है। शतांशियों से हीना आ रहा दमन आज भी जारी है, उसका ऐसे भले ही बदल गया हो। 1981 की जनगणना के अनुमान 10.6 करोड़ (अथवा 15.47%) अनुमूचित जाति और 5.38 करोड़ (अथवा 7.85%) अनुमूचित जनजाति के लोग भारत में थे। केवल 21.38% अनुमूचित जाति तथा 16.33% अनुमूचित जनजाति के लोग साक्षर हैं जबकि अन्य समुदायों का औसत 41.3% है। विद्यालय छोड़ने की दर अनुमूचित जातियों में प्रारम्भिक पाठ्याला स्तर पर 59.21% तथा 85.72% सेवदारी स्तर पर है। उसके अनुमूचित जनजातियों का स्तर 74% और 91.65% है। अनुमूचित जातियों में 72.87% पुरुष हृषि मढ़दूर हैं। स्रोत सेवाओं में इनका अनुपात बापी कम है। 1987 में अनुमूचित जाति 16.18% तथा अनुमूचित जनजाति 4.69% तथा इनकी यह संख्या नीची श्रेणियों में कर्मचारियों में ही ज्यादा है। 211 पञ्चक सेक्टर उपडमों में 77.51% आड़ देने वाले कर्मचारी अनुमूचित जातियों तथा 3.37% अनुमूचित जनजातियों के हैं। अनुमूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में 10 लाख (1977-87) में मुप्तार 1.2% है तथा अनुमूचित जनजातियों में 49% है। इन जातियों के

लोग अनेक प्रकार के अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं। 1981-86 में 91097 अत्याचारों की सूचना उपलब्ध है जिनमें से 3139 हत्या, 8501 गमीर शारीरिक चोट, 3998 बलात्कार, 6279 आगजनी तथा 69181 अन्य विभिन्न प्रकार के अत्याचार थे। इसके अतिरिक्त अनेक अपराधों की सूचना तो उपलब्ध भी नहीं हो पाती। आज भी अनुमूलिक जातियों के लोगों को मदिरों में प्रवेश, मनोरजन स्थलों, स्नानगृहों, जलाशयों होटलों आदि में प्रवेश व्यवहार में सभव नहीं हो पाया है। भीनाक्षीपुरम की 1981 की धर्म परिवर्तन की घटना इस तथ्य पर प्रकाश ढालनी है। गाव के 1300 निवासियों में से 1250 हरिजन हैं। उम समय 50 पर्सन्स के मुकानों में से बैबन 4 हरिजनों के पास थे। 6 कुओं में से हरिजन केबल एक का प्रयोग कर सकते थे। 3 चाय की दुकानों में से बैबन एक दुकान जिसका मालिक मुसलमान था, उसी पर हरिजन चाय पी सकते थे। सम्या में अधिक होने तथा शिखा में प्रगति के बावजूद वे धोर सामाजिक विभेद के शिकार थे। उच्च डणों के क्षेत्र में प्रवेश करते समय इन्हे चप्पल उतार लेने पड़ते थे, उच्च वर्ष के व्यक्ति में बान करते समय, उन्हें मस्तक द्रुका लेना पड़ता था हाथों को जोड़े रहना पड़ता था कहीं धूक की छीट न पढ़ जाये मुह के सामने पतिया रमनी पड़ती थी। अगर तौलिया या शाल उसके पास होनी थी तो उसे पुटने से नीचे रखना पड़ता था। अच्छी पोशाक पहनने पर उसे लाडित किया जाता था। पुलिम से भी कोई सहायता नहीं मिलती थी। परिणामन सामाजिक विभेद से बचने का सबसे उत्तम उपाय धर्म-परिवर्तन में दिखायी पड़ा। बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, गुजरात आदि प्रान्तों में हरिजन व्यक्तियों को लूट लेना, उनके धरों को जला देना, फसलों को बेतों से बाट लेना, जानवरों को छीन लेना, उनकी बहु-बेटियों की इरना के साथ गिलबाड़ करना तथा सामाजिक विभेद का कूर प्रदर्शन करना हमारे समाज की बास्तविकता है।

अत आज की परिस्थिति में अनुमूलिक जातियों तथा अनुमूलिक जनजातियों के लिए आरक्षण समाप्त किया जाना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। हाँ, वर्तमान आरक्षण नीति का मूल्यावन किया जाना अत्यत आवश्यक है। इन जातियों में एक परिवार के लोग अधवा सपन्न परिवार के व्यक्ति ही इनका लाभ न उठाने रहे। इसके लिए आर्थिक या एक व्यक्ति एक परिवार या एक पीढ़ी का प्रतिबध समाया जा सकता है। आरक्षण का उद्देश्य उच्च जातियों से बदला लेना या अपने लिए 'बोट बैक', तैयार करना तथा इस प्रकार जानिवाद का विष बोना नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य निर्धन तथा शोषित लोगों को सहायता पहुंचावर राष्ट्रीय जीवन से जोड़ना होना चाहिए। आज आवश्यकता है जनकल्याण की मुविधाएं इन दलित तथा शोषित लोगों को उपलब्ध बराने की नीतियों एवं वार्षिकों के सुचाह रूप से क्रियान्वयन की तथा इन जातियों के अदर से जानि दी हीन भावना को दूर बरने की।

भारत में जाति और राजनीति का बड़ा गहरा सबूत है। व्यक्ति जब राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब वह अपने सामाजिक अस्तित्व की मान्यताओं को भूल नहीं पाता है। व्यक्ति की जानि या पारिवारिक निष्ठा उसके साथ जुड़ी रहती है। जब जनता राजनीति के क्षेत्र में सार्वजनिक मनाधिकार ढारा मुक्ति आग लेनी है तो जानीय निष्ठा

और पूर्वभास उनके साथ रहते हैं। भारत में आधुनिकीकरण के साथ जाति का प्रभाव जो घोड़ा शिथिल पड़ रहा था, उसमें प्रजातात्त्विक प्रक्रिया ने नयी जान फूंक दी है। चुनावों में जाति सगठन के प्रभाव को देखते हुए, राजनीतिज्ञों का उद्देश्य जाति-निष्ठा को बड़ी चतुराई से उभारकर अधिक-से-अधिक भन्न प्राप्त करना होता है तथा ये राजनीतिज्ञ राष्ट्रीय हितों के बजाय जाति हितों को तरजीह देते हैं। प्रत्यागियों के चयन मतियों नी नियुक्ति तथा ममितियों और बोडीं के गठन में जाति का तत्त्व सर्वत्र विद्यमान रहता है। प्रजातात्त्विक चुनावों ने जाति सगठनों के जीवन में शक्ति एवं स्फूर्ति भर दी है तथा अनेक सगठनों के गठन को बढ़ावा दिया है। चुनावों में अगर किसी चुनाव क्षेत्र में कोई एक जाति सम्प्लाय में औरों से ज्यादा है तो प्राय सभी दल उसी जाति के व्यक्ति को अपना प्रत्याशी चुनते हैं। ब्लडोल्क और एस० एच० ब्लडोल्क का नहाना है कि जहाँ तक जाति के आधार पर लोगों को समर्थित करने का मबद्दल है यह मध्यटन तीन प्रकार से होता है—ऊर्ध्वाधिर, समस्तरीय तथा विशिष्ट। ऊर्ध्वाधिर मध्यटन उन स्थानीय समाजों में परपरागत थेष्ठ व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक समर्थन को जुटाने को बहते हैं जो थेणी अन्योन्याश्रिता और परपरागत मना की वैधना के द्वारा मन्तिल और एकीकृत होते हैं। समस्तरीय सधटन में पर्यायवाला समुदाय के नेगाओं और उनके विशिष्टीकृत सगठनों द्वारा राजनीतिक समर्थन जुटाना सम्मिलिन है। विशिष्ट मध्यटन में व्यवहार्य किन्तु आतंरिक रूप से विशिष्टीकृत समुदायों में राजनीतिक दलों द्वारा साथ-साथ विचारधारा, भावना और हित वा आप्रह करके प्रत्यक्ष या परोक्ष राजनीतिक समर्थन जुटाना सम्मिलित है।<sup>46</sup>

आज राजनीति जाति के लिए पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गयी है और जाति राजनीति के लिए पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गयी है। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब अपने सदस्यों के हितों को सरक्षित करने और बढ़ाने के लिए दल का गठन कर लिया जाता है। स्वनवना से पूर्व मद्रास में जमिम पाटी तथा थांडे में इडिप्रेट लेडर पाटी का गठन किया गया था। इनके द्वारा अपनायी गयी लकड़ीक तथा माघनों ने भारतीय राजनीति को अवधिक प्रभावित किया था। यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष दल भी जाति के विचार को अपनी नीनियों से परे रखने में असमर्थ रहे। हालांकि आज जाति राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने नहीं है किन्तु प्रदेश क्षेत्र और स्थानीय स्तर पर जाति का गिरजा काफी मजबूत है। कर्नाटक में लिंगावनों और ओस्कालियों की आध प्रदेश में कम्मा और रेडिड्यों की, महाराष्ट्र में मराठा बाह्यण और महाराजी वेल में नायर इजहवान तथा मीरिन्य ईमाद्यों की गुजरान में बनिया गाटीदार और कोमी की, बिहार में बाह्यण राजपूत कायम्य, पिछड़ी जानिया तथा जनजानियों की और उत्तर प्रदेश में बाह्यण, लक्ष्मण, पिछड़ी जानियों (यादव, कुर्मी तथा गूजर) तथा अनुसूचित जानियों (बहूजन समाज पाटी) की भूमिका पर ही प्रदेशों की राजनीति विर्भर बरती है। स्थानीय निकायों में जाति वा प्रभाव और अधिक देखने की मिलता है। जातिवाद का नम प्रदर्शन पक्षायतों के चुनाव में देखा जा सकता है। शिवा-मस्थाओं के परिमर जाति के प्रभाव में नहीं बचे हैं, विद्यार्थी जिजार तथा प्रब्रह्म

बहुधा सभी स्नन पर जाति और राजनीति का गठबोह देखन को मिलता है। इस प्रकार जहां रोजमर्रा की बिदरी में जाति का प्रभाव कम हो रहा है वही राजनीति में जाति ही भावना बल पकड़ती जा रही है। हां यह बात जहर है कि प्रजातात्त्विक प्रक्रिया के अधीन दलित एवं शोषित वर्षा, जाति के आधार पर महात्मा हो<sup>45</sup> महिलाएँ भी चली आ रही अभिजात-नवीन व्यवस्था की जटे बाटने में सफल रहा है। स्थानीय चुनावों में उच्च जातियों के वर्चस्व को घोर चुनौती दी है तथा अधिकार स्थानों पर समाप्त कर दिया है।

मदसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीसवी शताब्दी के आरम्भ से ही विभिन्न जाति समूहों के बीच मवदाना अधिकाधिक प्रभावशाली होनी जा रही है तथा उपजानियों के बीच भी मजबूत दीवारे टूट रही है। मगोत्र विवाहों का इम दृष्टा जा रहा है। इस मदर्भ में ब्रिटिश राज्यकाल में जीवन म आयी गतिशीलता उच्च गिज़ा तथा रोजगार के उद्देश्य में नगरों की ओर गमनागमन नगरों में मार्वभौमिक उदार भावना का विकास तथा गाइनानाकरण आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।<sup>46</sup> पिछले पचाम लाखों म अशुद्धना सबधी विचारों में काफी कमी आयी है। पुरोहित ब्राह्मणों के जीवन तथा स्तर में राष्ट्री परिवर्तन आया है तथा हिंदू धर्म को स्थापित प्रदान करने वाली मामाक्रिक मस्त्राएँ जैसे जाति मधुकन परिवार तथा याम मधुदाय अनेक महत्वपूर्ण मामलों में परिवर्तित हो रहे हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया बराबर नह रही है।

औद्योगीकरण तथा नगरीकरण होने, सड़कों के जाल बनने यानायात की मुविधा होने धर्मनिरपेक्ष जिक्षा की मुविधा होने हृषि में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग होने जनसम्म्या बढ़न और मधुकन परिवार के एकाग्री में शरिवतिल होने आदि कारणों से भारत में रहन-महन के पुराने तीर-नीरों के बदल रहे हैं। आज लाने-जीने रहन आन-जान विक्राम करने सोने जाने नहाने छोने तथा सपाई आदि में लोगों को अपनी जाति और तात्पर्यधी शुद्धना के बजाय अपना गमय लपनी जेब तथा स्वास्थ्य विज्ञान का विशेष छ्यान रखना पड़ा है। यहा तक कि परपरगत व्यवहार को बिदेक सम्मन बनाने वा प्रयाम जिदा जाना रहा है। अधिकार धार्मिक मन्त्रालय एवं कर्मकांडों को लोग धीरे धीरे त्यागने जा रहे हैं अथवा महिला कर्म प्रदान करते जा रहे हैं अथवा इनके साथ नवी प्रवाग आकर जुड़ गयी है जो धर्मनिरपेक्ष व्यवहार पर आधारित है। आज बड़ी मस्त्रा में मित्रिया और निम्न जातियों के लोग शिखों विशिखों डाक्टरों नमी ममाज मवियों मधुदूरा प्रणामकों तथा मेना के अधिकारियों के स्वयं म वार्ष कर रहे हैं, निज़्म द्वीप यह इनिहारी परिवर्तन है। आधुनिक विद्यालयों में मध्यूत भाषा की जिक्षा की मुविधा होने से ब्राह्मणों का भागा ऐ एकाधिकार ममान हो गया। बोई ब्लॉक बिना जागि अथवा धर्म का विचार किये मध्यूत भाषा भी न महता है। धीर-धीरे पुरोहित वर्ग अपनी मता और सम्मान सोना जा रहा है। परपरगत मामाक्रिक मस्त्राओं के परिवर्तन में जन सचार माध्यमों जैसे फिल्मों, रेडियो दूरदर्शन पुस्तकों ममाचार पत्रों आदि का बढ़ा योगदान रहा है। इस प्रकार जो पहले धार्मिक मस्त्रा जाना था उम्हा धर्म में मरण

ममाप्त होता जा रहा है। विशिष्टीकरण की प्रक्रिया चल रही है परिणामन समाज के विभिन्न पहलू आर्थिक, राजनीतिक विधिक और नैनिति—एक दूसरे से मध्यों में ज्यादा-में-ज्यादा पृथक होते जा रहे हैं। अक्षिगत और सामाजिक जीवन को अविवेकी के बालाय विवेकपूर्ण नियमों पर आधारित करने का प्रयत्न चल रहा है। परपरागत विश्वासों और विचारों का स्थान धीरे-धीरे आधुनिक ज्ञान ले रहा है। किंतु धर्मनिरपेक्षीतरण की प्रक्रिया को और अधिक गति तथा भजवृत्ति प्रदान करने के लिए शिक्षा सुधार, आर्थिक विकास और राष्ट्रवाद पर विशेष चल दिया जाना चाहिए।

### संदर्भ

- 1 जीवदेव इत्याइषनोटिडिया भौति पार्लिटिक चाट—1987 वृ॰ 136
- 2 वही वृ॰ 137
- 3 वही वृ॰ 128
- 4 रोमिना दापर भारत का इतिहास (राजकम्पन प्रकाशन नयी दिल्ली) 1990 वृ॰ 32-34
- 5 ऋग्वेद दग्धम्
- 6 जाति वर्ण और अवसाय (पाठ्यक्रम प्रकाशन चबई) वृ॰ 49
- 7 ए॰ एन बालाम अद्भुत भारत वृ॰ 116-120
- 8 जी॰ एम॰ चुर्चे वृ॰ 61
- 9 एथ॰ एन॰ शीनिकाम लोमन वेत्र इन भाईन इडिया 1988 वृ॰ 6-7
- 10 के॰ एम॰ पवित्रर हिंदू सोमायदी एट इमराइम बोवे 1955 वृ॰ 8
- 11 बालाम वृ॰ 124
- 12 जी॰ एम॰ चुर्चे वृ॰ 13-14
- 13 वही वृ॰ 11
- 14 ही॰ ए॰ गियर इडिया एवं ए. मेस्क्यूनर स्ट्रेट 1963 वृ॰ 295
- 15 जी॰ एम॰ चुर्चे वृ॰ 160
- 16 वही वृ॰ 164
- 17 शीर्दू बनाम भीष्म ग्रिम्नेमर (1954) एम॰ शी॰ आर॰ 224
- 18 चिन्तीनोन बनाम भारत नव (1950) एम॰ शी॰ आर॰ 869
- 19 एशियनी बनाम राज्य बनाम भनवर अनी (1952) एम॰ शी॰ आर॰ 289
- 20 अनुच्छेद 330 तथा 332
- 21 अनुच्छेद 335
- 22 अनुच्छेद 338
- 23 अनुच्छेद 340

- 24 विष्णु वर्य आदान भारत सरकार की लिपोर्ट 1980 म उद्धृत भव अधम पृ० 22
- 25 एम० बार० बाला जी बलाम मैसूर राज्य ए० आई० बार० 1963 एम० सी० 649
- 26 ए० आई० बार० 1964 एम० सी० 1823
- 27 ए० आई० बार० 1968 एम० सी० 1379
- 28 ए० आई० बार० 1968 एम० सी० 1012
- 29 ए० आई० बार० 1975 एम० सी० 563
- 30 ए० आई० बार० 1971 एम० सी० 1762
- 31 ए० आई० बार० 1976 एम० सी० 2381
- 32 ए० आई० बार० 1979 इत्या० 135
- 33 ए० आई० बार० 1980 इत्या० 215
- 34 ए० आई० बार० 1980 बा० ए० 104
- 35 ए० आई० बार० 1980 एम० सी० 820
- 36 ए० आई० बार० 1980 एम० सी० 1975
- 37 ए० आई० बार० 1980 इत्या०
- 38 महाराष्ट्र दिलिज रब्ब बलाम राजावारी ए० आई० बार० 1962 एम० सी० 36
- 39 ए० आई० बार० 1964 एम० सी० 179
- 40 ए० आई० बार० 1976 एम० सी० 490
- 41 बाला जी बलाम मैसूर राज्य ए० आई० बार० 1963 एम० सी० 647 664
- 42 एम० सी० जिह हिम्मान टाइम्स ए० 1985
- 43 दश बड़ीय भारतीय को निवा दया आदान के सचिव जी एम० एम० शिव का ए० 25-4-1979
- 44 बनस्त्रीय मई 4 1985
- 45 ए० बै० राय स्टॅट्सैन दि० जनवरी 10 1990
- 46 द मार्टिनी देहोलन नदी दिन्ही 1967 पृ० 24-26
- 47 एम० एन० शीनिवास आचुर्वित भारत म दर्शिवाद नदा बन्ध निवृत्त बनुदाद जारी 1987 पृ० 4-5

## अल्पसंख्यको की समस्या

---

बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक ममूहो के पाण्य मनवधि किमी भी राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष नरित्र को निर्धारित करता है, अल्पसंख्यक समूहो को सरकार धर्मनिरपेक्ष मूल्यो वो दिए जा रहे महत्व पर निर्भर होता है। वैसे अल्पसंख्यक कौन हैं इसको स्पष्टत निश्चित करना आज अत्यधिक कठिन विषय है जैसे—संख्या की दृष्टि से विदेन का उच्च वर्ग अल्पसंख्यक है किन्तु राजनीतिक अध्ययन में हम उसे अल्पसंख्यक नहीं मानते हैं क्योंकि वर्ग सामाजिक वार्षिक सिद्धांतों को सतुष्ट करते हैं। जबकि अल्पसंख्यक अध्ययन के समूह में महत्वपूर्ण तथ्य जातीय तथा सास्कृतिक होते हैं। हालाकि अल्पसंख्यक अपना एक वर्ग बना सकते हैं—एक शासक वर्ग (1974 से पहले तुकां ने साइप्रम में किया था) अथवा अधीन वर्ग (श्रीलंका में तमिलों का था)—किन्तु यह कोई आवश्यक नहीं है। इस वर्ग की भिन्नता वश के सामूहिक सबधि, शारीरिक रूप-रग, भाषा, संस्कृति अथवा धर्म पर आधारित हो सकती है जिस विशेषता के कारण वे समाज के बहुसंख्यक लोगों से अलग अनुभव करते हो अथवा समझे जाते हो। आज इस शब्द का प्रयोग अल्पसंख्यकों के प्रति वास्तविक, अनुभववित्त अथवा आशका पर आधारित विभेद के अर्थ में किया जाता है हालाकि आपवादिक मामले में जैसे—दक्षिणी अपीका में, अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों पर मता चला रहे हैं। 19वीं शताब्दी से पूर्व राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि कोई भूमिका अल्पसंख्यकों की होती थी तो वह धार्मिक अल्पसंख्यक ही होते थे, भाषायी आदि अल्पसंख्यक महत्व नहीं रखते थे। पास की छाति के बाद राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक महत्वपूर्ण हो गये। इस प्रबाल आनंदिक राजनीति में अपनी शिकायतों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों ने प्रकट करना आरम्भ किया। जैसे—हैमवर्ग साम्राज्य में च्यको ने किया। अतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारेप करने के दावों के निए आधार प्रदान किया जैसे जेकोस्मोवाकिया और पोनैट पर दबाव डालने के निए हिटलर ने जर्मन भाषायी अल्पसंख्यकों को आधार बनाया था। 20वीं शताब्दी में ऐसे समूह

जिनकी विशिष्टता प्रजाति आप्रवासी के रूप में जातीय पहचान, लिंग आदि पर आधारित हैं ये भी अल्पसम्ब्यक होने का दावा करने भगे हैं तथा अनेक प्रकार की सुविधाओं की माय करने भगे हैं।

बहुसम्ब्यक समूह की तुलना में अल्पसम्ब्यक अपने आकार के अनुपात के अनुसार अपने विशिष्ट लक्षणों सम्बूद्धि, सङ्गमण, एकीकरण अथवा पृथक्ता के अनुसार नरहन्तरह के होते हैं, यह भिन्नता बाधाओं के अनुस्पष्ट हो सकती है जो बहुसम्ब्यक समूह उद्देश्यों को प्राप्त करने के सबधू में लगता है। अल्पसम्ब्यकों की विचारानन्दा सभी देशों में एकीकरण और अल्पसम्ब्यक अधिकारों की समस्या को जन्म देती है। वे लोग जो राज्य और समाज में गहरा तादात्म्य स्थापित करना चाहते हैं, वे अल्पसम्ब्यकों को सरकार देने के बाब्य उनके अलग अस्तित्व वो समाप्त करने पर बल देते हैं। राज्य सभी अल्पसम्ब्यकों को समर्थन की आदतों को छोड़ देने तथा बहुसम्ब्यक में सम्मिलित होने के लिए दबाव डालने का प्रयास कर सकता है अथवा यह उन्हें भिन्न वानूनी अधिकार प्रदान कर सकता है जिसमें बहुसम्ब्यकों द्वारा मार्गी गयी सुविधाओं से अल्पसम्ब्यकों को अलग रख सकता है। फिल्मेंड में स्वीडन के फिल्म सम्ब्या में अल्पसम्ब्यक हैं, किंतु सामाजिक दृष्टि से वे फिल्मेंड के फिल्मों की तुलना में ज्यादा अनुपात में हैं शासक अधिजन के एक भाग हैं। दक्षिणी अफ्रीका में काले लोग सम्ब्या में बहुसम्ब्यक हैं किंतु सामाजिकी की दृष्टि से अल्पसम्ब्यक हैं। सम्ब्या की दृष्टि से बहुसम्ब्यक किंतु सामाजिकी की दृष्टि से अल्पसम्ब्यकों के सरकार के लिए 'एक-व्यक्ति-एक पत' के मिदात पर आधारित प्रजातंत्र प्राय पर्याप्त होता है। देवियम में पूर्व में शासित फ्लेमिश-नोगों को प्रजातंत्र के द्वारा राजनीतिक रूप से प्रधान होने से महायता मिली है। अल्पसम्ब्यकों की सम्ब्या की दृष्टि से काफी कम होने पर भी प्रजातात्त्विक सिद्धांतों पर आधारित दोई सामाज्य तकनीक इस प्रकार अपनायी जा सकती है वि जिसके द्वारा सरकार में इसके प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सकता है अथवा सरकार के कुछ भागों अथवा स्तर पर नियन्त्रण दिया जा सकता है या उन पर कम-में-कम विशेष प्रभाव की शक्ति दी जा सकती है। ऐत्रीय रूप से सरेंटिट अल्पसम्ब्यकों को सरकार देने के लिए संघवाद को अपनाया जा सकता है ऐत्रीय रूप से विवरे अल्पसम्ब्यकों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व को उचित माना जा सकता है। महायोगान्मक तत्त्वीय जैसे उच्च सम्मिलन (सदुक्त) अथवा अल्पोन्य नियेधाधिकार (वीटो) का सहारा निया जा सकता है।

प्राय सभता पर आधारित प्रजातंत्र वा सामाज्य व्यवहार अल्पसम्ब्यकों को सरकार देने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। अल्पसम्ब्यकों के सरकार के लिए उनको विशेषाधिकारों की स्थापना की आवश्यकता पह सकती है, उदाहरणार्थ साप्रदायिक प्रतिनिधित्व को अपनाकर बघिसम्ब्या चुनाव पद्धति का बिना ल्याग दिये अल्पसम्ब्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व अथवा यहा तक कि अस्या के अनुपात से ज्यादा प्रतिनिधित्व की गारटी दी जा सकती है। कुछ देशों ने धर्म, भाषा, जाति अथवा प्रजाति को मापदण्ड मानकर मतदाताओं वी अलग मूर्ची तैयार की है जो मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। 1960 के चुनाव में माइप्रेस में ग्रीक और तुकों मतदाताओं वी अलग मूर्ची, जिम्बाब्वे में

1980 और 1981 के खुलावों में अल्यामध्यका भी शुल्किया तथा नुस्खी ऐड प्रिंटिंग गावरी के दो भी अवस्था इसने उदाहरण है। इस अन्य दशों ने तुम्हारी तरफ से विशेषाधिकार प्रदात बिते हैं। जिवालाल की 1950 से 1960 के दशक की खुलाव आवासों में प्रत्याशियों को बहु अतीव नीचों व साथ खुलाव प्रदाता था। खुलाव की प्रक्रिया ने अनुग्राह लिवरल गाटी वार ने तुल अपेक्षी बालन बालन तथा एवं बोलन बालन के बारे खारी हो चिन्ती है। बारिंगा ग अतीव ने अल्यामध्यका भी धर्मानुष्ठान के लिए गवाहालय का 'खारीबाही' को खानाया गया है।

जब अल्यामध्यका भीकालिक तुर्कि से गवाहित होत है तो विद्वीन राण अधवा विद्वीन राण अल्यामध्यका ने लिए प्रायः स्वयं द्वारा बनाये रखायी नियमों को लागू करना अभव बनाता है (परिवारी व सम्बाद) अगवा न दीप गता द्वारा बनाये नियमों को रखायी होगा तो लागू न रहना अभव बनाता है (परिवारी व सम्बाद) इसी तरह अल्यामध्यका भीकालिक अपने से गवाहित नहीं होते हैं तो छोटी ए सम्बाद व लाल या 'आवितरण सम्बाद' की अवासों का प्रयोग बिया ना देता है। लाल अपने गापियाँ गायता को लागू न रहे वी अल्यामध्यका ना गवाहित हो न लिए आवितरण सम्बाद ने गवाहित अवासों का प्रयोग बिया था। इसी प्रकार यारीह मंटी गम्बुदाय एवं उपायी होगा तो भी रास्तीपूर्वक गत गत शासन की तुल शासित हो जाएगा। यारीह गम्बुदाय एवं अवितरण सम्बाद ने प्रयोग 1920 के दशक में इस्तीकारा भी गवाहितिका बना दिया था।

मंटीगत अल्यामध्यका ने दो तरह का बनाया है। प्रथम तो वो अपनी गम्बुदाय ने बहु लाल व लाल बाली अवासों के गवाहित वा अवितरण का दीक्षार वार रहा है (इल्ला वी अवासों का)। द्वितीय तो वी प्रथम गम्बुदाय भी नहीं दिया गवाहित है (द्वितीयी व अल्यामध्यका)। उपर्युक्त अवासों का दीक्षार वार होता है। प्रथम अवासों का बाल वार (वो बहुमध्यका वी गवाहित हो जाता चाहत है)। द्वितीय गम्बुदायी (वो गिल वा रुका खाल है) तुलीप तुलीपारी (वो अन्य तो वायात है) भी उपवारी (गिलीह) अवासों का प्रयोग गम्बुदाय अवासों के गवाहित है। अल्यामध्यका अप्याय बहुमध्यका व गम्बुदाय गवाहित गम्बुदाय अवासों का दीक्षार वार ही है।

अल्यामध्यका व अवितरण वा गवाहित गम्बुदाय अवासों का अवासों अवितरण गवाहित गम्बुदाय वारही अल्यामध्यका गवाहित है। गम्बुदाय वारही गवाहित करने अल्यामध्यका व अवितरण वा गवाहित वारही दीक्षार वार होता है। गवाहितीला व भाग व लाल 1919-20 में अवितरण गवाहित वारही गुरुवारीगता व लाल अवासों के अवितरण वारही गवाहित वारही व लाल अवितरण गवाहित वारही व लाल अवासों का बाल वारही है भी। वो अपना अपने अवितरण बनाए रखना चाहते हैं वाला वा गवाहित भी अवितरण वारही ही है।

## भारत में अल्पसंख्यकों को सरकारण

भारत में भिन्नता के प्रमुख क्षेत्र पाच हैं। वे हैं धर्म भाषा, क्षेत्र जनजाति और आम जनता तथा शिक्षित मध्य दर्शीय नेता जनों में वर्गीकरण। ये विभेद भारतीय समाज को ऊर्ध्वाधर और समस्तरीय रूप से विभाजित करते हैं तथा एकीकरण में लगी हुई शक्तियों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करते हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था विस्तार के उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक विवाद तथा स्थायित्व होता है पर निरोधक दबाव ढालते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों की कोई सनोषजनक परिभाषा देना बड़ा कठिन है। कोई विशिष्ट वर्ग अल्पसंख्यक समझा जाता है तो इसलिए कि वे अपने को अल्पसंख्यक के रूप में देखते हैं। मिट्टात की दृष्टि से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की कोई भी अवधारणा तर्क-मत्यत नहीं है। वे लोग जो 50% से कम हो उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाना चाहिए। किन्तु प्रश्न उठता है कि किमान 50%<sup>2</sup> समूर्ण जनसंख्या में हित 82.72% होने के कारण अधिसंख्या में है किन्तु वे जम्मू और काश्मीर प्रजाव तथा नायालैड में अल्पसंख्या में है बहा ब्रह्मगुम्बजमान मिथ और ईसाई बहुसंख्यक हैं। माथ ही हित ऊर्ध्वाधर तथा समस्तरीय रूप से अनेक दर्गों तथा उपवर्गों में विभक्त हैं श्रावण क्षत्रिय, वैश्य या अनुमूलित जातिया और जनजातिया सभी अलग-अलग 50% से कम हैं। धर्म, समृद्धि भिन्नता भारत जैसी अन्यत नहीं है। एक प्रात वा हित भाषा अथवा समृद्धि के आधार पर दूसरे प्रात में अल्पसंख्यक हो सकता है। भारत में मुमलमान भी मामाजिक आर्थिक और राजनीतिक आधारों पर आपने में पृथक है, गिया-गुली के अतिरिक्त बोहरा, स्वाजा, मेमन आदि प्रमुख समूह मुमलमानों में पाये जाते हैं। अत यह कहा जा सकता है कि भारत अल्पसंख्यकों का एक परिसर है।<sup>4</sup>

भारत में धार्मिक दृष्टि से मुमलमान ईमाई तथा सिंह अपने को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मानते हैं। मुमलमान सदसे बड़े अल्पसंख्यक हैं जो समूर्ण आदादी के लगभग 12% हैं। यदि ऐक समूह के रूप में मनदान करते हैं तो ऐक जौराई समदीय चुनाव क्षेत्रों में इनकी भूमिका रिणार्थिक यिद्द होती है। हालांकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के चार देश के विभाजन के दोष वा भाव अनेक मुमलमान नेताओं भी विद्यमान था किन्तु आज वी सुशो पीढ़ी उत्तरी ही अपने को भारतीय मानती है जिनका अन्य लोग अपने पूर्वजों की तरह से उनके अद्वारा काविमान बनाना वा अपराष्ट भाव नहीं है किन्तु वे शारीरिक और आर्थिक रूप से अनुरक्षित अनुभव करते हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश गरीबी भुमपरों, बीमारी और अधृविद्वास की डिडी जी रहे हैं जैविक रूप से पिछड़े हैं। इनमें से अधिकांश ऐसे पेशे में लगे हुए हैं जो समाज म निम्न कोटि के समझे जाते थे अथवा जो हामोन्मुख स्थिति में हैं। सणन्न व्यापारी अधिकांशन पूर्वी तथा पश्चिमी लड़ों पर हैं जो परगरागन व्यवसायों में लगे हैं। कुछ लोग अन्य समुदाय के लोगों की तरह तम्बारी के बन पर मणन हुए हैं किन्तु इस समुदाय के जो तम्बारी के बन पर मणन हुए हैं, उन लोगों ने मणकार तथा जनता का व्याप कुछ रखादा ही अपनी तरफ आरपित किया है। इसी प्रकार कुछ वर्गों में आजे वासा धन तथा उमड़ा अनेक तरह के धार्मिक कार्यों में प्रयोग ने भी

स्थानीय सत्रुलन को बिगाड़ा है।

ईमार्डि, जो जनमस्या में दो प्रतिशत से कुछ ज्यादा है, जोर नोगो में ईशिक धर्म संघ न ज्यादा बिवरित है। अनेक ईशिक तथा मेडिकल मस्याओं को बनाने में इनके प्राधान्य के कारण इन्हे समाज में अभिजन वर्ग का दर्जा मिला हुआ है। भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र मध्यम परिवर्तन के कुछ प्रथाओं को लेकर बहुरप्ती हिंदुओं तथा ईमार्डि प्रतिशतरियों के बीच बढ़ता रही है। इन प्रतिशतरियों की कुछ गतिविधिया राष्ट्र-विरोधी रही जिसके कारण आशाचत प्रदेश में गैर-हिंदू पुजारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी। किन्तु दक्षिणी भारत के ईमार्डि राष्ट्रीय तथा स्थानीय व्यवसाय में भली प्रकार एकीकृत हो गये हैं तथा उनकी भूमिका कुछ प्रभावशाली हिंदू जातियों से किसी मामले में बदल नहीं है। मन माठ के दशक में उनके अनेक धार्मिक अनुष्ठानों यहाँ तक हि नामा वा हिंदूकरण हुआ है।

मिस्ट भारत की जनमस्या के लगभग 2% हैं तथा देश के अन्य लोगों से आधिक धर्म से मपन्न हैं। कृषि ट्रामपोर्ट लघु उद्योग व्यापार तथा सेना के क्षेत्र में इन्होंने विशिष्ट स्थान बना लिया है। मिस्टों ने आधिक हिंदूओं धर्म राजनीति तथा मना के इतिहास में अपनी अलग पहचान बना ली है। हालांकि मिस्ट हिंदू धर्म में अलग नहीं मान जाने ये हमारा सर्विधान भी इन्हे हिंदू धर्म में सम्मिलित मानता है किन्तु हाल की घटनाओं न हिंदुओं तथा मिस्टों के मध्य परिष्ट मतभेदों में दग्धर हाल दी है।

धार्मिक अन्यमस्यकों ने परिवर्तन में धर्मनिरपेक्ष राज्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अद्दा की है। भारत में भी धर्मनिरपेक्षवाद को अपनाना में अन्यमस्यकों की नकारात्मक ही मही किन्तु महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर्व धर्म सभभाव पर व हमेशा बल देते रहे। सर्विधान निर्माताओं ने भी इन सिद्धान्तों को अपनाकर अन्यमस्यकों को उचित सशक्त प्रदान किया। हमारे सर्विधान में अन्यमस्यकों ने सामृद्धिक भाविक और इसी प्रकार के कुछ अन्य अधिकारों के सरकार के लिए कुछ स्थायी रक्षणात्मक किये गये हैं। ये ममुदाय के उम वर्ग के लिए हैं जो सम्या की दृष्टि से अन्यमन में है। प्रदातात्र म बहुमस्यक लोगों द्वारा अन्याचार बिये जाने की सभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए इन रक्षणात्मकों की स्थायी रक्षणात्मक की गयी है ताकि नोडल का उपयोग बहुमस्यक लोगों द्वारा अन्याचार के लिए न किया जाये। हमने दूसरे अध्याय में देखा है कि शो गान्धी के नामे को आधार बनाकर मुनियोजित दृग में नरमहार किया गया और उसके परिचामस्वरूप देश का विभाजन हुआ। भारतीय राजनीति पर मोरक्के मिट्टी योजना द्वारा साप्रदायिक प्रतिनिधित्व योग्य रखा था। भारत के राजनीतिक जीवन में पृथक तात्त्वकी मनोवृत्ति का बीज हालन के बाद साम्झान्यवादी शक्तियों ने भारतीय लोगों के बीच फूट ढालने के लिए प्रयत्न अवसर का लाभ उठाने हुए उन्हें दो परम्परा शक्ति योगों में विभाजित कर दिया था और स्थिति को यहाँ तक पहुंचा दिया था कि भारत को स्वतन्त्रता देने में इनकार करने में उसे कारण बनाया जा सके। यही कारण है कि हमारे सर्विधान के रक्षितात्मकों न मना के लिए साप्रदायिक प्रतिनिधित्व का उपयोग नहीं किया। अध्याय तीन में हमने देखा है कि धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार प्रत्यक्ष नागरिक को उपलब्ध है। ये अधिकार धार्मिक

अल्पमध्यकों की रक्षा करते हैं। जबकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और बग्नादेश में इस्लाम धर्म को महत्व देने के लिए एक के बाद एक बदम उठाये जाते रहे किन्तु हमारे सविधान में किसी भी धर्म को अप्रसर करने के लिए कोई उपबंध नहीं है। सभी धर्मों के साथ स्मान व्यवहार करने की अपेक्षा की गयी है। सविधान में भाषिक और सामृद्धिक अधिकारों की प्रत्याभूति दी गयी है। कोई भी सामृद्धिक अल्पमध्यक जो अपनी भाषा या समृद्धि बताये रखना चाहता है तो उन पर राज्य विधि द्वारा बहुमध्यकों की या किसी स्थान की अन्य समृद्धि को अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। 'यह उपबंध धार्मिक अल्पमध्यकों को भी मरण दता है और भाषिक अल्पमध्यकों को भी। राष्ट्र भाषा के स्पष्ट में हिन्दी के प्रोलंयन में या अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने के अनुच्छेद 29-30 द्वारा प्रत्याभूत अल्पमध्यक समुदाय के भाषिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता। बहुत सध और राज्य की सरकारें सरकार के सर्व पर मुसलमानों की भावनाओं की तुष्टि के लिए उर्दू का प्रोलंयन करती रही हैं।<sup>5</sup> सविधान में भावृधाया में शिक्षा की मुविधाओं की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। भागार्द अल्पमध्यकों के लिए विदेश अधिकारी नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है।<sup>6</sup> अनुच्छेद 29(2) के अनुसार राज्य की शैक्षिक सम्पत्तियों में विभेद न दिया जाने की व्यवस्था है। इस उपबंध का आशय न बेदल धार्मिक अल्पमध्यकों को सरकार प्रदान बरता है बल्कि स्थानीय या भागार्द अल्पमध्यकों को भी। सभी अल्पमध्यकों को अपनी सत्रि की शिक्षा सम्पाद स्थापित करने का और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अपनी भाषा या लिपि बनाये रखने का अधिकार दिया गया है। शिक्षा सम्पत्तियों को महायना देने पर राज्य किसी शिक्षा सम्पत्ति के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित विसी अल्पमध्यक वर्ग के प्रबंध में है।<sup>7</sup> अनुच्छेद 31 के निरमन के परिणामस्वरूप सभी व्यक्तियों का राज्य द्वारा सपनि के अर्जन के लिए प्रतिकर पाने का सविधानिक अधिकार समर्पित कर दिया है। इस बहुमध्यक समुदाय की शिक्षा सम्पाद भी आनी है किन्तु अल्पमध्यक समुदाय की शिक्षा सम्पत्तियों को इस स्थिति में बाहर रखा गया है। उनकी मपनि को प्रतिकर दिये बिना राज्य द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा किया जाना अनुच्छेद 30(1) (क) द्वारा प्रत्याभूत अधिकार वा उल्लंघन होता। लोक नियोजन में भी अल्पमध्यकों के साथ विभेद नहीं किया जा सकता है।

इस प्रवाह अल्पमध्यकों का भागत मूल्यकार का सरकार प्रदान किया गया है वैसा अल्पव जायद किसी भी देश में प्रदान नहीं किया गया है। सविधान मध्य में अल्पमध्यक समुदाय के अनेक सदस्यों ने अल्पमध्यकों से मदर्शिन इन उपबंधों पर अपना मतोंप्रति व्यक्त किया। लद्दन के 'द टाइम्स' ने अपन सपाइदारीय मा 1949 में यह टिप्पणी की कि त्रिम धर्मनिरपेक्ष आदर्श धार्मिक मूल्य में नियन्त्रण का थी नेहरू और उनके सदस्यों ने मपनि कर रहे हैं वह विशेष रूप में सुरक्षित किया जा चुका है। लेस्टर बाउन्स ने कहा कि थी नेहरू की एक मदम बड़ी उपनिषित एक ऐस राज्य का निर्माण है जिसमें वे 45 लोड सुमलमान तिनोंने पाकिस्तान न जान का निर्णय लिया जानिपूर्वक रह गए हैं और जैसे जाने वैसे उपासना कर मिलता है।<sup>8</sup> प्रवाह समाज नेहरू ने अल्पमध्यकों में

आत्मविश्वास जगाने के लिए हर सभव प्रयास किया। उन्होंने अत्यसम्बन्धको बो मरणपद देने के लिए अप्रैल, 1950 में लियाकत अली खान के माथ दिल्ली में समझौता किया। उन्होंने हमेशा अपने बकलब्यो नेप्तों तथा भाषणों में धर्मनिरपेक्ष मिठातो पर चल दिया तथा अत्यसम्बन्धको को अनेक प्रकार का प्रोत्साहन दिया। परिणामत भारत में अत्यसम्बन्धक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मत्री राजेन्द्रन राज्यपाल भुज्यमत्री सेना के उच्च अधिकारी अनेक आदोगों के अध्यक्ष आदि पदों को मुश्किलित किये हैं और कर रहे हैं। आज अत्यसम्बन्धको तथा बहुसम्बन्धको के रहन महन वेश भूषा खान पान भाषा-बोनी में अतर बम होता जा रहा है किंतु जो मद्दते दु बद बात है वह यह है कि आये दिन विभिन्न सप्तदशों के बीच माप्रदायिक दो भडक उठने हैं जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को झोलना करते चले जा रहे हैं तथा राष्ट्र के शरीर को क्षयरोग के कीटाणु की भाति निर्बल बनाते जा रहे हैं।

### स्वतंत्रता से पूर्व हिन्दू-मुस्लिम सप्रदायवाद

सप्रदायवाद, आज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के मामने सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, यह भमान को छिन भिन्न कर रहा है देश की एकता और अवडता को सकटप्राप्त कर दिया है तथा देश में इसने बूरना और धूणा का भाग्यवाना दिया है। सप्रदायवाद किसी धर्म (अथवा जाति/ममुदाय/पथ) के व्यक्ति अथवा ममूह की मन स्थिति है जो इस भावना में उत्पन्न होती है कि उसके/उनके विद्वाम के मामन वामनविक अथवा काल्पनिक मकट विद्वाम है जिसका धर्म (अथवा जाति/ममुदाय/पथ) के सदस्यों के भाग्यहित प्रयासों द्वारा भाग्यना किया जाना चाहिए। सप्रदायवाद मूलत एक विचारधारा है जिसकी अभिव्यक्ति कभी-कभी माप्रदायिक दशों में हो जाती है। माप्रदायिक विचारधारा बिना कोई साप्रदायिक दग हुआ भी विद्वाम रह मङ्गती है तथा विकसित हो मज्जी है। यह ऐनिहासिक तथ्य है कि माप्रदायिक समस्या मुगमवाल में भी यी किन्तु दसने विकराल स्प्रिंगिं नान में विशेषकर 20वी शताब्दी में धारण किया। 1693 में अहमदाबाद में दोहोरे हुए थे जिसम सायान्य जन समिनित हुए थे। हाली मनाने और गोहत्या के प्रश्न पर 1714 म अहमदाबाद म माप्रदायिक दग हुए थे। हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच प्राय धार्मिक जल्सों पर हमने बो लेकर कामीर में 1719 20 में, दिल्ली में 1729 में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 1786 में दगों हुए थे। 19वी शताब्दी में शूचार्ड में बनारस (1809 15) बोली (1820) मुगमदाबाद भभल जालोपुर (1833) शाहजहानपुर (1837) बरेनी बानपुर और इनाहाबाद (1837 52) आदि स्थानों पर अनेक माप्रदायिक उपद्रव हुए थे।<sup>9</sup> 1893 में गोहत्या का नेहर मऊ (अजमण्ड) म दग हुए थे, जो धीरे धीरे यू पी, बिहार मुजरात और बाबे के कासी क्षेत्र को अपनी चपट म ले लिया था तथा इनम 107 सोग मारे गये थे।<sup>10</sup> मालवार क्षेत्र में भी 1873 1885 1894 और 1896 में दग हुए थे। बंद्रीय प्रदेश में 1889 में महाराष्ट्र के नामिन जिले में 1894 म, पोरबदर में 1895, मुज्जान म 1891 म तथा प्रजाव म कुछ धोका में 1891 और 1893 में

बीच एक के बाद एक दगे हुए थे। 19वीं शताब्दी तक दगे नियमित स्वयं नहीं धारण किये थे। पहले दगे उतने पातक नहीं थे जिनना कि 20वीं शताब्दी में हो रहे हैं क्योंकि मन्त्रालय के माध्यमों का उतना विकास न होने के कारण उनका क्षेत्र सीमित होता था। माथ ही तकनीकों का विकास न होने के कारण इन दगों में विकसित हथियारों वा इस्तेमाल नहीं होता था। विभिन्न गमुदायों से अलगाव 20वीं शताब्दी जैसा उप्र नहीं था। अतः राज्य-शक्ति पर नियन्त्रण के लिए दोनों समुदायों में संघर्ष नहीं था।

1857 से पहले शासक अपनी प्रजा को ममुदायों में बाटन का प्रयास करने के बजाय उन्हें एक-दूसरे के बरीच लाने का अनेक प्रयास करते रहे। सुन्नानों उनके उन्नेमाओं और काजियों का प्रयास महत्वपूर्ण न भी रहा हो जिनु सूफी-मतों का प्रयास निश्चय ही मराहनीय रहा। वे जनता के हृदय पर शामन करते थे। सभी ने 'अहम् जल्पान्मि' की तरह कहा कि मैं मुद्रा हूँ या ईमावास्यमिदम् सर्वम् की तरह जो कुछ है वह मुद्रा है। अनेक हिन्दू और मुसलमान मजारों पर दीये जाना थे और पीरों को नमन करते थे। सूफी मतों ने आम लोगों की बीमी और भाषा अपनायी। अनेक ने हिन्दी भाषा को भाष्यम बनाया। दोनों समुदायों के लोग एक-दूसरे के त्यौहारों में कुछ हद तक मध्यिलिन होने लगे थे। हिन्दू और मुस्लिम मस्तृतियों ने एक-दूसरे पर कारी इद तक प्रभावित किया था। बीजापुर के सुन्नान का कड़ना था कि वह गणेश जी से प्रेरणा लेना था। बगाल का शासक परगल खान प्रतिदिन शाम को महाभारत का पाठ मुनता था। कुछ सूफियों ने हिन्दू धर्म की अनेक बातें अपना ली थीं। अनेक लोगों ने उपदेश दिया कि ईश्वर और अल्ला एक ही है। अनेक चर्चित मुमनमानों ने हिन्दू नामकरण तक को अपना निया था। मुगल सम्राट के बल गणाजन पड़ते थे जो प्रतिदिन सुबह झरोसा-दर्जन देते थे और प्रतिकूर्ष तुका-दान करते थे।

मुगल सांस्कृतिक मूलत दिल्ली और जयपुर के सम्मिलन में शामिल था। हम बिना मानसिंह के अवधार के बारे में नहीं सोच सकते—और यहा तक हि बिना जयसिंह और जमश्वत मिह के औरगजेव के बारे में नहीं सोच सकते। बल्कुत मुगल शासक एक सर्वोच्च जमीदार थे जो रथानीय विशिष्ट व्यक्तियों पर निर्भर करते थे।<sup>11</sup> हिन्दू समाज ने भी जहा हर तरह के दमन का विरोध किया वही पर इस्लाम की निदा महज इसनिए नहीं की गयी हि दमन करने वाला मुसलमान था। हिन्दू सर्व धर्म गमधार के विचार में पला था, उसे मित्रस्य चुक्षुया पश्यम् की शिखा दी जाती थी।<sup>12</sup>

हिन्दू राजा तथा मुस्लिम बादगाह दोनों की सेनाओं में हिन्दू और मुमनमानों का मिथ्यण होता था, अनेक हिन्दू राजाओं ने प्रधान मेनायनि मुगलमान रहे तथा बादशाहों के सेनापति हिन्दू रहे। इस प्रकार हिन्दू और मुस्लिम मस्तृति में उत्तरोत्तर मध्येषण होता रहा। प्रो. मुर्गीब का बहना है कि 1750 से 1850 तक जिनी ज्योद्दा एक ममानना रही उननी न तो पहले कभी रही और न ही बाद में कभी हूँ। बामनद में देखा जाये तो मास्तृतिक एक ममानना औरगजेव की मृत्यु के बाद अन्यधिक बास्तविक थी तथा वह 1907 तक बनी रही।<sup>13</sup>

दोनों समुदायों में लनाव के बारण प्राय गोहन्या तथा मस्तिदों के ममक्ष मरीन

हुआ करते थे। गाय का प्रश्न मध्यकाल में भी महत्वपूर्ण रहा। अकबर ने अपने राज्य में गोहन्या पर नियेध लगा दिया था तथा स्थानीय उत्तराधिकारी शासकों ने भी इस नीति का पालन किया। 1847 में ब्रिटिश सरकार ने भी अमृतसर में गोहन्या पर गोक लगा दी थी, वहादुरखाह जफर ने भी 1857 के विद्रोह के दौरान ऐसा ही किया था। 1857 की क्रान्ति में हिंदुओं और मुसलमानों ने एक साथ लड़ाई लड़ी थी। बल्कि हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों ने भाग लिया था।

1857 के बाद ब्रिटेन ने हिंदू मुस्लिम अलगाव के बीच भारत में बोये। हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के हर मध्य व्यापार किये गये। इस समय तक ब्रिटिश भारतीय सेना मिथिल होती थी। एक ही इकाई में हर घर्म और जाति के सोग हुआ करते थे। 1857 के बाद अपेजो ने सेना को पुनर्गठित किया। हिंदू मुस्लिम सिल जाट राजपूत गोरखा महार आदि रेजीमेंट अलग-अलग बनाये गये। तूक मुसलमानों ने ज्यादा सक्रिय भाग लिया था इसलिए अपेजो की नाराजगी हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों से ज्यादा थी। किन्तु 1905 के बाद स्थिति बदल गयी। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उच्च वर्गीय मुसलमानों और ब्रिटिश सरकार के बीच गठबंधन स्थापित हो गया। बम्लुन अत्यस्त्वयक सप्रदायवाद और साम्राज्यवाद द्वारा सेवा मिलाकर उभरते हुए राष्ट्रवाद के खिले का सामना करने के लिए एक जुट हुए थे।

बगान का विभाजन किया गया मुस्लिम लीग की स्थापना की गयी मुसलमानों तथा अत्यस्त्वयकों के लिए मतदान को आसान बनाया गया। इस प्रकार प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू महासभा की स्थापना हुई। राष्ट्रवादियों को छोड़कर सभूते भारत के लिए बात करने वाला कोई नहीं था। सब अपने-अपने सप्रदायों की बात करने लगे थे। इस प्रकार हम विभाजित होने लगे और वे शामन करने गये। कायेस द्वारा राष्ट्रवाद और मुस्लिम सप्रदायवाद के अन्वरोध को समाप्त करने के प्रयाम किये गये किन्तु असफल रहे। मुस्लिम लीग के नेता मुसलमानों के लिए उचित तथा समर्थ प्रतिनिधित्व की बात को अलग-अलग रूपों में उठाते रहे। दूसरी तरफ हिंदू महासभा हिंदुओं के हितों की अवहेलना का शोर मचाती रही। सप्रदायवाद का जहर राष्ट्र की काया में फैलना ही गया।

मुस्लिम सप्रदायवादियों ने पहले सुनी प्रतियोगिता के मिद्दान का विरोध किया और राजकीय मेवाओं में अपनी नियुक्ति के लिए मुस्लिम समुदाय की उच्च ऐनिहामिक भूमिका को आधार बनाया। तलवशालू विधानभूलो और सरकार की कार्यकारिणी में उन्होंने अलग मुस्लिम प्रतिनिधित्व की मार्ग इस आधार पर की कि बिना इस महारे के उनके समुदाय तथा उनकी समृद्धि का विनाशण और स्वतंत्र अस्तित्व पूरी तरह में नष्ट हो जायेगा। मुस्लिम नेता सप्रदायवाद के चंगुल में इतनी मजबूती से जबड़ उठे कि अन में बहने लगे कि यदि देश के विभाजन की मार्ग स्वीकार नहीं किया गया तो मुस्लिम समुदाय और समृद्धि के सभी चिह्न विनुप हो जायेंगे। 1940 में लीग के अध्यक्षीय भावण में जिन्ना ने बहा-

हमारे हिन्दू मित्र इस्लाम और हिन्दू धर्म को प्रकृति को समझने में क्यों विफल हुए हैं, यह कहना अत्यत कठिन है बास्तविक अर्थों में यह शब्द धर्मों के सूचक नहीं हैं वरन् ये तो विभिन्न और विशिष्ट सामाजिक पद्धतियां हैं और यह दोनों मिलकर भभान राष्ट्रीयता को जन्म देगी, यह स्वप्न की बात है। एक भारतीय राष्ट्र सबधी गलत धारणा को अत्यधिक तूल दिया जाता है और हमारे अधिकतर कष्टों का कारण भी यही है। यदि समय रहते इन गलत धारणाओं को बदला नहीं गया तो भारत का विनाश हो जायेगा हिन्दुओं और मुसलमानों का सघ दो विभिन्न धार्मिक दर्जनों सामाजिक श्रेत्र-श्रिवाजो और साहित्यों से है हिन्दू और मुसलमान दो विभिन्न ऐतिहासिक खोतों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इनके महाकाव्य भिन्न वीर नायक भिन्न और उपन्यास भी विभिन्न हैं। ऐसे दो राष्ट्रों को एक ही राष्ट्र में जोतना जबकि इनमें से एक अल्पसंख्यक और दूसरा बहुसंख्यक है, असतोष को बढ़ावा देता है और इस आधार पर जो भी भावी प्रशासनिक ढाँचा बड़ा किया जायेगा वह कुछ ही दिनों में ढह जायेगा।<sup>14</sup>

जिन्ना का मानना था कि आधिक रूप से रिक्ल और विशीय रूप से शून्य 'मुसलमानों के हितों' का 'पूजीवादी हिन्दुओं' के हितों के साथ कभी सामर्ज्य नहीं हो सकता है।

अनेक प्रकार के प्रचार द्वारा साप्रदायिकता को भड़काया गया यह कहा गया कि हिन्दुओं के विपरीत मुसलमान उन विशेषताओं से सपन्न हैं जो एक शासक जानि में होती है। वे सामर्थ्यवान थे उन्हें मालूम था कि जासन वैसे किया जाता है तथा उनके पास वह शारीरिक शक्ति द्वी जिम्बाका कायर हिन्दुओं में अभाव था। मुसलमानों के सात सौ वर्षों के इतिहास और उनकी वस्त की उच्चता वा प्रमाण बनाया गया। 4 अप्रैल, 1939 के दिल्ली में ग्रातीय लीग के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महमूदवाद के राजा ने घोषणा की

करोड़ों (बनियों) को जान लेना चाहिए कि वह समुदाय जिसने कभी आठ सिपाहियों के बल पर भारत जीता था आज भी अपनी जर्नें मनवा सकता है। यदि मुस्लिम संघ के निर्माण में हमारे रास्ते में कोई बाधा भड़ी नी गयी करोड़ों वे कान मरोड़ दिये जायेंगे और उन्हें धून चाटनी होगी। विश्व इनिहास में इस (मुस्लिम) समुदाय की आज भी एक भूमिका है और यदि शोर मचाने वाले इलमपसीदू जैसे कि हिन्दू हैं, हमारा चिरोध करने का साहम नहीं है (तो) उनका नामोनिशान इस दुनिया में मिटा दिया जायेगा।<sup>15</sup>

हिन्दुओं के ऊपर मैट्रेव से चली आती मुस्लिम शेषता को प्रमाणित करने के लिए नज़ीबावाद के मौलाना अब्दुरशाह ने प्रस्ताव रखा, 'हिन्दुओं और मुसलमानों को प्रतियोगिता वी स्थिति में पानीपत भी एक चौथी लडाई लड़नी चाहिए।' मध्ये भारत को इस्लाम के लिए फिर से जीतने की बात कही गयी। यह भी बहा गया कि अगर हिन्दू

राज्य स्थापित होता है तो हिन्दू सभव हुआ तो मुसलमान और इस्लाम दोनों को स्तम्भ कर देंगे। यह प्रचार किया गया कि मुसलमानों के जान-माल, सम्मान और धर्म की मुरक्का हिन्दुओं से पूरी तरह अनग हो जाने में है। मुस्लिम सप्रदायवाद के विकास में उत्तेमाओं की भी काफी भूमिका रही। मुसलमानों का अधिमान के माध्य पृथक् निर्बाचन के अधिकार से हिन्दू सप्रदायवाद को बड़ावा मिला। अनेक हिन्दू कायेस की नीतियों की आलोचना करने लगे। कायेस नेताओं पर अत्यस्थिति को प्रसन्न करने के लिए बहुसंख्यकों के हितों का विलिदान करने का अभियोग लगाया जाने लगा। पजाब के हिन्दुओं ने एक साप्रदायिक हिन्दू आदोलन का धीरगेंग किया पजाब में हिन्दू अत्यस्थिति ये तथा जायेम द्वारा उपेक्षित अनुभव कर रहे थे। मुस्लिम लीग की विचारधारा तथा तरीकों की समता और सफलता से प्रभावित इन लोगों ने भी पजाब के बहुसंख्यक मुसलमानों से अपने हितों वी रक्षा के लिए उन्हीं के अनुकरण में हिन्दू सप्रदायिक आदोलन की शुरूआत की। मुस्लिम लीग की हनुमान की पूछ की तरह बढ़ती मारे और साप्रदायिक रक्षापात हिन्दू सप्रदायवाद को बल प्रदान करते रहे।

हिन्दू महामभा के हिन्दू धर्म तथा मस्तृति वी रक्षा के माध्य ही वैध माध्यमों द्वारा हिन्दुस्तान की पूर्ण राजनीतिक व स्वतंत्रता' को लक्ष्य बनाया। विनायक दामोदर मात्वरबर ने धर्म और मस्तृति एवं आशारित हिन्दू राष्ट्रवाद का विचार रखा। उन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा 'बहुसंख्यकों के राष्ट्रीय सप्रदायवाद' के स्थ में दी। उनके विचार में बहुसंख्यक सोग ही राष्ट्रीय समुदाय होते हैं। देश का शासन उन्हीं के हाथों में रहता है। अत्यस्थिति लीग अपने अचर्य धर्म और अनग मस्तृति को अध्युषण बनाकर रख सकते हैं किंतु देश के सामान्य जीवन और प्रशासन में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। उन्होंने हिन्दुओं की राष्ट्रीय और साप्रदायिक आकाशाओं में कोई मैदानिक भत्तेड़ नहीं देखा।<sup>16</sup> डॉ. वे. शक्तराचार्य ने घोषित किया कि हिन्दुस्तान मुस्तृति हिन्दुओं के लिए ही और हिन्दू लोग आर्य सस्तृति तथा हिन्दू धर्म के समर्पण तथा विकास के लिए जीवित हैं जिनमें मपूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा।<sup>17</sup> इन लोगों के लिए स्वराज वा अर्थ हिन्दू स्वराज्य या। ऐवल एक भूमध जिसे भारत बहा जाता है, उनकी भौगोलिक स्वतंत्रता को मच्चा स्वराज्य नहीं समझना चाहिए। हिन्दुओं के लिए स्वाधीनता तभी प्राप्त करने योग्य होगी जब वह उनके हिन्दुत्व उनकी धार्मिक, जातीय तथा मास्तृति अस्तित्व को सुरक्षित रखे।'

हिन्दू नेताओं ने स्पष्ट करते हुए रहा कि वे

अपने देशों से भागकर यहां शरण लेने वानो या उन भूतपूर्व हिन्दुओं के बचावों बिन्होंने सत्ता और धन के लोभ से अथवा अद्य के कारण अपने गैरवमप्य धर्म का स्वराग कर दिया था और मुसलमान बन गये थे या उन बर्दर आहमणकरारियों दे बचावों, बिन्होंने हमारी पवित्र सूर्य को नूटा हमारे पवित्र मदिरों को छब्बन विया, को देश वा मपुका मानिक नहीं मान महते। देश उनका नहीं ही मस्तृता है यदि उन्हे यह रहता है तो उन्हे यह मनवर यह रहना चाहिए कि हिन्दुस्तान

हिंदुओं की भूमि है किसी और की नहीं।<sup>11</sup>

राष्ट्रीय स्वयं सेवक सभ के लोग तो इनना भी मानने को तैयार नहीं थे कि अन्यसमस्यक समुदायों को आइना अलग मास्ट्रिक्शन बनाए रखने का अधिकार है। वे अन्यसमस्यकों के हिंदूकरण पर बल देने हैं। हिंदू महासभा ने शुद्धि आदोलन चलाया। यह दावा किया गया था कि 1922-23 में 4,50,000 मुस्लिम राजपूतों को पून शुद्धि द्वारा हिंदू धर्म में सम्मिलित किया गया था। मुमलमानों ने इसके विरोध में तबीम आरभ रिया।

म्बनवना से पूर्व का वातावरण माप्रदायिकता में बृद्धि में अत्यधिक विपाक्ष हो गया था। परस्पर भय परस्पर अविद्याम एवं दूसरे के जीवन के दण की निदा, भारतीय इनिहास की निदा/प्रशस्ति आदि नाप्रदायिक प्रचार और माप्रदायिक विचारों के प्रमुख तत्व थे। 1924 में लाहौर के एक हिंदू पुस्तक विद्वेता न रगीला रसूल नाम से एक पफ्फेट प्रकाशित निया जिसमें ऐगवर माहव के बारे में अपरिजितक बातें कही गयी थीं। इसके कुछ समय बाद रिमाला वर्तमान के नाम से एक मासिक पत्रिका में लेख छापा। इस प्रकार बीमवी घटाव्यों के पूर्वार्द्ध में दोनों समुदायों की नरक संभयानक धूणा फैलाने का अभियान चला। जिसके परिणामस्वरूप छाटी-मोटी बातों को लेकर अनेक स्थानों पर दगे भड़क उठे थे। कभी गोहत्या तो कभी मस्तिष्क के मामने सूअर कभी धार्मिक जुलूम तथा उमके शम्ने तो व भी सरीत वो लेवर तो कभी हिंदू रुत्री का तनात्वार तो कभी हिंदुओं और मुमलमानों के त्यौहार एवं माघ हो जान में साप्रदायिक दगे पूट पड़ते थे। जानून और व्यवस्था की अड़ीढ़ समस्याओं स प्रशासन वो जूनना पड़ता था। 1946 की एक घटना इस समस्या की गर्भोरता वा उदाहरण है। मुहर्रम त्यौहार के दौरान बनारस में मुमलमाना का ताजिया एवं पीपल के नीचे से जाना था जो पीपल हिंदू मंदिर का था तथा जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। पीपल की एक नीचे लटकी हुई ढान ताजिये को ले जाने में चावट ढान रही थी तथा हिंदुओं ने पीपल की ढान काठन की अनुमति नहीं दी। हिंदुओं ने दोष लगाया कि उम वर्ष ताजिया और बयों की तुचना में बड़ा बनाया गया था। चूंकि मुमलमानों ने ताजिये को झुकाकर ल जाने से मना कर दिया, इसनिए तीन घटे जुलूम वहां स्का रहा तथा दोनों तरफ में बाही गरम बहम चलनी रही जिन्हें दगा झोने वी नौजन आ गयी थी। पुनिम अधिकारी की बुगलना स बहुत बड़े दब वा टाला जा गका उमने महज को एक पूट गहरा मुद्रा दिया ताकि ताजिया सीधा करने ही से जाया जा सके। इस तरह की घटनाएँ प्राय माप्रदायिक उपदेशों का बारण बननी थीं।

बीमवी जनावरी में 1907 में पूर्वी बागान 1910 में पेशावर 1912 में अयोध्या 1913 में आगरा 1917 में शाहाबाद और 1918 में कटारपुर में साप्रदायिक डाइव हुए थे। 1920 के दशक में दगों की बागवारता बढ़ गयी बोई भी प्रान रोमा नहीं बचा था जो दगों की चपट में न आया हो। 1921 का मोगला विद्रोह जिसमें अमस्य हिंदू मारे गये थे माप्रदायिक था। 1921 में मानेशाव 1922 में मुल्लान 1923 में लाहौर, अमृतसर तथा अहमदाबाद अद्दे पूट पड़े थे। 1924 में इन दलों के अपरिजित उद्धरण घास्तक दर दिया था।

जिसमें इलाहाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, गुलबर्गा, जबलपुर, कोहात, समनऊ, नामपुर तथा शाहजहानपुर आदि स्थानों में काफी लूटपाट, आगजनी, बलात्कार और हत्याएं हुई थीं। 1925 के बाद आर्य समाज के शुट्टि और सगठन तथा मुसलमानों के तजीम और तब्लीग के कारण भी दगे होते रहे। 1926 तथा 1928 के कलकत्ता और बाबे के दगो में काफी जान-माल की धूति हुई थी। कलकत्ता में लगातार तीन दगों में 141 लोग मारे गये थे तथा 1296 लोग घायल हुए थे। 1928 में बड़ई में 117 लोग मरे थे तथा 791 घायल हुए थे। सन् 1930 तथा 40 वां दशक तो दगो की दृष्टि से अत्यधिक भयावह रहा। साप्रदायिक दगे राजनीति के साथन हो गये थे। उत्तर प्रदेश में दगो की दृष्टि से 1937 से 1950 का समय सबसे खराब रहा। 1939 में 1127, 1946 में 374, 1947 में 467 और 1950 में 468 दगे हुए थे। इस प्रकार हिन्दू-मुस्लिम सप्रदायवाद के कारण देश का विभाजन हुआ। 'दो राष्ट्रों के सिद्धात' पर पाकिस्तान की स्थापना की गयी यह समझा गया कि साप्रदायिकता पाकिस्तान के निर्भाऊ से हल हो जायेगी जितु दानव आज भी जिदा है तथा दिन-प्रतिदिन विकराल होता चला जा रहा है।

### स्वतंत्रता के बाद सप्रदायवाद

देश विभाजन के बाद भी भारत में साप्रदायिकता की समस्या बनी रही, 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद भी अधिकार्य मुसलमानों ने भारत में ही बसे रहने का निश्चय किया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अधिकार्य मुसलमानों ने भारत में ही बसे रहने का निश्चय किया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अधिकार्य मुस्लिम जन समर्थन प्राप्त था पाकिस्तान भाग गये किंतु इस परिवर्तन से जो रिक्तता आयी उसे आसानी से नहीं भरा जा सका। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि अधिकार्य द्वितीय और तृतीय बेटों के मुस्लिम लीग नेता काशेम में सम्मिलित हो गये। उन लोगों ने बाईं टोरी धारण कर ली तथा वर्द्दी को दल में पद भी मिल गये। जितु उनसे विचारों में परिवर्तन की उम्मीद नहीं आ जा सकती थी।<sup>11</sup>

विभाजन के बाद देवन जमियत-उल-उनेमा-ए-हिंद एक ऐसा मुस्लिम सगठन था, जिसकी गाँवों में मुस्लिम जनता में पैठ थी तथा जो काशेम के सहप्रोग में काम कर रही थी, जितु जमियत एक धर्म पर आधारित दल है, उनेमा इसके नेता हैं जो अपने समुदाय और ईर-मुस्लिमों के बीच कड़ी का बार्य नहीं कर सके। इनसे से अधिकार्य उनेमा तो मुसलमानों में मामाजिक मुधार करने को बौन बहे, उगाई आवश्यकता को अनुभव करने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। इन लोगों द्वारा सामाजिक अनुदारवाद को धर्म के समान बना दिया गया है। वे विश्वास करने लगे हैं कि मुसलमानों की धार्मिक पहचान को मुरादित रूप से लिए भामाजिक प्रथाओं से मात्र चिपके रहना आवश्यक है। परिणामतः समुदाय का स्वान बास्तविक प्रक्रिया में हटकर देवन पहचान तक सीमित हो गया है।

स्वतंत्रता से पूर्व मुस्लिम अस्मिन्ना का प्रश्न मुस्लिम राजनीति का आधार बना

रहा। आजादी के बाद अस्मिता का दावा चिनायामी हो गया—धार्मिक अन्यसम्बन्धक, उर्दू-भाषायी अत्यसम्बन्धक और मास्कृतिक अन्यसम्बन्धक। अधिकार मुस्लिम नेताओं ने आधुनिकीकरण के मिद्दातों को व्यवनाकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित समाज की स्थापना में महायोग देने के बायाह हर सामाजिक मुद्धाएँ का धर्म की जाड़ नेवर दिरोध किया। 'हर क्षतर पर इस्लाम वो जीवन का आदर्श कार्यक्रम माने। इस कारण से नष्टा मानवतावादी दृष्टिकोण से उनकी (मुमलमानों की) सफलता यही होगी कि दूसरे भूमुदाय भी इसे अपना समझकर स्वीकार करे और पवित्र कानून जिसे मुद्दा ने अपनी रहमत से घोषित किया है। सारे समाज पर गान्ध बरे।'<sup>19</sup>

स्वतंत्रता से पूर्व की भावि भारत के मुमलमान नेता इस प्रचार में लगे हुए हैं कि विना राजनीतिक शक्ति और विजेयाधिकारों के उनके समें, भाषा और समृद्धि का अस्तित्व मुरादित नहीं रह सकता। वे भारत सरकार के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को मानने वो तैयार नहीं हैं क्योंकि इसमें लगभग 90 प्रतिशत हिंदू हैं। राजकीय सेवाओं में स्थानों का आरक्षण पूर्ण निर्वाचन व्यवस्था सरकार द्वारा इस्लामी जिका के प्रमार के लिए मुमलमानों के धार्मिक तथा सामाजिक मामलों में सरकार की तटस्थित। उर्दू का राष्ट्रीय भाषा के रूप में भाव्यता बांदी की ये लोग मार्ग बरने हैं। यी एम० सी० छागला तथा एम० आर० बेग मरीमे व्यक्ति, आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष विचारों वे कारण इनकी आत्मोनामाओं के जिकार बनने रहे हैं 'गदार', 'काफिर' आदि उत्तराधियों से विभूरित किय जाने हैं। इन मामों के समर्थन में ए० जेड० सरफराज ने लिखा है 'हिंदू विधायक सभी मुमलमानों के कष्टों को जलने की विष्टा नहीं बरते उनके निवारण के रास्ते खोजना तो बहुत दूर की दात है। मुमलमान विधायक सामान्यत शक्तिहीन और असहाय है। इस भव्य में कि उन्हे माप्रदायिक न कहा जादे के मुमलमानों की मामों और कष्टों के समर्थन ये अपनी आवाज़ उठाने का माहम नहीं करते मगरूद निर्वाचन पद्धति के कारण पिछले अठारह वर्षों से मुमलमानों वो बहुत हानि उठानी पड़ी है। मुमलमानों की आम राय में यह तथावित मुमलमान मरी मुस्लिम हिंसा के निए बहुत धातक है। अपने पढ़ों को मुरादित रखने के लिए छागला ऐसे लोग मुमिन्म हिंसा को दाति पहुँचाने में भी नहीं शियवने।'<sup>20</sup>

पिछले कुछ दशकों से साप्रदायिक सम्बाद बन बढ़नी जा रही है तथा सभूले भारत में इस प्रकार के नये-नये सम्बन्ध बनने जा रहे हैं। आजादी के दो साल के अद्वार ही धायल मुस्लिम भीय मूर्छां से जाग चुकी थी तथा कुछ ही वर्षों में काषेस द्वारा गठित सरकार में हिंसेदार होने के कारण सम्बान्नीय बन गयो थी। आध प्रदेश में मत्रनियों द्वितीय उत्तराधित मुमलमानी एक तात्त्व के रूप में उभरकर आयी है। स्थिति ये है कि इसके नेताओं की तरफ अनेक दलों के नेता दोस्तों का हाथ बढ़ा रहे हैं। अपने को माप्रदायिक आधार पर तात्त्ववर बनाने में जमाने इस्लामी भी दीखे नहीं रही। ध्यान देने पोष्य बात है कि जमान ईदर पर आधारित दन है इसकी गद्दायता के बल कुछ चुने हुए लोगों का ही सीमित है। देश विधाजन के बाद कुन 625 मदम्यों में देवत 240 भारत में रह गये

ये । 1974 तक दलने 348 जातिगत स्मूलन भी थीं तथा 18 राज्यों में सक्रिय धर्म से कार्य कर रहा था, यहां तक कि सुदूर स्थानों अठमान, तक में यह मन्त्रिय है । पिछले दशक में इसने अपने आधार का और अधिक विस्तार किया है ।<sup>21</sup> जमातें इस्लामी का उद्देश्य भारत को ही एक इस्लामी राज्य में परिवर्तित करना या उससा इस्लामीकरण करना है । यह हर प्रश्न को साप्रदायिकता की निशाह से देखता है । इसके नेताओं के विचारों की सकीर्णता कभी-कभी देश के लिए बड़ी घावक रही है । 1965 में भारत-पाक युद्ध के एवं मप्ताह पहले 'दावत' (जमातें इस्लामी का उर्दू साप्रदायिक) ने मौलाना मादी का वह माथात्वार छापा था जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारनामों को जेहाद व हबर गौरवान्वित विद्या था उसके साप्रदायिक में भी पाकिस्तान के दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था । इतना ही नहीं मुस्लिम मजलिस का भी दृष्टिकोण साप्रदायिक ही रहा है ।

कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है कि मुस्लिम अल्पसम्बन्धक तभी मुरक्कित रहेंगे जब दो लाभ हरिजन अगले दशव तक धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में मिला निये जाये । इस योजना की सर्वप्रथम चर्चा 8 जून 1980 को जमातें इस्लामी हारा आयोजित बगलौर में एक शिख सम्मेलन में की गयी थी । इस सम्मेलन में और लोगों वे अलावा इस्लामिक इन्डुस्ट्रीशनल मेट्रो न्यूटन के निदेशक थीं मोहम्मद अब्दुल सेहर बदावी ने भाग लिया था । बदावी ने मुस्लिम राष्ट्रों की अपनी रिपोर्ट में कहा कि गरीब हरिजनों को इस्लाम में धर्म परिवर्तित करने के लिए बिलकुल सही ममता है । इस सम्मेलन के बाद जब 1981 में भीनाशीपुरम तथा दक्षिणी भारत के अन्य स्थानों पर धर्म-परिवर्तन की घटनाएँ हुईं तो इन्हें बगलौर के सम्मेलन में जोड़ा जा रहा था ।

अधिकारण मुस्लिम समगठनों ने प्रजातात्त्विक तथा प्रगतिवादी आदेशोंने में समर्थन के समय साप सूप जाता है जितु मुस्लिम जगत में एकता के प्रश्नों पर उनकी जागरूकता देखने लायक होती है । ये अरब-समर्थक दृष्टिकोण अपनाने के लिए मरकार पर हर सभव दबाव ढानने के लिए तैयार रहते हैं । परिणामतः इज्याइल हमारे लिए चढ़मा का दूसरा हिस्मा बन चुका है, जिसे न हम देस सकते हैं और न ही उसे देखना चाहते हैं जबकि अनेक अरब देश इज्याइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये हुए हैं । स्वतंत्रता के बाद साप्रदायिकता की भावना को उभारने और विकसित करने में पाकिस्तान का काफी हाय रहा है । दोनों देशों वे बीच लड़े गये तीन मुद्दों वे दौरान कुछ मुस्लिम समगठनों वी भूमिका, पजाव में अतिवादियों को दी जाने वाली सहायता अम्मू और काश्मीर के उपर्युक्त, राम अन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का मामला, उर्दू वा प्रश्न तथा धार्मिक कट्टरवादिना आदि ने सप्रदायवाद की आण में थी का काम किया है ।

हिन्दू सप्रदायवाद इम धारणा पर विकसित हो रहा है कि नेहरू और उनके गहयोगियों ने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित प्रजातात्व को अपनावर हिन्दू हिनो को बनिं दे द्याना । मुस्लिमानों को बुझ करने के लिए हिन्दू धर्म और समृद्धि की अद्देलना की जानी रही है । राष्ट्रवाद के धर्मनिरपेक्ष तत्व राष्ट्र के शानदार अनीत को त्यागने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । हिन्दू सप्रदायवादी दृष्टिकोण एम॰ एम॰ गोनदनवर,

बनराज मध्योक्त तथा कुछ अन्य नेताओं के नेतृत्वों और बकाव्यों में देखने को मिलता है। ये हिन्दू राष्ट्रीय और हिन्दू राष्ट्रवाद की अवधारणा को मानते हैं। ये एक ऐसी राष्ट्रीयता में आस्था रखते हैं जिसका मूल अमृत भारत, उसकी महान समृद्धि, विरासत और महान् पुरुषों के प्रति अविचल निष्ठा में है और भविष्य के प्रति दृढ़ आस्था है। भारत मातृभूमि, धर्मभूमि, देवभूमि तथा मोक्षभूमि है। डॉ० दयामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यात्मता में निर्मित अभिन्न भारतीय हिन्दू रागालन, जनसंघ ने देश के बटवारे तो भारत में ही अस्तीकार कर दिया था। अक्टूबर, 1951 में अपने एक भाषण में डॉ० मुखर्जी ने भारत के विभाजन को एक दुसरायी पूर्वता बताया क्योंकि इसमें न तो किसी उद्देश्य की पूर्ति हुई और न ही किसी समस्या का समाधान हुआ। जब कांग्रेस के नेताओं के जनसंघ पर साप्रदायिक होने का आरोप लगाया तो उत्तर में डॉ० मुखर्जी ने कहा, "यदि धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ प्रतिक्षेप मुमलमानों और पाकिस्तान के तुष्टिकरण के लिए राष्ट्रीय हितों को बलिदान करने का साहम है, हम शत-प्रतिशत साप्रदायिक हैं और हमें ऐसा होने में गर्व है।"<sup>22</sup>

हिन्दू सप्रदायवादी विचारधारा का उद्देश्य है भारत में हिन्दू राज्य की स्थापना करना, उन भूमियों को पुन ग्राप्त करना जो एक समय हिन्दुओं की प्रभुता में थे, भारतीय सीमाओं वी अवधता को सुरक्षित रखना। इसका उद्देश्य प्राचीन समृद्धि का पुनरुत्थान करके तथा आधुनिक भारतीय समृद्धि को विदेशी तत्त्वों से भारतीयकरण द्वारा शुद्ध करके हिन्दुओं में एकता की अनुभूति विकसित करना है। हिन्दू राष्ट्रवादी आधुनिकीकरण की समूची प्रक्रिया को अस्तीकार बरते हैं। वे भारत के शास्त्रवन आदर्शों और परमराओं की उपेक्षा की आलोचना करते हैं। हमारा अपना एक भावात्मक आधार है और हमारी अपनी जड़ है जो हमारे राष्ट्रीय आदर्शों तथा आकाङ्क्षाओं की तथा इतिहास एवं परमरा की घरती में गहरी बैठी हुई है, इस चेतना को पुनर्जागृत किया जाना आवश्यक है।

1951 में जनसंघ ने 'भारतीयकरण' का एक विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया

1. शिख राष्ट्रीय समृद्धि पर आधारित होनी चाहिए जिसमें रामायण, गीता, उत्तरनिष्ठदों तथा महाभारत आदि धर्मों का अध्ययन सम्मिलित हो।
2. राष्ट्रवीरों के जन्मदिवस तथा इस प्रकार के अन्य अवसरों को राष्ट्रदिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए।
3. मुख्य त्यौहारों को राष्ट्रीय त्यौहारों के रूप में मनाया जाना चाहिए।
4. समृद्धि शिखों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए तथा देवनागरी लिपि को भारत की सभी भाषाओं के लिए अनिवार्य बनाने के प्रयत्न करने चाहिए।
5. भारतीय इतिहास का पुनर्जीवन होना चाहिए।
6. हिन्दू समाज से जाति भेदों में निहित अनरों और दुर्बलताओं को दूर किया जाना चाहिए, साथ ही भारतीय समुदाय के उन भागों का जो अपनी जड़ों से हिला दिये गये थे, भारतीयकरण किया जाना चाहिए।

### बलराज मधोक के अनुसार

राष्ट्रवाद वेदन राजनीतिक निष्ठा का ही प्रश्न नहीं है। वह देश की सस्कृति तथा विरासत वे प्रति एक लगाव और वर्ग की भावना की भी मांग करता है। इसका सबूद्ध राष्ट्रीय जीवन के सभी पक्षों से सबूद्धि विचारों और कर्मों से है। अत भारतीयवरण भारतीयों में एक तीव्र राष्ट्रीय भावना भरने वे अनिवार्य और कुछ नहीं हैं। यह ऐसा है जिसके लिए कोई भी देशभक्त बहुलाने वाला नागरिक बुरा नहीं मान सकता है।<sup>23</sup>

हिंदू राष्ट्रवादी हिंदुओं और गैर हिंदुओं के बीच समता लाने के लिए तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के लिए गैर हिंदुओं का हिंदू सम्हृतिवरण अनिवार्य मानने हैं। जिन लोगों ने भय, कपट या लोभ के कारण अपने पूर्वजों का धर्म त्याग करके अपने को मुग्धलमान या ईमाई आदाताओं के साथ राजनीतिक या सास्कृतिक हृष से जोड़ लिया है उन्हें पिर से अपने पूर्वजों के घर बुलाया जाना चाहिए। गोलबद्दलकर ने स्पष्ट करते हुए बहा कि

गैर हिंदू का एक राष्ट्र धर्म अर्थात् राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। एक समाज धर्म अर्थात् समाज के प्रति कर्तव्य भाव है। एक कुलधर्म अर्थात् पूर्वजों के प्रति कर्तव्यभाव है तथा केवल व्यक्तिगत धर्म व्यक्तिगत निष्ठा का पथ आनी आध्यात्मिक प्रेरणा के अनुरूप चुनने को वह स्वतंत्र है। हिंदू राष्ट्र की हमारी यही कल्पना है कि यही है हमारा भाव उन गैर हिंदुओं के प्रति जो यहा निशाम करते हैं। इससे अधिक तर्कसंगत, व्यावहारिक एवं उचित समाधान और कुछ नहीं हो सकता।<sup>24</sup>

राष्ट्रवादी परिचयी विचारों का विरोध करते हैं। साम्यवाद और समाजवाद इस पिट्टी की उपज नहीं है। यह हमारे रक्त और परपराओं से नहीं है। यहा क हमारे बरोदों लोगों के लिए यह विचार परकीय है। ये विचारधाराएँ राष्ट्र के लिए अन्यथित खतरनाक हैं। इन्हे आगनाना हमारे निए अत्यत अपमानजनक है तथा हमारी मध्या और मौलिकता के शुद्ध दीवालियापन को मिट करता है। इसनिए हम जीवनपथ का विकास हमारे प्राचीन इतिहासों तथा आविष्कृत तर्क अनुभव एवं इतिहास की बासीदों पर बने हुए मत्य के आधार पर ही करना चाहिए।<sup>25</sup> जब तक ईमाई लोग ईमाई धर्म के प्रसार के अनराष्ट्रीय आदोनन के एजेंट बे रूप भे कार्य करते रहेंगे तथा अपनी जन्मभूमि के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करने वो अस्तीति बनाएंगे और अपने पूर्वजों को परपरा और समृद्धि के सही उत्तराधिकारी के रूप मे अवहार नहीं करेंगे तब तक वे यहा शब्द की तरह रहेंगे और उनके भाष्य उसी प्रकार का दर्ताव दिया जायेगा। हिंदू समदायवादी अपेक्षी को विदेशी भाषा भानने हैं और उसका विरोध करते हैं। वे इसके स्थान पर हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि को भारत दी सामान्य भाषा वे रूप मे अपनान पर बन देते हैं। देवनागरी को ऐसे भारतीय भाषाओं द्वारा अपनाये जाने का ये लोग समर्थन करते

है। उर्दू की मांग को वे अनगाववादी मानते हैं। उनका मानना है कि सरकारे हमें ज्ञा अत्यस्थल्यकों को अत्यधिक सुश्च करने का प्रयास करती है तथा धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं को अपने ही देश में उनके उचित भहन्त्व से बचित रखा गया है। हाल के वर्षों में बढ़ते साप्रदायिक तनावों ने शिव सेना, विश्व हिंदू परिषद्, बजरग दल आदि हिंदू साप्रदायिक मणिटनों को अपना बाहुबल बढ़ाने का भरपूर अवसर प्रदान किया है।

### स्वतंत्रता के बाद साप्रदायिक हिस्सा

भारत में ब्रिटिश शासन के प्रतिम दिनों में हिंदू-मुस्लिम दोनों ने गुहयुद्ध का रूप घटाया वर्त लिया था जिसमें लाखों वी सम्बन्ध में लोग मारे गये, हजारों शायल हुए तथा करोड़ों वी सपत्ति का नुबमान हुआ था। 'डायरेक्ट एक्जेन्ट डे' ने ऐसे दोनों वी शुहआत की जो महीनों तक चलते रहे जिनकी भपटों के द्वारे में इस भारतीय उपमहाठीप का अधिकाश भाग आ गया था। भारत ने देश वी अवडता तथा एकता को मजबूत बनाने तथा सामाजिक-आर्थिक क्राति लाने के लिए धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र को अपनाया। विभिन्न समूदायों में आपसी सौहार्द सामजस्य तथा प्रेम स्थापित करने के लिए जबाहरताल नेटवर्क के नेटवर्क में भारतीय सरकार ने अनेक कदम उठाये। कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा जैसे सप्रदायवाद वा विष समाज हो गया हो विनु विभाजन के बाद वी शानि चिरस्थायी नहीं रही, विभाजन की बाद स्मृति-पटल में धीरे-धीरे ओशन होने लगी थी। योजनाबद्ध विकास मामूदायिक विकास योजनाएं तथा नुनाओं वा दौरान विये गये बायदों ने बढ़ती आशाओं वी इन्हाँ को जन्म दिया विनु आशाओं वी नुनना में सरकार के समाधनों में बृद्धि धीभी रही परिणामन के के अपना हिस्सा मुनिशिचल करने के लिए लोग धर्म समूदाय भाग जानि, क्षेत्र आदि के नाम पर संगठित होने लगे। चूनाव प्रक्रिया ने साप्रदायिक हितों के लिए मतों का समझौता करने का अत्यस्थल्यकों वी सुअवसर प्रदान किया। विभिन्न वर्गों द्वारा स्वायत्तता वा प्रयास और राष्ट्र के एकीकरण की प्रक्रिया में सधर्य हुना स्वाभावित था। प्राय सरकारों ने भी तुर्टिकरण की नीति अपनायी जो भाप्रदायिक विचारधारा के विकास में अत्यधिक महायक रही। साप्रदायिक दल अपनी शक्ति को बढ़ाने में लग गये, बैठकों के आयोजन ऐनियो जलूमों तथा प्रदर्शनों और एक-दूगरे के विहृद पृष्ठों के प्रचार अभियान से नामाजिक लनाव बढ़ता गया। स्थिति यहाँ तक पहुंच गयी कि बहुत ही माध्यारण घटनाओं ने भी प्रम्पोटक वर रूप धारण वर्त लिया। कभी-नभी बैवल अफवाहों का प्रचार कि किसी औरत के माथ बलात्कार किया गया अपवाह गाय का वध दिया गया है अपवाह इसी तरह ही अन्य कोई अपवाह भयानक दर्गों का हथ लेने लगी। आज विभिन्न समूदायों में धूणा का प्रचार अभियान अपवाह दर्गे हिंसा, आगजनी, सूट-भस्तोट कर्म, मरण्ट की शाति, आज आयोग तथा पुन इन सबकी पुनरावृति हमारी व्यवस्था की विशेषताएं बन गये हैं।

1950 के दशक में साप्रदायिक दोनों से सबै में पर्याप्त आइडे प्राप्त नहीं हैं विनु

इतना तो स्पष्ट है कि वे नहीं बराबर थे। 1950 में दोनों घटनाओं का पता चलता है। जिनमें से 11 परिचमी बगाल में हुई। 1951 में 7, 1952 में 12 और 1953 में 4 घटनाएँ हुईं। बाद के वर्षों में भी इनकी सम्या नगण्य रही। साप्रदायिक दणों में बृद्धि 1960 के दशक में आरभ हुई गरकार द्वारा प्रवाशित आगड़ों से पता चलता है जिसे 1960 में 26 1961 में 91 घटनाएँ हुईं यी जिन्हें 1964 में यह बढ़कर 1170 हो गयी। बाद के वर्षों में ग्राफ़ कुछ नीचे आया। 1980 के दशक में पुनः साप्रदायिक दणों में बृद्धि होने लगी। 1983 में 404 घटनाएँ हुईं जिनमें 202 लोग मारे गये तथा 3478 घायल हुये थे। 1984 में प्रधानमंत्री श्रीमती दिदिरा गांधी की हत्या के बाद दणों में हजारों की सम्या में हन्त्याएँ हुईं थीं। 1985-86 में 4666 तथा 1987-88 में 3572 घटनाएँ घटित हुईं। (देखिए सारिणी द्वितीय तथा तृतीय)।

### साप्रदायिक हिमा के बारण

भारत में साप्रदायिक हिमा के तात्त्वानिक बारण प्रायः ही माझूली घटनाएँ रही हैं जिन्हें एक बार जब हिता आरभ हो जानी है तब अनेक कारणों से वह बीभन्न स्पष्ट धारण कर सेती है। 1961 से 1970 के बीच की 841 घटनाओं के जिन तात्त्वानिक कारणों को गृह मत्तालय द्वारा प्रकाश में लाया गया है वह बहुत ही साधारण हैं। (देखिए सारणी चतुर्थ)।

अधिकाश झगड़ों के पीछे व्यक्तिगत कारण रहे हैं। जो स्त्रियों निजी सारनि, व्यक्तिगत लेन-देन या झगड़ों से सबपित होते हैं जिन्हें धार्मिक/सार्वजनिक कारण कम महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और परिचमी बगाल में अधिकाश हिमाएँ मार्वजनिक कारणों से हुई हैं। बिहार उत्तर प्रदेश और परिचमी बगाल में गोहत्या वा प्रदन भी वापी महत्वपूर्ण रहा है। धार्मिक स्थानों की अपवित्रता वा प्रदन महाराष्ट्र में ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। बद्रगाहों को सेकर बिहार और उत्तर प्रदेश में हिमाएँ हुई हैं। त्यौहारों के सबूद में अधिकाश राज्यों में दगे हुए हैं अधिकाश दगे 'घटनाओं की बड़ी' के स्पष्ट में घटित होते हैं। अनेक दणों में पाकिस्तान तत्त्व भी वापी महत्वपूर्ण रहा है। जैमाहि 1964 के साप्रदायिक दणों में देशने से आया।

27 दिसंबर, 1963 को श्रीनगर के हृदरतवाल मकबरे से पैगड़र साहब का बाल भोरी हो गया था। तबर्क एक चाढ़ी के तबर्क वा पात्र के भोलर रखा गया था जो शीश के दरवाज़ों के पीछे अदर के कमरे में रखा गया था। उस दिन दरवाज़ा टूटा हुआ पाया गया तथा तबर्क पात्र महिल वहाँ से गायब था। श्रीनगर में सभी ममुदायों के लोगों ने इसके लिए दिरोध प्रदर्शन किया। यह दिरोध मुस्तक भूत्तार्द्वं मुस्त्यमनी बहारी गुलाम मुहम्मद के प्रति या क्योंकि यह दिवानाम बिया जा रहा था जिसमें उनका ही हाथ था। हालांकि रहायात्मक इग से 4 जनवरी, 1964 को परिव तबर्क बापस रख दिया गया जिन्हें तब तक वापी नुस्खान हो चुका था। 6 जनवरी को श्रीनगर में दगे भड़क उड़े (जो साप्रदायिक नहीं थे) जिनमें 15 लोग जान से हाथ छोड़े तथा पुलिस के गोनाबारी में दो सौ लोग

## सारणी द्वितीय

सारांशकायिक दिनांक से प्रभावित नियोगी की संख्या, 1961-1970

राज्य	सारांशकायिक दिनांक से प्रभावित नियोगी की संख्या, 1961-1970										प्रभावित नियोगी की संख्या	प्रभावित किए गए कुल संख्या
	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970		
आमंत्रण	-	2	2	-	3	2	3	6	3	4	20	11
आम	4	2	4	5	6	3	3	4	2	8	11	9
बिहार	11	4	9	12	9	11	14	15	16	14	17	17
गुजरात	2	3	4	7	5	3	1	2	14	5	17	16
हरियाणा	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	7	1
जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
कर्नाटक	2	1	2	2	4	2	2	4	4	6	19	14
केरल	2	2	-	1	3	2	2	2	4	5	4	8
मध्य प्रदेश	8	4	1	7	5	2	6	6	9	13	43	29
महाराष्ट्र	4	5	3	10	13	11	7	9	12	17	26	25
उडीया	1	-	1	5	3	3	2	2	4	5	13	10
पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	1
राजस्थान	-	1	-	1	2	3	3	3	2	7	26	11
तमिलनाडू	2	1	1	5	2	2	2	2	2	3	4	14

उत्तर प्रदेश	13	11	6	9	12	9	10	14	9	16	54	31
परिवर्षी बगान	10	9	5	11	8	5	7	5	10	8	16	15
दिल्ली	1	1	1	—	1	—	—	1	1	1	1	1
मणिपुर	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
चिमुता	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
भारत	61	47	40	71	77	58	63	79	94	116	316	216

(दिल्ली, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और चिमुता को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में दिखाया गया है।)

सारणी टूटोय

सांख्यिक धरनाएँ और हताहो की सत्त्वा (सूत और घावत) 1961-1970 और 1971-1980

दण्ड	पटनाओं की हताहो	सूत की हताहो	हिंदू मुमतभान अन्यतर सत्त्वा	बुलिस	हिन्दू मुमतभान	पायतन अन्यतर	पुरित				
1961-70	7964	K 3195 112155	282	2397	515	1	4134	5138	1889	1889	995
1971-80	2572	K 1185	373	766	33	13	6674	5683	1072	1072	1772

## सारणी चतुर्वेदी

## सामाजिक हितों के कारण 1951-70

राज्य	शोहरण	धर्मिक स्थानों का अपरिवर्तकारण	उत्तर/ तमारोह	वर्षगांठ	गोपा	उपर्युक्त प्रटापाद् (बड़ी)
आधि प्रदेश	—	1	21	1	23	680
असम	7	1	11	—	19	106
बिहार	56	4	64	8	132	1199
यूनानत	6	2	6	—	14	724
हिमाचल	—	—	—	—	—	2
कर्नाटक	1	1	8	2	12	100
केरल	—	1	4	1	6	9
मध्य प्रदेश	6	—	11	—	17	429
महाराष्ट्र	8	18	35	2	63	1022
उडीसा	5	—	9	—	14	699
पश्चिम	—	—	—	—	—	—
राजस्थान	—	—	—	4	4	51
तमिलनाडु	—	1	5	—	—	17

उत्तर प्रदेश	17	4	27	3	51	425
परिषद्वारी बगान	15	1	17	—	53	1040
दिल्ली	—	—	2	2	—	—
आणाचल प्रदेश	—	—	1	1	—	—
चिंगा	—	—	—	—	11	—

धायल हुए। पाकिस्तान रेफियो ने इस घटना में नमक-मिर्च लगाकर हूमरा ही रूप दे दिया। पाकिस्तान सरकार की तरफ से यह आरोप भी लगाया गया कि भारत में मुसलमानों के बिलाक घृणा और हिंसा के द्रामे की यह एक शृंखला है। पाकिस्तानी समाचार पत्रों द्वारा विरोध वरते हुए मुसलमानों के नरभार की रिपोर्ट ढापी गयी। विरोध के लिए बैठकें की गयी तथा काला दिवस आयोजित किया गया पूर्वी पाकिस्तान थे अन्यस्थक हिन्दूओं पर हमले किये गये। शरणार्थियों का जमाव पश्चिमी बगाल में बढ़ने लगा। उनके साथ किये गये अन्याचार तथा कूरता की कहानिया सुनकर अनेक लोग कुद हो उठे। गुडे तथा बदमाशों ने इसका भरपूर लाभ उठाया और कलकत्ता में अनेक स्थानों पर दरों पूट पढ़े हमले आगजनी तथा लूट की कई घटनाएँ हुईं। मेना बुलानी पड़ी। पाकिस्तान अन्यस्थक बचाव समिति' ने हड्डाल का आह्वान किया। परिणामत दगो ने उपर हांग धारण कर लिया।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को पुनर्वास के लिए पश्चिम प्रदेश उडीसा में दडकारण्य और बिहार में ले जाया गया। गतव्य स्थान को जाते समय जगह-जगह स्टेशनों पर अनेक सगठनों ने शरणार्थियों को भोजन, कपड़ा तथा दवाइया दी। जहा-जहा वे रुके बहा-बहा उन लोगों ने अपने उत्पीड़न तथा दुर्ब्यवहार की कहानिया लोगों को सुनाई जिनके कारण काफी तनाव तथा साप्रदायिक दगों के लिए रायगढ़, राउरकेना जमशेदपुर आदि स्थानों को साप्रदायिक दगों ने बीरान बना दिया। इन दगों ने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आलीशान बगोचे को तहस-नहम कर दिया।

साप्रदायिक दगों क्यों धर्मित होते हैं इस सवध में विविध मिलान दिये जाते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व दगों के बारे में सीधा-मादा मिलात यह दिया जाता था कि यह विभाजित बहके जासन बरने की उपनिषेशवादियों की साजिंच थी। किन्तु आज इस व्याख्या का स्थान मार्क्सवादी विद्वेषण ने ले लिया है जिसके अनुसार वे दगों पूजीवादी पश्चिम के भाग हैं क्योंकि पूजीवादी वर्ग मज़दूर वर्ग में पूट ढालने के लिए साप्रदायिक हिंसा का सहारा लेता है। कुछ मार्क्सवादी विचारकों वा मानना है कि ये ममकानीन पूजीवादी व्यवस्था के अवश्यभावी परिणाम है क्योंकि आर्थिक समाजनों की असमान प्राप्ति हिंसा को अन्म देती है। मार्क्सवादी विद्वानों के अनिरिक्त अन्य लोगों ने भी साप्रदायिक हिंसा का विद्वेषण अपनी-अपनी तरह से किया है। कुछ विद्वानों ने धार्मिक व्याख्या दी है उनका मानना है कि साप्रदायिक हिंसा इमलिंग घटनी है कि विभिन्न ममुदायों को एक दूसरे के धर्म के बारे में जान नहीं होता है अपने धर्म की अल्पाद्यों का ज्ञान तो लोगों को होता है जितु दूसरे धर्मों की अच्छी बानों के बारे में वे अधिकार में होते हैं जिसके कारण यह गलत धारणा उनके दिमाग में पर बर लेती है कि दूसरे धर्म नुगाड़ियों की जड़ हैं। अगर विभिन्न ममुदाय यह समझ जाये कि मध्मी धर्म मूलत एक है अगर मध्मी एक-दूसरे के साथ मद्भावपूर्ण व्यवहार करे तो विभिन्न ममुदायों मध्मायिक समर्थन उत्पन्न होने की नीति ही न आये। कुछ विद्वान शक्ति मिलान वा मध्मर्थन करते हैं। उनके अनुसार जब समुदाय शक्ति में हिस्सेशरी में बचित रहते हैं तो साप्रदायिक हिंसा पटित होनी है। ममुदाय की मन्त्रित तथा पहचान को सरक्षित करने के लिए तथा अपने मद्मस्यों के

कल्पाण को माफार करने के लिए राज्य शक्ति पर नियन्त्रण अन्यथिक महत्वपूर्ण होता है। स्वतन्त्रता से पूर्व मुस्लिम भीग की मार्ग की पीछे राज्य शक्ति पर नियन्त्रण ही मुख्य तत्त्व था। साप्रदायिक दण्डों पर साइरन आयोग की टिप्पणी यहां उल्लेखनीय है-

"साप्रदायिक दण्डों दोनों समुदायों में भारत के राजनीतिक भविष्य की सभावनाओं से जन्मी व्यवस्था के प्रकाशन थे। जब तक सत्ता की बांडोर मज़बूती से अपेक्षा के हाथों में थी और स्वशासन की व्यवस्था नहीं की गयी थी हिंदू मुस्लिम समर्था एक स्टोटे से दायरे में सीमित थी।"<sup>26</sup>

साप्रदायिक समर्थ्य की प्रजातात्त्विक सिद्धात के रूप में यह व्याख्या की जानी है कि यह प्रतिस्पर्धी राजनीतिक प्रतियोगियों के भाग है। यह तर्क दिया जाता है कि प्रजातन्त्र तभी बलशाली होता है जब विभिन्न समूहों में प्रतिस्पर्धा हो भारत में धर्म पर आधारित विभिन्न समुदाय विचारान् हैं उनमें प्रतिस्पर्धा तथा राज्य की शक्ति पर अवृत्त नगाने की उनकी शक्ता में प्रतात्त्र में और अधिक निवार आता है। इन समूहों के प्रजातात्त्विक अधिकारों पर कुछ महत्वपूर्ण मामलों में प्रतिवधि हिमा को आकर्षित करता है।<sup>27</sup>

सप्रदायवादी सिद्धात के अनुसार साप्रदायिक हिमा प्रभुत्व प्राप्त करने के मुनियोजित घट्यत्र का भाग होनी है। हिंदू सप्रदायवादी सिद्धात के अनुसार अल्पमस्तुत के राष्ट्र के शत्रु हैं तथा भाप्रदायिक हिमा हिंदुओं को नीचा दिखाने के उद्देश्य से जान-बूझकर की जानी है। मुस्लिम सप्रदायवादी सिद्धात के अनुसार भाप्रदायिक हिमा मुमर्गित तथा मुनियोजित हिंदू हमला है। जिसका उद्देश्य मुमलनामानों को भयाइन करना दबाना अपने लोगों से उन्हें बाहर बदेहना तथा उन्हें द्विनीय वेणी क नागरिकों में ला लड़ा करना है। भाप्रदायिक हिमा के कारणों पर विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों में काफी प्रकाश ढाना गया है। अगस्त स अक्टूबर, 1967 के बीच होने वाले छ साप्रदायिक दण्डों का अध्ययन रघुबर दयाल आयोग ने किया था। आयोग की छ रिपोर्टों में दण्डों के कारणों उनमें भाग लेने वाले लोगों तथा उनमें स्थिति का विश्लेषण किया गया है। अगस्त 1967 के रात्रि के दण्डों में पहले आयोग ने अपनी रिपोर्ट में खलाया अनेक घटनाओं ने साप्रदायिक विद्वेष दैना दिया था। आम चुनावों के बाद बिहार में कुम मिलाकर राजनीतिक स्थिति डाकाडोन थी तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक मण्ड और जनसभा की गतिविधिया तेज़ हा चली थी। हिंदुओं मुमलमानों के सदधि विधायन होने जा रहे थे। मुमलमानों द्वारा उर्दू को राज्य भाषा का दर्जा दिय जाने की मार्ग का हिंदू विरोध कर रहे थे। इस प्रकार उर्दू विरोधी जन्म तणा उम पर पथराव साप्रदायिक दण्डों ना लान्तात्त्विक कारण बना। 1967 में 24 से 25 मिनिवर तक गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के जैनपुर और मुरवानपुर में एक ज्ञानीन क दुकड़े पर कब्ज़े बी लेकर दण्डा हूँत्रा था जिसे मुमलमान अपना क दण्डा ह तथा दिन अपना दमकान होने का दावा कर रहे थे। 13 से 15 अक्टूबर के बीच मुरमांद (मुज़फ़रपुर बिहार) मे हुर्गा भा की गोंधा यात्रा के मार्ग दो लेकर अगानि पैद्य गयी थी। 17 मिनिवर 1967 के शोनापुर के दण्ड गणराज शोभा यात्रा के दौरान पैद्य गयी थी। 18 मिनिवर, 1967 के अहमदनगर थ म्यानीय मंदिर बी भूति दो तोड़ने के कारण दण भड़क उठे थे। मानेगाव

(महाराष्ट्र) में 24 सितंबर 1967 के गोहत्या का मामला दगो का बारण बना था। इन नगरों के साप्रदायिक उपद्रव का एक लड़ा इतिहास है किंतु दूसरे में पाकिस्तान की भूमिका वो भी नज़रअदाज़ नहीं किया जा सकता। विभिन्न साप्रदायवादियों द्वारा एक-दूसरे के विश्व धृणा की मुहिम ने साप्रदायिक हिंसा के लिए उपजाऊ भूमि तैयार की।

1969 के गुजरात के दगो का रेडी आयोग ने अध्ययन किया था। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने बताया कि मुसलमानों के एक समूह द्वारा स्थानीय मंदिर के साथूओं पर हमले के आरोप को लेकर 18 सितंबर को अहमदाबाद में दगो भड़के थे। हालांकि वहा मन् 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद स ही अनेक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धृणा की झाला धपक रही थी। तीन चार वर्ष पहले से ही साप्रदायिक तनाव का विष बहा के ममाज में पैल रहा था। नगर में साप्रदायिक भगठन काफी सक्रिय हो चले थे।

मई 1970 के घिवाड़ी दगो का अध्ययन बाबे उल्लन न्यायालय के न्यायाधीश थी डी० पी० मदान ने किया था। मदान आयोग ने दगो का बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया। आयोग ने इसाया है कि वैसे विभिन्न समुदायों के बीच फैली धृणा विकरान स्पष्ट धारण कर लेती है। 1964 के घिवाड़ी साप्रदायिक उपद्रव में मुख्त या किंतु उस वर्ष कुछ हिंदुओं ने एक शोभा-यात्रा निशालकर शिव जयंती भनाने का निर्णय लिया। इस विषय को लेकर हिंदुओं तथा मुसलमानों में मन्त्रेद उत्पन्न हो गया था। प्रथमन मर्गी को लेकर मन्त्रेद था, मुसलमानों ने महत्वपूर्ण स्विकृदी के सामने से शोभा यात्रा ले जाने का विरोध विया विशेषकर जामा मस्जिद के। इस बात पर दोनों समुदायों वे बीच समझौता हो गया कि शोभा-यात्रा मस्जिद के सामने के बजाय उसके एक तरफ से गुज़रें। द्वितीयत यह तथ हुआ कि गुलाल वे लिंडब्लैंड पर बौद्ध आदर्नि नहीं है किंतु सावधानी बरती जाये कि गुलाल मस्जिद के प्रागण में न गिरे। तृतीयत, बैंबल मान्य नारे ही प्रयोग किये जाये। हालांकि इनकी शोडी अवहेलना हुई थी फिर भी दोनों समुदायों के बीच शान्ति बनाये रखी गयी। लेकिन 1967 के आम चुनाव के समय यहा अनेक साप्रदायिक भगठन अस्तित्व में आये वैसे मजलिम मुशावरान (1966) मजलिम तामिरे मिलन (नवंबर 1968) जनमध (1964) शिवसेना (1966) और राष्ट्रीय उन्नत मठन (1969)। राष्ट्रीय स्वयं सेवक समूह और हिंदू महात्मा वई वर्पों पहले से ही यहा विद्यमान थे। इन सगठनों ने अपने-अपने समुदायों में साप्रदायिकता की भावना बढ़ाने तथा एक-दूसरे के विश्व धृणा अभियान द्वेष दिया। मज्जी भड़ी के पास की दीवारों को हिंदुओं ने तथा मस्जिद के पास वी दीवारों को गुमलगानों ने इगम-गद्दू की तरह इन्हेमाल करना आरभ कर दिया जिस पर समाचार पत्रों तथा मणिकार्य भलियो गयो था अन्य उक्साने वाली बालों की भोगों के पद्धति के निए निश्चने लगे तुन पर वे सभी बाते लिखी जाने लगी जिनमे साप्रदायिक भावना में उफान आये। दोनों समुदायों में बहा जाने लगा कि कायरता छोड़कर आनंद रहा के निए मगाडिन हो। अनन् मई 1970 में शिव-जपानी समारोह के अवसर पर साप्रदायिक हिंमा की ज्वाना पूट पड़ी।

1973 और 1974 के दिनों में दगो का अध्ययन टड़न और प्रगाढ़ आयोग ने किया

था । ये दगे व्यक्तिगत कारणों से भड़के थे किन्तु जिस देश में ये दगे भड़के थे वहाँ साप्रदायिकता की भावना काफी बलवती थी, वहाँ साप्रदायिक उपद्रव वा एक लबा इतिहास वा तथा साप्रदायिक संगठन अधिक सक्रिय थे ।

1979 के अमरेलपुर के दगो वा अध्ययन जितेन्द्र नारायण आयोग ने किया था यहाँ रामनवमी की शोभा-यात्रा के मार्ग को लेकर दगा भड़का था, वही धृष्णा अभियान, वही मस्तिष्क के मामने से शोभा-यात्रा को ले जाने वा आयाह/विरोध दोनों समुदायों के अहम् ने इस्पात नगरी, अमरेलपुर में विष्वाश का ताड़व नृत्य करा दिया ।

हाल वे चारों में साप्रदायिक हिंगा के दो और मुख्य उपरज उभरकर आये हैं— घर्मानिरण और आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा । वैसे तो 1920 और 30 के दशक में धर्म परिवर्तन को लेकर प्रायः साप्रदायिक तनाव बढ़ जाना था, हिसाहो जाती थी किन्तु कई वर्षों से यह मामला ठड़ा पड़ा था क्योंकि व्यापक रूप से धर्म परिवर्तन की बोहद घटना कई दशकों तक नहीं हुई । यह तब बाकी चर्चित हो गया तथा तनाव वा वारण बना, जब 1981 में मद्राम में कई हरिजनों ने एक साथ इस्लाम स्वीकार करा लिया ।

1971 के बाद साप्रदायिक उपद्रवों के बीचे आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा प्रमुख कारण रहा है । हाल के वर्षों में किये गये कई अध्ययनों में कई विद्वानों ने इस कारण का मुख्य रूप से उल्लेख किया है । मुरादाबाद, अलीगढ़, बिहार, झारीफ और उदयपुर के दगो वी विशेष रूप से चर्चा वी जाती है । मुरादाबाद में मुमलमान लगभग 55% है । वहाँ जामदेपर मुख्य उद्योग है जिसमें अधिकाश कारोगर तथा मजदूर मुमलमान हैं । यहाँ से ज्यादातर माल पश्चिमी एशिया को भेजा जाता है । सामान भेजने वाले दलाल और मुनाफास्रों अधिकाशत हिंदू थे । 3 अगस्त, 1990 को इदुन फिल्म के दिन मस्तिष्क के पास नमाज पढ़ते समय एक मूत्रर आ जाने को लेकर हिंसा पैन गयी जिसमें कई लोग मारे गये ।

यह तर्क दिया जाता है कि मुरादाबाद वी हिंगा मूलत धुनिया और मुमलमानों के बीच बटुता को नेकर हुई थी । पुलिस ने कुछ समय पहले जावेद नाम के अपराधी को एक मुठभेड़ में मर दाना था, जो स्थानीय मुस्लिम सींग के अध्यक्ष का पाला हुआ था । इस कारण से मुमलमानों के एक गुट तथा पुलिस में अदर-ही-अदर तनाव चल रहा था । कुछ मुमलमान अमरामार्दिक तन्त्र अवसर को तनाश में थे । यही कारण है कि बम-नी-बम एक दिन तक यह हिंगा पुलिस और मुमलमानों ने बीन जनती रही तत्त्वज्ञात् हिंदू गुडे भी हिंगा में सम्मिलित हो गये । यहाँ यह बात स्पष्ट ही है कि ये गुडे शक्तिशाली उत्तोगपतियों के ही पाले हुए होते हैं । यह भी तर्क दिया जाता है कि मुरादाबाद के दगो में पाकिस्तान और अरब देशों के घन वी महत्वपूर्ण भूमिका पी ।

बास्तिष्कता यह है कि इन उपद्रवों के बीचे आर्थिक तन्त्र महत्वपूर्ण है । तत्कालीन मुख्यमंथी थी एच० एन० बहुगुणा के प्रयासों से 1974 में मुरादाबाद में जामदेपर कारपोरेशन की स्थापना वी गयी थी । कारपोरेशन स्वयं माल की परिवर्षी एशिया के देशों को भेजने का प्रबन्ध करने लगा तथा इसमें बारीगरों ने अच्छा नाम प्रियने लगा । इसमें दलाल और मुनाफास्रों बाकी प्रभावित होने लगे जो मुख्यतः हिंदू

थे। दूसरी तरफ मुसलमानों की सपन्नता बढ़ने लगी। वे धन को स्थावर भूमिपति में लगाने से, नवी तथा कम आबादी वाली जगह में बसने से लगे तथा धार्मिक अवसरों पर ज्यादा धूम धाम से शर्च करने लगे। इस प्रकार सपन्नता के बढ़ने के साथ-साथ मुसलमानों में हठधर्मिता भी बढ़ने लगी।<sup>28</sup> परिणामतः मामूली कारण भी साप्रदायिक दण्डों के लिए जिनगारी बन गये।

बिहार शरीफ में 48% जनसंख्या मुसलमानों की है। यह बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है जिसमें मुसलमान तथा निम्न श्रेष्ठी के हिन्दुओं के लगभग 15,000 लोग रोजगार में लगे हुए हैं। यह कराई-चुनाई का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। मुसलमानों में ज्यादातर मज़दूर हैं ज्यादा जमीन लोगों के पास नहीं है। ज्यादातर आलू की पैदावार यहाँ पर होती है। ज्यादातर यादव लोग खेती में लगे हुए हैं। यह जाति खेती के बल पर सपन्नता प्राप्त कर रही है स्वभावतः भूमिपति में वृद्धि का प्रयास करती है। कुछ जगहों पर मुस्लिम दक्ष भूमि पर कब्जे की घटनाएँ हुईं तथा कुछ मुस्लिम क़ब्ज़ाहों को लेकर दोनों समुदायों में तनाव बढ़ता रहा। इस तरह के एक मामले को लेकर तनाव काफी बढ़ गया तथा 30 अप्रैल 1981 को शराब के नशे में झगड़े को लेकर साप्रदायिक दगा फैल गया जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थीमती इंदिरा गांधी के अचानक दौरे के परिणामस्वरूप ही शात हो सका।

बड़ौदा में उपराज्यों की जड़ में अवैध शराब का धधा था। शराब का धधा पहले मुसलमानों के हाथ में था इस धधे में मुसलमानों तथा कहारों में प्रतिवृद्धिता बढ़ती गयी। जिसके कारण वहाँ 1982 से कई बार साप्रदायिक दण्ड हुए। हाल के वर्षों में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद ने एक ऐसा भूचाल ला दिया है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के महल की नीव हिल गयी है उसके प्रति काफी दूर तक महसूस किये जा रहे हैं। वैसे यह विवाद कोई नष्ट नहीं है। इन्हाँस ने दूरबीन उठाकर अतीत की पण्डियों पर अगर हम दृष्टिपात करे तो हम पाने हैं कि इस विवाद को शुरूआत मुख्यतः 1855 के करीब हुई जब हिन्दुओं और मुसलमानों ने इस स्थान पर कब्ज़ा करने के लिए ऊर अजमाया था जिसमें कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लिटिज काल में यह मामला करीब शात ही रहा किंतु इस देश के विभाजन के बाद 1949 में इस विवाद ने बड़ी भवित्वी के साथ अपना सिर उठाया। यह समय ऐसा था कि न सो इसका सिर काटकर ग्राण्ठीन किया जा सकता था और न ही इसे बलवान होने दिया जा सकता था। हिन्दू और मुसलमान दोनों उस स्थान का दावा करने लगे। भारतीय सरकार ने उसे विवादास्पद घोषित कर ताला लगवा दिया। तत्पश्चात् यह विवाद न्यायालय की चारदीवारी में सिमटा रहा। 1983 में विश्व हिन्दू परिषद् ने विवाद को पुनः जनता के समझ लाना आरम्भ कर दिया। हालांकि आरभ ये इस विवाद ने सोगो वा ध्यान ज्यादा आकर्षित नहीं किया किंतु शाहबानी विवाद के दौरान और बाद में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला ऊर पकड़ता गया। फ़िजावाद जिना न्यायालय ने 1 फरवरी, 1986 को एक दीवानी अपील में ताना खुलवाने का आदेश दे दिया। विश्व हिन्दू परिषद्, जिव सेना आदि संगठनों ने जहाँ इसका हृष्टोल्लास के माध्यम स्वागत किया वहीं पर बाबरी

मस्जिद एवं गणन व मेट्री आदि मुस्लिम समठनो ने हमवी कटु आलोचना की जगह-जगह प्रदर्शन किया गया। यहां तक कि गणतन्त्र दिवस के बहिर्भार के लिए मुगलमस्ता वा आह्वान विया गया, हालांकि दबाव बढ़ने के कारण उसे दापम लेना पड़ा। इस प्रभार समाज में साप्रदायिकता वा जहर और ज्यादा घुलता चला गया। दोनों समुदायों वे नेताओं के भाषणों तथा बकलब्बों ने स्थिति बो और अधिक विस्फोटक बना दिया। 17 से 23 मई, 1987 के दौरान मेरठ में भयानक माप्रदायिक दगा भड़क उठा अनक लोग मारे गये। मेरठ में बाहर के गांवों हामिसपुर और मलियाना में पी० ए० भी० बी० बी० बी० भूमिका ने पुनिम बन को भी बलवित कर दिया था।

1987 से नवबर, 1989 के चुनावों तक हिंदू माप्रदायिक समठनो ने विवाद को अद्यापक बनाने वे किमी भी अवमर को हाय से नहीं जाने दिया। ज्यो०-ज्यो० चुनाव कर्तीव आने गये त्यो०-न्यो० उनका सब उप होता गया। इसे चुनाव का मुद्रदा बनाने वा हर सभव प्रयास किया गया। विनव हिंदू परियद् ने एक विलक्षण स्कीम बनायी कि देश भर के सभी गांवों से अयोध्या बो० ए० पवित्र ईट लायी जाये जिसमें 9 नवबर 1989 बो० राम जन्म स्थान वा निर्माण किया जाये। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुला समर्थन दिया तथा इस दल के लोग कई स्थानों पर रामशिला शोभा-यात्राओं में भी सम्मिलित हुए। अनेक स्थानों पर उत्तेजक नारे लगाये गये। इस विवाद के प्रति अधिकाश दलों वा व्यवहार आने वाले चुनावों से प्रभावित था। रामजन्म भूमि रामशिला पूजा, हिंदू राष्ट्र आदि का अनेक स्थानों पर मुला प्रचार किया गया। परिणामतः इदौर रत्नाम बोटा जयपुर भागलपुर आदि स्थानों पर भयानक दगे पूट पड़े। भगलपुर तो हूरता के लिए पहले से ही चर्चित था किन्तु इन दगों ने तो हूरता की सीमा ही पार कर दी। दगों की शुरुआत रामशिला शोभा-यात्रा बो० लेकर हुई, लगभग एक हजार लोग मारे गये थे।

1989 के आम चुनावों में उर्दू के प्रदल को लेकर कई स्थानों पर दस्ते पूट पड़े। हमारे यहां अधिकाश नेतागण वैसे तो मामाल्यन खटें-खड़े सिद्धात की बातें करते नहीं अप्ताने हैं किन्तु चुनावों वे समय पूर्वे के मारे मिद्दानों बो० किनारे रक्खा गेन बेन प्रकारण चुनाव जीतने की नीति अपना लेने हैं। स्वार्थमाध्यक नीतियों के आगे मिद्दान भूँझ बनकर रह जाते हैं। चुनावों में कुछ समय पहले दिवार भरकार ने उर्दू को राज्य भाषा का दर्दा दिया। उत्तर प्रदेश भरकार ने भी युमनमानों वा मन भाज बनाने के लिए उर्दू को राज्य भाषा का दर्दा दिया, जिसको लेकर कई स्थानों पर प्रदर्शन नारेबाजी और हिमाया हुई उर्दू बो० विरोध के पीछे ए० लबा इतिहास है। डिटिंग भरकार ने 1837 में पारमी का स्थान क्षेत्रीय भाषाओं को देने का निर्णय लिया। उर्दू बिहार अवध और आगरा में प्रशासन की भाषा बनी। इसे कुछ हिन्दुओं ने भरकार तथा समाज में अपनी स्थिति वे लिए बनारा माना। 1860 के दशर्त में दातू शिवप्रमाद (उत्तर परिचय प्रदेशों के शिशा विभाग के एक बर्मचारी) ने नेतृत्व में एक आदोनन उठ मडा हूशा कि भरकारी बाम-बाज की भाषा हिन्दी हो, न की उर्दू। युमनमानों ने इनका विरोध लिया उर्दू को बनाये रखने वे लिए दबाव ढाला। अनीवड़ इस प्रतिक्रिया का केंद्र रहा। किन्तु हिन्दुओं वे दबाव की अनदेसी न की जा सकी और विहार (1881) तथा मुनाइटेड

प्राविंगेंज) (1900) में देबनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को उर्दू के समान दर्जा दिया गया। इस प्रकार हिंदी और उर्दू का राजनीतिकरण आरभ हुआ। विभाजन के बाद गांधिज्ञान में उर्दू ने दो राष्ट्रीय भाषाओं में से एक का रूपान निया, भारत में जहाँ वही मुमलमानों की आदादी है वहाँ उर्दू माध्यम में परपराण स्वूल, पवित्र तथा समाचार पत्र हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में यह भाषा मुमलमानों की 'पहचान के निशान' के रूप में उभरी है। यह भारत के मुमलमानों की सास्कृतिक भाषा है।<sup>29</sup> यही बारण है कि भ्रष्ट राजनीतिक नेता उर्दू को मन बटोरने वे साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हिंदी लेखक यह महसूस करते हैं कि उर्दू को सरकारी काम-ज्ञान की भाषा का दर्जा दिय जाने से उनकी भाषा तथा साहित्य को खुलरा उत्पन्न हो गया है। मुस्लिम छात्र तथा नेता उर्दू के विकास के लिए आदोन चलाते हैं तो दूसरी तरफ हिंदू माप्रदायवादी इसमें देश के विभाजन को खुलरा मानते हैं तथा इसे राष्ट्र विरोधी कहकर इसका विरोध करते हैं। उर्दू विरोधी पर्दशन तथा उसके प्रतिरोध के कारण बदायू (उ० प्र०) म 29 निनवार 1989 को माप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी।

इस प्रकार देश का विभाजन नथा तन्त्रनित हिंडुओं और मुमलमानों में परस्पर बटुता माप्रदायिक मरणों तथा राजनीतिक दलों की गतिविधियों गोहन्या मस्जिद के सामने सर्वीत धार्मिक स्थानों के अविवरीकरण बद्रगाहों के कब्जा में उत्पन्न होने वाले धार्मिक स्थानों के अपमान तथा धर्म परिवर्तन की विद्याएं आदि माप्रदायिक हिंसा के गमीर वारण रहे हैं। अभाप्रदायिक राजनीतिक दलों ने भी देश में साप्रदायिक भावना के विकास में योगदान दिया है। चुनावों वे सभ्य माप्रदायिक सोच-विचार, समर्थन के लिए माप्रदायिक देवाव के समझ हायियार छाल देना तथा माप्रदायिक तस्वीरों के प्रति तुष्टिकरण की लीला इनके लिए कोई नयी बान नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय गणराज के शैशवकाल में बायेम दल ने ऐजाकाद में भमद वे चुनाव में आचार्य नरेन्द्र दत्र के विश्व बाबा रायवदाल को उम्मीदवार के रूप में लड़ा दिया तथा यह प्रचार विषय कि आचार्य जी नास्तिक हैं और यझाँपवीत नहीं पहनते हैं। माप्यवादियों को हगाने के लिए कायेम (इ) ने बेरस में धोर माप्रदायिकतावादी दल मुस्लिम लीग के माध्यमजौला किया। मुस्लिम लीग ने कायेम (इ) तथा माप्यवादी दलों से लाभ उठाकर पहले मन्नापुरम् फिर बाद में केमरगोड में मुस्लिम बटुल जिने का गठन करवाया। प्राव ये अकाली दल के माध्यम भी राष्ट्रीय दलों ने सरकार बनाने के लिए होड नामा दी तथा उसे प्रगिष्ठा प्रदान की। अब माप्रदायिकता के विकास में राजनीतिक प्रतिम्पद्धा का मब्दे अधिक योगदान रहा है।

### सिल्ह सप्रदायवाद का विकास

मिथ मप्रदायवाद मुस्लिम तथा हिंदू मप्रदायवाद में भिन्न प्रकृति का है। यह दो राष्ट्रों के निदात अधवा विभाजन की यादों से नहीं जुड़ा हुआ है। मह आधिक निर्धनता तथा शोषण से भी सर्वधित नहीं है स्योरि मिलों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के औसत

गे स्थादा है। हिंदू तथा सिंहों के उन्नव, विवाह स्थान-पान रहन-सहन के लिएके एक है। दोनों समुदायों में पारिवारिक सदृश भी स्थापित होते हैं। प्राय हिंदू आदरमूचक शब्द 'सरदार जी' कहकर पुकारते हैं। भारतीय सेना में उन्हें जनसभ्या के अनुपात में स्थादा स्थान मिले हुए हैं। फिर प्रश्न यह उठता है कि सिंहों में साप्रदायिकता क्यों बढ़ रही है? बास्तव में देखा जाये तो मिथ सप्रदायवाद भूलत पहचान का प्रश्न है। हिंदुओं ने हमेशा मिथों को अपने धर्म का एक अविभाज्य अंग माना है। मिथों ने हमेशा से अपनी अलग पहचान स्थापित करने के लिए जो जद्दोजहूद की उसके पीछे यह भय था कि कही हिंदू धर्म उनके धर्म को निगल न जाये। 1699 में ही मिथों ने अपनी अलग पहचान बनायी जब गुह गोविन्द गिह ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि 'वे बेज रखें, दाढ़ी न कटाये वधा, बड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करें। जाज भी कटूर मिथों की पहचान इन पाच (वकारो) से होती है। गुह के आदेशों के अनुमार खालसा पथ स्वीकार करने वाले अपने नाम के अन मे गिह लगाने हैं। गिथ धर्म की एक केंद्रीय धारणा यह है कि आध्यात्मिक और लौकिक सत्ता (पीरी और भीरी) धर्म और राजनीति अविभाज्य हैं। गुरु ग्रन्थ साहब' से मिथों को आध्यात्मिक दिजा निर्देश मिलता है तथा सामारिक मामलों का निर्णय 'ग्रन्थ' सालसा सप्रदाय और उनके प्रतिनिधि करते हैं। महाराजा रणजीत गिह के समय में सिंहों ने अपना सांग्रामिक बनाया और शासन किया फिर भी मिथा के पहचान की समस्या बनी रही। मिथ हिंदुओं के साथ पारिवारिक बधाना म वधे हुए थ। गुरुद्वारा के बहुत में महत मिथ से अधिक हिंदू थे, उन्होंने छुआद्धन मूलियूजा और गाय की पवित्रता की धारणा जैसी बहुत सारी हिंदू मान्यताओं और रिवाजों को मिथ धर्म म प्रविष्ट किया। नीची जातियों वे मिथों ने गाथ विभेद लगाया रहा। मिथा की मम्या भी विशिष्ट शासन (1846 के बाद) के दौरान घटने लगी थी क्योंकि जब तक सालमा उन्नति पर था अनेक अवमरवादी लोग भी बेश रखने लगे थ तथा गुरुओं वा आदर करने लगे थ तिनु ड्रिटिंग शासन मे मिला निये जाने के बाद व पुन हिंदू धर्म म लौट आये। वर्दु नय उदारवादी मन भी मिथों को सालमा पथ म रियुक्त कर रहे थ।<sup>10</sup> यही कारण है कि बुद्ध मिथ नेताओं ने मिथों के धारित्र मिदाना और आचरणों का हिंदू धर्म म अलग और विशिष्ट बनाय रखने वे निए तथा आर्य समाज के विरुद्ध हिंदुओं के बदलकर मिथ धर्म म लाने वे निए 1873 मे 'सिंह सभा' चलायी। यह आदोलन तजी म ऐंजा। अनेक सालमा मूल सौने गये जहा पर गुरु ग्रन्थ साहब और दूसरे गुह अगढ देव द्वारा नियमित पञ्चावी निपिं-गुरुमुनी का अध्ययन अनिवार्य था। 1902 मे विभिन्न मिह-सभाओं के दीच का सपोजह पहला मिथ राजनीतिक समाज, 'चीफ सालमा दीवान बना। अप्रौद्धों की 'फूट हालो और शालन झरो' की नीति से मिथों को अपनी अलग पहचान बनाये रखने के निए प्रोन्मातृन मिथा।

20वी शताब्दी आने-आने मदिरों के महत दृष्टि धृष्ट हो गये थे कि मिथ धर्म की प्रतिष्ठा को आच आने लगी थी। मोहिन्दर गिह गिल न निमा है

मदिरों मे चडावे के रूप मे आने वाली बीमनी चीडे मरबराह और दूसरे महानों वे गरों मे जाने लगी थी। चौहिंदियों मे ज्योतिषी और पटिन भरे रहते थे और

गुरुद्वारे के परिसर में सुलेआम मृतियों की पूजा होने लगी थी। उस काल (19वीं शताब्दी के अंत) वे विवरणों के अनुसार वसत और होली के त्यौहारों पर यह जगह चोरों और लफगों के हूल्हड़ का अड्डा बन जाती थी। अश्लोल वितावे धड़ल्ले से विकती थी और आसपास के मकानों में चकले मुने हुए थे, जहां इन पवित्र मंदिरों में आने वाली निर्दोष स्त्रियों को लपट साधुओं, महतों और उनके यार-दोस्तों द्वारा शिकार बनाया जाता था।<sup>31</sup>

1920 में भ्रष्ट हिंदूहृत महतों द्वारा हाथ में सिल मंदिरों को मुक्त कराने के लिए आदोलन फूट पड़ा। सिल सभाओं ने गुरुद्वारों में सुधार की मांग की। जब आदोलन अमरमन होने लगा तो 15 नवंबर 1920 को गुरुद्वारों पर जवरदस्ती नियन्त्रण बरने के लिए शिला गुरु प्र० स० म० (एम० जी० पी० सी०) का गठन किया गया। एक महीने बाद शिला गुरु प्र० स० म० स० स० वे सर्वर्थ करने वाले अब वे स्पृ में शिरोमणि अकाली दल का गठन किया गया। गांधी जी की इच्छाओं के विस्त्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी तात्कालिक राजनीतिक नाम देने के लिए अपना समर्थन दिया। बदले में सिल तथा अकाली दल असहयोग आदोलन में सम्मिलित हो गये। शिला गुरु प्र० स० त० वे अध्यक्ष बाबा सदक मिह वो पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार शिला गुरु प्र० स० और अकाली दल जे राजनीतिक सत्तिविद्विधि से बदल रहे।

अपेक्ष अधिकारी एक केंद्रीय सिल सम्मान के बजाय धार्मिक स्थलों के प्रबंध वो स्थानीय समितियों द्वारा किये जाने के पक्ष में थे क्योंकि केंद्रीय सम्मान अपनी शक्ति का दुरुपयोग राजनीतिक हिन्दों के लिए कर सकती थी।<sup>32</sup> 1925 में गुरुद्वारा आदोलन के सामने अपेक्ष भरकार वो छुकना पड़ा और उसने पंजाब के 200 से भी अधिक गुरुद्वारों को एम० जी० पी० सी० के अधिकार में दे दिया। यह सम्मान बहुवर वर 700 हो गयी है और उनके राजस्व में सिखों की धार्मिक पार्टी अकाली दल का शुर्च चलना है। एम० जी० पी० सी० जो स्वर्णमंदिर के देवभान में निए एक समिति वे बनाई बनी थी, आगे चलकर यह एक तरह से सिखों की समद बन गयी जिमका पंजाब वे सिख मंदिरों और उनकी विशाल धार्मिक आमदनी पर पूरा नियन्त्रण हो गया। जिन राजनीति में एम० जी० पी० सी० पर नियन्त्रण सबसे अधिक महत्व रखना है तथा अकालियों द्वे विभिन्न प्रतिद्वंदी गुटों वा यह सतना लक्ष्य रहा है। एम० जी० पी० सी० के पास विशाल आमदनी के अंतरिक्ष बहुत बड़ी मरणाल हो भी गया है। हड्डारों एवं इसके ढारा भरे जाते हैं—धर्मियों, सभीतज्जों, प्रोफेसरों, विविता से सवधिन लोगों तथा प्रबन्धकों के पद। गुरुद्वारों तथा मेलों आदि में धार्मिक सभाएं सिल जनता के सर्वर्थ में आने और उन्हें प्रभावित बरने वा एम० जी० पी० सी० को अवसर प्रदान बरतनी है। एक तरह से यह राज्य के भीतर राज्य बन गयी है। इसमें धार्मिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों का सम्मिश्रण है। यह जो मैं हो उपर्युक्त दोनों वालों की समाजी है वे केवल धर्म शृणु के लोगों को सुनाने वाले नहीं होते बल्कि वसनुल उसके एजेंट होने हैं, वे केवल यिन धार्मिक विचारों का प्रचार ही नहीं बरते बल्कि वे समुदाय को सप्टित करने के साथ-साथ उसके सामाजिक और राजनीतिक हिन्दों की देवभान बरते हैं।<sup>33</sup>

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भास्टर तारा सिंह, जो उस समय अहाली राजनीति में छाये हुए थे, युद्ध के ममले पर बायेल से अलग हो गये और उन्होंने बिटेन का समर्थन किया। जब देश में विभाजन की बात चल रही थी तो उस समय सिंह नेताओं में बापी पतभेद था। उन सोशों ने भी अपने अलग बलन की माग शुरू की जिन्होंने इतनी दुविधा में थे कि उन्हें अपने अलग बलन की माग का ठीक-टाक अर्थ भी पता नहीं था। “एक अलग मिथ राज्य के लिए मिथ प्रवक्ता जिस ढंग से बकालत कर रहे थे उससे संगत था कि जैसे पह उनकी कोई वास्तविक और स्वाभाविक माग नहीं है, बल्कि पाकिस्तान बनने के सिलाफ बहस का एक मुद्दा है। इग रवैये ने उनकी माग पर गमीरता से ध्यान दिये जाने की स्थिति ही नहीं बनने दी।”<sup>24</sup>

देश के विभाजन से काफी नुकसान उठाने के बावजूद भी सिंह बहुत जल्दी भभने तथा स्वतंत्र भारत में उन्नति करने लगे, मिथ सारे भारत के लिए शक्ति और सक्षियता तथा पजाब सपनना का प्रतीक बन गया। पजाब में आधुनिकता की सहर दौड़ने लगी। दूसरी तरफ अहाली नेताओं को आधुनिकता और हिंदू धर्म द्वारा दिल्ली धर्म के विनाश का सबरा नज़र आने लगा। भारतीय राष्ट्र-राज्य की अवधारणा ‘अनेकता में एकता’ की परपरागत अवधारणा की कमर तोड़ने लगी थी। धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकीकरण धर्म और समृद्धि की जड़ों पर आपात कर रहे थे। सिंह समुदाय का एक भहत्त्वपूर्ण हिस्सा यह महसूस करने लगा कि सपनना के माय आने वाली आधुनिकता के कारण उनका धर्म बनारे थे हैं और मिथों की अस्मिन्ना के लिए सकट पैदा हो गया है। दूसरे हिंदू धर्म का पुराना सुतरा भी ऊपर मढ़रा ही रहा था। आर्य समाज, राष्ट्रीय स्वय सेवक आदि तो सहिय थे ही। 1951 में जनसंघ की स्वापना हो चुकी थी जिसके सहारे उष्णहिंदूवाद ने राजनीतिक शक्ति प्रहृण कर लिया था। हिंदू समुदाय भले ही जानि और दूसरे सानों में बुरी तरह से बटा हो, लेकिन हिंदू धर्म ने दूसरे धर्मों को प्रभावित करने और उन्हे आत्मसंतु कर लेने की विनाशण क्षमता को प्रमाणित किया है। यही कारण है कि स्वतंत्रता मिथने के समय से ही अकाशी नेता भास्टर तारा सिंह ने निरचय किया कि अगर मिथ धर्म को विनाश से बचाना है तो मिथों को एक अलग लैस के अप में वैधानिक साम्यता दिलायी जाये। उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर मिथों की अलग अस्मिन्ना को स्वतंत्र कर दानने के लिए भारतीय सरकार की आनोखना दी। आदादी से यहने के बादों में बई मिथ नेताओं ने मिथ राज्य की बात कई बार उड़ायी थी जिन्होंने आदादी के बाद इस तरह वी बात साप्रदायिक लगी इसनिए इसके स्थान पर पजाबी मूर्ख वी बान करने लगे। जिन्होंने पजाबी मूर्खों की माग ने जीप्र ही हिंदू-मिथ साप्रदायिक विवाद का अप धारण कर लिया। भयुक्त पजाब में हिंदी, उर्दू और पजाबी — तीन प्रमुख भाषाएँ थीं। इन तीनों में पजाबी सभी समुदायों द्वारा सबसे ज्यादा बोली जाती थी। मुमलमानों के पाकिस्तान घने जाने के बाद उर्दू का दावा तो स्वतंत्र अमीरपोर पढ़ गया। बची पी पजाबी और हिंदी किन्तु असानियों का रहना था कि पजाब की भाषा गुजरामी निपि में लिखी पजाबी ही होनी चाहिए। चूंकि गुजरामी का आदिकार धर्मप्रथों के लिए किया गया था तथा यह मिथों की धार्मिक भस्याओं के बाहर ज्यादा नहीं सिखायी जाती थी। इसनिए हिंदुओं का

बहुता था कि यह माग साप्रदायिक है। अधिकाश हिंदुओं को लगा कि सिस्त धर्म और समृद्धि की निपि उन पर जबरदस्ती थोपी जा रही है। आर्य समाज और जनसंघ के पढ़ाये जाने पर 1951 की जनगणना में अधिकाश हिंदुओं ने पजाबी को अस्वीकार कर हिंदी को मातृभाषा घोषित किया। परिणामतः 1951 से 1961 के बीच पजाबी भाषी लोगों की सम्पदा 60% से घटकर 40% हो गयी। इससे सिखों में हिंदुओं के प्रति अन्यत विद्वेष उत्पन्न हुआ। नेहरू ने इस माग को एक साप्रदायिक मसला ही माना। वास्तव में देश जाय तो इस माग के पीछे सिखों को एक ऐसा राज्य बनाने की महत्वाकाली थी, जिस पर वे हमेशा जासन कर सके।

भारत के विभिन्न भागों से उठने वाली मागों को देखकर राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1953 में आयोग नियुक्त किया गया था। जिसका कार्य भाषायी आद्यार पर अन्य-अन्य राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना था। आयोग ने अपनी 1955 की रिपोर्ट में पजाबी भूमि की भाग इस तर्क पर ठुकरा दिया कि पजाबी भाषा पूरी तरह से हिंदी से भिन्न भाषा नहीं है और न ही इस क्षेत्र में रहने वालों का आम समर्थन इस माग को प्राप्त है। आयोग ने मन व्यक्त किया कि अगर पजाबी सूबा बना भी दिया जाता है, तो भी अल्पसंख्यकों द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के लिए हिंदी की सुविधा देनी ही पड़ेगी आयोग हारा गेम्पू को पजाब के साथ गिला देने की भी सिफारिश की गयी।

आयोग के फैसले को मास्टर तारा सिंह ने 'सिखों के दिनांक का फैसला माना' आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि इससे वहने ही उन्होंने एजाबी भूमि के लिए आदोलन ढेह दिया। मास्टर तारा सिंह ने नारा दिया कि सिखों की भाषा, लिपि, धर्म और समृद्धि भरते में हैं। 1956 में केंद्रीय सरकार और अकाली नेताओं में बातचीत के बाद एक कोशीय पार्सनल पर सहमति हुई जिसके हारा पजाबी भाषायी और हिंदी भाषायी क्षेत्रों में विभाजित करके विशेष जस्तियों वाली क्षेत्रीय समितियां बनायी गयी। किंतु यह कार्यमा पूर्णतः नामून नहीं आया जा सका।

1960 में पजाबी भूमि आदोलन किर जोर पड़ा। मास्टर तारा सिंह को निवारक विरोध के अदर बारावास में ढान दिया गया। आदोलन का नेतृत्व सत फतेह सिंह ने माना। उन्होंने आमरण अनशन किया जिसे नेहरू जी के आइवायन पर 23वें दिन तोड़ा। अकाली नेताओं ने बिना ज्ञाना सम्पादन गवाये आदोलन बाहर सिया। किंतु यह शाति ज्ञाना दिनों तक नहीं खली। 1961 में मास्टर तारा गिह स्वयं आमरण अनशन पर दें। उन्होंने कहा कि सिखों को अमृतनीय विभेद से दबाने का एक ही उपाय है कि उनके लिए एक पजाबी भूमि का निर्माण किया जाए। उन्होंने 48वें दिन नेंट के समझौता कारी रक्ष के बारण अनशन ममाप्त कर दिया। चूँकि उन्होंने आरोप लगाया था कि सिखों के साथ विभेद किया जा रहा है इसलिए इस आरोप वी जाच के लिए केंद्रीय सरकार ने विशेष तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष एम॰ आर॰ दास (अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधिकारी) तथा सदस्य डॉ॰ मी॰ पी॰ रामस्वामी अध्यक्ष और एम॰ सी॰ सामना थे। मास्टर तारा सिंह आयोग द्वारा सदस्यों तथा विचारार्थ विषय से सनुष्ट नहीं के क्षेत्रे हारा भूमि गये न्यायाधीशों को नहीं रखा गया था।

इसलिए उसके साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। 1962 में प्रमुख अपनी रिपोर्ट में आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिसके आधार पर यह कहा जाये कि पजाव में सिसो के साथ विभेद किया जा रहा है।

जवाहरलाल नेहरू अपनी भूतु तड़ पजाबी सूबे की माग का विरोध करते रहे किंतु याद में जब इदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्हें यह एहमाम था कि उनकी पार्टी के दिग्जन नेता कभी भी उन्हें पगु बना सकते हैं क्योंकि पार्टी के बुद्धु राजनीतिज्ञों ने ही उन्हे प्रधानमंत्री बनाया था। उन्होंने सोचा कि गर्दिश के दिन में अकालियों की वैसासी काम आ सकती है। 1966 में उन्होंने पजाबी मायी राज्य की माग स्वीकार कर लिया। पर पजाबी सूबा अकालियों वे लिए मृगनृथ्या ही साबित हुआ। मिसों को अपना राज्य तो मिल गया। लेकिन इसका सचालन उनके हाथ में कभी नहीं आया। 1967 और 1969 के चुनावों के बाद सविद मरकार बनायी गयी, लेकिन ये सरकार थोड़े भयंकर बाद पर गयी। 'अपना अनसमर्थन खरबार रमने के लिए उन्होंने सिसों वे भीतर असनोष की भावना को लगातार जिदा रमा और मना के बाहर रहने हुए वे आदोनन की राजनीति चलाते रहे। पजाबी सूबे के मामले में अपनी जीते बाद भी अकालियों ने हमशा अपने लिए आदोनन का रास्ता खुला रखा।' ११ पजाबी सूबा बन जाने के कुछ ही महीने के भीतर चडीगढ़ को पजाब में सुरुई बर देने के लिए थीमंती इदिरा गांधी पर दबाव डालने के लिए भत पलह मिह ने फिर में आमरण अनशन आरभ कर दिया। दर्जन मिह पलमान ने चडीगढ़ के लिए मृत्यु तक अनशन जारी रखा। मन पलह गिह ने आन्मदाह कर देन की घोषणा की, तन्दनान् थीमंती गांधी ने अबोहर और फाजिलका हरियाणा को देने के बदले चडीगढ़ पजाब को देने की घोषणा की किंतु इसे कभी अमल में नहीं लाया जा सका।

1973 में अकाली दल की कार्य समिति ने 'आनद्युर साहब प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को सुधियाना में अक्टूबर, 1969 में अमिल भारतीय अपानों मम्मलन में अनुसमर्पित किया गया। आनद्युर साहब प्रस्ताव ही आग के बायों में अकालियों द्वारा चलाये जाने वाले आदोनन की बेद्दीय माग बना। इस प्रस्ताव में और तो और 'भुग्धा विदेश सबध, मुट्ठा और मचार' के लेत्र में भी बेड़ मरकार के हमलेएँ को बम बरन की बात कही गयी। इस माग को मानने का अर्थ होना भारत की एकता और अमड़ना को सुनरे में ढानना तथा देश की अर्द्धव्यवस्था को छौट करना।

आनद्युर प्रस्ताव को मानने पर भारत का गतुनिन विहास उप हो जाना नसा अमनतिशीनना मरट में पड़ जाती। बेड़ मरकार के पाम मार्वजनिह विनरण प्रगानी भो नियतिन और गवानित बरने का अधिकार नहीं रह जाता। प्रस्ताव का उद्देश्य है गिर दर्थ का तथा उसमें सरप्रित आचरण का प्रचार करना और नामिनता को समाज बरना, पप की विशिष्ट और स्वतन्त्र पहचान बी अवधारणा को सरप्रित बरना तथा उसमें बुद्धि करना, गरीबी तथा भुग्धमरी को सुन्म बरना, विभेद को समाज बरना तथा बीमारी और अम्बस्थना को दूर भगाना और नगोनी चोड़ो के मेडन को समाज बरना।

प्रस्ताव के अनुमार, “शिरोमणि अकाली दल सिंह कौम की आकाशओं और उम्मीदों का साकार रूप है और इसलिए इसे अपना उपमुक्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।” यह एक अलोकतात्त्विक दावा था। अनेक सिखों ने इस दावे को कभी स्वीकार नहीं किया इस तथ्य को चुनावों में अकाली दल को मिले मत भली प्रकार सिद्ध करते हैं। सभी सिखों ने तो नहीं, हाँ सिखों का एक हिस्मा सेतिहर किसानों का जाट तबका अवश्य उसे ममर्यन देता रहा है। अकाली दल दावा तो सभी सिखों का दल होने का करता है किंतु यह किसानों का ही ज्यादा पक्ष लेता है। आनंदपुर साहब सरकल्य के अनुमार, “अकाली दल प्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी बर्गों—विशेष रूप से गरीबों और मध्य वर्ग के किसानों का जीवन स्तर उठाने की पूरी कोशिश करेगा।” यह भूमि सुधारों और गरीब तथा मज़ले वर्ग के किसानों के लिए अनेक सुविधाओं की बात करता है। प्रस्ताव में भाद्रान्व व्यापार के संपूर्ण राष्ट्रीयकरण की बात की गयी थी। जो निश्चय ही व्यापारी वर्ग के खिलाफ जाना है।

प्रस्ताव में अकालियों की कई अन्य शिकायतें व्यक्त होनी हैं। उनका दावा था कि औद्योगिक विवास के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने पजाव की उपेक्षा भी है अकालियों ने यह भी दावा किया कि सेना की भर्ती में उनके साथ जान-बूझकर विभेद किया जा रहा है। भारतीय सरकार ने सेना में कुछ ऐसे समुदायों तथा इनको को अवगत देने के लिए जो वभी भर्ती नहीं होते थे सेना की भर्ती की नीति में परिवर्तन किया। अकाली सिखों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर इसे एक भावनात्मक मसनदा दाना दिया। जाट सिंह इसे अपने पारपरिक ये जो पर आपात मानकर बहुत उद्देशित हुए। जबकि बस्तुस्थिति ऐसी नहीं थी। इसी तरह पानी के घासले को भी एक भावनात्मक मगला बनाया गया तथा गलतफहमी पैदा की गयी। अकालियों ने पानी के मुद्दों को इस प्रकार रखा कि सिर्फ किसान समझने लगे कि पजाव की नदियों—रावी, मतलज और व्यास—के पानी पर उन्हीं का हक्क है। उन्होंने पानी को अपनी जापदाद मान लिया। पानी के भरपूर इस्तेमाल का मतलब उन्होंने लगाया कि उनका पानी चुराकर एक नये ‘हिंदू राज्य हरियाणा’ और दूसरे राज्य राजस्थान को दे देना है। जबकि पानी बी बोई कमी नहीं थी, तभाय पानी बेकार बह रहा था — आवश्यकता है मुद्दे के सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यावन थी।

सिखों में असतोष पैदा करने का मुख्य क्षेत्र कृषि ही था। जब 1980 के दशक में अकालियों ने आनंदपुर साहब प्रस्ताव को साझा किये जाने के लिए अपना जब्ता आदोलन घेड़ा, तब पजाव में हरिनाशति सत्रप्ति वी मिथिति में पहुंच चुकी थी, कृषि-उत्पादन उच्चतम सीमा पर पहुंच चुका था। पजाव बी नगभग 85% भूमि सिंचित हो चुकी थी और ज्यादा जेती के लिए जब्तीन पाना सभव नहीं था। 65% से अधिक फार्म पाज एकड़ में कम के थे और कृषि-उत्पादन के साधनों में बढ़ती ही मतों के कारण वे इतना उत्पादन नहीं कर सकते थे कि ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। अत जिसानों के लिए यह सभव नहीं था कि वे अपने एक से ज्यादा बेटों हो जेती के ही बामों में लगाये रहें। इसलिए उन्हें बदले बेटों को नौकरी बी तलाज में नये शहरों बी और भेजना पड़ता था और आइन नौकरी मिलना तो गिर घनुप लौटने के ममान होता चला जा रहा है। हानत इसलिए भी

बिगड़ती चली गयी कि खेतिहार परिवारों से विस्थापित होने बहुत मारे नौजवान शिक्षित भी थे और यह तथ्य है कि किसी भी क्रान्ति के लिए शिक्षित वेरोजगारों से अधिक उपजाऊ कोई और जमीन नहीं हो सकती।<sup>16</sup>

यही वे शिकायतें थीं जिन्हे आनंदपुर साहब प्रस्ताव में स्थान दिया गया। परंपरा प्रस्ताव में सध्य से विलग होने की बात नहीं कही गयी है या स्वतंत्र भावितान राज्य की बात नहीं है किंतु जैसा अन्य अनेक भाषणों से प्रकट होता है इस आदोलन के पीछे यही मत्त्य है। वास्तव में देखा जाये तो भावितान आदोलन को धीरे-धीरे आगे बढ़ाने में अकाली संगठनों का भी योगदान है। मुख्य भालसा दीवान ने 54 वें अलिङ्ग भारतीय शिक्षा सम्मेलन में यह जोर देकर कहा कि सिख पृथक् राष्ट्र हैं और उन्हे संयुक्त राष्ट्र का मदस्य बनाया जाना चाहिए। इसे एस० जी० पी० मी० ने भी दुहराया।<sup>17</sup> अकाली दल (तलबड़ी) ने विश्व सिख सम्मेलन में यह जोर देकर कहा कि सिख पृथक् राष्ट्र हैं और विश्व की प्रमुख धारितयों ने उन्हे सिख राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। अकाली नेता भिडरावाले ने सदन में भावितानी नेता जगनीत मिह को पत्र लिखा था। उन लोगोंवाल इस सिद्धांत में विश्वाम रखते थे कि सिख पृथक् मूलवर्ग हैं।<sup>18</sup>

अकालियों ने अपनी भागी को भनवाने के लिए 1980 के दशक में शीमती इदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ ध्यापक आदोलन घेड़ दिया। उन्होंने सिखों के आर्थिक असनोष को धार्मिक भावनाओं के साथ गठजोड़ स्थापित करके कटूरपथ का एक ऐसा सुतरनाक रूप फिर निर्मित किया जिसे वे सुद काढ़ में नहीं रख सके। इसका पूरा नाम भिडरावाले ने उठाया।

भिडरावाले ने उत्त्यान के साथ-माथ हिंसा धूणा विद्वेष का एक ऐसा अभियान चला कि उसने हिंदुओं और सिखों में साप्रदायिकता का बहर छोल दिया। स्थिति इतनी काढ़ में बाहर हो गयी कि जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। दोनों समुदायों में धूणा, कोथ और हिंसा की ज्वाला ने विकराल रूप धारण कर लिया जब 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री शीमती इदिरा गांधी की सिख अगरस्थाको ढारा हृत्या किये जाने के कारण सिख विरोधी दो पूट पड़े थे। इन दोगों में तीन हजार से भी ज्यादा निर्दोष सिख मारे गये।

स्थिति को सामान्य बनाने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सत लोगोंवाले के बीच एक करार किया गया, जिसे पञ्चाव करार कहते हैं। इस करार के अनुसार आनंदपुर माहव प्रस्ताव को सरकारिया आयोग को निर्दिष्ट किये जाने और चडीगढ़ के बदने पञ्चाव के कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को अतिरिक्त किये जाने की व्यवस्था थी। चडीगढ़ पञ्चाव को दे दिया जायेगा। माथ ही 1984 के दशों की जात कराने की भी व्यवस्था की गयी।

हरियाणा को दिये जाने वाले क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए एक के तथा तीसरा आयोग बैठा - १. ज्यो-बी-स्यो मुरमा ॥  
फैलाये लड़ी १६ १८  
नदी-जल विवाद के लिए २.  
उच्च धी भूमने की तैयार  
ज्ञाना । नवबर, 1984

स्थानों के दगो का अध्ययन करने के लिए रणनीति मिश्न आयोग गठित किया गया था। आयोग को मह सना लगाना था कि हृत्याएँ पूर्व योजित और समर्थित थीं अथवा सहज और एकाएक हुई थीं। इसे उपाय भी मुख्याने थे ताकि भविष्य में इस तरह के प्रागत्पन की पुनरावृत्ति सम्भव न हो सके। आयोग ने मत व्यक्त किया कि दगो एकाएक हुए थे। पूर्वनियोजित और समर्थित नहीं थे। नोटों के मूड और व्यवहार में परिवर्तन कीमें लाया जाये इसके लिए आयोग ने कुछ सनाह दी है आयोग ने नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करने की सलाह दी है। पुनिम जी नामरिकों के साविधानिक अधिकारों की रक्षा करने वाली तथा उभई अवहेलना के लिए उत्तरदायी बनाऊर, हर तरह वो क्षति के लिए उदारतापूर्वक प्रतिकर देवर मध्ये नामरिकों के जीवन और भवनि भी सुरक्षा के लिए प्रत्येक गली और मुहूल्ये में मामान्य मामाजिक एजेंसिया बनाऊर नोटों में उच्च मूल्य, मैत्री तथा राष्ट्रीय भावना आदि भवने के लिए दूरदर्शन तथा रेडियो जैसे जन-भवार भाष्यमों का प्रयोग करने के लिए उभई दुबारा घटित होने न रोकी जा सकती है। आयोग न एक ऐसी सामान्य आचारमहिना अपनाए जाने पर बन दिया जो सभी छमों को स्वीकार्य होने के मात्र ही प्रेम को भी स्वीकार्य हो। आयोग पुनिम को भी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के लिए अभ्यारोपित किया इसलिए उसने एक उच्चस्तरीय ममिति गठित करने के लिए कहा जो इन आरोपों की जाच करे तथा दोषों लोगों को दफिन बरबाय। आयोग न कुछ व्यक्तियों तथा अमाभाविक तरहों का नाम भी दिया जिन्हने हिमा नूट-पाट नगा आगजनी में भाग लिया था उन्हे दफिन बरतने के लिए कार्रवाई करन की मिफारिश की। न्यायाधिपति मिश्न ने कहा कि मध्ये है 1984 से पूर्व प्रजाव में हो रहे दुराचार से उत्पन्न गुम्फा श्रीमती गाढ़ी की हत्या के बारण 1984 की अप्सर्य और धृगित माप्रदायिक हिमा में बढ़ा गया हो किंतु यह पृष्ठभूमि इसे न्यायोपिता भी नहीं ठहरा सकती। सभी मिर्चा की इटिंग गाढ़ी के दो हृत्यारों से तुनना बरना अप्सर्य भवितव्य है। अगर हृत्यार मिश्न के बायां हिंदू होने तो क्या देशवासी एसा ही व्यवहार करने ? अगर नहीं, तो दगो का कोई अधिकार नहीं था।

प्रजाव समस्या ने आज वैसर का अप्यधारण कर लिया है इसे हृत्यार करन के अनेक प्रयास किये गए। आतंकवादी सब किये धर एवं पानी केर देत हैं। आतंकवाद को दबाने के लिए प्रशासन भरपूर कोरिश करता रहा है। लेकिन हृत्यार मध्ये का नाम नहीं लेनी है। निर्दोष व्यक्तियों की और पुनिम की हृत्याएँ निव्यपति की पटनाया बनी हुई है। इस प्रकार भारत में बड़ी माप्रदायिकता धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का गना धार्दी जा रही है। माप्रदायिक दग रोजररा की दिदी की आम बात बन गये हैं। आयोग तथा ममिनिया गठित की जानी है, कुछ रिपोर्ट मीधायकानी होनी है कि उन पर मरमरी निशाह दीड़ा दी जानी है, कुछ तो दीपकों वा आहार बनहर ही रह जानी है। उनके मुख्यावों और मिफारिशों पर अमल करन को कौन कह, कुछ तो प्रकाशित हो जनना ऐसे ममता भी नहीं आ पानी है। इनमें अनेक अनीन के ऐसे दलालें भी भागिन हो जानी है, जिन्हे कभी कुछ शोधकर्ता और एकेडेमियिशन याद कर लिया बरते हैं।

अहमदाबाद के 1985 के दगो पर गठित दो आयोग की रिपोर्ट अभी आनी है यह

आयोग आज मेरा च वर्ष पहले की घटनाओं की गहराई मेरा सकेगा, सभव नहीं लगता। मेरठ दयो के जान प्रकाश आयोग ने अपनी रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत कर दी। प्रस्तुत उठना है कि उसे प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? उस पर अब च वयो नहीं किया गया? 1980 के मुरादाबाद दगो पर गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई, 1983 मे दे दिया था, किन्तु अभी तक यह प्रकाशित नहीं की गयी, उत्तर प्रदेश सरकार ही न प्रकाशित करने के कारणों को बेहतर जानती है। अलीगढ़ दगो के लिए न्यायाधिपति शांशिकात बर्मा की अध्यक्षता मे 20 अक्टूबर, 1978 को आयोग गठित किया गया। आयोग को 200 से ज्यादा साक्षियों की जाच करनी थी तथा चार महीने के अद्वय अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, किन्तु इसने जुलाई, 1980 मे भग किये जाने तक केवल आठ साक्षियों की जाच की थी आयोग को बिना जाच पूरा किये ही भग कर दिया गया। धीरे धीरे यह विचार बनना जा रहा है कि सरकारे समस्या का विश्वसनीय निशान हूँडने के बजाय समय लेना चाहती है। आयोग और समितिया नियुक्त की जाती है कि कुछ समय लिच जाये और समय मर्वोंतम रोगहर है। जबकि ब्रिटेन मे 10-12 अप्रैल 1981 को भवानक दर्शे हुए। लार्ड स्कारमैन ने जाच की और 25 नवबर, 1981 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। विलियम ब्राइटला तत्कालीन मृहसचिव ने तुरत अनेक मिफारिज को स्वीकार कर लिया। सभी दलों के नेताओं तथा पुलिस के प्रमुख ने इसका हार्दिक स्वागत किया। लेकिन हमारे कान पर तब तक जूँ नहीं रेगती जब तक बीमारी नाइलाज न हो जाये। आखिर हम ही भी तो विश्व के मध्ये बड़े प्रजातत्र। पहल जनता को ही करनी पड़ेगी।

### सदर्श

- 1 द ब्रैकेंट इनसाइक्लोपेडिया ऑफ पारिटिकल इस्ट्रोट्यूनम 1987 पृ० 371
- 2 जै० ए० मापैन्स द ग्रोटेक्षन आ०क माइनारिटीज 1960
- 3 ए० वर्ष द प्राच्यव आ०क माइनारिटी सुन आ० विहन द्वारा सामाजिक द माइन आ०क ऐन द बर्ट्ट हाईकोर्ट मे 1945
- 4 बोइन शाकिर पारिटिकल आ०क माइनारिटीज अन्नना प्रकाशन 1980 पृ० 33
- 5 बी० बी० बनु भारत का संविधान — ए०क परिचय 1989 पृ० 353
- 6 बनुचेद 350 ल
- 7 बनुचेद 30, 29
- 8 सूपरा बी० पी० द कान्तेंट आ०क द सेक्यूरिट स्टेट ए० इंडिया, 1964 पृ० 5/6
- 9 बैने ली० ए० बनर्जी दातुलालेन ए० बाबार्जी बैहिक यूनिवर्सिटी प्रेस 1983 पृ० 335-338
- 10 शोराज इल, इसानीषक लाल पारिटिकल बीहनी जनवरी 12 1985 पृ० 61-62
- 11 गिरिशाख जैन दाइज भौ०क इंडिया बची दिल्ली 2 जनवरी 1988

- 12 के। आर। गणकानी जैनस्ट्रीम अक्टूबर 28, 1989 पृ० 40
- 13 वही पृ० 117
- 14 दि हिन्दून मार्च 23 1940
- 15 इन्द्र प्रकाश लेखक वापेग एड द हिन्दू महामास दिन्मी 1942 पृ० 259
- 16 कीर ठी। सावरकर एड हिन्दू टाइम्स बर्ड 1967 पृ० 229 31
- 17 दन्दर प्रकाश पूर्वोद्धन पृ० 66
- 18 सोम ब्राह्मन हिन्दुनान टाइम्स बर्ड 1 1987
- 19 प्रधा दीभित मात्रदायिकना दा गणितामिक सदर्श मेक्षितन नयी दिन्मी 1980 में उद्घृत पृ० 104
- 20 रेडियम जुनाई 3 1966
- 21 हिन्दुनान टाइम्स बर्ड 1 1987
- 22 द बार्फनाइजर अक्टूबर 29 1951
- 23 वही जनवरी 7 1957
- 24 गोलबनबह एम। एम। विचार नवनीत ए बन्द आफ याट दा हिन्दी अनुवाद (लखनऊ) पृ० 138
- 25 वही पृ० 192
- 26 'स्टैट्यूनरी कमीशन की रिपोर्ट' बिल्ड 1 पृ० 29
- 27 हृषायु बचौर माइनारिटी इन 'हेमावेसी' बनकता 1968
- 28 टाइम्स आफ इंडिया दिसंबर 1 1981
- 29 ठी। एन। मदान टाइम्स आफ इंडिया अक्टूबर 16 1989
- 30 बुगकल गिह ए हिन्दु आफ द निष्ठ बिल्ड हिन्दीय सेनेन और अनविन् 1966 पृ० 136
- 31 बोहिंदर सिंह दि अकाली सूखमेट मेक्षितन दिन्मी 1978 पृ० 20
- 32 पी। भी। चटर्जी हिन्दुनान टाइम्स जून 27 1988
- 33 गोकुल चन्द नारायण दामस्कारमेश्वर आफ विकिन्द्रम न्यू युक सोमवारी नाहीर 1946 पृ० 328 सिंथ द्वारा उद्धन पृ० 445
- 34 बुगकल गिह पूर्वोद्धन।
- 35 मार्टिनी कबीर मनीष ऐक्वर अमृतसर राधाकृष्ण नयी दिन्मी 1986 पृ० 53
- 36 वही पृ० 58 59
- 37 टाइम्स आफ इंडिया मार्च 18 नवा अगस्त 30 1981
- 38 स्टेटमैन जून 16 1983

## उपसंहार

भारतीय संविधान भारत की एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र के रूप में पहचान बनाता है। यह स्वतंत्रता आदोलन के दौरान धार्मिक भिन्नताओं को बिना कोई राजनीतिक महत्व दिये आदोलन को चलाते रहने के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों को प्रतिबिवित करता है। यह एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक जाति को लक्षित करता है जो शेणीबद्ध समाज के दुर्ग को ढहाकर भमता पर आधारित समाज को साकार बरना चाहता है, यह एक ऐसे आदोलन को दिशा देता है जिसमें व्यक्ति अथवा समुदाय के पथ (विश्वास) राज्य के सबूझ में उभवे अधिकारों एवं दायित्वों को विशेष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। बिद्वानों में यह सामान्य सहमति है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करने में मफल रहा है। जहां पाकिस्तान जन्म में ही धर्मबद्ध राज्य रहा है वही पर भारतीय गणतंत्र में आधार धर्मनिरपेक्ष मूल्य रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारत की नागरिकता किसी धर्मविशेष पर आधारित नहीं है, धर्म, मूलवश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिपेद्ध किया गया है, अस्युश्यता का तपा उपाधियों का अत कर दिया गया है। धर्म वर्ण तथा जाति का बिना कोई विचार किये प्रत्येक व्यक्ति प्रजातात्त्विक प्रक्रिया ये अपनी हिमोदारी निभा सकता है।

भारत के संविधान निर्माताओं का मानना या कि भारत जैसी जाति धर्म, लिंग आद्य, लेत्र, जनजाति आदि पर आधारित भिन्नताओं वाले देश में एक ऐसीहृत सबल राष्ट्र-राज्य के निर्माण के लिए धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र को अपनाया जाना आवश्यक है। धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र की स्थापना ही प्रमुख रूप से स्वतंत्रता आदोलन के दौरान हमारा उच्च आदर्श या जिसे पूरा करने के लिए स्वतंत्रता के बाद हमने महत्व लिया। हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और जाताईन तथा मुधार की मानवता को विकसित करने की तरफ बढ़ाया तथा ५० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हम इस दिशा में कासी कुछ सफल भी रहे, किन्तु आज धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के महन की दीवार चरमरा रही है। राजनीति में धर्म अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल रहा है। शामलगण, राजनेता, सरकारी पदाधिकारी जिस तरह भै धार्मिक अनुष्ठानों तथा उल्लङ्घनों में शाल-

लेते हैं वह निश्चय ही हमारे धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कलंकित कर रहा है। तीर्थस्थलों का दर्शन करने परिवर्त जल में स्नान करने यजो, कथाओं और कीर्तनों में हिस्सा लेने की प्रवृत्ति में बृद्धि हो रही है। राजनीतिक हितों के लिए एक तरफ साधुओं, महतों और आचार्यों की कृपा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो दूसरी तरफ उल्लेखाओं और इमामों ये गहरे सबध स्थापित करने के प्रयास किये जाते हैं। अगर एक मुख्यमंत्री स्वर्ण मंदिर में जाकर जूते साफ करता है तो दूसरा मुख्यमंत्री गोपाल में मृत आत्माओं की शांति के लिए किटलों अनाज और धी हवन कराता है। चुनावी राजनीति में धार्मिक प्रतीकों और अनुष्ठानों का प्रयोग आम बात होती जा रही है। धार्मिक रूढ़िया, अध्यविश्वास, जातिवाद और सप्रदायवाद अपनी जड़े जमाये हुए हैं। इतने प्रयासों के बावजूद द्युशाहून समाप्त नहीं किया जा सका है। निषेधात्मक कानूनों के बावजूद कर्ताटक और महाराष्ट्र के लोभी क्षेत्रों में देवदासी प्रथा का पालन किया जाता है। यद्यपि मनी पथा 1829 में समाप्त कर दी गयी थी फिर भी राजस्थान की ओमकुवर जैमी घटनाएँ आज भी उस वर्वं प्रथा के पद चिह्न के रूप में विद्यमान हैं। आज भी धर्म के नाम पर बलि और शारीरिक यातनाओं की छवरे समाचार पत्रों में होती रहती हैं। आज भी बोहराओं को चुनाव लड़ने के लिए दाईं की अनुभवि चाहिए। सामाजिक कल्याण के लिए संगठन बनाये या न बनाये, कौन-सा समाचार पत्र पढ़े और कौन-सा नहीं, किसके साथ सबध रसें किमके साथ नहीं, ये सब बातें बोहरा समुदाय के लिए दाईं ही निर्धारित करता है। यदि कोई इम समुदाय के सुधार की बात करता है या इनकी प्रथाओं का विरोध करता है तो उसे इम समुदाय के कोप का भाजन बनना पड़ता है। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होने के बावजूद सत निरकारियों की हत्याएँ और उत्पीड़न जारी हैं। विभिन्न सप्रदायों में आपसी सामजिक्य और भावृत्ति की भावना बढ़ने के बजाय परस्पर कटूता, विद्वेष और धृष्टा बढ़ती ही जा रही है। साप्रदायिक हिता हमारे सामाजिक जीवन की बास्तविकता बन गयी है। धर्म, परिवर्मन-विरोधवाद और वर्ग-संघर्ष—तीनों का मेल मस्तिष्क में हो रहा है। मस्तिष्कों, भविरो, गुणद्वारो तथा चर्चों की सत्त्वा बढ़ती ही जा रही है, कटुरपाव बढ़ रहा है। यहा तबमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिकीकरण का भवसे ज्यादा विरोध पढ़े लिखे लोगों द्वारा किया जा रहा है। कटुरवादी प्रगति का विरोध नहीं करते भेकिन वे बाहर से खोपी गयी आधुनिकता का विरोध करते हैं। यह तथ्य पश्चिमी राजनीतिक वैज्ञानिकों और राजनगिकों को, जो आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षवाद में समर्नता स्थापित करते हैं उनको आज्ञाय में डाल देता है। आधुनिकीकरण मिदान का यह मानना है कि जब देश विकसित और आधुनिक हो जाते हैं, वे ज्यादा-मेर्ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं किन्तु देशने में आया है कि पश्चिमीकरण में बृद्धि के साथ ही पुनर्जागरणवाद में भी बृद्धि हुई है। इस प्रकार भारत में अगर एक तरफ अन्यसम्बन्धों में हृष्यर्थिता बढ़ रही है तो दूसरी तरफ बहुसम्बन्धों में उपराष्ट्रवाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है परिणामत 'अनुभव सप्रदायवाद' (परमिमिव कम्युनिलिङ्म) द्वारा पकड़ता जा रहा है तथा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बल प्रदान करने वाले तत्त्व बपना आकर्षण सोते जा रहे हैं।

भारतीय समाज स्वभावत परपराबद्ध थोर जनतिवादी और सत्तावादी है तथा राज्य का उद्देश्य आधुनिकीकरण और मामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करना है। हम भीगोप्तिक जनवडता, राजनीतिक स्थायित्व और आधुनिक राज्य के रूप में गाढ़ीय पहचान बनाने के लिए सकल्प लिये हैं जोकि धर्मनिरपेक्षवाद के बिना असम्भव है उन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बल प्रदान करना हमारा परम वर्तन्य है। धर्म और राजनीति वा सम्मिश्रण भारतीय प्रजाभित्र की सफलता में सबसे अधिक बाधक है। भारत जैसे परपरा मक देश में, जहाँ लोगों के दिलों में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है धर्म और राजनीति में पूर्ण पृष्ठकरण सभव नहीं है धर्म की व्यक्तिगत जीवन तक सीमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अन्य वास्तविक प्रश्न यह है कि धर्म वो राजनीति में पृष्ठक किया जा सकता है या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या धर्म को राजनीति में प्रमुखता स्थापित करने दिया जाये। धार्मिक मूल्यों अधिविकासों और साप्रदायवाद की समाज पर पकड़ न हो इसके लिए आवश्यक है कि जहाँ तक सभव हो धर्म को राजनीति में अलग रखा जाये। धार्मिक, प्रजातिवादी भाषीय अथवा जाति पर आधारित किसी भी गमूह को इस रूप से पनीहत होने जरूर अस्ते वो राजनीतिक इन वे रूप में प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा चुनावों में भाग लेने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। अर्थात् ऐसा कोई भी इन जरूर समूह जो नाम विचारधारा और मुराने रिकार्ड के अनुमार किसी एक धार्मिक समुदाय को समर्पित करता है उनके चुनावों में भाग लेने पर रोक लगा देनी चाहिए। धार्मिक स्थलों का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। धार्मिक स्थानों में जो लोग सता मे हैं, राजनीतिक पदों के लिए उन पर रोक लगा दी जानी चाहिए। अब सभव या नया है कि प्रमुख दल यह परस्ता बनाये कि वे साप्रदायिक गुटों से कोई भवध नहीं रखेंगे। चुनावों में कोई भी धार्मिक अथवा तथाकथित आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यदि कोई उनका प्रयोग करता है तो उनका चुनाव वैध पोक्षित कर दिया जाना चाहिए। मदिरों, मस्जिदों, खचों और गुरुद्वारों का राजनीतिक प्रचार के लिए प्रयोग पर रोक लगायी जानी चाहिए। राजनीतिक नेताओं, पदाधिकारियों और वरिष्ठ प्रजामको द्वारा धार्मिक रूपतों के दर्जन वा सार्वजनिक दिवावा नहीं किया जाना चाहिए। उनका मदिरों, मस्जिदों, खचों और गुरुद्वारों का भ्रमण व्यक्तिगत हैमियत में होना चाहिए।

हमारे सभी धर्म अनेक प्रकार के नैतिक मूल्यों पर बल देते हैं जिनमें बहुत कुछ समानता है। महाराई ईमानदारी, बर्नव्यवरायणता, आत्मसमर्पण, नास्ता, दयालुता, कामाजीलता, सतोष आदि मूल्य सभी धर्मों के आधार हैं, जिनु कानातर में सभी धर्मों के साथ अनेक हुतीनिया और अधिविकास आकर जुड़ गये हैं जो धर्म के मूल की गोड़ बनाते जा रहे हैं। धर्म वा साप्रदायिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है इमनिए आवश्यकता है कि सभी धर्मों के प्रमुखों को धर्मों के मानववादी सामान्य मूल्यों पर बल देने के लिए कार्यप्रवृत्त किया जाये। यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए कि साप्रदायिक उद्देश्यों के लिए धर्म का प्रयोग धर्म किरणी है।

का प्रबन्ध किया जाना चाहिए ताकि एक-दूसरे के घमों के बारे में जो अज्ञानता और गुलत धारणाएँ हैं उन्हे दूर किया जा सके। धर्माधिकारियों तथा धर्मापदेशकों के लिए धर्म तथा धर्म-यथों के सबध में उच्च शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए ताकि उनके अदर की धार्मिक रुदियों और अधिविश्वासी का स्थान सम्मक्ष ज्ञान ने उनके जैसाकि सञ्चिदानन्द यात्मायन 'अज्ञेय' ने उह, "मैं यह नहीं कहता और मैं नहीं समझता कि धर्म ही हमारा गति है या धर्म को जड़ से उखाड़कर ही हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं, ऐसा मैं बिलकुल नहीं मानता। लेकिन धर्म में किस तरह का विश्वास भारतव में धर्म है और कौन से धार्मिक विश्वास धर्म में ही बाधक हो जाते हैं, इसकी ओर मैं समझता हूँ कि हमें ध्यान देना चाहिए।" (नवभारत टाइम्स 23 दिसंबर 1984)

देश को एकता के सूत्र में पिरोने में विधियों वा बहुत बड़ा योगदान होता है, विशेषकर सिविल विधि का। आज एक समान सिविल सहिता तैयार करने की परम आवश्यकता है। इनीय राजनीति तथा चुनावी सोच-विचार द्वारा किनारे रखकर सरकार को इस दिनों में शीघ्र बदम उठाना चाहिए। अकर्मण्यता तथा भृष्टाचार वे साथ सत्ता में बने रहने के बजाय अगर इन सिद्धांतों के लिए कुसीं गवानी पढ़े तो भी वह सृष्टीय है। तात्कालिक हानि भले ही किसी सरकार द्वारा उठानी पड़े किंतु बगर एक समान मिविल सहिता कोई सरकार बना देती है तो निश्चय ही जनमत उसका साथ देगा तथा उस राजनीतिक दल को थेप मिलेगा। उस राजनीतिक दल की महता घटने के बजाय बढ़ेगी ही। अगर सरकार समझती है दि सीधे एक समान मिविल सहिता लाना सभव नहीं है तो उसे चाहिए कि पहले ही विधि की तरफ बदम बढ़ाया जाये किंतु ऐच्छिक सहिता जैसाकि किसी समय राजीव गांधी नी सरकार में जर्बा जल रही थी, किसी भी स्थिति में उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेगी क्योंकि ऐच्छिक एक समान मिविल सहिता अपने आपमें विरोधी है।

स्वीय विधियों के सहिताकरण का औचित्य यह है कि जैसे सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम है। इस्लामी फिरह 'जरीबत' एक विसिन सहिता के स्थ में नहीं है। इस समय इरनाम जगत में लगभग एक दर्जन फिरह नी विचारधाराएँ व्यवहार में हैं और पालन की जाती हैं। फिरह, हनफी, मनफी शाफ़ेई हनबनी इषामिया, इस्माइलिया जैदिया, बातिनिया और रबाजिया आदि। इनमें से कई विचारधाराएँ भारत में मानी जाती हैं तथा उनका पालन किया जाता है। इन सभी का पालन वरने वाले मुस्लिमान हैं। अल्पाह, पैगवर साहब, पवित्र कुरान तथा हन्माइनैय्या सबका एक है इनमें से कोई भी फिरह कुरान तथा हदीये के विरुद्ध नहीं है किंतु भी मानस में अनेक मामलों में काफी भिन्नता है। कुछ नरम रूप अपनाते हैं तो कुछ सख्त रूप अपनाते हैं। विचाह भेहर, तनाड़, मानूल्ब, बलायन, हिंा अर्थात् दान, बक्र, शुशा, बमीयत, विरामत आदि के मालते में अनेक मिलताएँ हैं। इन मिलताओं को दूर करने के लिए आज भी परिस्थितियों के अनुरूप उदार अर्थान्वयन करके एक सहिता मुस्लिम स्वीय विधि भी

## बनायी जानी चाहिए ।

समुदाय का कमज़ोर वर्ग, विशेषकर स्त्रिया, बतीत से चली आ रही रुदियों तथा कुप्रथाओं की शिकार रहीं हैं। मुन्नी मत अगर मुता विवाह को बर्जित करता है तो सिया मत अनुमति देता है। कुछ विचारधाराओं के द्वारा तलाक के बर्बर तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं। विरासत में भी स्त्रियों के साथ किभेद किया जाता है इसी प्रकार वे मुस्लिम बच्चे जो बनाय हैं उन्हें मा-चाप का साधा नहीं मिल सकता है। हिंदू दरक धरण तथा भरण-योग अधिनियम, 1956 जैसी कोई व्यवस्था न होने के कारण मुस्लिम, ईसाई, पारसी तथा यहूदी सरकार और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1980 की प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं किंतु प्रतिपाल्य के शरीर और संपत्ति की संरक्षकता उसे पुत्र की विधिक, प्रास्तिति प्रदान नहीं करता है। अत आज की परिस्थितियों के अनुरूप बनेक फिरहों के उदार सिद्धांतों को धरण करके, स्त्रियों तथा बनाय मुस्लिम बच्चों के साथ न्याय करने की भावना से भी मुस्लिम स्वीय विधि को सहिताबद्ध किया जाना चाहिए। यह कार्य केवल परपरागत उल्लेखाओं द्वारा नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसमें प्रबुद्ध मुस्लिम चुद्धजीवियों तथा फिरहों के विशेषज्ञों की इनमें सक्रिय भूमिका होनी चाहिए तथा अन्य मुस्लिम देशों में इस दिग्गा में किये गये परिवर्तनों को अवश्य ध्यान में रखा जाये। उदारवादी मुस्लिम विचारधारा के समर्थक ग्रो० ए० ए० ए० फैज़ी आहि भी इस सहिताकरण का समर्थन करते हैं। सहिताकरण की इस प्रकार से अतः-अतः भक्तियाँ को पूरा करने के पश्चात् एक समान सिविल सहिता के लिए प्रयास किया जा सकता है। यहाँ यह बात अवश्य ध्यान में रखी जानी चाहिए कि ऐसा न लगे कि चूंकि हिंदू बहुमत में है इसलिए हिंदू कोड मुस्लिमों पर या अन्य अल्पसंख्यकों पर धोपा जा रहा है। एक समान सिविल सहिता भहज हिंदू कोड का विस्तृत रूप नहीं होना चाहिए। द्वितीयत, हिंदू कोड में जो सामिया हैं वे भी समान सिविल सहिता में न घुमने पाये इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तृतीयत, एक समान सिविल सहिता में भारत में लागू होने वाली सभी स्वीय विधियों की अच्छी बातों को, साथ ही अन्य देशों की विधियों की अच्छी बातों को शामिल किया जाना चाहिए। अतः एक समान सिविल सहिता का आधार सामाजिक-आर्थिक न्याय, स्पताकता, सभानाता तथा भागृत्व और सबसे बढ़कार देश की एकता तथा असहाता हो।

आरक्षण का उद्देश्य समाज के दलित और शोषित बगों को विशेष सरकार द्वारा अन्य बगों के स्तर पर लाना था, किंतु दलीय हितों के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, अपने 'बोट बैक' को मजबूत करने के लिए प्रायः आरक्षण को भाष्यम बनाया जाता है इसके विरोध में अत्यधिक हिसाए हुई, कभी-कभी इन हिसाओं ने साप्रदायिक रूप धारण कर लिया किंतु भी अनुमूलित जातियों और अनजातियों के हित में आरक्षण को जारी रखना आवश्यक है लेकिन इस आरक्षण का साम जो शरीर है उन्हें मिलना चाहिए इसका आधार योग्यता और शरीरी होना चाहिए तथा हर पाच वर्ष बाद इसका पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है। सप्तद तथा विधान सभाओं के चुनाव देशों का आरक्षण पक्षानुहम से होना चाहिए ताकि इसका लाभ सभी देशों को मिल सके; अनन्त

केवल भारतग करके किनारे हो नेने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, आज आवश्यकता है महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के सेवा भाव को विकसित करने की तर्भी हम अचूतों और दलितों का सही माने में उद्धार कर सकेंगे।

अनुमूलिक जातियों तथा जनजातियों को आर्थिक तथा शैक्षिक रूप से मजबूत बनाने की आवश्यकता है। हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जो गरीबी की सीमा से नीचे रहने वाले लोगों को अधिक लाभ पहुंचा सके। अनुमूलिक जातियों तथा जनजातियों में अधिविश्वास रुदिया गरीबी भुक्षणरी तथा बीमारी को दूर करने के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन्हे मुक्त भोजन, वस्त्र तथा आवास दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही इन नीतियों का सही रूप से कार्यान्वयन किया जाना आवश्यक है।

इतिहास की पाढ़-नुस्खों से जहा तक सभव हो साप्रदायिकता की भावना को विकसित करने वाले लोगों को निकाल दिया जाना चाहिए, किन्तु इससे भी ज्यादा आवश्यक है कि सभी तरह के विद्यालयों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा वी व्यवस्था की जाये। कम-से-कम दसवीं कक्षा तक विज्ञान, प्रायमिक स्वास्थ्य के उपचार के ज्ञान और नीतिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

भारत की सबसे विकराल समस्या बढ़ती साप्रदायिकता है। साप्रदायिक हिंसा हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गयी है। ऐसा मानना कि भारत ने धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र के बजाय बोई और व्यवस्था अपनायी होती तो सप्रदायवाद की समस्या समाप्त हो गयी होनी, सत्य से कोसो दूर है। आज यह माना जा रहा है कि साप्रदायिक सधर्य सार्वभौमिक तथ्य है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में विभिन्न समूहों की साप्रदायिक पहचान एक स्वाभाविक मानवीय तथ्य है। व्यक्ति के लिए अपनी सस्तृति अथवा अन्य निहित स्थायों के सरदान को चुनौती देने वाले परिवर्तनों का साप्रदायिक पहचान द्वारा विरोध करना स्वाभाविक है। राष्ट्रवाद के प्रसिद्ध विद्वान अर्नेस्ट गेननर ने पता लगाया है कि निश्च में 7000 आदोलन चल रहे हैं। या तो अपनी पहचान बनाये रखने के लिए या अलग राज्य के लिए लोग बिस राज्य में रह रहे हैं उसमें सड़ रहे हैं। सोवियत रूस में इतने बढ़ों एकाधिकारतादी शामन रहने के बावजूद जातीय सधर्य बो नहीं मिटाया जा सकता। भारत में बढ़ते सप्रदायवाद पर दाढ़ पाने के लिए दगो के जान आयोगों बी मिफारिझों और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन (1969) के साप्रदायिक हिंसा के सबध में मुशावों को समेकित करके तुरत लागू किया जाना चाहिए। हमने साप्रदायिक प्रतिनिधित्व को ठुकराकर, सार्वजनिक वयस्क भताधिकार व्यवस्था बो अपनाया है, अब-जब देश के सामने कोई सकट आया, सभी धर्मों, जातियों, बगों के लोगों ने एकजुट होकर उसका सामना किया, सभी अल्पसंख्यकों ने राज्य के धर्मनिरपेक्ष आधार दो स्वीकार किया तथा अधिकाशत धर्मनिरपेक्ष दलों को ही मतशन किया है, मैं समझता हूँ यह पूरे राष्ट्र के हित में होगा कि भविष्यान से अल्पसंख्यक शब्द बोहटा दिया जाये तथा अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर मानवाधिकार आयोग बनाया जाये। साथ ही राज्यों में सहयोग और विश्वास तथा केंद्र में नियमन (मॉडरेशन) का भाव विवित

करने की आवश्यकता है।

सदियों तक गुलामी की जजीरो में जकड़े रहे, आपसी पूट, दैमनस्थिता, झगड़ों का हमेशा शिकार रहे, धार्मिक अधिविश्वास, अशिक्षा और रुढ़ियों जैसी अफीम की आदत वाले, उपनिवेशवादी, सामतवादी आर्थिक व्यवस्था के पैरों तले रौद्र हुए देश को एक सचल, न्याय पर आधारित, दैभवशाली तथा सञ्चिनशील राज्य-राष्ट्र बनाने के लिए गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की निम्नलिखित पक्षिनया देश की नीति का मूलमत्र बनायी जानी चाहिए।

चित्त येथा भयशून्य, उच्च येथा शिर  
 ज्ञान येथा मुक्त येथा गृहेर प्राणीर  
 आपन प्राङ्मुखतले दिवसशर्वरी  
 बनुयारे रासे नाइ सड़ कुइ करि  
 येथा वाक्य हृदयेर उत्समुख हते  
 उच्छ्वसिया उठे, येथा निर्बारित स्रोते  
 देशे देशे दिशे दिशे कर्मधारा धाय  
 अबत्र सहस्रिधि चरितार्थताय  
 येथा तुच्छ आचारेर महबालुराशि  
 विचारेर स्रोतपथ फेले नाहि भ्राति-  
 पीरुषेरे करे नि शतधा, नित्य येथा  
 तुमि सर्व कर्मचिता आनन्देर नेता,  
 निज हस्ते निर्दय आधात करि पित,  
 मारतेरे सेइ स्वर्ग करो जायरित।

(शार्वना 'भेद' 1901)

[जहा चित्त में भय नहीं है, जहा सिर ऊचा है, जहा ज्ञान मुक्त है, जहा घर की चारदीवारी ने दिन रात अपने आगन में पृथ्वी को छोटा टुकड़ा बनाकर नहीं रखा है, जहा वाक्य हृदय के स्रोत से (अनायास) प्रसारित होता है, जहा देश-देश, दिशा दिशा में कर्म की धारा का अवाय स्रोत नित्य सहस्रो रूप में चरितार्थ होकर बहता है, जहा तुच्छ आचार की महबूबि के रेत की राशि ने विचार के खोता के प्रवाह को प्रस नहीं निपा है जहा पीरुष सी टुकड़ों में विभक्त नहीं हुआ है हे हमारे सब कामों की चिना करने वाले और आनन्द के देने वाले पिता (परमात्मा)। अपने हाथ के प्रबल आणत से भारत को उत्ता स्वर्ग में जायत कीजिए]

## ग्रंथ सूची

### (BIBLIOGRAPHY)

- Abdul-Rauf, M., *The Islamic Doctrine of Economics and Contemporary Economic Thought*, Washington, D C , American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1979
- Adhikari, Gautam, *Secularism in India*, 1983
- Ahmad, A (ed ), *Religion and Society in South Asia*, Leiden, EJ Brill, 1971
- Abraham, Henry J , *The Judiciary — The Supreme Court in the Governmental Process*, 4th ed . Allyn, 1977
- Ahmad, Kurshid, *Islam and the West*, Chicago, Kazi Pub , (n d )
- Altekar, A S , *State and Government in Ancient India*, Motilal Banarasidas, Varanasi, 3rd ed , 1958
- Ali, S (ed ) *Congress and the Problem of Minorities* Allahabad, Law Journal Press, 1947
- Anderson, N *Law Reforms in the Muslim World* London, University of London, The Athlone Press, 1976
- Arblaster, A , *The Rise and Decline of Western Liberalism*, Blackwell, 1984
- Archer, M S , with M Vaughan *Social Conflict and Educational Change in England and France 1789-1848* London, Cambridge University Press, 1971
- Ardagh, J , *The New France, A Society in Transition, 1945-1973* Penguin, 1973
- Argyle, M with Beit-Hallahmi, *The Social Psychology of Religion*, London Routledge, 1975
- Austin, G , *The Indian Constitution Cornerstone of a Nation* Oxford, Clarendon Press, 1966

- Avineri, S , *The Social and Political Thought of Karl Marx*, Oxford, Cambridge University Press, 1968
- Baltzell, E Digby, *The Protestant Establishment*, New York, Random House, 1964
- Bandyopadhyaya, N C , *Development of Hindu Polity & Political Theories*, New Delhi, Munshiram Manoharlal 1980
- Barber, B , *Strong Democracy*, University of California Press, 1984
- Barker, E , *Alexander to Constantine* Oxford Clarendon Press, 1961
- Basham, A L , *The Wonder that Was India* Fontana Collins, 1971
- Basu, D D , *Commentary on the Constitution of India*. Calcutta, Sarkar, 1965
- Bell, D , *The Cultural Contradictions of Capitalism*, New York, Basic Books, 1975
- Bellah, R N , *Religion and Progress in Modern Asia* New York, Free Press, 1965
- in R N Bellah and W G McLoughlin (eds) *Religion in America*, Boston, Houghton Mifflin, 1968
- Berger, S ed , *Religion in West European Politics* London Cass, 1983
- Berger, P , *The Social Reality of Religion* London Faber 1969
- Bocock, R , *Ritual in Industrial Society* London Allen & Unwin 1974
- Bordeaux, M , *Opium of the People* London Faber 1965  
—Religious Ferment in Russia, London Macmillan 1968
- Bounquet, A C *Hinduism* London Hutchinson University Library, 1949
- Brecher, M , *Nehru A Political Biography* New York Oxford University Press, 1959
- Brown, D M , *White Umbrella*, Berkeley, University of California Press, 1964
- Campbell, C , *Towards a sociology of Irrigion* London Macmillan, 1971
- Chadwick, O , *The Secularization of the European Mind in the nineteenth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 1975
- Chandra, Bipin, *Communalism in Modern India*, New Delhi Vikas Pub House, 1984
- Charlton, D , *Secular Religion in France*, Oxford, Oxford University Press, 1963

- Chatterji, P C , Secular Values for Secular India, Lola Chatterji, 1984
- Collins, L and D Lapierre, Freedom at Midnight, London Pan Books Ltd 1977
- Coomaraswamy, A , Buddha and the Gospel of Buddhism, London, George G Harrap & Co Ltd , 1923
- Cooray, J A L , Constitutional Government and Human Rights in a Developing Society, Colombo, C A L Ltd , 1969
- Corwin, E S , The Constitution of Powers in a Secular State, Charlottesville, The Michie Co , 1951
- Curran J A Militant Hinduism in Indian Politics, New Delhi, 1979 reprint
- Currie R with A Gilbert, Churches and Church Going, Oxford University Press 1978
- Dahl, R Political Oppositions in Western Democracies, New Haven, Yale University Press, 1966
- Dahrendorf, R , Class and Class Conflict in Industrial Society Stanford University Press, 1959
- Davies, C Permissive Britain, London Pitman, 1975
- Derrett, J D M , Hindu Law Past and Present, Calcutta A Mukherjee & Co , 1975
- Derrett, J D M Introduction to Modern Hindu Law, Oxford Oxford University Press, 1963
- Desai, A R , Social Background of Indian Nationalism, Bombay Popular Book Depot 1954
- Dixit, P , Communalism — A struggle for Power, New Delhi, 1974
- Dube, M P , Jawaharlal Nehru Legacy and Legend, Nainital kumaun University Pub , 1989
- Dube, S C , Modernization and Development, New Delhi Vistaar Pub 1988
- (ed ), India Since Independence A Social Report on India 1947-1972 New Delhi, 1977
- Dumont, L , Homo Hierarchicus Caste System and Its Implications, Chicago, 1970  
— Religion / Politics and History in India, in his collected papers in Indian Sociology, Paris, 1970
- Dunn, J , The Political Philosophy of John Locke, Cambridge University Press, 1969
- Durant, W , The Life of Greece, New York Simon, Schuster, 1939

- Edwards, M., *A History of India From the Earliest Times to the Present Day* London Thames and Hudson, 1961  
 —British India London Sidgwick and Jackson, 1967
- Eisenstadt, S N (ed.), *The Protestant Ethic and Modernization* London Basic Books, 1968
- Enayat, H., *Modern Islamic Political Thought* London Macmillan 1982
- Esposito, John L (ed.) *Islam and Development Religion and Sociopolitical Change* New York Syracuse University Press 1980
- Fletcher, W C., *A Study in Survival The Church in Russia 1927-1943* New York Macmillan 1965  
 — *The Russian Orthodox Church Underground, 1917-1970* Oxford Oxford University Press, 1971
- Fischer, Michael M J *Islam and the Revolt of the Petit Bourgeoisie* Daedalus, Winter, 1982
- Fullinwider, R K., *The Reverse Discrimination Controversy* Rowman and Littlefield, 1980
- Fyzee, A A A *Outlines of Muhammadan Law* 4th ed., Oxford Oxford University Press, 1974
- Gajendragadkar, P B., *Secularism and the Constitution of India* Bombay, University of Bombay 1971  
 — *The Indian Parliament and Fundamental Rights* Calcutta Eastern Law House, 1972
- Galanter, Marc, *Competing Equalities Law and the Backward Classes in India* Oxford University Press, 1984
- Gellner, E., *Contemporary Thought and Politics*, Routledge, 1974
- Ghoshal U N., *A History of Hindu Political Theories* Calcutta Oxford University Press, 1966
- Ghouse, M., *Secularism, Society and Law in India* Vikas Publishing House, 1972
- Ghurye, G S., *Caste and Race in India* Bombay Popular Prakashan, 1969
- Glasner, P., *Secularization*, London Routledge, 1977
- Goldman A H., *Justice and Reverse Discrimination*, Princeton University Press, 1979
- Gopal, S., *British Policy in India, 1858-1905*, New Delhi, 1975 reprint
- *Jawaharlal Nehru — A Biography*, 3 Vols., OUP, 1978
- Golwalkar, M S., *Bunch of Thoughts*, Bangalore, 1966

- Guillaume, A., *Islam* Penguin Books, 1954
- Gopal, Ram, *Indian Muslims A Political History (1858-1947)*, Bombay, 1959
- Gore, M S, *Urbanisation and Social Change*, New Jersey, 1968
- Goyal, D R, *Rashtriya Swayamsevak Sangh*, New Delhi, 1979
- Hadden, J K (ed), *Religion in Radical Transition*, Transaction Books, 1971
- Hammond, P E (ed) *The Sacred in the Secular Age* Berkeley, University of California Press, 1985
- Hastings J (ed), *Encyclopaedia of Religion and Ethics* Edinburgh, New York, 1913
- Holyoke, G.J., *Christianity and Secularism*, London, 1863
- Ikram S M, *Muslim Civilization in Indus* (ed A T Embree), New York, Columbia University Press, 1964
- Iyer R N, *The Moral and Political Thought of Mahatma Gandhi*, New York Oxford University Press 1973
- Jack, H A (ed), *The Gandhi Reader* London Dennis Dobson, 1958
- Jain, P C, *Law and Religion* Allahabad A C S Chand, Meergamy, 1974
- Jayswal, K P, *Hindu Polity*, Calcutta Butterworth 1924
- Jenkins, D, *The British Their Identity and Their Religion* London SCM Press 1975
- Kabir Humayun *Muslim Politics 1906 1947 and Other Essays*, Calcutta 1969
- Kant, I *The Metaphysical Elements of Justice* 1787
- Kauper, P O, *Civil Liberties and the Constitution* Michigan University Press 1962
- Kolacz W, *Religion in the Soviet Union* New York St Martin's Press 1962
- Kothari Rajni *Politics in India* Boston Little Brown, 1970
- Laponce, J A, *The Protection of Minorities* Berkeley University of California Press, 1960
- Lewis, E, *Medieval Political Ideas*, Routledge & Kegan Paul, 1954
- Lively, J, *Democracy* Oxford Blackwell, 1975
- Luthera, V P, *The Concept of the Secular State and India*, O U P, 1964
- Mahar, Michael (ed), *Untouchables in Contemporary India*, Tucson, 1972

- Mahmood, T., *Family Law Reforms in the Muslim World*, Bombay, N M Tripathi, 1972
- Majumdar, R C (ed.) with H C Raychaudhuri and K Datta, *An Advanced History of India* London, Melbourne, Toronto St Martin's Press, 1965
- Mandelbaum, D G., *Society in India*, 2 Vols., Berkeley, 1970
- Mansfield, H C Jr., *The Spirit of Liberalism* Harvard University Press, 1978
- Marshall, R H (ed.), *Aspects of Religion in the Soviet Union, 1917-1967*, University of Chicago Press, 1971
- Martin, D., *A General Theory of Secularization* Oxford, Blackwell, 1978
- McGovern, W M., *From Luther to Hitler* London George G Harrap, 1941
- McLellan, D., *The Thought of Karl Marx*, London Macmillan, 1981
- McLoughlin, W., with R N Bellah, *Religion in America*, Boston Houghton Mifflin, 1968
- Merkl, P. and Smart N (eds.), *Religion and Politics in the Modern World* University of New York Press 1983
- Miller, D., *Social Justice* Oxford Clarendon Press, 1976
- Mishra, B B., *The Judicial Administration of the East India Co., in Bengal, 1765-1782*, Motilal Banarasidas 1961
- Mol, H (ed.), *Western Religion*, The Hague Mouton, 1972
- Moyser, G (ed.), *Church and Politics Today* Edinburgh Clark 1985
- Mujeeb, M., *The Indian Muslims*, London 1969 impression
- Narang, A S., *Democracy, Development and Distortion* Punjab Politics in National Perspective, New Delhi, Gitanjali, 1986
- Nicholls, D., *Church and State in Britain Since 1820*, London Routledge, 1967
- Niebuhr, H R., *The Kingdom of God in America*, New York, 1949
- Nozick, R., *Anarchy, State and Utopia* New York, 1974
- Panikkar, K M., *A Survey of Indian History* London Asia Pub House, 1964
- , *The Foundations of New India*, George Allen & Unwin Ltd., 1963
- Pantham, T. and K L Deutsch (eds.), *Political Thought in Modern India*, New Delhi - Sage, 1986
- Pfeffer, L., *Church, State and Freedom*, Boston, Mass Beacon, 1967.

- Parry, G , John Locke, London Allen & Unwin, 1978  
 Philips, C H and Wainwright, M D , *The Partition of India*, London, 1970  
 Radhakrishnan, S , *An Idealist View of Life*, Allen & Unwin, 1957  
 —, *East and West* Allen & Unwin, 1955  
 —, *Eastern Religions and Western Thoughts*, O U P , 1940  
 —, *The Hindu View of Life*, Unwin Books, 1960  
 —, *Religion and Society* Allen & Unwin, 1947  
 —, *Indian Philosophy* 2 Vols  
 Raphael D , Hobbes, London Allen & Unwin, 1977  
 — Justice and Liberty, London, 1980  
 Rao B et al , *The Framing of India's Constitution A Study Select Documents* New Delhi, I I P A , 1968  
 Rawls J , *A Theory of Justice* Cambridge, 1971  
 Rosenthal, E I J , *Islam in Modern National State*, Cambridge, 1963  
 Runciman, S , *The Orthodox Churches and the Secular State*, O U P , 1971  
 Ryan, A , J S Mill Routledge, 1974  
 Schneider, L (ed ), *Religion, Culture and Society*, New York John Wiley, 1964  
 Seervai, H M , *Constitutional Law of India*, Bombay, 1989  
 Sen, K M , Hinduism, Penguin Books, 1961  
 Shah, A B (ed ), *Cow Slaughter — Horns of a Dilemma* Bombay, 1967  
 Shakir, M , *Politics of Minorities*, Ajanta, 1988  
 —, *Khalafat to Partition*, New Delhi, 1970  
 Sharma, G S (ed ), *Secularism Its Implications for Life and Law in India*, Bombay, Tripathi, 1966  
 Shelat, J M , *Secularism, Principles and Applications*, Bombay, Tripathi, 1972  
 Smith, D E , *India as a Secular State*, Princeton University Press, 1963  
 Smith, W C , *Modern Islam in India*, Lahore, 1963  
 Shourie, A , *Religion in Politics*, Rohi, New Delhi, 1987  
 Sills, D (ed ), *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, T Parsons 1968  
 Simon, W M , *European Positivism in the Nineteenth Century*, Cornell University Press, 1963  
 Singer, Milton , *When a Great Tradition Modernizes*, New York, 1970

- Singh, A (ed ), *Punjab in Indian Politics Issues and Trends* Delhi Ajanta, 1985
- Smith, D E , *Religion, Politics and Social Change in the Third World*, New York Free Press, 1971
- Spellman, J , *The Political Theory of Ancient India*, Clarendon Press, Spencer, R F , *Religion and Change in Contemporary Asia* University of Minnesota Press 1971
- Spiro, M E , *Buddhism and Society*, New York Harper and Row, 1970
- Srinivas, M N , *Social Change in Modern India*, Orient Longman 1966
- , *Nation-Building in Independent India*, New Delhi, 1977
- Sturzo, L , Church and State 2 Vols Harmondsworth, Penguin 1962
- Tarachand, *The History of the Freedom Movement in India* Vol II Tully, Mark and Satish Jacob, Amritsar Mrs Gandhi's Last Battle, 1986
- Thapar, R , *A History of India* Penguin Books, 1966
- Thomas, K , *Religion and the Decline of Magic*, London, 1971
- Tyabji, F B , *Muslim Law*, Tripathi, 1968
- Weiner, M , *Party Building in a New Nation The Indian National Congress* University of Chicago Press 1967
- White, M G , *The Political Philosophy of the American Revolution* New York O U P , 1978
- Williams, M M , *Hinduism* Delhi Rare Books, 1971
- Wilson B R , *Religion in Secular Society* London Watts, 1966
- Zaehner, R C , *Hinduism*, Oxford Oxford University Press, 1968